रजिस्ट्री सं. डीएल—33001/2002 REGISTERED No. DL—33001/2002

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 23, 2002 (चैत्र 2, 1924)
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 23, 2002 (CHAITRA 2, 1924)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

मुंबई, दिनांक 25 फरवरी 2002

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ.(8) 70/बी5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 18 के अनुसरण जनवरी 2002 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्ट्या आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग क में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियाँ शामिल की गई हैं और भाग ख में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.

कुछ नहीं

सूची "ख"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
अहमदाबाद सर्किल 10 प्रतिशत राहत बांड 1995					
एडी-000430	रु. 1,00,000/-	श्री नरेन्द्र छोटालाल देसाई (मृत) एवं श्रीमती कुन्दनबेन नरेन्द्र देसाई	2-7-99	श्रीमती कुन्दनबेन नरेन्द्र देसाई	एलएनएस/0337 के. का. पत्र सं. 221 दिनांक 30 अक्तूबर 2001
चेन्नई सर्किल एनडीजीबी 1980 ए श्रृंखला					
एमएस-012381	15 ग्राम	बक्कावरमल बवरलाल	अदायगी नहीं की गयी	बक्कावरमल बवरलाल	सं. 14 दिनांक 7 दिसंबर 2001
नई दिल्ली सर्किल 10 प्रतिशत राहत बांड 1995					
डीएच-005370/ जीपी (एनसी)	रु. 4.5 लाख	रेणु गुप्ता और राजेश कुमार	-	रेणु गुप्ता और राजेश कुमार	पीडीओ/डीटी/एलएन. 4/2000 दिनांक 10 नवंबर 2001
डीएच-004425/ जीपी (एनसी)	-वही-	-वही-		-वही-	-वही-

ए. जी. पाठक
कृते मुख्य महा प्रबंधक

बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय
मुंबई
अधिसूचना

22 FEB 2002

मुंबई, दिनांक --------------, 2002.

क्र.II 2001-2002 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा तथा धारा 12 की उप- धारा (2) के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ एतद्द्वारा बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 में और संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

(1) इन विनियमों को बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम 2001 कहा जाएगा।

(2) ये, भारत के गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम 1976 में

(क) विनियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रस्थापित होगा, अर्थात:-

" 18 समीक्षा:

इन विनियमों में दी गयी बातों के बावजूद, यदि समीक्षा प्राधिकारी के समक्ष कोई ऐसा नया तथ्य या प्रमाण प्रस्तुत होता हो या उनके ध्यान में लाया जाता हो, जिसके प्रभाव से मामले के स्वरूप में परिवर्तन होता हो तब वे अपने प्रस्ताव से या अन्यथा संबंधित आदेश की समीक्षा कर सकते हैं तथा जैसा उचित समझे वह आदेश पारित कर सकते हैं।

परंतु-

(i) यदि समीक्षा प्राधिकारी शास्ति बढ़ाना चाहते हैं, जो विनियम के खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) या (ञ) में विनिर्दिष्ट गंभीर शास्ति है और विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार उस मामले में पहले से जांच नहीं की गई है तो समीक्षा प्राधिकारी यह निदेश देंगे कि विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी जांच की जाए और उसके बाद जांच के अभिलेख पर विचार करके वे ऐसे आदेश पारित करेंगे जो वे उचित समझें;

(ii) यदि समीक्षा प्राधिकारी दण्ड में वृध्दि करने का निर्णय लेते हैं, परंतु विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार जांच पहले ही की जा चुकी है तो समीक्षा प्राधिकारी, अधिकारी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस देंगे कि बढ़ाया गया दण्ड उन्हें क्यों न दिया जाए और अधिकारी कर्मचारी अगर कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हो तो उसपर विचार करके ही अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।

(ख) वर्तमान अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम 1976

अनुसूची

क्र.	**अधिकारी कर्मचारी का वेतनमान**	**अनुशासनिक प्राधिकारी**	**अपील प्राधिकारी**	**समीक्षा प्राधिकारी**
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1.	वेतनमान I और II के अधिकारी	मुख्य प्रबंधक/वेतनमान IV के अधिकारी	वेतनमान V के आंचलिक प्रबंधक/ सहा. महाप्रबंधक	महाप्रबंधक
2.	वेतनमान III के अधिकारी	वेतनमान V के आंचलिक प्रबंधक/ सहा. महाप्रबंधक	वेतनमान VI के आंचलिक प्रबंधक/ उप महाप्रबंधक	महाप्रबंधक
3.	वेतनमान IV एवं V के अधिकारी	महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में/यदि वे अपील प्राधिकारी का कार्य संभालते हो तो बोर्ड की समिति
4.	वेतनमान VI के अधिकारी	कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में/यदि वे अनुशासनिक प्राधिकारी का कार्य संभालते हो तो बोर्ड की समिति	बोर्ड
5.	वेतनमान VII के अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक	बोर्ड की समिति	बोर्ड

टिप्पणी जो अनुसूची का अंग है

1) उपरोक्त कालमों (iii), (iv), (v) में विनिर्दिष्ट पद से उच्च कोई भी प्राधिकारी अनुशासनिक अथवा अपील अथवा समीक्षा प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है।

2) जब किसी अनुशासनिक, अपील अथवा समीक्षा प्राधिकारी को पदनाम के साथ नियुक्त/नामित किया जाता है, तब कार्यवाहक रूप में उस पदनामित पद पर कार्य करने वाले कोई भी प्राधिकारी स्वतः यथास्थिति, अनुशासनिक, अपील अथवा समीक्षा प्राधिकारी के प्राधिकार का प्रयोग कर सकते है।

3) जब एक ही पदनाम वाले एक से अधिक अधिकारी हों जो अनुशासनिक, अपील अथवा समीक्षा प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं अथवा जब ऐसे प्राधिकारी उस रूप में या किसी कारण से कार्य करने की स्थिति में नहीं हों, तोः-

I) कार्यपालक निदेशक और उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा:

क) वेतनमान I और II के अधिकारियों के मामले में उपयुक्त वेतनमान के किसी अधिकारी को अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में नामित करने के लिए कम-से-कम वेतनमान V के आंचलिक प्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक को अधिकार प्रदान करेंगे।

ख) वेतनमान I और II के अधिकारियों के मामले में उपयुक्त वेतनमान के किसी अधिकारी को अपील प्राधिकारी और वेतनमान III के अधिकारियों के मामले में किसी उपयुक्त अधिकारी को अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में नामित करने के लिए कम-से-कम वेतनमान VI के आंचलिक प्रबंधक/उप महाप्रबंधक को अधिकार प्रदान करेंगे।

ग) वेतनमान III के अधिकारियों के मामले में उपयुक्त वेतनमान के किसी अधिकारी को अपील प्राधिकारी के रूप में नामित करने के लिए महाप्रबंधक को अधिकार प्रदान करेंगे।

ii) कार्यपालक निदेशक और उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यह निर्णय लेंगे कि कौनसे महाप्रबंधक (क) वेतनमान V और VI के अधिकारियों के मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी (ख) वेतनमान VI के अधिकारियों के मामले में अपील प्राधिकारी और (ग) वेतनमान I, II और III के अधिकारियों के मामले में समीक्षा प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

4) भारत से बाहर के कार्यालयों में तैनात और प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अधिकारी कर्मचारियों के मामले में अपील अथवा समीक्षा प्राधिकारी वही होंगे जो प्रधान कार्यालय में तैनात अधिकारी कर्मचारियों के मामले में होंगे।

5) जब अवचार अथवा मिले-जुले संव्यवहार या कई संव्यवहारों के मामले में एक अथवा एक से अधिक अधिकारी कर्मचारियों के विरुध्द अनुशासनिक कार्यवाही की जानी हो तो संबंधित वरिष्ठतम अधिकारी के मामले में जो अनुशासनिक प्राधिकारी है उन्हें ही उन सभी अधिकारियों के विरुध्द अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त होगा। इसी प्रकार उन सभी अधिकारियों के लिए अपील और समीक्षा प्राधिकारी वही होंगे जो वरिष्ठतम अधिकारी के लिए होंगे ।

6) जो कार्यवाही, यह अनुसूची लागू होने की तारीख से पहले शुरू की गयी हो परंतु पूरी न हुई हो वह उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी रखी जाएगी और / या निपटायी जाएगी ।

(जे.एस. दलाल)
उप महाप्रबंधक

दि इंन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊन्टेन्टस ऑफ इन्डिया

२७ कफ परेड कोलाबा

मुंबई ४००००५

कोरीजेंडम नोटीफीकेशन

4 MAR 2002

३ डब्ल्यूसीए (५)/३/२०००-०१-नोटीफीकेशन नं ३ डब्ल्यूसीए(४)/१/२०००-२००१ ता.१५/०१/२००१ में निम्नलिखित सभासदोंके नाम . . रदद करने के संदर्भ में इस तिथीसे ८/१२/२००० सिरीयल नं जो सभासद के संदर्भ में है, वह निकाल दिये गये.

अनु. क.	अनु.नं. नोटीस.	स. नं.	नाम और पता
१	३२	५७४२	श्री. मोदी प्रकाश राज कस्तुरबा कॉस रोड नं १, १४ प्रभा कुंज, बोरीवली (पुर्व) मुंबई ४०००६६.
२	३३	५८६२	श्री. तारापोरे होरांग धनभॉरा ॲन्ड कं बॉम्बे म्युटयुअल बिल्डी सर पी.एम.मेहता रोड फोर्ट मुंबई ४००००१
३	५१	7613	श्री. शहा कुमुदचंद्र १९ मंगल पार्क न्यु विकास गृह पालदी अहमदाबाद ३८०००७
४	७५	१०६९९	श्री. वैश्यमपायन श्रीनिवास ९ रूतुरंग अपार्ट. मधुसंचय सोसा. कर्वे नगर पुणे ४११०५२.
५	१०३	१३०५३	श्री. राजेंद्र कुमार गर्ग असि.जनरल मॅनेजर बॅक ऑफ बरोडा पी.बी.नं.१८४२ ४२ चवासी पटेल स्टे. मुंबई ४००००१.
६	१४७	१७०८३	श्री. सरपोतदार श्रीकांत फ्लॅट नं. ४/५ प्लॉट नं. १३७/४ सालोका गुरूराज हौ. सोसा. जय भवानी नगर पौढ रोड पुणे ४११०२९
७	१६१	१८८५७	श्री. के. सुर्या प्रकाश असि. जन. मॅनेजर आंध्रा बॅक फोर्ट ब्रांच नं. १८ होमी मोदी स्टे. मुंबई ४०००२३.
८	१९५	२५७३९	श्री. सत्या दयानंद मॅनेजर ऑपरेशनस बहरेनी सौदी बॅक पी.ओ. बॉ.११५९ मनाम बहारेन.

अनु. क.	अनु.नं. नोटीस.	स. नं.	नाम और पता
९	२०९	२९३१७	श्री. सेकर वी फ्लॅट ३५ इंडियन बॅंक हाऊस डॉ. आर.पी. रोड मुलुंड (प) मुंबई ४०००८०
१०	२६६	३१७९३	श्री. राव अदिथम प्रकाश वी–४० उज्वल पार्क नीम रोड पुणे ४११०४०
११	२९३	३२६७८	श्री. जोगलेकर श्रीरंग पुष्पकराज ९ श्री गोकुळ को.ऑप. सोसा. नवी पेठ पुणे ४११०३०
१२	३५१	३४५३०	श्री. मनीयार किरण शांतीलाल पी. देवीदास सेक्युरीटी लि. वी.वी. गांधी मार्ग मुंबई ४०००२३
१३	३७०	३५१३४	श्री. मल्ला उमेश वामन दत्तात्रय विल्डींग नं.६/११ तुकाराम जाऊजी रोड मुंबई ४००००७
१४	४०६	३६३४६	श्री. टंडन दिपक नरेंद्र १०१ हायलॅंड हेरीटेज हाय लॅंड कॉम्पलेक्स सोसा. ४२७ एम.जी.रोड घारकोप कांदिवली (प) मुंबई ४०००६७
१५	४१९	३६५२०	श्री अनंतनारायण फ्लॅट नं. ६ सेंटयुरी अपार्ट. पेरटम सागर टिळक नगर पी.ओ. मुंबई ४०००८९
१६	४३४	3,6698	श्री. खन्ना मुनेश ६६ मेकर टॉवर्स एफ कफ परेड मुंबई ४००००५.
१७.	४९२	३८४९४	श्री. सोनी कुंजभाई ५/सावार सोसायटी महावीरनगर हीमतनगर ३८३००१
१८.	५२४	३९२२८	श्री. गोयल प्रदीप रामजीवन पी.आर.गोयल अन्ड असो. ५२३ अर्शिवाद ६४/ई अहमदावाद स्टे. कारनक बुंडे मुंबई ४००००९.
१९.	५३४	३९४७२	मे. फिलीप शिला पी.ओ.बॉक्स ७१७९ शारजहा यू.ए.ई. यू.ए.ई.
२०.	५५९	४०४११	श्री.भट्ट पंकज हरी लाल पी.भट्ट अन्ड असो. १४ लक्ष्मी नारायण सो. हौ.लि ईलेक्ट्रीक पॉवर हाऊस समोर एम.जी.रोड घाटकोपर मुंबई ४०००७७
२१.	५६५	४०४५७	श्री. सांघवी ज्योतीन वी–६ गणेश धाम को.ओप. हौ. सो. दादावाई कॉस रोड विले पार्ले (प) मुंबई ४०००५६
२२.	५८९	४११७४	श्री. अहमद रईस सय्यद पी.ओ.बॉक्स १७९६ सौदी अरेबिया जिध्द २१४४१'0 जिध्द २१४४१'
२३.	५९२	४१२७३	श्री. झवियर एम.राजन २०५ दिवान शॉपिंग सेंटर यूनियन बॅंक समोर वसई वसई ४०१२०२
२४.	६०१	४१५६०	श्री. चकुंगल मोहनकुमार १० शुक्लेंदु अपार्ट दातार कोलनी भांडूप मुंबई ४०००७८.

अनु. क.	अनु.नं. नोटीस.	स. नं.	नाम और पता
२५.	६०६	४१५९३	श्री. टिवरेवाल राजेश ९ अलकनंदा अपार्ट. गुकुंदनगर पुणे ४११०३७
२६.	६०८	४१६७५	श्री. शर्मा वंसीलाल २१९ अशोका सेंटर पुणे सातारा रोड प्लॉट नं. परवती पुणे ४११००९
२७.	६३४	४२४०५	श्री. शेटजीवाला फकिरूद्दीन विला इंटरनेशनल मराईन लि. पी.ओ.वॉक्स २६३७३ दुवई यु.ए.ई यु.ए.ई
२८.	६४०	४२६२१	श्री. नारायण रामलिंगम ५/७/ए हरीनाम रोड नं. २ अमर महल पेस्टम सागर चेंबुर मुंबई ४०००८९
२९.	६५४	४३१३६	श्री. शास्त्री उमेश रामस्वामी बी-७ अमन अपार्ट १५२ धहाणूकर कॉलनी कोथरूड पुणे ४११०२९
३०.	७१७	४४५६३	श्री. संजीव गिरीश चांद एप्को पी.ओ.वॉक्स नं. ५५८९ दुवई यु.ए.ई. यु.ए.ई.
३१.	७५९	४५६५९	श्री. जैन राजेश १२ जयगोपाल को.ऑप.हौ.सो. मामलाधरवाडी एक्टेंशन रोड मालाड (प) मुंबई ४०००६४.
३२.	७७५	४५९६१	श्री. ठाकुर श्रीपद १६ श्री गुरू माऊली छाया डॉ राव वंगलेके सामने गणेश कोल्ड्रींकनजदीक चित्तरंजन दास रोड डोंबिवली (पु) -४२१२०२
३३.	७९५	४६४५८	श्री. सुरती अव्राहीम डी-१०२ युनिटी कॉम्पेक्स को.ऑप.हौ.सोसा. यारी रोड वरसावा अंधेरी (प) मुंबई ४०००७
३४.	८०७	४६६६६	श्री. विल्लीमोरीया वुरजीन सी-१४ नेस वाग नाना चौकी मुंबई ४००००७
३५.	८१९	४६९२३	श्री. अंकलकोटी राजेश ८३/सीलॉर्ड वी कफ परेड मुंबई ४००००५
३६.	८३२	४७०७९	श्री. कावा अमित ओमप्रकाश ए-३०४ स्पेक्ट्रम टॉवर्स पोलिस स्टेशन के सामने शाहीवाग अहमदावाद ३८०००४
३७.	८४५	४७४०६	श्री. सरेशवाला उमेर सिध्दीक एल जुरेद अन्ड कंपनी पी.ओ.वॉक्स १६४१५ जेध्द २१४६४ सौदी अरेविया
३८.	९३९	४९५०४	श्री. खन्ना कपिल जयकिशन डी/१० जुहु अपार्ट. जुहु रोड सांताक्रुझ (प) मुंबई ४०००४९
३९.	१०४३	७०९९२	श्री. दुगल मुकेश ११३३/५ फरग्युसन कॉलेज रोड पुणे ४११०१६
४०.	१०५९	७४३१४	श्री. जैन देवेंद्रा फ्लॅट नं. ९ देना अपार्ट. अशोक नगर सोसा. के नजदीक अटवा लाईनस सुरत ३९५००२

अनु. क.	अनु.नं. नोटीस.	स. नं.	नाम और पता
४१.	१०६७	७७०१४	मि. मोनिका जैन द्वारा दिपक भंडारी ए-६थी गजदार अपार्ट जुहु तारा रोड मुंबई ४०००४९
४२	११००	८७१४९	श्री. ढोलकीय राजेश ३०६/३०७ अकाशरथ रत्नम कॉम्पलेक्सके सामने सी. जी. रोड लालबंगला अहमदाबाद ३८०००६
४३.	११५२	१००७१२	मि. बेराई रूमा प्रविण द्वारा मंगल एंटरप्रायझेस ३०६ सिल्वर कॉईन प्रगजी टॉवर हलार रोड वलसाद ३९६००१
४४.	११८४	१०१३५८	श्री. शहा राजीव एम २ ओसवाल कॉलनी सुमेर क्लब रोड जामनगर ३६१००५.
४५.	१२०४	१०१८६७	श्री. धवन वरूण श्रीकुमार ५/१ मित्रा कुंज १६ पेध्र रोड मुंबई ४०००२६
४६.	१२३५	१०२४६९	श्री. ए. पद्मनाभन बालाजी ९/७ शेषशाराई को. ऑप. हौ. सो. लि. चितनीस नगर लेआऊट बायरामजी टाऊन नागपुर ४४००१३
४७.	१२३९	१०२५८८	श्री. जाकोटीया नरेशचंद १९३ बचेडा कॉलनी लकादगंज पो. ऑफीस सामने नागपुर ४४०००८
४८.	१२८५	१०४२८९	मि. रेवती सतिश वाद्ये मंदार शिक्षक नगर बनाज कंके सामने पौड रोड कोथरूड पुणे ४११०३८.
४९.	१३०२	१०४९३४	श्री. स्वप्नील प्रकाश शहा द्वारा पी. एच. शहा अन्ड कं. ७६८ सदाशिव पेठ पटारे चौक पी.एम.सी. सरवंट को.ऑप बँक बिल्डींग पुणे ४११०३०.
५०.	१३०४	१०५११४	श्री शर्मा संजीव द्वारा एम.एस.गोडबोले अन्ड असो. २री मंजिल ६७/२ ओबेरॉय हाऊस नल स्टॉप पुणे ४११००४.
५१.	१३४९	१०६७१९	श्री. शहा पराग इंद्रवदा २०४ अकिक सायन्स हॉल के सामने मिठाखली एलिसब्रीज अहमदाबाद. ३८०००६
५२.	१३७०	१०७०३३	श्री. ममिप जयंतीप्रसाद ५ श्रीमंगल अपार्ट. महात्मा नगर नाशिक. ४२२००७
५३.	१३८०	१०७१३४	श्री. गिरीश रामचंद ८६ स्नेहवर्धिनी कॉलनी जवाहर नगर पोलिस स्टेशन औरंगाबाद ४३१००५.
५४.	१३९८	१०७६२८	श्री. सात्विक अमालभाई पुरकाल टी/७ शांती नगर सोसा. सर्वेश्वर टेंपलके सामने जुना वडाज अहमदाबाद ३८००१३
५५.	१४०१	१०७६७२	मि. रिमला ए. वेयराह बी/४-६०३ ग्रीन लॅन्ड अपार्ट जे. बी. नगर अंधेरी मुंबई ४०००५९.
५६.	१४०३	१०७६९१	मि. भंडारीया लोकेश १३/१४ पारसरामपुरीया टॉवर आर. नं. १ लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स अंधेरी (प) मुंबई ४०००५३.

अनु. क.	अनु.नं. नोटीस.	स. नं.	नाम और पता
५७.	१४३४	१०८०९१	श्री. थाओथारीया गौतम फ्लॅट नं. ४०१ आयरीआयरी अपार्ट ए१/१२ फिल्म सिटी रोड यशोधाम गोरेगाव (पु) मुंबई ४००१०१.
५८.	[illegible]	२०५४८८	श्री. सुनिल टी.के. असि. ॲडमिनीस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर एफ-ए लाईफ इन्सुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिव्हिशन ऑफिस ६/७ युनिव्हरसिटी रोड शिवाजी नगर पुणे.
५९.	६४२	४२७००	श्री. चौधरी थलवीर सिंग १०१ कॅमे हाऊस धुरवाडी थयारजी होमुरी स्ट्रीट मराईन लाईन्स मुंबई ४००००२.
६०.	१०५१	७२९८०	श्री. रवी शंकर ४७ १रा कॉस अनंदा रंगा पिल्लाई नगर पोंडिचेरी ६००००८.
६१.	१५०६	२०८१९५	मे. रूपा एन. युनयान मॅनेजमेंट ट्रेनि चौगानी इंडस्ट्रिज लि. व्हिलेज कोरल वारडेक्स तालुका वारदेज गोवा ४०३५११.
६२.	१०९२	८४८४५	श्री. अग्रवाल संदिप २१४ (जीएफ) सेक्टर २८ वाशी नवी मुंबई ४००००१.
६३.	२०	४२४१	श्री. बोयरी बोमी जमशेद कारारो बाग ब्लॉक एस-११ परगोर कोलाबा कॉसवे मुंबई ४००००१.
६४.	१५	६२१४	श्री. जोगलेकर रामचंद ४२२० ब्राह्मणपुरी हरया तालिम के नजदीक सोनार गली मिरज ४१६४१०.

(डॉ. अशोक हलदिया)
सेक्रेटरी

दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया
इन्द्रप्रस्थ मार्ग,
नई दिल्ली – 110002

[भारत का राजपत्र, भाग 3 के खण्ड 4 तारीख 23 मार्च, 2002 में प्रकाशनार्थ]

नई दिल्ली, तारीख : 08.03.2002

(चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स)

सं०:1-सी०ए०(7)/60/2002 : भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स संस्थान की परीषद्, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग II के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिर्दिष्ट करती है कि यदि व्यवसाय कर रहे संस्थान का कोई सदस्य 50 करोड़ या अधिक रूपये का आवर्त रखने वाले किसी पब्लिक सेक्टर/सरकारी कंपनी/सूचीबद्ध कंपनी और किसी अन्य कंपनी के कानूनी संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति स्वीकार करने के साथ–साथ उन्हीं उपक्रमों/कंपनियों से ऐसे पारिश्रमिक के बदले कोई कार्य या कर्तव्यभार या सेवाएँ स्वीकार करता है जो कुल मिलाकर उस उपक्रम/कंपनी की कानूनी संपरीक्षा करने के लिए संदेय फीस से अधिक हो तो वह वृत्तिक अवचार का दोषी होगा :

परन्तु ऐसे मामले में जहां नियुक्ति प्राधिकारी/विनियामक निकाय अधिक कड़ी शर्तें/निर्बंधन विनिर्दिष्ट करे तो वहां इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों/निर्बंधनों के बजाए वहीं शर्तें/निर्बंधन लागू होंगें।

<u>स्पष्टीकरण :</u>

1. उपरोक्त निर्बंधन, कानूनी संपरीक्षा और उनके सहयुक्त समुत्थानों को अन्य कार्यों या सेवाओं या कर्तव्यभारों के लिए संयुक्त रूप से संदेय फीस की बाबत लागू होंगे।

2. उक्त प्रयोजन के लिए --

   I. "अन्य कार्यों" या "सेवाओं" या "कर्तव्यभारों" पद के अंतर्गत प्रबंध संबंधी परामर्श और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 2(2)(iv) के अनुसरण में परिषद् द्वारा अनुज्ञात अन्य सेवाएँ सम्मिलित हैं किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है :-

(i) किसी अन्य कानून के अधीन संपरीक्षा ;

(ii) कानूनी संपरीक्षकों द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित प्रमाणन कार्य; और

(iii) किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई अभ्यावेदन।

II. "सहयुक्त समुत्थान" से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा निगमित निकाय या भागीदारी फर्म जो प्रबंध संबंधी परामर्श और परिषद् द्वारा अनुज्ञात ऐसी अन्य सभी वृत्तिक सेवाऍं प्रदान करती है जहां कानूनी संपरीक्षक फर्म का मालिक और/या भागीदार और/या उनके नातेदार उक्त निगमित निकाय या भागीदारी फर्म के निदेशक या भागीदार हैं और/या संयुक्तत: अथवा पृथक्त: "सारवान् हित" रखते हैं।

III. "नातेदार" और "सारवान् हित" पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 के परिशिष्ट् (10) के अंतर्गत दिए गए हैं।

3. उपर निर्दिष्ट उपक्रमों/कंपनियों के कार्य या सेवाएं या कर्तव्यभार लेने के संबंध में ऐसे सहयुक्त समुत्थान या निगमित निकाय को यह स्वतंत्रता होगी कि वे ऐसे कार्य या सेवाऍं या कर्तव्यभार उस समय तक करते रहें जब तक कि कानूनी संपरीक्षकों को ऐसे कार्यों या सेवाओं या कर्तव्यभारों के लिए संदेय कुल पारिश्रमिक तथा दुसरे सहयुक्त समुत्थानों या निगमित निकायों को संदेय फीस का योग कानूनी संपरीक्षा करने के लिए कुल संदेय फीस से अधिक नहीं हो जाता।

4. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् की गई किसी भी नियुक्ति को लागू होगी।

डा० अशोक हल्दिया
सचिव

दी इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया

12 सदर स्ट्रीट, कलकत्ता - 700 016

कलकत्ता 31 मार्च 1999

सं. 11 सी डब्ल्यू आर· (189-191)/99 दी कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस विनियम 1959 के नियम 11 के उप नियम (3) का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि (1) श्री ओ0 पी 0 अग्रवाल, बी काम एम ए (इको0) ए आई सी डब्ल्यू ए, ए- 75 चन्द्र नगर, गाजियाबाद, - 201011 (सदस्यता सं0 2115) 25 नवम्बर 1998 से 30 जून 1999 तक (2) कुजुमोन मथाई एम काम ए आई सी डब्ल्यू ए, थेनना किजहट केकारा, पुथेन, भीडु, ई0 टी0 सी0 (पी0 ओ0) अम्बालापुरम, कोटारकारा, कोलाम, - 691531 (सदस्यता सं. 19255) 10 जनवरी 1999 से 30 जून तक (3) श्री शान्ति रंजन बाल, बी एसी. बी काम, एफ सी ए, एफ आई सी डब्ल्यू ए, नव कैलाश, प्लैट 5 एफ, 55/4 बाली गंज सर्कुल रोड, कलकत्ता - 700019, (सदस्यता सं0 671) 24 मार्च 1999 से 30 जून 1999 तक के प्रैक्टिस करने के प्रदत्त प्रमाण पत्र को उन लोगों के अनुरोध पर रद्द किया जाता है ।

डी. जगन्नाथन
(हस्ताक्षर)
डी जगन्नाथन

सचिव

कलकत्ता - 20 अप्रैल, 1999

सं.11 सी डब्ल्यू आर (192-194)/99 दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस विनियम 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि (1) अलोक सक्सेना, बी काम0, ए आई सी डब्ल्यू ए, 1/161, विराम खण्ड गोमती नगर, लखनऊ - 226010 (सदस्यता सं0 16231) 3 फरवरी 1999 से 30 जून 1999, तक (2) श्री एस0 सुब्रामनियम, बी काम, एम ए, ए आई सी डब्ल्यू ए, श्री निलयाम्, 1328 गीता रोड इक्सटेन्सन, पी0 ओ0 रोबर्डसोन पेट, कोलार गोल्ड फिल्ड-563122 (सदस्यता सं0 817) 10 मार्च 1999 से 30 जून 1999 (3) श्री पी0 ए0 मेनन, ए आई सी0 डब्ल्यू ए, श्री एन बी फ्लैट 294, स्वतंत्रा सेनानी नगर निपर समता भाडोदरा- 390021 (सदस्यता सं0 1067) 1 अप्रैल 1999 से 30 जून 1999 तक के प्रैक्टिस करने के प्रदत्त प्रमाण पत्र को उन लोगों के अनुरोध पर रद्द किया जाता है।

डी. जगन्नाथन

डी जगन्नाथन

सचिव

कलकत्ता - 25 मई 1999

क्र. 11 सी डब्ल्यू आर §195-198§/99 दी कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स विनियम 1959 के नियम 11 के उप नियम §3§ का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि §1§ श्री भी0 हनुमन्त राव बी एस सी0, बी काम0, ए आई सी डब्ल्यू ए 13 बी, ब्लाक बी ककतिया नगर हबसीगुदा, हैदराबाद 500007 §सदस्यता सं0 5422§ 1 अप्रैल 1999 से 30 जून 1999 तक, §2§ श्री टी0 सेल्भागनेशन, एम काम, ए आई सी डब्ल्यू ए, सं0 2 नवाबाई गार्डेन तिरूमेट्टियर, चेन्नई- 600019 §सदस्यता सं0 14570 § 2 अप्रैल 1999 से 30 जून 1999 तक §3§ श्री योगेश चन्द्र सिंह एम काम, ए आई सी डब्ल्यू ए, केयर ऑफ डा0 ए0 के0 मार्ग, एम एम - 226 सेक्टर - डी, अलीगंज स्कीम, लखनऊ- 226020 §सदस्यता सं0 15880§ 10 अप्रैल 1999 से 30 जून 1999 तक और §4§ श्री शिव प्रसाद चौधरी, बी एस सी, ए आई सी डब्ल्यू ए, 128 एमन्यू साउथ, संतोषपुर, कलकत्ता - 700075 §सदस्यता सं0 8814§ 18 मई 1999 से 30 जून 1999 तक के लिये प्रैक्टिस करने के प्रदत्त प्रमाण पत्र को उन लोगों के अनुरोध पर रद्द किया जाता है ।

अदयन राय

कोलकाता, दिनांक 18 अगस्त,1999

स. 11-सीडब्ल्यू आर (199-200)/99 : कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 11 के उप-विनियम (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित को प्रदान किए गए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र रद्द किए जाते हैं : -

1. श्री देबज्योति राय, बीए(ऑनर्स),एआईसीडब्ल्यूए, केयर ऑफ डी.जे. राय एण्ड एसोसिएट्स, 64/1/डी, बिरेन राय रोड (प0), बेहला, कलकत्ता-700008,(सदस्यता सं08437) 16 मई 1999 से 30 जून,1999 तक, उनके स्वयं के अनुरोध पर ।
2. श्री आर नानाभोय, एफसीए" "फआईसीडब्ल्यूए, केयर ऑफ आर नानाभोय एण्ड कं0, जेर मेन्सन, 70, अगस्त क्रांति मुम्बई-400036(सदस्यता सं08)5 अगस्त,1999 से 30 जून,2000 तक उनकी मृत्यु होने के कारण

ह0/
(उदयन रे)
सचिव

....

कोलकाता, दिनांक 28 दिसम्बर,1999

स. 11-सीडब्ल्यू आर (201-205)/99 : कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 11 के उप-विनियम (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित को प्रदान किए गए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके खुद के अनुरोध पर रद्द किए जाते हैं : -

1. श्री राजेश तलवार, बी कॉम,,एआईसीडब्ल्यूए, तलवार एण्ड एसोसिएट्स, प्लाट नं0 4, इन्द्रप्रस्थ् एनक्लेव, सेक्टर-1-एक्स., त्रिकुता नगर, जम्मू-180012,(सदस्यता सं0 18072), 15 अक्तूबर,1999 से 30 जून,2000 तक ।
2. श्री विजय प्रकाश, एमए, एफआईसीडब्ल्यूए, 352, चौथी गली, निशात गंज, पो0 ओ0 न्यू हैदराबाद, लखनऊ-226007,(सदस्यता सं0 1876),14 अगस्त,1999 से 30 जून,2000 तक।
3. श्री अशोक कुमार मित्तल, डी-44/196ए, रामपुरा,सरस्वती सिनेमा के सामने, वाराणसी-221010 (सदस्यता सं0 16441), 27 अगस्त,1999 से 30 जून,2000 तक ।
4. श्री गिरीश रामचन्द्र कुलकर्णी, बी कॉम, एआईसीडब्ल्यूए, गिरीश आर. कुलकर्णी ऐंड कं0 88, स्नेहवर्धिनी एच.एस. जवाहर कालोनी, औरंगाबाद-431005(सदस्यता सं0 19263), 4 सितम्बर,1999 से 30 जून,2000 तक ।
5. श्री एस0 संतोष कुमार, बीएससी, एआईसीडब्ल्यूए, 4/2क्यू, के के जी, कॉम्पलेक्स, एमटीपी रोड, वडवुंधापलायम, कोयम्बतूर-641030(सदस्यता सं0 14458), 20 सितम्बर,1999 से 30 जून,2000 तक ।

ह0/
(उदयन रे)
सचिव

कोलकाता, दिनांक 9 फरवरी,2000

क्र. 11-सीडब्ल्यू आर (206-209)/2000 : कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 11 के उप-विनियम (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित को प्रदान किए गए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र रद्द किए जाते हैं : -

1. श्री आदिनाथ बेनर्जी,बीएससी, एफ सी एस,एआईसीडब्ल्यूए, पी-130, लेक टेरिस,कलकत्ता-700029,(सदस्यता सं0 4265) 13 जनवरी, 2000 से 30 जून, 2000 तक, उनके स्वयं के अनुरोध पर ।
2. श्री के योगिश आचार्य, बी.कॉम. एलएलबी,एआईसीडब्ल्यूए,13सुधामां चौथा क्रॉस, मुनेश्वर नगर, सुब्रमण्यापुरा पोस्ट, बंगलौर-560061 (सदस्यता सं0 16372) 16 जनवरी,2000 से 30 जून,2000 तक, उनके स्वयं के अनुरोध पर ।
3. श्री सुनील जे, शाह, बी.कॉम एलएलबी, एसीए, एआईसीडब्ल्यूए, एस-16, यूरेका सेन्टर, कोपिकर रोड, हुबली-580020 (सदस्यता सं0 14291) 16 दिसम्बर,1999 से 30 जून, 2000 तक, उनके स्वयं के अनुरोध पर ।
4. श्री घनश्याम मेघराज बोहरा , बीएससी (ऑनर्स),एआईसीडब्ल्यूए, 18/159, हाउसिंग बोर्ड चोपासानी स्कीम, जोधपुर -342008 (सदस्यता सं0 4375) 3 दिसम्बर,1999 से 30 जून, 2000 तक, उनकी मृत्यु के कारण ।

ह0/
(उदयन रे)
सचिव

....

कोलकाता, दिनांक 27 मार्च, 2000

क्र. 11-सीडब्ल्यू आर (210-215)/2000 : कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 11 के उप-विनियम (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित को प्रदान किए गए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके खुद के अनुरोध पर रद्द किए जाते हैं : -

1. श्री पूरन लाल चोपड़ा, बी कॉम(ऑनर्स,), एमए(इकॉन),एफआईसीडब्ल्यूए, ई-29, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015(सदस्यता सं0 2641) 8 फरवरी,2000 से 30 जून,2000 तक ।
2. श्री एस.के. बनर्जी, बी कॉम(ऑनर्स,), एआईसीडब्ल्यू,9223, डीडीए एलआईजी फ्लैट्स, मसूदपुर, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110030, (सदस्यता सं0 4064)16 अगस्त,1999 से 30 जून,2000 तक ।
3. श्री पी.एन. गुजराल, बीए, एलएलबी, एफआईसीडब्ल्यूए, 4/87-ए, मयूर विहार-1, दिल्ली-110091 (सदस्यता सं0 38), 28 फरवरी 2000 से 30 जून,2000 तक ।
4. श्री एस. गणेशन, बीएससी,एफआईसीडब्ल्यूए, सं0 16, स्कूल व्यू रोड, आर.के.नगर, चेन्नई-600028(सदस्यता सं0 1374), 18 फरवरी 2000 से 30 जून,2000 तक ।
5. श्री संदीप रामपाल अग्रवाल, बी कॉम,एआईसीडब्ल्यूए, 4/66, ओएनजीसी फ्लैट्स, नजदीक इरला मस्जिद, जेवीपीडी, जुहू, मुम्बई-400049 (सदस्यता सं0 17623) 1 मार्च, 2000 से 30 जून,2000 तक, और
6. श्री अभिजीत घोष, बी कॉम(ऑनर्स), एआईसीडब्ल्यूए, 28, जे.के. पॉल रोड, पो0 ओ0 साहपुर, कलकत्ता-700038(सदस्यता सं0 18377), 22 दिसम्बर,1999 से 30 जून,2000 तक ।

ह0/
(उदयन रे)
सचिव

कोलकाता, दिनांक 10 जनवरी, 2001

फा. 11-सीडब्ल्यू आर (216-233/2001) : कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 11 के उप-विनियम (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्निलिख्त को प्रदान किए गए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके खुद के अनुरोध पर रद्द किए जाते हैं : -

1. श्री रजत कुमार बासु, बी कॉम(ऑनर्स,)एआईसीडब्ल्यूए, जगाचा बरवारीतला, पो0 ओ0 जी.आई.पी. कालोनी, हावड़ा -711321 (सदस्यता सं0 16612), 15 दिसम्बर, 1999 से 30 जून, 2000 तक ।
2. श्री राजा मुखोपाध्याय, एम कॉम, एआईसीडब्ल्यू, 101/ए/8, बृन्दावन क्यूलिक लेन, कदमतला, हावड़ा-711101(सदस्यता सं0 17785), 1 अप्रैल 2000 से 30 जून,2000 तक ।
3. श्री धर्मनाथ ठाकुर, बी कॉम,एआईसीडब्ल्यूए, 3/54, आर.सी. भवन, 34ए, रातु सरकार लेन, कलकत्ता-700073 (सदस्यता सं0 19712), 21 अप्रैल 2000 से 30 जून,2000 तक ।
4. श्री पंकज जैन,एम कॉम,एआईसीडब्ल्यूए,107, लक्ष्मी चैम्बर्स, सी-159, नारायणा, फेस-1,नई दिल्ली-110028(सदस्यता सं0 15932), 7 अप्रैल 2000 से 30 जून,2000 तक ।
5. श्री कौशिक कुमार मंडल,एम कॉम,एआईसीडब्ल्यूए, गांव अंतिलापाडा, पो0 अऐ0 अनंतपुर, हावड़ा-711301(सदस्यता सं0 15009), 20 जून, 2000 से 30 जून,2000 तक ।
6. श्री गुरमीत सिंह, बी कॉम(ऑनर्स),एआईसीडब्ल्यूए, 15/55, सुभाष नगर, नई दिल्ली-110027(सदस्यता सं0 19962), 1 फरवरी 2000 से 30 जून,2000 तक ।
7. श्री वी0 सुब्रमणियन,बी कॉम,एसीएस,एआईसीडब्ल्यूए,32/1,थीरूवलुवर स्ट्रीट, पेनादम-608105(सदस्यता सं0 4056), 1 जून, 2000 से 30 जून,2000 तक ।
8. श्री पुलाक गांगुली, बीएससी,एआईसीडब्ल्यूए, 33, रानी हर्षमुखी रोड, पाइकपाडा, कलकत्ता-700002(सदस्यता सं0 15308), 31 जुलाई, 2000 से 30 जून,2001 तक ।
9. श्री बी.डी अग्रवाल, बी कॉम(ऑनर्स)एआईसीडब्ल्यूए, कस्तूरी विला, फ्लैट नं0 एस2, 254/2बी/1, एन.एस.सी. बोस रोड, कलकत्ता-700047(सदस्यता सं0 7051), 1 अगस्त, 2000 से 30 जून,2001 तक ।
10. सुश्री वर्षा सतीश पेंडसे,बी कॉम,एआईसीडब्ल्यूए,बी-39, सनमान को0-आप0 हाउसिंग सोसायटी, खारेगांव पखाडी, कलवा(प0),थाणे-400605(सदस्यता सं0 14987), 25 अगस्त, 2000 से 30 जून,2001 तक ।
11. श्री विनय टंडन, बीएससी,एआईसीडब्ल्यूए,38, शिब ठाकुर लेन, पो0 ओ0 कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता-700007(सदस्यता सं0 13103), 1 जुलाई, 2000 से 30 जून,2001 तक ।
12. मौ0 अकबर अली, बी कॉम,एआईसीडब्ल्यूए, केयर ऑफ श्रीमती मुमताज बेगम, ई.एस.आई. हास्पिटल, क्वार्टर नं0 6/6, कर्महारी, कलकत्ता-700058(सदस्यता सं0 11922) 21 अगस्त, 2000 से 30 जून,2001 तक ।

13. श्री जे.आई. देवदत्त, डीआईपी, एम.ए., ए सी आई एस, एफसीएस,एफआईसीडब्ल्यूए, 12, चौथा, बी ब्लॉक, कोरमंगला, बंगलौर-560034(सदस्यता सं0 873) 9 नवम्बर, 2000 से 30 जून,2001 तक ।

14. श्री बी.के. हिरचन्दन, एम.कॉम,एआईसीडब्ल्यूए,447, झारपाडा, पो0 ओ0 बुद्धेश्वरी कालोनी, भुबनेश्वर-751006,(सदस्यता सं0 16759), 31 जुलाई, 2000 से 30 जून,2001 तक ।

15. श्री डी.एन.साह, एमकॉम,एआईसीडब्ल्यूए,22/3ए/11, श्री नाथ मुखर्जी लेन, कलकत्ता-700030,(सदस्यता सं0 2743), 16 अगस्त, 2000 से 30 जून,2001 तक ।

16. श्री एस.जी. अय्यर, बीएससी,एआईसीडब्ल्यूए,10, श्यामकृपा, देवीदयाल रोड, मुलुंद वेस्ट, मुम्बई-400080(सदस्यता सं0 5708), 12 सितंबर, 2000 से 30 जून,2001 तक ।

17. श्री आर.एस. कुलकर्णी,एआईसीडब्ल्यूए, विकास आनन्द हाउसिंग सोसायटी, विकास आश्रम के पीछे, सोमलवाडा, वर्धा रोड, नागपुर-440025(सदस्यता सं0 5879), 10 जुलाई, 2000 से 30 जून,2001 तक, और

18. श्री एस. पट्टाबिरामन, बीए, एआईसीडब्ल्यूए, फ्लैट नं0 12, 'आरएमएमएस', 120, चौथी गली, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018,(सदस्यता सं0 2257) 1 जुलाई, 2000 से 30 जून,2001 तक,

ह0/

(एस.आर. आचार्य)
सचिव/सलाहकार

....

कोलकाता, दिनांक 6 अगस्त, 2001

सं 11-सीडब्ल्यू आर (234-258/2001) : कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 11 के उप-विनियम (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्निलिखत को प्रदान किए गए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके खुद के अनुरोध पर रद्द किए जाते हैं :-

1. श्री राजीव अग्रवाल, एम कॉम,एसीएस,एआईसीडब्ल्यूए,जी-62ए, कालका जी, नई दिल्ली-110019, (सदस्यता सं. 8231), 4 जनवरी, 2001 से 30 जून, 2001 तक।
2. श्री रमेश एम. जोशी, बीएससी, एफआईसीडब्ल्यूए,बी-1/208,बी जम्बो दर्शन सोसायटी, को डोनगरी रोड़ 2, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069 (सदस्यता सं. 7562), 5 जनवरी, 2001 से 30 जून, 2001 तक।
3. श्री वी. शिवकुमार, एम कॉम, एआईसीडब्ल्यूए,फ्लैट 4, प्रथम तल,355, कुन्नूर हाई रोड़, आयनावरम्, चेन्नई-600023, (सदस्यता सं. 7248), 5 मार्च, 2001 से 30 जून, 2001 तक।
4. श्री आर. वेंकटसुब्रह्मणियम, एमएससी ,एसीएस,एआईसीडब्ल्यूए,सं0 12,एसएएन कार्यालय एवं शोपिंग काम्पलेक्स, 28, मेन रोड़, सिरुदायीयूर, लालगुढ़ी-621601, (सदस्यता सं. 6074), 30 जनवरी, 2001 से 30 जून, 2001 तक।
5. श्री एम.के. भिंडे, बीएससी, एआईसीडब्ल्यूए,सुरेश गायटोंडे चैम्बर्स, 23 अम्बालाल दोशी मार्ग, मुम्बई-400023, (सदस्यता सं.4719), 7 मार्च, 2001 से 30 जून, 2001 तक।
6. श्री वी.जे. काशीकर, एम कॉम,एलएलबी,एफआईसीडब्ल्यूए, जयदीप, 13,प्रसन सोसायटी, आर.वी. देसाई रोड़, वडोडरा-390001 (सदस्यता सं. 3668), 8 मार्च, 2001 से 30 जून, 2001 तक।
7. श्री बी. वीरास्वामी, बीकॉम, बी.ए., एलएलबी, एफसीएस,एफआईसीडब्ल्यूए, 11-25-37, वेंकटा सत्या साई काम्पलैक्स, विन्नाकोटावरी चौक, के.टी.रोड़, विजयवाडा-520001 (सदस्यता सं. 4001), 10 जनवरी, 2001 से 30 जून, 2001 तक।
8. श्री असोक कुमार नन्दी, एम कॉम,एफआईसीडब्ल्यूए,34 हंसा-बी, सैक्टर 1, सृष्टि कांपलैक्स, मीरा रोड़ (पूर्व)-401107 (सदस्यता सं. 4198), 1 जनवरी, 2001 से 30 जून, 2001 तक।
9. श्री एस पट्टाबीरामन, बी.ए.,एआईसीडब्ल्यूए,फ्लैट नं0 12, " आरएएमएस ", 120, फोर्थ स्ट्रीट, अभिरामापुरम, चेन्नई-600018, (सदस्यता सं.2257), 1 जुलाई 2000 से 30 जून, 2001 तक।
10. श्री एस. नटराजन, बी.ए. (आनर्स) एसीएमए, एआईसीडब्ल्यूए, " शोभना " 46 कमदार नगर, दूसरी गली, ननगंमबाक्कम, चेन्नई-600034, (सदस्यता सं. 906), 2 जुलाई 2000 से 30 जून, 2001 तक।
11. श्री के.वी. बदारी नारायण, बी ए, एआईसीडब्ल्यूए, 16-47/1 प्रशांति नगर, उप्पल, हैदराबाद-500039 (सदस्यता सं. 1443), 27 फरवरी, 2001 से 30 जून, 2001 तक।
12. श्री डी. चन्द्रा मौली, एम कॉम, एआईसीडब्ल्यूए,38-19-10/10ए, ज्योति नगर, मैरिपेलम, विशाखापत्तनम-530018, (सदस्यता सं. 19584), 14 दिसम्बर, 2000 से 30 जून, 2001 तक।

13. सुश्री मानीदीपा सान्याल ,बी ए आनर्स, बीईडी ,एआईसीडब्ल्यूए,पी-12, अमरपाली अब्बासन, गरिया स्टेशन रोड़, गरिया, कोलकाता-700084 (सदस्यता सं.20486), 31 दिसम्बर, 2000 से 30 जून, 2001 तक।

14. श्री पी.एम. शंकर, एम कॉम,एफआईसीडब्ल्यूए, 120, V क्रास सैंट, सैंथिल नगर एनैक्सी, चिन्ना पुरुर, चेन्नई-600116 (सदस्यता सं. 10104), 27 जनवरी, 2001 से 30 जून, 2001 तक।

15. श्री आर.एस. शाह , बी कॉम, एसीएस, एफआईसीडब्ल्यूए, 12, देवांग सोसायटी, वल्लभवाड़ी के पास, मणिनगर, अहमदाबाद-380008 (सदस्यता सं.85), 1 अप्रैल , 2001 से 30 जून, 2001 तक।

16. श्री शशिकांत चिमनलाल शाह , बी कॉम, एलएलबी, एफआईसीडब्ल्यूए,8, सी सर्प, नवजीवन प्रैस के सामने, कार्यालय आश्रम रोड़, अहमदाबाद-380014(सदस्यता सं. 2104), 1 अप्रैल, 2001 से 30 जून, 2001 तक।

17. श्री सुदर्शन एम. जैन, बीएससी (इंजी0),एम.टैक.,एमबीए,एलएलबी(एच), एसीएस,एफआईसीडब्ल्यूए, 90,वल्लभनगर, इंदौर-452003 (सदस्यता सं. 4998), 1 अप्रैल, 2001 से 30 जून, 2001 तक।

18. श्री सुशील कुमार जैन , एमएससी,एसीएस, एआईसीडब्ल्यूए, एम 19, सनराइस टावर, 579, एम.जी. रोड़, इंदौर-452001 (सदस्यता सं.10621), 31 मार्च, 2001 से 30 जून, 2001 तक।

19. श्री सुमन कुमार , बीएससी (आनर्स),एआईसीडब्ल्यूए, आर-6,इनसिलको कालोनी, मोहपारा,जिला रायगढ़, पिन-41022 (सदस्यता सं.20747), 14 मई, 2001 से 30 जून, 2001 तक।

20. श्री अजीत आर. मेहता, बी कॉम (आनर्स), एमबीए,एसीएस, एआईसीडब्ल्यूए,हाउस नं0 301, अमृतधारा अपार्टमेंट्स,15, सिंधी कालोनी, 1-8-303/48, पी.जी. रोड़, स्ट्रीट नं0 1, सिकन्दराबाद-500003 (सदस्यता सं. 5606), 15 मार्च, 2001 से 30 जून, 2001 तक।

21. श्री पी.एन गोपीनाथन , बी कॉम, बीजीएल, एआईसीडब्ल्यूए, 59, मोन्टीथ रोड़, आशा मेंशन (तीसरा तल), एग्मोर, चेन्नई-600008 (सदस्यता सं. 7951), 22 मार्च, 2001 से 30 जून, 2001 तक।

22. श्री ए.पी. बालाकुमार , बीएससी, बीजीएल, एसीएस, एफआईसीडब्ल्यूए,16(ओल्ड 11),पिल्लायर कॉयल स्ट्रीट, पार्क टाउन, चेन्नई-600003 (सदस्यता सं.1904),1 मई, 2001 से 30 जून, 2001 तक।

23. श्रीजी.नेडूनचेजियान,बीएससी,बीजीएल,एमए,एमकॉम,एमबीए,एफसीएस,एफआईसी डब्ल्यूए,फ्लैट ए, कैलाश एपार्टमैंट, 45/न्यू नं. 98,सदयाप्पर स्ट्रीट, सायदापैट,चेन्नई-600015 (सदस्यता सं.13695), 1 अप्रैल, 2001 से 30 जून, 2001 तक।

24. श्री दिलीप कुमार दत्ता, बी कॉम , एफसीए, एआईसीडब्ल्यूए, 18/33, डोवर लेन, कोलकाता-700029 (सदस्यता सं.3900), 21 अप्रैल, 2001 से 30 जून, 2001 तक।

25. श्री कार्तिक चन्द्र गोस्वामी , बी कॉम, एलएल बी, एआईसीडब्ल्यूए, 128ए, तारक प्रमाणिक रोड़, कोलकाता-700006 (सदस्यता सं. 4608), 1 अप्रैल, 2001 से 30 जून, 2001 तक।

हस्ता0/-

(एस.आर. आचार्य)

सचिव/सलाहकार

कोलकाता, दिनांक 19 अक्तूबर, 2001

क्र.11-सीडब्ल्यू आर (259-262/2001) : कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 11 के उप-विनियम (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित को प्रदान किए गए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके खुद के अनुरोध पर रद्द किए जाते हैं :

1. श्री रंजन सी नाडकरनी, एम कॉम, एलएलबी(जी),एआईसीडब्ल्यूए,एफ/2/103, पूनम कुंज, पूनम नगर, कार्यालय महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400 093 (सदस्यता सं0 7106), 13 जून, 2001 से 30 जून, 2001 तक।

2. श्री हितेष एल. आसर, एम कॉम, एलएलबी(जी),एआईसीडब्ल्यूए,2/32, जुहू समीप, न्यू डी.एन. नगर अंधेरी (प0), मुम्बई-400 053 (सदस्यता सं0 8787), 25 जून, 2001 से 30 जून, 2001 तक।

3. श्री दिनेश अरोड़ा, बी कॉम (आनर्स), एआईसीडब्ल्यूए,2435/3, अजीत सिनेमा के पास दिल्ली रोड, गुड़गांव-122001 (सदस्यता सं0 19748), 7 सितम्बर, 2001 से 30 जून, 2002 तक।

4. श्री अजय गर्ग, बी कॉम, एआईसीडब्ल्यूए,29, विजय नगर, पुरानी डी.सी. रोड, सोनीपत-131001, हरियाणा, (सदस्यता सं019942), 17 सितम्बर, 2001 से 30 जून, 2002 तक।

(एस.आर. आचार्य)
सलाहकार/सचिव

कलकत्ता दिनांक-31 मार्च 1999

सं.16 - सी डब्ल्यू आर(1256)/99 दी कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस विनियम 1959 के नियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टीट्यूट आफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस के आफ इण्डिया के परिषद ने दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस के अधिनियम 1959 की धारा 20 की उपधारा (1) (ए) के द्वारा दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुये।

श्री पी0 गांगुली, एम ए, एफ आई सी डब्ल्यू ए, 144 ए, हरिशा मुखर्जी रोड कलकत्ता - 700025 (सदस्यता सं0 361) के नाम को 21 मार्च 1999 से उनके मृत्यु के कारण सदस्य पंजिका से हटा दिया गया है।

डी0 जगन्नाथन
सचिव

कलकत्ता - दिनांक 20 अप्रैल 1999

सं.16-सी डब्ल्यू आर (1257)/99 दी कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस विनियम 1959 के नियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टीटयूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डियाके परिषद ने दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस के अधिनियम 1959 की धारा 20 की उपधारा (1) (बी) के द्वारा दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री पी॰ ए॰ मेनन, ए आई सी डब्ल्यू ए, श्री मय बी प्लैट 294 स्वतंत्रा सेनानी नगर, समता के पास, भाडोदारा - 390021 (सदस्यता सं0 1067) के नाम को उनके अनुरोध पर 1अप्रैल, 1999 से सदस्य पंजिका से हटा दिया गया है ।

श्री0जगन्नाथन
सचिव

....

कोलकाता, दिनांक 18 अगस्त,1999

सं.16-सीडब्ल्यू आर (1258-1262)/99: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है लागत एवं संकर्म एकाउटेंट्स अधिनियम,1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनकी मृत्यु होने के कारण सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री आर सुब्रमणियन,बी.कॉम,एआईसीडब्ल्यूए,16,मैथिली, 72, पेस्टम सागर, रोड नं0 2, तिलकनगर, पो0 ओ0 मुम्बई-400089(सदस्यता सं0 1199), 8 जुलाई, 1998 से ।
2. श्री ज्योति प्रसाद दत्ता, एमटेक, एसीएस,एफआईई,एमआईआईई,एफआईसीडब्ल्यूए, 75, गोल्फ क्लब रोड, टॉलीगंज, कलकत्ता-700033,(सदस्यता सं0 2292), 21 जुलाई,1998 से ।
3. श्री बसंत कुमार बनर्जी, बीओएम,एमए,एफआईसीडब्ल्यूए, 2, चौधुरी लेन, कलकत्ता-700004,(सदस्यता सं0 569), 19 सितंबर, 1998 से ।
4. श्री आनन्द प्रकाश मदान, एम.कॉम, एआईसीडब्ल्यूए, बी-20, पॉकेट 4, मयूर विहार फेस-1, नई दिल्ली-110091(सदस्यता सं0 2087), 17 मई,1999 से और
5. श्री आर. नानाभोय, एफसीएमए,एफआईसीडब्ल्यूए, जेर मेंशन,70, अगस्त क्रांति मार्ग, मुम्बई-400036,(सदस्यता सं0 8) 5 अगस्त,1999 से ।

ह0/
(उदयन रे)
सचिव

कोलकाता, दिनांक 28 दिसंबर,1999

सं. 16-सीडब्ल्यू आर (1263-1266)/99: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है लागत एवं संकर्म एकाउटेंट्स अधिनियम,1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनकी मृत्यु होने के कारण सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री तपन कुमार घोष, बी.कॉम,एसीए,आईसीडब्ल्यूए, 2एल, अलीपुर एवेन्यू, कलकत्ता-700027(सदस्यता सं0 662) 4 फरवरी, 1999 से ।
2. श्री कोराह जॉन,बीए,एफआईसीडब्ल्यूए, एफ 104, "कोरल प्लाजा" 15/17, केंप रोड, फ्रेजर टाऊन, बंगलौर-560005,(सदस्यता सं0 3105), 11 सितंबर,1999 से ।
3. श्री के.एस. भटनागर, एमए,बी.कॉम,एफआईसीडब्ल्यूए, 117/617, पांडु नगर, कानपुर,(सदस्यता सं0 348), 11 अक्तूबर, 1999 से और,
4. श्री अधीर चन्द्र रे,,बीए,एआईसीडब्ल्यूए, 30/1 क्यू, हरे क्रिस्टो सेट लेन, कलकत्ता-700050,(सदस्यता सं0 1560), 12 अगस्त,1999 से ।

ह0/
(उदयन रे)
सचिव

कोलकाता, दिनांक 28 दिसंबर,1999

सं. 16-सीडब्ल्यू आर (1267-1268)/99: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है लागत एवं संकर्म एकाउटेंट्स अधिनियम,1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनके स्वयं के अनुरोध पर सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री रामचन्द्र जगन्नाथ गोन्धलेकर, बी.कॉम,एम कॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 3/29, चिंतामणि को0 आ0 हाउसिंग सोसा0, बाबनराव कुलकर्णी मार्ग, मुलुंद (ईस्ट), मुम्बई-400081,(सदस्यता सं0 590), 1 अप्रैल, 1999 से और,
2. श्री रमणिकलाल जयंतीलाल मेहता, बीएससी, एफआईसीडब्ल्यूए, 42, अरूणोदय सोसायटी, ए/9, वन्देमातरम फ्लैट्स, अलकापुरी, वडोदरा-390007,(सदस्यता सं0 2199), 6 जुलाई,1999 से ।

ह0/
(उदयन रे)
सचिव

कोलकाता, दिनांक 9 फरवरी,2000

स.16-सीडब्ल्यू आर (1269-1270)/2000: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है लागत एवं संकर्म एकाउटेंट्स अधिनियम,1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनके स्वयं के अनुरोध पर सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री अमर चन्द्र भट्टाचार्जी,एम.कॉम,एफआईसीडब्ल्यूए, तुलसी-मंजारी अपार्ट. ब्लॉक-बी, फ्लैट-12, 293/1, दम दम रोड, कलकत्ता-700074,(सदस्यता सं0 4774), 3 अगस्त, 1999 से और,
2. श्री डी वासुदेवन, एम.कॉम,एआईसीडब्ल्यूए, प्लाट नं0 1024, छठा एवेन्यू, अन्ना नगर वेस्ट, चेन्नई-600040,(सदस्यता सं0 763), 1 जनवरी 2000 से ।

ह0/
(उदयन रे)
सचिव

कोलकाता, दिनांक 9 फरवरी,2000

स.16-सीडब्ल्यू आर (1271-1274)/2000: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है लागत एवं संकर्म एकाउटेंट्स अधिनियम,1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनकी मृत्यु होने के कारण सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री सोमनाथ गुप्ता, बीए,एफआईसीडब्ल्यूए, सी-63, सेक्टर 26, नोएडा-201301(सदस्यता सं0 1777), 7 सितंबर, 1999 से ।
2. श्री एम. एल. अग्रवाल, बी कॉम,एफआईसीडब्ल्यूए, जी-106, सरिता विहार नई दिल्ली-110044 (सदस्यता सं0 3002), 10 अक्तूबर ,1999 से ।
3. श्री ए.आर. कृष्णामूर्ति, बीए(काम.), एफसीएस,एफआईसीडब्ल्यूए, 9/384 वर्थानगर, पालाक्काड-678001,(सदस्यता सं0 2055), 3 दिसम्बर,1999 से और
4. श्री घनश्याम मेघराज बोहरा, बीएससी(ऑनर्स),एफआईसीडब्ल्यूए, 18/159, हाउसिंग बोर्ड, चौपासानी स्कीम, जोधपुर-342008,(सदस्यता सं0 4375), 3 दिसम्बर, 1999 से ।

ह0/
(उदयन रे)
सचिव

कोलकाता, दिनांक 27 मार्च,2000

सं. 16-सीडब्ल्यू आर (1275-1278)/2000: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है लागत एवं संकर्म एकाउटेंट्स अधिनियम,1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनकी मृत्यु होने के कारण सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री वी0 एस0 लुथिया, बी कॉम, एलएलबी,एआईसीडब्ल्यूए, प्लाट नं0 54, महाकाली अपार्ट. गांधी नगर, सुभाष डेयरी के पास, मानपाडा रोड, दोमबिवली(पूर्व),(सदस्यता सं0 16433), 4 फरवरी, 1998 से ।
2. श्री राधा रंजन सेन शर्मा, बी कॉम, एसीएस, एसीआईएस(लंदन), एआईसीडब्ल्यूए, हाल्डिंग नं0 1284, फेरी फन रोड, एच.बी. टाउन, सादेपुर-743178,(सदस्यता सं0 323), 11 नवम्बर,1999 से ।
3. श्री वी0 विजयकुमारन नायर, बी कॉम,एआईसीडब्ल्यूए, उप वित्तीय नियंत्रक, दि त्रावनकोर कोचिन केमिकल्स लि0, उद्योग मंडल-683501 (सदस्यता सं0 9882), 30 दिसम्बर,1999 से, और
4. श्री अनिल कुमार बिश्वास, एम कॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, 15/2डी (पुरा नं0 15/2) राजा मनिन्दर रोड, कलकत्ता-700037(सदस्यता सं0 192), 14 फरवरी,2000 से ।

ह0/
(उदयन रे)
सचिव

कोलकाता, दिनांक 3 अप्रैल,2000

सं.16-सीडब्ल्यू आर (1279-1281)/2000: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है लागत एवं संकर्म एकाउटेंट्स अधिनियम,1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनके स्वयं के अनुरोध पर सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री के0 श्रीनिवास उपाध्याय, बीए, एआईसीडब्ल्यूए, 24, मुलुंद पूनम, म्युनिसिपटल हास्पिटल के पीछे, मुलुंद(प0), मुम्बई-400080,(सदस्यता सं0 1704), 9 फरवरी, 2000 से ।
2. श्री तातवेज मजुमदार, बी कॉम, एसीएमए,एआईसीडब्ल्यूए, 32, अरबिन्द रोड, कलकत्ता-700075,(सदस्यता सं0 5342), 1 अप्रैल 2000 से ।
3. श्री के0 वी0 मुरलीधरन, बीएससी,एआईसीडब्ल्यूए, कृष्णा निवास, पो0 ओ0 कुन्नमपट्टा, वाया चुंडाले, वेयानाद, केरला, पिन-673123 (सदस्यता सं0 7461), 1 अप्रैल, 2000 से।

ह0/
(उदयन रे)
सचिव

कोलकाता, दिनांक 12 जून,2000

सं.16-सीडब्ल्यू आर (1282-1286)/2000: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है लागत एवं संकर्म एकाउटेंट्स अधिनियम,1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनकी मृत्यु होने के कारण सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री एस0 रंगनाथ राव, बीकॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, 'सरस्वती' 80, वीएचबीसीएस लेआउट, वेस्ट ऑफ चोर्ड रोड, 2 स्टेज, महालक्ष्मीपुरम, बंगलौर-560086,(सदस्यता सं0 1270), 15 फरवरी, 1999 से ।
2. श्री सारसीजा कुमार साहू, बी.कॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 14, केडी फ्लैट, टेल्को, जमशेदपुर-831004,(सदस्यता सं0 17875) 26 सितम्बर,1999 से ।
3. श्री असित कुमार सान्याल, बी.कॉम,एआईसीडब्ल्यूए, ब्लॉक सं0 3, फ्लैट नं0 2, 114 डब्ल्यू, राजा एस सी मल्लिक रोड, कलकत्ता-700047 (सदस्यता सं0 3372), 27 दिसम्बर, 1999 से।
4. श्री एस त्रिमलाई मुथुस्वामी, बी कॉम,, एआईसीडब्ल्यूए, एमआईजी-197, एनएच-1,. अन्नाल अम्बेडकर सेंट, मारामलाई नगर-603209,(सदस्यता सं0 4554, 26 फरवरी 2000 से और
5. श्री वसंत लाल रमनलाल मेहता, बी.कॉम,एलएलबी, एफआईसीडब्ल्यूए, 330,शंकर नगर, न्यू सामारा रोड, वडोदरा-390008 (सदस्यता सं0 478), 15 मई, 2000 से।

ह0/
(उदयन रे)
सचिव

सं.16-सीडब्ल्यू आर (1287-1288)/2000: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है लागत एवं संकर्म एकाउटेंट्स अधिनियम,1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनके स्वयं के अनुरोध पर सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री वी0 बालू, एमए(इकॉन), एलएलबी, एआईसीडब्ल्यूए, ए2/96/2, प्रथम तल, डीडीए फ्लैट्स, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली-110029,(सदस्यता सं0 4472), 7 मार्च, 2000 से और
2. श्री नितई चरन कुंडु, बी.कॉम, एआईसीडब्ल्यूए, पी-1/20, 'सी' ब्लॉक, बंगुर एवेन्यू, सुपर कॉम्पलेक्स बिल्डिंग, फ्लैट नं0 2/बी, पहली मंजिल, कलकत्ता-700055 (सदस्यता सं0 248), 1 अप्रैल,2000 से ।

ह0/
(उदयन रे)
सचिव

कोलकाता, दिनांक 6 नवम्बर,2000

क्र. 16-सीडब्ल्यू आर (1289-1295)/2000: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है लागत एवं संकर्म एकाउटेंट्स अधिनियम,1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनकी मृत्यु होने के कारण सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री हरीश वी. शाह, बी.कॉम(ऑनर्स),एफआईसीडब्ल्यूए, प्लाट सं0 293, गुंजन सिनेमा एरिया, जीआईडीसी, वापि-396195,,(सदस्यता सं0 3980), 25 नवम्बर, 1999 से ।
2. श्री हारो कुमार डे, एमकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, माहिसया पारा, खारदाह-743155, डीटी. 24 पेजज (एन),(सदस्यता सं0 4911), 30 जनवरी,2000 से ।
3. श्री कोयम्श्रीबतूर चेलापा चामू, बीए,एआईसीडब्ल्यूए, सं0 4, प्रथम क्रास, हेनूर रोड (लिंगाराजापुरा), थॉमस टाउन, बंगलौर-560085,(सदस्यता सं0 106), 3 फरवरी, 2000 से।
4. श्री महेश के0 शाह, बी कॉम,एआईसीडब्ल्यूए, बी-6/7, अरूणोदय, खिरा नगर, एस.वी. रोड, सांताक्रुज(प0), मुम्बई-400054(सदस्यता सं0 5463), 10 जून,2000 से ।
5. श्री राज कुमार जिंदल, बीए, एलएलबी,एआईसीडब्ल्यूए, एफ-103, आशीष चैम्बर्स, मयूर विहार-1, दिल्ली 110009,(सदस्यता सं0 369), 4 सितंबर,2000 से ।
6. डॉ0 एम0 विष्णु मूर्ति, एमए, पीएचडी, एलएलएम, एफसीएस, एफआईसीडब्ल्यूए, म0 नं0 21/3 आरटी, प्रकाशम नगर, बेगमपुर पो0, हैदराबाद-500016,(सदस्यता सं0 3724), 16 सितंबर 2000 से और
7. श्री विश्वनाथ भागीरथी बेहेडे, बी कॉम(ऑनर्स), एफसीए, एफआईसीडब्ल्यूए, सुयोग, 10 लेन, प्रभात रोड, पुणे-411014,(सदस्यता सं0 822), 29 सितंबर,2000 से ।

ह0/-
(एस.आर.आचार्य)
सलाहकार/सचिव

क्र 16-सीडब्ल्यू आर (1296-1298)/2000: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है लागत एवं संकर्म एकाउटेंट्स अधिनियम,1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनके स्वयं के अनुरोध पर सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री गोविन्द अचुत गाओकर, एम.कॉम, एलएलबी, एआईसीडब्ल्यूए, फ्लैट 9, योगदान को0 ओ0 हाउसिंग सोसायटी लि0 सेंट फ्रांसिस रोड, विले पार्ले वेस्ट मुम्बई-400056,(सदस्यता सं0 1590), 31 मार्च, 2000 से ।
2. श्री ए.के. वेंकिटेश्वरन, एआईसीडब्ल्यूए, केयर ऑफ आईटीसी बीपीएल शेयर्स, सेक्शन 50, सबसटियन रोड, सिकंदराबाद-500003,(सदस्यता सं0 893), 29 अगस्त,2000 से ।
3. श्री श्रीचंद खुशालदास वधवा, बीए. बी.कॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 114, क्रिसेंट, पाली हिल रोड, खार, मुम्बई-400052,(सदस्यता सं0 1035), 2 अक्तूबर, 2000 से ।

ह0/-
(एस.आर.आचार्य)
सलाहकार/सचिव

कोलकाता, दिनांक 10 जनवरी,2001

सं 16-सीडब्ल्यू आर (1299-1300)/2001: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है लागत एवं संकर्म एकाउटेंट्स अधिनियम,1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनकी मृत्यु होने के कारण सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री टी0 आर0 गोपालकृष्णन, एसीएमए,एफआईसीडब्ल्यूए, सं0 8, प्लाट 116, दीपम, कन्न्ड हाई स्कूल के पीछे, वडाला, मुम्बई-400031,(सदस्यता सं0 35), 27 अप्रैल,2000 से : और
2. श्री अमर कुमार सेन, एमए, एफसीएमए, एफसीएमए, एफआईसीडब्ल्यूए, फ्लैट नं0 ए-1, आईक्यानिर, 4, बेलताला रोड, कलकत्ता-700026,(सदस्यता सं0 452), 23 जून,2000 से ।

ह0/-
(एस.आर.आचार्य)
सलाहकार/सचिव

सं 16-सीडब्ल्यू आर (1301-1304)/2001: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है लागत एवं संकर्म एकाउटेंट्स अधिनियम,1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनके स्वयं के अनुरोध पर सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री सिबा प्रसाद चौधरी, बीएससी,एआईसीडब्ल्यूए, 128, एवेन्यू साउथ, संतोषपुर,कलकत्ता-700075,(सदस्यता सं0 8814), 8 अगस्सेत,2000 से ।
2. श्री बी.ए. मंत्री,बी कॉम, एलएलबी,एआईसीडब्ल्यूए, 52, मंगल मूर्ति अपार्ट., चौथी मंजिल, जावेर रोड, मुलुंद, मुम्बई-400080,(सदस्यता सं0 2248), 19सितंबर,2000 से ।
3. श्री ए.ए. मन्यारवाला,एम कॉम, एआईसीडब्ल्यूए, सी/15, बागे फिरदोस नं0 2, नजदीक लाल भाई कुआँ, सारखेज रोड, जुहापुरा, अहमदाबाद-380055,(सदस्यता सं0 783), 3 अक्तूबर, 2000 से और
4. श्री के.ए. आचुथन,बी.कॉम, एफआईसीडब्ल्यू,सोधर्मा त्रिक्कंदियूर, तिरूर-676104,,(सदस्यता सं0 1707), 30 अक्तूबर 2000 से ।

ह0/-
(एस.आर.आचार्य)
सलाहकार/सचिव

कलकत्ता दिनांक- 31 मार्च 1999

क्र. 18 सी डब्ल्यू आर(329)99 दी कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस विनियम 1959 के नियम 18 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया के परिषद ने कहे हुये विनियम के नियम 17 के द्वारा दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री एस0 सुब्रामनीयन, एम काम ए आई सी डब्ल्यू ए, नीलम एपार्ट, फ्लैट न0 301/302, शाह बिल्डींग कम्पाउन्ड सं0 1, भगत लेन मतुंगा (वेस्ट) मुम्बई - 400016 (सदस्यता सं0 18708) के नाम को 10 मार्च 1999 से सदस्य पंजिका में पुन: स्थापित किया गया है ।

डी. जगन्नाथन

डी जगन्नाथन

सचिव

कोलकाता, दिनांक 30 जून,2000

क्र. 18-सीडब्ल्यू आर (330)/2000: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 18 के अनुसरण में सूचित किया जाता है उक्त विनियम के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने 20 जून,2000 से श्री सी. ईश्वर दास,बीएससी(मैथ्स),एआईसीडब्ल्यूए, मुख्य प्रबंधक (वित्तीय एवं लेखा), ओ.एन.जी.सी. लि0, अंकलेश्वर प्रोजेक्ट, अंकलेश्वर(सदस्यता सं0 6610) के नाम की सदस्य रजिस्टर में पुनः प्रविष्टि की है ।

ह0/
(उदयन रे)
सचिव

कोलकाता, दिनांक 6 नवम्बर,2000

क्र. 18-सीडब्ल्यू आर (331)/2000: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 18 के अनुसरण में सूचित किया जाता है उक्त विनियम के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने 11 अक्तूबर,2000 से श्री निर्मलेन्दु घोष,बी.कॉम,एआईसीडब्ल्यूए, 'शांति-निलोयं,207, धर्मपुर मेन रोड, चिंसुराह-712101(सदस्यता सं0 3442) के नाम की सदस्य रजिस्टर में पुनः प्रविष्टि की है ।

ह0/
(एस.आर. आचार्य)
सलाहकार/सचिव

कोलकाता, दिनांक 5 अक्तूबर,2001

सं. 18-सीडब्ल्यू आर (332)/2001: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 18 के अनुसरण में सूचित किया जाता है उक्त विनियम के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने 27 अगस्त,2001 से श्री जवाहर लाल कुमार,बीए,एआईसीडब्ल्यूए, 256, डिफेंस कालोनी, जालंधर शहर-144001(सदस्यता सं0 5332) के नाम की सदस्य रजिस्टर में पुनः प्रविष्टि की है ।

ह0/
(एस.आर. आचार्य)
सलाहकार/सचिव

....

कोलकाता, दिनांक 12 अक्तूबर,2001

सं. 18-सीडब्ल्यू आर (333)/2001: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 18 के अनुसरण में सूचित किया जाता है उक्त विनियम के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने 18 सितंबर,2001 से श्री अशोक घोष,बीएससी,एआईसीडब्ल्यूए, 1043/29, गली नं0 10, कृष्णा कालोनी, गुड़गांव-122001, हरियाणा (सदस्यता सं0 4025) के नाम की सदस्य रजिस्टर में पुनः प्रविष्टि की है ।

ह0/
(एस.आर. आचार्य)
सलाहकार/सचिव

कोलकाता, दिनांक 1 नवम्बर,2001

सं. 18-सीडब्ल्यू आर (334)/2001: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 18 के अनुसरण में सूचित किया जाता है उक्त विनियम के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने 24 सितंबर,2001 से श्री गोविंदन अरविंदन, बी कॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 6/15ई,एमसीआर स्ट्रीट, मेन रोड, पौडानूर, पो0 आ0 कोयम्बतूर-641023(सदस्यता सं0 5036) के नाम की सदस्य रजिस्टर में पुनः प्रविष्टि की है ।

ह0/
(एस.आर. आचार्य)
सलाहकार/सचिव

श्रम मंत्रालय

• • •

नई दिल्ली, दिनांक

का. आ. जबकि मैसर्स सी एच के इलेक्ट्रोनिक्स (प्रा.) लिमिटेड कृष्णा हाउस 611, वीनस कालोनी, सेकिन्ड स्ट्रीट, मद्रास-18 वर्तमान में 33 कृष्णा हाउस, 7 वाँ क्रास स्ट्रीट, शास्त्री नगर, चेन्नई-600020 (इसे इसके बाद प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित किया जाएगा) को दिनांक 8.7.1994 की अधिसूचना संख्या एस-35015/2/94-एस.एस.-II के द्वारा तत्कालीन कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (इसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 17 (1) (क) के अंतर्गत छूट दी गयी थी।

और जबकि उक्त प्रतिष्ठान बंद हो चुका है, सभी कर्मचारियों के भविष्य निधि बकायों का न्यास द्वारा निपटान किया जा चुका है और भविष्य निधि न्यास को समाप्त किया जा चुका है।

इसलिए, अब केन्द्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28.2.2002 से उक्त प्रतिष्ठान को दी गयी छूट को निरस्त करती है।

आलोक अग्रवाल

(आलोक अग्रवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार

फा. सं. एस-35017/2/2001-एस-II

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)
भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली—110066

दिनांक :

सं० के०भ०नि०आ०/14।/केरन/1199/2001

अधि०

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र०सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	केरन/17158	मै० हेटरोजैक इन्डिया 788, विवेकानन्द रोड विहान अम्बोरवाड मंगल कार्यालय तिलकवाडी, बेलगाम-590006	1.4.95
2.	केरन/एचबीएल/17401	मै० दि दरबार अर्बन को० सोसाईटी लि० स्टेशन रोड, निबर अलबूर बैनकटारो सर्किल दरबाड (हुबली)	31.5.96
3.	केरन/एचबीएल/17430	मै० व्यवसाय सिवा साक्षाकारी सघं लि० बरीबुकटिल तालुक कुन्डगोल डि० तहावर (हुबली)	31.10.96
4.	केरन/एचबीएल/17536	मै० इगालागी वी.एस.एस. सघं लि० इगालागो तालुक कुन्डगोल (हुबली)	31.7.97
5.	केरन/21365	मै० दि तहारा (मिनोटरो) को० क्रेडिट सोसाईटी लि० बिजापुर (कर्नाटका).	1.7.2001
6.	केरन/25061	मै० वेक नेट वर्क्स प्रा० लि० नं० 511 वैस्टटिओनीटर पुन्नीगाम रोड बगंलौर	1.3.2001
7.	केरन/25150	मै० वेशाली बेंकिंग जी-85 राजाजीनगर, बंगलौर-560044.	1.4.2001

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम को धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है ।

(त्रिलोक चन्द)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या०)

दिनांक:

सं0 के.भ.नि.आ. 1141/केश्न/119811/2001

सा0आ0 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र0सं0.	कोड नं.	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	केश्न/20438	मै0 पी डी एईप्रटाईग एन्ड मार्किटिंग हाउस आफ गुरूदेव ।वा फ्लोर लालबाग, मंगलौर.	1.4.2000
2.	केश्न/एसबीएल/17222	मै0 सुदर्शन इंन्डस्टिज 788, विवेकानन्द रोड बिहान्ड आशीर्वाद मंगलौर कस्याणाया तिलकाडी बेलगाम-6	1.10.95
3.	केश्न/20450	मै0 प्रसाद इन्जीनियरिंग कम्पनीसरनिधी कोम्प कम्पलेक्स कम्पाला क्रास रोड, मंगलौर-3	1.6.2000
4.	केश्न/20451	मै0 पुत्तूर कम्पूटराईस एन्ड साफ्टवेयर डिविलोपर्स, फ्लट फ्लोर, विमलेश कम्पलेक्स दरबे पुत्तूर-571202 डी.के.	1.9.2000
5.	केश्न/20493	मै0 अम्बदीप कोंगरेट प्रोडयूसस 4 ए शिवाली इन्डस्ट्रियल एरिया, मनीपाल 576119.	1.9.2000

6.	केएन/20502	मै0 जनाना गंगा हायर प्राईमरी स्कूल पो0 ओ0 बिलारी तुलिया तालूक डी.के.	1.1.2001
7.	केएन/20519	मै0 ए-1 प्रोडयूज 74, उल्लूर पो0 कुन्डापुरा तालूक उटपई डि0	1.6.2001
8.	केएन/एसएनजी/20523	मै0 अबहारन सिल्वर एन्ड डायमन्ड 10-2-53 ग्राउन्ड फ्लोर राजाजी मार्ग, उटपई.	1.5.2001
9.	केएन/21359	मै0 प्राथमिक कृषी पाटिना सहाकारी नियमित, खानामडी तालूक सिसट बिजापुर.	1.3.95
10.	केएन/22574	मै0 जिन्नाइलाही मिल्क प्रोडयूसर सोसाईटी लि0 जिन्नाइलाही हसन तालूक एन्ड डि0	1.12.88
11.	केएन/25115	मै0 एलपस इनोवेटरस प्रा0 लि0 नं0 27 फसट मैन, 2वा क्रास बेलेस रोड बंगलौर.	1.4.2001
12.	केएन/25116	मै0 त्रिनती कोटिंग सिस्टम लि0 105 एन्ड 106, इनफेन्ट्री कोर्ट, 103, इनफे-ट्री रोड बगंलौर.	1.2.2001
13.	केएन/25131	मै0 डिटरोहित डिजल इन्डिया प्रा. लि0 414 प्रेसटिगि सेन्टर रोड, बंगलौर.	1.2.2001
14.	केएन/17456	मै0 श्री गनेश इन्डुटियल, डोर नं0 600/4 भारत कोलोनी, देवानागरी-577003	1.4.95

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 141 द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते है जोउक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है ।

(त्रिलोक चन्द)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)

सं0 के.भ.नि.आ./1141/केरन/1198712001

का0आ0 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र0सं0.	कोड नं0.	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	केरन/24886	मै0 एक्सप्रोलर बिज कम प्रा0 लि0 11 फ्लोर इश्वर्या, 161, 14, ए मेन एचएएल-II स्तागे इन्दिरा नगर, बगलौर,	1.7.2000
2.	केरन/17337	मै0 कामाडोणी विवधलाय शिवा साकारी संघ लि0 एट/पो0 कामाडोली टाक्व कुन्डगोल डि0 दरवार.	31.1.96
3.	केरन/21352	मै0 कर्नाटको स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन इम्पलाइज को0 के सोसाईटी लि0 न्यू बस स्टेन्ड बिदर-585401.	1.4.2001
4.	केरन/21311	मै0 प्राथमिक कृषीपटोनि सहाकारी बैंक नबा मिला हरोबेडसालोगी तालूक जमाकन्धी डि0 बागालकोट .	1.3.98
5.	केरन/24762	मै0 1/1 स्मार्ट प्रा0 लि0 नं0 272/डी/12 क्रास मेन 37 क्रास 8वा ब्लोक जयनगर बगलौर.	1.8.2000
6.	केरन/17780	मै0 दरवाड डि0 जुडिशियल इम्पलाई को0 क्रेडिट सोसाईटी लि0 दरवाड डि0 कोर्ट कम्पाउन्ड दरवाड	1.10.98
7.	केरन/17086	मै0 दि न्यू टाउन कन्जूमरस को0 सोसाईटी लि0 न्यू कलोनी बादरावाटिका शिमोगा डि0 कनार्टका	1.1.95

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है ।

(त्रिलोक चन्द)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)

सं0 के.भ.नि.आ.।14।/जरजे/(1980)2001

सा0आ0 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र0सं0	कोड नं0	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	जीजे/20067	मै0 लालबाग को0क्रेडिट सोसाईटी लि0 "कैलाश" मंजालपुर रोड बारोदा.	31.7.98
2.	जीजे/21589	मै0 युनिसन रिस्क सर्विस प्रा0लि0 सिद्धार्थ कम्पलेक्स अलकापुरी, आर.सी. दत्त रोड बरोदा.	1.4.99
3.	जीजे/21631	मै0 मिलोलिन इन्टरप्राईसिस 60 कीर्ति कुन्ज सोसाईटी नियर बुद्धादर कलोनी, केरलीबाग वडोदरा.	1.4.2001

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

(त्रिलोक चन्द)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)

सं0 के. भ. नि. आ. 1141/एपी/119861/2001

सा0आ0 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र0सं0.	कोड नं0.	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	एपी/40706	मै0 दि डिफेन्स सर्विस इम्पलाईज कन्सयूमर को0 स्टोरस लि0 रजि0 न. 1296, डो. नं0 58-16-32/1, गुरूजादानगर एनएडी कोटा रोड विशाखपटनम.	1.1.2001
2.	एपी/40698	मै0 उज्जवल मार्किंटिगं सर्विस, 47-3-35 नेहरू बाजार रोड द्वारकानगर विशाखापटटनम	2.7.2001
3.	एपी/36175	मै0 प्राईमरी एग्रिकलचर को0 क्रे0सोसाईटी लि0 पो.पो.पालम खाममाम अरबन।एम। खामाम डि0.	1.7.2000
4.	एपी/36162	मै0 प्राईमरी एग्रिकलचर को0 क्रेडिट सोसाईटी लि0 नगुलावचा । मंडल । चिन्ताकनी खाममाम।डि0।	1.5.2000
5.	एपी/36161	मै0 प्राईमरी एग्रिकलचरल को0 क्रेडिट सोसाइटी लि0 पारिकापाडू वेरा ।मंडल। खम्माम डि0-50 507165	1.8.2000
6.	एपी/36176	मै0 प्राईमरी एग्रिकलचरल को0 क्रेडिट सोसाईटी लि0 प्रोडडूटूर, चिन्ताकानी ।मंडल। खम्माम डि0।	1.4.2000

7.	एपी/36184	मै0 प्राईमरी एग्रिकलचरल को0 क्रेडिट सोसाईटी लि0 थंगाम पाडु, खम्माम रूरल ।मंडल। खम्माम डि0-507003.	1.10.2000
8.	एपी/36163	मै0 प्राईमरी एग्रिकलचरल को0 क्रेडिट सोसाईटी लि0 लालापुरम कोन्जोला।म।.खम्माम डि.	1.8.2000
9.	एपी/36220	मै0 प्राईमरी एग्रिकलचरल को0 क्रेडिट सोसाईटी लि0 थाला चिरूवू थिरूमालायापालेम।मंडल। खम्माम डि0.	1.9.2000
10.	एपी/36219	मै0 प्राईमरी एग्रिकलचरल को0 क्रेडिट सोसाईटी लि0 बरोलु ।वी। त्रिरूमालायापालेम ।म। खम्माम डि0.	1.7.2000
11.	एपी/36205	मै0 को0 रूरल बैंक लि0 निलकोनडापल्लीय, रजि0 नं0 21382, खम्माम डि0-507160.	1.10.2000
12.	एपी/38710	मै0 इडिवल्लीय प्राईमरी एग्रिकलचरल को0 सोसाईटी लि0 रजि0 नं0 वी 1121.इडागली विलेज विशाखपटनम मंडल. निलोरी डि0.	1.7.2001
13	एपी/36188	मै0 प्राईमरी एग्रिकलचरल को0 क्रेडिट सोसाईटी लि0 याटापक्का मंडल बहादरायलम खम्माम।डि0।	1.8.2000
14	एपी/27348	मै0 प्राईमरी एग्रिकलचरल को0 क्रेडिट सोसाईटी लि0 श्रोपूर मंडल नागारकुरनूल मेहबूबनगर.	1.9.94
15.	एपी/36187	मै0 प्राईमरी एग्रिकलचरल को0 क्रेडिट सोसाईटी लि0 कमानचिकल खम्माम ।रूरल। खम्माम डि0।	1.10.2000
16.	एपी/36056	मै0 प्राईमरी एग्रिकलचरल को0 क्रेडिट सोसाईटी लि0 वाजिदु ।पो0 एन्ड मंडल। खम्माम ।डि0। पिन-507136.	1.1.2000

17.	एपी/36218	मै0 प्राईमरी एग्रिकलचरल को0 सोसाईटी लि0 लिमंगाला कामोपलई (मंडल) खम्माम डि0.	1.4.2001
18	एपी/38682	मै0 धरोगेट पुराना एरिया प्रोग्राम बालाजी नगर कुडप्पा	1.6.2001
19.	एपी/36157	मै0 प्राईमरी एग्रिकलचरल को0 क्रेडिट सोसाईटी लि0 चिगोमा, खम्माम डि0	1.9.2000
20.	एपी/36158	मै0 प्राईमरी एग्रिकलचरल को0 क्रेडिट सोसाईटी लि0, कालूरगोदाम खम्माम डि0	1.9.2000
21.	एपी/36160	मै0 प्राईमरी एग्रिकलचरल को0 क्रेडिट सोसाईटी लि0 आशानागुरूथाय खम्माम डि0	1.8.2000
22.	एपी/36159	मै0 प्राईमरी एग्रिकचरल को0 क्रेडिट सोसाईटी लि0 श्रोपुरम, खम्माम डि0	1.8.2000
23.	एपी/36156	मै0 प्राईमरी एग्रिकलचरल को0 क्रेडिट सोसाईटी लि0 गोलापडु खम्माम डि0	1.9.2000
24.	एपा/38721	मै0 कालूपलई प्राईमरी एग्रिकलचरल को0 सोसाईटी गंगावरम विलेज मिरदूपलई (पो0) गंगावरम मंडल).	1.8.2001

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है ।

(त्रिलोक चन्द)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)

सं0. के. भ. नि. आ. I §4§/ए.पी. §1960§/2001

सा0आ0 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 §1952 का 19§ के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र0सं0.	कोड नं0.	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	एपी/31876	मै0 विनायल कैमिकल इंडस्ट्रीज, आदावी पोलों, यानाम ।	1.4.98
2.	एपी/35141	मै0 श्री बालाजी रीट्रेड्स, हुकुमपेटा, राजामुंद्री, ईस्ट गोदावरी डि0.	1.3.99
3.	एपी/31782	मै0 दि कोय्यालागुडेम प्राइमरी एग्रीकल्चरल - को-आपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि0. नं0. जैड/22, कोय्यालागुडेम-534 312, व0गोदावरी डि0.	1.1.98
4.	एपी/30533	मै0 दुर्गा साड़ी शो रूम, मेन रोड़, टाडीपल्लीगुडेम, पिन-534 101. §ए.पी.§	1.8.97
5.	एपी/27149	मै0 श्री वीर्स वेंकटा सत्यानारायणा राईस मिल, टाल्लापुड़ी : 534 341, वैस्ट गोदावरी डि0§ए.पी§	1.6.95
6.	एपी/38640	मै0 रूद्रामपेटा पी. ए. सी. एस. लि0. रूद्रामपेटा §विल्लेज एण्ड पोस्ट§अनन्तपुर §रूरल मंडल§, ए.पी. ।	1.3.2001
7.	एपी/38639	मै0 राचानापल्ली प्राइमरी एग्रीकल्चरल को.आ.- सोसायटी लि0. आर. नं0. 679, अनन्तपुर §रूरल§ मंडल, राचापल्ली §विल्लेज-एण्ड पोस्ट§अनन्तपुर §डिस्ट्रिक्ट§. ए.पी. ।	1.3.2001
8.	एपी/30499	मै0 संध्या एजेंसीज, डी. नं0. 3-62, बुरूगु पुड़ी §पोस्ट§ कोरूकोंडा मंडल, ईस्ट गोदावरी डि0. राजामुंद्री-533 103.	1.4.99

...जारी/-

9.	एपी/35281	मै0 महर्षि साम्बामूर्थि इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियल एण्ड डेवलपमेंट स्टडिज, काकीनाडा (एपी)	1.4.99
10.	एपी/36678	मै0 रायावरम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को.आ.-क्रेडिट सोसायटी, वाया- गोल्लापालेलु पुनापुरम (एम) पिन-533 445. ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट।	1.9.2000
11.	एपी/35301	मै0 ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट प्राइमरी एग्रीकल्चरल-को.ओ. सोसायटीज सैक्रेटरीज को.आ.क्रेडिट - सोसायटी लि0. नं0. सी. 880, काकीनाड़ा, ए.पी.	6.9.99
12.	एपी/35300	मै0 पेडासानकार्लापुडी प्राइमरी एग्रीकल्चरल को.आ.-क्रेडिट सोसायटी लि0. पेडासानकार्लपुडी, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट.	1.4.99
13.	एपी/38342	मै0 रामाचन्द्रापुरम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को.आ.-क्रेडिट सोसायटी, रामाचन्द्रापुरम, सीथानागरम मंडल, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट.	1.1.99
14.	एपी/36539	मै0 ए.के. फैशंस, भीमावरम, वैस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट.	1.3.99
15.	एपी/डबल्युएल/31257	मै0 दि हुस्नाबाद लार्ज साईज्ड को.आ. सोसायटी-लि0. हुस्नाबाद, करीमनगर डिस्ट्रीक्ट, ए.पी.	1.1.98
16.	एपी/36537	मै0 रोहिणी हाईड्रालिक हैलो ब्रिक्स इंडस्ट्रीज, मोरामपुड़ी रोड़, राजामुंद्री, ए.पी.	1.1.2000
17.	एपी/आरजेवाई/38360	मै0 एस.एस. कम्प्युटर्स एण्ड कंज्युमएबल्स, गोल्ड मार्किट सैंटर, राजाजी स्ट्रीट, मेन रोड़, काकीनाड़ा (ए.पी.)	1.4.2001
18.	एपी/सीपी/38665	मै0 एस.बी.आई. एम्पलोईज को-आपरेटिव क्रेडिट-सोसायटी लि0. रजि0 नं0.के.856, मार्फत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया-बिल्डिंग्स, टाउन ब्रांच, नेल्लौर।	1.4.2001

19.	एपी/38330	मै0 राजामुंद्री को.आ. बिल्डिंग सोसायटी लि0. नियर-स्वतंत्र होस्पीटल, राजामुंद्री, ईस्ट गोदावरी-डिस्ट्रीक्ट ।	1.10.2000
20.	एपी/36521	मै0 नवनिधि इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेंटर, कोथापेटा, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट, पिन-533223.	1.1.2000
21.	एपी/36672	मै0 आचान्ता मंडल को.आ. बिल्डिंग सोसायटी, आचान्ता, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट. पिन:534 123. (ए.पी.)	1.10.2000
22.	एपी/36683	मै0 बृजी फैब्रिक्स प्रा0लि0. (दि रेमण्ड शॉप), सुपर बाजार बिल्डिंग, फोर्ट गेट, राजामुंद्री-533 101.	1.12.2000
23.	एपी/3669	मै0 आनन्दाता एग्रीमशीनरी प्रा0लि0. प्लॉट नं0.15, लालाचेरू, राजामुंद्री, राजामुंद्री-6.	1.11.2000
24.	एपी/35227	मै0 सत्येश्वरा स्वामी प्राइमरी एग्रीकल्चरल को.आ.-क्रेडिट सोसायटी, साकूरू, अमालापुरम मंडलम, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट (ए.पी.)	1.4.99
25.	एपी/35091	मै0 श्री पदमानाभा को.आपरेटिव रूरल बैंक लि0. दिवेली, पेड्डापुरम(एम), ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट.	1.6.98
26.	एपी/आरजेवाई/35094	मै0 दि आलामपुरम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को.आ.-क्रेडिट सोसायटी लि0. आलामपुरम, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट. पेंटापेड्डू मंडल.	1.9.96
27.	एपी/36600	मै0 दि चेबरोल को.आ.रूरल बैंक लि0. नारायणापुरम, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट.	1.4.2000
28.	एपी/आरजेवाई/28469	मै0 सोशिल सर्विस सेंटर, शक्सपियर नगर, इलुरू, वेस्ट गोदावरी डि0.ए.पी.	1.3.95
29.	एपी/36695	मै0 दि रंगापुरम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को.आ.-क्रेडिट सोसायटी लि0. व0गोदावरी.70, रंगापुरम, वेस्ट गोदावरी डि0.	1.10.2000
30.	एपी/आरजेवाई/36673	मै0 दि गनापावरम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को.आ.-क्रेडिट सोसायटी लि0. गनापावरम, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट.	1.1.2000

...जारी/-

31.	एपी/आरजेवाई/35225	मै0 कोम्मारा लार्ज साईज्ड को.आ. क्रेडिट-सोसायटी लि0. कोम्मारा, गनापावरम मंडल, वेस्ट गोदावरी डि0.	1.4.99
32.	एपी/36654	मै0 आनन्द प्योर घी स्वीट्स, डी.नं0. 10-15-24 एण्ड 26, मेन रोड़ , राजामुंद्री पिन कोड-533 101.	1.9.2000
33.	एपी/27053	मै0 श्री वेंकटा सीथामहालक्ष्मी राईस मिल, गुनूपुड़ी, भीमावरम, वेस्ट गोदावरी डि0.	1.7.94
34.	एपी/35021	मै0 श्री सत्यानारायणा को.आ. बिल्डिंग - सोसायटी लि0. नं0. एक्स-363, जग्गामपेटा, ईस्ट गोदावरी डि0. मामीडीकुदूरू मंडल ।	1.4.96
35.	एपी/36514	मै0 गोवथामी सीमेंट्स, प्लॉट नं0.43, 44 एण्ड 45, दिवानचेरूवु पंचायत, लालाचेरूवु, राजामुंद्री-533 106.	1.1.2000
36.	एपी/36501	मै0 जी. रामेश्वरम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को.आ.-क्रेडिट सोसायटी लि0. जी. रामेश्वरम, साखीनेटिपल्ली मंडल, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट (ए.पी.)	1.1.99
37.	एपी/35102	मै0 उलीमेश्वरम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को.आ.-सोसायटी लि0. उलीमेश्वरम, पेड्डापुरम(एम)ईस्ट गोदावरी डि0.	1.3.99
38.	एपी/35066	मै0 लाचीपालेम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव-क्रेडिट सोसायटी, लाचीपालेम, वाया-यानम, ईस्ट गोदावरी डि0.	1.1.96
39.	एपी/35065	मै0 पालेम पी.ए.सी.सी.एस., पालेम, गोनेडा पोस्ट, किरलामपुड़ी (एम) ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट.	1.3.99
40.	एपी/31904	मै0 मेडिकल हैल्थ एम्पलोइज को-आपरेटिव क्रेडिट-सोसायटी, डी.एम. एण्ड एच. आफिस, काकीनाड़ा ।	1.4.98

..जारी/-

41.	एपी/35067	मै0 कट्टामुरू पी.ए.सी.एस., कट्टामुरू, पेड्डापुरम §एम§, ईस्ट गोदावरी डि0.	1.3.99
42.	एपी/31946	मै0 यानम मार्किट कमेटी, यानम- 533 464.	1.3.98
43.	एपी/35082	मै0 अन्नुईयादेवी एजुकेशन सोसायटी, §दुर्गा प्रसाद पब्लिक स्कूल§, काकीनाड़ा ।	1.3.99
44.	एपी/31988	मै0 दि चेबरोलू पी.ए.सी.एस. लि0. चेबरालू, गोल्लापरोलू §एम§ ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट.	1.1.99
45.	एपी/25087	मै0 दि गोरिन्ता प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आ0-क्रेडिट सोसायटी लि0. गोरिन्ता §वि§ पेड्डापुरम §एम§, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट ।	1.4.94
46.	एपी/30304	मै0 टाडीपल्लीगुडेम लार्ज साईज्ड को.आ.-सोसायटी लि0. टी. पी. गुडेम, वेस्ट गोदावरी डि0.	1.7.96
47.	एपी/आरजेवाई/35140	मै0 दि मलकापल्ली को.आ. रूरल बैंक लि0. मलकापल्ली, टाल्लापुड़ी §एम§ वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट.	1.3.97
48.	एपी/आरजेवाई/36685	मै0 दि जंगारेड्डी गुडेम पी.ए.सी.सी.एस.लि0. जंगारेड्डीगुडेम, 534 447, जे.बी. गुडेम मंडल, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट.	1.4.2000
49.	एपी/38355	मै0 मल्लेश्वरी सूटिंग हाऊस, न्यु क्लॉथ मार्किट, पालकोल-534 260. वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रीक्ट §ए.पी.§	1.3.2001
50.	एपी/38663	मै0 भिरूवानी थिप्पा पी.ए.सी.एस. लि0. ब्राहमा समुद्रम §वांड पोस्ट§, अनन्तापुर §डिस्ट्रीक्ट§.	1.4.2001

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है ।

(के0 बी0 यादव)
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ।

दिनांक :

27 FEB 2002

सं0 के. भ. नि. आ. 1(4)डीएल/1(975)2001

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जायें ।

क्र0सं0.	कोड नं0.	स्थापना का नाम व पता.	स्थापित की तिथि
1.	डीएल/24498	मै0 क्रास ट्रेड लाईनस प्रा0लि0 101 थापर आरकेडि नियर आज़ाद अपार्टमेन्ट कलू सराय नई दिल्ली.	1.9.2000
2.	डीएल/24541	मै0 स्लकोनस इन्डिया प्रा0 लि0 ए-177 ओखला इन्डिस्ट्रियल एरिया फेस-1 नई दिल्ली-20.	1.1.2001

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है. ।

(त्रिलोक चन्द)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)

दिनांक: 25 FEB 2002

सं० के.भ.नि.आ.।141/टीएन/1198412001/947

सा०आ० केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र०सं०.	कोड नं०.	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	टीएन/टीआई/46835	मै० आशा विकून्दार मोनागम अरूनर्णनगन टीलई, अवीकल मुटम रोड के.के. डि० टीएन	1.6.2001
2.	टीएन/49469	मै० स्वकत सर्विसज 28, 11वा तल नबू कलोनी कोडम्बाक्कम, हाई रोड चैन्नई-34	1.4.2001
3.	टीएन/एमडी/42560	मै० यूनिवन फारमा गुआमणीपुरम कारईकुडी-623002 टीएन	1.7.2001
4.	टीएन/एमडी/42521	मै० बाबाइलमिलो इन्डिस्टीज आरासाइन सरसवती गनेशन कम्पलेक्स 18, चेयरमेन ष सनमुगन रोड शिवाकाशी-626123	16.1.2001
5.	टीएन/एमडी/42569	मै० बाबानात केमिकल ।प्रा।लि० 5-ए ए.चोटी.बारासलेई स्टीट शिवाकाशी-626123	1.7.2001
6.	टीएन/एमएस/49390	मै० वसट इंन्डिया स्तट मेनेजमेन्ट 8वा फलोर रोयाज गार्डन 12एन्ड 13 कोडमबाकम हाईरोड चैन्नई-34	1.1.2001

7.	टीएन/टीआर/43416	मै0 एलकेटी इन्जिनियरिंग कोनट्रैक्टर टिनललूर मायूर विलेज 622515 टीएन	1.10.99
8.	टीएन/टीआर/43586	मै0 लॉड इन्जिनियरिंग 12 इलेक्ट्रीकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक इंडिस्टियल स्टेट थुवाकुडी त्रिची-15 टीएन।	1.4.2001
9.	टीएन/टीआर/43736	मै0 श्रीराम इन्जिनियरिंग इन्डिस्टिरी प्लोट नं0 ई-81, सिडको इंडिस्ट्रयल एस्टेट त्रियरा बल्ली -15 टीएन।	1.7.2000
10.	टीएन/टीआर/43667	मै0 श्री निर्माता फेबरिकेटरस डी-42 डवलपड प्लोट स्टेट थुवाकुडी त्रिची-620015.	1.9.2000
11.	टीएन/टीआर/43633	मै0 महा लक्ष्मी इन्जिनियरिंग इन्टरप्राईजिज नं0 1 11, एन्ड 12, इलेक्ट्रीकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक इंडिस्ट्रियल स्टेट थुवाकुडी त्रिचि-15 टीएन	1.7.2000
12.	टीएन/43392	मै0 हिन्दुस्थान मैन पावर सर्विस 44 अपू कम्पलेक्स सितारा नगर एम.के. रोड थन्जाउर-613006.	1.8.99
13.	टीएन/टीआर/43670	मै0 प्रीती इन्जिनियरिंग इन्डिस्ट्रिज डी-7 15 डवलपड प्लोट स्टेट थुवाकुडी त्रिची-620015	1.9.2000
14.	टीएन/टीआर/43668	मै0 उदयामल बजाज नं0 5 सिडको इन्डिस्ट्रीयल एस्टेट थिरुवरम्बर त्रिची-620014।टीएन।	1.9.2000
15.	टीएन/43758	मै0 दिवया इन्जीनियरिंग कम्पनी।प्रा। लि0 त्रिरुवीतरबलम 605111 बलया पान्डियेरी विलुपुरम डि0।टीएन।	1.5.2001

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ।4। द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर एत एत उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है ।

। त्रिलोक चन्द ।
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ।मुख्यालय।

दिनांक:

सं0 के. भ. नि. आर. 1141/टीएन/1198212001 2 5 FEB 2002

948

सा0आ0 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र0सं0	कोड नं0	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	टीएन/एमडी/42568	मै0 अननाई अरूल इन्टरप्राईसिस प्लोट नं0 2 पाललाका बुदुबति, कायपालूर मदुई (टीएन)	1.7.2001
2.	टीएन/टीआर/43516	मै0 मुलाकुददुमिल्क प्रोडयूज को0 सोसाईटी लि0 एल.एन.बति पो0 कालोकुरोचि (टीएन)	1.1.2000
3.	टीएन/टीआर/43572	मै0 ए.टी.69, अलइवेलम पो.ए.सी बैंक लि0 अलवेलम (वे0आ0) कूटटूकोटई (टीके) तनजाउर डि0 पिन-614602.	1.4.98
4.	टीएन/एमडी/42567	मै0 वोर जवान सिक्योटी सर्विस. 230-ए रेलवे फिटर रोड रामेश्वरम-623526.	1.7.2001
5.	टीएन/65084	मै0 क्डिगोलोग कन्ट्रोल सिस्टमस (पी) लि0 ए एच-141 3वा स्टोट, 8वा मेन रोड अन्नानगर वेस्ट, चैन्नई-600040	1.5.2001
6.	टीएन/47222	मै0 गुरुसेमरबलाईम हेन्डलूम विवर्स को0 सोसाईटी लि0 गुरुस्वामीबलायम-637403 नामाकल डि0 (टीएन)	1.3.2000

7.	टीएन/टीआर/43219	मै0 तेन्थिल पेपर बोर्डस एसएफ नं0 240 काडामबानकुरूचि पो0 करयूर डी.सी.जी. डि0 ।टीएन।.	19.2.99
8.	टीएन/टीआर/43520	मै0 जेड 829 सालईमगलम पोस्टी बैंक लि0 सालईबामंगलम ।पो0। पापानासम ।टीके। डि0 तनजाउर.	1.10.99
9.	टीएन/टीआर/43741	मै0 त्रिरूवेन्पूकुडु चिट फन्ड ।पी। लि0 2-75 ए, नार्थ स्टीट , त्रिरूवेन्पूकुडु-609114 ।टीएन।	1.4.2001
10.	टीएन/टीआर/43697	मै0 राज विद्यालय मैट्रीकुलेशन स्कूल 23, उतरा नोर्थ स्टीट, कुटॉलम मईलाईर्दुई -609801 ।टीएन।	1.7.2000
11.	टीएन/टीआर/4370 43703	मै0 रंगा ब्रन स्टाईल, नं0 6 नागेश्वरम नोर्थ स्टीट, कुम्बाकोनम-612001 ।टीएन।	1.11.2000
12.	टीएन/टीआर/43698	मै0 तमिलनाडु बस सर्विस, 1/12 मेन रोड कुरिचि एन्ड पो0आ0 त्रियूविदेइमरूदर टीके. पिन-612504	1.3.2000
13.	टीएन/टीआर/43213	मै0 इंडियन प्लास्टिक्स 18, अन्ना नगर, सेकिन्ड क्रास करयूर ।टीएन।.	1.2.99
14.	टीएन/42565	मै0 भरत विद्यालय अमित स्कूल चिन्नालपटटी-624301	1.8.2001
15.	टीएन/49372	मै0 कारोरिच इन्टरप्राइसिस, 32, टनिकाचलम रोड टी नगर चैन्नई-17.	1.7.2000

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ।4। द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं ।

।त्रिलोक चन्द ।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ।मुख्यालय।

सं0 के. भ. नि. आ. ।14।ओआर/।1985/2001 949 दिनांक: 25 FEB 2002

का0आ0 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ॥1952 का 19॥ के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र0सं0.	कोड नं0.	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	ओआर/4672	मै0 इन्डियन चार्ज कर्मो लि0 छोटवार डि0 कटक ।उडिसा।	1.4.90

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा।4। द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओ पर या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है ।

।त्रिलोक चन्द ।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ।मुख्यालय।
दिनांक:

सं0 के. भ. नि. आ. ।14।/केआर/।1978।2001 950 2 5 FEB 2002

का0आ0 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ॥1952 का 19॥ के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र0सं0.	कोड नं0.	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	केआर/केवी/19049	मै0 सन्या साई प्रिटींग एन्ड पब्लिसिंग क0 हिल रोड आलवे ।केरला।	1.9.99
2.	केआर/16568	मै0 गोविन्द एन्ड कम्पनी पाटोर वेनछियोर पो0 त्रिवेन्द्रम-695035 ।केरला।	1.4.2001
3.	केआर/केके/17105	मै0 कालीकट युनाईटिड सोसाईटी नर्सिंग एडाकेड कालीकट केरला.	1.4.98

4.	केआर/16511	मै0 आईसीएमआर ह्यूमन रेप्रोडक्शन रिसर्च सेन्टर सत हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज त्रिवेन्द्रम ।केरला।	1.7.2000

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ।4। द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है ।

। त्रिलोक चन्द ।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त।मुख्या0।

दिनांक:

सं0 के. भ. नि. आ. ।।4।/टीएन।।983।/200। 951

2 5 FEB 2002

सा0आ0 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ।1952 का 19। के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र0सं0.	कोड नं0.	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	टीएन/टीआर/43511	मै0 टीएनडी. 1210 रंगाथानूर वोमेन इम्प्लोयीस लि0, रंगानाथूर पो0 शंकरापुरम तालुक, वेल्लोपुरम डि0 606402	1.1.2000
2.	टीएन/टीआई/46846	मै0 दि कन्याकुमारी सीएसआई मेडिकल मेशन एन्ड रिहेबिलिटेशन इम्पलाईज को0 ऑप0 एन्ड क्रेडिट सोसाईटी लि0 के. वी. 123मारडन्डम कन्याकुमारी डि0.	1.5.2001
3.	टीएन/49506	मै0 इन्टरप्राईस बायोटेक ।प्रा0। लि0 नं0 62 लूज एवन्यू मैलापियुर चेन्नई-600004 ।टीएन।	1.4.2001
4.	टीएन/60092	मै0 फ्लोरा हॉर्टीकल्चर नर्सरी 4/64, कालकाटाउनकोली स्ट्रीट, मिथल गार्डनस रामापुरम, चेन्नई-89।टीएन।	1.6.2001

5.	टीएन/टीआर/43690	मै0 विलाबाउर मिल्क प्राड्यूस को0 सोसाईटी लि0 विलाबाउर कल्लाकुरीचि -606262 ।टीएन।	1.1.2001
6.	टीएन/पीसी/1168	मै0 ए.वी. उनको हेल्थकेरी ।प।लि0 वलोनूरबाहूर रोड पान्डिचेरी-605110	1.12.2000
7.	टीएन/49516	मै0 गरमेन पोलिमेरस एन्ड कटिंग ।प। लि0 कन्डायूवटी चैन्नई-96।टीएन।.	1.4.2001
8.	टीएन/49507	मै0 जवानी ट्रान्सपोर्ट 630.टीएच रोड टोन्डीयापेट, चैन्नई-600081 ।टीएन।	1.4.2001

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा1 की उपधारा।4। द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उन या उनी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है ।

।त्रिलोक चन्द ।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ।मुख्यालय।

क्षेत्रीय कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर–5

संख्या: 21–बी–34/15/95–सम. दिनांक: 4.3.2002

एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि अध्यक्ष क्षेत्रीय परिषद कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उत्तर प्रदेश द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम–10–ए(1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के आगरा, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, गाजियाबाद एवं झांसी क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि से निम्नलिखित सदस्यों को समाहित करते हुए स्थानीय समितियों का गठन/पुनर्गठन कर दिया गया है।

स्थानीय समिति आगरा

1.	मुख्य चिकित्साधिकारी, क. रा. बी. योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उ0प्र0 आगरा क्षेत्र, आगरा ।	अध्यक्ष	10ए(1) ए क. रा. बी. (सा0) 1950 के अंतर्गत		
2.	उप श्रमायुक्त आगरा अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य	10ए(1) बी	"	"
3.	प्रभारी चिकित्साधिकारी क. रा. बी. सेवाएं, आगरा	सदस्य	10ए(1) सी	"	"
4.	श्री प्रेम सागर अग्रवाल अध्यक्ष नेशनल चेम्बर ऑफ इण्डस्ट्री एण्ड कामर्स न्यू मार्केट जीवनी मण्डी आगरा।	सदस्य	10ए(1) डी	"	"
5.	श्री के. के. पालीवाल अध्यक्ष, फाउन्ड्री नगर, इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन द्वारा पालीवाल आयरन फाउन्ड्री हाथरस रोड, आगरा।	सदस्य	10ए(1) डी	"	"
6.	श्री बलजीत सिंह अध्यक्ष, आगरा फुटवियर मैनुफैक्चरिंग एण्ड एक्सपोर्ट चैम्बर, न्यू लायर्स कालोनी, आगरा ।	सदस्य	"	"	"
7.	श्री अतुल कुमार गुप्ता सचिव होटल ओनर्स एसो0 द्वारा होटल कान्त फतेहाबाद रोड, आगरा ।	सदस्य	"	"	"

8.	श्री राजवीर सिंह सोलंकी मंडलाध्यक्ष राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस §इण्टक§80, लाराज काम्प्लैक्स नामनेर, आगरा ।	सदस्य	10ए§1§ई क. रा. बीमा§सा0§1950 के अंतर्गत		
9.	श्री राजेश्वर दयाल शर्मा भारतीय मजदूर संघ, 15/396 शहीद भगत सिंह द्वारा-नूरी दरवाजा आगरा। फोन-261048	सदस्य	,,	,,	,,
10.	श्री का0 जगदीश प्रसाद सचिव, एटक मजदूर भवन नुनिहाई रोड, रामबाग आगरा।	सदस्य	,,	,,	,,
11.	श्री नवल सिंह सचिव, सेन्टर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स §सी0-2§ गली अंसारी रोशन मोहल्ला, आगरा।	सदस्य	,,	,,	,,
12.	प्रबंधक क. रा. बी. निगम, स्थानीय कार्यालय, आगरा ।	सदस्य सचिव	10ए§1§एफ	,,	,,

स्थानीय समिति कानपुर

1.	मुख्य चिकित्साधिकारी क. रा. बी. योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, कानपुर क्षेत्र कानपुर ।	अध्यक्ष	10ए§1§ए क. रा. बी. §सा0§ 1950 विनियम के अंतर्गत		
2.	उप श्रमायुक्त कानपुर अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य	10ए§1§बी	,,	,,
3.	प्रभारी चिकित्साधिकारी क. रा. बी. सेवाएं, कानपुर	सदस्य	10ए§1§सी	,,	,,
4.	महाप्रबंधक, मै. एल. एम. एल. लि. पनकी, कानपुर ।	सदस्य	10ए§1§डी	,,	,,
5.	महाप्रबंधक, डंकन इण्डस्ट्री लि. §फर्टिलाइजर§पनकी कानपुर ।	सदस्य	10ए§1§	,,	,,
6.	महाप्रबंधक, मै. जे. के. जूट मिल्स कम्पनी लि. कालपी रोड, कानपुर ।	सदस्य	,,	,,	,,

7.	महाप्रबंधक, मै. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि0 दिबियापुर औरेया ।	सदस्य	10ए(1)(डी) क.रा.बी.(सा0) 1950 विनियम के अंतर्गत		
8.	श्री श्रीकान्त अवस्थी, भारतीय मजदूर संघ, उ0प्र0, 2नवीन मार्केट कानपुर, फोन- 304883	सदस्य	10ए(1)(ई)	"	"
9.	श्री अरविन्द कुमार सीटू 87/152-153 राम आसरे मेमोरियल सेन्टर, रायपुरवा, कानपुर ।	सदस्य	"	"	"
10.	श्री राम नारायण पाठक इन्टक, 9 बी-1 भगवान दास घाट कालोनी, आई. एफ. स्टेट, कानपुर	"	"	"	"
11.	उप निदेशक(चिकित्सा) क्षेत्रीय कार्यालय, क. रा. बी. निगम, सर्वोदयनगर, कानपुर ।	सदस्य सचिव	10ए(1)(एफ)	"	"

स्थानीय समिति मेरठ

1.	मुख्य चिकित्साधिकारी क. रा. बी. योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, सहारनपुर ।	अध्यक्ष	10ए(1)(ए) क. रा. बी. (सा0) विनियम 1950 के अंतर्गत		
2.	उपश्रमायुक्त मेरठ अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य	10ए(1)(बी)	"	"
3.	प्रभारी चिकित्साधिकारी क. रा. बी. सेवाएं, मेरठ	सदस्य	10ए(1)(सी)	"	"
4.	श्री एस. के. गुप्ता मैनेजर पर्सनल, मै0मोदी रबर लि0 मोदीपुरम ।	सदस्य	10ए(1)(डी)	"	"
5.	श्री डी. के. अग्रवाल मैनेजर, मै0 शुगर वर्क्स मवाना ।	सदस्य	"	"	"
6.	श्री अजय गुप्ता स्वामी मै0 ओलम्पिक जीयर्स, मेरठ ।	सदस्य	"	"	"
7.	श्री आर. एस. दुबे मैनेजर, मै0 बीराम पेन्स लि0 मेरठ ।	सदस्य	"	"	"

8.	श्री यशवंत सिंह भारतीय मजदूर संघ शंकर आश्रम, शिवाजी मार्ग, मेरठ ।	सदस्य	10ए(1)(ई) क.रा.बी.(सा0) विनियम 1950 के अंतर्गत
9.	श्री सत्यपाल सिंह सोटू, नई बस्ती मेरठ	सदस्य	" " "
10.	श्री दौलत राम इण्टक, साबुन गोदाम, मेरठ	सदस्य	" " "
11.	श्री रणजीत शर्मा, यू.टी.यू.सी. आर.के.पुरम, मेरठ	सदस्य	" " "
12.	प्रबंधक क.रा.बी. निगम, स्थानीय कार्यालय, मेरठ ।	सदस्य सचिव	10ए(1)(एफ) " "

स्थानीय समिति सहारनपुर

1.	मुख्य चिकित्साधिकारी क.रा.बी. योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, सहारनपुर हेल्थ, सहारनपुर ।	अध्यक्ष	10ए(1)(ए) क.रा.बी.(सा0) विनियम 1950 के अंतर्गत
2.	उपश्रमायुक्त, सहारनपुर अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य	10ए(1)(बी) " "
3.	प्रभारी चिकित्साधिकारी क.रा.बी. सेवाएं, सहारनपुर	सदस्य	10ए(1)(सी) " "
4.	श्री विनय कुमार जैन जैन इंजीनियरिंग एण्ड मोल्डिंग वर्क्स प्रा0लि0 188 जैनबाग, सहारनपुर (ए.सी.सी.आई.)	सदस्य	10ए(1)(डी) " "
5.	श्री परमजीत सिंह विश्वकर्मा मशीनरी वर्क्स, 24 नेहरू नगर रेलवे लाइन्स, सहारनपुर ।	सदस्य	" " "
6.	श्री राकेश कुमार जैन सुपर प्लास्टिक प्रोडक्ट रास्ता बाकमल, सहारनपुर	सदस्य	" " "

7.	श्री आर.के. बोहरा सदस्य प्रान्तीय कार्यकारिणी राज्य कमेटी एंटक नखास बाजार सहारनपुर ।	सदस्य	10ए(1)(ई क.रा.बी. (सा0) विनियम 1950 के अंतर्गत
8.	श्री हरिहर पाण्डेय सीटू आफिस रेलवे रोड, सहारनपुर ।	सदस्य	" " "
9.	श्री सुधीर कुमार त्यागी ग्राम व पो0 अम्बेहटा, सहारनपुर(भारतीय मजदूर संघ)	सदस्य	" " "
10.	प्रबंधक क.रा.बी. निगम, स्थानीय कार्यालय, सहारनपुर ।	सदस्य सचिव	10ए(1)(एफ " "

स्थानीय समिति रायबरेली

1.	मुख्य चिकित्साधिकारी क.रा.बी.योजना श्रम चिकित्सासेवाएं, लखनऊ क्षेत्र लखनऊ ।	अध्यक्ष	10ए(1)(ए क.रा.बी. (सा0) विनियम-1950 के अंतर्गत ।
2.	उपश्रमायुक्त लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य	10ए(1)(बी " "
3.	प्रभारी चिकित्साधिकारी क.रा.बी.सेवाएं, रायबरेली	सदस्य	10ए(1)(सी " "
4.	श्री वाई.के.गुप्ता अध्यक्ष, आई.आई.ए. जनपद शाखा, रायबरेली मै0 एक्यूरेट प्रोसेसिंग एम-2 इण्डस्ट्रियल एरिया-1 सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।	सदस्य	10ए(1)(डी " "
5.	श्री टी.एन. खेले मै0 कीट उद्योग 14 इंजीनियरिंग काम्प्लेक्स, रायबरेली ।	सदस्य	" " "
6.	श्री कमल श्रीवास्तव श्री भवानी पेपर मिल्स लि0 इण्डस्ट्रियल एरिया-1 सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।	सदस्य	" " "

7.	श्री डी.पी.पाल एंटक, नेहरू सिविल लाइन्स रायबरेली ।	सदस्य	10ए§1§ई क.रा.बी.§सा0§ विनियम-1950 के अंतर्गत
8.	श्री नईम अख्तर सीटू रायबरेली, टैक्सटाइल मिल्स श्रमिक संघ महेश भवन निकट लक्ष्मी होटल, कोतवाली रोड, रायबरेली	सदस्य	" " "
9.	श्री गंगाविष्णु शुक्ल कैंकारी कोठी, सिविल लाइन्स, रायबरेली§भारतीय मजदूर संघ§	सदस्य	" " "
10.	श्री डी.एस. मिश्रा इन्टक गायत्री निवास निकट, मधुवन होटल, रायबरेली	सदस्य	" " "
11.	प्रबंधक क.रा.बी.निगम, स्थानीय कार्यालय, रायबरेली	सदस्य सचिव	10ए§1§एफ " "

स्थानीय समिति इलाहाबाद

1.	मुख्य चिकित्साधिकारी क.रा.बी.योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, इलाहाबाद क्षेत्र, इलाहाबाद ।	अध्यक्ष	10ए§1§ए " "
2.	उपश्रमायुक्त, इलाहाबाद अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य	10ए§1§बी " "
3.	प्रभारी चिकित्साधिकारी क.रा.बी.सेवाएं, इलाहाबाद	सदस्य	10ए§1§सी " "
4.	श्री गिरिधर गोपाल गुलाटी यूनाइटेड टावर लीडर रोड इलाहाबाद ।	सदस्य	10ए§1§डी " "
5.	श्री मदन बाबू केसरवानी महामंत्री, उ0प्र0 बीड़ी एवं पत्ता उद्योग समिति 60 गाड़ीवान टोला, इलाहाबाद ।	सदस्य	" " "
6.	श्री सुनील सेठ बग्गा 10 ताशकंद मार्ग, इलाहाबाद ।	सदस्य	" " "

7.	श्री इकबाल अहमद पर्सनल मैनेजर मै0 शेरवानी इण्डस्ट्रियल सिन्डीकेट लि0 28 साउथ रोड, इलाहाबाद ।	सदस्य	10ए§1§डी क. रा. बी. §सा0§ विनियम–1950 के अंतर्गत
8.	श्री प्रकाश जी भारतीय मजदूर संघ, 9 सी0 बाई जार्ज टाउन, इलाहाबाद ।	सदस्य	10ए§1§ई " "
9.	श्री शंकर लाल रावत इण्टक 17 ए जानसेन गंज इलाहाबाद ।	सदस्य	" " "
10.	श्री विष्णु देव पाण्डेय हिन्द मजदूर सभा, 140/132 जानसेन गंज, इलाहाबाद ।	सदस्य	" " "
11.	श्री आलोक कुमार बोस सीटू–3 मालवीय रोड, इलाहाबाद ।	सदस्य	" " "
12.	प्रबंधक, क. रा. बी. निगम, बलुआ घाट, इलाहाबाद ।	सदस्य सचिव	10ए§1§एफ " "

स्थानीय समिति गाजियाबाद
======================

1.	मुख्य चिकित्साधिकारी क. रा. बी. योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद ।	अध्यक्ष	10ए§1§ए क. रा. बी. §सा0§ विनियम–1950 के अंतर्गत
2.	उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य	10ए§1§बी " "
3.	प्रभारी चिकित्साधिकारी क. रा. बी. सेवाएं, गाजियाबाद	सदस्य	10ए§1§सी " "
4.	श्री के. के. शर्मा, उपप्रबंधक मै0 श्री राम पिस्टन एण्ड रिंग्स लि0 मेरठ रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद ।	सदस्य	10ए§1§डी " "

5.	श्री पी. के. गुप्ता सीनियर मैनेजर §पर्सनल§ मै0 इन्टरनेशनल कम्पनी, मेरठ रोड, इ0ए0 गाजियाबाद	सदस्य	10ए§1§डी क. रा. बी. §सा0§ विनियम-1950 के अंतर्गत
6.	श्री एम. के. खेमका मै0 राठी इस्पात लि0 साउथ आफ जी. टी. रोड, गाजियाबाद ।	सदस्य	" " "
7.	श्री ए0 के0 गुप्ता, अध्यक्ष प्रबंधक, §कार्मिक§ मै0 यू. पी. सिरेमिक्स एण्ड पाटरीज लि0 जी. टी. रोड, गाजियाबाद ।	सदस्य	" " "
8.	श्री के. एम. तिवारी सीटू-234 लालझंडा भवन, अम्बेदकर रोड, गाजियाबाद ।	सदस्य	10ए§1§ई " "
9.	श्री सुखबीर त्यागी एंटक पुरानी चुंगी, मेरठ रोड, गाजियाबाद ।	सदस्य	" " "
10.	श्री वीरेन्द्र शिरोही एच. एम. एस., 1जी. डी. ए. बिल्डिंग प्रथम तल पुराना बस अड्डा, गाजियाबाद ।	सदस्य	" " "
11.	श्री बी. एन. तिवारी बी. एम. एस., 4, सुभाष मार्केट रमते राम रोड, गाजियाबाद ।	सदस्य	" " "
12.	प्रबंधक, क. रा. बी. निगम, स्थानीय कार्यालय, गाजियाबाद ।	सदस्य सचिव	10ए§1§एफ " "

स्थानीय समिति झांसी

1.	मुख्य चिकित्साधिकारी क. रा. बी. योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, कानपुर ।	अध्यक्ष	10ए§1§ए क. रा. बी. §सा0§ विनियम-1950 के अंतर्गत

2.	उप श्रमायुक्त, झांसी अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य	10ए§1§बी	क.रा.बी.§सा0§ विनियम-1950 के अंतर्गत	
3.	प्रभारी चिकित्साधिकारी क.रा.बी.सेवाएं, झांसी	सदस्य	10ए§1§सी	"	"
4.	श्री आलोक मल्होत्रा, वाइस प्रेसीडेन्ट, मै0 डायमन्ड सीमेन्ट भड़ोरा झांसी	सदस्य	10ए§1§डी	"	"
5.	श्री हंसमुख पारिख, कारखाना प्रबंधक, मै0 हिन्दुस्तान लीवर लि0 उरई§जालौन§	सदस्य	"	"	"
6.	श्री रमेश कुमार सराफ्गी मै0 कंक्रीट उद्योग, बिजौली झांसी ।	सदस्य	"	"	"
7.	श्री एस.एस.मूर्ति, महाप्रबंधक मै0 भारत एक्सप्लोसिव लि0 ललितपुर ।	सदस्य	"	"	"
8.	श्री महेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, बी.एच.ई.एल. कान्ट्रेक्टर्स वर्कर्स यूनियन, झेल झांसी ।	सदस्य	10ए§1§ई	"	"
9.	श्री रघुराज सिंह, अध्यक्ष भारत एक्सप्लोसिव लि0 कर्मचारी संघ, ललितपुर ।	सदस्य	"	"	"
10.	श्री जयराम प्रजापति, अध्यक्ष हिन्दुस्तान इम्पलाइज यूनियन सुमेरपुर, हमीरपुर ।	सदस्य	"	"	"
11.	श्री लल्लन शुक्ला भा0म0संघ, 355/1 सिविल लाइन्स, झांसी ।	सदस्य	"	"	"
12.	प्रबंधक, क.रा.बी.निगम, स्थानीय कार्यालय, झांसी ।	सदस्य सचिव	10ए§1§एफ	"	"

तपन कुमार भट्टाचार्य

§ तपन कुमार भट्टाचार्य §
क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
मुंबई

यूटी/डीबीडीएम/एसपीडी-3/ 2.69 /2000-2001 **28 नवंबर, 2000**

निम्नलिखित योजनाओं :

1. मास्टरशेयर प्लस यूनिट योजना 1991 (मास्टरप्लस-91)
2. पूंजी वृद्धि यूनिट योजना 1992 (मास्टरगेन-92)
3. ग्रोथ मास्टर यूनिट योजना-1993 (ग्रोथ मास्टर-93)
4. यूनिट ग्रोथ योजना 10000 (यूजीएस- 10000)
5. प्राइमरी इक्विटी फंड 1995 (पीईएफ-95) [पीईएफ यूनिट योजना के रूप में पुनर्नामित]
6) मास्टर इंडेक्स फंड (एम-आई-एफ)

जिन्हें भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनाया गया है तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1)(8)(ग) के अंतर्गत बनाए गए मास्टर इंडेक्स फंड जिसे उपरोक्त अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत बनाई गई यूनिट योजना के संबंध में बनाया गया है, के प्रावधानों में संशोधन जिन्हें 15 अक्तूबर, 1999 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में सिद्धांत रूप में अनुमोदित किया गया और 23 फरवरी, 2000 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में सूचित किया गया, यहां प्रकाशित किए जाते हैं।

एस चटर्जी

एस चटर्जी
उप महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

अनुबंध I

मास्टरशेयर प्लस - संशोधित / शामिल किये गये प्रावधान

खण्ड सं.	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
प्रमुख बातें	100 यूनिटों के गुणजों सहित कम-से-कम 500 यूनिटों के लिए निवेश किया जा सकता है।	दूसरी मद - न्यूनतम निवेश रु.5000/- है तथा कोई अधिकतम सीमा नहीं है। उसी फोलियो के अंतर्गत बाद में निवेश करने के लिए न्यूनतम निवेश रु.1000/- है।
प्रमुख बातें	निवासी और अनिवासी दोनों वयस्क व्यक्तियों /अवयस्कों/ हिन्दू अविभक्त परिवारों / न्यासों / समिति / निगमित निकाय (बैंकों तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों सहित) / भागीदारी फर्म / सेबी के साथ पंजीकृत एवं विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन रखने वाले विदेशी निगमित निकाय (ओ सी बी) /विदेशी संस्थागत निवेशक के लिए खुला है।	तीसरी मद - निवासी व्यक्ति तथा संस्थाएं एवं अनिवासी भारतीय, विदेशी निगमित निकाय और विदेशी संस्थागत निवेशक निवेश कर सकते हैं।
प्रमुख बातें	प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य रु.10/- है। बिक्री *एन ए वी* (पिछले) पर की जाएगी, जिसका निर्धारण दैनिक आधार पर किया जाएगा।	चौथी मद - प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य रु.10/- है। बिक्री उस दिन की समाप्ति के *एन ए वी* पर की जाएगी, जिस दिन आवेदन स्वीकार किया जाता है।
प्रमुख बातें	मद शामिल नहीं	आठवीं मद - आय के पुनर्निवेश की सुविधा, यदि कोई हो, *एन ए वी* पर उपलब्ध होगी।
प्रमुख बातें	मद शामिल नहीं	नौवीं मद - इस योजना से ऐसी अन्य योजनाओं में परिवर्तन (स्विचओवर) की सुविधा, जिनकी घोषणा ट्रस्ट द्वारा

		समय-समय पर की जा सकती है, तथा अन्य योजनाओं से इस योजना में परिवर्तन (स्विचओवर) की सुविधा *एनएवी* या *एनएवी* पर आधारित मूल्य पर उपलब्ध होगी ।
प्रमुख बातें	आय घोषित किये जाने पर आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80एल के अंतर्गत तथा योजना के अंतर्गत पूंजी वृद्धि से मिलने वाले दीर्घकालिक पूंजी लाभ पर धारा 48 एवं 112 के अंतर्गत मिलने वाले कर संबंधी लाभ उपलब्ध होंगे । यह निवेश आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईए एवं 54ईबी के अंतर्गत पूंजी लाभ कर से छूट के लिए भी पात्र होगा, जो निधि के स्रोत पर निर्भर होगा तथा स्वीकृति की तारीख से क्रमश: तीन / सात वर्ष की अवरुद्ध (लॉक-इन) अवधि की शर्त पर होगा ।	दसवीं मद : वर्तमान में योजना द्वारा किया गया आय वितरण, यदि कोई हो, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(33) के अंतर्गत निवेशकों के हाथों में पूर्णत: कर-मुक्त है । इसके अलावा, सतत खुली ईक्विटी उन्मुख निधि होने के कारण इस पर आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115आर के अंतर्गत 31 मार्च 2002 तक की अवधि के लिए आय वितरण कर भी नहीं लगेगा । ग्यारहवीं मद: यूनिटों की पुनर्खरीद पर पूंजी वृद्धि, यदि कोई हो, से मिलने वाले पूंजी लाभ पर आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 एवं 112 के अंतर्गत मिलने वाले कर संबंधी लाभ भी उपलब्ध होंगे । बारहवीं मद: यह निवेश आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईए एवं 54ईबी के अंतर्गत पूंजी लाभ कर से छूट के लिए भी पात्र होगा, जो निधि के स्रोत पर निर्भर होगा तथा आवेदन की स्वीकृति की तारीख से क्रमश: तीन / सात वर्ष की अवरुद्ध (लॉक-इन) अवधि के बाद ही यूनिटों की पुनर्खरीद किये जाने की शर्त पर होगा ।

		तेरहवीं मद: योजना के अंतर्गत यूनिटों में किये गये निवेश का मूल्य धन कर से पूर्णत: मुक्त है । चौदहवीं मद: दान कर अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 1 अक्तूबर 1998 को या उसके बाद किये गये दान के संबंध में दान कर समाप्त कर दिया गया है । इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत यूनिट दान में दिये जाने पर वह दान कर की वसूली से पूर्णत: मुक्त होगा ।
परिभाषाएं II (क)	आवेदक द्वारा ट्रस्ट को ट्रस्ट के द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए आवेदन किये जाने के संदर्भ में 'स्वीकृति की तारीख' से अभिप्राय उस दिन से है, जिस दिन ट्रस्ट, इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदन नियमानुसार है, उसे स्वीकार करे;	आवेदक द्वारा ट्रस्ट को ट्रस्ट के द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए आवेदन किये जाने के संदर्भ में 'स्वीकृति की तारीख' से अभिप्राय उस दिन से है, जिस दिन ट्रस्ट का शाखा कार्यालय, इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदन हर तरह से पूर्ण है, उसे स्वीकार करे । फ्रांचाइज कार्यालय / वसूली केन्द्र में बिक्री और पुनर्खरीद के लिए आवेदन प्राप्त किये जाने के संदर्भ में 'स्वीकृति की तारीख' रजिस्ट्रार के कार्यालय में आवेदन प्राप्त किये जाने की तारीख, या फ्रांचाइज कार्यालय अथवा वसूली केन्द्र में उसकी प्राप्ति की तारीख (टी) से 5वां कार्यदिवस (टी+5), जो भी पहले हो, होगी । ट्रस्ट उक्त कार्यदिवसों की संख्या 5 से भी कम कर सकता है, जैसा भी निर्णय लिया जाए ।
परिभाषाएं II (घ)	"आवेदक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने योजना के अंतर्गत यूनिटों के लिए आवेदन किया हो ।	"आवेदक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो योजना में भाग लेने के लिए पात्र है तथा योजना के खण्ड IV के तहत आवेदन करता है और जो अवयस्क

		नहीं है ।
परिभाषाएं II (ठ क)	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है ।	योजना के अंतर्गत एक अभिव्यक्ति के रूप में प्रयुक्त ''सदस्य'' शब्द से ऐसा आवेदक अभिप्रेत और शामिल है, जिसे 26/4/2000 को या उसके बाद योजना के अंतर्गत यूनिट आवंटित किये गये हों । ''सदस्य'' से ''यूनिटधारक'' भी अभिप्रेत है, जिसमें यूनिट प्रमाणपत्र के अंतर्गत तथा निक्षेपागार (डिपोजिटरी) के रूप में यूनिट रखने वाले व्यक्ति शामिल हैं तथा सभी अभिव्यक्तियों को पर्यायवाची के रूप में पढ़ा जा सकता है ।
परिभाषाएं II (थ)	''यूनिट रखने वाला व्यक्ति या यूनिटधारक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास फिलहाल यूनिट हों तथा इसमें निक्षेपागार (डिपोजिटरी) के रूप में यूनिट रखने वाला व्यक्ति शामिल है ।	''व्यक्ति'' में ऊपर परिभाषित पात्र संस्था शामिल होगी ।
परिभाषाएं II (थ क)	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है ।	''आर बी आई'' से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत स्थापित भारतीय रिज़र्व बैंक अभिप्रेत है ।
परिभाषाएं II (ध)	''रजिस्ट्रार से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे योजना के अंतर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाए ।	''रजिस्ट्रार'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए रखा जाए ।
परिभाषाएं II (म)	'यूनिट पूंजी से योजना के अंतर्गत जारी और आवंटित यूनिटों के अंकित मूल्य का जोड़ अभिप्रेत है ।	"यूनिट पूंजी" से योजना के अंतर्गत बेचे गये और फिलहाल बकाया यूनिटों के अंकित मूल्य का जोड़ अभिप्रेत है ।
परिभाषाएं	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है ।	"यूनिट ट्रस्ट" अथवा "ट्रस्ट" से

II (म क)		अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अभिप्रेत है ।
परिभाषाएं II (ख ख)	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है ।	योजना में, 26/5/2000 के बाद, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उपयुक्त स्थानों पर, "सदस्य" शब्द से "यूनिटधारक" भी अभिप्रेत होगा ।
जोखिम कारक III पहली मद	जैसाकि प्रतिभूतियों में किये गये किसी भी निवेश में होता है, योजना के अंतर्गत जारी किये गये यूनिटों का एन ए वी ऊपर या नीचे जा सकता है, जो पूंजी बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों एवं बलों पर निर्भर होगा । इस बात का कोई आश्वासन या गारंटी नहीं दिया जा सकता कि योजना के उद्देश्य पूरे होंगे ।	म्यूच्युअल फंडों और प्रतिभूतियों में किये गये निवेशों में बाजार जोखिम होता है तथा योजना के अंतर्गत जारी किये गये यूनिटों का एन ए वी ऊपर या नीचे जा सकता है, जो पूंजी बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों एवं बलों पर निर्भर होगा ।
जोखिम कारक III	स्टॉक लेंडिंग: न्यूनतम जोखिम के साथ निधि के लिए अतिरिक्त आय अर्जित करने का यह एक साधन है । जिस अवधि के दौरान स्क्रिप उधार दिया गया हो, उस अवधि में बिक्री के लिए सुलभ स्टॉक की अनुपलब्धता के रूप में जोखिम हो सकता है ।	चौथी मद - स्टॉक लेंडिंग: न्यूनतम जोखिम के साथ योजना के लिए अतिरिक्त आय अर्जित करने का यह एक साधन है । जिस अवधि के दौरान स्क्रिप उधार दिया गया हो, उस अवधि में बिक्री के लिए सुलभ स्टॉक की अनुपलब्धता के रूप में जोखिम हो सकता है । स्टॉक लेंडिंग संबंधी कार्यकलाप के जरिये योजना को उधार दी गयी प्रतिभूतियों को वापस करने में उधारकर्ता / मध्यस्थ द्वारा चूक किये जाने की संभावना के रूप में जोखिम उठाना होगा । तथापि, इस प्रक्रिया में शामिल मध्यस्थ द्वारा उधारकर्ता से उपयुक्त संपार्श्विक प्रतिभूति लिये जाने के रूप में जोखिम को पर्याप्त रूप में कवर किया जाएगा । संपार्श्विक प्रतिभूति पर ट्रस्ट का ग्रहणाधिकार होगा । प्रतिभूतियां उधार देने की

		प्रक्रिया में शामिल किसी भी जोखिम को न्यूनतम करने के लिए विभिन्न स्थलों पर ट्रस्ट के पास अन्य उपयुक्त जांच और नियंत्रण उपाय भी होंगे ।
यूनिट और पेशकश IV(5)(I)(a)	व्यक्ति अकेले या किसी अन्य के साथ संयुक्त रूप से या संयुक्त आधार पर दो तक अन्य व्यक्तियों के साथ ।	व्यक्ति अकेले या किसी अन्य के साथ संयुक्त रूप से या संयुक्त /कोई एक अथवा उत्तरजीवी के आधार पर दो तक अन्य व्यक्तियों के साथ ।
यूनिट और पेशकश IV (5) (I)	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है । कोई प्रावधान मौजूद नहीं है । कोई प्रावधान मौजूद नहीं है । (ञ) किसी अन्य कंपनी या निगमित निकाय के साथ कोई कंपनी या अन्य निगमित निकाय अथवा एक व्यक्ति या कई व्यक्ति, जिनमें से कोई भी अवयस्क न हो ।	(ट) राज्य या केन्द्र के किसी अधिनियम द्वारा अथवा के अंतर्गत स्थापित अथवा नियंत्रित कोई निकाय । (ठ) कोई सेना/नौसेना/वायुसेना/पैरामिलिटरी निधि। (ड) सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उपक्रम । इस मद को समाप्त किया जा रहा है ।
यूनिट और पेशकश IV (6)	प्रत्येक आवेदन कम-से-कम 500 यूनिटों के लिए तथा उसके बाद 100 यूनिटों के गुणजों में होगा। रु.50,000/- और उससे अधिक के निवेश के मामले में, निवेशक को सूचित किया जाता है कि वह पीएएन / जीआइआर क्रमांक तथा आय कर सर्कल का पता, यदि उसके पास हो, प्रस्तुत करे ।	कम-से-कम रु.5000/- के लिए आवेदन किया जाएगा। कोई अधिकतम सीमा नहीं है तथा दशमलव के तीन अंकों तक यूनिटों का आवंटन किया जाएगा । उसी फोलियो में बाद में निवेश करने के लिए न्यूनतम निवेश रु.1000/- है । निवासी या अनिवासी भारतीय द्वारा एनआरओ खाते के माध्यम से रु.50,000/- और उससे अधिक का

		निवेश किये जाने के मामले में, निवेशक को सूचित किया जाता है कि वह पीएएन / जीआइआर क्रमांक तथा आय कर सर्कल का पता, यदि उसके पास हो, प्रस्तुत करे।
यूनिट और पेशकश सूचीबद्धता - IV (7)	19 प्रमुख शेयर बाजारों में यूनिट सूचीबद्ध हैं तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत अन्य स्थानों पर स्थित अन्य शेयर बाजारों में यूनिटों को सूचीबद्ध किया जा सकता है।	योजना के अंतर्गत 26/4/2000 के पहले जारी तथा बकाया रहने वाले यूनिट प्रमुख शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं। ट्रस्ट द्वारा घोषित की जाने वाली तारीख से इन यूनिटों को गैर-सूचीबद्ध किये जाने का प्रस्ताव है। 26/4/2000 को या उसके बाद जारी किये जा रहे / बेचे जा रहे यूनिटों को किसी भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।
यूनिट और पेशकश IV (8)	यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट द्वारा आवेदन स्वीकार किये जाने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर यूनिट प्रमाणपत्र भेज दिया जाएगा। यूनिट प्रमाणपत्र अंतरणीय है तथा योजना में निवेशक के शामिल होने का वैध साक्ष्य है। यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट के कार्यपालक निदेशक द्वारा यथानिर्णीत प्ररूप में होगा। प्रमाणपत्र 100 मास्टरशेयर प्लस यूनिटों के बिक्रीयोग्य लॉट में अधिकतम 20 मास्टरशेयर प्लस प्रमाणपत्रों तक (अर्थात् 2000 यूनिटों तक) जारी किये जाएंगे। 2000 यूनिटों से अधिक के किसी भी निवेश के लिए (अर्थात् 2000 मास्टरशेयर प्लस यूनिट से अधिक के लिए) एक समेकित प्रमाणपत्र (21वां प्रमाणपत्र) जारी किया जाएगा। निवेशक द्वारा अनुरोध किये जाने पर इस समेकित प्रमाणपत्र	लेखा विवरण 1) 26/4/2000 को और उसके बाद जारी किये गये यूनिटों के लिए ट्रस्ट द्वारा आवेदन स्वीकार किये जाने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर फोलियो नम्बर देते हुए एक लेखा-विवरण जारी किया जाएगा। 2) हर बार अतिरिक्त खरीद या आंशिक पुनर्खरीद किये जाने पर अथवा निम्नलिखित खण्ड 9 (क) और 9 (ग) के अनुसरण में यूनिटों का स्विचओवर या अंतरण किये जाने पर अथवा सदस्य द्वारा निक्षेपागार के रूप में रखे गये यूनिटों का पुनर्भौतिकीकरण किये जाने पर प्रत्येक सदस्य को हर बार फोलियो के अंतर्गत अद्यतन लेखा-विवरण भेजा जाएगा। 3) अनिवासी भारतीय निवेशक लेखा-

	को एक बार निःशुल्क विभाजित किया जाएगा तथा उसके बाद ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत प्रभारों की अदायगी पर ही विभाजन की अनुमति दी जाएगी। अनिवासी भारतीय यूनिट प्रमाणपत्र भेजे जाने के लिए निम्नलिखित में से कोई भी पद्धति चुन सकते हैं : (i) आवेदक के भारतीय /विदेश स्थित पते पर अथवा (ii) भारत में आवेदक के संबंधी के पते पर तथापि, यूनिटों को निक्षेपागार (डिपोजिटरी) के रूप में रखे जाने पर कोई यूनिट प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।	विवरण भेजे जाने के लिए निम्नलिखित में से कोई भी पद्धति चुन सकते हैं : (i) आवेदक के भारतीय /विदेश स्थित पते पर अथवा (ii) भारत में अनिवासी आवेदक के संबंधी के पते पर 4) विदेशी संस्थागत निवेशकों के मामले में, लेखा-विवरण उनके सार्वभौमिक अभिरक्षक के पास अथवा आवेदन में प्रस्तुत पते पर भेजा जाएगा। 5) यदि सदस्य चाहे तो लेखा-विवरण के स्थान पर प्रमाणपत्र जारी किये जाने के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर छः सप्ताह के भीतर उसे यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा। 6) यूनिट प्रमाणपत्र / लेखा-विवरण दोनों योजना में निवेशक के शामिल होने के समान रूप से वैध साक्ष्य हैं। 7) खण्डों के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित यूनिट प्रमाणपत्र द्वारा कवर किये गये यूनिटों तथा यूनिटधारकों पर लागू होंगे। लेखा-विवरण / यूनिट प्रमाणपत्र के कट-फट जाने, विरूप हो जाने, खो जाने आदि की स्थिति में उसका विनिमय:

		ऐसी स्थितियों में सामान्य अनुरोध पर एक लेखा-विवरण जारी किया जाएगा।
यूनिट और पेशकश IV (10)	10. यूनिटों का अंतरण/ उन्हें गिरवी रखना/ उनका समनुदेशन: योजना के अंतर्गत जारी किये गये यूनिटों का निम्नलिखित शर्तों पर मुक्त रूप से अंतरण / गिरवी / समनुदेशन किया जा सकता है : (i) योजना के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया यूनिट प्रमाणपत्र बेचानयोग्य है तथा उसे व्यक्तियों, व्यक्त या "यूनिट और पेशकश" की मद 5 के अंतर्गत उल्लिखित ऐसी अन्य श्रेणियों को अंतरित किया जा सकता है। (ii) ऐसे अंतरणकर्ताओं (संयुक्त धारिता के मामले में सभी अंतरणकर्ताओं) और अंतरितियों (संयुक्त खरीद के मामले में सभी अंतरितियों) द्वारा और के बीच ही, जो यूनिट रखने के लिए सक्षम हों, अंतरण किया जा सकता है। किसी अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए ट्रस्ट बाध्य नहीं होगा। (iii) संबंधित यूनिट प्रमाणपत्र और ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित शुल्क के साथ अंतरण संबंधी लिखतें इस प्रयोजन के लिए नियुक्त रजिस्ट्रार के किसी कार्यालय में प्रस्तुत की जाएंगी। अंतरण को उस	9. यूनिटों का अंतरण/ उन्हें गिरवी रखना/ उनका समनुदेशन: a) अंतरण की सुविधा : निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर लेखा-विवरण के तहत आने वाले यूनिट अंतरणीय नहीं हैं। परन्तु सतत खुली योजना होने के कारण, बिक्री /पुनर्खरीद की सुविधा *एन ए वी / एन ए वी* आधारित मूल्य पर सतत आधार पर उपलब्ध है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति विधि के परिचालन द्वारा अथवा गिरवी लागू करने पर (जैसाकि नीचे (ख) में दिया गया है) अथवा मृत्यु, दिवालियेपन या एकमात्र धारक के कार्यों के समापन के कारण अथवा संयुक्त धारको के उत्तरजीवी के रूप में यूनिटों का धारक बन जाए, तो ट्रस्ट की राय में पर्याप्त समझे जाने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर ट्रस्ट अंतरण को लागू करेगा बशर्ते आशयित अंतरिती अन्यथा यूनिट रखने के लिए पात्र हो। गैर-सूचीबद्धता संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने तक 26/4/2000 के पहले जारी किये गये और बकाया रहने वाले यूनिटों के अंतरण की अनुमति दी जाएगी। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी (एन एस डी एल) के पास निर्भौतिकीकृत किये गये यूनिटों के मामले में अंतरण

	स्थिति में पंजीकृत नहीं किया जाएगा, यदि उसके पंजीकरण के फलस्वरूप अंतरणकर्ता या अंतरिती के पास न्यूनतम संख्या में यूनिट अर्थात् 500 यूनिट और उसके बाद 100 के गुणजों में यूनिट शेष नहीं रहते ।	की सुविधा तव तक उपलब्ध रहेगी जब तक निक्षेपागार से उन्हें हटाने की औपचारिकताएं पूरी न कर ली जाएं । ख) यूनिटों को गिरवी रखना/ उनका समनुदेशन:
	(iv) ट्रस्ट के किसी कार्यालय में प्रस्तुत या स्वीकृत कोई अंतरण विलेख रजिस्ट्रार के पास भेज दिया जाएगा । (v) अंतरण के प्रत्येक लिखत पर अंतरणकर्ता एवं अंतरिती द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे तथा अंतरणकर्ता को तब तक यूनिटों का धारक माना जाता रहेगा, जब तक रजिस्ट्रार द्वारा यूनिटधारकों के रजिस्टर में अंतरिती का नाम शामिल नहीं कर लिया जाता । (vi) रजिस्ट्रार अंतरणकर्ता के हक या यूनिट अंतरित करने के उसके अधिकार के समर्थन में आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी साक्ष्य की मांग कर सकते हैं । (vii) रजिस्ट्रार आवश्यक समझी गयी अपेक्षाओं का अनुपालन किये जाने की शर्त पर खो गये, चोरी हो गये या नष्ट हो गये मूल यूनिट प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा को अभिमुक्त कर सकते हैं ।	सदस्य ऋण लेने के लिए बैंक/ अन्य वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में यूनिटों को गिरवी रख सकते हैं / उनको समनुदेशित कर सकते हैं । ट्रस्ट द्वारा अपेक्षित फार्म भरकर/ औपचारिकताएं पूरी करके यूनिटों को गिरवी रखा जा सकता है ।ट्रस्ट गिरवी रखे गये यूनिटों पर गिरवी/ प्रभार/ ग्रहणाधिकार दर्ज करेगा । गिरवी रखने वाला व्यक्ति इस प्रकार गिरवी रखे गये यूनिटों का मोचन तब तक नहीं कर सकता, जब तक वे बैंक / वित्तीय संस्थाएं, जिन्हें यूनिट गिरवी रखे गये हैं, ट्रस्ट को लिखित रूप में इस बात के लिए प्राधिकृत नहीं कर देतीं कि गिरवी/ प्रभार/ ग्रहणाधिकार हटा लिया जाए । यूनिटों के गिरवी रखे रहने तक गिरवीदार बैंक / वित्तीय संस्थाओं को ऐसे यूनिटों का मोचन करने का पूरा अधिकार होगा । ग) 26/4/2000 के पहले जारी किये गये यूनिटों का उनके गैर-सूचीबद्ध होने तक अंतरण
	(viii) यूनिटों के अंतरण का पंजीकरण होने तक अंतरण की सभी लिखतें और यूनिट प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार द्वारा रखे जा	26/4/2000 के पहले जारी किये गये / बेचे गये और बकाया रहने वाले यूनिटों का अंतरण, उनके गैर-सूचीबद्ध होने तक, जैसा कि ऊपर खण्ड 7 में उल्लेख किया गया है, निम्नानुसार होगा :

	सकते हैं । (ix) अंतरण को मान्यता देने वाले एवं उसका पंजीकरण करने वाले रजिस्ट्रार अंतरण के संबंध में देय प्रभार अदा किये जाने और उनकी वसूली होने पर अंतरिती को मूल या नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं । (x) यदि अंतरिती शासकीय क्षमता में विधि के परिचालन द्वारा अथवा यदि गिरवी लागू करने पर कोई अनुसूचित बैंक यूनिटों का धारक बन जाए, तो रजिस्ट्रार उनकी राय में पर्याप्त समझे जाने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर अंतरण को लागू करेंगे बशर्ते आशयित अंतरिती अन्यथा पात्र हो । (xi) इसमें इसके पहले उल्लिखित प्रावधानों की शर्त पर ट्रस्ट अंतरण का पंजीकरण करेगा तथा संबंधित अंतरण लिखत के साथ यूनिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अंतरिती को आय वारंट, यदि कोई हो, के साथ यूनिट प्रमाणपत्र वापस कर देगा । संयुक्त अंतरितियों के मामले में, यूनिट प्रमाणपत्र पहले धारक को भेजा जाएगा तथा यूनिट प्रमाणपत्र के संबंध में भविष्य में सभी अदायगियां सिर्फ पहले धारक के नाम में ही की जाएंगी । निक्षेपागार (डिपोजिटरी) के रूप में यूनिट रखने वाले व्यक्ति द्वारा दूसरे	(i) अंतरणकर्ताओं और अंतरितियों द्वारा और के बीच ही, जो यूनिट रखने के लिए सक्षम हों, अंतरण किया जा सकता है । किसी अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए ट्रस्ट बाध्य नहीं होगा । (ii) संबंधित यूनिट प्रमाणपत्र के साथ सम्यक् रूप से स्टांपित निर्धारित अंतरण विलेख इस प्रयोजन के लिए नियुक्त रजिस्ट्रार के किसी कार्यालय में प्रस्तुत की जाएंगी । परन्तु यह कि विशेष परिस्थितियों में ट्रस्ट अंतरण लिखत के बिना इन शर्तों पर यूनिटों के अंतरण की अनुमति दे सकता है कि अंतरिती ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट सबूत पेश करेगा । (iii) ट्रस्ट के किसी कार्यालय में प्रस्तुत या उसके किसी कार्यालय द्वारा स्वीकृत सम्यक् रूप से स्टांपित एवं निष्पादित अंतरण विलेख के साथ प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार के निकटतम कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा । (iv) अंतरण के प्रत्येक लिखत पर अंतरणकर्ता (संयुक्त धारिता के मामले में सभी अंतरणकर्ताओं)एवं अंतरिती (संयुक्त खरीद के मामले में सभी अंतरितियों) द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे तथा अंतरणकर्ता को तब तक यूनिटों का धारक माना जाता रहेगा, जब तक रजिस्ट्रार द्वारा सदस्यों के रजिस्टर में

	व्यक्ति को अथवा दूसरे व्यक्ति के द्वारा निक्षेपागार के रूप में यूनिट रखने वाले व्यक्ति को यूनिटों का अंतरण किये जाने के मामले में, ऐसे नियमों / विनियमों के अनुसार अंतरण किया जाएगा जो निक्षेपागार के रूप में रखी गयी प्रतिभूतियों पर लागू हों।	अंतरिती का नाम शामिल नहीं कर लिया जाता। (v) रजिस्ट्रार अंतरणकर्ता के हक या यूनिट अंतरित करने के उसके अधिकार के समर्थन में आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी साक्ष्य की मांग कर सकते हैं। (vi) रजिस्ट्रार आवश्यक समझी गयी अपेक्षाओं का अनुपालन किये जाने की शर्त पर तथा अपने विवेक पर खो गये, चोरी हो गये या नष्ट हो गये मूल यूनिट प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा को अभिमुक्त कर सकते हैं। (vii) यूनिटों के अंतरण का पंजीकरण होने पर अंतरण की सभी लिखतें और रद्द किया गया यूनिट प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार द्वारा रखे जा सकते हैं। (viii) अंतरण को मान्यता देने वाला तथा उसका पंजीकरण करने वाला रजिस्ट्रार अंतरिती को लेखा-विवरण जारी करेगा। (ix) विशेष परिस्थितियों में, किसी कंपनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा अन्य कंपनी या निगमित निकाय या व्यक्ति / व्यक्तियों, जिनमें से कोई भी अवयस्क न हो, के साथ यूनिट रखे जाने पर ट्रस्ट विचार करेगा। (x) इसमें इसके पहले उल्लिखित

		प्रावधानों की शर्त पर ट्रस्ट अंतरण का पंजीकरण करेगा तथा संबंधित अंतरण लिखत के साथ यूनिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अंतरिती को लेखा-विवरण जारी कर देगा। संयुक्त अंतरितियों के मामले में, यूनिट प्रमाणपत्र / लेखा-विवरण पहले सदस्य को भेजा जाएगा तथा धारिता के संबंध में सभी अदायगियां सिर्फ पहले धारक के नाम में ही की जाएंगी।
योजना का समापन IV (11) (x)	अनिवासी निवेशकों के मामले में, पुनर्खरीद / परिपक्वता राशियां निवेश संबंधी निम्नलिखित स्रोत के अनुसार प्रेषित की जाएंगी : क. जब विदेश से प्रेषित विदेशी मुद्रा से या यूनिटधारक की एफ सी एन आर जमाराशियों से या यूनिटधारक के भारत स्थित अनिवासी (बाह्य) खाते में रखी गयी निधियों से यूनिटों की खरीद की गयी हो, तो सदस्य को आगमराशियां विदेशी मुद्रा में प्रेषित की जा सकती हैं। ख. जब यूनिटधारक के अनिवासी (साधारण) खाते में रखी गयी निधियों से यूनिटों की खरीद की गयी हो, तो परिपक्वता संबंधी चेक यूनिटधारक के अनिवासी साधारण खाते में जमा किये जाने के लिए भारत में निवेशक के रिश्तेदार के पास भेज दिया जाएगा।	अनिवासी भारतीय निवेशकों के मामले में, पुनर्खरीद राशियां निवेश संबंधी निम्नलिखित स्रोत के अनुसार प्रेषित की जाएंगी :- क) जब विदेश से प्रेषित विदेशी मुद्रा से या सदस्य की एफ सी एन आर जमाराशियों से या सदस्य के भारत स्थित बैंक के अनिवासी (बाह्य) खाते में रखी गयी निधियों से यूनिटों की खरीद की गयी हो, तो सदस्य को आगमराशियां विदेशी मुद्रा में प्रेषित की जा सकती हैं, अथवा उसे उनके अनिवासी बाह्य या अनिवासी साधारण खाते में जमा किया जा सकता है अथवा भारत में उनके रिश्तेदार को अदा किया जा सकता है। ख) जब आवेदक के भारत में निवासी रहने के दौरान अथवा सदस्य के अनिवासी साधारण खाते में रखी गयी निधियों से यूनिटों की खरीद की गयी हो, तो परिपक्वता राशियां या तो निवेशक के अनिवासी साधारण खाते में जमा किये जाने के लिए भारत में

		उसके बैंकर के पास प्रेषित की जा सकती हैं, अथवा उसे भारत में उनके रिश्तेदार के पास भेजा जा सकता है ।
योजना का समापन IV (11) (xi)	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है ।	विदेशी संस्थागत निवेशकों के मामले में, पुनर्खरीद/ मोचन संबंधी राशियां उनके विशेष अनिवासी रूपया खाते में प्रेषित की जाएंगी ।
व्यय V (घ)	प्रशासनिक व्यय - 0.65%, अभिरक्षा शुल्क - 0.50%,	प्रशासनिक व्यय - 0.95%, अभिरक्षा शुल्क - 0.20%,
व्यय V (ङ) पहला पैरा	हर वर्ष दैनिक औसत निवल आस्ति मूल्य का 0.25% ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) के प्रति अंशदान के रूप में अलग रखा जाएगा । विकास प्रारक्षित निधि के प्रति अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा ।	योजना के दैनिक औसत निवल आस्ति मूल्य के 0.25% के बराबर की राशि प्रति वर्ष ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) के प्रति अंशदान के रूप में अलग रखी जाएगी । विकास प्रारक्षित निधि के प्रति अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा ।
व्यय V (च) पहला वाक्य	हर वर्ष दैनिक औसत निवल आस्ति मूल्य का 0.10% स्टाफ कल्याण निधि के प्रति अंशदान के रूप में अलग रखा जाएगा ।	योजना के दैनिक औसत निवल आस्ति मूल्य के 0.10% के बराबर की राशि प्रति वर्ष स्टाफ कल्याण निधि के प्रति अंशदान के रूप में अलग रखी जाएगी ।
यूनिटों की बिक्री VI (1)	यूनिटों का बिक्री मूल्य एन ए वी (पिछला)होगा, जिसका निर्धारण दैनिक आधार पर किया जाएगा । ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री की संविदा स्वीकृति की तारीख को पूरी हो गयी मानी जाएगी । बिक्री की संविदा इस तरह पूरी हो जाने पर ट्रस्ट तदुपरांत यथाशीघ्र आवेदक को यूनिट प्रमाणपत्र, यदि अपेक्षित हो, जारी करेगा । ट्रस्ट द्वारा पात्र संस्था, फर्म या निगमित निकाय को यदि यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया तो वह पात्र संस्था / फर्म / निगमित निकाय के नाम में होगा । ट्रस्ट द्वारा इस प्रकार	1. बिक्री संविदा/ लेखा विवरण जारी करना क) यूनिटों का बिक्री मूल्य आवेदन की स्वीकृति की तारीख की समाप्ति पर मौजूद एन ए वी होगा । ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री की संविदा स्वीकृति की तारीख को पूरी हो गयी मानी जाएगी । बिक्री की संविदा इस तरह पूरी हो जाने पर ट्रस्ट तदुपरांत यथाशीघ्र आवेदक को लेखा-विवरण जारी करेगा । ट्रस्ट द्वारा पात्र संस्था, फर्म या निगमित निकाय को जारी किया गया लेखा-विवरण पात्र संस्था / फर्म / निगमित निकाय के नाम में होगा ।

	प्रेषित यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, नुकसान हो जाने, गलत सुपुर्दगी हो जाने या सुपुर्दगी न होने पर ट्रस्ट की कोई देयता नहीं होगी । ट्रस्ट आवेदन की स्वीकृति की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर यूनिट प्रमाणपत्र भेज देगा। तथापि, यूनिटों को निक्षेपागार (डिपोजिटरी) के रूप में रखे जाने पर कोई यूनिट प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा ।	ट्रस्ट द्वारा इस प्रकार प्रेषित के खो जाने, नुकसान हो जाने, गलत सुपुर्दगी हो जाने या सुपुर्दगी न होने पर ट्रस्ट की कोई देयता नहीं होगी । ख) किसी दिन 2 बजे अपराह्न तक ट्रस्ट के शाखा कार्यालयों में बिक्री / पुनर्खरीद के लिए प्राप्त और स्वीकृत अथवा रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्राप्त [कृपया II (क) देखें] सभी आवेदनों के संबंध में उसी दिन का एन ए वी लागू होगा । 2 बजे अपराह्न के बाद प्राप्त और स्वीकृत सभी आवेदनों पर अगले कारोबारी दिवस का एन ए वी लागू होगा । ग) संस्थाओं के आवेदन अपेक्षित दस्तावेज़ों सहित ट्रस्ट के कार्यालयों में ही स्वीकार किये जाएंगे । घ) ट्रस्ट आवेदन की स्वीकृति की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर लेखा-विवरण भेज देगा ।
यूनिटों की बिक्री VI (2) (ii) पहले दो वाक्य	यदि अदायगी चेक द्वारा की जाए, तो ऐसे चेक की वसूली की शर्त पर, स्वीकृति की तारीख वह तारीख होगी, जिस दिन ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत वसूली केन्द्र द्वारा आवेदन प्राप्त किया गया हो । यदि अदायगी ड्राफ्ट द्वारा की जाए, तो ऐसे ड्राफ्ट की वसूली की शर्त पर, स्वीकृति की तारीख वह तारीख होगी, जिस	यदि अदायगी चेक / ड्राफ्ट द्वारा की जाए, तो ऐसे आवेदन की स्वीकृति चेक / ड्राफ्ट की वसूली की शर्त पर होगी । अनिवासी भारतीयों को अधिमानत: एनआरआई शाखा, मुम्बई में या ट्रस्ट के किसी भी शाखा कार्यालय में अनिवासी (बाह्य) / अनिवासी (साधारण) चेक अथवा आवेदन प्रस्तुत किये जाने के स्थान पर देय रुपया ड्राफ्ट के साथ अपने आवेदन प्रस्तुत

	दिन शाखा कार्यालय या प्राधिकृत वसूली केन्द्र द्वारा आवेदन प्राप्त किया गया हो ।	करने चाहिए । विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किसी नामित बैंक / प्राधिकृत व्यपारी, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुमोदित किया हो, के पास रखे गये विशेष अनिवासी रुपया खाता में नामे डालकर अदायगी करते हुए निवेश किया जाएगा ।
यूनिटों की बिक्री VI (2) (iii) और (iv)	iii) पुन:प्रत्यावर्तन लाभों सहित निवेश की विधि अनिवासी भारतीयों / विदेशी निगमित निकायों द्वारा किये गये निवेशों में निविष्ट पूंजी और उस पर अर्जित आय एवं पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) के पुन:प्रत्यावर्तन का अधिकार होगा, जब तक कि निवेशक भारत के बाहर का निवासी बना रहे । इन मामलों में निवेश निम्नलिखित में से किसी एक विधि से किया जा सकता है : (क) विदेशी मुद्रा में ड्राफ्ट (ख) विदेशी बैंकों / विनिमय गृह द्वारा उनके भारतीय संपर्की बैंकों पर आहरित यूटीआई के पक्ष में रुपये में जारी ड्राफ्ट । (ग) भारत स्थित बैंक में रखे गये निवेशक के अनिवासी बाह्य खाते पर आहरित चेक द्वारा । (घ) विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाराशियों की आगमराशियों से जारी	iii) पुन:प्रत्यावर्तन लाभों सहित अनिवासी भारतीय द्वारा किये गये निवेश के लिए अदायगी की विधि अनिवासी भारतीयों / विदेशी निगमित निकायों द्वारा किये गये निवेशों में निविष्ट पूंजी और उस पर अर्जित आय एवं पूंजी वृद्धि के पुन:प्रत्यावर्तन का अधिकार होगा, जब तक कि निवेशक भारत के बाहर का निवासी बना रहे । इन मामलों में निवेश निम्नलिखित में से किसी एक विधि से किया जा सकता है : (क) भारत के बाहर कार्यरत बैंक / विनिमय गृह द्वारा उनके भारतीय संपर्की बैंकों पर आहरित ट्रस्ट के पक्ष में रुपये में जारी ड्राफ्ट । (ख)भारत स्थित बैंक में रखे गये निवेशक के अनिवासी बाह्य खाते पर आहरित चेक द्वारा । (ग) निवेशक की विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाराशियों की आगमराशियों से जारी चेक / ड्राफ्ट द्वारा ।

	चेक / ड्राफ्ट द्वारा । इसके अलावा, नेपाली तथा भूटानी मुद्राओं में अदायगी स्वीकार नहीं की जाती । यूनिटों में निवेश रुपयों में किया जाता है, विदेशी मुद्रा के सभी ड्राफ्टों को भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाता है, जिस पर ऐसे परिवर्तन के समय मौजूद विनिमय दर लागू होती है । कमी, यदि कोई हो, का प्रेषण अनिवासी भारतीय निवेशकों द्वारा किया जाएगा । उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए यह परामर्श दिया जाता है कि अनिवासी भारतीय/ विदेशी निगमित निकायों के निवेशक उक्त (ख) और (ग) में उल्लिखित लिखतों द्वारा अदायगी करें । iv) *पुन:प्रत्यावर्तन लाभों के बिना निवेश की विधि* जहां अनिवासी साधारण खाते में रखी गयी निधियों का उपयोग यूनिटों की खरीद के लिए किया गया हो, उन मामलों में इस प्रकार निविष्ट निधियां तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो), भारत के बाहर पुन:प्रत्यावर्तन के लिए पात्र नहीं होंगी । तथापि, 19 अगस्त 1994 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र	नोट: नेपाली तथा भूटानी मुद्राओं में अदायगी स्वीकार नहीं की जाती । iv) पुन:प्रत्यावर्तन लाभों के बिना अनिवासी भारतीय द्वारा किये गये निवेश के लिए अदायगी की विधि क) जहां अनिवासी साधारण खाते में रखी गयी निधियों का उपयोग यूनिटों की खरीद के लिए किया गया हो, उन मामलों में इस प्रकार निविष्ट निधियां तथा पूंजी वृद्धि (यदि कोई हो), भारत के बाहर पुन:प्रत्यावर्तन के लिए पात्र नहीं होंगी । इसी तरह, निवेशक के भारत में निवासी रहते हुए उसके द्वारा रुपयों में खरीदे गये यूनिटों में किये गये निवेश बाद में उसके अनिवासी बनने पर यूनिटों की बिक्री की आगमराशियों के पुन:प्रत्यावर्तन के लिए पात्र नहीं होंगे । ख) 19 अगस्त 1994 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र ए.डी.(एम.ए. श्रृंखला) सं.18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान और उसके बाद अर्जित समग्र आय का वितरण पूर्ण पुन:प्रत्यावर्तन लाभ के लिए पात्र होगा । ऐसे मामलों में अनिवासी साधारण खाते में जमा किये जाने के लिए ट्रस्ट रुपयों में अदायगी करेगा । निवेशक यदि यूनिटों पर किये गये आय वितरण को विदेश में प्रेषित करना चाहते हों तो वे कृपया अपने बैंकों / कर परामर्शदाताओं से सलाह लें ।

	(ए.डी.एम.ए. शृंखला) सं.18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान और उसके बाद अर्जित समग्र आय पूर्ण पुन:प्रत्यावर्तन लाभ के लिए पात्र होगी । जहां ऐसे मामलों में अनिवासी साधारण खाते में जमा किये जाने के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट रुपयों में अदायगी करेगा, वहीं निवेशकों को सूचित किया जाता है कि यदि वे यूनिटों पर अर्जित आय को प्रेषित करना चाहते हों तो कृपया अपने बैंकों/ कर परामर्शदाताओं से संपर्क करें ।	
यूनिटों की बिक्री VI (4) (i)	आवेदन 500 यूनिटों के न्यूनतम निवेश से कम के लिए प्राप्त हो ।	आवेदन प्रति फोलियो आरंभिक निवेश और उसके बाद के निवेशों के संबंध में क्रमश: रु.5000/- और रु.1000/- के न्यूनतम निवेश से कम के लिए प्राप्त हो ।
यूनिटों की बिक्री VI (6)	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है ।	सदस्यों द्वारा नामांकन (क) नामांकन की सुविधा अकेले या संयुक्त रूप से दो तक आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध है । (ख) सिर्फ एक व्यक्ति को नामांकित किया जा सकता है । (ग) अनिवासी अवयस्क सहित अवयस्कों को नामांकित किया जा सकता है। (घ) अनिवासी भारतीयों का नामांकन समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक

		द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं की शर्त पर है । (ङ) निवेश चालू रहने के दौरान कभी भी नामांकन को बदला जा सकता है । (च) अवयस्क के माता-पिता या विधिक अभिभावक, हिन्दू अविभक्त परिवार, फर्म, समिति, पात्र संस्था, बैंक, कंपनी और वित्तीय संस्था के रूप में आवेदन करने वाले आवेदकों को नामांकन करने का कोई अधिकार नहीं है । (छ) अन्य प्रावधान विनियमों में किये गये प्रावधानों के अनुसार होंगे । (ज) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 39क के अंतर्गत सदस्य को सांविधिक नामांकन की सुविधा उपलब्ध है तदनुसार, जहां भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली, 1964 के अनुसार किसी यूनिट के संबंध में नामांकन किया गया हो, वहां सदस्य(यों) की मृत्यु हो जाने पर यूनिट नामिती में निहित होगा तथा नामिती को इस प्रकार निहित यूनिट के संबंध में लेखा-विवरण जारी किया जाएगा, जो विनियमावली में किये गये प्रावधानों के अनुसार ऐसे यूनिटों के प्रति एवं उनके संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के किसी अधिकार, हक़, दावे या अन्य हित की शर्त पर तथा ऐसे यूनिटों पर किसी भार या अवभार की शर्त पर होगा । उक्त

		प्रकार से ट्रस्ट द्वारा किये गये पारेषण (Transmission) से उक्त यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट सभी देयता से पूर्णत: मुक्त हो जाएगा ।
यूनिटों की पुनर्खरीद VII (1) का तीसरा पैरा	सम्यक् रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर पुनर्खराद किया जाएगा ।आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति इस शर्त पर होगी कि यूनिटधारक प्रति फोलियो न्यूनतम 500 यूनिट शेष रखें ।	नवीनतम लेखा-विवरण या सम्यक् रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त होने पर पुनर्खराद किया जाएगा । आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति इस शर्त पर होगी कि सदस्य प्रति फोलियो न्यूनतम रु.5000, जिसकी गणना पुनर्खरीद आवेदन की स्वीकृति की तारीख को लागू पुनर्खरीद मूल्य पर की जाएगी, की शेषराशि रखें ।
यूनिटों की पुनर्खरीद VII (3)	अनिवासी निवेशकों के मामले में, पुनर्खरीद की आगमराशियां निवेश संबंधी स्रोत पर निर्भर रहते हुए निम्नानुसार प्रेषित की जाएंगी : (1) जब विदेश से प्रेषित विदेशी मुद्रा से / यूनिटधारक की एफ सी एन आर जमाराशियों से जारी चेक / ड्राफ्ट से या यूनिटधारक के भारत स्थित अनिवासी (बाह्य) खाते में रखी गयी निधियों से यूनिटों की खरीद की गयी हो, तो यूनिटधारक को आगमराशियां विदेशी मुद्रा में प्रेषित की जा सकती हैं (विनिमय दर में हुई घटबढ़ का वहन यूनिटधारक करेगा) अथवा यूनिटधारक के अनिवासी (बाह्य) खाते में जमा किये जाने के लिए भारत में स्थित यूनिटधारक के रिश्तेदार के पास भेजा जा सकता है बशर्ते वह विदेश में निवासी बना रहे । यदि यूनिटधारक चाहे तो इसे उसके	अनिवासी निवेशकों के मामले में, पुनर्खरीद की आगमराशियां निवेश संबंधी स्रोत पर निर्भर रहते हुए निम्नानुसार प्रेषित की जाएंगी :- क) जब विदेश से प्रेषित विदेशी मुद्रा से अथवा सदस्य की एफ सी एन आर जमाराशियों से अथवा सदस्य के भारत स्थित बैंक के अनिवासी (बाह्य) खाते में रखी गयी निधियों से यूनिटों की खरीद की गयी हो, तो सदस्य को आगमराशियां विदेशी मुद्रा में प्रेषित की जा सकती हैं अथवा उसे अनिवासी (बाह्य) या अनिवासी साधारण खाते में जमा किया जा सकता है अथवा भारत में उसके रिश्तेदार को अदा किया जा सकता है । ख) जब आवेदक के भारत में निवासी रहने के दौरान अथवा सदस्य के अनिवासी साधारण खाते में रखी गयी

	अनिवासी (साधारण) खाते में जमा किये जाने के लिए भी भेजा जा सकता है । (ii) जब यूनिटधारक के अनिवासी (साधारण) खाते में रखी गयी निधियों से यूनिटों की खरीद की गयी हो, तो आगमराशियां यूनिटधारक के अनिवासी साधारण खाते में जमा किये जाने के लिए भारत में यूनिटधारक के रिश्तेदार के पास भेज दी जाएंगी ।	निधियों से यूनिटों की खरीद की गयी हो, तो पुनर्खरीद राशियां या तो निवेशक के अनिवासी साधारण खाते में जमा किये जाने के लिए भारत में उसके बैंकर के पास प्रेषित की जा सकती हैं, अथवा उसे भारत में निवेशक के रिश्तेदार के पास भेजा जा सकता है ।
यूनिटों की पुनर्खरीद VII (4)	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है ।	विदेशी संस्थागत निवेशकों के मामले में, पुनर्खरीद संबंधी आगमराशियां उनके विशेष अनिवासी रुपया खाते में जमा की जाएंगी या उसे सेबी/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार प्रेषित किया जाएगा ।
यूनिटों की पुनर्खरीद VII (5)	यूनिटों की वापस-खरीद: योजना के प्रावधानों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी; (क) यूनिटों का भाव उसके एन ए वी के 10% या उससे भी कम पर उद्धृत होने पर ट्रस्ट बाजार से प्रचलित दर पर योजना के अंतर्गत आने वाले यूनिटों की वापस-खरीद कर सकता है । (ख) एक समग्र सीमा के तौर पर ट्रस्ट किसी वित्तीय वर्ष में योजना के अंतर्गत जारी यूनिट पूंजी के 25% तक की वापस-खरीद कर सकता है । वापस-खरीद किये गये यूनिटों का मोचन कर लिया जाएगा ।	यूनिटों की वापस-खरीद: योजना के प्रावधानों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी जब तक यूनिट पूंजी का कोई भाग किसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध रहता है; (क) यूनिटों का भाव उसके एन ए वी के 10% या उससे भी कम पर उद्धृत होने पर ट्रस्ट बाजार से प्रचलित दर पर ऐसे यूनिटों की वापस-खरीद कर सकता है । (ख) एक समग्र सीमा के तौर पर ट्रस्ट किसी वित्तीय वर्ष में योजना के अंतर्गत जारी ऐसी यूनिट पूंजी के

	स्पष्टीकरण: 1) "बाजार" से कोई भी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार अभिप्रेत है, जिसमें योजना के अंतर्गत आने वाले यूनिट सूचीबद्ध किये गये हों । 2) "प्रचलित भाव" से ट्रस्ट के द्वारा यूनिटों की वापस-खरीद करते समय मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों में प्रचलित यूनिटों का बाजार भाव अभिप्रेत है ।	25% तक की वापस-खरीद कर सकता है । वापस-खरीद किये गये यूनिटों को निर्वापित (extinguish) कर दिया जाएगा । *स्पष्टीकरण* (i) "बाजार" से कोई भी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार अभिप्रेत है, जिसमें योजना के अंतर्गत आने वाले यूनिट सूचीबद्ध किये गये हों । (ii) "प्रचलित भाव" से ट्रस्ट के द्वारा यूनिटों की वापस-खरीद करते समय मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों में प्रचलित यूनिटों का बाजार भाव अभिप्रेत है ।
	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है ।	VII (6) स्विचओवर (Switchover) (i) योजना के अंतर्गत सदस्यों को इस योजना से ऐसी अन्य योजनाओं में या अन्य योजनाओं से इस योजना में अपने निवेश के स्विचओवर की अनुमति होगी । ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर ऐसी अनुमति दी जा सकती है । ऐसी स्थिति में वे अपना नवीनतम लेखा-विवरण / सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र, जैसी स्थिति हो, प्रस्तुत कर स्विचओवर के लिए आवेदन कर सकते हैं । (ii) स्विचओवर एन ए वी या एन ए वी पर आधारित मूल्य पर प्रभावी होगा, जिसका निर्णय ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा । (iii) इस योजना से ऐसी अन्य योजनाओं में या अन्य योजनाओं से इस योजना में ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर घोषित आंशिक स्विचओवर में दोनों योजनाओं के अंतर्गत न्यूनतम सीमा

		तक निवेश रखने की शर्त पूरी होनी चाहिए। यूनिट प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, ट्रस्ट द्वारा रद्द किये जाने के लिए रख लिया जाएगा तथा सदस्य को दोनों योजनाओं के लिए नये लेखा-विवरण जारी किये जाएंगे। (iv) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईए/54 ईबी का लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए योजना में किये गये निवेश का स्विचओवर क्रमश: 3 और 7 वर्ष की लॉक-इन अवधि की समाप्ति के पूर्व करने की अनुमति नहीं होगी।
VIII. आय और वितरण	(क) योजना के अंतर्गत प्राप्त आय तथा उसके अंतर्गत हुए व्यय पर निर्भर रहते हुए ट्रस्ट योजना के अंतर्गत आय वितरित कर या नहीं कर सकता है। (ख) ट्रस्ट आवश्यक समझे गये अनुसार आय वितरण कर सकता है तथा वह वितरित न की गयी आय में से उचित समझी गयी राशि एक या अधिक प्रारक्षित निधियों में अंतरित कर सकता है। जिन प्रारक्षित निधियों को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु निश्चित न किया गया हो, उनका उपयोग यूनिटधारकों के लाभ के लिए ही किया जाएगा।. (ग) प्रत्येक वर्ष 30 जून को योजना की वार्षिक लेखाबंदी के बाद यथाशीघ्र यूनिटधारकों को आय वितरण किया जाएगा। (घ) जिन यूनिटधारकों के नाम	आय का वितरण (क) यद्यपि योजना का उद्देश्य वृद्धि है, तथापि समय-समय पर योजना के तहत आय वितरित किया जा सकता है। (ख) जिन सदस्यों के नाम योजना द्वारा आय वितरण की घोषणा के पूर्व बहियों की लेखाबंदी के समय सदस्यों के रजिस्टर में शामिल हों, वे योजना के अंतर्गत इस प्रकार वितरित आय प्राप्त करने के हकदार होंगे। (ग) योजना द्वारा वितरित आय ईसीएस, जहां-कहीं ऐसी सुविधा उपलब्ध हो, के माध्यम से अथवा बैंक/बैंकों के साथ पूर्व-अदायगी व्यवस्थाओं के तहत ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक/बैंकों की शाखाओं में भुगतान-योग्य चेक या वारंट द्वारा अदा की जाएगी। (घ) आय वितरण की घोषणा के मामले में, आय वितरण वारंट आय

	योजना द्वारा आय वितरण की घोषणा के पूर्व बहियों की लेखाबंदी के समय यूनिटधारकों के रजिस्टर में शामिल हों, वे इस प्रकार वितरित आय प्राप्त करने और रखने के हकदार होंगे । (ङ) यदि यूनिटधारक ने आय वितरण की घोषणा के पहले यूनिट अंतरित कर दिये हों तथा अंतरण प्रभावी न हुआ हो, तो अंतरिती बाद में तब तक आय वितरण का हकदार नहीं होगा जब तक अंतरिती आय वितरण की घोषणा के पहले लेखाबंदी के 30 दिन पूर्व रजिस्ट्रार के पास अंतरण दस्तावेज़ प्रस्तुत न कर दे । (च) वितरित आय की अदायगी मास्टरप्लस स्कीम द्वारा उपयुक्त अदायगी सुविधाओं वाले बैंकरों पर आहरित चेक या वारंट के माध्यम से की जाएगी । (छ) यूनिटधारक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह जिन यूनिटों का धारक है उनके संबंध में योजना द्वारा घोषित और वितरित आय प्राप्त करे भले ही उसने प्रतिफल के लिए उन यूनिटों को पहले ही अंतरित कर दिया हो जब तक कि अंतरणकर्ता से आय का दावा करने वाला अंतरिती आय देय होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अंतरण संबंधी अन्य सभी दस्तावेज़ों के साथ प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे । लाभांश घोषित किये जाने की स्थिति में, आय वितरण वारंट लाभांश	वितरण की घोषणा की तारीख से 42 दिनों के भीतर भेज दिया जाएगा । (ङ)वितरित आय का पुनर्निवेश : सदस्य योजना द्वारा घोषित आय, यदि कोई हो, का पुनर्निवेश और अधिक यूनिटों में करने का विकल्प चुन सकते हैं । ऐसा विकल्प चुनने पर उसके द्वारा धारित यूनिटों पर अर्जित समग्र आय; कर, यदि कोई हो, की कटौती कर; इसमें इसके ऊपर खण्ड VIII (ग) में उल्लिखित रूप में सदस्य को अदा करने के बजाय उसका पुनर्निवेश एन ए वी पर योजना के और यूनिटों में कर दिया जाएगा और उसे उसके फोलियो में जमा कर दिया जाएगा । इस प्रकार राशि जमा किये जाने पर एक नया लेखा-विवरण जारी किया जाएगा । च) निवेशकों के बैंक संबंधी ब्यौरे तथा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा : 1) आय वितरण वारंट/ पुनर्खरीद चेक/ परिपक्वता चेक के कपटपूर्ण नकदीकरण को टालने के लिए सेबी ने निवेशकों के लिए यह अधिदेशात्मक कर दिया है कि वे अपने हित में आवेदन फार्म में उपयुक्त स्थान पर बैंक संबंधी ब्यौरे दें । बैंक के ब्यौरों से रहित आवेदन रद्द कर दिये जाएंगे । तदनुसार, नीचे मद (ii) में दिये गये ग्यारह शहरों से बाहर रहने वाले आवेदकों से अनुरोध है कि वे आवेदन फार्म में उपयुक्त स्थान पर तथा रिकॉर्ड

	को घोषणा की तारीख से 42 दिनों के भीतर प्रेषित कर दिये जाएंगे। (ज) निक्षेपागार (डिपोजिटरी) के रूप में यूनिट रखने वाले यूनिटधारकों को समय-समय पर बनाये गये नियमों / विनियमों के अनुसार आय वितरित किया जाएगा।	के लिए पावती वाले अंश पर अपने बैंक खाते के पूरे ब्यौरे (अर्थात् खाते का स्वरूप, खाता क्रमांक तथा बैंक का नाम) प्रस्तुत करें। ऐसी स्थिति में आय वितरण वारंट /पुनर्खरीद चेक इस प्रकार विनिर्दिष्ट सदस्य के खाते में जमा किये जाने के लिए बैंक के ब्यौरों सहित सदस्य के नाम में बनाये जाएंगे और उन्हें प्रेषित किये जाएंगे। ii) वर्तमान में मुम्बई/ कलकत्ता/ चेन्नई/ नई दिल्ली/ अहमदाबाद/ बड़ौदा/ पुणे/ भुवनेश्वर/ बंगलोर/ हैदराबाद/ जयपुर (बाद में अनेक केन्द्र जोड़े/ हटाये जा सकते हैं) से निवेशकों को ईसीएस की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ताकि संबंधित केन्द्रों में उनके बैंक खातों में राशि सीधे जमा की जा सके बशर्ते एक लिखत की राशि रु.5,00,000/- से अधिक न हो। निवेशक को एक विवरण दिया जाएगा, जिसमें उसके बैंक खाते में जमा की गयी राशि के ब्यौरे होंगे। iii) निवेशक के बैंक की शाखा उसके खाते में राशि जमा करेगी तथा जमा की गयी प्रविष्टि को बैंक खाते के पासबुक/ विवरण में "ईसीएस" के नाम से दर्शाया जाएगा।आवेदक से अनुरोध है कि वह आवेदन फार्म में ये ब्यौरे भरें - अपने बैंक का नाम और पता, खाते का स्वरूप और उसका क्रमांक, 9 अंकों का बैंक एवं शाखा (माइकर कोड क्रमांक आदि।

		iv) उक्त शहरों से निवेशकों की पर्याप्त संख्या न होने पर अथवा अन्य किसी कारण से ट्रस्ट "ईसीएस" के माध्यम से आय अदा करने के बजाय बैंक खाते संबंधी ब्यौरों से युक्त आय वारंट जारी करके आय की अदायगी कर सकता है । छ) <u>अनिवासी भारतीय/ विदेशी निगमित निकायों के निवेशकों को आय का वितरण</u> अनिवासी भारतीय/ विदेशी निगमित निकायों के निवेशकों को आय का वितरण विदेशी मुद्रा नियंत्रण संबंधी विनियमों के अनुसार किया जाएगा । आय की अदायगी संबंधी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है: i) वारंट सदस्य के नाम में जारी कर भारत में रहने वाले उसके रिश्तेदार के पास भेजा जा सकता है ताकि उसे सदस्य के अनिवासी बाह्य / अनिवासी साधारण खाते में, जैसी स्थिति हो, जमा किया जा सके । अथवा ii)भारत में रहने वाले रिश्तेदार के नाम में वारंट जारी कर उसके खाते में जमा किये जाने के लिए उसके पास भेजा जा सकता है । ज) मुम्बई में अपना बैंक खाता रखने वाले अनिवासी भारतीय निवेशकों को भी ईसीएस की सुविधा उपलब्ध है । जो

		अनिवासी भारतीय निवेशक अपने निवासी रिश्तेदार के खाते में आय वितरण की राशि जमा कराना चाहते हों, उन्हें उपखण्ड VIII(च) (ii) में दर्शाये गये स्थानों पर ईसीएस की सुविधा प्रदान की जा सकती है । झ) विदेशी संस्थागत निवेशकों के मामले में, आय वितरण की राशि विशेष अनिवासी रुपया खाते में अथवा समय-समय पर सेबी / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार जमा की जाएगी ।
निवेश के उद्देश्य IX (1)	निम्नलिखित को "निवेश के उद्देश्य" से हटा लिया जाएगा तथा तत्संबंधी नवीनतम प्रावधानों को "निवेश संबंधी नीतियां" के तहत उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा । व्युत्पन्न लिखतों में लेन-देन, जब कभी उसकी अनुमति दी जाएगी, इस संबंध में सेबी द्वारा जारी किये जाने वाले प्रस्तावित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा ।सेबी एवं भारत सरकार से प्राधिकार मिलने की शर्त पर भारतीय यूनिट ट्रस्ट, उपयुक्त परिस्थितियों में, निवेश संबंधी नीति, बचाव या जोखिम को न्यूनतम करने के प्रयोजन पूरे करने के लिए प्रयोज्य विनियमों एवं प्रतिपक्षी जोखिम के आकलन की शर्त पर फ्यूचर्स एण्ड ऑप्शन्स और अन्य व्युत्पन्न लिखतों जैसी तकनीकों एवं साधनों का उपयोग, भारतीय बाजार में उनकी अनुमति मिलने पर, कर सकता है । इसके अलावा, प्रयोज्य विनियमों एवं	निवेश संबंधी नीतियां अपेक्षित प्राधिकार मिलने की शर्त पर, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, उपयुक्त परिस्थितियों में, योजना की निवेश संबंधी नीति, बचाव या जोखिम को न्यूनतम करने के प्रयोजन पूरे करने के लिए सेबी द्वारा समय-समय पर किये गये निर्धारणों के अनुसार प्रयोज्य विनियमों एवं प्रतिपक्षी जोखिम के आकलन की शर्त पर फ्यूचर्स एण्ड ऑप्शन्स और अन्य व्युत्पन्न लिखतों जैसी तकनीकों एवं साधनों का उपयोग कर सकता है । (iv)(क) योजना समय-समय पर सेबी द्वारा घोषित प्रतिभूति उधार योजना के अनुसार स्टॉक लेंडिंग कार्यक्रम में भाग ले सकती है । यह कार्य अनुमोदित मध्यस्थ के जरिये किया जाएगा ।

	प्रतिपक्षी जोखिम के आकलन की शर्त पर, योजना द्वारा स्टॉक उधार लिये या दिये जा सकते हैं । *स्टॉक लेंडिंग* :- योजना समय-समय पर सेबी की प्रतिभूति उधार योजना के अनुसार अस्थायी अवधि के लिए ऐसी प्रतिभूतियां उधार दे सकती है जिनमें उसने निवेश किया हो । *विदेशी निवेश* :- योजना समुद्रपारीय/ विदेशी कंपनियों द्वारा जारी एवं विदेश में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में अथवा भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी/ समुद्रपारीय निवेशकों को जारी एवं विदेशी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में समय-समय पर जारी सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे निर्गमों में सीधे अभिदान करके अथवा विदेशी शेयर बाजारों में उनकी खरीद करके निवेश कर सकती है ।	(ख) किसी भी समय पर स्टॉक-लेंडिंग के प्रति योजना का अधिकतम एक्सपोज़र योजना के ईक्विटी पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य के 10% अथवा सेबी द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक होगा । (ग) यदि म्युच्युअल फंडों और ट्रस्ट को स्टॉक उधार लेने की अनुमति दी जाए तो योजना उपयुक्त परिस्थितियों में इस संबंध में सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्टॉक उधार ले सकती है । (घ)योजना समुद्रपारीय/ विदेशी कंपनियों द्वारा जारी एवं विदेश में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में अथवा भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी/ समुद्रपारीय निवेशकों को जारी एवं विदेशी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में समय-समय पर इस संबंध में सेबी / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे निर्गमों में सीधे अभिदान करके अथवा विदेशी शेयर बाजारों में उनकी खरीद करके निवेश कर सकती है ।
मौलिक विशिष्टताएं IX 2 का अंतिम पैराग्राफ	योजना की मौलिक विशिष्टताओं में कोई भी परिवर्तन कम-से-कम तीन चौथाई यूनिटधारकों की सहमति से ही किया जाएगा। साथ ही मौलिक विशिष्टताओं में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में, सहमति न देने वालों को योजना में अपनी धारिताओं के मोचन की अनुमति होगी । बोर्ड समय-समय पर इस योजना में परिवर्धन या अन्यथा	योजना की मौलिक विशिष्टताओं में कोई भी परिवर्तन तभी किया जाएगा यदि : (i) वर्तमान सदस्यों को अलग-अलग पत्र द्वारा सूचित किया जाए तथा (ii) पूरे भारत में परिचालित एक दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र और एक मराठी समाचार पत्र में एक विज्ञापन

	संशोधन कर सकता है और उसमें किया गया कोई भी संशोधन / परिवर्धन शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। किसी संशोधन की स्थिति में सेबी से पूर्वानुमोदन लिया जाएगा।	दिया जाए। (iii) सदस्यों को वर्तमान एन ए वी पर बिना किसी निकासी भार (एग्ज़िट लोड) के योजना से बाहर जाने का विकल्प दिया जाए। बोर्ड समय-समय पर इस योजना में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किया गया कोई भी संशोधन / परिवर्धन भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अनुसार शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। योजना की मौलिक विशिष्टताओं में कोई भी परिवर्तन / संशोधन / आशोधन सेबी के पूर्वानुमोदन से किया जाएगा। अन्य परिवर्तनों / संशोधनों / आशोधनों के संबंध में, जो मौलिक स्वरूप की न हों तथा जिनका निवेशक के हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ रहा हो, सेबी को सूचित किया जाएगा।
निवेश संबंधी नीतियां IX (3) (vii)	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।	योजना द्वारा किसी कंपनी के ईक्विटी शेयरों अथवा ईक्विटी से सम्बद्ध लिखतों में उसके एन ए वी के 10% से अधिक राशि का निवेश नहीं किया जाएगा।
इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन XII (2)	वर्तमान प्रावधानों को अनुबंध III की मद 2 के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।	अनुबंध III की मद 2 देखें।
लेखांकन संबंधी	वर्तमान प्रावधानों को अनुबंध III की मद 3 के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों	अनुबंध III की मद 3 देखें।

नीतियां XIII.	द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है ।	
निवेशों पर लागू कर प्रावधान XIV	वर्तमान प्रावधानों को अनुबंध III की मद 4 के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है ।	अनुबंध III की मद 4 देखें ।
निवेशकों के अधिकार और सेवाएं XV	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है ।	सातवीं मद. योजना की मौलिक विशिष्टताओं में कोई परिवर्तन करते समय निवेशकों को एन ए वी पर अपने यूनिट बेचने की अनुमति देने के अलावा उन्हें अलग-अलग पत्र भेजकर भी सूचित किया जाएगा । वर्तमान मद सं. 7 और 8 को नया क्रमांक 8 और 9 दिया गया है ।
भारतीय यूनिट ट्रस्ट का गठन और प्रबंधन XVI.	अनुबंध III की मद 5 और 6 के अनुसार आंकड़े अद्यतन किये गये ।	अनुबंध III की मद 5 और 6 देखें ।
योजना के लिए अन्य सेवा-प्रदाता XVII.	अनुबंध III की क्रमशः मद 7 और 8 के अनुसार अभिरक्षकों एवं लेखापरीक्षकों संबंधी आंकड़े अद्यतन किये गये ।	अनुबंध III की मद 7 और 8 देखें ।
निवेशकों की शिकायतों का निपटान XVIII	अनुबंध III की मद 9 के अनुसार आंकड़े अद्यतन किये गये ।	अनुबंध III की मद 9 देखें ।
दण्ड, लंबित मुकदमे, निरीक्षणों / अन्वेषणों	2. न्यासी मंडल अथवा किसी न्यासी अथवा प्रमुख कार्मिक सहित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कारोबार संबंधी किसी उल्लेखनीय मुकदमे की कार्यवाही लंबित नहीं है ।	2. न्यासी मंडल अथवा किसी न्यासी अथवा प्रमुख कार्मिक सहित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कारोबार संबंधी किसी उल्लेखनीय मुकदमे की कार्यवाही लंबित नहीं है । भारतीय यूनिट ट्रस्ट,

के प्रमुख निष्कर्ष XIX (2)		न्यासी मंडल अथवा किसी न्यासी अथवा प्रमुख कार्मिक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है । 3. न तो सेबी ने, न ही किसी अन्य विनियामक एजेंसी ने विशिष्ट रूप से यह सूचित किया है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की पद्धतियों एवं परिचालनों में मौजूद किसी कमी को पेशकश दस्तावेज़ में प्रकट किया जाना है । वर्तमान मद 3 को नया क्रमांक 4 दिया गया है ।
अन्य आंकड़े	संघनित वित्तीय सूचना, बीएसई सेंसेक्स की तुलना में निधि का कार्य-निष्पादन, तथा संविभागवार प्रकटीकरण को अद्यतन किया गया है ।	

अनुबंध II

मास्टरशेयर प्लस - समाप्त किये जाने वाले प्रावधान

खण्ड सं.	वर्तमान प्रावधान	टिप्पणियां
प्रमुख बातें सातवीं मद	प्रमुख शेयर बाजारों में सूची-बद्धता।	समाप्त किया गया क्योंकि यूनिट सूची-बद्ध नहीं किये जाएंगे।
परिभाषाएं II (ङ)	'आवेदन' से सभी आवेदकों को यूनिटों की पेशकश के लिए निर्धारित ऐसा आवेदन-पत्र अभिप्रेत है, जिसमें निवेश करने वाली जनता के लिए योजना के अंतर्गत यूनिटों में अभिदान के प्रयोजन के लिए शर्तें निहित होती हैं।	समाप्त किया गया।
परिभाषाएं II (च)	'आवंटन' से इस प्रयोजन के लिए ट्रस्ट द्वारा निर्धारित रूप में वैध आवेदन के प्रति यूनिटों का आवंटन अभिप्रेत है।स्वीकृति की तारीख ही 'आवंटन की तारीख' होगी।	समाप्त किया गया।
परिभाषाएं II (ट)	'मास्टरशेयर प्लस' से इसमें इसके बाद यथापरिभाषित यूनिट और इसमें इसके बाद यथापरिभाषित 'मास्टरशेयर प्लस यूनिट स्कीम' अथवा 'मास्टर प्लस' की पूंजी में आवंटित शेयर या यूनिट अभिप्रेत हैं।	समाप्त किया गया क्योंकि मास्टरप्लस नाम की परिभाषा मद 2 (1).के अंतर्गत पहले ही दी गयी है।
यूनिट और पेशकश IV (5) (I)	(ञ) अन्य कंपनी या निगमित निकाय के साथ एक कंपनी या अन्य निगमित निकाय अथवा एक व्यक्ति या कई व्यक्ति, जिनमें से कोई भी अवयस्क न हो।	समाप्त किया गया क्योंकि ऐसी धारिता की अनुमति अंतरण पर ही दी जाती है।
यूनिटों की बिक्री VI (2) (i) का दूसरा और तीसरा पैरा	तथापि, जहां ट्रस्ट का शाखा कार्यालय / वसूली केन्द्र / फ्रांचाइज कार्यालय हो उससे इतर स्थान से आवेदन करने वाले आवेदक भारतीय बैंक संघ के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ड्राफ्ट के लिए देय प्रभारों की कटौती कर बैंक ड्राफ्ट के साथ ट्रस्ट के शाखा कार्यालय को आवेदन भेजकर आवेदन कर सकते हैं। वसूली केन्द्रों / फ्रांचाइज कार्यालयों को	समाप्त किया गया क्योंकि ड्राफ्ट के प्रभारों का वहन निवेशक द्वारा किया जाएगा।

	इस बात के लिए प्राधिकृत किया गया है कि वे स्थानीय तौर पर देय चेक के साथ अथवा जहां यूटीआई की संबंधित शाखा स्थित हो उस स्थान पर देय डिमांड ड्राफ्ट, जिस स्थिति में आवेदक भारतीय बैंक संघ के दिशा-निर्देशों के अनुसार देय प्रभारों की कटौती कर सकता है, के साथ आवेदन स्वीकार कर सकते हैं, अर्थात् यदि आवेदन की राशि रु.10,000/- है, तो इस राशि के लिए बैंक ड्राफ्ट प्रभार रु.20/- है। इस प्रकार रु.9,980/- (अर्थात् रु.10,000 में से रु.20/- काटकर) ड्राफ्ट तैयार करवाया जा सकता है। ड्राफ्ट कमीशन प्रभार योजना के व्यय का एक हिस्सा होगा। तथापि, जहां ट्रस्ट का अपना शाखा कार्यालय / वसूली केन्द्र / फ्रांचाइज कार्यालय हो, वहां स्थानीय बैंक पर आहरित ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्राप्त होने पर बैंक ड्राफ्ट कमीशन का वहन निवेशक को करना होगा।	
यूनिटों की बिक्री खण्ड VI (2) (ii) का अंतिम वाक्य	यदि आवेदित यूनिटों के लिए अदा की गयी राशि आवेदित यूनिटों के लिए देय राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं हो, तो आवेदक को 100 यूनिटों के गुणजों में (कम-से-कम 500 यूनिट की शर्त पर) कम संख्या में उतने यूनिट जारी किये जाएंगे जितने योजना के अंतर्गत जारी किये जा सकते हों तथा उसे देय शेष-राशि उसकी लागत पर ट्रस्ट द्वारा उपयुक्त समझे गये तरीके से वापस कर दी जाएगी।	समाप्त किया गया क्योंकि यूनिटों का आवंटन दशमलव के तीन अंकों तक किया जाएगा।
यूनिटों की बिक्री खण्ड VI (4) का तीसरा अंतिम वाक्य	यदि आवेदित यूनिटों के लिए अदा की गयी राशि आवेदित यूनिटों के लिए देय राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं हो, तो आवेदक को 100 यूनिटों के गुणजों में (कम-से-कम 500 यूनिट की शर्त पर) कम संख्या में उतने यूनिट जारी किये जाएंगे जितने योजना के अंतर्गत जारी किये जा सकते हों तथा उसे देय शेष-राशि उसकी लागत पर	समाप्त किया गया क्योंकि यूनिटों का आवंटन दशमलव के तीन अंकों तक किया जाएगा।

	ट्रस्ट द्वारा उपयुक्त समझे गये तरीके से वापस कर दी जाएगी ।	
यूनिटों की पुनर्खरीद खण्ड VII (5)		समाप्त किया गया क्योंकि यूनिट सूची-बद्ध नहीं किये जाएंगे ।
निवेश संबंधी उद्देश्य, नीतियां और स्टॉक-लेंडिंग IX (5)	तथापि, निवेश संबंधी नीतियों के खण्ड IX(3), XII (1) और XII (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी *एन ए वी* की गणना, आस्तियों का मूल्यांकन, पुनर्खरीद मूल्य एवं प्रकटीकरण की बारंबारता सेबी (म्युच्युअल फंड) विनियमावली / दिशा-निर्देशों / समय-समय पर सेबी द्वारा जारी किये गये निदेशों के अनुसार होगी ।	मद को समाप्त किया गया । संशोधित मद को अनुबंध I में 'इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन' के अंतर्गत शामिल किया गया ।
सहयोगी लेनदेन तथा उधार XI (1)	योजना द्वारा ट्रस्ट की किसी दूसरी योजना / प्लान में अथवा किसी अन्य म्युच्युअल फंड में कोई शुल्क लगाये बिना निवेश किया जा सकता है, बशर्ते ट्रस्ट की सभी योजनाओं द्वारा किया गया कुल अंतर-योजना निवेश अथवा किसी अन्य आस्ति प्रबंधन कंपनी के प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं में किया गया निवेश ट्रस्ट के निवल आस्ति मूल्य के 5% से अधिक नहीं हो ।.	समाप्त किया गया क्योंकि यूटीआई की एक योजना यूटीआई की दूसरी योजना में निवेश नहीं कर सकती ।

अनुबंध III

मास्टर शेयर प्लस

क्र.सं.	'मानक पेशकश दस्तावेज़' द्वारा अपेक्षित अंतर्वेश

1. **IX (4)**
   ट्रस्ट की योजनाओं में कंपनियों का निवेश एवं इन कंपनियों में ट्रस्ट का निवेश दर्शाने वाली सारणी नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार।

2. <u>XII(2)- इस योजना की आस्तियों का मूल्यांकन</u>

   (क) अवरुद्ध अवधि के अधीन वाले निवेशों, यदि कोई हो, सहित उद्धृत निवेशों परंतु सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर, का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को बाजार में बंद मूल्य पर और उसकी अनुपस्थिति पर मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि में बिल्कुल हाल ही की उपलब्ध दर पर किया जाता है। यदि मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि हेतु, कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोद्धृत निवेश माना जाता है।

   (ख) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां मूल्यांकन तिथि को अंतिम एनएसई बाजार दर पर मूल्यांकित की जाती हैं और इसकी अनुपस्थिति पर मूल्यांकन तिथि से पूर्व 7 दिनों के अंदर उपलब्ध नवीनतम भाव को मूल्यांकन के लिए लिया जाता है। यदि मूल्यांकन की तिथि से सात दिन पूर्व की अवधि हेतु कोई भाव उपलब्ध नहीं हो तो उसे अनोद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां माना जाएगा।

   (ग) उद्धृत डिबेंचरों और बांडों के मामले में, बाजार दर, जो ब्याज सहित है उसे ब्याज तत्त्व, यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया जाता है।

   (घ) शेयरों के अधिकार पात्रता का मूल्यांकन, लाभांश तत्व हेतु बट्टा काटकर, जहां लागू हो बाजार दर पर किया जाता है।

   (ङ) अनोद्धृत अधिमान शेयर/संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर लागत पर लिए जाते हैं।

   (च) अनोद्धृत इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन, जैसे न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित किया जाए, उचित मूल्यांकन आधार पर किया जाता है।

   (छ) अनोद्धृत डिबेंचर, बॉण्ड एवं अंतरणीय नोट न्यासी मंडल के अनुमोदन के साथ भारत सरकार की प्रतिभूतियों (प्रतिफल वक्र) पर प्रतिफल के साथ जुड़ी, का मूल्यांकन परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर किया जाता है।

(ज) अनोद्धृत वारंट, अंतरनिहित इक्विटी शेयरों के बाजार दर पर, लाभांश तत्त्व के लिए बट्टा काटकर, यदि कोई हो, तथा देय प्रायोगिक मूल्य से कम करके मूल्यांकित किए जाते हैं। जिन मामलों में इस तरह लिए गए मूल्य से प्रायोगिक देय मूल्य ज्यादा हो, वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है।

(झ) अनोद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों, यदि कोई हो, का मूल्यांकन प्रचलित ब्याज दर पर परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर किया जाता है।

(ञ) परिवर्तनीय डिबेंचर एवं बॉण्ड, जहां मिश्र बाजार भाव उपलब्ध न हो, वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन इक्विटी शेयरों के लिए लागू बाजार दर, लाभांश तत्व के लिए बट्टा काटकर, यदि कोई हो, पर किया जाता है। ऐसे डिबेंचरों एवं बॉण्डों का अपरिवर्तनीय भाग, यदि कोई हो, का मूल्यांकन, उपरोक्त (च) के अनुसार किया जाता है। जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है।

(ट) पूंजी सूचीकृत बॉण्ड लागत आधार पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

(थ) मुद्रा बाजार लिखतों के लिए मूल्यांकन नीति :-

(i) मुद्रा बाजार लिखतें एवं अन्य आस्तियां बही मूल्य पर ली जाती हैं।

(ii) अंतर बैंक कॉल बाजार में निवेशित राशियां लागत पर ली जाती हैं।

(iii) बट्टा /ब्याज उपार्जन लिखत में निवेशित राशि का मूल्यांकन उस प्रतिफल पर किया जाता है जिसमें लिखत का सौदा पिछली बार किया गया था। इस उद्देश्य हेतु भाव, जो दो कार्य दिवस पुराना हो वैध माना जाता है। जब पिछले दो कार्य दिवस में कोई भाव उपलब्ध न हो तो लिखत लागत एवं लिखत के परिपक्व होने के बाकी बचे दिनों के लिए लागू एक समान लागत और अंकित मूल्य के मध्य अंतर पर मूल्यांकित किए जाते है।

(iv) अनोद्धृत डिबेंचरों सहित अन्य मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन लागत एवं लिखत के परिपक्व होने के बाकी बचे दिनों पर लागू एक समान लागत और अंकित मूल्य के मध्य अंतर पर किया जाता है।

तथापि, खण्ड IX एवं XII के संबंध में किसी भी बात के बावजूद निवेश उद्देश्य, एनएवी का निर्धारण एवं आस्तियों का मूल्यांकन, पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण एवं एनएवी, पुनर्खरीद मूल्य एवं पोर्टफोलियो के प्रकटीकरण का अंतराल समय समय पर सेबी द्वारा जारी सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमों/दिशानिर्देशों/निदेशों के प्रावधानों के अनुसार होगा।

3. **XII.** लेखा नीतियां

1. आय की मान्यता

(क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय लाभांश-पूर्व तिथि पर प्रोद्भूत होती है। असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों एवं अधिमान शेयरों पर लाभांश आय का हिसाब प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

(ख) निवेशों पर ब्याज एवं प्रतिबद्धता प्रभार का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

(ग) निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि की पहचान भारित औसत लागत के आधार पर व्यापार तिथियों पर किया जाता है।

(घ) डिबेंचर/बॉण्डों के प्रतिदान पर प्रीमियम एवं लाभ या हानि की पहचान देय तिथि पर किया जाता है।

(ङ) जब कोई राशि जिम्मे नहीं आई हो तो हामीदारी कमीशन को नकदी आधार पर राजस्व माना जाता है। जिम्मे आई राशि के मामले में पूर्ण हामीदारी कमीशन ऐसे निवेशों की लागत में से कम कर दिया जाता है।

(च) शेयरों एवं डिबेंचरों में निवेश पर प्रारंभिक शुल्क को ऐसे निवेशों की लागत से कम कर दिया जाता है।

(छ) ज़ीरो कूपन बॉण्डों, डीप डिस्काउंट बाण्डों एवं अन्य दीर्घावधि बट्टाकृत लिखतों के संबंध में खरीद मूल्य एवं परिपक्वता मूल्य के मध्य अंतर को वायटीएम आधार पर लिखत के बाकी बचे अवधि के लिए आय माना जाता है।

(ज) अन्य आय प्राप्ति आधार पर लिए जाते हैं।

2. **व्यय**

क. व्यय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

ख. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25(4) के प्रावधानों के अनुसार यूनिट योजना 1964 के अंतर्गत किए गए खास सामान्य खर्चों का विनिधान अन्य योजनाओं पर किया जाता है।

ग. नियत आस्तियों वाली यूनिट योजना, 1964 कथित आस्तियों के उपयोग के स्वीकृत आधार पर पट्टा किराया अन्य योजनाओं से वसूल करती है।

3. **निवेश**

क. निवेशों का विवरण लागत या अवलिखित लागत पर दिया जाता है।

ख. द्वितीयक बाजार कारोबार के मामले में निवेश को व्यापार तिथियों पर किया गया माना जाता है।

ग. आबंटन पर प्राथमिक बाजार निर्गमों में अभिदान को निवेश माना जाता है।

घ. बोनस/अधिकार पात्रताओं को पूर्ववर्ती-बोनस/पूर्ववर्ती अधिकार तिथियों पर माना जाता है।

ङ. निवेश अर्थात् डिबेंचर/बॉण्ड, ऋण एवं जमा राशियां प्रतिदान/देय तिथि को चालू आस्तियों में स्थानांतरित की जाती हैं।

च. निवेश की लागत में दलाली एवं सेवा - कर शामिल हैं लेकिन स्टाम्प शुल्क शामिल नहीं है, जिसे राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

4. प्रावधान एवं मूल्यह्रास :

(क) संदिग्ध समझी गई आय के प्रति प्रावधान :

पिछली दो तिमाही या उससे अधिक के लिए देय बाकी ब्याज आय के संबंध में प्रावधान किया जाता है। यदि लाभांश, पिछले लाभांश की तिथि से एक वर्ष से अधिक के लिए अदत्त है तब तुरंत अगले वर्ष प्रावधान किया जाता है।

(ख) निवेश के मूल्य में ह्रास

(i) उपरोक्त खंड XIII(2) के अनुसार गणना किए गए निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और परिणामस्वरूप ह्रास यदि हो, सामान्य प्रारक्षित निधि/यूनिट प्रारक्षित निधि को प्रभारित किए जाते हैं। यदि ऐसा कुल मूल्य पिछले वर्ष के अंत में कुल लागत या कुल मूल्य से अधिक हो जाता है तो वृद्धि को उस सीमा तक जहां ह्रास को पिछली बार समायोजित किया गया था, यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि/सामान्य प्रारक्षित निधि में ले जाया जाता है।

(ii) जहां अनोधृत इक्विटी या अधिमान शेयर पिछले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए हों, जब और जैसे ही उद्धरण या उचित मूल्य उपलब्ध होता है, ऐसे निवेश वापस अपने मूल्य पर दिखाए जाते हैं।

(iii) आस्तियां,जिनका ब्याज पिछली दो तिमाही या उससे अधिक से बकाया है,अनुप्रयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी आस्तियों के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है (जैसा कि नीचे सारणी में बताया गया है)।

आस्ति के अनुपयोज्य रहने की अवधि	प्रावधान का प्रतिशत	
	रक्षित आस्ति	अ-रक्षित आस्ति
दो वर्षों तक	10%	10%
दो वर्षों से अधिक परंतु तीन वर्षों तक	20%	100%
तीन वर्षों से अधिक परंतु पांच वर्षों तक	30%	100%
पांच वर्षों से अधिक	50%	100%

(iv) जहां मूल पुनर्भुगतान (i) 3वर्षों तक की अवधि वाली ऋण लिखतों के संबंध में पहले से ही देय अवधि के 180 दिनों से अधिक हेतु और (ii) 3वर्षों से अधिक अवधि वाले ऋण लिखतों के संबंध में पहले से ही देय अवधि के 365 दिनों हेतु,बकाया रहने के कारण ऐसी बकाया किस्तों हेतु प्रावधान बनाया जाता है। ऐसी आस्तियों के लिए समग्र प्रावधान,उपरोक्त तालिका में उल्लिखित प्रतिशत (जमानती आस्तियों हेतु 50% तथा गैर जमानती आस्तियों हेतु 100%) या चूक वाली राशि जो भी अधिक हो,तक सीमित है।

ऐसे मामले जिनमें मूल चूक जारी रहती है,किसी भी किस्त के लिए प्रावधान संबंधित देय तिथियों से 30 दिनों के बाद किया जाता है।

(v) ब्याज के निधीयन के मामले में,बकाया ब्याज के पूंजीकरण के द्वारा, उसके चूक की अवधि के बावजूद पूर्ण रूप से प्रावधान किया जाता है।

(vi) गैर निष्पादी आस्तियों के लिए प्रावधान यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि/ सामान्य प्रारक्षित निधि/ राजस्व लेखा,जैसा भी मामला हो, में प्रभारित किए जाते हैं।

(vii) अनुच्छेद 4(क)और 4(ख)(iv) के अंतर्गत बनाए गए प्रावधान प्राप्ति के आधार पर पुनरांकित किए जाते हैं। 4(ख)(v) के अंतर्गत प्रावधान प्राप्ति के आधार पर पुनरांकित किए जाते हैं।

5. आय वितरण :

(क) आय वितरण पर प्रावधान समय-समय पर न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित दरों पर यूनिट पूंजी में किया जाता है।

6. वित्तीय परिणामों का प्रकाशन :

यथा 31 दिसंबर अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम 2 माह के भीतर एवं यथा 30 जून लेखा-परीक्षित वार्षिक परिणाम लेखे को अंतिम रूप देने के 6 माह के भीतर एक अंग्रेजी दैनिक एवं एक मराठी दैनिक में प्रकाशित किया जाएगा।

4. **XV. निवेशों का कर - निरूपण**

1. निवासी/एनआरआई/ओसीबी

i) योजना के अंतर्गत आय,यदि हो,और पूंजी वृद्धि यदि वसूल हो,पर कराधान प्रचलित कर कानूनों के अधीन होगा।

ii) वर्तमान में ट्रस्ट की सभी योजनाओं/प्लानों के अंतर्गत सभी वर्ग के निवेशकर्ताओं को प्राप्त होने वाली आय,यदि कोई हो,आयकर अधिनियम, 1961की धारा 10 (33) के अंतर्गत कर से पूरी तरह मुक्त होगी।

आयकर अधिनियम,1961 की धारा 115 आर के अंतर्गत योजना द्वारा आय वितरण,यदि कोई हो,पर 10% की दर पर आय वितरण कर और उस पर 10% का अधिभार दिया जाना है। हालांकि,सतत खली इक्विटी उन्मुख निधि होने के कारण प्लान उपरोक्त धारा के अंतर्गत 31 मार्च,2000 तक उपरोक्त कर के अधीन नहीं है,बशर्ते योजना की कुल प्राप्तियों का 50% से अधिक का निवेश घरेलू कंपनियों की इक्विटी योजनाओं में किया गया हो।

iii) वर्तमान में,एनआरओ खातों में रखी निधियों से एनआरआई व निवासियों को प्राप्त होने वाला कोई दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 एवं 112 के अंतर्गत कर-निरुपण के अधीन होगा। वर्तमान में निवेशक को लागत स्फीति सूचकांक का लाभ उठाने के बाद दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ पर 20% की दर से कर का भुगतान करना होगा। हालांकि,एनआरई खातों के जरिए किए गए निवेश पर होने वाला पूंजीगत अभिलाभ कर योग्य नहीं होगा।

iv) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों में किए गए निवेश का मूल्य धनकर से पूर्णत: मुक्त है।

v) उपहार कर अधिनियम,1958 ने योजना की यूनिटों के संबंध में उपहार-कर की उगाही को समाप्त कर दिया है।

2) धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट की पात्रता

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण या आंशिक शुद्ध राशि का पीईएफ में किया गया निवेश आयकर अधिनियम,1961 की धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के लिए पात्र होगा,बशर्ते यूनिटों की पुनर्खरीद आवेदन की स्वीकृति की तिथि से तीन वर्षों के बाद की गई हो।

3) धारा 54 ईबी के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट की पात्रता

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाला पूंजीगत अभिलाभ का पीईएफ में किया गया सम्पूर्ण या आंशिक निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईबी के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के लिए पात्र होगा,बशर्ते यूनिटों की पुनर्खरीद आवेदन स्वीकृति की तिथि से सात वर्ष के बाद की गई हो।

4) पात्र ट्रस्टों के लिए

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2)(ख) के अंतर्गत यूनिट स्वीकृत प्रतिभूतियां हैं। अत: यूनिटों में निवेश कर रहे पात्र ट्रस्ट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 और 13 के अंतर्गत आय और निधि के लिए आवश्यक कर छूट के योग्य होंगे।

5. भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना एवं प्रबंधन

यूटीआई की स्थापना

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना एक सांविधिक संस्था के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होनेवाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी। इसने 1 जुलाई, 1964 से कार्य करना आरंभ किया।

यूटीआई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है, जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। मंडल के अलावा, एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी होते हैं। यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर कार्य करने के लिए सक्षम है।

न्यासी मंडल *

1.	श्री पी.एस. सुब्रमन्यम	अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
2.	श्री जी.पी. मुनिअप्पन	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
3.	श्री जी.पी.गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,आईडीबीआई
4.	श्री एन.एस. सेखसरिया	प्रबंध निदेशक, गुजरात अंबुजा सिमेन्ट्स लि.
5.	श्री राजेन्द्र पी चितले	सनदी लेखाकार
6.	डॉ. विश्वनाथ वी. देसाई	अर्थशास्त्री
7.	श्री जी. कृष्णमूर्ति	अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
8.	श्री जी.जी वैद्य	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
9.	श्री के.सी. चौधरी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

*** वर्तमान में न्यासियों की अन्य निदेशिकताएं इस प्रकार हैं :**

1. **श्री पी.एस. सुब्रमन्यम**- (i) अध्यक्ष एवं निदेशक-इंडिया फंड, (ii) अध्यक्ष एवं निदेशक - इंडिया ग्रोथ फंड, (iii) अध्यक्ष एवं निदेशक -इंडिया एक्सेस लि., (iv) अध्यक्ष एवं निदेशक -द इंडिया पब्लिक सैक्टर फंड लि., (v) अध्यक्ष, शासी परिषद - यूटीआई-- इन्स्टिटयूट ऑफ कैपिटल मार्केट्स, (vi) अध्यक्ष एवं निदेशक - यूटीआई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज लि., (vii) अध्यक्ष एवं निदेशक - यूटीआई इन्वेस्टर सर्विसेज लि., (viii) अध्यक्ष -यूटीआई सिक्यूरिटीज़ एक्सचेंज लि., (ix) निदेशक - यूटीआई बैंक लि., (x) अध्यक्ष एवं निदेशक - ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, (xi) सदस्य - भारतीय जीवन बीमा निगम (xii) निदेशक - डिस्काउंट एण्ड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लि. , (xiii) निदेशक - सिक्यूरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (xiv) निदेशक - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (xv) न्यासी - इंडियन इन्स्टियूट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।

2. **श्री जी.पी.गुप्ता** - (i) अध्यक्ष-भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, (ii) निदेशक -इंडिया फंड, (iii) निदेशक -इंडिया ग्रोथ फंड, (iv) निदेशक-भारतीय मितिकाटा एवं वित्त गृह लि., (v) निदेशक-भारतीय आयात-निर्यात बैंक, (vi) निदेशक-भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि., (vii) निदेशक-इन्फ्रास्ट्रकचर डेवलेपमेंट फाइनेंस कं. ऑफ इंडिया लि., (viii) निदेशक - इंडियन एयरलाइन्स लि. (ix) निदेशक - आईडीबीआई बैंक लि. (x) निदेशक - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (xi) सदस्य-भारतीय जीवन बीमा निगम (xii) सदस्य-भारतीय साधारण बीमा निगम (xiii) निदेशक-दक्षिण एशिया क्षेत्रीय निधि, (xiv) अध्यक्ष-दक्षिण एशिया डेवलपमेंट फंड, (xv) समिति सदस्य-भारतीय बैंकर्स संस्थान, (xvi) सदस्य-बैंकर प्रशिक्षण कॉलेज (भारतीय रिज़र्व बैंक), (xvii) सदस्य-एशिया एवं प्रशांत में विकासशील वित्तीय संस्थाओं का संघ, (xviii) सदस्य-बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्था, (xix) सदस्य-भारतीय कंपनी सचिव संस्था।

3. **श्री एन.एस. सेखसरिया** - (i) निदेशक - गृह फाइनेंस लि. (ii) निदेशक - राधा माधव इन्वेस्टमेंट्स लि. (iii) निदेशक - होमट्रस्ट हाउसिंग फाइनेंस कं. लि. (iv) निदेशक - अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन (v) निदेशक - अंबुजा शिक्षण संस्था।

4. **श्री राजेन्द्र पी चितले** - (i) निदेशक - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, (ii) निदेशक - नेशनल सिक्यूरिटीज़ क्लीयरिंग कार्पोरेशन लि., (iii) निदेशक - जे एम कैपिटल मैनेजमेंट लि., (iv) निदेशक - जूरिक एसेट मैनेजमेंट कं. (इंडिया) लि., (v) निदेशक - इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एण्ड प्रोडक्ट्स लि., (vi) निदेशक - एसोसिएशन ऑफ लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, (vii) सदस्य - कार्यकारी समिति (शासी मंडल), राष्ट्रीय शेयर बाजार, (viii) सदस्य - बैंक ऑफ अमेरिका एनटी एण्ड एसए का भारतीय सलाहकार मंडल (ix) सदस्य - निवेश समिति, भारतीय जीवन बीमा निगम।

5. **श्री वी वी देसाई** - सलाहकार, आईसीआईसीआई लिमिटेड

6. **श्री जी. कृष्णमूर्ति** - (i) अध्यक्ष - एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) ईसी, बहरीन (ii) अध्यक्ष - एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. (iii) निदेशक - भारतीय साधारण बीमा निगम, (iv) निदेशक - पोयशा इंडस्ट्रियल कं. (v) अध्यक्ष, शासी मंडल - नेशनल इंश्योरेंस अकादमी (vi) निदेशक - नेशनल हाउसिंग बैंक (vii) निदेशक - यूटीआई बैंक लि. (viii) निदेशक - भारतीय मितिकाटा और गृह वित्त (ix) निदेशक - केनिन्डिया एश्योरेंस कं. लि., केन्या (x) निदेशक - आईसीआईसीआई लि. (xi) अध्यक्ष - बीमा समिति का शासी निकाय

7. **श्री जी जी वैद्य** - (i) अध्यक्ष - एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि., (ii) अध्यक्ष - एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लि., (iii) अध्यक्ष - एसबीआई गिल्ट्स लि., (iv) अध्यक्ष - एसबीआई सिक्यूरिटीज लि., (v) अध्यक्ष - एसबीआई फैक्टर्स एण्ड कमर्शियल सर्विसेज लि., (vi) अध्यक्ष - एसबीआई यूरोपियन बैंक लि., (vii) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, (viii) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, (ix) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, (x) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, (xi) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, (xii) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, (xiii) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, (xiv) अध्यक्ष - भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया), (xv) अध्यक्ष - भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा), (xvi) उपाध्यक्ष - शासी परिषद - भारतीय बैंकर्स संस्थान, (xvii) निदेशक -भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, (xviii) निदेशक - भारतीय आयात-निर्यात बैंक, (xix) निदेशक - साधारण बीमा निगम, (xx) शासी मंडल के सदस्य एवं वित्त समिति के अध्यक्ष - राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, (xxi) शासी मंडल के सदस्य, अध्यक्ष - वित्त समिति एवं कार्यालय परिसर समिति तथा आईबीपीएस प्रशासक समिति, कर्मचारी भविष्य निधि, बैंक कर्मचारी चयन संस्था, (xxii)सदस्य - बैंक तकनीकी विकास एवं अनुसंधान संस्था,(xxiii) निदेशक - इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन,(xxiv) निदेशक - इंफ्रास्ट्रक्चर लीज़िंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि., (xxv)निदेशक - निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम।

8. **श्री के सी चौधरी** - (i) अध्यक्ष - बैंक अंकेक्षण पर लघु समूह, भारतीय बैंक संघ, (ii) अध्यक्ष - बैंकिंग परिचालन, भारतीय बैंक संघ, (iii) अध्यक्ष - ऋण संबंधी मामलों पर लघु समूह, भारतीय बैंक संघ, (iv) अध्यक्ष - आईबीए व्यापार निकाय/संघों के साथ समन्वय हेतु कार्य समूह, (v) अध्यक्ष - भारतीय बैंक संघ - स्थानीय शाखा, (vi) सदस्य - प्रबंध समिति, भारतीय बैंक संघ, (vii) अध्यक्ष - सेंटबैंक होम फाइनेंस लि., (viii) अध्यक्ष - सेंटबैंक फाइनेंशियल एवं कस्टोडियल सर्विसेज लि., (ix) निदेशक - भारतीय कृषि वित्त निगम लि., (x) निदेशक - मास्टरकार्ड एशिया/पेसेफिक बोर्ड, (xi) निदेशक - न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि., (xii) सदस्य - टास्क फोर्स, भारतीय बैंक संघ।

6. **निधि प्रबंधन** :

निधि प्रबंधक का नाम उसकी योग्यता एवं अनुभव अंत:स्थापित।

7. **अभिरक्षक**

भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि. (एसएचसीआईएल) का सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर आईएन/सीयूएस/011 है।

एसएचसीआईएल शुल्क की दर इस प्रकार है :

	इलेक्ट्रॉनिक	वास्तविक
डीमेटेरियलाइजेशन	रु. 5 प्रति प्रमाणपत्र	
खरीद	कारोबार के मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु पर	प्रति डीआईपी रु. 100
बिक्री	कारोबार के मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु पर	प्रति डीआईएस रु. 100
अभिरक्षा	अभिरक्षा में उपलब्ध आस्ति मूल्य के 1.5 आधार बिंदु पर	अभिरक्षा में आस्ति मूल्य के 8 आधार बिंदु पर
गैर बाजार खरीद	कारोबार के मूल्य पर आधारित 5.5 आधार बिंदु	-
गैर बाजार बिक्री	कारोबार के मूल्य पर आधारित 5.5 आधार बिंदु	-
रीमेटेरियलाइजेशन	प्रति प्रमाणपत्र रु. 15 अथवा परिवर्तित मूल्य पर आधारित 15 आधार बिंदु जो भी अधिक हो	

8. **लेखा परीक्षक**

मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी, चार्टड एकाउंटेंट, 60 बेंटिक स्ट्रीट, कलकत्ता 700 069 एवं मेसर्स बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित, चार्टड एकाउंटेंट, नेशनल इंश्यूरेंस बिल्डिंग, 204, डी.एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 एवं योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आईडीबीआई द्वारा की जाती है और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन हैं।

9. निवारण की गई निवेशकों की शिकायतों के आंकड़े दर्शाने वाली सारणी अद्यतन

10. संक्षिप्त वित्तीय जानकारी दर्शाने वाली सारणी अद्यतन

इक्विटी योजना में संशोधन - सूचना

सलग्नक I

मास्टरगेन - प्रावधान संशोधित / सम्मिलित

खंड संख्या	विद्यमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
मुख्य बातें 2री मद	निवासी और अनिवासी बालिग व्यक्तियों / अवयस्कों / हिन्दू अविभाजित परिवारों / न्यासों / निगमित निकायों (कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनियों एवं बैंकों सहित) / विदेशी निगमित निकायो (ओसीबी) / विदेशी संस्थागत संस्थानों के लिए भी खुला।	निवासी व्यक्तियो और संस्थानों के साथ-साथ एनआरआई एवं विदेशी निगमित निकायों तथा विदेशी संस्थागत संस्थानों के लिए खुला ।
मुख्य बातें 3री मद	मद सम्मिलित नहीं है ।	न्यूनतम निवेश रु. 5000/- है कोई ऊपरी सीमा नहीं है । उसी फोलियो में आगे निवेश करने के लिए निवेश की न्यूनतम राशि रु. 1000/- होगी ।
मुख्य बातें 4थी मद	मद सम्मिलित नहीं है ।	एक यूनिट का अंकित मूल्य रु. 10/- है ।
मुख्य बातें 5वीं मद	मद सम्मिलित नहीं है ।	यूनिटों की बिक्री उस दिन की समाप्ति के एनएवी पर की जाएगी जिस दिन अर्जी स्वीकृत की गई हो ।
मुख्य बातें 6ठी मद	एनएवी आधारित किमत पर पुनखरीद होगी ।	पुनर्खरीद यूनिट के दैनिक एनएवी पर 3% से अनधिक बट्टा काट कर होनी। आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति होगी बशर्ते फोलियो में रु. 5000/- का न्यूनतम शेष कायम रहे ।
मुख्य बातें 7वीं मद	मद सम्मिलित नहीं है ।	आमदनी के पुनर्निवेश की सुविधा, यदि कोई हो, एनएवी पर होगी ।
मुख्य बातें 8वीं मद	मद सम्मिलित नहीं है ।	इस योजना से अन्य योजनाओं मे अथवा इसके विपरीत स्विचओवर की सुविधा, ट्रस्ट द्वारा समय समय पर घोषित की जानेवाली एनएवी पर या एनएवी आधारित मूल्य पर उपलब्ध होगी ।
मुख्य बातें 9वीं मद	मद सम्मिलित नहीं है ।	वर्तमान में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (33) के अन्तर्गत निवेशकों को योजना से प्राप्त आय, अगर कोई हो तो, पूर्णतया कर मुक्त है । इसके अतिरिक्त सतत खुला इक्विटी उन्मुख फंड होने के कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 आर के अन्तर्गत मार्च 31, 2002 तक आय वितरण कर से मुक्त होगा ।
मुख्य बातें 10वीं मद	मद सम्मिलित नहीं है ।	यूनिटों की पुनर्खरीद पर पूंजी वृद्धि से हुए पूंजीगत अभिलाभ, अगर कोई हो तो, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 और 112 के अन्तर्गत कर सुविधा साथ मिलेंगे। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54 ईए और 54 ईबी के अन्तर्गत निवेश, जो फंड के स्रोत पर निर्भर करता

		हैं की पुनर्खरीद आवेदन की स्वीकृति की तारीख से क्रमश: 3 / 7 साल की अवरुद्ध अवधि के बाद होगी ।
मुख्य बातें 11वीं मद	मद सम्मिलित नहीं है ।	इस योजना के अन्तर्गत यूनिटों में किए गए निवेश का मूल्य धनकर से पूर्णत: मुक्त है ।
मुख्य बातें 12वीं मद	मद सम्मिलित नहीं है ।	उपहार कर अधिनियम, 1958 ने 1 अक्तूबर, 1998 या उसके बाद दिए गए उपहारों के मामले में उपहार-कर की उगाही को समाप्त कर दिया है । अत: योजना के यूनिटों का उपहार, उपहार-कर की उगाही से पूर्णत: माफ है ।
जोखिम के घटक 1ली मद	योजना की यूनिटों में किए गए निवेशों पर बाजार का जोखिम होता है । योजना के एनएवी का ऊपर या नीचे जाना प्रतिभूति बाजार को प्रभावित करनेवाले तत्वों और घटकों पर निर्भर करता है ।	म्यूचुअल फंडों और प्रतिभूतियों में निवेश बाजार की जोखिम पर निर्भर करता है और योजना के अन्तर्गत जारी किए गए यूनिटों का एनएवी, पूंजी बाजार को प्रभावित करने वाले तत्वों और घटकों के कारण घट या बढ़ सकता है।
जोखिम के घटक	कोई प्रावधान नहीं है	**4थी मद - डेरीवेटीव्ज़ :** ऑप्शन्स एवं फ्यूचर्स जैसे डेरीवेटीव्ज़ प्रतिभूतियों में लेन-देन करना एक अत्यन्त विशेषीकृत कार्य है एवं इसमें सामान्य निवेश के जोखिमों से कहीं अधिक जोखिम होता है । हालांकि निधि का अभिप्राय केवल पोर्टफोलियो के बचाव के उद्देश्य के लिए ही डेरीवेटीव्ज़ में लेन-देन करना है, इस खंड में समग्र बाजार बहुत ही अनिश्चित हो सकता है जो इस बाजार में अन्य प्रतिभागियों के कार्य के कारण होता है । डेरीवेटीव्ज़ में लेन-देन की सफलता निधि प्रबंधक के बाजार की भावी प्रवृत्ति का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता पर निर्भर करती है और यदि निधि प्रबंधक अपने पूर्वानुमान में गलत होता है तो निधि का कार्यनिष्पादन, यदि यह निवेश योजना प्रयोग में न लाई गई होती तो जो रहा होता उसकी तुलना में घट गया होता । **5वीं मद - विदेशी बाजार में निवेश :** विदेशी बाजार में निवेश की सफलता निधि प्रबंधक की उन बाजारों के विषय में अच्छी जानकारी और सूचनाओं की समीक्षा, जो भारतीय बाजारों से भिन्न हो सकती हैं, करने की योग्यता पर निर्भर करती है । चूंकि इसमें क्रियाकलाप विदेशी बाजारों में होगा अत: बाजार के जोखिम के अलावा विदेशी मुद्रा विनिमय की दर में उतार चढ़ाव का जोखिम भी हो सकता है । **6ठी मद - स्टॉक उधार देना :** यह न्यूनतम जोखिम के साथ निधि के लिए अतिरिक्त आय जुटाने का साधन है । स्क्रिप उधार दिए जाने की अवधि के दौरान बिक्री हेतु सुलभ स्टॉक की अनुपलब्धता के रूप में जोखिम हो सकता है । ऋणी / मध्यस्थों द्वारा प्रतिभूतियों की चुकौतियों की चूक की संभावनाओं के रूप में भी जोखिम हो सकता है । हालांकि, प्रक्रिया में शामिल मध्यस्थों द्वारा ऋणी से उचित जमानत प्राप्त कर जोखिम की पर्याप्त

		व्यवस्था की जाएगी । ट्रस्ट का जमानत पर ग्रहणाधिकार रहेगा तथा स्टॉक उधार दिए जाने की प्रक्रिया में शामिल किसी जोखिम को कम करने हेतु वह उचित रोकथाम एवं नियंत्रण भी रखेगा ।
परिभाषा (3) (ग)	"स्वीकृति तिथि " का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटो की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है ।	(ख) "स्वीकृति तिथि " का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन हर प्रकार से पूर्ण और सही है और उसे स्वीकार करता है । बिक्री अथवा पुनर्खरीद की अर्जी के विषय में स्वीकृति की तारीख वही मानी जाएगी जिस दिन अर्जी फ्रेंचाइस कार्यालय / संग्रहण केन्द्र द्वारा प्राप्त होने पर (ट) रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्राप्त होगी अथवा फ्रेंचाइस कार्यालय / संग्रहण केन्द्र में अर्जी प्राप्त होने की तारीख से 5वें कार्यदिवस (टी + 5), जो पहले हो, स्वीकृति की तारीख होगी । ट्रस्ट इन 5 कार्यदिवसों की संख्या को, जैसा कि निर्णय लिया जाय, घटा सकता है ।
परिभाषा 3	कोई प्रावधान नहीं है ।	(ग) "वैकल्पिक आवेदक " का अर्थ नाबालिग के मामले में माता-पिता के अलावा उस माता-पिता से है जिन्होंने नाबालिग की ओर से आवेदन किया हो
परिभाषा (3)(ख)	"आवेदक " का मतलब उस आवेदक से है जो योजना के अन्तर्गत हो एवं उसमें समस्त श्रेणियों के वे व्यक्ति शामिल हैं खासकर जो खंड 5 में यहां इसके बाद वर्णित हैं ।	(गक) "आवेदक " का अर्थ उस व्यक्ति से है जो योजना में शामिल होने के लिए पात्र है और योजना के खंड 5 के अन्तर्गत आवेदन करता है तथा नाबालिग नहीं है ।
परिभाषा 3	कोई प्रावधान नहीं है ।	(चक) "फर्म ", "भागीदार ", और "भागीदारी " के अर्थ भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में दिए गए अर्थ हैं, परंतु अभिव्यक्ति भागीदार में कोई ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित हो सकता है, जो नाबालिग हो और जिसे भागीदारी के लाभ प्राप्त करने के लिए शामिल किया गया हो।
परिभाषा 3	कोई प्रावधान नहीं है ।	(चख) "निर्गम " का अर्थ है, संबंधित आवेदन फार्म के अंतर्गत योजना में अभिदान के लिए पेश व जारी किए गए यूनिटों की कुल संख्या है।
परिभाषा 3	"यूनिटधारक " का मतलब उस व्यक्ति से है जो फिलहाल यूनिटों का धारक होता है जिसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो यूनिटों को निक्षेपागार पद्धति में धारण करते हैं ।	(जक) योजना के अन्तर्गत "सदस्य " के रूप में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का अर्थ और इसमें शामिल उस आवेदक से है, जिसे इस योजना में यूनिट दिनांक 26/04/2002 को या इसके बाद आबंटित किए गए हों । "सदस्य " का मतलब "यूनिट धारक" से भी है जो यूनिटों को यूनिट सर्टिफिकेट के अन्तर्गत निक्षेपागार पद्धति में धारण करता हो और इस पर अन्य बातें वहीं लागू होगी । विद्यमान मद (जक) की संख्या को (जख) में परिवर्तित किया जाएगा ।
परिभाषा	कोई प्रावधान नहीं है ।	(झख) "व्यक्ति " में ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार

3		पात्र संस्था शामिल है ।
परिभाषा 3	कोई प्रावधान नहीं है ।	(झग) "आरबीआई " का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत गठित भारतीय रिज़र्व बैंक है ।
परिभाषा (3)	कोई प्रावधान नहीं है ।	(झघ) "रजिस्ट्रार्स " का मतलब उस व्यक्ति से है ट्रस्ट जिसकी सेवाएं समय समय पर योजना के अन्तर्गत रजिस्ट्रार के रूप में काम करने के लिए लेता है ।
परिभाषा (3) (घ)	"निगमित निकाय " में वह समिति शामिल है जो समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हैं अथवा किसी प्रान्तीय या केन्द्रीय विधि के अंतर्गत जो वर्तमान में लागू हो स्थापित की गई हो - ऐसी सोसाईटी को यहां इसके बाद " सोसाईटी " कहा जाएगा । इसमें बैंक तथा कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां भी शामिल होंगी ।	(ठक) " समिति " का अर्थ समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत स्थापित समिति या फिलहाल प्रवृत्त राज्य या केन्द्रीय विधि के अंतर्गत स्थापित अन्य कोई समिति है । वर्तमान मद (ठक) को नई संस्था (ठख) दी गई है ।
परिभाषा (3)	कोई प्रावधान नहीं है ।	(ढक) "यूनिट पूंजी " का तात्पर्य फिलहाल यूनिट योजना के अंतर्गत निर्गत और शेष यूनिटों के अंकित मूल्य के योग से है । वर्तमान मद (एनए) का पुनर्सांख्यिकरण (एनबी) कर दिया गया है ।
परिभाषा (3)	कोई प्रावधान नहीं है ।	(ढग) "यूनिट ट्रस्ट" या "ट्रस्ट " का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है ।
परिभाषा (3) (ण)	इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम/विनियमावली में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में दिये गये हैं।	इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम/विनियमावली में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम/विनियमावली में दिये गये हैं।
परिभाषा (3) (त)	कोई प्रावधान नहीं है ।	एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन शामिल हैं और सभी पुल्लिंग संदर्भों में स्त्रीलिंग तथा एक में दूसरे के विपर्यय शामिल हैं ।
परिभाषा (3) (थ)	कोई प्रावधान नहीं है ।	योजना में 26/4/2000 के बाद, यदि प्रकरण की मांग विपरीत न हो, तो उपयुक्त स्थानों पर शब्द "सदस्य" के अन्तर्गत "यूनिट धारक" शब्द शामिल होगा और शब्द "यूनिटधारकों का रजिस्टर"के अंतर्गत "सदस्यों का रजिस्टर " भी शामिल होगा ।
यूनिटों के लिए आवेदन (5) (1)	कोई प्रावधान नहीं है ।	निम्नलिखित शामिल किये गये :- iii) निवासी अथवा नाबालिग एनआरआई की ओर से माता-पिता, सौतेले माता-पिता या अन्य विधिक अभिभावक । ix) वित्तीय संस्थान । x) कोई संस्था जो किसी राज्य अथवा केन्द्रीय

		अधिनियम द्वारा अथवा अन्तर्गत स्थापित या नियंत्रित हो । xi) सेना /नौसेना/वायु सेना/ पैरामिलिट्री निधियां । xii) भागीदारी फर्म । भागीदारी फर्म की तरफ से आवेदन, फर्म के 3 से अधिक सदस्यों के द्वारा नहीं दिया जाएगा और ट्रस्ट प्रथम नामित व्यक्ति को ही समस्त व्यावहारिक कार्यों के लिए सदस्य के रूप में मान्यता देगा । xiii) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू)
यूनिटों के लिए आवेदन (5) (4)	यूनिटों की न्यूनतम संख्या जिसके लिए आवेदन किया गया है 200 होगी और आगे अधिक यूनिटों के लिए आवेदन 100 यूनिटों या उसके गुणकों में होगी ।	आवेदन न्यूनतम रु. 5000/- के लिए किया जाना चाहिए । कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी और यूनिटों का आबंटन दशमलव के बाद तीन अंकों तक किया जाएगा । एकही फोलियों के अंतर्गत बाद में अतिरिक्त निवेश हेतु न्यूनतम राशि रु. 1000/- होगी । रु. 50,000/- और उससे अधिक निवेश के मामले में, अनिवासी सामान्य खाते के जरिए निवेश करने वाले निवासी या अनिवासी भारतीय को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पीएएन/जीआईआर संख्या है तो वह उसका तथा संबंधित आयकर सर्किल के पते का उल्लेख करें ।
यूनिटों के लिए आवेदन 5 (6) (ख)	(ख) अगर भुगतान चेक या ड्राफ्ट से किया जाय तो स्वीकृति की तारीख, चेक या ड्राफ्ट का भुगतान मिलने पर, वही तारीख होगी जिस दिन ट्रस्ट द्वारा चेक या ड्राफ्ट प्राप्त किया गया हो या उसे किसी शाखा द्वारा या प्राधिकृत बैंक द्वारा या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा प्राप्त किया गया है । यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो तो स्वीकृति की तारीख, ड्राफ्ट का भुगतान मिलने के बाद ड्राफ्ट जारी करने की तारीख होगी बशर्ते कि अर्जी ट्रस्ट के द्वारा या उसकी अधिकृत शाखा के द्वारा या प्राधिकृत बैंक या प्राधिकृत संग्रह केन्द्र द्वारा उचित समझे जाने वाले समय के अन्दर प्राप्त हो । अगर यूनिटों के लिए आवेदन राशि एवं अन्य खर्चों के लिए भी जो आवेदक के द्वारा देय हैं, पर्याप्त राशि न भेजी गयी हो तो उसे आवेदित यूनिटों में 100 के गुणकों में उस राशि में से जितने यूनिट उसे मिल सकते हों, आबंटित किए जाएंगे और बाकी बची राशि, अगर कोई हो तो उसे उसके खर्च पर, ट्रस्ट जैसा उचित समझे, उस तरीके से वापिस भेज दी जाएगी ।	अगर भुगतान चेक या ड्राफ्ट से किया जाए तो आवेदन की स्वीकृति चेक या ड्राफ्ट का भुगतान मिलने पर होगी । अनिवासी भारतीय बेहतर हो यदि अपनी अर्जियों को अनिवासी भारतीय शाखा मुंबई में जमा कराएं या ट्रस्ट की अन्य किसी शाखा में जमा कराएं । जहां अर्जी दाखिल करते हैं उसके साथ उसी जगह का एनआर (ई)/एनआर (ओ) का चेक या रुपये का ड्राफ्ट भी संलग्न किया जाना चाहिए । विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित अधिकृत बैंक / प्राधिकृत डीलर के यहां रखे विशेष अनिवासी रुपया खाते में नामे करके किया जाए।
यूनिटों के लिए	(ग) यूनिट प्रमाणपत्र, अपेक्षित हो तो, भेजा	(ग 1) 26/4/2000 तारीख को या उसके बाद बेचे गए हुए

आवेदन 5(6) (ग) एवं (घ)	जाएगा । प्रमाणपत्र अगर भेजा जाय तो रजिस्ट्री से पावती के साथ या बिना आवेदक द्वारा दिए गए पते पर भेजा जाएगा। और ट्रस्ट इस यूनिट प्रमाणपत्र के खो-जाने, क्षतिग्रस्त होने, गलत जगह वितरित होने के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा । (घ) ट्रस्ट जारी प्रमाणपत्र जो किसी पात्र न्यास या संस्था या निगमित निकाय के लिए होगा, वह उस न्यास, संस्था अथवा निगमित निकाय के नाम से जारी किया जाएगा ।	यूनिटों के लिए ट्रस्ट एक लेखा विवरण आवेदन स्वीकार किए जाने की तिथि से 6 सप्ताह पूर्व जारी करेगा जिसमें फोलियो नं भी रहेगा । ii) प्रत्येक सदस्य को किसी अतिरिक्त खरीद या आंशिक पुनर्खरीद या स्विचओवर या घाटा 25(क) व 25(ग) के अनुसरण में यूनिटों के अंतरण या निक्षेपागार पद्धति में रखे गए यूनिटों के रीमैटिरियलाइजेशन पर एक अद्यतन लेखा विवरणी मिलेगी। iii) अनिवासी निवेशक लेखा-विवरणी के प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसी एक तरीके का चुनाव कर सकता है :- (क) आवेदक के भारतीय / विदेशी पते पर या (ख) अनिवासी भारतीय के भारत में किसी सम्बन्धी के पते पर iv) विदेशी संस्थागत निवेशक के मामले में लेखा विवरण अर्जी में दिये हुए उनके पते पर या उनके वैश्विक अभिरक्षकों को भेजी जाएगी । v) यदि कोई निवेशक चाहे तो उसकी लेखा विवरणी के बदले में यूनिट प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर उसे यूनिट प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा । vi) यूनिट प्रमाणपत्र और लेखा विवरणी दोनों ही समान रूप से निवेशक के योजना में प्रवेश के वैद्य साक्ष्य हैं । vii) खंडों के प्रावधान यूनिट धारकों के लिए और यूनिटों के लिए जो यूनिटप्रमाणपत्र के अन्तर्गत हैं यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।
अनिवासी भारतीय द्वारा निवेश के लिए प्रत्यावर्तन लाभ सहित भुगतान की विधि	कोई प्रावधान नहीं है ।	एनआरआई/ओसीबी द्वारा किए गए निवेशों को निवेशित पूंजी एवं उस पर अर्जित आय एवं पूंजी वृद्धि पर तब तक प्रत्यावर्तन का अधिकार होगा जब तक कि निवेशक भारत के बाहर निवास करेगा। इन मामलों में निवेश निम्न में से किसी एक पद्धति द्वारा किया जा सकता है : (क) किसी बैंक/भारत के बाहर परिचालित किसी विनिमय प्रतिष्ठान द्वारा यूटीआई के पक्ष में जारी रुपयों में

5(6)(ङ)		बैंक ड्राफ्ट जो भारत में स्थित उनके बैंक पर आहरित हो। (ख) भारत स्थित बैंक, जिसमें निवेशक का एनआरई खाता हो, पर जारी चेक द्वारा । (ग) निवेशक के एफसीएनआर जमा की राशि से जारी चेक/ड्राफ्ट द्वारा । **टिप्पणी :** नेपाली और भूटानी मुद्रा में भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अनिवासी भारतीय के लिए प्रत्यावर्तन लाभ के बिना भुगतान की विधि 5 (6)(च)	कोई प्रावधान नहीं है ।	जहां एनआरओ खाते में धारित निधियों का उपयोग यूनिटों की खरीद के लिए किया जाता है तो इस प्रकार निवेश की गई निधियां और पूंजी वृद्धि (यदि कोई हो) भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के लिए योग्य नहीं होंगी । इसी प्रकार निवेशक के भारत का निवासी रहने के दौरान रुपए में खरीदे गए यूनिटों में निवेश और तत्पश्चात उसके अनिवासी हो जाने पर यूनिटों का बिक्री प्रतिफल प्रत्यावर्तन के योग्य नहीं होगा । भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 19 अगस्त, 1994 के परिपत्र ए.डी. (एम.ए.शृंखला) सं. 18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान और उसके उपरांत अर्जित सम्पूर्ण आय पूर्ण प्रत्यावर्तन के योग्य होगी । इन मामलों में यूटीआई एनआरओ खाते में जमा करने के लिए रुपये में अदायगी करेगा । निवेशकों को यह सलाह दी जाती है कि यदि वे यूनिटों पर आय वितरण का विदेश में विप्रेषण चाहते हैं तो अपने बैंक/कर सलाहकार से संपर्क करें ।
निगमित निकाय समितियों के पंजीकरण एवं उनके द्वारा आवेदन 7 (4)	कोई प्रावधान नहीं है ।	फर्म को सदस्य के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और लेखा विवरणी फर्म के नाम से बनाई जाएगी ।
खर्चों की सीमाएं 7 (क)	आवर्ती आधार पर योजना में निम्नलिखित व्यय प्रभारित किए जाएंगे, जो किसी लेखा वर्ष में एनएवी के दैनिक औसत के 3% से ज्यादा नहीं होंगे । अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय निम्नानुसार हैं :- व्यय — % प्रशासनिक व्यय - 1.00 कमीशन का भुगतान - 1.25 अभिरक्षण शुल्क - 0.25 विकास प्रारक्षित निधि - 0.10	**आवर्ती व्यय :** निम्नलिखित व्यय आवर्ती आधार पर योजना में प्रभारित किए जाएंगे । अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय निम्नानुसार हैं : - **व्यय — औसत दैनिक एनएवी का %** प्रशासनिक व्यय - 0.95 अभिरक्षण शुल्क - 0.20 डीआरएफ में अंशदान - 0.25 कर्मचारी कल्याण निधि - 0.10 रजिस्ट्रार की फीस - 0.50

	कर्मचारी कल्याण निधि - 0.10 रजिस्ट्रार की फीस - 0.30 **योग - 3.00** उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और किए गए वास्तविक खर्चों के मद्देनजर परिवर्तन योग्य हैं। हालांकि किसी भी लेखा-वर्ष में, कुल खर्च एनएवी के दैनिक औसत के 3% के अन्दर ही होंगे जो सेबी (म्यूचुअलफंड) विनियम 1993 के अनुसार होंगे। इसके अलावा लेखा - वर्ष के दौरान प्रशासनिक व्यय, आरक्षित विकास निधि में अंशदान एवं कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान योजना के एनएवी के दैनिक औसत के 1.25% से अधिक नहीं होंगे। फीस का खर्च एवं लेखा संबंधी नीतियां सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों विनियमों पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय होगी।	विपणन एवं बिक्री संवर्धन - 0.50 **योग - 2.50** उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक खर्चों के अनुसार परिवर्तनीय हैं। योजना के कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, प्रशासनिक व्ययों, विकास प्रारक्षित निधि और कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित सीमा के अधीन होंगे :- (क) औसत दैनिक शुद्ध आस्तियों के प्रथम 100 करोड़ रुपए पर - 2.50% (ख) औसत दैनिक शुद्ध आस्तियों के अगले 300 करोड़ रुपए पर - 2.25% (ग) औसत दैनिक शुद्ध आस्तियों के अगले 300 करोड़ रुपए पर - 2.00% (घ) शेष आस्तियों पर - 1.75% प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि एवं कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान, सेबी (एमएफ) विनिमय, 1996 के विनियम 52 के खण्ड 2 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होंगे, जो इस प्रकार हैं :- (क) योजना के लिए प्रत्येक लेखा वर्ष में बकाया दैनिक औसत शुद्ध आस्तियों का सवा प्रतिशत जब तक कि शुद्ध आस्तियां 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो जातीं, और (ख) 100 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त राशि का एक प्रतिशत, जहां इस प्रकार परिगणित शुद्ध आस्तियां 100 करोड़ रुपए से अधिक हों। सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के अनुसार, यूटीआई निवेश प्रबंधन एवं परामर्श शुल्क नहीं लेता है। तथापि, यूटीआई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कुल व्यय, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के विनियम 52 के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा के भीतर ही हों।

यूनिटों की बिक्री 8	ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री संविदा स्वीकृति तिथि को निर्णीत हुई मानी जाएगी। बिक्री संविदा के इस प्रकार निर्णीत होने पर ट्रस्ट या इसका एजेंट, जैसा भी मामला हो, इसके बाद जितना जल्दी संभव हो इसके बारे में आवेदक को 100 यूनिटों के बिक्री योग्य लॉट में अधिकतम 20 प्रमाणपत्र जारी करेगा और इससे अधिक के निवेश के लिए उसे बेचे गए बाकी यूनिटों के लिए एक समेकित प्रमाणपत्र जारी करेगा। यह समेकित प्रमाणपत्र यूनिटधारक के अनुरोध पर एक बार नि:शुल्क विभाजित किया जाएगा। हालांकि यूनिटधारक से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर ट्रस्ट अपने विवेक से और आवश्यक परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताओं को पूरा किए जाने पर इस प्रकार बिक्री योग्य लॉटों में जारी प्रमाणपत्रों को दस-दस हजार यूनिटों के मूल्य वर्ग के प्रमाणपत्रों में समेकित करेगा। शेष यूनिट सौ-सौ यूनिटों के लॉटों में जारी किए जाएंगे। 10,000 यूनिटों के मूल्य वर्ग में जारी यूनिट प्रमाणपत्र यूनिटधारक के अनुरोध पर एक बार 100 यूनिटों के गुणकों में नि:शुल्क विभाजित किया जाएगा। जम्बो प्रमाणपत्र में शामिल यूनिटों की पुनर्खरीद/अंतरण/प्रेषण/बाई बैंक के लिए ट्रस्ट /यूनिट धारक यथा अपेक्षित प्रक्रियागत/ परिचालनगत औपचारिकताओं का पालन करेगा। यदि यूनिट निक्षेपागार माध्यम से धारित हैं तो यूनिट प्रमाणपत्र नहीं भेजा जाएगा।	किसी विशेष दिन 2 बजे अपराह्न तक [कृपया देखें 3 (ग)] ट्रस्ट के शाखा कार्यालयों में प्राप्त और स्वीकृत या रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्राप्त बिक्री/पुनर्खरीद के सभी आवेदनों के संबंध में लागू शुद्ध आस्ति मूल्य उसी दिन का होगा। 2 बजे अपराह्न के बाद मिले सभी आवेदन अगले कार्य दिवस के एनएवी द्वारा शासित होंगे। गैर-व्यक्ति आवेदन, अपेक्षित दस्तावेजों के साथ केवल ट्रस्ट के कार्यालयों में ही स्वीकार किए जाएंगे। ट्रस्ट आवेदन स्वीकृति के 6 सप्ताह के भीतर लेखा विवरणी भेजेगा।
स्विच ओवर विकल्प 8क	यहां इसके प्रावधानों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद ट्रस्ट योजना के चालू रहने के दौरान/ समाप्त होने पर अपने विवेक से योजना के यूनिटधारकों को उस समय आरंभ की गई / चल रही अन्य योजना/प्लान में, उस मूल्य पर, उस रूप में, उस रीति से और ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जो ट्रस्ट द्वारा निर्धारित और घोषित किए जाएं, स्विचओवर करने की अनुमति दे सकता है।	स्विचओवर i. योजना के सदस्यों को योजना के अपने निवेश को ट्रस्ट द्वारा समय समय पर अनुमत ऐसी अन्य योजनाओं में या ऐसी अन्य योजनाओं से इस योजना में स्विचओवर करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामले में वे अपनी नवीनतम लेखा विवरणी या विधिवत् हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत कर स्विचओवर करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ii. स्विचओवर ट्रस्ट द्वारा यथा निर्धारित एनएवी अथवा एनएवी आधारित मूल्य पर प्रभावी होगा। iii. योजना से उन अन्य योजनाओं में या विलोमत:, जिनके बारे में ट्रस्ट द्वारा समय समय पर घोषणा की जाए, आंशिक स्विचओवर करने के लिए दोनों योजनाओं में धारिता की न्यूनतम निवेश सीमा को पूरा करना चाहिए। ट्रस्ट यूनिट प्रमाणपत्र/लेखा विवरणी को रद्द करने के लिए अपने पास रख लेगा और सदस्य को दोनों योजनाओं के लिए नई लेखा विवरणी जारी की जाएगी।

		IV. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54इए/54ईबी के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए योजना में किए गए निवेश को क्रमश: 3 और 7 वर्ष की अवरुद्धता अवधि के समाप्त होने से पहले स्विचओवर की अनुमति नहीं दी जाएगी।
शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना और प्रकटीकरण 9 के अंतिम दो वाक्य	एनएवी पूर्ववर्ती आधार पर प्रेस को प्रकाशन के लिए रोजाना जारी की जाएगी। इन प्रावधानों में किसी भी बात के बावजूद आस्तियों का मूल्यांकन, एनएवी, पुनर्खरीद मूल्य का परिकलन तथा प्रकट करने की आवर्तिता सेबी (एमएफ) विनियमों/दिशानिर्देशों/समय समय पर सेबी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में होगी।	एनएवी प्रेस को प्रकाशन के लिए दैनिक आधार पर जारी की जाएगी। वाक्य संशोधित किया गया है और 'इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन' शीर्षक के अंतर्गत अनुबंध III की मद 9 में शामिल किया गया है।
यूनिटों का कारोबार : 10	(क) यूनिट मुंबई, नई दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बैंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, कानपुर और जयपुर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए गए हैं। ट्रस्ट शुद्ध आस्ति मूल्य की घोषणा नित्य प्रति करेगा और उधृत किए जाने के लिए सभी स्टॉक एक्सचेंजों को रोजाना सूचित करेगा। (ख) अपने यूनिटों को बेचने का इच्छुक यूनिट धारक इन स्टाक एक्सचेंजों में से किसी पर भी बेच सकता है। (ग) ट्रस्ट प्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य तरीके से उस मूल्य या मूल्यों का संकेत नहीं देगा, जिस/जिन पर यूनिट बाजार के जरिए बेचे या खरीदे जा सकते हैं। तथापि, स्टॉक एक्सचेंजों में ट्रेडिंग में क्रय/विक्रय के अंतिम मूल्य प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होंगे। फिर भी, ट्रस्ट, स्टॉक एक्सचेंजों से यूनिटों का असूचीकरण करने का अधिकार अपने पास रखता है यदि यूनिटधारकों या ट्रस्ट के हित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाए। (घ) बाजार के माध्यम से यूनिट के खरीदार को स्वयं या मान्यताप्राप्त दलाल के माध्यम से ट्रस्ट के रजिस्ट्रार के यहां अंतरण विलेख और संबंधित यूनिट प्रमाणपत्र, यदि ठीक पाए जाएं तो अंतरण को प्रभावी करने के लिए, प्रस्तुत करने चाहिए। (ङ) अंतरण के लिए कोई आवेदन ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा और ट्रस्ट किसी भी प्रयोजन के लिए यूनिटधारकों के साथ डील नहीं करेगा।	खण्ड के अंत में निम्नलिखित परिच्छेद सम्मिलित किया गया है : दिनांक 26/4/2000 से पहले जारी किए गए योजना के यूनिट, जो बकाया हों, प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए गए हैं। ट्रस्ट द्वारा घोषित की जाने वाली तारीख से ऐसे यूनिटों को असूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। दिनांक 26/4/2000 से या उसके बाद जारी किए जाने वाले/बेचे जाने वाले यूनिट किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं किए जाएंगे।

	(च) बाजार के जरिए यूनिटों की खरीद फरोख्त, चाहे किसी भी मूल्य पर हो, यूनिटधारक या भावी यूनिटधारक के जोखिम पर होगी। लेकिन यूनिटों के अंतरण पर देय स्टाम्प शुल्क निर्धारित करने के लिए अंतरण की तारीख से पहले की तारीख के उच्च और निम्न मूल्य के औसत को आधार बनाया जाएगा। (छ) किसी यूनिटधारक द्वारा निक्षेपागार माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को या विलोमतः यूनिटों के अंतरण के मामले में अंतरण उन नियमों/विनियमों के अनुसार होगा जो निक्षेपागार माध्यम से प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए लागू हों।	
यूनिटों का पुनः क्रय (बाई बैक) 10 (क)	योजना के प्रावधानों में किसी बात के बावजूद : (क) ट्रस्ट योजना के यूनिटों को बाजार से, जब कभी ऐसे यूनिट एनएवी से 10% या उससे भी कम मूल्य पर उधृत किए जा रहे हों, प्रचलित मूल्य पर बाई बैक कर सकता है। **(ख) ट्रस्ट समग्र सीमा के रूप में किसी एक वित्तीय वर्ष में स्कीम में जारी यूनिट पूंजी का 25% तक बाई बैक कर सकता है। पुनःक्रय किए गए यूनिट मोचित कर दिए जाएंगे।** व्याख्या : **(i) 'मार्केट' का अर्थ किसी भी उस मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से है, जिसमें योजना के यूनिट सूचीबद्ध हैं।** **(ii) "प्रचलित मूल्य" का अर्थ मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में उस बाजार मूल्य से है जो ट्रस्ट द्वारा पुनः क्रय करते समय प्रचलित हो।**	स्कीम के प्रावधानों में किसी भी बात के बावजूद जब तक कि यूनिट पूंजी का कोई भी अंश किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध रहता है : (क) ट्रस्ट बाजार के ऐसे यूनिटों का प्रचलित मूल्य पर पुनःक्रय कर सकता है, जब कभी ऐसे यूनिट एनएवी के 10% या उससे भी कम मूल्य पर उधृत किए जाते हों। (ख) ट्रस्ट समग्र सीमा के रूप में किसी एक वित्तीय वर्ष में स्कीम में ऐसी यूनिट पूंजी का 25% तक बाई बैक कर सकता है। पुनःक्रय किए गए यूनिट समाप्त कर दिए जाएंगे। व्याख्या : (i) 'मार्केट' का अर्थ किसी भी उस मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से है, जिसमें योजना के यूनिट सूचीबद्ध हैं। (ii) "प्रचलित मूल्य" का अर्थ मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में उस बाजार मूल्य से है जो ट्रस्ट द्वारा पुनः क्रय करते समय प्रचलित हो।
यूनिटों की पुनर्खरीद 11	**(क) यूनिटधारक को अपने यूनिटों को पुनर्खरीद के लिए प्रस्तुत करने की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए और वह योजना के चालू रहने के दौरान जब तक चाहे यूनिट धारित रख सकेगा।** **(ख) पुनर्खरीद यूनिट प्रमाणपत्र और उसके पीछे छपा फार्म, जो पुनर्खरीद की तारीख को प्रमाणपत्र में सम्मिलित सभी यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए विधिवत् भरा गया हो, प्राप्त होने पर प्रभावी होगी। यूनिट ट्रस्ट भी यूनिटधारक(कों) से सभी यूनिटधारकों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित निर्धारित फार्म और अनुरोध प्राप्त होने पर प्रमाणपत्र में उल्लिखित सभी यूनिटों की पुनर्खरीद करेगा। यूनिट प्रमाणपत्र या फार्म, यदि कोई हो, यूनिट ट्रस्ट द्वारा रद्द किए जाने के लिए रख लिया जाएगा।**	1. पुनर्खरीद, बही बंदी की अवधि को छोड़ कर जो एक साल में 45 दिन से ज्यादा नहीं होगी, सारा साल खुली रहेगी। 2. मास्टरगेन के यूनिट का पुनर्खरीद मूल्य एनएवी से अधिक से अधिक 3% राशि काट कर तय किया जाएगा। इस राशि में दलाली, कमीशन, करों अन्य प्रशासनिक प्रभारों, खर्चों तथा निवेशों को प्राप्त करने में हुई प्रभावी लागत सम्मिलित होगी। 3. स्विचओवर/पुनर्खरीद विधिवत् हस्ताक्षरित लेखा विवरणी/यूनिट प्रमाणपत्र के प्राप्त होने पर प्रभावी होगी। आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते सदस्य प्रति फोलियो रु. 5000/- का न्यूनतम शेष कायम रखे।

	(ग) पुनर्खरीद संविदा स्वीकृति तिथि को निर्णीत हुई मानी जाएगी। (घ) यूनिट ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीदे गए यूनिटों का भुगतान आवेदक द्वारा आवेदन में बताए गए तरीके से स्वीकृति तिथि के बाद जितना जल्दी संभव हो, किया जाएगा। आवेदक को देय राशि पर किसी भी प्रकार से ब्याज अदा नहीं किया जाएगा और प्रेषण का खर्च (डाक खर्च सहित) या ट्रस्ट द्वारा भेजे गए चेक या ड्राफ्ट को वसूल करने का खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा। (ङ) निक्षेपागार पद्धति का यूनिटधारक यदि पुनर्खरीद चाहता है तो उसे समय समय पर बनाए जाने वाले नियमों/दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।	इस राशि की गणना पुनर्खरीद आवेदन प्राप्त होने की तारीख को लागू पुनर्खरीद कीमत के आधार पर की जाएगी। 4. आंशिक पुनर्खरीद के मामले में, सदस्य द्वारा धारित यूनिटों की संख्या पर निर्भर करते हुए, उसे नई लेखा विवरणी जारी की जाएगी। पुनर्खरीद रकम पर कोई ब्याज अदा नहीं किया जाएगा। 5. सदस्य(यों) की मृत्यु की स्थिति में और विधिक प्रतिनिधि द्वारा ट्रस्ट को लेखा विवरणी, मृतक सदस्य के नाम बकाया यूनिटों की पुनर्खरीद का अनुरोध पत्र प्रस्तुत किए जाने पर, ट्रस्ट, दावे की मान्यता के संबंध में बनाई गई अपेक्षाओं को पूरा किए जाने पर ट्रस्ट द्वारा यथा निर्मित नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसरण में यूनिटों की पुनर्खरीद करेगा और दावे के निपटान की तारीख तक बकाया रकम का भुगतान करेगा। सदस्य के विधिक प्रतिनिधि को मृतक के नाम सभी यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य लेने के बजाए सदस्य के रूप में यूनिट धारित करने और सदस्य के रूप में पंजीकृत हुए रहने की अनुमति दी जा सकती है और इस प्रकार इच्छित यूनिटों को धारित किए जाने के संबंध में न्यूनतम धारिता और निवेश पात्रता की शर्तों के अधीन लेखा विवरणी जारी की जाएगी। 6. ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीदे गए यूनिटों के संबंध में भुगतान कटौतियों, यदि कोई हों, के बाद पुनर्खरीद अनुरोध संसाधित किए जाने वाले स्थान में पुनर्खरीद अनुरोध की पर्ची की तारीख से 10 कार्यदिवसों के भीतर (बशर्ते आवेदन सही हो) किया जाएगा। आवेदक को देय रकम पर किसी भी प्रकार से ब्याज अदा नहीं किया जाएगा और प्रेषण खर्च (डाक खर्च सहित) और ट्रस्ट द्वारा भेजे गए चेक या ड्राफ्ट को वसूल करने का खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा। 7. अनिवासी निवेशकों के मामले में पुनर्खरीद राशि निवेश के स्रोत पर निर्भर करते हुए, जैसे कि नीचे दिया गया है, प्रेषित की जाएगी: क) जहां यूनिट विदेश से विदेशी मुद्रा प्रेषित करके या सदस्य के एफसीएनआर जमा राशियों से या भारत में किसी बैंक में सदस्य के अनिवासी बाह्य (एनआरई) खाते में धारित निधि से खरीदे गए हों, वहां सदस्य को रकम विदेशी मुद्रा में भेजी जा सकती है या एनआरई या अनिवासी सामान्य (एनआरओ) खाते में जमा कराई जा सकती है या भारत में उसके संबंधी को दी जा सकती है। ख) जहां यूनिट आवेदक के भारत में निवासी होते हुए या सदस्य के एनआरओ खाते में धारित निधि से खरीदे गए हों, वहां पुनर्खरीद राशि या तो भारत में स्थित बैंक में निवेशक के एनआरओ खाते में जमा करने के लिए या भारत में उसके संबंधी को भेजी जा सकती है। 8. विदेशी संस्थागत संस्थाओं के मामले में पुनर्खरीद राशि सेबी/आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार विशेष अनिवासी रुपया खाते में जमा की जाएगी।

ट्रस्ट का आवेदन स्वीकार या रद्द करने का अधिकार **13**	ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक के अनुसार योजना के अंतर्गत यूनिट जारी करने के लिए आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत कर सके। आवेदन करने के संबंध में किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के बारे में ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा।	ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक के अनुसार योजना के अंतर्गत यूनिट जारी करने के लिए आवेदन स्वीकृत और/या अस्वीकृत कर सके। ट्रस्ट निम्नलिखित परिस्थितियों में यूनिट जारी करने हेतु आवेदन अस्वीकृत कर देगा : (i) यदि प्रारंभिक निवेश के लिए आवेदन रु. 5000/- की न्यूनतम निवेश राशि से कम एवं उसके बाद प्रति फोलियो रु.1000/- से कम के लिए प्राप्त हुआ हो, (ii) यदि आवेदन पहले आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित न हो। (iii) यदि आवेदक योजना में निवेश करने के लिए पात्र न हो। आवेदन करने के संबंध में किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के बारे में ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा। (iv) **यदि आवेदन अपूर्ण पाया गया तो आवेदन रद्द किए जाने के योग्य होगा।** **प्रथम आवेदक के बैंक विवरण रहित आवेदन** अस्वीकार **किए जाने के योग्य होगा।** रद्द किए जाने के मामलों में आवेदन राशि बिना किसी ब्याज या अन्य देयता के ट्रस्ट द्वारा अपेक्षित परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वापस की जाएगी।
योजना के अंतर्गत यूनिट जारी किए जाने से पूर्व आवेदक द्वारा अपेक्षाओं का अनुपालन **14**	योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्तियों को योजना में आवेदन करने की अपनी योग्यता और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाओं का पालन करने के लिए ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा। मिथ्या घोषणा के अंतर्गत यूनिट धारित करने वाला व्यक्ति यूनिट प्रमाणपत्र को रद्द किए जाने का भागी होगा और उसका नाम यूनिटधारकों के रजिस्टर से निकाल दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में ट्रस्ट को यूनिटों को सममूल्य पर पुनर्खरीदने का अधिकार होगा। राशि पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा चाहे ट्रस्ट को पुनर्खरीद करने और पुनर्खरीद रकम आवेदक को भेजने में कितना भी समय लगे। परंतु ऐसी स्थिति में, निक्षेपागार माध्यम से यूनिट धारण करने वाले के संबंध में ट्रस्ट समय समय पर बनाए जाने वाले नियमों / दिशानिर्देशों / प्रक्रियाओं का पालन करेगा।	क) योजना में यूनिटों के लिए आवेदन कर रहे व्यक्ति को अवयस्क की ओर से आवेदन करने के लिए अपनी पात्रता के लिए ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट द्वारा निर्धारित सभी अपेक्षाएं पूर्ण करनी होंगी, जैसे कि अवयस्क के मामले में जन्मतिथि प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना। ख) कोई भी वयस्क, जो किसी नाबालिग का माता-पिता हो, सौतेला माता-पिता हो या विधिक अभिभावक हो, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2ए) के अनुसार और उपबंधित सीमा तक यूनिट रख सकता है और क्रय-विक्रय कर सकता है। अपेक्षानुसार ऐसा वयस्क ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नाबालिग की उम्र और नाबालिग की ओर से यूनिट रखने तथा क्रय-विक्रय करने की क्षमता का प्रमाणपत्र ट्रस्ट के समक्ष पेश करेगा। आवेदन में ऐसे वयस्क द्वारा किए गए कथन के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण के ट्रस्ट को कार्य करने का अधिकार होगा। ग) भागीदारी फर्म /सहकारी समितियों/निगमित निकायों/ कंपनियों की ओर से यूनिटों की खरीद के लिए किए जाने वाले आवेदनों के साथ भागीदारी विलेख/सोसाइटी के उपनियम /निगमित निकाय को नियंत्रित करने वाले कानून/कंपनी के बहिर्नियमों एवं अंतर्नियमों की प्रमाणित प्रति और प्रबंध निकाय के संकल्प की प्रति जिसमें योजना में निवेश के लिए प्राधिकृत किया गया हो। यूनिटों की पुनर्खरीद के समय प्रबंध निकाय के संकल्प, जिसमें पुनर्खरीद के लिए प्राधिकृत किया गया हो एवं पुनर्खरीद की प्रक्रिया के लिए औपचारिकताएं पूर्ण करने एवं पुनर्खरीद की राशि का चेक लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी/अधिकारियों के नाम प्रस्तुत करने होंगे।

		घ) गलत घोषणा करके यूनिट रखने वाला व्यक्ति अपनी सदस्यता के निरस्तीकरण का भागी होगा और उसका नाम सदस्यो की पंजी से काट दिया जाएगा। ङ) उपरोक्त परिस्थिति में ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसे यूनिटों की पुनर्खरीद अंकित मूल्य या एनएवी, जो भी कम हो, पर कर ले और इसमें से दण्ड के रूप में ऐसी राशि का 25% या ऐसी राशि जिसे ट्रस्ट निश्चित करे, काट ले। इसके अतिरिक्त, यदि कोई आय वितरण गलती से अदा कर दिया गया हो तो उसकी वसूली पुनर्खरीद आय में से की जाएगी और शेष राशि सबंधित व्यक्ति को वापस की जाएगी। पुर्नखरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद की राशि भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उस राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य **15(1)**	यूनिट ट्रस्ट द्वारा जिस मूल्य पर यूनिट बेचा जाएगा (यहां इसके बाद "बिक्री मूल्य" कहा जाएगा) और जिस मूल्य पर यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिट की पुनर्खरीद की जाएगी (यहां इसके बाद "पुनर्खरीद मूल्य" कहा जाएगा) वह दैनिक आधार पर घोषित किया जाएगा। बिक्री मूल्य शुद्ध आस्ति मूल्य (पूर्ववर्ती) होगा। पुनर्खरीद मूल्य एनएवी (पूर्ववर्ती) के 5% घटाने पर होगा।	यूनिटो का बिक्री मूल्य आवेदन स्वीकृति के दिन के समाप्त होने के एनएवी पर होगा। ट्रस्ट द्वारा बिक्री संविदा स्वीकृति तिथि को निर्णीत हुई मानी जाएगी। मास्टरगेन के यूनिट का पुनर्खरीद मूल्य यूनिट के एनएवी से अधिक से अधिक 3% राशि काट कर तय किया जाएगा। यह कटौती दलाली, कमीशन, करों और अन्य प्रशासनिक प्रभारों, खर्चों और निवेश करने के संबंध में हुए अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए की जाएगी।
योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन **17**	विद्यमान प्रावधान अनुबंध की मद 9 में दिए गए प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।	अनुबध की मद 9 का सदर्भ ले।
यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट को मान्यता नहीं **20**	जो व्यक्ति धारक के रूप में पंजीकृत हो और जिसके नाम यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, ट्रस्ट द्वारा केवल उसी व्यक्ति को यूनिट धारक के रूप में और यूनिट प्रमाण में बताए गए यूनिटों के प्रति अधिकार, हक या हित रखने वाले के रूप में मान्यता देगा और ट्रस्ट उसे इसके एकमात्र स्वामी के रूप में मान्य कर सकता है और इसके प्रतिकूल किसी नोटिस या किसी ट्रस्ट के किसी निष्पादन के नोटिस या यहां स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधान के सिवाय या किसी सक्षम प्राधिकार वाले न्यायालय के आदेश से किसी ट्रस्ट या इक्विटी या अन्य हित को मान्य करने को बाध्य नहीं होगा जिससे किसी यूनिट प्रमाणपत्र या उसके यूनिट प्रभावित होते हों।	निम्नलिखित को खंड के अंत में जोड़ा जाता है : उपरोक्त प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित 'लेखा विवरणी' और 'सदस्यों ' के यूनिटों पर लागू होंगे।
यूनिट प्रमाणपत्रों का विनिमय और प्रमाणपत्र के कट-फट खराब या गुम आदि हो जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया **21**	(1) योजना के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक यूनिटधारक अपने किसी एक यूनिट प्रमाणपत्र सभी यूनिट प्रमाणपत्रों को उसी संख्या के यूनिटों में 100 यूनिटों के गुणकों में एक या अधिक यूनिट प्रमाणपत्रों में परिवर्तित करवाने का हकदार है। इस प्रकार के विनिमय के लिए आवेदन करते समय यूनिटधारक परिवर्तित करवाने वाले प्रमाणपत्र(त्रों) को ट्रस्ट को	निम्नलिखित को 'लेखा विवरणी का विनिमय और लेखा विवरणी के कट-फट, खराब, गुम आदि हो जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ' शीर्षक खंड के अंत में शामिल किया जाता है। ऐसे मामलों में लेखा विवरणी साधारण अनुरोध कर जारी की जाएगी।

	सौंपेगा और नया/नए प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए ट्रस्ट को सारा धन (यदि इसके अंतर्गत कुछ देय हो) अदा करेगा। (2) (ख) यदि कोई प्रमाणपत्र कट-फट या खराब हो जाता है तो ट्रस्ट अपने विवेक से पात्र व्यक्ति को कुल उतने ही यूनिटों का नया प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जितने यूनिट कटे-फटे या खराब हो गए प्रमाणपत्र मे हों। यदि कोई प्रमाणपत्र गुम, चोरी या नष्ट हो गया हो तो ट्रस्ट अपने विवेक से पात्र व्यक्ति को इसके बदले नया प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। ऐसा कोई नया प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक ने पहले i) मूल पत्र के कट-फट, खराब, गुम, चोरी या नष्ट हो जाने का ट्रस्ट की दृष्टि से संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो ; ii) तथ्यों की छानबीन के संबंध में सभी खर्चे अदा न कर दिए हों ; iii) (खराब या कट-फट जाने के मामले में) खराब या कटा फटा हुआ प्रमाणपत्र ट्रस्ट को प्रस्तुत और अभ्यर्पित न कर दिया हो ; और iv) यथा अपेक्षा ट्रस्ट को क्षतिपूर्ति प्रस्तुत न कर दी हो। (ख) इस खंड के प्रावधानों के अंतर्गत ट्रस्ट सद्भाव में ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कोई देनदारी नहीं उठाएगा। (3) इस खंड के प्रावधानों के अंतर्गत कोई प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पहले ट्रस्ट आवेदक से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह यूनिट प्रमाणपत्र के लिए प्रति प्रमाणपत्र एक रुपए का शुल्क और स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो और ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने और भेजे जाने के संबंध में देय डाक रजिस्ट्री प्रभार सहित अन्य प्रभारों के प्रति ट्रस्ट की राय में जो राशि पर्याप्त हो, अदा करे।	
सदस्यों का रजिस्टर 21 क	कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है।	सदस्यों के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे : (1) ट्रस्ट द्वारा अपने कार्यालयों में सदस्यों का एक रजिस्टर रखा जाएगा और इसमें निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी - (क) फोलियो नंबर और सदस्य के नाम यूनिटों की संख्या ; (ख) सदस्य का नाम व पता ;

		(ग) दूसरे व तीसरे धारक का/के नाम; (घ) धारिता का स्वरूप; (ङ) नामित/हिताधिकारी का नाम; (च) सदस्यता में शामिल होने की तारीख; (2) यूनिट प्रमाणपत्र(त्रों) और यूनिट धारक(कों) को लागू खंड 21 में निर्धारित प्रतिबंध लेखा विवरणी और आवेदित यूनिट/सदस्य के नाम यूनिटों पर यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।
यूनिटधारकों द्वारा नामांकन **24**	1) एकल या संयुक्त धारिता वाले दो यूनिटधारक इस संबंध में बनाए गए विनियमों के अधीन 2 व्यक्तियों से अधिक के पक्ष में नामांकन कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। 2) यूनिटधारक जो या तो माता-पिता या नाबालिग की ओर से आवेदन करने वाले विधिक अभिभावक और पात्र संस्था, समितियां हैं, उन्हें नामित करने का कोई अधिकार नहीं होगा।	**8. सदस्यों द्वारा नामांकन** i) नामांकन सुविधा केवल अपनी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति अर्थात् एकल या संयुक्त रूप से दो तक के लिए उपलब्ध है। ii) केवल एक व्यक्ति नामित किया जा सकता है। iii) अवयस्क अनिवासी भारतीय सहित अवयस्क नामित किए जा सकते हैं। iv) अनिवासी भारतीय का नामांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाएगा। v) योजना के चालू रहने के दौरान नामांकन में किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है। vi) आवेदक, जो नाबालिग की ओर से विधिक अभिभावक या माता-पिता है तथा पात्र संस्था, समिति, निगमित निकाय, एचयूएफ और भागीदारी फर्म को नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा। vii) अन्य प्रावधान विनियमों में उपलब्ध कराई गई सीमा तक रहेंगे। viii) सदस्य को सांविधिक नामांकन की सुविधा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 39ए के अंतर्गत उपलब्ध है। तदनुसार, जहां यूटीआई सामान्य विनियम, 1964 के अनुसार किसी यूनिट के संदर्भ में नामांकन किया गया है, सदस्य की मृत्यु के उपरांत यूनिट नामिती को विहित होंगे तथा किसी अधिकार, टाइटल, दावा तथा अन्य व्यक्ति के हित की शर्तों के अधीन या उपरोक्त यूनिटों के संदर्भ में ऐसे विनियमों में उल्लिखित एवं उपरोक्त यूनिटों के सदर्भ में किसी प्रभार या किसी भार ग्रस्तता की शर्त के अधीन लेखा विवरणी जारी की जाएगी। उपरोक्त अनुसार ट्रस्ट द्वारा किया गया भुगतान कथित यूनिटों के सदर्भ में सभी देयताओं से ट्रस्ट के लिए पूर्ण उन्मोचन होगा।

यूनिटों का अंतरण 25	(1) यूनिटों के अंतरण की अनुमति होगी। (2) यूनिट धारित करने वाले प्रत्येक यूनिट धारक को यूनिटों या धारित यूनिटों में किसी को ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित रूप में लिखित में एक लिखत द्वारा अंतरण करने की अनुमति होगी। परतु कोई अंतरण पंजीकृत नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे पंजीकरण के परिणामस्वरूप अंतरिती या अंतरणकर्ता के यूनिट 100 के गुणकों में न रहें। (3) अंतरण का प्रत्येक विलेख अंतरणकर्ता और अंतरिती द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। अंतरणकर्ता तब तक अंतरित यूनिटों का धारक माना जाएगा, जब तक इन यूनिटों के संबंध में अंतरिती का नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं कर लिया जाता। यह खंड "यूनिटों का कारोबार" के साथ पढ़ा जाएगा। (4) किसी धारक द्वारा निक्षेपागार माध्यम के यूनिटों के किसी अन्य व्यक्ति को किए जाने वाले अंतरण के मामले में या विलोमत: अंतरण निक्षेपागार माध्यम में प्रतिभूतियों के अंतरण को चालित करने वाले नियमों/विनियमों के अनुसरण में होगा।	यूनिटों का अंतरण /गिरवी रखा जाना /समनुदेशन **क) अंतरण सुविधा-इस पेशकश दस्तावेज के अनुसरण में जारी यूनिट** निम्नलिखित अपवाद के अधीन लेखा विवरणी के अंतर्गत यूनिट अंतरण योग्य नहीं हैं। सतत रूप से खुली योजना होने के कारण बिक्री / पुनर्खरीद सुविधा एनएवी /एनएवी आधारित मूल्य पर हमेशा उपलब्ध रहेगी। हालांकि अंतरिती विधिक रूप से या गिरवी रखे जाने या मृत्यु हो जाने, एकमात्र धारक या संयुक्त धारको में उत्तरजीवियों के कार्यकलापों के समाप्त होने या दिवालिया होने पर स्वयं ही यूनिटों का धारक बन जाता है, तो ट्रस्ट द्वारा जो सबूत पर्याप्त माने जाते हैं, उनके प्रस्तुत किए जाने पर ट्रस्ट उन यूनिटों को अंतरित कर देगा बशर्ते कि अंतरिती अन्यथा यूनिट धारण करने हेतु पात्र हो। यदि अंतरिती कानून के द्वारा या बंधक के लागू होने पर कोई वाणिज्यिक आधिकारिक क्षमता में यूनिटधारक बन जाता है तो ट्रस्ट ऐसा सबूत पेश किए जाने के अधीन, जो उसकी राय में पर्याप्त हो, अंतरण प्रभावी करने की कार्रवाई करेगा यदि भावी अंतरिती अन्यथा यूनिट धारित करने का पात्र हो। **ख) यूनिटों का गिरवी रखा जाना /समनुदेशन** सदस्य ऋण लेने के लिए यूनिटों को प्रतिभूति के रूप में बैंकों /वित्तीय संस्थानों के पक्ष में गिरवी रख /समनुदेशन कर सकते हैं । ट्रस्ट द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने पर / आवश्यक फार्म भरकर यूनिट गिरवी रखे जा सकते हैं । ट्रस्ट गिरवी रखे गए यूनिटों के लिए गिरवी/चार्ज / धारणाधिकार दर्ज करेगा। गिरवीकर्ता इस प्रकार गिरवी रखे गए यूनिटों को तब तक मोचित नहीं कर सकता है जब तक कि वह बैंक / वित्तीय संस्थान जिसके पास यूनिट गिरवी रखे गए हैं, ट्रस्ट को लिखित रूप में प्राधिकार पत्र नहीं देता है कि गिरवी/चार्ज / धारणाधिकार हटा लिया जाए । यूनिट गिरवी रखे जाने की अवधि में गिरवीकर्ता बैंक / वित्तीय संस्थान को उपरोक्त यूनिटों को उन्मोचित करने का पूरा अधिकार है। **ग) 26/4/2000 से पूर्व जारी यूनिटों का अंतरण** 26/4/2000 से पूर्व जारी व शेष बकाया यूनिटों का अंतरण जब तक कि वह असूचीबद्ध नहीं कर लिए जाते, निम्नलिखित के अधीन होगा : (i) अंतरण केवल यूनिट धारण करने योग्य अंतरणकर्ता व अंतरिती के मध्य और उनके द्वारा ही प्रभावी होगा। ट्रस्ट किसी अन्य अंतरण को मानने हेतु बाध्य नहीं होगा। (ii) यूनिट प्रमाण पत्र के साथ विधिवत् मुद्रांकित अंतरण विलेख इस प्रयोजन हेतु नियुक्त किसी भी रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करवाए जाते हैं । परंतु यह कि विशेष परिस्थितियों में ट्रस्ट अंतरण की लिखत के बिना उन शर्तों एवं निबंधनों पर और अंतरिती द्वारा ऐसे प्रमाण उपलब्ध कराए जाने पर जो ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, यूनिटों के अंतरण की अनुमति दे सकता है।

		(iii) ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में जमा कराया गया या स्वीकार किए गए विधिवत् मुद्रांकित व निष्पादित अंतरण विलेख के साथ प्रमाणपत्र निकटतम रजिस्ट्रार कार्यालय को भेज दिया जाएगा । (iV) अंतरण की प्रत्येक लिखत अंतरणकर्ता द्वारा (संयुक्त धारकों की स्थिति में सभी अंतरणकर्ताओं द्वारा) व अंतरिती द्वारा (संयुक्त धारकों की स्थिति में सभी अंतरितियों द्वारा) हस्ताक्षरित होनी चाहिए तथा अंतरणकर्ता (संयुक्त धारकों की स्थिति में सभी अंतरणकर्ताओं द्वारा) उस समय तक यूनिटों का धारक माना जाएगा जब तक कि रजिस्ट्रार द्वारा अंतरिती का नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज नहीं कर लिया जाता है । (V) रजिस्ट्रार अंतरणकर्ता से अंतरण कर्ता के हक या यूनिटों के अंतरण के उसके अधिकार के समर्थन में ऐसे प्रमाण मांग सकते हैं जिन्हें वे आवश्यक समझते हों । (VI) रजिस्ट्रार, उन आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन जिन्हें वे आवश्यक समझते हों और अपने विवेक से मूल प्रमाणपत्र यदि गुम, खो, नष्ट हो गया हो, तो उसे प्रस्तुत करने से छूट दे सकते हैं। (Vii) यूनिटों के अंतरण के पंजीकरण होने पर अंतरण की सभी लिखतें व निरस्त यूनिट प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार द्वारा रख लिए जाएंगे । (Viii) रजिस्ट्रार किसी अंतरण को मान्यता देते हुए व पंजीकृत करते हुए अंतरिती को नई लेखा विवरणी जारी करेगा। यदि अंतरिती कानून के द्वारा या बंधक के लागू होने पर कोई वाणिज्यिक बैंक अधिकाधिक क्षमता में यूनिटधारक बन जाता है तो ट्रस्ट ऐसा सबूत पेश किए जाने के अधीन, जो उसकी राय में पर्याप्त हो, अंतरण प्रभावी करने की कार्रवाई करेगा यदि भावी अंतरिती अन्यथा यूनिट धारित करने का पात्र हो। (iX) विशेष परिस्थितियों में किसी कंपनी या निगमित निकाय की दूसरी कंपनी या निगमित निकाय या व्यक्ति / व्यक्तियों के साथ, जिसमें कोई भी नाबालिग नहीं है, ट्रस्ट द्वारा विचार किया जा सकता है । (X) उपरोक्त बताए गए उपबंधों की शर्त पर रजिस्ट्रार अंतरण का पंजीकरण कर लेगा व संबंधित अंतरण लिखत के साथ यूनिट प्रमाणपत्र जमा कराए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर यूनिट प्रमाणपत्र लौटा देगा/नया यूनिट प्रमाणपत्र/लेखा विवरणी जारी कर देगा। संयुक्त अंतरितियों के मामले में लेखा विवरणी केवल प्रथम सदस्य को भेजी जाएगी और धारिता के संदर्भ में सभी भुगतान केवल प्रथम सदस्य के नाम किए जाएंगे ।
निवेश सीमाएं	(I) योजना की निधियों से किसी कंपनी	(I) योजना की निधियों से किसी कंपनी की प्रतिभूतियों में

27	की प्रतिभूतियों में निवेश उन कंपनियों की जारी व बकाया प्रतिभूतियों के 15% से अधिक नहीं होगा। परन्तु नए औद्योगिक उपक्रमों की आरंभ में जारी पूंजी में किसी भी समय 5% से अधिक नहीं होगा। (2) उप खंड(1) में निर्धारित सीमाएं ट्रस्ट की बॉण्डों और डिबेंचरों और किसी कंपनी के जमानती या गैर जमानती जमाओं में किए गए निवेश पर लागू नहीं होंगी। स्कीम डेरिवेटिव निवेशों में निवेश कर सकती है, जब कभी सेबी द्वारा इसकी अनुमति दी जाए और स्कीम द्वारा निवेश के लिए उपलब्ध हो। 01.01.1997 से योजना के अंतर्गत प्राप्त किसी भी अभिदान का निवेश सेबी विनियमों और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनियामक ढांचे के अनुसार किया जाएगा अर्थात् : (1) स्कीम द्वारा जिन ऋण लिखतों में निवेश किया जाए उन सभी का क्रिसिल/इकरा/केयर या समय-समय पर मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निवेश के रूप में दर्जा निर्धारित किया होना चाहिए : परंतु यदि ऋण लिखत का दर्जा निर्धारित न किया गया हो तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल का अनुमोदन लेना होगा। (2) स्कीम द्वारा सावधि ऋण नहीं दिए जाएंगे। (3) निजी रूप से नियोजित डिबेंचरों, जमानती ऋण और दूसरी असूचीबद्ध ऋण लिखतों के माध्यम से किया गया निवेश स्कीम की कुल आस्तियों के 10% से अधिक नहीं होगा। (4) स्कीम किसी एक कंपनी के शेयरों में अपनी निधि के 5% से अधिक का निवेश नहीं करेगी। (5) किसी एक कंपनी के शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों में इस योजना सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं की निधियों के 15% से अधिक का निवेश नहीं किया जाएगा। (6) किसी एक उद्योग के शेयरों और डिबेंचरों में इस योजना सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं की निधियों के 15% से अधिक का	निवेश उन कंपनियों की जारी व बकाया प्रतिभूतियों के 15% से अधिक नहीं होगा। परंतु नए औद्योगिक उपक्रमों की आरंभ में जारी पूंजी में किसी भी समय 5% से अधिक नहीं होगा। (2) उप खंड(1) में निर्धारित सीमाएं ट्रस्ट की बॉण्डों और डिबेंचरों और किसी कंपनी के जमानती या गैर जमानती जमाओं में किए गए निवेश पर लागू नहीं होंगी। (3) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिये जाएंगे। (4) ट्रस्ट प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय सुपुर्दगियों के आधार पर करेगा और खरीद के सभी मामलों में संबंधित प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेगा और बिक्री के सभी मामलों में प्रतिभूतियो की सुपुर्दगी करेगा और किसी भी मामले में खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालेगा जिससे इसे मंदड़िया बिक्री करनी पड़े या सौदे का वायदा (कैरी फारवर्ड) करना पड़े या बदला वित्त में लिप्त होना पड़े । (5) ट्रस्ट खरीदी गई प्रतिभूतियों का अंतरण ट्रस्ट के नाम करवाएगा। (6) आवश्यक प्राधिकार प्राप्त होने के अधीन यूटीआई, उचित परिस्थितियों में योजना की निवेश नीति, जोखिम को रोकने या कम से कम करने के उद्देश्य के लिए, ऐसी तकनीकों और लिखतों जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शन्स और डेरिवेटिवों का, जब भारतीय बाजार में उनके प्रयोग की अनुमति मिल जाएगी, लागू विनियमों और प्रति-पक्षी जोखिम मूल्यांकन के अधीन, प्रयोग करेगा। (7) क) योजना सेबी द्वारा घोषित प्रतिभूति उधार देने वाली योजना की शर्तों के अनुसार स्टॉक उधार देने के कार्यक्रम में सहभाग करेगी। यह कार्य किसी अनुमोदित बिचौलिए के जरिए किया जाएगा। ख) किसी भी समय स्टॉक उधार दिए जाने पर किसी एकल बिचौलिए को योजना का अधिकतम उधार,योजना के इक्विटी पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत या सेबी द्वारा निर्धारित सीमा तक होगा। ग) यदि यूटीआई को स्टॉक उधार लेने की अनुमति दी जाती है तो योजना इस संबंध में सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार उचित परिस्थितियों में स्टॉक उधार ले सकेगी। (8) योजना, विदेशी कंपनियों द्वारा जारी की गई तथा विदेश में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में अथवा भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेशकों को जारी की गई प्रतिभूतियों तथा विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध ऐसे निर्गमों में सीधे अभिदान करके अथवा सेबी/आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए खरीद करके निवेश कर सकेगी। (9) योजना इनमें से किसी में निवेश नहीं करेगी ;

	निवेश नहीं किया जाएगा : परंतु यह प्रावधान उस योजना पर लागू नहीं होगा जो किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए बनाई गई हो और जिसके बारे में पेशकश दस्तावेज में घोषणा की गई हो। (7) इस योजना के निवेशों का ट्रस्ट की अन्य योजना/प्लान में अंतरण तभी किया जाएगा जब - (क) ऐसे अंतरण उधृत निवेशों के लिए स्पॉट आधार पर प्रचलित बाजार भाव पर किए जाते हों। (ख) इस प्रकार अंतरित प्रतिभूतियां अंतरित स्कीम/प्लान के उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। (ग) इस स्कीम से दूसरी स्कीम/प्लान में असूचीबद्ध या अनोधृत निवेश का अंतरण ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई नीतियों के अनुसार होगा। (8) योजना ट्रस्ट की दूसरी स्कीम/प्लान में तब तक निवेश नहीं करेगी या उधार नहीं देगी, जब तक सेबी द्वारा म्युचुअल फंड विनियमों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के अधीन अन्यथा प्रावधान न किया गया हो। (9) स्कीम अपने निवेशों के वित्तपोषण के लिए तब तक निधियां उधार नहीं लेगी जब तक सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड विनियमों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के द्वारा अन्यथा अनुमति न दी जाए।	क) ट्रस्ट की समूह या सहायक कंपनी की कोई असूचीबद्ध प्रतिभूति ;या ख) ट्रस्ट की समूह या सहायक कंपनी द्वारा निजी नियोजन के माध्यम से जारी की गई कोई प्रतिभूति; या ग) ट्रस्ट की समूह कंपनियों की सूचीबद्ध प्रतिभूतियां जो ट्रस्ट की सभी योजनाओं की शुद्ध आस्तियों के 25% से अधिक हों। (10) योजना की प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए शेयर-दलाली फर्म और यूटीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था यूटीआई सिक्यूरिटीज़ एक्सचेंज लिमिटेड (यूटीआई-एसईएल) की सेवाएं ली जा सकती हैं जो नीतियों के अनुसार हों और ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा तय की गई सीमाओं के अधीन हों। यूटीआई एसईएल 1994 में स्थापित की गई थी। इसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है। (11) स्कीम किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों या इक्विटी सम्बद्ध लिखतों में इसके एनएवी के 10% से अधिक निवेश नहीं करेगी। (12) स्कीम किसी एक निर्गमकर्ता द्वारा जारी उन ऋण लिखतों में इसके एनएवी के 15% से अधिक निवेश नहीं करेगी, जिनका दर्जा सेबी द्वारा ऐसे कार्य के लिए प्राधिकृत एजेंसी द्वारा निवेश के लिए निर्धारित ग्रेड से नीचे तय न किया गया हो। इस निवेश सीमा को न्यासी मंडल के पूर्वानुमोदन से एनएवी के 20% तक बढ़ाया जा सकता है। परंतु यह सीमा सरकारी प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश करने के लिए लागू नहीं होगी। (13) स्कीम किसी एक निर्गमकर्ता द्वारा जारी गैर दर्जा निर्धारित ऋण लिखतों में स्कीम के एनएवी के 10% से अधिक निवेश नहीं करेगी और ऐसी लिखतों में कुल निवेश योजना के एनएवी के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का सारा निवेश न्यासी मंडल के पूर्वानुमोदन से किया जाएगा।
आय वितरण **28**	स्कीम में हुई आमदनी और किए गए खर्च पर निर्भर करते हुए ट्रस्ट स्कीम में आय वितरण की घोषणा नहीं भी कर सकता है। वितरण योग्य आय, यदि कोई हो, हर साल 30 जून को वार्षिक लेखा बंदी के बाद जितना जल्दी हो सके अदा की जाएगी। लाभांश की घोषणा के मामले में आय वितरण वारंट लाभांश की घोषणा की तारीख से 42 दिन के भीतर भेज दिए जाएंगे।	(क) यद्यपि स्कीम का उद्देश्य वृद्धि करना है, योजना समय समय पर आय वितरण भी कर सकती है। (ख) ऐसे सदस्य जिन के नाम स्कीम द्वारा आय वितरण की घोषणा से पहले रजिस्टरों को बंद करते समय सदस्यों के रजिस्टर में होंगे, वे स्कीम में इस प्रकार वितरित आय प्राप्त करने के हकदार होंगे। (ग) स्कीम द्वारा वितरित आय ईसीएस के जरिए, जहां जहां यह सुविधा उपलब्ध है या चेक या ऐसे बैंक(कों) की शाखाओं में भुनाए जाने वाले वारंटों के माध्यम से अदा की जाएगी जिन के बारे में ट्रस्ट पूर्व भुगतान व्यवस्था निर्दिष्ट कर दे। (घ) आय वितरण की घोषणा के मामले में आय वितरण वारंट आय वितरण की घोषणा की तारीख से 42 दिन के भीतर भेज दिए

		जाएगा। (ङ) वितरित आय का पुनर्निवेश : सदस्य स्कीम द्वारा घोषित आय, यदि कोई हो, का और यूनिटों में पुनर्निवेश का विकल्प चुन सकता है। ऐसे विकल्प के प्रयोग किए जाने की स्थिति में उसकी यूनिटधारिता की सारी आय, कर कटौती के बाद, यदि कोई हो, यहां ऊपर खंड VIII (ग) मे उपबंधित तरीके से सदस्य को अदा किए जाने के बजाए स्कीम के और यूनिटों में एनएवी पर पुनर्निवेशित की जाएगी और उसके फोलियो में जमा की जाएगी। ऐसे जमा के बाद नई लेखा विवरणी जारी की जाएगी। **च) <u>निवेशकों के बैंक विवरण एवं इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा :</u>** i) आय वितरण वारंटों/पुनर्खरीद चेकों/परिपक्वता चेकों को कपटपूर्ण तरीके से भुना लिए जाने से बचने के लिए सेबी ने निवेशकों के हित में आवेदन पत्र में उपयुक्त स्थान पर बैंक ब्यौरे देना अनिवार्य कर दिया है। **बैंक ब्यौरे के बिना आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे** । तदनुसार,नीचे मद (ii) में दिए गए ग्यारह शहरों में न रहने वाले आवेदकों से निवेदन किया जाता है कि वे रिकार्ड हेतु आवेदन पत्र तथा पावती रसीद के उपयुक्त स्थान पर अपने बैंक खाते (अर्थात खाते का प्रकार,खाता संख्या और बैंक का नाम) का पूरा ब्यौरा दें। तब आय वितरण वारंट/पुनर्खरीद चेक,इस प्रकार निर्दिष्ट बैंक ब्यौरे के साथ खाते में जमा करने के लिए सदस्य के नाम जारी कर उसे भेजे जाएंगे। ii) वर्तमान में ईसीएस सुविधा मुंबई/ कलकत्ता/ चेन्नई/ नई दिल्ली/ अहमदाबाद/ बड़ौदा/ पुणे/ भुवनेश्वर/ बंगलोर / हैदराबाद/ जयपुर (भविष्य में केंद्रों के नाम जोड़े या निकाले जा सकते हैं) में रहने वाले निवेशकों को संबंधित केन्द्रों पर उनके बैंक खाते में सीधे क्रेडिट के लिए उपलब्ध कराई गई है और जहां एकल लिखत की राशि रु. 5,00,000 से अधिक न हो।. निवेशकों को उनके बैंक खाते में क्रेडिट के ब्यौरे देते हुए एक विवरणी दी जाएगी। iii) निवेशक की बैंक शाखा उसके खाते में जमा करेगी और जमा प्रविष्टि को पास बुक/बैंक खाते की विवरणी में "ईसीएस" से निर्दिष्ट करेगी। आवेदक से अनुरोध किया जाता है कि वह आवेदन पत्र में अपने बैंक का नाम और पता,खाते का प्रकार और संख्या, 9 अंकों वाली बैंक एवं शाखा एमआईसीआर कोड संख्या का विवरण दे। iv) यदि इस सुविधा पर मिली प्रतिक्रिया इसके संचालन हेतु पर्याप्त नहीं है या कोई अन्य कारण से इसका संचालन नहीं किया जा सके तो "ईसीएस" के अंतर्गत आय का भुगतान

		करने के बजाय ट्रस्ट उपरोक्तानुसार आय वारंट जारी करके आय की अदायगी कर सकता है। छ) <u>एनआरआई/ ओसीबी निवेशकों को आय वितरण</u> एनआरआई/ ओसीबी निवेशकों को आय वितरण विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुसार अदा किया जाएगा। आय के भुगतान की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है : i) वारंट सदस्य के नाम जारी किया जा सकता है तथा सदस्य के एनआरई/एनआरओ खाते में जमा करने के लिए उसके किसी ऐसे रिश्तेदार को भेजा जा सकता है जो भारत का निवासी हो, जैसा भी मामला हो। अथवा ii) वारंट किसी ऐसे रिश्तेदार के नाम जारी किए जा सकता है जो भारत का निवासी है तथा उसके खाते में जमा करने के लिए उसे भेजा जाएगा। (ज) ईसीएस सुविधा उन एनआरआई निवेशकों को भी उपलब्ध है जिनका मुंबई में अपना स्वयं का बैंक खाता है। ऐसे एनआरआई निवेशक जो अपने निवासी रिश्तेदार के खाते में आय वितरण क्रेडिट करना चाहते हैं, ईसीएस सुविधा ऊपर बताए गए उप खण्ड में दर्शाए स्थानों पर उन्हें भी उपलब्ध हो सकती है। (i) विदेशी संस्थागत निवेशकों के मामले में वितरित आय सेबी/आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार विशेष अनिवासी रुपए खाते में क्रेडिट की जाएगी।
लेखों का प्रकाशन 29	ट्रस्ट हर साल 30 जून के बाद जितना जल्दी संभव हो, उस तारीख को समाप्त अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से स्कीम के कामकाज को दिखाने वाले लेखे, बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाने वाले तरीके से प्रकाशित करेगा। ट्रस्ट किसी यूनिट धारक से लिखित में अनुरोध प्राप्त होने पर इस तरह प्रकाशित लेखों की प्रति भेजेगा। शुल्क, व्यय और लेखा नीतियां सेबी द्वारा जारी विनियमों / दिशानिर्देशों पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय होंगी।	संशोधित की गई और अनुबंध III लेखा नीतियों की मद 10 में शामिल की गई।
विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ)	हर वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% डीआरएफ में अंशदान के रूप में	(i) दैनिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 0.25% प्र.व. के बराबर राशि ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में रखी

में अंशदान 29 क	अलग रखा जाएगा।	जाएगी। डीआरएफ अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा। (ii) ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास से संबंधित ऐसे बहुत से अन्य कार्यों, जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों, पर होने वाले व्ययों को पूरा कर सके। इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग और कार्पोरेट के छवि निर्माण संबंधी ऐसे प्रयासों जो किसी विशेष योजना से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास संबंधी प्रयासें जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से संबंधित हों, तथा ट्रस्ट की किन्हीं भी योजनाओं में दिए गए आश्वासित प्रतिलाभ की दर में कमी होने पर,साथ ही नो लोड स्कीमों के निर्गम व्ययों की पूर्ति करने के लिए भी किया जा सकता है।
स्टाफ कल्याण निधि में अंशदान (29) (ख)	हर वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% स्टाफ कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में अलग रखा जाएगा।	दैनिक औसत शुद्ध आस्ति के 0.10% प्र.व. के बराबर राशि कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान के रूप में रखी जाएगी। ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं।
योजना में परिवर्धन और संशोधन 30	ट्रस्ट समय समय पर इस स्कीम में कुछ जोड़ सकता है या अन्यथा इसे संशोधित कर सकता है और इसमें किया गया कोई संशोधन / परिवर्धन राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। स्कीम के प्रावधानों में संशोधन कार्यकारिणी समिति और सेबी के पूर्वानुमोदन से प्रभावी होंगे।	संशोधित किए गए और अनुबंध III में 'मूलभूत विशेषताएं' शीर्षक वाली मद 5 में शामिल किए गए।
स्कीम की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी 34	इस स्कीम की एक प्रति, उसमें किए गए सभी संशोधनों को सम्मिलित करते हुए, ट्रस्ट के कार्यालयों में कारोबार के समय के दौरान निरीक्षण के लिए हमेशा उपलब्ध कराई जाएगी और किसी व्यक्ति को या आवेदन करने पर 5 रुपए अदा करने पर दी जाएगी।	संशोधित और नीचे दी गई 'निवेश के अधिकार और सेवाएं' शीर्षक वाली मद में सम्मिलित।
यूनिट धारकों के अधिकार	1. योजना के अधीन यूनिटधारकों को योजना की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा योजना द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, में समानुपातिक अधिकार है।	**निवेशकों के अधिकार एवं सेवाएं** **1.** योजना के अधीन सदस्यों को योजना की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा योजना द्वारा घोषित आय में समानुपातिक अधिकार है।

	2. यूनिटधारकों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशो पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो तथा यूनिटधारकों को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे।	2. सदस्यों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो तथा सदस्यों को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे।
	3. यूनिटधारकों को लाभांश की घोषणा की तारीख से 42 दिन के भीतर लाभांश वारंट भेजे जाने का अधिकार है।	3. सदस्यों को स्वीकृति तिथि से छ: सप्ताह के भीतर लेखा विवरणी जारी किए जाने का अधिकार है।
	4. यूनिटधारकों को "निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज" शीर्षक में सूचीबद्ध दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार है।	4. सदस्यों को अधिकार है कि जिस कार्यालय में पुनर्खरीद अनुरोध संसाधित किए जाते हैं वहां आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर (बशर्ते आवेदन सही हो) पुनर्खरीद प्राप्तियां उन्हें भेजी जाएं। आय वितरण के मामले में, सदस्यों को यह अधिकार है कि आय वितरण वारंट आय वितरण की घोषणा किए जाने की तिथि से 42 दिनों के भीतर उन्हें भेजे जाएं। 5. सभी सदस्यों को पूंजी वृद्धि यूनिट योजना के संदर्भ में संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट संबद्ध लेखा वर्ष की समाप्ति की तिथि से छ: माह के भीतर भेजी जाएगी एवं संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट निरीक्षण के लिए ट्रस्ट के केंद्रीय निवेशक संपर्क कक्ष में उपलब्ध कराई जाएगी एवं इसकी एक प्रति सदस्यों को न्यूनतम शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी। 6. योजना की मूलभूत विशेषताओं में किसी तरह का परिवर्तन तभी किया जाएगा जब व्यक्तिगत संप्रेषण द्वारा सूचित किए जाने के अलावा निवेशकों को एनएवी पर आहरण करने की अनुमति हो। 7. निर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत सदस्यों अनुमोदन पोस्टल बैलट के जरिए मांगा जाएगा। 8. सदस्यों को केन्द्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट द्वार नं. 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुंबई-400 020 में रखे निम्नलिखित दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार है : * यूटीआई अधिनियम * सामान्य विनियमावली * अभिरक्षक, रजिस्ट्रार और आदाता बैंकों के साथ किए गए करार * पूंजीवृद्धि यूनिट योजना के पेशकश दस्तावेज की प्रति

दावा त्याग खंड	अनुबंध III की मद 1 के रूप में जोड़ा गया।	अनुबंध III की मद 1 देखें।
नियत तत्परता प्रमाणपत्र	सेबी को प्रस्तुत किया जाता है। तदुपरांत मानक प्रारूप के अनुरूप जोड़ा जाएगा।	
37. स्कीम का परिसमापन	अनुबंध III की मद 4 के अनुसार नए प्रावधान जोड़े गए।	अनुबंध III की मद 4 देखें।
38. अंतर योजना लेन देन	अनुबंध III की मद 7 के अनुसार नए प्रावधान जोड़े गए।	अनुबंध III की मद 7 देखें।
39. सहायक लेन देन व उधार	अनुबंध III की मद 8 के अनुसार नए प्रावधान जोड़े गए।	अनुबंध III की मद 8 देखें।
40. निवेशों का कर निरूपण	अनुबंध III की मद 11 के अनुसार नए प्रावधान जोड़े गए।	अनुबंध III की मद 11 देखें।
41. यूटीआई की संरचना और प्रबंधन	अनुबंध III की मद 12 के अनुसार सूचना जोड़ी गई।	अनुबंध III की मद 12 देखें।
अभिरक्षक एवं लेखा परीक्षक	अनुबंध III की मद 14 व 15 के अनुसार विद्यमान प्रावधान अद्यतन किए गए।	अनुबंध III की मद 14 व 15 देखें।
42. दंड, लंबित मुकदमे, निरीक्षणों/ जांचों के महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष	अनुबंध III की मद 17 के अनुसार नए प्रावधान जोड़े गए।	अनुबंध III की मद 17 देखें।
घनीभूत वित्तीय सूचना	नवीनतम आंकड़े जोड़े गए।	

अनुबंध II

मास्टरगेन - हटाए गए प्रावधान

खंड सं. विशिष्टताएं	विद्यमान प्रावधान	टिप्पणी
चौथी मद	प्रमुख शेयर बाजार में सूचीकरण के द्वारा तरलता	हटाया गया, क्योंकि यूनिट सूचीबद्ध नहीं किए जाएंगे।
यूनिटों के लिए आवेदन 5 (i) - दूसरा परिच्छेद	किसी भी खंड में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद, योजना के अंतर्गत यूनिटों के अंतरण की स्थिति में, या तो उन शेयर बाजारों के जरिए जहां योजना सूचीबद्ध है या अन्यथा, योजना के अंतर्गत (अंतरितियों) को कोई एक या उत्तरजीवी आधार पर यूनिटों को धारण करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और कथित अंतरितियों द्वारा इस सुविधा हेतु किए गए अनुरोध पर ट्रस्ट द्वारा किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।	हटाया गया, क्योंकि किसी एक या उत्तरजीवी द्वारा निवेश की अनुमति दी गई।
यूनिटों के लिए आवेदन 5 (viii)	किसी अन्य कंपनी या निगमित निकाय या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ एक कंपनी या अन्य निगमित निकाय, जिनमें से कोई भी नाबालिग न हो।	हटाया गया, क्योंकि ऐसी धारिता की केवल अंतरण पर ही अनुमति
यूनिटों के लिए आवेदन 5 (6) (क) - अंतिम वाक्य	परंतु यह कि यदि जो आवेदक ऐसे स्थान से यूनिटों के लिए आवेदन करना चाहता है, जहां ट्रस्ट का कार्यालय नहीं है, तो वह आवेदित यूनिटों की संख्या के लिए बैंक ड्राफ्ट, उसमें से बैंक ड्राफ्ट के लिए देय प्रभार काटकर, के साथ आवेदन पत्र ट्रस्ट के नजदीकी दफ्तर को भेज सकता है।	हटाया गया, क्योंकि ड्राफ्ट प्रभार निवेशक द्वारा वहन किए जाएंगे।
15 का अंतिम वाक्य	बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य की गणना और उनके बीच का अंतर सेबी द्वारा इस संबंध में स्थापित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार होगा।	हटाया गया, क्योंकि अब य अप्रासंगिक है।
यूनिट प्रमाणपत्र का प्ररूप 18	100 यूनिटों के बिक्री योग्य लॉटों में जारी यूनिट प्रमाणपत्र यहां संलग्न प्ररूप क के अनुसार होगा और 10,000 यूनिटों के मूल्यवर्ग में जारी प्रमाणपत्र यहां संलग्न प्ररूप ख के अनुसार होगा। प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र पर विभेदक संख्या (ख), यूनिटों की संख्या और और यूनिटधारक का नाम होगा।	हटाया गया, क्योंकि लेखा विवरणी जारी की जाएगी।

यूनिट प्रमाणपत्र तैयार करने की विधि 19	समय-समय पर बोर्ड द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार यूनिट प्रमाणपत्र उत्कीर्ण या अश्ममुद्रित या मुद्रित किया जाएगा और ट्रस्ट द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरित होगा। हरेक ऐसा हस्ताक्षर या तो अपने हाथ से किया जाएगा या यांत्रिक विधि से किया जाएगा। जब तक यूनिट प्रमाणपत्र पर इस प्रकार से हस्ताक्षर नहीं किया जाता तब तक वह विधिमान्य नही होगा। इस प्रकार से हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र विधि मान्य होगा तथा इसके बावजूद भी कि जारी किए जाने के पूर्व उस पर जिस व्यक्ति का हस्ताक्षर था अब वह ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत नहीं रहा हो, बाध्यकारी होगा। किंतु, यह और कि इस प्रकार से तैयार किए गए यूनिट प्रमाणपत्र पर ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर हो, जो प्रमाणपत्र जारी करते समय मृत हो, तो ट्रस्ट उस रीति से, जिसे वह सर्वाधिक उपयुक्त समझता है, प्रमाणपत्र पर विद्यमान ऐसे व्यक्ति का हस्ताक्षर निरस्त कर सकता है और किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति से उस पर हस्ताक्षर करवा सकता है। इस प्रकार निर्गत यूनिट प्रमाणपत्र भी विधिमान्य होगा।	हटाया गया, क्योंकि लेखा विवरणी जारी की जाएगी।
यूनिटधारकों के लाभ 33	इस योजना की बंदी के समय योजना के अंतर्गत पूंजी और प्रारक्षित निधि और अधिशेष यदि कोई हो, के रूप में सभी प्रोद्भूत लाभ यूनिटधारकों को, जो योजना की पूर्ण कालावधि हेतु उसकी बंदी तक यूनिटें धारण करते हैं, उपलब्ध होंगे।	हटाया गया, क्योंकि यह एक सतत खुली योजना है।
उपबंधों का अर्थ लगाने का अधिकार 35	योजना के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक न्यासी को योजना के उपबंधों का अर्थ लगाने का अधिकार होगा। ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाला नहीं होगा या योजना की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चायक होगा।	हटाया गया, क्योंकि सेबी के विनियम इसकी आज्ञा नहीं देते।
उपबंधों का शिथिलीकरण / परिवर्तन / संशोधन	अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में ट्रस्ट के कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना के निर्बाध और सहज परिचालन के लिए योजना के किसी उपबंध को शिथिल, परिवर्तित या संशोधित कर सकते हैं, यदि किसी यूनिटधारक या यूनिट धारक वर्ग के लिए ऐसा करना उचित समझा जाए। स्पष्टीकरण : योजना के प्रावधानों को शिथिल, परिवर्तित या संशोधित करने की शक्ति का प्रयोग यूनिटधारक को निक्षेपागार पद्धति में यूनिट धारण करने और कारोबार करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से भी किया जा सकता है।	हटाया गया, क्योंकि सेबी के विनियम इसकी आज्ञा नहीं देते।
निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज	निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए केंद्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट, द्वार नं. 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुंबई-400020 में उपलब्ध होंगे : • यूटीआई अधिनियम • सामान्य विनियम • अभिरक्षकों और रजिस्ट्रारों के साथ किए गए करार • मास्टरगेन 1992 के प्रावधानों की प्रति।	हटाए गए और यूनिटधारकों के अधिकारों में शामिल किए गए।
यूनिट प्रमाणपत्र का प्ररूप क और प्ररूप ख हटाए गए		हटाए गए, क्योंकि प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

अनुबंध III

मास्टरगेन

क्र.सं.	'मानक पेशकश दस्तावेज' द्वारा अपेक्षित अंतर्वेश
1.	*परित्याग खंड :* योजना के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम,1996 के अनुसार तैयार किए गए हैं, यथा तिथि तक संशोधित एवं सेबी के पास पंजीकृत हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अननुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है।
2.	*नियत तत्परता प्रमाणपत्र :* मानक पेशकश दस्तावेज के अनुसार अंतर्विष्ट किया गया
3.	*विषय वस्तु :* मानक पेशकश दस्तावेज के अनुसार सारणी "विषय वस्तु" का अंतर्वेश किया गया
4.	*योजना की समाप्ति :* (i) योजना की कालावधि अनिश्चित है। तथापि ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है : (क) कोई ऐसी घटना घटित होने पर जिससे ट्रस्ट की राय में योजना की समाप्ति आवश्यक हो, या (ख) योजना के 75% सदस्यों द्वारा योजना को समाप्त करने का संकल्प पारित करने पर ; या (घ) योजना के सदस्यों के हित में सेबी ऐसा करने के लिए निर्देश दे। (ii) जहां उपर्युक्त उप खण्ड (i) के अनुसरण में योजना परिसमाप्त की जाती है, तो ट्रस्ट योजना को समाप्त करने वाले कारणों की सूचना, समापन के कम से कम एक सप्ताह पहले सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और मुंबई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में देगा। (iii) समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट - (क) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा। (ख) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को उत्पन्न और रद्द करना बंद करेगा।

(ग) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान भी बंद करेगा।

(iv) न्यासी मंडल सदस्यों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और बैठक में मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

(v) (क) न्यासी मंडल या योजना के उप खंड (iv) के अन्तर्गत प्राधिकृत व्यक्ति योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के सदस्यों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा।

(ख) ऊपर दिए गए उप खण्ड (iv)(क) के अनुसार, की गई बिक्री की राशि का पहले दृष्टान्त में, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय लेने वाली तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

(vi) परिसमापन पूरा होने पर, ट्रस्ट सेबी और सदस्यों को समाप्ति के बारे में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियां, जिनके कारण योजना समाप्त हुई, समाप्ति से पूर्व योजना की आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए किया गया योजना का व्यय, सदस्यों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियां और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाणपत्र भेजेगा।

(vii) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, जब तक योजना समाप्त न हो जाए या समापन की कार्यवाही पूरी न हो जाए, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लागू रहेंगे।

(viii) उपरोक्त खण्ड (vii) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट हो जाता है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है, तो योजना समाप्त हो जाएगी।

(ix) ट्रस्ट, अनुरोध पत्र के साथ लेखा विवरणी प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर यथाशीघ्र पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान करेगा।

(x) अनिवासी निवेशकों के मामले में, पुनर्खरीद राशियां निवेश के स्रोत पर निर्भर करते हुए विप्रेषित की जाएंगी ।

5.	मूल विशेषताएं (क) "मूल विशेषताओं" का अर्थ निम्नलिखित है : (i) योजना का प्रकार : पूंजी वृद्धि यूनिट योजना एक इक्विटी योजना है जो दिनांक 01 जनवरी, 1997 से सतत खुली कर दी गई। (ii) निवेश उद्देश्य : जैसा कि इस पेशकश दस्तावेज के खंड 8 (ख) के अंतर्गत बताया गया है। (iii)निर्गम की शर्तें : यूनिटों की पुनर्खरीद एवं व्यय के संबंध में इस पेशकश दस्तावेज में प्रावधान है। (ख) योजना की मूल विशेषताओं में कोई भी परिवर्तन तभी किया जाएगा जब : (i)मौजूदा सदस्यों को व्यक्तिगत संपर्क द्वारा सूचित किया गया हो और (ii)अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होने वाले अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र और साथ ही मराठी समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया हो। (iii)सदस्यों को किसी भी प्रकार के निकासी भार के बिना प्रचलित एनएवी पर निकासी का विकल्प दिया गया हो। (ग) बोर्ड द्वारा समय-समय पर योजना और इसके संशोधन/परिवर्धन को भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 21(4) की शर्तों के अनुसार सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। (घ) योजना की मूल विशेषताओं में कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन सेबी के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा। अन्य कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन, जो मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं है और जो यूनिटधारकों के हितों को प्रभावित नहीं करते हैं, उनके बारे में सेबी को सूचित किया जाएगा।
6.	**ट्रस्ट की योजनाओं में कार्पोरेट निवेश और इन कंपनियों में ट्रस्ट का निवेश दिखाने वाली सारणी को 'मानक पेशकश दस्तावेज' के अनुसार जोड़ दिया गया।**
7.	**अंतर योजना अंतरण** इस योजना से ट्रस्ट की दूसरी योजना/प्लान में तथा दूसरी योजना/प्लान से इस योजना में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब - क) उधृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पॉट आधार पर किए गए हों। *स्पष्टीकरण :* "स्पॉट आधार" का अर्थ वही होगा जो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्पॉट सौदों के लिए निर्दिष्ट है।

	ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनमें ऐसे अंतरण किए जाते हैं ; और ग) प्लान से/में असूचीबद्ध या अनोद्धृत निवेश का ट्रस्ट की अन्य योजना/प्लान में/से अंतरण ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया गया हो।
8	**संयुक्त सौदे एवं उधार** 1. योजना, यूनिटों की पुनर्खरीद/ प्रतिदान या सदस्यों को आय का वितरण, यदि कोई हो, करने के उद्देश्य से योजना की अस्थाई नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने के अलावा उधार नहीं लेगी। परन्तु उधार, योजना की शुद्ध आस्ति के 20% से अधिक नहीं लिया जाएगा और इस तरह के उधार की अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी। 2. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 20 के अनुसार ट्रस्ट को निम्नलिखित उधार लेने की शक्तियां प्राप्त हैं : (i) ट्रस्ट, भारत या भारत से बाहर के किसी प्राधिकरण या व्यक्ति जो सरकार या रिज़र्व बैंक न हो, ऐसी प्रतिभूति के प्रति एवं ऐसी शर्तों एवं परिस्थितियों पर जिस पर वे आपस में सहमत हों, उधार ले सकता है। (ii) ट्रस्ट रिज़र्व बैंक से उधार ले सकता है - (क) भारत में इस समय लागू किसी कानून द्वारा जिससे न्यासी ट्रस्ट का धन निवेश करने हेतु प्राधिकृत है, स्टॉक, निधियों एवं प्रतिभूतियों के प्रति (अचल संपत्तियों के अतिरिक्त) मांग पर या नियत अवधि की समाप्ति पर प्रतिदेय जो इस प्रकार ली गई राशि की तिथि से नब्बे दिन से अधिक न हो ; (ख) केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से बांडों की प्रतिभूति के प्रति, जिसे ट्रस्ट जारी कर सकता है, मांग पर या जिस तिथि से ऐसी राशि उधार ली गई है, उस तिथि से अठारह महीनों की अवधि के भीतर प्रतिदेय है; (ग) प्रथम यूनिट योजना के अतिरिक्त किसी अन्य योजना के प्रयोजन हेतु जिसे इस संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है ट्रस्ट की ऐसी अन्य संपत्तियों की प्रतिभूति के प्रति या ऐसी शर्तों एवं नियमों पर : बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत उधार ली गई कोई राशि एवं किसी एक समय पर बकाया

	राशि - (क) ऐसी प्रत्येक योजना के संबंध में पांच करोड़ रुपए से ज्यादा न हो ; एवं (ख) समग्र रूप से ऐसी समस्त योजनाओं के संबंध में दस करोड़ रुपए से अधिक न हो । (iii) ट्रस्ट द्वारा उप धारा (ii) के अंतर्गत जारी बांड की मूल राशि की अदायगी की गारंटी केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाएगी एवं ब्याज का भुगतान बांड जारी करते समय केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा।
9.	**इस योजना की आस्तियों का मूल्यांकन** (क) अवरुद्ध अवधि के अधीन वाले निवेशों, यदि कोई हों, सहित उद्धृत निवेशों परंतु सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर, का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को बाजार में बंद मूल्य पर किया जाता है तथा इसके उपलब्ध न होने पर मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि में बिल्कुल हाल ही की उपलब्ध दर पर किया जाता है। यदि मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि हेतु, कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोद्धृत निवेश माना जाता है। (ख) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां मूल्यांकन तिथि को अंतिम एनएसई बाजार दरों पर मूल्यांकित की जाती है और इसकी अनुपस्थिति में मूल्यांकन तिथि से पहले 7 दिन की अवधि के अंदर उपलब्ध नवीनतम भाव को मूल्यांकन के लिए लिया जाता है। यदि मूल्यांकन की तिथि से सात दिन पूर्व की अवधि हेतु कोई भाव उपलब्ध नहीं हो तो उसे अनोद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां माना जाएगा। (ग) उद्धृत डिबेंचरें और बांडों के मामले में, बाजार दर, जो ब्याज सहित है उसे ब्याज तत्त्व यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया जाता है। (घ) शेयरों के अधिकार पात्रता का मूल्यांकन,लाभांश तत्त्व हेतु बट्टा काटकर,जहां लागू हो, बाजार दर पर किया जाता है। (ङ) अनोद्धृत अधिमान शेयर/संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर लागत पर लिए जाते हैं। (च) अनोद्धृत इक्विटी शेयर जैसे कि न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित किया जाए,उचित मूल्यांकन आधार पर मूल्यांकित किए जाते है। (छ) अनोद्धृत डिबेंचर, बॉण्ड एवं अंतरणीय नोट परिपक्वता पर प्रतिफल पर मूल्यांकित किए जाते हैं, जो न्यासी मंडल द्वारा मूल्य वृद्धि के अनुमोदन के साथ भारत सरकार की प्रतिभूतियों (आय कर्व) से जुड़ा है।

(ज) अनोद्धृत वारंट, अंतरनिहित इक्विटी शेयरों के बाजार दर पर, लाभांश तत्त्व के लिए बट्टा काटकर, यदि कोई हो, तथा देय प्रायोगिक मूल्य से कम करके मूल्यांकित किए जाते हैं। जिन मामलों में इस तरह लिए गए मूल्य से प्रायोगिक देय मूल्य ज्यादा हो, वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है।

(झ) अनोद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों, यदि कोई हों, का मूल्यांकन प्रचलित ब्याज दर पर परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर किया जाता है।

(ञ) परिवर्तनीय डिबेंचर एवं बॉण्ड, जहां मिश्र बाजार भाव उपलब्ध न हो, वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन संबंधित इक्विटी शेयरों के बाज़ार दर पर, जिनमें लाभांश तत्त्व, यदि कोई हो, काट कर किया जाता है। ऐसे डिबेंचरों एवं बॉण्डों का अपरिवर्तनीय भाग, यदि कोई हो, का मूल्यांकन, उपरोक्त (छ) के अनुसार किया जाता है। जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है।

(ट) पूंजी सूचकांकित बॉण्ड लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

(ठ) <u>मुद्रा बाजार लिखतों के लिए मूल्यांकन नीति :-</u>

(i) मुद्रा बाज़ार लिखतें एवं अन्य आस्तियां बही मूल्य पर ली जाती हैं।

(ii) अंतर बैंक कॉल बाज़ार में निवेशित राशि लागत पर ली जाती है।

(iii) बट्टे /ब्याज उपार्जन लिखतों में निवेशित राशि का मूल्यांकन,उस प्रतिफल पर किया जाता है जिसमें लिखत का सौदा पिछली बार किया गया था। इस उद्देश्य हेतु भाव मूल्यांकन तिथि से पहले दो कार्य दिवसों की अवधि के भीतर उपलब्ध हाल ही का भाव ध्यान में लिया जाता है। जब पिछले दो कार्य दिवसों में कोई भाव उपलब्ध न हो, तो लिखत लागत एवं लिखत के परिपक्व होने के बाकी बचे दिनों के लिए लागू एक समान लागत और पृष्ठ मूल्य के मध्य अंतर पर मूल्यांकित किया जाता है।

(iv) अनोद्धृत डिबेंचरों सहित अन्य मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन लागत एवं लिखत के परिपक्व होने के बाकी बचे दिनों पर लागू एक समान लागत और पृष्ठ मूल्य के अंतर पर किया जाता है।

तथापि, खंड 8ख, 9, 17 एवं 27 के संदर्भ में किसी बात के बावजूद, निवेश नीतियां, एनएवी का निर्धारण, एवं आस्तियों का मूल्यांकन, पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण एवं एनएवी के प्रकटीकरण की आवृत्ति, पुनर्खरीद मूल्य और पोर्टफोलियो समय-समय पर सेबी द्वारा जारी सेबी (एमएफ) विनियमों/दिशानिर्देशों /निदेशों के प्रावधानों के अनुसार होगा।

10.	**लेखा नीतियां**

1. आय की मान्यता

(क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय भूतपूर्व लाभांश तिथि पर प्रोद्भूत की जाती है। असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों एवं अधिमान शेयरों पर लाभांश आय का हिसाब प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

(ख) निवेशों पर ब्याज एवं प्रतिबद्धता प्रभार का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

(ग) निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि की पहचान भारित औसत लागत के आधार पर व्यापार तिथियों पर की जाती है।

(घ) डिबेंचर/बॉण्डों के प्रतिदान पर प्रीमियम एवं लाभ या हानि की पहचान देय तिथि पर की जाती है।

(ङ) जब कोई राशि जिम्मे नहीं आती हो तो हामीदारी कमीशन को नकदी आधार पर राजस्व माना जाता है। जिम्मे आई राशि के मामले में, पूर्ण हामीदारी कमीशन एवं निवेशों की लागत में से कम किया जाता है।

(च) शेयरों एवं डिबेंचरों के निवेश पर आरंभिक शुल्क को ऐसे निवेशों की लागत से कम किया जाता है।

(छ) जीरो कूपन बॉण्डों, डीप डिस्काऊंट बाण्डों और अन्य दीर्घावधि बट्टाकृत लिखतों के संबंध में पुनर्खरीद मूल्य एवं परिपक्वता मूल्य के मध्य अंतर को वाईटीएम आधार पर लिखत के शेष अवधि के दौरान आय समझा जाता है।

(ज) अन्य आय को प्राप्ति आधार पर लिया जाता है।

2. व्यय

क. व्यय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

ख. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25(4) के प्रावधानों के अनुसार यूनिट योजना 1964 के अंतर्गत किए गए खास सामान्य खर्चों का निर्धारण अन्य योजनाओं पर किया जाता है।

ग. नियत आस्तियों वाली यूनिट योजना 1964 कथित आस्तियों के उपयोग के लिए अन्य योजनाओं से स्वीकृत आधार पर पट्टा किराया वसूल करती है।

3. निवेश

क. निवेशों को लागत पर या अवलिखित लागत पर लिया जाता है।

ख. द्वितीयक बाजार कारोबार के मामले में निवेश को व्यापार तिथियों पर किया गया माना जाता है।

ग. आबंटन पर प्राथमिक बाजार निर्गमों में अभिदान को निवेश माना जाता है।

घ. बोनस/अधिकार पात्रताओं को पूर्ववर्ती-बोनस/पूर्ववर्ती अधिकार तिथियों पर माना जाता है।

ङ. निवेश अर्थात् डिबेंचर और बॉण्ड प्रतिदान/देय तिथि को चालू आस्तियों में अंतरित किए जाते हैं।

च. निवेश की लागत में दलाली एवं सेवा - कर शामिल हैं लेकिन स्टाम्प की लागत शामिल नहीं है, जिसे राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

4. प्रावधान एवं मूल्यह्रास :

(क) संदिग्ध समझी गई आय के प्रति प्रावधान :

पिछली दो तिमाही या उससे अधिक के लिए देय बाकी ब्याज आय के संबंध में प्रावधान किया जाता है। यदि लाभांश,पिछले लाभांश की तिथि से एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया है तब वर्ष के अंत में प्रावधान किया जाता है।

(ख) निवेश के मूल्य में ह्रास

(i) उपरोक्त खंड 17 के अनुसार गणना किए गए निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और पारिणामिक ह्रास, यदि हो, सामान्य प्रारक्षित निधि/यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि में प्रभारित किए जाते हैं। यदि कुल मूल्य, कुल लागत या पिछले वर्ष के अंत के कुल मूल्य से अधिक हो जाता है तो मूल्य वृद्धि, यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि/सामान्य प्रारक्षित निधि में उस सीमा तक जोड़ी है जहां तक ह्रास पिछली बार समायोजित किया गया था।

(ii) जहां अनोधृत इक्विटी या अधिमान शेयर पिछले वर्षों में अपलिखित किए गए हों, वहां ऐसे निवेशों की लागत को उधृत या उचित मूल्य उपलब्ध होते ही उसकी लागत पर पुनरांकित किया जाता है।

(iii) आस्तियां जिन पर ब्याज पिछली दो तिमाही या अधिक से बकाया है, अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी आस्तियों के लिए प्रावधान अलग-अलग बनाया जाता है (जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है)। ऐसा प्रावधान उसी कंपनी की अन्य उपयोगी आस्तियों के लिए नहीं किया जाता है।

आस्ति के अनुपयोज्य रहने की अवधि	प्रावधान का प्रतिशत	
	रक्षित आस्ति	अ-रक्षित आस्ति

दो वर्षों तक	10%	10%
दो वर्षों से अधिक परंतु तीन वर्षों तक	20%	100%
तीन वर्षों से अधिक परंतु पांच वर्षों तक	30%	100%
पांच वर्षों से अधिक	50%	100%

(iv) जहां मूल पुनर्भुगतान (i) 3वर्षों तक की अवधि के संतुलित परिपक्वता वाले ऋण लिखतों के संबंध में पिछली देय अवधि के दो तिमाहियों हेतु और (ii) 3वर्षों से अधिक अवधि के संतुलित परिपक्वता वाले ऋण लिखतों के संबंध में पिछली देय अवधि के एक वर्ष हेतु बकाया रहता है, वहां ऐसी बकाया किस्तों हेतु प्रावधान किया जाता है। ऐसी आस्तियों के लिए समग्र प्रावधान,उपरोक्त तालिका में उल्लिखित प्रतिशत (जमानती आस्तियों हेतु 50% तथा गैर जमानती आस्तियों हेतु 100%) या चूक वाली राशि, जो भी अधिक हो,तक सीमित है।

ऐसे मामले जिनमें मूल चूक जारी रहती है,किसी भी परवर्ती किस्त के लिए प्रावधान, संबंधित देय तिथि से 30 दिनों के बाद किया जाता है।

(v) देय बकाया ब्याज के पूंजीकरण के द्वारा, ब्याज के निधियन के मामले में, उसके चूक की अवधि के बावजूद प्रावधान किया जाता है।

(vi) गैर निष्पादी आस्तियों के लिए प्रावधान यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि/सामान्य प्रारक्षित निधि/राजस्व लेखा,जैसा भी मामला हो, में प्रभारित किए जाते हैं।

(vii) अनुच्छेद 4(क)और 4(ख)(iv) के अंतर्गत बनाए गए प्रावधान प्राप्ति या आस्तियों के पुनर्संरचना आधार पर पुनरांकित किए जाते हैं। 4(ख)(v) के अंतर्गत प्रावधान प्राप्ति आधार पर पुनरांकित किए जाते हैं।

5. आय वितरण :

(क) पूंजीकरण हेतु लंबित आवेदन राशि के संबंध में उन योजनाओं के आय वितरण के लिए प्रावधान किए जाते हैं, जहां यूनिटें अंकित मूल्य पर बेची गई हों । अन्य योजनाओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। आय वितरण को पूंजीकरण किए जाने वाले वर्ष में राजस्व विनियोजन लेखे में प्रभारित किया जाता है।

(ख) आय वितरण हेतु प्रावधान यूनिट पूंजी पर न्यासी मंडल द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दर पर किया जाता है।

6. वित्तीय परिणामों का प्रकाशन :

यथा 31 दिसंबर अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम 2 माह के भीतर एवं यथा 30 जून लेखा-परीक्षित वार्षिक परिणाम लेखे को अंतिम रूप देने के 6 माह के भीतर एक अंग्रेजी दैनिक एवं एक मराठी दैनिक में प्रकाशित किया जाएगा।

11.	**निवेशों का कर - निरूपण**

1. निवासी / अनिवासी भारतीय/ओसीबी

(i) योजना के अंतर्गत आय और पूंजी वृद्धि, यदि कोई हुई हो, पर कराधान प्रचलित कर कानूनों के अधीन होगा।

(ii) वर्तमान में, ट्रस्ट की सभी योजनाओं/प्लानों के अंतर्गत सभी वर्ग के निवेशकों को प्राप्त होने वाली आय, यदि कोई हो, आयकर अधिनियम, 1961की धारा 10 (33) के अंतर्गत पूर्णत: कर मुक्त होगी।

योजना के लिए, उसके द्वारा किए गए किसी भी आय वितरण पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 आर के अंतर्गत 10% की दर से आय वितरण कर और उस पर 10% अधिभार का भुगतान करना आवश्यक है। तथापि, सतत खुली इक्विटी उन्मुख निधि होने के कारण, इस योजना को 31 मार्च, 2002 तक कथित धारा के अंतर्गत उपरोक्त कर लागू नहीं है, बशर्ते योजना की कुल राशि का 50% से अधिक का निवेश घरेलू कंपनियों के इक्विटी शेयरों में किया जाता है।

(iii) वर्तमान में, रुपए में उत्पन्न अथवा एनआरओ निधियों में से योजना में निवेश से होने वाला कोई भी दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 और 112 में दिए गए निर्देशों के अधीन होगा। वर्तमान में निवेशक को लागत स्फीति सूचकांक का लाभ उठाने के बाद दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ पर 20% की दर से कर का भुगतान करना होता है। तथापि, एनआरई खातों के जरिए किए गए निवेश से प्राप्त होने वाले पूंजीगत अभिलाभ कर योग्य नहीं हैं।

(iv) इस प्लान के अंतर्गत यूनिटों में किए गए निवेश का मूल्य धनकर से पूर्णत: मुक्त है।

(v) उपहार कर अधिनियम, 1958 ने 1 अक्तूबर, 1998 या उसके बाद दिए गए उपहारों के मामले में उपहार कर की उगाही को समाप्त कर दिया है।

2. धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट हेतु पात्रता

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण या आंशिक शुद्ध राशि का पूंजी वृद्धि यूनिट योजना में किया गया निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के लिए पात्र होगा, बशर्ते यूनिटों की पुनर्खरीद आवेदन की स्वीकृति तिथि से तीन वर्षों के बाद की जाए।

3. धारा 54 ईबी के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट हेतु पात्रता

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण या आंशिक पूंजीगत अभिलाभ का पूंजी वृद्धि यूनिट योजना में किया गया निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईबी के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के लिए पात्र होगा, बशर्ते यूनिटों की पुनर्खरीद आवेदन की स्वीकृति की तिथि से सात वर्षों के बाद की जाए।

4. पात्र न्यासों के लिए

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2)(बी) के अंतर्गत यूनिट स्वीकृत प्रतिभूतियां हैं। अत: यूनिटों में निवेश कर रहे पात्र ट्रस्ट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 और 13 के अंतर्गत आय और निधि के लिए आवश्यक कर छूट के योग्य होंगे।

12 **भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना एवं प्रबंधन**

यूटीआई की स्थापना

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना एक सांविधिक संस्था के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होनेवाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी। इसने 1 जुलाई, 1964 से कार्य करना आरंभ किया।

यूटीआई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है, जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। मंडल के अलावा, एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी होते हैं। यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर कार्य करने के लिए सक्षम है।

न्यासी मंडल *

1.	श्री पी.एस. सुब्रमन्यम	अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
2.	श्री जी.पी. मुनिअप्पन	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
3.	श्री जी.पी.गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईडीबीआई
4.	श्री एन.एस. सेखसरिया	प्रबंध निदेशक, गुजरात अंबुजा सिमेन्ट्स लि.
5.	श्री राजेन्द्र पी चितले	सनदी लेखाकार
6.	डॉ. विश्वनाथ वी. देसाई	अर्थशास्त्री
7.	श्री जी. कृष्णमूर्ति	अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
8.	श्री जी.जी वैद्य	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
9.	श्री के.सी. चौधरी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ

इंडिया

* वर्तमान में न्यासियों की अन्य निदेशिकाएं इस प्रकार हैं :

1. **श्री पी.एस. सुब्रमन्यम** - (i) अध्यक्ष एवं निदेशक-इंडिया फंड, (ii) अध्यक्ष एवं निदेशक - इंडिया ग्रोथ फंड, (iii) अध्यक्ष एवं निदेशक - इंडिया ऐक्सेस लि., (iv) अध्यक्ष एवं निदेशक - इंडिया पब्लिक सेक्टर फंड लि., (v) शासी परिषद के अध्यक्ष - यूटीआई इंस्टिट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट्स, (vi) अध्यक्ष एवं निदेशक - यूटीआई निवेशक सलाहकार सेवा लि., (vii) अध्यक्ष एवं निदेशक - यूटीआई निवेशक सेवा लि., (viii) अध्यक्ष एवं निदेशक - यूटीआई सिक्यूरिटीज़ एक्सचेंज लि., (ix) निदेशक - यूटीआई बैंक लि., (x) अध्यक्ष एवं निदेशक - ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, (xi) सदस्य -भारतीय जीवन बीमा निगम, (xii) निदेशक - भारतीय मितिकाटा एवं वित्त गृह लि., (xiii) निदेशक - सिक्यूरिटीज़ ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., (xiv)निदेशक - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., (xv) न्यासी - इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।

2. **श्री जी.पी.गुप्ता** - (i) अध्यक्ष - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, (ii) निदेशक इंडिया फंड, (iii) निदेशक - इंडिया ग्रोथ फंड, (iv) निदेशक-भारतीय मितिकाटा एवं वित्त गृह लि., (v) निदेशक-भारतीय आयात-निर्यात बैंक, (vi) निदेशक-भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि., (vii) निदेशक-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फाइनेंस कं. ऑफ इंडिया लि., (viii) निदेशक - इंडियन एयरलाइन्स लि. (ix) निदेशक - आईडीबीआई बैंक लि. (x) निदेशक - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., (xi) सदस्य - भारतीय जीवन बीमा निगम, (xii) सदस्य - भारतीय साधारण बीमा निगम, (xiii) निदेशक - दक्षिण एशिया क्षेत्रीय निधि, (xiv) अध्यक्ष - दक्षिण एशिया विकास निधि, (xv) समिति सदस्य-भारतीय बैंकर संस्थान, (xvi) सदस्य-बैंकर प्रशिक्षण कॉलेज (आरबीआई), (xvii) सदस्य - एशिया एवं प्रशांत में विकासशील वित्तीय संस्थाओं का संघ, (xviii) सदस्य-बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्था, (xix) सदस्य-भारतीय कंपनी सचिव संस्था।

3. **श्री एन.एस. सेखसरिया** - (i) निदेशक - गृह वित्त लि. (ii) निदेशक - राधा माधव इन्वेस्टमेंट्स लि. (iii) निदेशक- होम ट्रस्ट हाऊसिंग फाइनेंस कं. लि., (iv) निदेशक - अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन (v) निदेशक - अंबुजा शैक्षणिक संस्थान।

4. **श्री राजेन्द्र पी. चितले** - (i) निदेशक - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (ii) निदेशक - नेशनल सिक्यूरिटीज़ क्लीयरिंग कार्पोरेशन लि. (iii) निदेशक - जे एम कैपिटल मैनेजमेंट लि. (iv) निदेशक - ज्युरीच एसेट मैनेजमेंट कंपनी (इंडिया) लि. (v) निदेशक - इंडिया इंडेक्स सर्विसेज़ एण्ड प्रोडक्ट लि. (vi) निदेशक - एसोशिएशन ऑफ लिजिंग एण्ड फाइनेंशिएल सर्विसेज कंपनीज (vii) सदस्य - राष्ट्रीय शेयर बाजार की कार्यकारी समिति (शासी मंडल) (viii) सदस्य - इंडिया एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका एनटी एवं एसए (ix) सदस्य - निवेश समिति, भारतीय जीवन बीमा निगम।

5. श्री वी. वी. देसाई - सलाहकार - आईसीआईसीआई लिमिटेड

6. श्री जी. कृष्णमूर्ति - (i) अध्यक्ष - एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) ईसी, बहरीन (ii) अध्यक्ष - एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. (iii) निदेशक - भारतीय साधारण बीमा निगम (iv) निदेशक - पोयशा औद्योगिक कं. (v) अध्यक्ष, शासी मंडल - नेशनल इन्श्योरेंस अकादमी (vi) निदेशक - नेशनल हाउसिंग बैंक (vii) निदेशक - यूटीआई बैंक लि. (viii) निदेशक- मितिकाटा एवं भारतीय वित्त गृह (ix) ,निदेशक - केनिन्डिया एश्योरेंस कं. लि., केनया (x) निदेशक - भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि.(xi) अध्यक्ष - इन्श्योरेंस काउंसिल का शासी निकाय।

7. श्री जी जी वैद्य - (i) अध्यक्ष - एसबीआई कैपिटल मार्केट लि., (ii) अध्यक्ष - एसबीआई निधि प्रबंधन लि. (iii) अध्यक्ष - एसबीआई गिल्ट्स लि. (iv) अध्यक्ष - एसबीआई सिक्यूरिटीज़ लि. (v) अध्यक्ष - एसबीआई फैक्टर्स् एण्ड कमर्शियल सर्विसेज़ लि. (vi) अध्यक्ष - एसबीआई यूरोपियन बैंक लि. (vii) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ इंदौर (viii) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र (ix) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (x) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (xi) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (xii) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (xiii)अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (xiv) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया) (xv) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा) (xvi) उपाध्यक्ष, शासी मंडल - इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स (xvii) निदेशक - राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (xviii) निदेशक - भारतीय आयात-निर्यात बैंक (xix) निदेशक - साधारण बीमा निगम (xx) सदस्य, शासी मंडल एवं अध्यक्ष, वित्त समिति - राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्था, (xxi) सदस्य, शासी मंडल एवं अध्यक्ष, वित्त समिति एवं कार्यालय परिसर समिति एवं आईबीपीएस कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासक समिति - बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (xxii) सदस्य - बैंकिंग टेक्नॉलोजी विकास एवं अनुसंधान संस्था (xxiii) निदेशक - इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास वित्त निगम (xxiv) निदेशक - इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग एवं फाइनेंस सर्विसेज़ लि. (xxv) निदेशक - भारतीय निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम।

8. श्री के सी चौधरी - (i) अध्यक्ष - बैंक अंकेक्षण पर लघु समूह, भारतीय बैंक संघ, (ii) अध्यक्ष - बैंकिंग परिचालन, भारतीय बैंक संघ, (iii) अध्यक्ष -, ऋण संबंधी मामलों पर लघु समूह, भारतीय बैंक संघ, (iv) अध्यक्ष - आईबीए व्यापार निकाय/संघों के साथ समन्वय हेतु कार्य समूह, (v) अध्यक्ष - भारतीय बैंक संघ (vi) सदस्य - प्रबंध समिति, भारतीय बैंक संघ - (vii) अध्यक्ष - सेंटबैंक गृह वित्त लि. (viii) अध्यक्ष - सेंटबैंक फाइनेंशियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेज लि., (ix) निदेशक - भारतीय कृषि वित्त निगम , (x) निदेशक - मास्टरकार्ड एशिया/पेसेफिक बोर्ड, (xi) निदेशक - द न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि., (xii) सदस्य - टास्क फोर्स, भारतीय बैंक संघ।

13.	**निधि का प्रबंधन -** निधि प्रबंधन का नाम उसकी योग्यता एवं अनुभव को भी जोडा गया।
14.	**अभिरक्षक** निम्नलिखित को सेबी द्वारा आवश्यक समझने पर जोड़ा गया है। भारतीय स्टाक धारिता निगम लि. (एसएचसीआईएल) का सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर आईएन/सीयूएस/011 है। एसएचसीआईएल शुल्क की दर इस प्रकार है :

	इलेक्ट्रॉनिक	वास्तविक
डीमैटिरियलाइजेशन	रु. 5 प्रति प्रमाणपत्र	-
खरीद	कारोबार के मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु	प्रति डीआईपी रु. 100
बिक्री	कारोबार के मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु	प्रति डीआईएस रु. 100
अभिरक्षा	अभिरक्षा में आस्ति मूल्य पर 1.5 आधार बिंदु	अभिरक्षा में आस्ति मूल्य पर 8 आधार बिंदु
गैर बाजार खरीद	कारोबार के मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु	-
गैर बाजार बिक्री	कारोबार के मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु	-
रीमैटिरियलाइजेशन	प्रति प्रमाणपत्र रु. 15 अथवा परिवर्तन मूल्य के 15 आधार बिंदु इनमें से जो भी अधिकतम है	-

15.	**लेखा परीक्षक** मेसर्स चतुर्वेदी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, 60, बेंटिक स्ट्रीट, कलकत्ता 700 069 एवं मेसर्स बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित, सनदी लेखाकार , नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग, 204, डी.एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 । योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आईडीबीआई द्वारा की जाती है और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन हैं।
16.	**निवेशकों की शिकायतों के निवारण का डाटा दर्शानेवाली सारणी**
17.	**जुर्माना, लंबित मुकदमा, निरीक्षणों/जांच-पड़तालों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष** 1. भारतीय यूनिट ट्रस्ट/न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी में से किसी (विशेषत: निधि प्रबंधक) के प्रति सेबी अधिनियम या उसकी कोई विनियमों के अंतर्गत सेबी द्वारा या किसी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा (जहां यूटीआई की योजना की यूनिटें सूचीबद्ध हैं)जुर्माना लगाने का कोई मामला नहीं है। 2. न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी सहित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मुकदमे की कार्यवाही लंबित नहीं है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी के प्रति कोई अपराधिक मामला लंबित नहीं है।

	3. न तो सेबी और न ही किसी अन्य नियामक एजेन्सी ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट के परिचालनों या सिस्टम्स में किसी कमी को पेशकश दस्तावेज़ में दर्शाए जाने की विशेष रूप से सलाह दी है। 4. भारतीय यूनिट ट्रस्ट, न्यासी मंडल/न्यासी या मुख्य कर्मी के प्रति सेबी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अधीन कोई पूछताछ/अधिनिर्णय की कार्यवाही नहीं है।
18.	**संक्षिप्त वित्तीय जानकारी देने वाली सारणी को जोड़ा गया।**

अनुबंध - I

ग्रैंडमास्टर यूनिट स्कीम - संशोधित / शामिल किए गए प्रावधान

खण्ड सं	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
प्रमुख बाते 2री मद	निवासी और अनिवासी दोनो वयस्क व्यक्तियों / अवयस्कों / हिंदू अविभक्त परिवारों / न्यासों / भागीदारी फर्मों / सोसाइटियों / निगमि निकायो (कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों सहित) / विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए खुला।	निवासी व्यक्तियों एवं संस्थाओं तथा अनिवासी भारतीयो, विदेशी निगमित निकायों और विदेशी संस्थागत निवेशको के लिए खुला।
प्रमुख बातें 3री मद	एनएवी पर आधारित मूल्य पर पुनर्खरीद	**6ठी मद -** पुनर्खरीद बट्टे पर की जाएगी, जो यूनिट के दैनिक एनएवी के 3% से अधिक नहीं होगा। प्रतिफोलियो रु. 5,000/- का न्यूनतम शेष रखने की शर्त पर आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति होगी।
प्रमुख बातें	मदें शामिल नहीं	निम्नलिखित को शामिल किया गया : **3री मद -** न्यूनतम निवेश रु. 5,000/- है तथा कोई अधिकतम सीमा नहीं है। उसी फोलियो के अंतर्गत बाद में निवेश करने के लिए न्यूनतम निवेश रु. 1,000/- है। **4थी मद -** प्रत्येक यूनिट का अंकिम मूल्य रु. 10/- है। **5वीं मद -** बिक्री और पुनर्खरीद आवेदन स्वीकार किए जाने की तारीख को कारोबार की समाप्ति पर मौजूद एनएवी पर आधारित होंगे। बिक्री एनएवी पर की जाएगी। **7वीं मद -** आय के पुनर्निवेश की सुविधा, यदि कोई हो, एनएवी पर उपलब्ध होगी। **8वी मद -** ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य योजनाओं में इस योजना से तथा अन्य योजनाओं से इस योजना में स्विचओवर की सुविधा एनएवी अथवा एनएवी पर आधारित मूल्य पर उपलब्ध होगी। **9वी मद -** वर्तमान में योजना द्वारा आय का वितरण यदि कोई हो, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (33) के अंतर्गत निवेशकों के हाथ में पूर्णत: करमुक्त है। साथ ही, सतत खुली इक्विटी उन्मुख निधि होने के कारण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 आर के अंतर्गत 31 मार्च, 2000 तक की अवधि के लिए इस पर आय वितरण कर नहीं लगेगा।

		10वीं मद - यूनिटों की पुनर्खरीद पर हुई पूंजी वृद्धि, यदि कोई हो, से होने वाले पूंजी लाभ पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 और 112 के अंतर्गत कर के फायदे उपलब्ध होंगे। **11वीं मद** - निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईए और 54ईबी के अंतर्गत पूंजी लाभ कर से छूट के लिए पात्र है, जो निधि के स्रोत पर निर्भर होगा तथा आवेदन स्वीकार किए जाने की तारीख से क्रमश: तीन /सात वर्षों की अवरुद्ध (लॉक-इन) अवधि के बाद ही यूनिटों की पुनर्खरीद किए जाने की शर्त पर होगा। **12वीं मद** - योजना के अंतर्गत यूनिटों के निवेश का मूल्य धन कर से पूर्णत: मुक्त होगा। **13वीं मद** - दान कर अधिनियम, 1958 द्वारा 1 अक्तूबर, 1998 को या उसके बाद किए गए दान पर दान कर की वसूली समाप्त कर दी गई है। इस प्रकार योज यूनिटों के दान को दान कर की वसूली से पूर्णत: मुक्त किया गया है।
जोखिम कारक 1ली मद	योजना के यूनिटों में निवेश में बाजार जोखिम रहता है तथा योजना के पोर्टफोलियो पर बाजार के बलों के प्रभाव के अनुसार योजना का एनएवी घट बढ़ सकता है।	म्यूचुअल फंडों और प्रतिभूतियों में किए जाने वाले निवेशों मे बाजार के जोखिम रहता है तथा पूंजी बाजारों को प्रभावित करने वाले कारकों और बलों के अनुसार योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों का एनएवी घट-बढ़ सकता है।
जोखिम कारक	प्रावधान नहीं किया गया।	**4थी मद - व्युत्पन्न लिखतें** - ऑप्शन एण्ड फ्यूचर्स जैसी व्युत्पन्न प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग करना अत्यधिक विशिष्टीकृत कार्यकलाप होगा तथा उसमें सामान्य निवेश से अधिक जोखिम रहता है। यद्यपि योजना का इरादा व्युत्पन्न लिखतों में सिर्फ पोर्टफोलियो के बचाव प्रयोजनों के लिए ट्रेडिंग करता है, तथापि इस बाजार के अन्य भागीदारों के कार्यों के कारण इस खण्ड का समग्र बाजार अत्यधिक सट्टात्मक स्वरूप का हो सकता है। व्युत्पन्न लिखतों में ट्रेडिंग की सफलता भविष्य में बाजार के घट-बढ़ की भविष्यवाणी करने संबंधी निधि-प्रबंधक की योग्यता पर निर्भर करता है तथा यदि निधि प्रबंधक की भविष्य वाणी गलत हुई तो निधि का कार्यनिष्पादन इस निवेश रणनीति को न अपनाए जाने की स्थिति में जो कार्यनिष्पादन होता उससे भी खराब हो सकता है। **5वीं मद - विदेशी बाजार में निवेश** - विदेशी बाजार में निवेश की सफलता इस बात पर निर्भर रहती है कि निधि प्रबंधक में उस बाजार की स्थितियों को जो भारतीय बाजारों से भिन्न हो सकती है, समझने की और उसे जानकारी का

		विश्लेषण करने की कितनी क्षमता है। चूंकि इसने विदेशी बाजारों में परिचालन शामिल है; अत: इसने बाजार जोखिम के ही साथ-साथ विनिमय दर के घट-वद का जोखिम भी हो सकता है। 6वीं मद - स्टॉकक लेंडिंग - यह कम से कम जोखिम सहित योजना के लिए अतिरिक्त आय अर्जित करने का एक साधन है। स्टॉक उधार दिए जाने की अवधि के दौरान विक्री के लिए सुलभ स्टॉक की अनुपलब्धता के रूप में जोखिम हो सकता है। उधार दी गई प्रतिभूतियां वापस करने में उधारकर्ता/मध्यस्थ द्वारा चूक की संभावना के रूप मे योजना को स्टॉक लेंडिंग कार्यकलाप में जोखिम उठाना पड़ सकता है। तथापि, इस प्रक्रिया में शामिल मध्यस्थ द्वारा उधारकर्ता से उपयुक्त संपार्थिक प्रतिभूतियां लेकर उक्त जोखिम को पर्याप्त रूप में कवर किया जा सकेगा। संपार्थिक प्रतिभूतियों पर ट्रस्ट का ग्रहणाधिकार होगा। प्रतिभूति उधार देने की प्रक्रिया में शामिल कोई भी जोखिम न्यूनतम करने के लिए ट्रस्ट विभिन्न स्थानों पर अन्य उपयुक्त जांचों और नियंत्रणों का इस्तेमाल करेगा।
परिभाषाएं II (घ क)	(घ क) आवेदक द्वारा ट्रस्ट को ट्रस्ट के द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए आवेदन किए जाने के संदर्भ में स्वीकृति की तारीख से अभिप्राय उस दिन से है, जिस दिन ट्रस्ट, इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदन नियमानुसार है, उसे स्वीकार करे :	(क) आवेदक द्वारा ट्रस्ट को ट्रस्ट के द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए आवेदन किए जाने के संदर्भ में 'स्वीकृति की तारीख' से अभिप्राय उन दिन से है, जिद दिन ट्रस्ट का शाखा कार्यालय, इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदन हर तरह से पूर्ण है, उसे स्वीकार करे। फ्रेंचाइज कार्यालय / वसूली केन्द्र में बिक्री और पुनर्खरीद के लिए आवेदन प्राप्त किए जाने के संदर्भ में 'स्वीकृति की तारीख' रजिस्ट्रार के कार्यालय में आवेदन प्राप्त किए जाने की तारीख, या फ्रेंचाइज कार्यालय अथवा वसूली केन्द्र में उसकी प्राप्ति की तारीख (टी) से 5वां कार्यदिवस (टी+ 5), जो भी पहले हो, होगी। ट्रस्ट उक्त कार्यदिवसों की संख्या 5 से भी कम कर सकता है, जैसा भी निर्णय लिया जाए। वर्तमान मद (क) को पुन:क्रमांकि कर (ख) किया गया है।
परिभाषाएं खण्ड II	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।	(ग) अवयस्क के संदर्भ में "वैकल्पिक आवेदक" से अवयस्क की ओर से आवेदन करने वाले माता-पिता से इतर माता-पिता अभिप्रेत हैं।
परिभाषाएं II (ख)	"आवेदक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने योजना के अंतर्गत यूनिटों के लिए आवेदन किया हो।	(घ) "आवदेक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो योजना में भाग लेने के लिए पात्र है तथा योजना के खण्ड IV के तहत आवेदन करता है और जो अवयस्क नहीं है।

परिभाषाएं II	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।	(घ क) 'पात्र संस्था' से भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली, 1964 में यथापरिभाषित पात्र संस्था अभिप्रेत है।।
परिभाषाएं II	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।	(घ ख) 'फर्म', 'भागीदार' और 'भागीदारी' के भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में उन्हें दिए गए अर्थ अभिप्रेत हैं, परन्तु 'भागीदारी' शब्द में ऐसा व्यक्ति भी शामिल होगा जो अवयस्क होने के कारण भागीदारी के लाभों में शामिल हो।
परिभाषाएं II	(ज क) यूनिटधारक से निक्षेपागार (डिपोजिटरी) के रूप में यूनिट रखने वाले व्यक्ति सहित फिलहाल यूनिट रखने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है।	(ज) योजना के अंतर्गत एक अभिव्यक्ति के रूप में प्रयुक्त "सदस्य" शब्द से ऐसा आवेदक अभिप्रेत और शामिल है, जिसे _________ को या उसके बाद योजना के अंतर्गत यूनिट आबंटित किए गए हों। "सदस्य" से "यूनिटधारक" भी अभिप्रेत है, जिसमें यूनिट प्रमाणपत्र के अंतर्गत तथा निक्षेपागार (डिपोजिटरी) के रूप में यूनिट रखने वाले व्यक्ति शामिल है तथा सभी अभिव्यक्तियां को पर्यायवाची के रूप में पढ़ा जा सकता है। वर्तमान मद (ज) को (छ) के रूप में क्रमांकित किया गया है। वर्तमान मद (छ) को समाप्त किया गया।
परिभाषाएं II	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।	(ट क) " आरबीआई" से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत स्थापित भारतीय रिज़र्व बैंक अभिप्रेत है।
परिभाषाएं II (झ)	"रजिस्ट्रार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे योजना के अंतर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाए।	"रजिस्ट्रार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए रखा जाए।
परिभाषाएं II	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।	(ड ख) "सोसाइटी " से 1860 के सोसाइटी रजिट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित सोसाइटी अथवा फिलहाल प्रवृत्त किसी राज्य या केंद्रीय कानून के अंतर्गत स्थापित कोई अन्य सोसाइटी अभिप्रेत है।
परिभाषाएं II (ण)	'यूनिट' से दस रुपए के अंकित मूल्य का एक अविभाजित शेयर अभिप्रेत है।	'यूनिट' से यूनिट पूंजी में दस रुपए के अंकित मूल्य का एक अविभाजित शेयर अभिप्रेत है।
परिभाषाएं II (त)	'यूनिट पूंजी' से योजना के अंतर्गत जारी और आबंटित यूनिटों के अंकित मूल्य का जोड़ अभिप्रेत है।	"यूनिट पूंजी" से योजना के अंतर्गत बेचे गए और फिलहाल बकाया यूनिटों के अंकित मूल्य का जोड़ अभिप्रेत है।

परिभाषाएं	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।	(त क) "यूनिट ट्रस्ट" अथवा "ट्रस्ट" से अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट अभिप्रेत है। वर्तमान मद 'त क' समाप्त कर दिया गया।
परिभाषाएं II (द)	इस योजना में जिन शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है उनका वही अर्थ होगा जो अर्थ उन्हें अधिनियम के तहत दिया गया है।	इसमें परिभाषित न की गई अन्य सभी ऐसी अभिव्यक्तियों से, जिन्हें अधिनियम/विनियमों में परिभाषित किया गया है; अधिनियम/नियमों द्वारा उन्हें दिए गए अर्थ अभिप्रेत होंगे।
परिभाषाएं खण्ड II (ध)	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।	योजना में, ________ के बाद, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उपयुक्त स्थानों पर "सदस्य" शब्द में "यूनिटधारक" शामिल होगा/होंगे तथा "यूनिटधारकों" का रजिस्टर शब्दावली में "सदस्यों का रजिस्टर" भी शामिल होगा।
निवेशकों की श्रेणी IV (1)	निवासी भारतीय, जो वयस्क व्यक्ति हो, अकेले या तीन व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से संयुक्त आधार पर।	निवासी व्यक्ति या अनिवासी भारतीय अकेले अथवा किसी अन्य के साथ या अन्य दो व्यक्तियों के साथ संयुक्त/कोई या उत्तरजीवी आधार पर।
निवेशकों की श्रेणी IV (3)	<u>अवयस्क</u> अवयस्क की ओर से पिता, माता अथवा विधिक अभिभावक निवेश करने के लिए पात्र होंगे।	निवासी या अनिवासी भारतीय अवयस्क की ओर से माता-पिता, सौतेले माता-पिता या अन्य विधिक अभिभावक। वयस्क और अवयस्क संयुक्त रूप से आवेदन नहीं कर सकते।
निवेशकों की श्रेणी IV (9)	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।	बैंक जिसमें अनुसूचित बैंक, क्षेत्रफल ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक आदि शामिल हैं।
निवेशकों की श्रेणी IV (10)	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।	वित्तीय संस्था।
निवेशकों की श्रेणी IV (4)	निगमित निकाय से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत अथवा उस समय प्रवृत्त राज्य या केंद्रीय कानून के अंतर्गत स्थापित कंपनी अभिप्रेत होगी और शामिल होगी। ऐसी सोसाइटी को इसमें इसके बाद "सोसाइटी" कहा जाएगा।	(4) निगमित निकाय, जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनाई गई या उस समय प्रवृत्त राज्य या केंद्रीय कानून के अंतर्गत स्थापित कंपनी शामिल है।
निवेशकों की श्रेणी IV (6)	सोसाइटी से ऊपर निगमित निकाय की परिभाषा में विनिर्दिष्ट सोसाइटी अभिप्रेत होगी और शामिल होगी।	(6) योजना के अंतर्गत परिभाषित सोसाइटी।
निवेशकों की श्रेणी IV (7)	भागीदारी फर्म : भागीदारी फर्म से भागीदारी अधिनियम,	(7) भागीदारी फर्म : भागीदारी फर्म द्वारा कोई भी आवेदन फर्म के अधिक से

	1932 (1932 का 9) में उसे दिया गया अर्थ अभिप्रेत होगा, परंतु भागीदारी अभिव्यक्ति में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल होगी जिसे अवयस्क होने से कारण भागीदारी फर्म के लाभों में शामिल किया गया हो।	अधिक तीन सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तथा पहले नाम वाले व्यक्ति को ट्रस्ट द्वारा सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए सदस्य सदस्य के रूप में मान्यता दी जाएगी।
निवेशकों की श्रेणी IV (11)	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।	(11) सेना/नौसेना/वायु सेना/पैरामिलिटरी निधि।
निवेशकों की श्रेणी IV (12)	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।	(12) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू)
व्ययों की सीमा V का पहला पेराग्राफ	निम्नलिखित व्यय आवर्ती आधार पर योजना से किए जाएंगे, जिनकी मात्राकिसी लेखांकन वर्ष में औसत दैनिक निवल आस्ति मूल्य के 3% से अधिक नहीं होगी। अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार है : व्यय — % प्रशासनिक व्यय — 1.00 अभिरक्षा शुल्क — 0.50 विकास प्रारक्षित निधि — 0.10 स्टाफ कल्याण निधि — 0.10 पंजीकरण शुल्क — 0.50 विविध — 0.80 कुल — 3.00	आवर्ती व्यय : निम्नलिखित व्यय आवर्ती आधार पर योजना से किए जएंगे। अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय निम्नानुसार हैं : व्यय — औसत दैनि एनएवी का % प्रशासनिक व्यय — 0.95 अभिरक्षक शुल्क — 0.20 विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान — 0.25 स्टाफ कल्याण निधि — 0.10 पंजीकरण शुल्क — 0.50 विपणन और बिक्री संवर्धन — 0.50 कुल — 2.50 उक्त राशियां अनुमानित हैं तथा किए गए वास्तविक व्ययों के अनुसार परस्पर परिवर्तित हो सकती हैं। प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि तथा स्टाफ कल्याण निधि में अंशदान सहित योजना के कुल [illegible] आवर्ती व्यय निम्नलिखित सीमाओं के अधीन होंगे : (क) औसत दैनिक निवल आस्तियों के पहले रु. 100 करोड़ रुपए पर - 2.50% (ख) औसत दैनिक निवल आस्तियों के अगले रु. 300 करोड़ रुपए पर - 2.25% (ग) औसत दैनिक निवल आस्तियों के अगले रु. 300 करोड़ रुपए पर - 2.00% (घ) शेष आस्तियों पर - 1.75%
व्ययों की सीमा V का दूसरा पैरा	उक्त व्यय अनुमानित हैं तथा किए गए वास्तविक व्ययों के अनुसार उनमें परस्पर परिवर्तन हो सकता है। तथापि, किसी भी लेखांकन वर्ष के दौरान सेबी (म्यूचुअल	प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि एवं स्टाफ कल्याण निधि में अंशदान सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के विनियम 52 के खण्ड 2 के तहत विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होगा, अर्थात्

	फंड) विनियमावली, 1993 के अनुसार कुल व्यय दैनिक औसत निवल आस्ति मूल्य के 3% की सीमा के भीतर होगा। उसके अलावा, प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि एवं स्टाफ कल्याण न्यास में अंशदान पर हुए व्यय लेखांकन वर्ष के दौरान योजना के दैनिक औसत एनएवी के 1.25% से अधिक नहीं होंगे। शुल्क व्यय और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन हो सकता है, जो सेबी द्वारा जारी विनियमों / दिशानिर्देशों पर निर्भर होगा।	(क) जब तक योजना की निवल आस्तियों रु. 100 करोड़ से अधिक नहीं हो जाती तब तक प्रत्येक लेखांकन वर्ष में बकाया दैनिक औसत निवल आस्ति का 1/4 प्रतिशत, तथा (ख) जब इस प्रकार परिकलित निवल आस्तियों रु. 100 करोड़ से अधिक हो जाए तो रु. 100 करोड़ से अधिक की राशि पर एक प्रतिशत। ट्रस्ट सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के प्रावधानों के अनुसार कोई निवेश प्रबंधन और परामर्श शुल्क नहीं लगाता, तथापि यह सुनिश्चित करेगा कि वार्षिक आवर्ती व्यय सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर रहें।
यूनिटों की बिक्री VI (ख)	एक व्यक्ति या तीन से अनधिक कई व्यक्तियों को, जो वयस्क हो (संयुक्त आधार पर), यूनिटों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है।	एक व्यक्ति या तीन से अनधिक कई व्यक्तियों को, जो वयस्क हों (संयुक्त / कोई एक या उत्तरजीवी आधार पर) यूनिटों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है।
यूनिटों की बिक्री VI (घ)	यूनिटों का अंकित मूल्य रु. 10 होगा। आवेदन न्यूनतम दो सौ यूनिटों सहित सौ यूनिटों के गुणजों में निर्धारित फार्म में ही किए जाएंगे। निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।	न्यूनतम रु. 5000/- के लिए आवेदन किया जाएगा। कोई अधिकतम सीमा नहीं है तथा यूनिटों का आवंटन दशमलव के तीन अंकों तक किया जाएगा। उसी फोलियो के अंतर्गत बाद में निवेश करने के लिए न्यूनतम निवेश रु. 1000/- है। निवासी या अनिवासी भारतीय द्वारा अनिवासी साधारण खाते के माध्यम से रु. 50,000/- और अधिक का निवेश किए जाने पर निवेशक को आयकर पी.ए.एन./ जी.आई.आर. क्रमांक तथा आयकर सर्कल का पता, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना होगा।
यूनिटों की बिक्री VI (ङ) का दूसरा और तीसरा वाक्य	यदि अदायगी चेक द्वारा की गई हो, तो ऐसे चेक की वसूली की शर्त पर, स्वीकृति की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन ट्रस्ट के शाखा कार्यालय अथवा प्राधिकृत वसूली केंद्र द्वारा आवेदन प्राप्त किया जाए। यदि अदायगी ड्राफ्ट द्वारा की गई हो, तो ऐसे ड्राफ्ट की वसूली की शर्त पर, स्वीकृति की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन ट्रस्ट के शाखा कार्यालय अथवा प्राधिकृत वसूली केंद्र द्वारा आवेदन प्राप्त किया जाए।	यदि अदायगी चेक/ड्राफ्ट द्वारा की जाए, तो ऐसे आवेदन की स्वीकृति चेक/ड्राफ्ट की वसूली की शर्त पर होगी। अनिवासी भारतीयों को अपने आवेदन अधिमानतः अनिवासी शाखा, मुंबई में या आवेदन प्रस्तुत किए जाने के स्थान पर देय अनिवासी (बाह्य)/अनिवासी (साधारण) चेक अथवा रुपया ड्राफ्ट के साथ ट्रस्ट की किसी शाखा में प्रस्तुत करने चाहिए। विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित नामित बैंक/प्राधिकृत व्यापारी के यपास रखे विशेष अनिवासी रुपया खाते में नामे डालकर राशि की अदायगी करके निवेश करना चाहिए। किसी दिन 2 बजे अपराह्न तक यूटीआई के शाखा कार्यालयों में बिक्री/पुनर्खरीद के लिए प्राप्त और स्वीकृत अथवा रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्राप्त [कृपया II (घक) देखें] सभी आवेदनों के संबंध में उसी दिन का एनएवी

		लागू होगा। 2 बजे अपराह्न के बाद प्राप्त और स्वीकृत सभी आवेदनों पर अगले कारोबार दिवस का एनएवी लागू होगा। संस्थाओं से अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन ट्रस्ट के कार्यालयों में ही स्वीकार किए जाएंगे।
यूनिटों की बिक्री VI (i)	यदि अपेक्षित हो तो यूनिट प्रमाणपत्र भेज दिया जाएगा। प्रमाणपत्र पंजीकृत डाक, पावती ससिहत या पावती के बिना, आवेदक द्वारा दिए पते पर भेजा जाएगा तथा ट्रस्ट इस प्रकार भेजे गए यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, नुकसान हो जाने, गलत सुपुर्दगी हो जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।	लेखा विवरण 1) ________ को या उसके बाद बेचे गए यूनिटों के लिए ट्रस्ट एक फोलियो क्रमांक देते हुए एक लेखा-विवरण आवेदन की स्वीकृति की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर जारी करेगा। 2) **सदस्य द्वारा फोलियो के अंतर्गत अतिरिक्त खरीद या आंशिक पुनर्खरीद या स्विचओवर या निम्नलिखित खण्ड XI(क) और XI (ग) के अनुसरण में यूनिटों का अंतरण या निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) के रूप में गए यूनिटों का पुनर्भौतिकीकरण किए जाने [illegible] बार हर सदस्य को उसके फोलियो का अद्यतन लेखा-विवरण प्राप्त होगा।** 3) अनिवासी भारतीय लेखा-विवरण भेजने की निम्नलिखित विधियों में से कोई एक विधि चुन सकता है : (i) आवेदक के भारतीय/विदेशी पते पर अथवा (ii) भारत में अनिवासी भारतीय आवेदक के संबंध के पते पर। 4) विदेशी संस्थागत निवेशकों के मामले में, लेखा-विवरण उनके सार्वभौमिक अभिरक्षकों के पास अथवा आवेदन में प्रस्तुत पते पर भेज जाएगा। 5) यदि सदस्य चाहे तो लेखा-विवरण के स्थान पर प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध प्राप्त होने के छ: सप्ताह के भीतर उसे यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। 6) यूनिट प्रमाणपत्र/लेखा-विवरण दोनों रूप से वैध, साक्ष्य हैं। 7) इन खण्डों के प्रावधान यूनिट प्रमाणपत्र द्वारा कवर किए गए यूनिटों तथा यूनिटधारकों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
यूनिटों की बिक्री VI (ञ) और (ट)	कोई प्रावधान मौजूद नहीं।	(ञ) पुन:प्रत्यावर्तन लाभों के साथ अनिवासी भारतीय निवेश के लिए अदायगी की विधि -

अनिवासी भारतीयों/विदेशी निगमित निकायों द्वारा किए गए निवेशों में निविष्ट पूंजी और उस पर अर्जित आय एवं पूंजी वृद्धि के पुन:प्रत्यावर्तन का अधिकार तब तक रहेगा जब तक निवेशक भारत के बाहर का निवासी बना रहे। इन मामलों में निम्नलिखित में से किसी एक विधि से निवेश किया जा सकेगा :

(i) भारत के बाहर कार्यरत बैंक/विनियम गृह द्वारा उनके भारतीय संपर्की बैंकों पर ट्रस्ट के पक्ष में रुपयों में जारी ड्राफ्ट के द्वारा।

(ii) भारत में किसी बैंक के पास रखे गए निवेशक के अनिवासी बाह्य खाते पर आहरित चेक द्वारा।

(iii) निवेशक की विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाओं की अग्रिम राशियों से जारी चेक/ड्राफ्ट द्वारा।

नोट : नेपाली और भूटानी मुद्राओं में अदायगी स्वीकार नहीं की जाती।

(ट) पुन:प्रत्यावर्तन लाभों के बिना अनिवासी भारतीय विश के लिए अदायगी की विधि

i) जहां अनिवासी साधारण खातों में रखी गई निधियों का उपयोग यूनिटों की खरीद के लिए किया जाता है, वहां इस प्रकार निविष्ट निधियाएवं पूंजी वृद्धि (यदि कोई हो), को भारत के बाहर प्रत्यावर्तित करने के लिए पाए नहीं होंगी। इसी तरह, भारत में निवेशक के निवासी रहते हुए रुपयों में खरीदे गए यूनिटों मे किया गया निवेश बाद में उसके अनिवासी बन जाने पर यूनिटों की बिक्री आगम राशियों के पुन:प्रत्यावर्तन के लिए पात्र नहीं होगा।

ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के 19 अगस्त 1994 के परिपत्र ए.डी. (एम.ए. शृंखला) सं. 18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1996-97 तथा उसके बाद उस पर किया गया समग्र आय वितरण पूर्ण पुन: प्रत्यावर्तन के लिए पात्र होगा। ऐसे मामलों में अनिवासी साधारण खाते में जमा किए जाने के लिए ट्रस्ट रुपयों मे अदायगी करेगा। यदि निवेशक यूनिटों पर किए जाने वाले आय वितरण को विदेश में प्रेषित करना चाहते हों तो उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंकों/कर परामर्शदाताओं से सलाह ले।

सदस्यों का रजिस्टर Xक	कोई प्रावधान मौजूद नहीं।	सदस्यों के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे : (1) ट्रस्ट द्वारा उसके कार्यालयों में सदस्यों का एक रजिस्टर रखा जाएगा तथा उस रजिस्टर में निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी ः (क) फोलियो नंबर तथा सदस्य के नाम जमा बकाया यूनिटों की संख्या, (ख) सदस्य का नाम और पता; (ग) दूसरे और तीसरे धारक का नाम; (घ) धारिता के स्वरूप; (ङ) नामिती/हिताधिकारी का नाम; (च) सदस्यता में प्रवेश की तारीख **(2) यूनिट प्रमाणपत्र(पत्रों) तथा यूनिटधारक(कों) पर लागू खण्ड X में विनिर्दिष्ट प्रतिबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लेखा-विवरण पर तथा सदस्य के नाम में जमा/ द्वारा आवेदित यूनिटों पर लागू होंगे।**

ग्रैंडमास्टर यूनिट स्कीम - संशोधित / शामिल किये गये प्रावधान

खण्ड सं.	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
निर्गम के बाद यूनिटों का अंतरण : खण्ड XI	योजना के अंतर्गत जारी किये गये और बकाया सभी यूनिट प्रमुख शेयर बाज़ारों पर योजना की सूचीबद्धता के बाद निम्नलिखित शर्तों पर मुक्त रूप से अंतरणीय हैं : (क) योजना के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया यूनिट प्रमाणपत्र बेचानयोग्य है तथा उसे व्यक्तियों, व्यक्त और योजना के प्रावधानों के खण्ड IV में उल्लिखित ऐसी अन्य श्रेणियों को अंतरित किया जा सकता है । अंतरण विलेख की स्वीकृति तथा अंतरिती को शामिल किया जाना पूर्णतः ट्रस्ट के विवेक पर होगा । (ख)ऐसे अंतरणकर्ताओं और अंतरितियों द्वारा और के बीच ही, जो यूनिट रखने के लिए सक्षम हों, अंतरण किया जा सकता है। किसी अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए ट्रस्ट बाध्य नहीं होगा । (ग) सभी अंतरण शेयर बाज़ारों द्वारा निर्धारित शेयर अंतरण फार्म का प्रयोग करते हुए किये जाएंगे तथा वे न्यूनतम दो सौ यूनिटों के लिए और उसके बाद सौ यूनिटों के गुणजों में होंगे । (घ)संबंधित यूनिट प्रमाणपत्र और योजना द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित शुल्क के साथ अंतरण संबंधी लिखतें इस प्रयोजन के लिए नियुक्त रजिस्ट्रारों के किसी कार्यालय	यूनिटों का अंतरण/ उन्हें गिरवी रखना/ उनका समनुदेशन: क) इस पेशकश दस्तावेज़ के अनुसरण में जारी यूनिटों के संबंध में अंतरण की सुविधा अंतरण की सुविधा : निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर लेखा-विवरण के तहत आने वाले यूनिट अंतरणीय नहीं हैं । परन्तु सतत खुली योजना होने के कारण, बिक्री /पुनर्खरीद की सुविधा *एन ए वी / एन ए वी* आधारित मूल्य पर सतत आधार पर उपलब्ध है । तथापि, यदि कोई व्यक्ति विधि के परिचालन द्वारा अथवा गिरवी लागू करने पर (जैसाकि नीचे (ख) में दिया गया है) अथवा मृत्यु, दिवालियेपन या एकमात्र धारक के कार्यों के समापन के कारण अथवा संयुक्त धारको के उत्तरजीवी के रूप में यूनिटों का धारक बन जाए, तो ट्रस्ट की राय में पर्याप्त समझे जाने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर ट्रस्ट अंतरण को लागू करेगा बशर्ते आशयित अंतरिती अन्यथा यूनिट रखने के लिए पात्र हो । गैर-सूचीबद्धता संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने तक ________ के पहले जारी किये गये और बकाया रहने वाले यूनिटों के भी अंतरण की अनुमति दी जाएगी । नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) के पास निर्भौतिकीकृत किये गये यूनिटों के मामले में अंतरण की सुविधा तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक निक्षेपागार से उन्हें हटाने की औपचारिकताएं पूरी न कर ली जाएं । ख) यूनिटों को गिरवी रखना/ उनका समनुदेशन: सदस्य ऋण लेने के लिए बैंक/ अन्य वित्तीय संस्थाओं

में प्रस्तुत की जाएगी।

(ङ) ट्रस्ट के किसी कार्यालय में प्रस्तुत या स्वीकृत कोई अंतरण विलेख रजिस्ट्रारों के निकटतम कार्यालय के पास भेज दिया जाएगा।

(च) अंतरण के प्रत्येक लिखत पर अंतरणकर्ता एवं अंतरिती द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे तथा अंतरणकर्ता को तब तक यूनिटों का धारक माना जाता रहेगा, जब तक रजिस्ट्रारों द्वारा यूनिटधारकों के रजिस्टर में अंतरिती का नाम शामिल नहीं कर लिया जाता।

(छ) रजिस्ट्रार अंतरणकर्ता के हक या यूनिट अंतरित करने के उसके अधिकार के समर्थन में आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी साक्ष्य की मांग कर सकते हैं।

(ज) रजिस्ट्रार आवश्यक समझी गयी अपेक्षाओं का अनुपालन किये जाने की शर्त पर खो गये, चोरी हो गये या नष्ट हो गये मूल यूनिट प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा को अभिमुक्त कर सकते हैं।

(झ) यूनिटों के अंतरण का पंजीकरण होने पर अंतरण की सभी लिखतें और यूनिट प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार द्वारा रखे जा सकते हैं।

(ञ) अंतरण को मान्यता देने वाले एवं उसका पंजीकरण करने वाले रजिस्ट्रार अंतरण के संबंध में देय प्रभार अदा किये जाने और उनकी वसूली होने पर के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में यूनिटों को गिरवी रख सकते हैं / उनको समनुदेशित कर सकते हैं। ट्रस्ट द्वारा अपेक्षित फार्म भरकर / औपचारिकताएं पूरी करके यूनिटों को गिरवी रखा जा सकता है। ट्रस्ट गिरवी रखे गये यूनिटों पर गिरवी/ प्रभार/ ग्रहणाधिकार दर्ज करेगा। गिरवी रखने वाला व्यक्ति इस प्रकार गिरवी रखे गये यूनिटों का मोचन तब तक नहीं कर सकता, जब तक वे बैंक / वित्तीय संस्थाएं, जिन्हें यूनिट गिरवी रखे गये हैं, ट्रस्ट को लिखित रूप में इस बात के लिए प्राधिकृत नहीं कर देतीं कि गिरवी/ प्रभार/ ग्रहणाधिकार हटा लिया जाए। यूनिटों के गिरवी रखे रहने तक गिरवीदार बैंक / वित्तीय संस्थाओं को ऐसे यूनिटों का मोचन करने का पूरा अधिकार होगा।

ग) ________ के पहले जारी किये गये यूनिटों का अंतरण

_____ के पहले जारी किये गये / बेचे गये और बकाया रहने वाले यूनिटों का अंतरण, उनके गैर-सूचीबद्ध होने तक, जैसा कि नीचे खण्ड XXIV में उल्लेख किया गया है, निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होगा :

(i) अंतरणकर्ताओं और अंतरितियों द्वारा और के बीच ही, जो यूनिट रखने के लिए सक्षम हों, अंतरण किया जा सकता है। किसी अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए ट्रस्ट बाध्य नहीं होगा।

(ii) संबंधित यूनिट प्रमाणपत्र के साथ सम्यक् रूप से स्टांपित निर्धारित अंतरण विलेख इस प्रयोजन के लिए नियुक्त रजिस्ट्रार के किसी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। परन्तु यह कि विशेष परिस्थितियों में ट्रस्ट अंतरण लिखत के बिना इन शर्तों पर यूनिटों के अंतरण की अनुमति दे सकता है कि अंतरिती ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट सबूत पेश करेगा।

(iii) ट्रस्ट के किसी कार्यालय में प्रस्तुत या उसके किसी कार्यालय द्वारा स्वीकृत सम्यक् रूप से स्टांपित एवं निष्पादित अंतरण विलेख के साथ प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार के निकटतम कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।

अंतरिती को मूल या नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं और उसे एक या कई प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं।

(ट) यदि अंतरिती शासकीय क्षमता में, विधि के परिचालन द्वारा अथवा यदि गिरवी लागू करने पर कोई अनुसूचित बैंक यूनिटों का धारक बन जाए, तो रजिस्ट्रार उनकी राय में पर्याप्त समझे जाने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर अंतरण को लागू करेंगे बशर्ते आशयित अंतरिती अन्यथा यूनिट रखने के लिए पात्र हो।

(ठ) मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों में ग्रैंडमास्टर यूनिट स्कीम के सूचीबद्ध होते ही, सूचीबद्धता करार के प्रावधानों और शेयर बाजारों द्वारा इस संबंध में जारी किये गये एवं योजना में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार अंतरण/ प्रेषण संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।

(ड) निक्षेपागार (डिपोजिटरी) के रूप में यूनिट रखने वाले व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अथवा दूसरे व्यक्ति के द्वारा निक्षेपागार के रूप में यूनिट रखने वाले व्यक्ति को यूनिटों का अंतरण किये जाने के मामले में, ऐसे नियमों / विनियमों के अनुसार अंतरण किया जाएगा जो निक्षेपागार के रूप में रखी गयी प्रतिभूतियों के अंतरण पर लागू हों।

(iv) अंतरण के प्रत्येक लिखत पर अंतरणकर्ता (संयुक्त धारिता के मामले में सभी अंतरणकर्ताओं) एवं अंतरिती (संयुक्त खरीद के मामले में सभी अंतरितियों) द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे तथा अंतरणकर्ता को तब तक यूनिटों का धारक माना जाता रहेगा, जब तक रजिस्ट्रार द्वारा सदस्यों के रजिस्टर में अंतरिती का नाम शामिल नहीं कर लिया जाता।

(v) रजिस्ट्रार अंतरणकर्ता के हक या यूनिट अंतरित करने के उसके अधिकार के समर्थन में आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी साक्ष्य की मांग कर सकते हैं।

(vi) रजिस्ट्रार आवश्यक समझी गयी अपेक्षाओं का अनुपालन किये जाने की शर्त पर तथा अपने विवेक पर खो गये, चोरी हो गये या नष्ट हो गये मूल यूनिट प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा को अभिमुक्त कर सकता है।

(vii) यूनिटों के अंतरण का पंजीकरण होने पर अंतरण की सभी लिखतें और रद्द किया गया यूनिट प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार द्वारा रखे जा सकते हैं।

(viii) अंतरण को मान्यता देने वाला तथा उसका पंजीकरण करने वाला रजिस्ट्रार अंतरिती को लेखा-विवरण जारी करेगा।

(ix) विशेष परिस्थितियों में, किसी कंपनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा अन्य कंपनी या निगमित निकाय या व्यक्ति / व्यक्तियों, जिनमें से कोई भी अवयस्क न हो, के साथ यूनिट रखे जाने पर ट्रस्ट विचार करेगा।

(x) इसमें इसके पहले उल्लिखित प्रावधानों की शर्त पर ट्रस्ट अंतरण का पंजीकरण करेगा तथा संबंधित अंतरण लिखत के साथ यूनिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अंतरिती को लेखा-विवरण जारी कर देगा। संयुक्त अंतरितियों के मामले में, लेखा-विवरण पहले सदस्य को भेजा जाएगा तथा धारिता के संबंध में सभी अदायगियां सिर्फ पहले

नामांकन	यूनिटधारकों द्वारा कोई नामांकन नहीं	सदस्यों द्वारा नामांकन
XII	योजना के अंतर्गत कोई नामांकन करने के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा ।	(i) नामांकन की सुविधा अपनी ओर से अर्थात् अकेले या दो तक संयुक्त रूप से आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध है । (ii) सिर्फ एक व्यक्ति को नामांकित किया जा सकता है । (iii) अनिवासी भारतीय अवयस्क सहित अवयस्कों को नामांकित किया जा सकता है । (iv) अनिवासी भारतीयों का नामांकन समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं की शर्त पर है । (v) निवेश चालू रहने के दौरान किसी भी समय नामांकन को बदला जा सकता है । (vi) अवयस्क के माता-पिता या विधिक अभिभावक, पात्र संस्था, सोसाइटी, निगमित निकाय, हिन्दू अविभक्त परिवार और भागीदारी फर्म के रूप में आवेदन करने वाले आवेदकों को नामांकन करने का कोई अधिकार नहीं है । (vii) अन्य प्रावधान विनियमों में किये गये प्रावधानों के अनुसार होंगे । (viii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 39क के अंतर्गत सदस्य को सांविधिक नामांकन की सुविधा उपलब्ध है ।तदनुसार, जहां भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली, 1964 के अनुसार किसी यूनिट के संबंध में नामांकन किया गया हो, वहां सदस्य(यों) की मृत्यु हो जाने पर यूनिट नामिती में निहित होगा तथा नामिती को इस प्रकार निहित यूनिट के संबंध में लेखा-विवरण जारी किया जाएगा, जो विनियमावली में किये गये प्रावधानों के अनुसार ऐसे यूनिटों के प्रति एवं उनके संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के किसी अधिकार, हक़, दावे या अन्य हित की शर्त पर तथा ऐसे यूनिटों पर किसी भार या अवभार की शर्त पर होगा । उक्त प्रकार से ट्रस्ट द्वारा किये गये पारेषण (Transmission) से उक्त

		यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट सभी दयता से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा ।
लेखों का प्रकाशन XIII	लेखों का प्रकाशन : ट्रस्ट हर वर्ष 30 जून के बाद यथाशीघ्र निधि द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में लेखा प्रकाशित कराएगा, जिसमें उस तिथि को समाप्त अवधि के दौरान योजना के कार्य-परिणाम दर्शाये जाएंगे । ट्रस्ट यूनिटधारक से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर इस प्रकार से प्रकाशित लेखों की प्रति उसे प्रस्तुत करेगा । शुल्क, व्यय और लेखांकन नीतियां बदल सकती हैं, जो सेबी द्वारा जारी विनियमों/ दिशा-निर्देशों पर निर्भर होगा ।	संशोधित तथा अनुबंध III में 'लेखांकन नीति' के अंतर्गत मद 10 के रूप में शामिल ।
यूनिटों की पुनर्खरीद XV	(क) यूनिटधारक के समक्ष पुनर्खरीद के लिए अपने यूनिटों की पेशकश करने की कोई बाध्यता नहीं होगी तथा वह योजना चालू रहने के दौरान अपनी इच्छानुसार कितने भी समय तक उन्हें अपने पास रखने के लिए स्वतंत्र है । (ख) यूनिट ट्रस्ट, पुनर्खरीद के लिए यूनिटधारक द्वारा अनुरोध किये जाने पर, यूनिट प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट सभी या आंशिक, जैसी भी स्थिति हो, यूनिटों की पुनर्खरीद करेगा जो हमेशा 100 यूनिटों के गुणजों में होगा बशर्ते इस प्रकार की गयी किसी भी आंशिक पुनर्खरीद से यूनिटधारक के पास	1. वर्ष में 45 दिनों से अनधिक अवधि के बुक-क्लोजर को छोड़कर पूरे साल पुनर्खरीद की सुविधा उपलब्ध रहेगी । 2. ग्रैंडमास्टर यूनिट स्कीम के यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य यूनिट के एनएवी से दलाली, कमीशन, कर और अ. प्रशासनिक प्रभारों, व्ययों एवं निवेशों की वसूली संबंधी प्रभाव लागतों के रूप में एनएवी के 3% से अनधिक राशि की कटौती करके ज्ञात किया जाएगा । 3. पुनर्खरीद के लिए सम्यक् रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र या लेखा-विवरण, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त होने पर पुनर्खराद किया जाएगा । आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति इस शर्त पर होगी कि सदस्य प्रति फोलियो न्यूनतम रु.5000, जिसकी गणना पुनर्खरीद आवेदन की स्वीकृति की तारीख को लागू पुनर्खरीद मूल्य पर की जाएगी, की शेषराशि रखें । पुनर्खरीद के लिए स्वीकृति

धारित यूनिटों की संख्या 200 यूनिटों से कम नहीं होनी चाहिए । इस प्रकार प्राप्त यूनिट प्रमाणपत्र रद्द किये जाने के लिए यूनिट ट्रस्ट अपने पास रख लेगा । यूनिट प्रमाणपत्र में दर्शाये गये यूनिटों के एक अंश की पुनर्खरीद किये जाने की स्थिति में यूनिट ट्रस्ट यूनिटधारक द्वारा धारित शेष यूनिटों के लिए एक नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(ग) स्वीकृति की तारीख को पुनर्खरीद की संविदा समाप्त हुई मानी जाएगी ।

(घ) यूनिट ट्रस्ट पुनर्खरीद किये गये यूनिटों की अदायगी स्वीकृति की तारीख के बाद यथाशीघ्र आवेदनों में आवेदक द्वारा निर्दिष्ट रूप में करेगा । आवेदक को देय राशि पर किसी भी रूप में कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा प्रेषण की लागत (डाकखर्च सहित) अथवा यूनिट ट्रस्ट द्वारा भेजे गये चेक या ड्राफ्ट की वसूली की लागत का वहन आवेदक द्वारा किया जाएगा ।

(ङ) निक्षेपागार (डिपोजिटरी) के रूप में यूनिट रखने वाला व्यक्ति यदि यूनिटों की पुनर्खरीद करना चाहे तो उसे समय-समय पर बनाये गये नियमों/ दिशा-निर्देशों/ प्रक्रियाओं का अनुसरण करना होगा ।

की तारीख को पुनर्खरीद की संविदा समाप्त हुई मानी जाएगी ।

4. आंशिक पुनर्खरीद किये जाने की स्थिति में सदस्य को एक नया लेखा-विवरण जारी किया जाएगा, जो उसके द्वारा धारित यूनिटों पर निर्भर होगा । पुनर्खरीद की आगमराशियों पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

5. सदस्य/यों की मृत्यु और विधिक प्रतिनिधि द्वारा लेखा-विवरण, मृत सदस्य के नाम में बकाया यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र ट्रस्ट को अभ्यर्पित किये जाने की स्थिति में, ट्रस्ट, दावे की मान्यता के संबंध में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुपालन की शर्त पर, ट्रस्ट द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार यूनिटों की पुनर्खरीद करेगा तथा दावे के निपटान की तारीख तक बकाया राशि की अदायगी करेगा ।सदस्य के विधिक प्रतिनिधि को मृतक के नाम में जमा सभी यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य प्राप्त करने के बजाय सदस्य के रूप में यूनिट रखने और सदस्य के रूप में पंजीकृत बने रहने की अनुमति दी जाएगी तथा उसे धारित किये जाने वाले यूनिटों के संबंध में उसके नाम में लेखा-विवरण जारी किया जाएगा बशर्ते वह न्यूनतम धारिता की शर्त पूरी कर रहा हो एवं योजना के तहत यूनिट रखने के लिए अन्यथा पात्र हो ।

6. ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद किये गये यूनिटों की अदायगी कटौती, यदि कोई हो, के बाद पुनर्खरीद संबंधी अनुरोध प्रॉसेस किये जाने वाले केन्द्र में पुनर्खरीद संबंधी अनुरोध पर्चों की प्राप्ति की तारीख से 10 कार्य-दिवसों के भीतर (बशर्ते आवेदन नियमानुसार हो) किया जाएगा ।

आवेदक को देय राशि के संदर्भ में किसी भी रूप में कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा प्रेषण की लागत (डाक खर्च सहित) अथवा ट्रस्ट द्वारा भेजे गये चेक या ड्राफ्ट की वसूली की लागत का वहन आवेदक करेगा ।

7. अनिवासी निवेशकों के मामले में, पुनर्खरीद की आगमराशियां निवेश संबंधी स्रोत पर निर्भर रहते हुए निम्नानुसार प्रेषित की जाएंगी :-

	क) जब विदेश से प्रेषित विदेशी मुद्रा से अथवा सदस्य की एफ सी एन आर जमाराशियों की आगमराशियों से अथवा सदस्य के भारत स्थित बैंक के अनिवासी (बाह्य) खाते में रखी गयी निधियों से यूनिटों की खरीद की गयी हो, तो सदस्य को आगमराशियां विदेशी मुद्रा में प्रेषित की जा सकती हैं अथवा उसे अनिवासी (बाह्य) या अनिवासी साधारण खाते में जमा किया जा सकता है अथवा भारत में उसके रिश्तेदार को अदा किया जा सकता है। ख) जब आवेदक के भारत में निवासी रहने के दौरान अथवा सदस्य के अनिवासी साधारण खाते में रखी गयी निधियों से यूनिटों की खरीद की गयी हो, तो परिपक्वता संबंधी आगमराशियां या तो निवेशक के अनिवासी साधारण खाते में जमा किये जाने के लिए भारत में उसके बैंकर के पास प्रेषित की जा सकती हैं, अथवा उसे भारत में निवेशक के रिश्तेदार के पास भेजा जा सकता है। 9. विदेशी संस्थागत निवेशकों के मामले में, पुनर्खरीद संबंधी आगमराशियां उनके विशेष अनिवासी रुपया खाते में जमा की जाएंगी या उसे सेबी / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार प्रेषित किया जाएगा।
कोई प्रावधान मौजूद नहीं	XVA. स्विचओवर (i) योजना के अंतर्गत सदस्यों को इस योजना से ऐसी अन्य योजनाओं में या अन्य योजनाओं से इस योजना में अपने निवेश के स्विचओवर की अनुमति होगी। ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर ऐसी अनुमति दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में वे अपना नवीनतम लेखा-विवरण / सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र, जैसी स्थिति हो, प्रस्तुत कर स्विचओवर के लिए आवेदन कर सकते हैं। (ii) स्विचओवर एन ए वी या एन ए वी पर आधारित मूल्य पर प्रभावी होगा, जिसका निर्णय ट्रस्ट द्वारा किया

		जाएगा। (iii) इस योजना से ऐसी अन्य योजनाओं में या अन्य योजनाओं से इस योजना में ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर घोषित आंशिक स्विचओवर में दोनों योजनाओं के अंतर्गत न्यूनतम सीमा तक निवेश रखने की शर्त पूरी होनी चाहिए। यूनिट प्रमाणपत्र/ लेखा-विवरण ट्रस्ट द्वारा रद्द किये जाने के लिए रख लिया जाएगा तथा सदस्य को दोनों योजनाओं के लिए नये लेखा-विवरण जारी किये जाएंगे। (iv) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईए/54 ईबी का लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए योजना में किये गये निवेश का स्विचओवर क्रमश: 3 और 7 वर्ष की लॉक-इन अवधि की समाप्ति के पूर्व करने की अनुमति नहीं होगी।
आवेदन स्वीकार करने या अस्वीकार करने का ट्रस्ट का अधिकार खण्ड XVII	ट्रस्ट को योजना के तहत यूनिटों के निर्गम के लिए आवेदन स्वीकार करने या अस्वीकार करने का एकमात्र विवेकाधिकार है। योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता या अपात्रता के बारे में ट्रस्ट का कोई भी निर्णय अंतिम होगा।	ट्रस्ट को योजना के तहत यूनिटों के निर्गम के लिए आवेदन स्वीकार करने और / या अस्वीकार करने का एकमात्र विवेकाधिकार है। निम्नलिखित परिस्थितियों में यूनिटों के निर्गम का आवेदन ट्रस्ट द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा : (i) आवेदन प्रति फोलियो रु.5000 के न्यूनतम आरंभिक निवेश तथा बाद में रु.1000 के निवेश से कम के लिए प्राप्त हुआ हो। (ii) आवेदन पर पहले आवेदक द्वारा हस्ताक्षर न किया गया हो। (iii) आवेदक योजना में निवेश करने के लिए पात्र न हो। योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता या अपात्रता के बारे में ट्रस्ट का कोई भी निर्णय अंतिम होगा ।iv) यदि आवेदन अपूर्ण पाया गया तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। पहले आवेदक के बैंक विवरण से रहित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अस्वीकार किये गये ऐसे मामलों में अपेक्षित परिचालनात्मक और प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी

		करने के बाद ब्याज या अन्य राशि के लिए किसी भी देयता आदि का वहन किये बिना राशि वापस की जाएगी ।
यूनिट जारी किये जाने के पूर्व आवेदक द्वारा योजना के अंतर्गत पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं **XVIII**	**योजना के अंतर्गत यूनिटों के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति योजना के अंतर्गत आवेदन करने संबंधी अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करने के लिए और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए बाध्य होगा । गलत घोषणा करके यूनिट प्राप्त करने वाले व्यक्ति का यूनिट प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा तथा यूनिटधारकों के रजिस्टर से उसका नाम काट दिया जाएगा ।ऐसी स्थितियों में ट्रस्ट को सममूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद करने का अधिकार होगा । उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा चाहे पुनर्खरीद करने एवं आवेदक को पुनर्खरीद की आगमराशियां प्रेषित करने में ट्रस्ट को कितना ही समय क्यों न लगे ।** **परन्तु ऐसी स्थितियों में निक्षेपागार के रूप में यूनिट रखने वाले व्यक्ति के संबंध में, ट्रस्ट समय-समय पर बनाये जाने वाले नियमों / दिशा-निर्देशों / प्रक्रियाओं का पालन करेगा ।**	क) अवयस्क की ओर से योजना के अंतर्गत यूनिटों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति आवेदन करने संबंधी अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करेंगे तथा ट्रस्ट द्वारा निर्धारित सभी अपेक्षाएं, यथा अवयस्क के मामले में जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना, पूरी करेंगे । ख) ऐसे वयस्क, जो अवयस्क के माता-पिता, सौतेले माता-पिता या अन्य विधिक अभिरक्षक हों, यूनिट रख सकते हैं और अधिनियम की धारा 21 की उप-ध (2क) के प्रावधानों के अनुसार तथा उसमें निर्धारित सीमा तक उनमें लेन-देन कर सकते हैं । अपेक्षा किये जाने पर ऐसे वयस्क को विनिर्दिष्ट रूप में अवयस्क की आयु का सबूत एवं अवयस्क की ओर से यूनिट रखने एवं उनमें लेन-देन करने की उसकी क्षमता का सबूत प्रस्तुत करना पड़ सकता है । ट्रस्ट किसी और सबूत के बिना आवेदन पत्र पर ऐसे वयस्क द्वारा प्रस्तुत विवरणों के आधार पर कार्य कर सकता है । ग) भागीदारी फर्म/ सहकारी सोसाइटी/ निगमित निकाय/ कंपनी जैसी संस्थाओं की ओर से यूनिटों के लिए किये जाने वाले आवेदनों के साथ भागी विलेख / सोसाइटी की उप-विधियों/ निगमित निकाय को शासित करने वाले कानून/ योजना में निवेश को प्राधिकृत करने संबंधी शासी निकाय (गवर्निंग बाडी) के संकल्प के साथ कंपनी के संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी । यूनिटों की पुनर्खरीद के समय शासी निकाय का संकल्प प्रस्तुत करना होगा, जिसमें पुनर्खरीद के लिए प्राधिकृत किया गया हो एवं औपचारिकताएं पूरी करने व पुनर्खरीद चेक की वसूली के बारे में शासी निकाय के संबंधित अधिकारी (रियों) द्वारा प्राधिकृत किया गया हो ।

		घ) मिथ्या घोषणा के द्वारा यूनिट रखने वाले व्यक्ति की यूनिटधारिता रद्द कर दी जाएगी और उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर से काट दिया जाएगा । ङ) उक्त मामलों में, ट्रस्ट को सममूल्य पर या एनएवी पर, जो भी कम हो, दण्ड के रूप में 25% की कटौती करने के बाद अथवा ट्रस्ट द्वारा निर्णीत मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद करने का तथा पुनर्खरीद की राशि से गलती से अदा किये गये आय वितरण, यदि कोई हो, की वसूली करने के बाद शेष राशि वापस करने का अधिकार होगा । उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा चाहे पुनर्खरीद करने एवं आवेदक को पुनर्खरीद की आगमराशियां प्रेषित करने में ट्रस्ट को कितना ही समय क्यों न लगे ।
बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य XIX (1)	यूनिट ट्रस्ट द्वारा जिस मूल्य पर यूनिट बेचा जाएगा (जिसे इसमें इसके बाद 'बिक्री मूल्य' कहा गया है), और जिस मूल्य पर यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी (जिसे इसमें इसके बाद 'पुनर्खरीद मूल्य' कहा गया है) उनकी घोषणा दैनिक आधार पर की जाएगी। बिक्री मूल्य पिछला एनएवी होगा । पुनर्खरीद मूल्य पिछले एनएवी से 3% के बट्टे पर निर्धारित किया जाएगा ।	यूनिट ट्रस्ट द्वारा जिस मूल्य पर यूनिट बेचा जाएगा, उसे इसमें इसके बाद 'बिक्री मूल्य' कहा जाएगा । यूनिटों का बिक्री मूल्य आवेदन स्वीकार किये जाने की तारीख की समाप्ति पर भावी मूल्य पर आधारित एनएवी पर निर्धारित किया जाएगा । ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री की संविदा स्वीकृति की तारीख को समाप्त हुई मानी जाएगी । ग्रैंडमास्टर यूनिट स्कीम के यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य यूनिट के एनएवी से दलाली, कमीशन, कर एवं अन्य प्रशासनिक प्रभारों, व्ययों और निवेशों की वसूली के संबंध में प्रभाव लागतों की भरपाई के लिए 3% से अनधिक राशि की कटौती करके निर्धारित किया जाएगा ।
यूनिटधारकों को आय का वितरण XXI	(क) योजना के अंतर्गत प्राप्त आय तथा उसके अंतर्गत हुए व्यय पर निर्भर रहते हुए ट्रस्ट योजना के अंतर्गत आय वितरण की घोषणा कर या नहीं कर सकता है ।	आय का वितरण (क) यद्यपि योजना का उद्देश्य वृद्धि है, तथापि समय-समय पर योजना के तहत आय वितरित किया जा सकता है । (ख) जिन सदस्यों के नाम योजना द्वारा आय वितरण की

(ख) ट्रस्ट आवश्यक समझे गये अनुसार आय वितरण कर सकता है तथा वह वितरित न की गयी आय में से उचित समझी गयी राशि या राशियां एक या अधिक प्रारक्षित निधियों में अंतरित कर सकता है। जिन प्रारक्षित निधियों को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु निश्चित न किया गया हो, उनका उपयोग यूनिटधारकों के लाभ के लिए ही किया जाएगा।

(ग) प्रत्येक वर्ष 30 जून को योजना की वार्षिक लेखाबंदी के बाद यथाशीघ्र यूनिटधारकों को आय वितरण किया जाएगा।
लाभांश घोषित किये जाने की स्थिति में, आय वितरण वारंट लाभांश की घोषणा की तारीख से 42 दिनों के भीतर प्रेषित कर दिये जाएंगे।

(घ) जिन यूनिटधारकों के नाम योजना द्वारा आय वितरण की घोषणा के पूर्व बहियों की लेखाबंदी के समय यूनिटधारकों के रजिस्टर में शामिल हों, वे इस प्रकार वितरित आय प्राप्त करने और रखने के हकदार होंगे।

(ङ) यदि यूनिटधारक ने आय वितरण की घोषणा के पहले यूनिट अंतरित कर दिये हों तथा अंतरण प्रभावी न हुआ हो, तो अंतरिती बाद में तब तक आय वितरण का हकदार नहीं होगा जब तक अंतरिती आय वितरण की घोषणा के पहले लेखाबंदी के 30 घोषणा के पूर्व बहियों की लेखाबंदी के समय सदस्यों के रजिस्टर में शामिल हों, वे योजना के अंतर्गत इस प्रकार वितरित आय प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ग) योजना द्वारा वितरित आय ईसीएस, जहां-कहीं ऐसी सुविधा उपलब्ध हो, के माध्यम से अथवा बैंक/बैंकों के साथ पूर्व-अदायगी व्यवस्थाओं के तहत ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक/बैंकों की शाखाओं में भुगतान-योग्य चेक या वारंट द्वारा अदा की जाएगी।

(घ) आय वितरण की घोषणा के मामले में, आय वितरण वारंट आय वितरण की घोषणा की तारीख से 42 दिनों के भीतर भेज दिया जाएगा।

(ङ) वितरित आय का पुनर्निवेश :

सदस्य योजना द्वारा घोषित आय, यदि कोई हो, का पुनर्निवेश और अधिक यूनिटों में करने का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसा विकल्प चुनने पर उसके द्वारा धारित यूनिटों पर अर्जित समग्र आय; कर, यदि कोई हो, की कटौती कर; इसमें इसके ऊपर खण्ड VIII (ग) में उल्लिखित रूप में सदस्य को अदा करने के बजाय उसका पुनर्निवेश एन ए वी पर योजना के और यूनिटों में कर दिया जाएगा और उसे उसके फोलियो में जमा कर दिया जाएगा। इस प्रकार राशि जमा किये जाने पर एक नया लेखा-विवरण जारी किया जाएगा।

च) निवेशकों के बैंक संबंधी ब्यौरे तथा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा :

i) आय वितरण वारंट/ पुनर्खरीद चेक/ परिपक्वता चेक के कपटपूर्ण नकदीकरण को टालने के लिए सेबी ने निवेशकों के लिए यह अधिदेशात्मक कर दिया है कि वे अपने हित में आवेदन फार्म में उपयुक्त स्थान पर बैंक संबंधी ब्यौरे दें। बैंक के ब्यौरों से रहित आवेदन रद्द कर दिये जाएंगे।तदनुसार, नीचे मद (ii) में दिये गये ग्यारह शहरों से बाहर रहने वाले आवेदकों से अनुरोध है

दिन पूर्व रजिस्ट्रार के पास अंतरण दस्तावेज़ प्रस्तुत न कर दिया हो ।

(च) वितरित आय की अदायगी ग्रैंडमास्टर यूनिट स्कीम द्वारा उपयुक्त अदायगी सुविधाओं वाले बैंकरों पर आहरित चेक या वारंट के माध्यम से की जाएगी ।

(छ) यूनिटधारक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह जिन यूनिटों का धारक है उनके संबंध में योजना द्वारा घोषित और वितरित आय प्राप्त करे, भले ही उसने प्रतिफल के लिए उन यूनिटों को पहले ही अंतरित कर दिया हो जब तक कि अंतरणकर्ता से आय का दावा करने वाला अंतरिती आय देय होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अंतरण संबंधी आय सभी दस्तावेज़ों के साथ प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे ।

(ज) निक्षेपागार (डिपोजिटरी) के रूप में यूनिट रखने वाले यूनिटधारकों को समय-समय पर बनाये गये नियमों / विनियमों के अनुसार आय वितरित किया जाएगा ।

कि वे आवेदन फार्म में उपयुक्त स्थान पर तथा रिकॉर्ड के लिए पावती वाले अंश पर अपने बैंक खाते के पूरे ब्यौरे (अर्थात् खाते का स्वरूप, खाता क्रमांक तथा बैंक का नाम) प्रस्तुत करें। ऐसी स्थिति में आय वितरण वारंट /पुनर्खरीद चेक इस प्रकार विनिर्दिष्ट सदस्य के खाते में जमा किये जाने के लिए बैंक के ब्यौरों सहित सदस्य के नाम में बनाये जाएंगे और उन्हें प्रेषित किये जाएंगे।

ii) वर्तमान में मुम्बई/ कलकत्ता/ चेन्नई/ नई दिल्ली/ अहमदाबाद/ बड़ौदा/ पुणे/ भुवनेश्वर/ बंगलोर/ हैदराबाद/ जयपुर (बाद में अनेक केन्द्र जोड़े/ हटाये जा सकते हैं) से निवेशकों को ईसीएस की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ताकि संबंधित केन्द्रों में उनके बैंक खातों में राशि सीधे जमा की जा सके बशर्ते एक लिखत की राशि रु.5,00,000/- से अधिक न हो । निवेशक को एक विवरण दिया जाएगा, जिसमें उसके बैंक खाते में जमा की गयी राशि के ब्यौरे होंगे ।

iii) निवेशक के बैंक की शाखा उसके खाते में राशि जमा करेगी तथा जमा की गयी प्रविष्टि को बैंक खाते के पासबुक/ विवरण में "ईसीएस" के नाम से दर्शाया जाएगा ।आवेदक से अनुरोध है कि वह आवेदन फार्म में ये ब्यौरे भरें - अपने बैंक का नाम और पता, खाते का स्वरूप और उसका क्रमांक, 9 अंकों का बैंक एवं शाखा माइकर कोड क्रमांक आदि ।

iv) उक्त शहरों से निवेशकों की पर्याप्त संख्या न होने पर अथवा अन्य किसी कारण से ट्रस्ट "ईसीएस" के माध्यम से आय अदा करने के बजाय बैंक खाते संबंधी ब्यौरों से युक्त आय वारंट जारी करके आय की अदायगी कर सकता है ।

छ) अनिवासी भारतीय/ विदेशी निगमित निकायों के निवेशकों को आय का वितरण

		अनिवासी भारतीय/ विदेशी निगमित निकायों के निवेशकों को आय का वितरण विदेशी मुद्रा नियंत्रण संबंधी विनियमों के अनुसार किया जाएगा । आय की अदायगी संबंधी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है: i) वारंट सदस्य के नाम में जारी कर भारत में रहने वाले उसके रिश्तेदार के पास भेजा जा सकता है ताकि उसे सदस्य के अनिवासी बाह्य / अनिवासी साधारण खाते में, जैसी स्थिति हो, जमा किया जा सके । अथवा ii)भारत में रहने वाले रिश्तेदार के नाम में वारंट जारी कर उसके खाते में जमा किये जाने के लिए उसके पास भेजा जा सकता है । ज) मुम्बई में अपना बैंक खाता रखने वाले अनिवासी भारतीय निवेशकों को भी ईसीएस की सुविधा उपलब्ध है । जो अनिवासी भारतीय निवेशक अपने निवासी रिश्तेदार के खाते में आय वितरण की राशि जमा कराना चाहते हों, उन्हें उपखण्ड XXI(च) (ii) में दर्शाये गये स्थानों पर ईसीएस की सुविधा प्रदान की जा सकती है । झ) विदेशी संस्थागत निवेशकों के मामले में, आय वितरण की राशि विशेष अनिवासी रुपया खाते में अ. समय-समय पर सेबी / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार जमा की जाएगी ।
इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन	वर्तमान प्रावधानों को अनुबंध III की मद 9 के अंतर्गत किये गये प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है ।	अनुबंध III की मद 9 देखें ।
XXII		
निवल आस्ति मूल्य की	एन ए वी (पिछले मूल्य के आधार पर) प्रतिदिन प्रकाशित किये जाने के लिए	एन ए वी प्रतिदिन प्रकाशित किये जाने के लिए प्रेस को

गणना और उसका प्रकटीकरण	प्रेस को जारी किया जाएगा।	जारी किया जाएगा।
XXIII.		
यूनिटों में लेन-देन (Trading) XXIV	यूनिट मुम्बई, नई दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, कानपुर और जयपुर स्थित शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं। ट्रस्ट गुरुवार या उस दिन छुट्टी रहने पर पिछले कार्यदिवस को निर्धारित निवल आस्ति मूल्य की घोषणा करेगा तथा भाव उद्धृत किये जाने के प्रयोजन के लिए सभी शेयर बाजारों को वह मूल्य सूचित करेगा। (ख) जो यूनिटधारक अपनी धारिताओं का नकदीकरण कराना चाहते हों, वे उक्त में से किसी शेयर बाजार में यूनिटों में लेन-देन कर सकते हैं। (ग) ट्रस्ट सीधे या किसी अन्य रूप में उस मूल्य या उन मूल्यों का संकेत नहीं देगा, जिस/जिन पर बाजार के माध्यम से यूनिट खरीदे या बेचे जा सकें। तथापि अंतिम मूल्य, जिन पर किसी ट्रेडिंग में शेयर बाजारों में यूनिटों की खरीद या बिक्री की गयी थी, को प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। तथापि, ट्रस्ट को शेयर बाजारों से यूनिटों को गैर-सूचीबद्ध करने का अधिकार है, यदि यूनिटधारकों अथवा ट्रस्ट के हित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाए। (घ) स्वयं या मान्यताप्राप्त दलाल से	खण्ड के अंत में निम्नलिखित पैराग्राफ शामिल किया जाता है _____ के पूर्व जारी किये गये एवं _____ तक बकाया रहने वाले योजना के यूनिट प्रमुख शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं। ट्रस्ट द्वारा घोषित की जाने वाली तारीख से ऐसे यूनिटों को गैर-सूचीबद्ध किये जाने का प्रस्ताव है। _____ को या उसके बाद जारी किये जाने वाले / बेचे जाने वाले यूनिटों को किसी भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।

	बाजार के माध्यम से यूनिट खरीदने वाले को योजना के रजिस्ट्रार के पास अंतरण विलेख एवं संबंधित यूनिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो नियमानुसार पाये जाने पर अंतरण को प्रभावी करेंगे। (ङ) जिस किसी भी मूल्य पर बाजार से यूनिटों की खरीद या बिक्री की जाएगी वह यूनिटधारक या भवी यूनिटधारक के जोखिम पर होगा। तथापि, यूनिटों के अंतरण पर देय स्टांप शुल्क निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए अंतरण की तारीख से पहले की तारीख में प्रचलित उच्च एवं निम्न मूल्यों के औसत को उक्त प्रभार का आधार बनाया जाएगा।

यूनिटों की वापस-खरीद XXIVA.	योजना के प्रावधानों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी : (क) यूनिटों का भाव उसके एन ए वी के 10% या उससे भी कम पर उद्धृत होने पर ट्रस्ट बाजार से प्रचलित दर पर योजना के अंतर्गत आने वाले यूनिटों की वापस-खरीद कर सकता है । (ख) एक समग्र सीमा के तौर पर ट्रस्ट किसी वित्तीय वर्ष में योजना के अंतर्गत जारी यूनिट पूंजी के 25% तक की वापस-खरीद कर सकता है । वापस-खरीद किये गये यूनिटों का मोचन कर लिया जाएगा । स्पष्टीकरण: (i) "बाजार" से कोई भी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार अभिप्रेत है, जिसमें योजना के अंतर्गत आने वाले यूनिट सूचीबद्ध किये गये हों । (ii) "प्रचलित भाव" से ट्रस्ट के द्वारा यूनिटों की वापस-खरीद करते समय मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों में प्रचलित यूनिटों का बाजार भाव अभिप्रेत है ।	योजना के प्रावधानों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी जब तक यूनिट पूंजी का कोई भाग किसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध रहता है; (क) यूनिटों का भाव उसके एन ए वी के 10% या उससे भी कम पर उद्धृत होने पर ट्रस्ट बाजार से प्रचलित दर पर ऐसे यूनिटों की वापस-खरीद कर सकता है । (ख) एक समग्र सीमा के तौर पर ट्रस्ट किसी वित्तीय वर्ष में योजना के अंतर्गत जारी ऐसी यूनिट पूंजी के 25% तक की वापस-खरीद कर सकता है । वापस-खरीद किये गये यूनिटों को निर्वापित (extinguish) कर दिया जाएगा । *स्पष्टीकरण* (i) "बाजार" से कोई भी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार अभिप्रेत है, जिसमें योजना के अंतर्गत आने वाले यूनिट सूचीबद्ध किये गये हों । (ii) "प्रचलित भाव" से ट्रस्ट के द्वारा यूनिटों की वापस-खरीद करते समय मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों में प्रचलित यूनिटों का बाजार भाव अभिप्रेत है ।
निवेश पर प्रतिबंध **XXV**	(क) ट्रस्ट द्वारा योजना के अंतर्गत निवेशयोग्य निधियों का किसी कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश कुल निधियों के 10% या ऐसी कंपनी द्वारा जारी एवं बकाया प्रतिभूतियों के 15%, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा । (ख)ट्रस्ट द्वारा योजना के अंतर्गत निवेशयोग्य निधियों का किसी नयी कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश ऐसी कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों के	(क) ट्रस्ट द्वारा योजना के अंतर्गत निवेशयोग्य निधियों का किसी कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश कुल निधियों के 10% या ऐसी कंपनी द्वारा जारी एवं बकाया प्रतिभूतियों के 15%, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा । (ख) ट्रस्ट द्वारा योजना के अंतर्गत निवेशयोग्य निधियों का किसी नयी कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश ऐसी कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों के 10% से अधिक नहीं होगा तथा ऐसे सभी निवेशों का जोड़ निवेशयोग्य निधियों के 30% से अधिक नहीं होगा।

10% से अधिक नहीं होगा तथा ऐसे सभी निवेशों का जोड़ निवेशयोग्य निधियों के 30% से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण:

नयी कंपनी से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसके शेयर निधि द्वारा शेयरों में निवेश किये जाने के एक वर्ष पूर्व की अवधि के भीतर किसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराये गये हों।

(ग) सेबी द्वारा अनुमति दिये जाने एवं योजना द्वारा निवेश के लिए उपलब्ध होने पर योजना व्युत्पन्न लिखतों में निवेश कर सकती है।

(घ) ट्रस्ट परिचालनात्मक सुविधा के लिए या अवसरों के परिवर्तन की मांग के लिए किसी भी समय निधियों के 20% से अनधिक राशि का निवेश किसी अल्पावधि मुद्रा बाजार लिखत, परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय डिबेंचर, बैंक जमाराशि, पुनर्भाजित बिल या इसी तरह के अन्य लिखतों में बनाये रखेगा।

परन्तु जब तक ट्रस्ट योजना की निधियों का पूर्ण निवेश प्रतिभूतियों में नहीं कर देता, वह ऐसी निधियों का निवेश उक्त खण्ड (घ) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों सहित ऐसी प्रतिभूतियों में करके रखेगा जिसे समीचीन माना जाए।

(ङ) निवेश पर निर्धारित प्रतिबंध निवेश करते समय मौजूद परिस्थितियों के संदर्भ में लगाया जाएगा तथा उसे सीमा से अधिक नहीं माना जाएगा भले ही निवेशों के बाजार भाव में घट-बढ़ के कारण, जिस कंपनी की प्रतिभूतियों

स्पष्टीकरण:

नयी कंपनी से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसके शेयर निधि द्वारा शेयरों में निवेश किये जाने के एक वर्ष पूर्व की अवधि के भीतर किसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराये गये हों।

(ग) ट्रस्ट परिचालनात्मक सुविधा के लिए या अवसरों के परिवर्तन की मांग के लिए किसी भी समय निधियों के 20% से अनधिक राशि का निवेश किसी अल्पावधि मुद्रा बाजार लिखत, परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय डिबेंचर, बैंक जमाराशि, पुनर्भाजित बिल या इसी तरह के अन्य लिखतों में बनाये रखेगा।

परन्तु जब तक ट्रस्ट योजना की निधियों का पूर्ण निवेश प्रतिभूतियों में नहीं कर देता, वह ऐसी निधियों का नि. . उक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों सहित ऐसी प्रतिभूतियों में करके रखेगा जिसे समीचीन माना जाए।

(घ) निवेश पर निर्धारित प्रतिबंध निवेश करते समय मौजूद परिस्थितियों के संदर्भ में लगाया जाएगा तथा उसे सीमा से अधिक नहीं माना जाएगा भले ही निवेशों के बाजार भाव में घट-बढ़ के कारण, जिस कंपनी की प्रतिभूतियों में निवेश किया गया हो उस कंपनी द्वारा बोनस शेयर या राइट शेयर जारी किये जाने के कारण निवेश वस्तुत: सीमा से अधिक हो गया हो।

(ङ) इस योजना द्वारा कोई मीयादी ऋण नहीं दिया जाएगा।

(च) ट्रस्ट सुपुर्दगी के आधार पर प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करेगा तथा खरीद के सभी मामलों में, संबंधित प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेगा एवं बिक्री के सभी मामलों में, प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी देगा और किसी भी हालत में वह स्वयं को ऐसी स्थिति में नहीं डालेगा जिससे इसे शार्ट-सेल करना पड़े या लेन-देन को कैरी-फारवर्ड करना पड़े या बदला वित्तपोषण का सहारा लेना पड़े।

(छ) ट्रस्ट अपने द्वारा खरीदी गयी प्रतिभूतियां अपने नाम में अंतरित करायेगा।

(ज) अपेक्षित प्राधिकार मिलने की शर्त पर, ट्रस्ट,

में निवेश किया गया हो उस कंपनी द्वारा बोनस शेयर या राइट शेयर जारी किये जाने के कारण निवेश वस्तुत: सीमा से अधिक हो गया हो।

01.08.96 से योजना के तहत प्राप्त किसी भी अभिदान का निवेश सेबी विनियमावली एवं भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा तैयार किये गये विनियामक ढांचे के अनुसार किया जाएगा, अर्थात्

(1) योजना द्वारा जिन ऋण लिखतों में निवेश किया गया हो उन्हें क्रिसिल/आइसीआरए/ केयर अथवा अन्य किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा, जो समय-समय पर मान्यता प्राप्त हो, निवेश ग्रेड की रेटिंग दी गयी हो : बशर्ते यदि ऋण लिखत की रेटिंग न करायी गयी हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल से विनिर्दिष्ट अनुमोदन लिया गया हो।

(2) इस योजना द्वारा कोई मीयादी ऋण नहीं दिया जाएगा।

(3) निजी तौर पर स्थानित डिबेंचरों, जमानती ऋणों एवं अन्य गैर-सूचीबद्ध ऋण लिखतों में निवेश योजना की कुल आस्तियों के 10% से अधिक नहीं होगा।

(4)योजना किसी एक कंपनी के शेयरों में अपनी निधियों के 5% से अधिक का निवेश नहीं करेगी।

(5) किसी एक कंपनी के शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों में इस योजना सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं की निधियों के 15% से अधिक राशि का निवेश नहीं किया जाएगा।

(6) किसी एक उद्योग के शेयरों,

उपयुक्त परिस्थितियों में, योजना की निवेश संबंधी नीति या बचाव या जोखिम को न्यूनतम करने के प्रयोजन पूरे करने के लिए सेबी द्वारा समय-समय पर किये गये निर्धारणों के अनुसार प्रयोज्य विनियमों एवं प्रतिपक्षी जोखिम के आकलन की शर्त पर फ्यूचर्स एण्ड ऑप्शन्स और अन्य व्युत्पन्न लिखतों जैसी तकनीकों एवं साधनों का उपयोग कर सकता है।

(झ) (i) योजना सेबी द्वारा घोषित प्रतिभूति उधार योजना के अनुसार स्टॉक लेंडिंग कार्यक्रम में भाग ले सकती है। यह कार्य अनुमोदित मध्यस्थ के जरिये किया जाएगा।

(ii) किसी भी समय पर स्टॉक-लेंडिंग कार्यक्रम में एक मध्यस्थ के प्रति योजना का अधिकतम एक्सपोज़र योजना के ईक्विटी पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य के 10% अथवा सेबी द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक होगा।

(iii) यदि ट्रस्ट को स्टॉक उधार लेने की अनुमति दी जाए तो योजना उपयुक्त परिस्थितियों में इस संबंध में सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्टॉक उधार ले सकती है।

(ञ)योजना समुद्रपारीय/ विदेशी कंपनियों द्वारा जारी एवं विदेश में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में अथवा भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी/ समुद्रपारीय निवेशकों को जारी एवं विदेशी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में समय-समय पर इस संबंध में सेबी / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे निर्गमों में सीधे अभिदान करके अथवा विदेशी शेयर बाजारों में उनकी खरीद करके निवेश कर सकती है।

(ट) योजना निम्नलिखित में कोई निवेश नहीं करेगी;

डिबेंचरों में इस योजना सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं की निधियों के 15% से अधिक राशि का निवेश नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह प्रावधान उस योजना पर लागू नहीं होगा, जो किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट उद्योग में निवेश के लिए शुरू की गयी हो तथा पेश-कश पत्र में उस आशय की घोषणा की गयी हो।

(7) इस योजना से ट्रस्ट की अन्य योजना/ प्लान में निवेशों का अंतरण निम्नलिखित स्थितियों में ही किया जाएगा -

(क) ऐसे अंतरण उद्धृत लिखतों के लिए हाजिर आधार पर प्रचलित बाजार भाव पर किये जाते हैं।

(ख) इस प्रकार अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/ प्लान के निवेश संबंधी उद्देश्यों के अनुरूप होंगी जिसमें ऐसा अंतरण किया गया हो।

(ग) गैर-सूचीबद्ध अथवा गैर-उद्धृत निवेशों का इस योजना से अन्य योजना/ प्लान में अंतरण ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

(8) योजना अन्य योजना/ प्लान में तब तक निवेश नहीं करेगी/ को तब तक उधार नहीं देगी, जब तक म्युच्युअल फंड विनियमावली/ दिशा-निर्देशों/ निदेशों के तहत सेबी द्वारा अन्यथा उसके लिए प्रावधान न कर दिया गया हो।

(9) योजना अपने निवेशों के

क) ट्रस्ट की किसी सहयोगी या समूह कंपनी की गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूति में निवेश; या

ख) ट्रस्ट की किसी सहयोगी या समूह कंपनी द्वारा निजी स्थानन के रूप में जारी कोई प्रतिभूति; या

ग) ट्रस्ट की समूह कंपनियों की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवल आस्तियों के 25% से अधिक का निवेश।

(ठ) यूटीआई सिक्योरिटीज एक्सचेंज लिमिटेड (यूटीआई एसईएल), जो एक स्टॉक-ब्रोकिंग फर्म है एवं यूटीआई के पूर्ण स्वामित्व में है, की सेवाओं का उपयोग ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार तथा निर्धारित सीमाओं के अधीन योजना के प्रतिभूति लेन-देनों के लिए किया जाएगा। यूटीआई एसईएल की स्थापना 1994 में की गयी थी तथा उस पंजीकृत कार्यालय मुम्बई में है।

(ड)योजना किसी एक कंपनी के ईक्विटी शेयरों या ईक्विटी संबद्ध लिखतों में अपने एन ए वी के 10% से अधिक का निवेश नहीं करेगी।

(ढ) योजना किसी एक निर्गमकर्ता द्वारा जारी किये गये ऋण लिखतों में, जिसे किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने जो सेबी द्वारा इस प्रकार का कार्य करने के लिए प्राधिकृत हो निवेश ग्रेड से कम की रेटिंग नहीं दी हो, अपने एन ए वी के 15% से अधिक का निवेश नहीं करेगी। न्यासी मंडल के पूर्वानुमोदन से ऐसे निवेश की सीमा को बढ़ाकर योजना के एन ए वी के 20% तक किया जा सकता है। परन्तु इस प्रकार की सीमा सरकारी प्रतिभूतियों एवं मुद्रा बाजार लिखतों में किये जाने वाले निवेशों के लिए लागू नहीं होगी।

(ण)योजना किसी एक निर्गमकर्ता द्वारा जारी किये गये रेटिंग न कराये गये ऋण लिखतों में अपने एन ए वी के 10% से अधिक का निवेश नहीं करेगी तथा ऐसी लिखतों में कुल निवेश योजना के एन ए वी के 20% से अधिक नहीं होगा। ऐसे सभी निवेश न्यासी मंडल के पूर्वानुमोदन से किये जाएंगे।

	वित्तपोषण के लिए तब तक निधियां उधार नहीं लेगी जब तक म्युच्युअल फंड विनियमावली/ दिशा-निर्देशों/ निदेशों के तहत सेबी द्वारा अन्यथा उसकी अनुमति न दी गयी हो।	
यूनिट प्रमाणपत्रों के संबंध में न्यास को मान्यता नहीं दी जाएगी XXVIII	जिस व्यक्ति को यूनिटधारक के रूप में पंजीकृत किया गया हो तथा जिसके नाम में यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया हो वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जिसे ट्रस्ट यूनिटधारक मानेगा और उसी को ऐसे यूनिट प्रमाणपत्र व तत्संबंधी यूनिटों में तथा उसके प्रति अधिकार, हक़ या हित प्राप्त होगा; तथा ट्रस्ट ऐसे यूनिटधारक को उसका एकमात्र स्वमी मानेगा और वह इसके विपरीत किसी नोटिस द्वारा अथवा किसी न्यास के निष्पादन को नोट करने के लिए आबद्ध नहीं होगा अथवा जैसा कि यहां व्यक्त रूप में कोई प्रावधान किया गया हो या किसी यूनिट प्रमाणपत्र अथवा तत्संबंधी यूनिटों के प्रति हक़ को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या ईक्विटी या अन्य हित को मान्यता देने के लिए जैसाकि किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने आदेश दिया हो उसे छोड़कर।	खण्ड के अंत में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा। उक्त प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित 'लेखा-विवरण' द्वारा समाविष्ट यूनिटों और 'सदस्यों' पर लागू होंगे।
यूनिट प्रमाणपत्र का विनिमय एवं प्रमाणपत्र कटा-फटा, विरूप हो जाने, खो जाने आदि	इस योजना के प्रावधानों की शर्त पर, प्रत्येक यूनिटधारक को अपने किसी या सभी यूनिट प्रमाणपत्रों के बदले मार्केट लॉट में कुल उतने ही यूनिटों के लिए एक या अधिक यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हक़ होगा। ऐसे विनिमय के लिए आवेदन करते समय, यूनिटधारक विनिमय किये जाने वाले यूनिट	लेखा-विवरण के कट-फट जाने, विरूप हो जाने, खो जाने आदि की स्थिति में 'लेखा-विवरण का विनिमय और उसकी प्रक्रिया' शीर्षक के तहत खण्ड के नीचे निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा। ऐसी स्थितियों में सामान्य अनुरोध पर एक लेखा-विवरण जारी किया जाएगा।

की स्थिति में उसकी प्रक्रिया XXIX	प्रमाणपत्र ट्रस्ट को अभ्यर्पित करेगा तथा ट्रस्ट को नये यूनिट प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्रों के निर्गम के संबंध में सभी राशियां (यदि उसके तहत कोई राशि देय हो) अदा करेगा । (2) किसी यूनिट प्रमाणपत्र के कट-फट जाने या पुराने या विरूप हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट अपने विवेक पर अधिकृत व्यक्ति को कटे-फटे या पुराने या विरूप हो गये यूनिट प्रमाणपत्र के बराबर के यूनिटों के लिए एक नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है । किसी यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, चोरी हो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट अपने विवेक पर अधिकृत व्यक्ति को उसके बदले में एक नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है । ऐसा कोई नया प्रमाणपत्र तब तक नहीं जारी किया जाएगा जब तक आवेदक ने पहले निम्नलिखित का अनुपालन न कर लिया हो : i) मूल यूनिट प्रमाणपत्र के कट-फट जाने, पुराने पड़ जाने, विरूप हो जाने, खो जाने, चोरी हो जाने या नष्ट हो जाने के संदर्भ में संतोषजनक साक्ष्य ट्रस्ट को प्रस्तुत कर दिया हो । ii) तथ्यों के अन्वेषण के संबंध में सभी व्ययों की अदायगी कर दी हो । iii) कट-फट जाने, पुराने पड़ जाने, विरूप हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट के समक्ष कटा-फटा, पुराना, विरूप यूनिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत एवं अभ्यर्पित

कर दिया हो; तथा

iv) ट्रस्ट को उसके द्वारा अपेक्षित क्षतिपूर्ति प्रस्तुत कर दिया हो। इस खण्ड के प्रावधानों के तहत ट्रस्ट सद्भावपूर्वक ऐसा प्रमाणपत्र जारी किये जाने के लिए किसी देयता का वहन नहीं करेगा।

(3) इस खंड के प्रावधानों के तहत कोई प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व, ट्रस्ट आवेदक से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह यूनिट प्रमाणपत्र के लिए इसके द्वारा जारी प्रति यूनिट प्रमाणपत्र एक रुपये के शुल्क की अदायगी करे और साथ ही ऐसी राशि भी अदा करे जो ट्रस्ट की राय में स्टांप शुल्क, यदि कोई हो, या अन्य प्रभार या कर, ऐसे प्रमाणपत्र को जारी करने एवं भेजने के संबंध में देय डाक पंजीकरण प्रभारों सहित, को कवर करने के लिए पर्याप्त हो।

परन्तु निम्नलिखित मामलों में ऐसे यूनिट प्रमाणपत्र जारी किये जाने के लिए कोई शुल्क, स्टांप शुल्क या डाक पंजीकरण प्रभार देय नहीं होगा, अर्थात्

i) जब किसी आवेदक को जारी किया गया अथवा किसी अंतरिती को खण्ड XI(अ) के तहत जारी किया गया यूनिट प्रमाणपत्र पहली बार विभाजन के लिए प्रस्तुत किया गया हो।

ii) जब ट्रस्ट ने यूनिट प्रमाणपत्रों के समेकन का सुझाव दिया हो तथा इस प्रकार का सुझाव यूनिटधारक ने स्वीकार किया हो।

विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान **XXX**	ट्रस्ट द्वारा हर साल दैनिक औसत निवल आस्ति मूल्य का 0.10% विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान के रूपम मे अलग रखा जाएगा।	(i) दैनिक औसत निवल आस्ति मूल्य के 0.25% के बराबर राशि ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि मे अंशदान के लिए अलग रखा जाएगा। विकास प्रारक्षित निधि मे अंशदान आवर्ती व्यय का अंग होगा। (ii) ट्रस्ट ने वर्ष 1983-84 में इस निधि की स्थापना की, ताकि ट्रस्ट नई योजनाएं लागू करने से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्यों का खर्च पूरा कर सके, संकल्पनात्मक स्तर पर नई प्रणालियां और प्रक्रियाएं शुरू कर सके तथा ऐसे अन्य विभिन्न उत्पादक और विकास कार्य कर सके जो किसी विशिष्ट योजना से संबद्ध या जुड़े हुए न हों। निधि का उपयोग निम्नांखित कार्यों के लिए भी किया जाता है। आर्थिक एवं पूंजी बाजार संबंधी अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार संबंधी अनुसंधान, विप०. और कार्पोरेट छवि सुधार संबंधी प्रयास जो किसी विशिष्ट योजना से संबद्ध न हों, मानव संसाधन विकास संबंधी ऐसे प्रयास जिनका प्रमाण दीर्घकाल तक पड़े तथा जो ट्रस्ट के भावी कार्यकलापों से संबद्ध हों और आश्वासित प्रतिलाभ दर वाली ट्रस्ट की किसी योजना में आई गिरावट, यदि कोई हो, को पूरा करना तथा भार-रहित योजनाओं के निर्गम व्ययों का वहन करना।

स्टाफ कल्याण निधि में अंशदान XXXI	दैनिक औसत निवल आस्ति मूल्य का 0.10% प्रति वर्ष ट्रस्ट की स्टाफ कल्याण निधि में अंशदान के अलग रखा जाएगा।	दैनिक औसत निवल आस्ति मूल्य का 0.10% स्टाफ कल्याण निधि में अंशदान के लिए अलग रखा जाएगा। ट्रस्ट ने अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए स्टाफ कल्याण निधि की स्थापना की है, जिनमें विपदा में राहत, चिकित्सा राहत, स्वास्थ्य राहत और इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं।
योजना की प्रति उपलब्ध कराई जाए XXXIII	इस योजना की एक प्रति, जिसमें उसमें किए गए सभी संशोधन शामिल हो, रजिस्ट्रारों अथवा योजना के कार्यालयों में (जब स्थापित हो) उसके कारोबार समय में हर समय निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी तथा रु. 5/- अदा करने पर यूनिटधारक को दी जाएगी।	संशोधित एवं ' निवेशकों के अधिकार और सेवाएं' शीर्षक के तहत शामिल।
योजना में परिवर्धन और संशोधन XXXIV	बोर्ड समय-समय पर इस योजना में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन या परिवर्तन कर सकता है और उसमें किए गए संशोधन या परिवर्तन को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। कोई भी संशोधन करते समय, सेबी का पुर्वानुमोदन प्राप्त किया जाएगा। कार्यपालक समिति और सेबी के पूर्वानुमोदन से योजना के प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है।	संशोधित तथा अनुबंध III में 'मौलिक विशिष्टताएं' शीर्षक के तहत मद 5 के रूप में शामिल।
यूनिटधारकों के अधिकार	1. योजना की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व में और उसके द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, में योजना के यूनिटधारकों का यथानुपात अधिकार होगा। 2. यूनिटधारकों को न्यासियों से ऐसी कोई जानकारी मांगने का अधिकार होगा जिसका उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा न्यासी यूनिटधारकों को ऐसी जानकारी देने के लिए बाध्य होंगे। 3. यूनिटधारकों को लाभांश की घोषणा की तारीख से 42 दिनों के भीतर लाभांश वारंट उनके पास भिजवाए जाने का अधिकार है। 4. यूनिटधारकों को 'निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज' शीर्षक के अंतर्गत	**निवेशकों के अधिकार एवं सेवाएं** 1. योजना के अधीन सदस्यों को योजना की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा योजना द्वारा घोषित आय में समानुपातिक अधिकार है। 2. सदस्यों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो तथा सदस्यों को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे। 3. सदस्यों को स्वीकृति तिथि से छ: सप्ताह के भीतर लेखा विवरणी जारी किए जाने का अधिकार है। 4. सदस्यों को अधिकार है कि जिस कार्यालय में पुनर्खरीद अनुरोध संसाधित किए जाते हैं वहां आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर (बशर्ते आवेदन सही हो) पुनर्खरीद प्राप्तियां उन्हें भेजी जाएं।

	सूचीबद्ध सभी दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार है।	आय वितरण के मामले में, सदस्यों को यह अधिकार है कि आय वितरण वारंट आय वितरण की घोषणा किए जाने की तिथि से 42 दिनों के भीतर उन्हें भेजे जाएं। 5. सभी सदस्यों को पूंजी वृद्धि यूनिट योजना के संदर्भ में संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट संबद्ध लेखा वर्ष की समाप्ति की तिथि से छ: माह के भीतर भेजी जाएगी एवं संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट निरीक्षण के लिए ट्रस्ट के केंद्रीय निवेशक संपर्क कक्ष में उपलब्ध कराई जाएगी एवं इसकी एक प्रति सदस्यों को न्यूनतम शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी। 8. योजना की मूलभूत विशेषताओं में किसी तरह का परिवर्तन तभी किया जाएगा जब व्यक्तिगत संप्रेषण द्वारा सूचित किए जाने के अलावा निवेशकों को एनएवी पर आहरण करने की अनुमति हो। 9. निर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत सदस्यों का अनुमोदन पोस्टल बैलट के जरिए मांगा जाएगा। 8. सदस्यों को केन्द्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट द्वार नं. 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुंबई-400 020 में रखे निम्नलिखित दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार है : * यूटीआई अधिनियम * सामान्य विनियमावली * अभिरक्षक, रजिस्ट्रार और आदाता बैंकों के साथ किए गए करार * ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना के पेशकश दस्तावेज की प्रति।
दावा त्याग खण्ड	अनुबंध III की मद 1 के अनुसार नए प्रावधान शामिल किए गए।	अनुबंध III की मद 1 देखें।
सम्यक सचेतनता प्रमाणपत्र	सेबी को प्रस्तुत किया जाना है और तदुपरांत मानक फार्मेट के अनुसार शामिल किया जाना है।	
योजना का समापन	अनुबंध III की मद 4 के अनुसार नए प्रावधान शामिल किए गए।	अनुबंध III की मद 4 देखें।
अंतर-योजना अंतरण	अनुबंध III की मद 7 के अनुसार नए	अनुबंध III की मद 7 देखें।

	प्रावधान शामिल किए गए।	
सहयोगी लेनदेन और उधार	अनुबंध III की मद 8 के अनुसार नए प्रावधान शामिल किए गए।	अनुबंध III की मद 8 देखें।
निवेशों पर कर प्रावधान	अनुबंध III की मद 11 के अनुसार नए प्रावधान शामिल किए गए।	अनुबंध III की मद 11 देखें।
यूटीआई का गठन और प्रबंधन	अनुबंध III की मद 12 के अनुसार नए प्रावधान शामिल किए गए।	अनुबंध III की मद 12 देखें।
अभिरक्षक और लेखापरीक्षक	अनुबंध III की मद 14 और 15 के अनुसार वर्तमान जानकारी को अद्यतन किया गया।	अनुबंध III की मद 14 और 15 देखें।
दण्ड, लंबित मुकदमें, निरीक्षणों/जांचों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष	अनुबंध III की मद 17 के अनुसार नए प्रावधान शामिल किए गए।	अनुबंध III की मद 17 देखें।
संघनित वित्तीय सूचना	नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शामिल किया जाना है।	

अनुबंध II

ग्रैंडमास्टर यूनिट स्कीम समाप्त किए गए प्रावधान

खण्ड सं.	वर्तमान प्रावधान	टिप्पणियां
1.	*परिभाषाएं* (ग) 'आवेदन' से सभी आवेदकों के लिए यूनिटों की पेशकश हेतु निर्धारित आवेदन अभिप्रेत है; जिसमें निवेश करने वाली जनता के लिए योजना में यूनिटों के अभिदान के प्रयोजन की शर्तें दी गई हों। (घ) 'आबंटन' से इस प्रयोजन के लिए ट्रस्ट द्वारा निर्धारित रूप में वैध आवेदन के प्रति यूनिटों का आबंटन अभिप्रेत है। (छ) 'ग्रैंडमास्टर' से इसमें उसके बाद परिभाषित यूनिट तथा इसमे इसके बाद परिभाषित 'ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना' या 'ग्रैंडमास्टरX की पूंजी में अंश या यूनिट अभिप्रेत है। (ञ) 'यूनिटों की पेशकशX से निवेशकों को दस्तावेजों की पेशकश के तहत ट्रस्ट द्वारा की गई यूनिटों की बिक्री की पूर्ण पेशकश अभिप्रेत है जिससे योजना के अंतर्गत पूंजी का गठन होगा।	समाप्त किया गया।

2.	**XIX का अंतिम पैराग्राफ** बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य तथा उनके बीच के अंतर की गणना इस संबंध में सेबी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा।	समाप्त किया गया क्योंकि अब यह अनावश्यक हो गया है।
3.	**निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) का परिकलन और प्रकटीकरण मानक खण्ड XXIII का अंतिम पैराग्राफ** इन प्रावधानों में निहित किसी प्रावधान के होते हुए भी आस्तियों का मूल्यांकन, एनएवी का परिकलन, पुनर्खरीद मूल्य और उनके प्रकटीकरण की बारंबारता समय-समय पर सेबी द्वारा जारी सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली/दिशानिर्देशों/निदेशों के प्रावधानों के अनुसार होगा।	यह पैराग्राफ समाप्त कर दिया गया है। आशोधित पैराग्राफ अनुबंध I में इस योजना से संबंधित आस्तियों के मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल किया गया।
4.	***XXVI. यूनिट प्रमाणपत्र का प्ररूप*** यूनिटधारकों को आवेदन स्वीकार किए जाने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे, जिनमें उन्हें आबंटित यूनिटों की संख्या दी जाएगी। यूनिट प्रमाणपत्र इसके साथ संबद्ध फार्म 'ए' में होंगे या ऐसे फार्म में होंगे जिसे योजना के कारगर परिचालन के लिए ट्रस्ट द्वारा अनुमोदित किया जाए। हर यूनिट प्रमाणपत्र पर अलग-अलग क्रमांक दिए जाएंगे, प्रमाणपत्र से संबंधित यूनिटों की संख्या तथा यूनिटधारक के नाम का उल्लेख किया जाएगा। प्रमाणपत्र अधिकतम 20 ग्रैंडमास्टर प्रमाणपत्रों (अर्थात् रु. 20,000/-) तक 100 ग्रैंडमास्टर यूनिटों के मार्केट लॉट में जारी किए जाएंगे। रु. 20,000/- से अधिक के किसी भी निवेश के लिए (अर्थात् 2000 ग्रैंडमास्टर यूनिटों से अधिक के लिए) एक समेकित प्रमाणपत्र (21वां प्रमाणपत्र) जारी किया जाएगा। निवेशक से अनुरोध प्राप्त होने पर समेकित प्रमाणपत्र को एक बार नि:शुल्क विभाजित किया जाएगा तथा उसके बाद ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत प्रभारों की अदायगी पर विभाजन की अनुमति दी जाएगी। अनिवासी भारतीयों के लिए, 100 यूनिटों के मार्केट लॉट में प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे चाहे निवेश की गई राशि कुछ भी हो।	समाप्त किया गया क्योंकि अब लेखा-विवरण जारी किया जाएगा।
5.	***XXVII. यूनिट प्रमाणपत्र तैयार करने की विधि*** यूनिट प्रमाणपत्र, बोर्ड द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार, उत्कीर्ण (engraved) या शिलामुद्रित (lithographed) या मुद्रित किए जा सकते हैं तथा उन पर ट्रस्ट की ओर से सम्यक रूप से प्राधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। ऐसा प्रत्येक हस्ताक्षर या तो स्वत: अंकित (ऑटोग्रैफिक) होगा या उसे किसी यांत्रिक विधि द्वारा किया जाएगा। कोई भी यूनिट प्रमाणपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक उस पर हस्ताक्षर न किया गया हो। उस प्रकार हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र वैध और बाध्यकारी होंगे, भले ही उनके जारी किए जाने के पूर्व उन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार समाप्त हो गया हो। परंतु यह भी कि यदि इस प्रकार तैयार किए गए यूनिट प्रमाणपत्र पर ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर हो जो प्रमाणपत्र जारी किए जाने के समय मृत हो गया हो, तो ट्रस्ट इसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त समझी गई विधि से प्रमाणपत्र पर प्रकट होने वाले ऐसे व्यक्ति का हस्ताक्षर रद्द कर उस पर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर कराएगा। इस प्रकार जारी किया गयायूनिट प्रमाणपत्र भी वैध होगा।	समाप्त किया गया क्योंकि अब लेखा-विवरण जारी किया जाएगा।

6.	**प्रावधानों की व्याख्या करने की शक्तियां** यदि योजना के किसी प्रावधान की व्याख्या के संदर्भ में कोई संदेह उत्पन्न हो, तो अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक न्यासी को ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी कि वह योजना के प्रावधानों की व्याख्या उस सीमा तक करें, जहां तक इस प्रकार की व्याख्या योजना की मौलिक संरचना के प्रतिकूल या विपरीत न हो तथा इस प्रकार का निर्णय अंतिम और पूर्ण होगा।	समाप्त किया गया क्योंकि सेबी की विनियमावली के अंतर्गत इसकी अनुमति नहीं है।
7.	**प्रावधानों में ढील देना/बदलाव/आशोधन करना** दिक्कतें कम करने के लिए या योजना के कारगर और आसान परिचालन के लिए अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी किसी यूनिटधारक के मामले में अथवा किसी श्रेणी के यूनिटधारकों के मामले में उपयुक्त समझी गई शर्तें पूरी करने पर, योजना का कोई प्रावधान बदल सकता है या उसमें आशोधन कर सकता है।	समाप्त किया गया क्योंकि सेबी की विनियमावली के अंतर्गत इसकी अनुमति नहीं है।

अनुबंध III

ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना

क्र.सं.	'मानक पेशकश दस्तावेज' द्वारा अपेक्षित अंतर्वेश
1.	***परित्याग खंड :*** **योजना के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम,1996 के अनुसार तैयार किए गए हैं, यथा तिथि तक संशोधित एवं सेबी के पास पंजीकृत हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अननुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है।**
2.	***नियत तत्परता प्रमाणपत्र :*** मानक पेशकश दस्तावेज के अनुसार अंतर्विष्ट किया गया
3.	***विषय वस्तु :*** मानक पेशकश दस्तावेज के अनुसार सारणी "विषय वस्तु" का अंतर्वेश किया गया
4.	***योजना की समाप्ति :*** (i) योजना की कालावधि अनिश्चित है। तथापि ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है : (क) कोई ऐसी घटना घटित होने पर जिससे ट्रस्ट की राय में योजना की समाप्ति आवश्यक हो, या (ख) योजना के 75% सदस्यों द्वारा योजना को समाप्त करने का संकल्प पारित करने पर ; या (घ) योजना के सदस्यों के हित में सेबी ऐसा करने के लिए निर्देश दे। (ii) जहां उपर्युक्त उप खण्ड (i) के अनुसरण में, योजना परिसमाप्त की जाती है, तो ट्रस्ट योजना को समाप्त करने वाले कारणों की सूचना, समापन के कम से कम एक सप्ताह पहले सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और मुंबई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में देगा। (iii) समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट - (क) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा। (ख) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को उत्पन्न और रद्द करना बंद करेगा।

(ग) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान भी बंद करेगा।

(iv) न्यासी मंडल सदस्यों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और बैठक में मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

(v) (क) न्यासी मंडल या योजना के उप खंड (iv) के अन्तर्गत प्राधिकृत व्यक्ति योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के सदस्यों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा।

(ख) ऊपर दिए गए उप खण्ड (v)(क) के अनुसार की गई बिक्री की राशि का पहले दृष्टान्त में, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय लेने वाली तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

(vi) परिसमापन पूरा होने पर, ट्रस्ट सेबी और सदस्यों को समाप्ति के बारे में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियां, जिनके कारण योजना समाप्त हुई, समाप्ति से पूर्व योजना की आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए किया गया योजना का व्यय, सदस्यों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियां और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाणपत्र भेजेगा।

(vii) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, जब तक योजना समाप्त न हो जाए या समापन की कार्यवाही पूरी न हो जाए, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लागू रहेंगे।

(viii) उपरोक्त खण्ड (vii) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट हो जाता है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है, तो योजना समाप्त हो जाएगी।

(ix) ट्रस्ट, अनुरोध पत्र के साथ लेखा विवरणी प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर यथाशीघ्र पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान करेगा।

(x) अनिवासी निवेशकों के मामले में, पुनर्खरीद राशियां निवेश के स्रोत पर निर्भर करते हुए विप्रेषित की जाएंगी ।

5.	मूल विशेषताएं (क) "मूल विशेषताओं" का अर्थ निम्नलिखित है : (i) योजना का प्रकार : ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना एक इक्विटी योजना है जो दिनांक 01 अगस्त, 1996 से सतत खुली कर दी गई है। (ii) निवेश उद्देश्य : जैसा कि इस पेशकश दस्तावेज के खंड VII के अंतर्गत बताया गया है। (iii)निर्गम की शर्तें : यूनिटों की पुनर्खरीद एवं व्यय के संबंध में इस पेशकश दस्तावेज में प्रावधान है। (ख) योजना की मूल विशेषताओं में कोई भी परिवर्तन तभी किया जाएगा जब : (i)मौजूदा सदस्यों को व्यक्तिगत संपर्क द्वारा सूचित किया गया हो और (ii)अखिल भारतीय स्तर पर परिचालन द्वारा अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र और साथ ही मराठी समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जाता है (iii)सदस्यों को किसी भी प्रकार के निकासी भार के बिना प्रचलित एनएवी पर निकासी का विकल्प दिया गया हो। (ग) बोर्ड द्वारा समय-समय पर योजना और इसके संशोधन/परिवर्धन को भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 21(4) की शर्तों के अनुसार सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। (घ) योजना की मूल विशेषताओं में कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन सेबी के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा। अन्य कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन, जो मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं है और जो यूनिटधारकों के हितों को प्रभावित नहीं करते हैं, उनके बारे में सेबी को सूचित किया जाएगा।
6.	***ट्रस्ट की योजनाओं में कार्पोरेट निवेश और इन कंपनियों में ट्रस्ट का निवेश दिखाने वाली सारणी को 'मानक पेशकश दस्तावेज' के अनुसार जोड़ दिया गया।***
7.	**अंतर योजना अंतरण** इस योजना से ट्रस्ट की दूसरी योजना/प्लान में तथा दूसरी योजना/प्लान से इस योजना में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब - क) उधृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पॉट आधार पर किए गए हों। *स्पष्टीकरण :* "स्पॉट आधार" का अर्थ वही होगा जो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्पॉट सौदों के लिए निर्दिष्ट है।

	ख)	ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनमें ऐसे अंतरण किए जाते हैं।
	ग)	प्लान से/में असूचीबद्ध या अनोद्धृत निवेश का ट्रस्ट की अन्य योजना/प्लान में/से अंतरण ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा।
8		**संयुक्त सौदे एवं उधार**
	1.	योजना, यूनिटों की पुनर्खरीद/ प्रतिदान या सदस्यों को आय का वितरण, यदि कोई हो, करने के उद्देश्य से योजना की अस्थाई नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने के अलावा उधार नहीं लेगी। परन्तु उधार, योजना की शुद्ध आस्ति के 20% से अधिक नहीं लिया जाएगा और इस तरह के उधार की अवधि छ: माह से अधिक नहीं होगी।
	2.	भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 20 के अनुसार ट्रस्ट को निम्नलिखित उधार लेने की शक्तियां प्राप्त हैं :
	(i)	ट्रस्ट, भारत या भारत से बाहर के किसी प्राधिकरण या व्यक्ति जो सरकार या रिज़र्व बैंक न हो, ऐसी प्रतिभूति के प्रति एवं ऐसी शर्तों एवं परिस्थितियों पर जिस पर वे आपस में सहमत हों, उधार ले सकता है।
	(ii)	ट्रस्ट रिज़र्व बैंक से उधार ले सकता है - (क) भारत में इस समय लागू किसी कानून द्वारा जिससे न्यासी ट्रस्ट का धन निवेश करने हेतु प्राधिकृत है, स्टॉक, निधियों एवं प्रतिभूतियों के प्रति (अचल संपत्तियों के अतिरिक्त) मांग पर या नियत अवधि की समाप्ति पर प्रतिदेय जो इस प्रकार ली गई राशि की तिथि से नब्बे दिन से अधिक न हो ; (ख) केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से बांडों की प्रतिभूति के प्रति, जिसे ट्रस्ट जारी कर सकता है, मांग पर या जिस तिथि से ऐसी राशि उधार ली गई है, उस तिथि से अठारह महीनों की अवधि के भीतर प्रतिदेय है; (ग) प्रथम यूनिट योजना के अतिरिक्त किसी अन्य योजना के प्रयोजन हेतु जिसे इस संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है ट्रस्ट की ऐसी अन्य संपत्तियों की प्रतिभूति के प्रति या ऐसी शर्तों एवं नियमों पर : बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत उधार ली गई कोई राशि एवं किसी एक समय पर बकाया राशि

(क) ऐसी प्रत्येक योजना के संबंध में पांच करोड़ रुपए से ज्यादा न हो ; एवं

(ख) समग्र रूप से ऐसी समस्त योजनाओं के संबंध में दस करोड़ रुपए से अधिक न हो ।

(iii) ट्रस्ट द्वारा उप धारा (ii) के अंतर्गत जारी बांड की मूल राशि की अदायगी की गारंटी केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाएगी एवं ब्याज का भुगतान बांड जारी करते समय केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा।

9. **इस योजना की आस्तियों का मूल्यांकन**

(क) अवरुद्ध अवधि के अधीन वाले निवेशों, यदि कोई हों, सहित उद्धृत निवेशों परंतु सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर, का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को बाजार में बंद मूल्य पर किया जाता है तथा इसके उपलब्ध न होने पर मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि में बिल्कुल हाल ही की उपलब्ध दर पर किया जाता है। यदि मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि हेतु, कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोद्धृत निवेश माना जाता है।

(ख) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां मूल्यांकन तिथि को अंतिम एनएसई बाजार दरों पर मूल्यांकित की जाती हैं और इसकी अनुपस्थिति में मूल्यांकन तिथि से पहले 7 दिन की अवधि के अंदर उपलब्ध नवीनतम भाव को मूल्यांकन के लिए लिया जाता है। यदि मूल्यांकन की तिथि से सात दिन पूर्व की अवधि हेतु कोई भाव उपलब्ध नहीं हो तो उसे अनोद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां माना जाएगा।

(ग) उद्धृत डिबैंचरों और बांडों के मामले में, बाजार दर, जो ब्याज सहित है उसे ब्याज तत्त्व यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया जाता है।

(घ) शेयरों के अधिकार पात्रता का मूल्यांकन,लाभांश तत्व हेतु बट्टा काटकर,जहां लागू हो, बाजार दर पर किया जाता है।

(ङ) अनोद्धृत अधिमान शेयर/संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर लागत पर लिए जाते हैं।

(च) अनोद्धृत इक्विटी शेयर जैसे कि न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित किया जाए,उचित मूल्यांकन आधार पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

(छ) अनोद्धृत डिबेंचर, बॉण्ड एवं अंतरणीय नोट परिपक्वता पर प्रतिफल पर मूल्यांकित किए जाते हैं, जो न्यासी मंडल द्वारा मूल्य वृद्धि के अनुमोदन के साथ भारत सरकार की प्रतिभूतियों (यील्ड कर्व) से जुड़ा है।

(ज) अनोद्धृत वारंट, अंतरनिहित इक्विटी शेयरों के बाजार दर पर, लाभांश तत्त्व के लिए बट्टा काटकर, यदि कोई हो, तथा देय प्रायोगिक मूल्य से कम करके मूल्यांकित किए जाते हैं। जिन मामलों में इस तरह लिए गए मूल्य से प्रायोगिक देय मूल्य ज्यादा हो, वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है।

(झ) अनोद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों, यदि कोई हों, का मूल्यांकन प्रचलित ब्याज दर पर परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर किया जाता है।

(ञ) परिवर्तनीय डिबेंचर एवं बॉण्ड, जहां मिश्र बाजार भाव उपलब्ध न हो, वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन संबंधित इक्विटी शेयरों के बाज़ार दर पर, जिनमें लाभांश तत्त्व, यदि कोई हो, काट कर किया जाता है। ऐसे डिबेंचरों एवं बॉण्डों का अपरिवर्तनीय भाग, यदि कोई हो, का मूल्यांकन, उपरोक्त (छ) के अनुसार किया जाता है। जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है।

(ट) पूंजी सूचकांकित बॉण्ड लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

(ठ) <u>मुद्रा बाजार लिखतों के लिए मूल्यांकन नीति :-</u>

(i) मुद्रा बाज़ार लिखतें एवं अन्य आस्तियां बही मूल्य पर ली जाती हैं।

(ii) अंतर बैंक कॉल बाज़ार में निवेशित राशि लागत पर ली जाती है।

(iii) बट्टे /ब्याज उपार्जन लिखतों में निवेशित राशि का मूल्यांकन,उस प्रतिफल पर किया जाता है जिसमें लिखत का सौदा पिछली बार किया गया था। इस उद्देश्य हेतु भाव मूल्यांकन तिथि से पहले दो कार्य दिवसों की अवधि के भीतर उपलब्ध हाल ही का भाव ध्यान में लिया जाता है। जब पिछले दो कार्य दिवसों में कोई भाव उपलब्ध न हो, तो लिखत लागत एवं लिखत के परिपक्व होने के बाकी बचे दिनों के लिए लागू एक समान लागत और पृष्ठ मूल्य के मध्य अंतर पर मूल्यांकित किया जाता है।

(iv) अनोद्धृत डिबेंचरों सहित अन्य मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन लागत एवं लिखत के परिपक्व होने के बाकी बचे दिनों पर लागू एक समान लागत और पृष्ठ मूल्य के अंतर पर किया जाता है।

तथापि, खंड VII, XXII, XXIII एवं XXV के संदर्भ में किसी बात के बावजूद, निवेश नीतियां, एनएवी का निर्धारण, एवं आस्तियों का मूल्यांकन, पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण एवं एनएवी के प्रकटीकरण की आवृत्ति, पुनर्खरीद मूल्य और पोर्टफोलियो समय-समय पर सेबी द्वारा जारी सेबी (एमएफ) विनियमों/दिशानिर्देशों /निदेशों के प्रावधानों के अनुसार होगा।

10. लेखा नीतियां

1. आय की मान्यता

(क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय भूतपूर्व लाभांश तिथि पर प्रोद्भूत की जाती है। असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों एवं अधिमान शेयरों पर लाभांश आय का हिसाब प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

(ख) निवेशों पर ब्याज एवं प्रतिबद्धता प्रभार का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

(ग) निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि की पहचान भारित औसत लागत के आधार पर व्यापार तिथियों पर की जाती है।

(घ) डिबेंचर/बॉण्डों के प्रतिदान पर प्रीमियम एवं लाभ या हानि की पहचान देय तिथि पर की जाती है।

(ङ) जब कोई राशि जिम्मे नहीं आती हो तो हामीदारी कमीशन को नकदी आधार पर राजस्व माना जाता है। जिम्मे आई राशि के मामले में, पूर्ण हामीदारी कमीशन एवं निवेशों की लागत में से कम किया जाता है।

(च) शेयरों एवं डिबेंचरों के निवेश पर आरंभिक शुल्क को ऐसे निवेशों की लागत से कम किया जाता है।

(छ) जीरो कूपन बॉण्डों, डीप डिस्काऊंट बाण्डों और अन्य दीर्घावधि बट्टाकृत लिखतों के संबंध में पुनर्खरीद मूल्य एवं परिपक्वता मूल्य के मध्य अंतर को वाईटीएम आधार पर लिखत के शेष अवधि के दौरान आय समझा जाता है।

(ज) अन्य आय को प्राप्ति आधार पर लिया जाता है।

2. व्यय

क. व्यय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

ख. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25(4) के प्रावधानों के अनुसार यूनिट योजना 1964 के अंतर्गत किए गए खास सामान्य खर्चों का निर्धारण अन्य योजनाओं पर किया जाता है।

ग. नियत आस्तियों वाली यूनिट योजना 1964 कथित आस्तियों के उपयोग के लिए अन्य योजनाओं से स्वीकृत आधार पर पट्टा किराया वसूल करती है।

3. निवेश

क. निवेशों को लागत पर या अवलिखित लागत पर लिया जाता है।

ख. द्वितीयक बाजार कारोबार के मामले में निवेश को व्यापार तिथियों पर किया गया माना जाता है।

ग. आबंटन पर प्राथमिक बाजार निर्गमों में अभिदान को निवेश माना जाता है।

घ. बोनस/अधिकार पात्रताओं को पूर्ववर्ती-बोनस/पूर्ववर्ती अधिकार तिथियों पर माना जाता है।

ङ. निवेश अर्थात् डिबेंचर और बॉण्ड प्रतिदान/देय तिथि को चालू आस्तियों में अंतरित किए जाते हैं।

च. निवेश की लागत में दलाली एवं सेवा - कर शामिल हैं लेकिन स्टाम्प की लागत शामिल नहीं है, जिसे राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

4. प्रावधान एवं मूल्यह्रास :

(क) संदिग्ध समझी गई आय के प्रति प्रावधान :

पिछली दो तिमाही या उससे अधिक के लिए देय बाकी ब्याज आय के संबंध में प्रावधान किया जाता है। यदि लाभांश,पिछले लाभांश की तिथि से एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया है तब वर्ष के अंत में प्रावधान किया जाता है।

(ख) निवेश के मूल्य में ह्रास

(i) उपरोक्त खंड XXII के अनुसार गणना किए गए निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और पारिणामिक ह्रास, यदि हो, सामान्य प्रारक्षित निधि/यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि में प्रभारित किए जाते हैं। यदि कुल मूल्य, कुल लागत या पिछले वर्ष के अंत के कुल मूल्य से अधिक हो जाता है तो मूल्य वृद्धि, यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि/सामान्य प्रारक्षित निधि में उस सीमा तक जोड़ी है जहां तक ह्रास पिछली बार समायोजित किया गया था।

(ii) जहां अनोधृत इक्विटी या अधिमान शेयर पिछले वर्षों में अपलिखित किए गए हों, वहां ऐसे निवेशों की लागत को उधृत या उचित मूल्य उपलब्ध होते ही उसकी लागत पर पुनरांकित किया जाता है।

(iii) आस्तियां जिन पर ब्याज पिछली दो तिमाहियां या अधिक अवधि से बकाया है, अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी आस्तियों के लिए प्रावधान अलग-अलग बनाया जाता है (जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है)। ऐसा प्रावधान उसी कंपनी की अन्य उपयोगी आस्तियों के लिए नहीं किया जाता है।

गैर निष्पादित आस्तियों की अवधि	प्रावधान का प्रतिशत

	रक्षित आस्तियां	अ-रक्षित आतियां
दो वर्षों तक	10%	10%
दो वर्षों से अधिक परंतु तीन वर्षों तक	20%	100%
तीन वर्षों से अधिक परंतु पांच वर्षों तक	30%	100%
पांच वर्षों से अधिक	50%	100%

(iv) जहां मूल पुनर्भुगतान (i) 3 वर्षों तक की अवधि के संतुलित परिपक्वता वाले ऋण लिखतों के संबंध में पिछली देय अवधि के दो तिमाहियों हेतु और (ii) 3 वर्षों से अधिक अवधि के संतुलित परिपक्वता वाले ऋण लिखतों के संबंध में पिछली देय अवधि के एक वर्ष हेतु बकाया रहता है, वहां ऐसी बकाया किस्तों हेतु प्रावधान किया जाता है। ऐसी आस्तियों के लिए समग्र प्रावधान,उपरोक्त तालिका में उल्लिखित प्रतिशत (जमानती आस्तियां हेतु 50% तथा गैर जमानती आस्तियों हेतु 100%) या चूक वाली राशि, जो भी अधिक हो, तक सीमित है।

ऐसे मामले जिनमें मूल चूक जारी रहती है,किसी भी परवर्ती किस्त के लिए प्रावधान, संबंधित देय तिथि से 30 दिनों के बाद किया जाता है।

(v) देय बकाया ब्याज के पूंजीकरण के द्वारा, ब्याज के निधियन के मामले में, उसके चूक की अवधि के बावजूद प्रावधान किया जाता है।

(vi) गैर निष्पादी आस्तियों के लिए प्रावधान यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि/सामान्य प्रारक्षित निधि/राजस्व लेखा,जैसा भी मामला हो, में प्रभारित किए जाते हैं।

(vii) अनुच्छेद 4(क)और 4(ख)(iv) के अंतर्गत बनाए गए प्रावधान प्राप्ति या आस्तियों के पुनर्संरचना आधार पर पुनरांकित किए जाते हैं। 4(ख)(v) के अंतर्गत प्रावधान प्राप्ति आधार पर पुनरांकित किए जाते हैं।

5. आय वितरण :

(क) आय वितरण हेतु प्रावधान यूनिट पूंजी पर न्यासी मंडल द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दर पर किया जाता है।

6. वित्तीय परिणामों का प्रकाशन :

यथा 31 दिसंबर अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम 2 माह के भीतर एवं यथा 30 जून लेखा-परीक्षित वार्षिक परिणाम लेखे को अंतिम रूप देने के 6 माह के भीतर एक अंग्रेजी दैनिक एवं एक मराठी

	दैनिक में प्रकाशित किया जाएगा।
11.	**निवेशों का कर - निरूपण** 1. निवासी / अनिवासी भारतीय/ओसीबी (i) योजना के अंतर्गत आय और पूंजी वृद्धि, यदि कोई हुई हो, पर कराधान प्रचलित कर कानूनों के अधीन होगा। (ii) वर्तमान में, ट्रस्ट की सभी योजनाओं/प्लानों के अंतर्गत सभी वर्ग के निवेशकों को प्राप्त होने वाली आय, यदि कोई हो, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (33) के अंतर्गत पूर्णत: कर मुक्त होगी। योजना के लिए, उसके द्वारा किए गए किसी भी आय वितरण पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 आर के अंतर्गत 10% की दर से आय वितरण कर और उस पर 10% अधिभार का भुगतान करना आवश्यक है। तथापि, सतत खुली इक्विटी उन्मुख निधि होने के कारण, इस योजना को 31 मार्च, 2002 तक कथित धारा के अंतर्गत उपरोक्त कर लागू नहीं है, बशर्ते योजना की कुल राशि का 50% से अधिक का निवेश घरेलू कंपनियों के इक्विटी शेयरों में किया जाता है। (iii) वर्तमान में, रुपए में उत्पन्न अथवा एनआरओ निधियों में से योजना में निवेश से होने वाला कोई भी दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 और 112 में दिए गए निर्देशों के अधीन होगा। वर्तमान में निवेशक को लागत स्फीति सूचकांक का लाभ उठाने के बाद दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ पर 20% की दर से कर का भुगतान करना होता है। तथापि, एनआरई खातों के जरिए किए गए निवेश से प्राप्त होने वाले पूंजीगत अभिलाभ कर योग्य नहीं हैं। (iv) इस प्लान के अंतर्गत यूनिटों में किए गए निवेश का मूल्य धनकर से पूर्णत: मुक्त है। (v) उपहार कर अधिनियम, 1958 ने योजना की यूनिटों के संबंध में उपहार कर की उगाही को समाप्त कर दिया है। 2. धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट हेतु पात्रता यह योजना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के लिए पात्र होगी, बशर्ते यूनिटों की पुनर्खरीद आवेदन की स्वीकृति तिथि से तीन वर्षों के बाद की जाए। 3. धारा 54 ईबी के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट हेतु पात्रता दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण या आंशिक पूंजीगत अभिलाभ का ग्रैण्डमास्टर यूनिट योजना में किया गया निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईबी के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के लिए पात्र होगा, बशर्ते यूनिटों की पुनर्ख[illegible] आवेदन की

	स्वीकृति की तिथि से सात वर्षों के बाद की जाए। 4. पात्र न्यासों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2)(बी) के अंतर्गत यूनिट स्वीकृत प्रतिभूतियां हैं। अत: यूनिटों में निवेश कर रहे पात्र ट्रस्ट आयकर अधिनियम, 1961की धारा 11 और 13 के अंतर्गत आय और निधि के लिए आवश्यक कर छूट के योग्य होंगे।
	भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना एवं प्रबंधन **यूटीआई की स्थापना** भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना एक सांविधिक संस्था के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होनेवाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी। इसने 1जुलाई, 1964 से कार्य करना आरंभ किया। **यूटीआई का प्रबंधन** ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है, जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। मंडल के अलावा, एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी होते हैं। यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर कार्य करने के लिए सक्षम है। **न्यासी मंडल *** 1. श्री पी.एस. सुब्रमन्यम — अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट 2. श्री जी.पी. मुनिअप्पन — कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक 3. श्री जी.पी.गुप्ता — अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,आईडीबीआई 4. श्री एन.एस. सेखसरिया — प्रबंध निदेशक, गुजरात अंबुजा सिमेन्ट्स लि. 5. श्री राजेन्द्र पी चितले — सनदी लेखाकार 6. डॉ. विश्वनाथ वी. देसाई — अर्थशास्त्री 7. श्री जी. कृष्णमूर्ति — अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम 8. श्री जी.जी वैद्य — अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक 9. श्री के.सी. चौधरी — अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

* **वर्तमान में न्यासियों की अन्य निदेशिकाएं इस प्रकार हैं :**

1. **श्री पी.एस. सुब्रमन्यम** - (i) अध्यक्ष एवं निदेशक-इंडिया फंड, (ii) अध्यक्ष एवं निदेशक - इंडिया ग्रोथ फंड, (iii) अध्यक्ष एवं निदेशक - इंडिया ऐक्सेस लि., (iv) अध्यक्ष एवं निदेशक - इंडिया पब्लिक सेक्टर फंड लि., (V) शासी परिषद के अध्यक्ष - यूटीआई इंस्टिट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट्स, (vi) अध्यक्ष एवं निदेशक - यूटीआई निवेशक सलाहकार सेवा लि., (vii) अध्यक्ष एवं निदेशक - यूटीआई निवेशक सेवा लि., (viii) अध्यक्ष एवं निदेशक - यूटीआई सिक्यूरिटीज़ एक्सचेंज लि., (ix) निदेशक - यूटीआई बैंक लि., (X) अध्यक्ष एवं निदेशक - ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, (xi) सदस्य -भारतीय जीवन बीमा निगम, (xii) निदेशक - भारतीय मितिकाटा एवं वित्त गृह लि., (xiii) निदेशक - सिक्यूरिटीज़ ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., (xiv)निदेशक - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., (xv) न्यासी - इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।

2. **श्री जी.पी.गुप्ता** - (i) अध्यक्ष - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, (ii) निदेशक - इंडिया फंड, (iii) निदेशक - इंडिया ग्रोथ फंड, (iv) निदेशक-भारतीय मितिकाटा एवं वित्त गृह लि., (V) निदेशक-भारतीय आयात-निर्यात बैंक, (vi) निदेशक-भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि., (vii) निदेशक-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फाइनेंस कं. ऑफ इंडिया लि., (viii) निदेशक - इंडियन एयरलाइन्स लि. (ix) निदेशक - आईडीबीआई बैंक लि. (X) निदेशक - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., (xi) सदस्य - भारतीय जीवन बीमा निगम, (xii) सदस्य - भारतीय साधारण बीमा निगम, (xiii) निदेशक - दक्षिण एशिया क्षेत्रीय निधि, (xiv) अध्यक्ष - दक्षिण एशिया विकास निधि, (xv) समिति सदस्य-भारतीय बैंकर संस्थान, (xvi) सदस्य-बैंकर प्रशिक्षण कॉलेज (आरबीआई), (xvii) सदस्य - एशिया एवं प्रशांत में विकासशील वित्तीय संस्थाओं का संघ, (xviii) सदस्य-बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्था, (xix) सदस्य-भारतीय कंपनी सचिव संस्था।

3. **श्री एन.एस. सेखसरिया** - (i) निदेशक - गृह वित्त लि. (ii) निदेशक - राधा माधव इन्वेस्टमेंट्स लि. (iii) निदेशक- होम ट्रस्ट हाऊसिंग फाइनेंस कं. लि., (iv) निदेशक - अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन (V) निदेशक - अंबुजा शैक्षणिक संस्थान।

4. **श्री राजेन्द्र पी. चितले** - (i) निदेशक - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (ii) निदेशक - नेशनल सिक्यूरिटीज़ क्लीयरिंग कार्पोरेशन लि. (iii) निदेशक - जे एम कैपिटल मैनेजमेंट लि. (iv) निदेशक - ज्युरीच एसेट मैनेजमेंट कंपनी (इंडिया) लि. (v) निदेशक - इंडिया इंडेक्स सर्विसेज़ एण्ड प्रोडक्ट लि. (vi) निदेशक - एसोशिएशन ऑफ लिजिंग एण्ड फाइनेंशिएल सर्विसेज कंपनीज (vii) सदस्य - राष्ट्रीय शेयर बाजार की कार्यकारी समिति (शासी मंडल) (viii) सदस्य - इंडिया एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका एनटी एवं एसए (ix) सदस्य - निवेश समिति, भारतीय जीवन बीमा निगम।

	5. **श्री वी. वी. देसाई - सलाहकार - आईसीआईसीआई लिमिटेड**
	6. **श्री जी. कृष्णामूर्ति - (i)** अध्यक्ष - एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) ईसी, बहरीन (ii) अध्यक्ष एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. (iii) निदेशक - भारतीय साधारण बीमा निगम (iv) निदेशक - पोयशा औद्योगिक कं. (v) अध्यक्ष, शासी मंडल - नेशनल इन्श्योरेंस अकादमी (vi) निदेशक - नेशनल हाउसिंग बैंक (vii) निदेशक - यूटीआई बैंक लि. (viii) निदेशक- मितिकाटा एवं भारतीय वित्त गृह (ix) निदेशक - केनिन्डिया एश्योरेंस कं. लि., केनया (x) निदेशक - भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि.(xi) अध्यक्ष - इन्श्योरेंस काउंसिल का शासी निकाय।
	श्री जी जी वैद्य - (i) अध्यक्ष - एसबीआई कैपिटल मार्केट लि., (ii) अध्यक्ष - एसबीआई निधि प्रबंधन लि. (iii) अध्यक्ष - एसबीआई गिल्ट्स लि. (iv) अध्यक्ष - एसबीआई सिक्यूरिटीज़ लि. (v) अध्यक्ष - एसबीआई फैक्टर्स् एण्ड कमर्शियल सर्विसेज़ लि. (vi) अध्यक्ष - एसबीआई यूरोपियन बैंक लि. (vii) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ इंदौर (viii) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र (ix) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (x) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (xi) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (xii) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (xiii)अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (xiv) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया) (xv) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा) (xvi) उपाध्यक्ष, शासी मंडल - इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स (xvii) निदेशक - राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (xviii) निदेशक - भारतीय आयात-निर्यात बैंक (xix) निदेशक - साधारण बीमा निगम (xx) सदस्य, शासी मंडल एवं अध्यक्ष, वित्त समिति - राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्था, (xxi) सदस्य, शासी मंडल एवं अध्यक्ष, वित्त समिति एवं कार्यालय परिसर समिति एवं आईबीपीएस कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासक समिति - बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (xxii) सदस्य - बैंकिंग टेक्नॉलोजी विकास एवं अनुसंधान संस्था (xxiii) निदेशक - इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास वित्त निगम (xxiv) निदेशक - इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग एवं फाइनेंस सर्विसेज़ लि. (xxv) निदेशक - भारतीय निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम।
	8. श्री के सी चौधरी - (i) अध्यक्ष - बैंक अंकेक्षण पर लघु समूह, भारतीय बैंक संघ, (ii) अध्यक्ष - बैंकिंग परिचालन, भारतीय बैंक संघ, (iii) अध्यक्ष - ऋण संबंधी मामलों पर लघु समूह, भारतीय बैंक संघ, (iv) अध्यक्ष - आईबीए व्यापार निकाय/संघों के साथ समन्वय हेतु कार्य समूह, (v) अध्यक्ष - भारतीय बैंक संघ (vi) सदस्य - प्रबंध समिति, भारतीय बैंक संघ - (vii) अध्यक्ष - सेंटबैंक गृह वित्त लि. (viii) अध्यक्ष - सेंटबैंक फाइनेंशियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेज लि., (ix) निदेशक - भारतीय कृषि वित्त निगम , (x) निदेशक - मास्टरकार्ड एशिया/पेसेफिक बोर्ड, (xi) निदेशक - द न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि., (xii) सदस्य - टास्क फोर्स, भारतीय बैंक संघ।
13.	**निधि का प्रबंधन -** **निधि प्रबंधन के नाम के साथ उसकी योग्यता एवं अनुभव को भी जोड़ा गया।**

14.	**अभिरक्षक** निम्नलिखित को सेबी द्वारा आवश्यक समझने पर जोड़ा गया है। भारतीय स्टाक धारिता निगम लि. (एसएचसीआईएल) का सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर आईएन/सीयूएस/011 है। एसएचसीआईएल शुल्क की दर इस प्रकार है :

	इलेक्ट्रॉनिक	वास्तविक
डीमैटिरियलाइजेशन	रु. 5 प्रति प्रमाणपत्र	-
खरीद	कारोबार के मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु	प्रति डीआईपी रु. 100
बिक्री	कारोबार के मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु	प्रति डीआईएस रु. 100
अभिरक्षा	अभिरक्षा में आस्ति मूल्य पर 1.5 आधार बिंदु	अभिरक्षा में आस्ति मूल्य पर 8 आधार बिंदु
गैर बाजार खरीद	कारोबार के मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु	-
गैर बाजार बिक्री	कारोबार के मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु	-
रीमैटिरियलाइजेशन	प्रति प्रमाणपत्र रु. 15 अथवा परिवर्तन मूल्य के 15 आधार बिंदु इनमें से जो भी अधिकतम है	-

15.	**लेखा परीक्षक** मेसर्स चतुर्वेदी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, 60, बेंटिक स्ट्रीट, कलकत्ता 700 069 एवं मेसर्स बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित, सनदी लेखाकार, नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग, 204, डी.एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 । योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आईडीबीआई द्वारा की जाती है और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन हैं।
16.	**निवेशकों की शिकायतों के निवारण का डाटा दर्शानेवाली सारणी**
17.	**जुर्माना, लंबित मुकदमा, निरीक्षणों/जांच-पड़तालों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष** 1. भारतीय यूनिट ट्रस्ट/न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी में से किसी (विशेषत: निधि प्रबंधक) के प्रति सेबी अधिनियम या उसकी कोई विनियमों के अंतर्गत सेबी द्वारा या किसी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा (जहां यूटीआई की योजना की यूनिटें सूचीबद्ध हैं)जुर्माना लगाने का कोई मामला नहीं है। 2. न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी सहित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मुकदमे की कार्यवाही लंबित नहीं है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी के प्रति कोई अपराधिक मामला लंबित नहीं है।

	3. न तो सेबी और न ही किसी अन्य नियामक एजेन्सी ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट के परिचालनों या सिस्टम्स में किसी कमी को पेशकश दस्तावेज़ में दर्शाए जाने की विशेष रूप से सलाह दी है। 4. भारतीय यूनिट ट्रस्ट, न्यासी मंडल/न्यासी या मुख्य कर्मी के प्रति सेबी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अधीन कोई पूछताछ/अधिनिर्णय की कार्यवाही नहीं है।
18.	**संक्षिप्त वित्तीय जानकारी देने वाली सारणी को जोड़ा गया।**

अनुबंध I

यूजीएस 10000-संशोधित किए गए / जोड़े गए प्रावधान

खंड सं.	वर्त्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
विशेषताएं मद सं.3	प्रारंभिक पेशकश अवधि के पश्चात् बिक्री एनएवी पर 3% भार डाल कर की जाएगी और पुनर्खरीद एनएवी पर होगी।	**मद सं. 5-** बिक्री एवं पुनर्खरीद मूल्य, जिस दिन आवेदन स्वीकार किया जाता है उस दिन की समाप्ति के एनएवी पर आधारित होगा। बिक्री एनएवी के 3% भार पर होगी। **मद सं. 6-** पुनर्खरीद, यूनिटों के दैनिक एनएवी पर होगी। आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति होगी बशर्ते न्यूनतम शेष प्रति फोलियो 5000 रुपए हो।
विशेषताएं मद सं.5	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 एवं 112 के अंतर्गत पूंजी वृद्धि पर कर लाभ।	**मद सं. 10** यूनिटों की पुनर्खरीद पर पूंजी वृद्धि से प्राप्त होने वाला पूंजीगत अभिलाभ, यदि कोई हो, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 तथा 112 के अंतर्गत कर लाभों के अधीन होगा।
विशेषताएं मद सं.6	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईए/54ईबी के अंतर्गत निर्धारित निधि के स्रोत पर निर्भर करते हुए पूंजीगत अभिलाभ कर छूट, बशर्ते अवरुद्ध अवधि स्वीकृति तिथि से क्रमशः तीन/सात वर्ष हो।	**मद सं.11** फंड के स्रोत पर निर्भर करते हुए प्लान के अतर्गत किया गया निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईए /54ईबी के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के योग्य होगा, बशर्ते स्वीकृति तिथि से अवरुद्ध अवधि क्रमशः तीन वर्ष/सात वर्ष हो।
विशेषताएं	मद शामिल नहीं है।	निम्नलिखित को जोड़ा गया : **मद सं.3** न्यूनतम निवेश 5000 रुपए है तथा अधिकतम कोई सीमा नहीं है। एक फोलियो खाते के अंतर्गत अतिरिक्त न्यूनतम निवेश की राशि केवल 1000 रुपए है। **मद सं.4** यूनिट का अंकित मूल्य 10 रुपए है । **मद सं. 7** यदि आय का पुनर्निवेश करना हो, तो वह एनएवी पर करने की सुविधा उपलब्ध है। **मद सं. 8** इस योजना से इसी प्रकार की अन्य योजनाओं में अथवा इसके विपरित

		स्विचओवर की सुविधा समय समय पर यूटीआई द्वारा घोषित एनएवी अथवा एनएवी आधारित मूल्य पर हो सकती है। **मद सं.9** वर्तमान मे योजना द्वारा यदि कोई आय का वितरण किया जाता है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(33) के अंतर्गत निवेशकों के हाथ में पूर्णत: कर मुक्त होगा। इसके अतिरिक्त, यह एक सतत खुला इक्विटी उन्मुख फंड होने के कारण, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 आर के अंतर्गत 31 मार्च, 2002 तक की अवधि हेतु इसे आय वितरण कर लागू नहीं होगा। **मद सं.12** प्लान के अंतर्गत यूनिटों के निवेश का मूल्य धनकर की उगाही से पूर्णत: मुक्त है। **मद सं.13** उपहार कर अधिनियम, 1958 ने 01 अक्तूबर, 1998 से या उसके पश्चात् दिए गए उपहारों के संबंध में उपहार कर की उगाही को समाप्त कर दिया है। अत: यूनिटों के उपहार पर उपहार कर की उगाही नहीं होगी।
जोखिम तत्व **मद सं.1**	योजना के यूनिटों में निवेशों पर बाजार का जोखिम होता है और योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का ऊपर या नीचे जाना योजना के पोर्टफोलियो पर बाजार की शक्तियों के प्रभाव पर निर्भर करता है।	म्यूचुअल फंड योजनाओं व प्रतिभूतियों में किए गए निवेश पर बाजार का जोखिम होता है व योजना के तहत जारी यूनिटों के एनएवी का ऊपर या नीचे जाना प्रतिभूति बाजार को प्रभावित करने वाले तत्वों और घटकों पर निर्भर करता है ।
जोखिम तत्व	**प्रावधान नहीं किया गया।**	**मद सं. 4 डेरीवेटिव्ज :** ऑप्शन्स एवं फ्यूचर्स जैसे डेरीवेटिव प्रतिभूतियों में लेन-देन करना एक अत्यंत विशेषीकृत कार्य है एवं इसमें सामान्य निवेश के जोखिमों से कहीं अधिक जोखिम होता है । हालांकि योजना का अभिप्राय केवल पोर्टफोलियो के बचाव के उद्देश्य से ही डेरीवेटिव में लेन-देन करना है, इस खंड में समग्र बाज़ार बहुत ही अनिश्चित हो सकता है जो इस बाज़ार में अन्य प्रतिभागियों के कार्य के कारण होता है । डेरीवेटिव में लेन-देन की सफलता निधि प्रबंधक के बाजार की भावी प्रवृति का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता पर निर्भर करती है और यदि निधि प्रबंधक अपने पूर्वानुमान में गलत होता है तो निधि

		का कार्यनिष्पादन, यदि यह निवेश योजना प्रयोग में न लाई गई होती, तो जो रहा होता, उसकी तुलना में कम हो सकता है। **मद सं.5 विदेशी बाजारों में निवेश :** विदेशी बाजारो में निवेश की सफलता निधि प्रबंधक की बाज़ार की उन परिस्थितियों एवं जानकारियों, जो भारतीय बाजारों से भिन्न हो सकती हैं, का विश्लेषण करने की योग्यता पर निर्भर करता है । जैसा कि इसमें विदेशी बाज़ारो में परिचालन शामिल है, बाजारो के जोखिमों के अलावा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के जोखिम भी हो सकते हैं । **मद सं.6- स्टॉक उधार देना:** यह कम से कम जोखिम के साथ योजना के लिए अतिरिक्त आय जुटाने का एक साधन है । शेयर उधार दिए जाने की अवधि के दौरान बिक्री हेतु सुलभ स्टॉक की अनुपलब्धता के रूप में जोखिम हो सकता है । योजना में उधारकर्ता / बिचौलिए द्वारा प्रतिभूतियों के पुनर्भुगतान में चूक की संभावना से स्टॉक ऋण गतिविधि के द्वारा भी जोखिम हो सकता है । हालांकि इस जोखिम को इस प्रक्रिया में सम्मिलित बिचौलिए द्वारा उधारकर्त्ता से समुचित जमानत लेकर उचित रूप से सुरक्षा प्रदान की जाएगी । यूटीआई का इस जमानत पर ग्रहणाधिकार रहेगा। यूटीआई प्रतिभूति उधार प्रक्रिया के जोखिम को न्यून करने हेतु विभिन्न स्थानों पर अन्य उचित जांच एवं नियंत्रण भी रखेगा।
यूटीआई की स्थापना एवं प्रबंधन, ट्रस्टियों की अन्य निदेशिकताएं	वर्त्तमान सूचनाओ को अनुबंध 3 के मद संख्या 9 के अंतर्गत दी गई सूचनाओं से प्रतिस्थापित किया जाएगा।	अनुबंध III की मद संख्या 9 का संदर्भ लें।
परिभाषाएं **II (क)**	"स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है;	आवेदक द्वारा ट्रस्ट को बिक्री या पुनर्खरीद हेतु जमा कराए आवेदन पत्र के संदर्भ में "स्वीकृति तिथि" का तात्पर्य उस दिन से है जिस दिन ट्रस्ट का शाखा कार्यालय यह संतुष्टि कर ले कि उक्त आवेदन पत्र व्यवस्थित है व उसे स्वीकार ले।विशेष बिक्री केन्द्रों व संग्रहण केन्द्रों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के संदर्भ में स्वीकृति तिथि शाखा / रजिस्ट्रार कार्यालय में प्राप्त

		तारीख से होगी जो कि विशेष विक्रय केन्द्रों या संग्रहण केन्द्रों(टी) में प्राप्त प्रार्थना पत्र की प्राप्ति से 5 कार्यदिवसों (टी+5)में जो से जो पहले हो मानी जाएगी ।
परिभाषाएं **II (ङक)**	कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है।	योजना के अंतर्गत "सदस्य" के रूप में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का अर्थ और इसमें शामिल उस आवेदक से है जिसे इस योजना में 23/04/2002 तारीख को या उससे पूर्व यूनिट आबंटित किए गए हों । "सदस्य" से तात्पर्य यूनिटधारक भी है जिसमें निक्षेपागार विधि से धारित यूनिट धारक व्यक्ति भी सम्मिलित हैं व दोनों अभिव्यक्तियों को समानार्थी रूप में पढ़ा जा सकता है ।
परिभाषाएं **II (जक)**	कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है।	"व्यक्ति" में ऊपर यथापरिभाषित पात्र न्यास शामिल है ।
परिभाषाएं **II (ङख)**	कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है।	"आरबीआई" से तात्पर्य है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक।
यूनिटों के लिए आवेदन IV(1) (i)	निवासी अथवा अ-निवासी वयस्क व्यक्ति एकल अथवा अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त/अकेले अथवा उत्तरजीवी आधार पर ।	निवासी व्यक्ति या एनआरआई द्वारा एकल या अन्य व्यक्ति के साथ या दो व्यक्तियों तक संयुक्त / कोई एक या उत्तरजीवी आधार पर।
यूनिटों के लिए आवेदम IV(1)	सभी श्रेणी के भावी निवेशकों के लिए कोई प्रावधान नहीं था।	xi) सेना / नौसेना /वायु सेना /पैरामिलिट्री निधियां xii) सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान(पीएसयू) xiii) वित्तीय संस्थान । xiv) सेबी में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)
निवेश की न्यूनतम राशि V	आवेदन न्यूनतम 5,000/- रुपए की राशि के लिए और उसके बाद 1000/- रुपए के गुणकों में किया जाना चाहिए। निवेश की अधिकतम सीमा प्रति निवेश 10,000/- रुपए है। जब यूनिटें प्रारंभिक पेशकश अवधि के बाद बिक्री के लिए खुली होगी, तब यह सीमा स्थगित की जाएगी। यूनिटें दशमलवके तीन स्थानों तक अंशों में	आवेदन न्यूनतम रु. 5000/- के लिए किया जाएगा। कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी तथा यूनिट दशमलव के बाद तीन अंकों तक आबंटित किए जाएंगे । उसी फोलियो के तहत आगामी निवेश हेतु न्यूनतम राशि रु.1000/- होगी । रु.50,000/- और उससे अधिक निवेश के मामले

	आबंटित की जाएंगी।	मे निवेशक को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पीएएन / जीआईआर संख्या है तो तो वह उसे तथा संबंधित आयकर सर्किल के पते का उल्लेख करे ।
भुगतान की विधि **VIII(1) (i) & (ii)**	(1) (i) किसी आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन पत्र के साथ नकद, चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। यदि आवेदन शाखा कार्यालयों में जमा किये जाएं, तो चेक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किये जाएं, जिस शहर में स्थित शाखा कार्यालय में आवेदन जमा किया जाता है। लेकिन, जहां आवेदक ट्रस्ट के शाखा कार्यालय/संग्रहण केंद्र/विशेष बिक्री कार्यालय/बैंक की नामित शाखा वाले स्थान से भिन्न स्थान से आवेदन करना चाहे तो आवेदित यूनिटों के लिये आवेदन पत्र के साथ देय बैंक ड्राफ्ट के लिये भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देशों के अनुसार देय बैंक प्रभार घटाकर आवेदित यूनिटों हेतु बैंक ड्राफ्ट ट्रस्ट को भेज सकता है। संग्रहण केंद्र/विशेष बिक्री कार्यालयों को आवेदन पत्र के साथ स्थानीय भुगतान योग्य चेकों या उन स्थानों पर भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट जहां तक योजना विकेंद्रीकृत किया गया है,को स्वीकार करने के लिए अधिकृत किया गया है। ऐसे मामलों में आवेदक भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देशों के अनुसार देय प्रभार घटा सकता है। उदाहरणार्थ, यदि आवेदन राशि रु.10,000/- है तो इस राशि के लिए बैंक का ड्राफ्ट प्रभार रु.20/- है। इस तरह, ड्राफ्ट रु.9,980/- (रु.10,000/- में से रु. 20/- घटाकर) के लिए बनवाया जा सकता है। ड्राफ्ट कमीशन प्रभार प्लान के आरंभिक निर्गम व्ययों का एक अंश होगा। किंतु, जहां ट्रस्ट का	(क) किसी आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन पत्र के साथ नकद राशि, चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा । यदि आवेदन ट्रस्ट के शाखा कार्यालयों में जमा किए जाएं, तो चेक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किए जाएं, जिस शहर में स्थित शाखा कार्यालय में आवेदन जमा किया जाता है। ख) यदि भुगतान चेक/ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो आवेदन की स्वीकृति ट्रस्ट के शाखा कार्यालय अथवा अधिकृत संग्रहण केंद्र द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते चेक / ड्राफ्ट की वसूली हो। ग) यदि योजना के अंतर्गत आवेदन राशि, न्यूनतम निवेश से कम है तो सम्पूर्ण राशि, बिना किसी ब्याज के ऐसी रीति से जैसा ट्रस्ट उचित समझे, आवेदक के खर्च पर वापस कर दी जाएगी। घ) बेहतर हो यदि अनिवासी भारतीय अपना आवेदन एनआरआई शाखा कार्यालय, मुंबई में प्रस्तुत करें अथवा ट्रस्ट की किसी शाखा में उस जगह पर देय एनआर(ई)/एनआर(ओ) चेक्स या रुपये के ड्राफ्ट सहित प्रस्तुत किया जाए।

कार्यालय/संग्रहण केंद्र/विशेष बिक्री कार्यालय है और आवेदन स्थानीय बैंक ड्राफ्ट के साथ मिला है तो बैंक ड्राफ्ट कमीशन निवेशक को ही वहन करना होगा।

(ii) यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि, ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा आवेदन प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते चेक की वसूली हो।

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि, ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो और आवेदन ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र में ड्राफ्ट जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाए। यदि योजना के अंतर्गत आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान द्वारा प्रस्तुत की गई राशि आवेदित यूनिटों के लिए देय राशि के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आवेदक को उतने कम यूनिट जारी किए जाएंगे जितने योजना के अंतर्गत जारी किए जा सकते हैं। आवेदक को देय बकाया उसके खर्चे पर ट्रस्ट द्वारा निर्धारित उचित रीति से, वापस कर दिया जाएगा।

भुगतान की विधि
VIII(1) (iii) & (iv)

(iii) प्रत्यावर्तन लाभों के साथ निवेश की विधि :

एनआरआई/ओसीबी द्वारा किए गए निवेश पर प्रत्यावर्तन का अधिकार निवेशित पूंजी और उस पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) पर तब तक होगा जब तक निवेशक भारत के बाहर का निवासी बना रहेगा। इन मामलों में निवेश निम्नलिखित विधियों में से किसी एक के माध्यम से किया जा सकता है।

iii) प्रत्यावर्तन लाभ सहित एनआरआई निवेश के लिए भुगतान पद्धति।

एनआरआई/ओसीबी द्वारा किए गए निवेशों को निवेशित पूंजी एवं उस पर अर्जित आय एवं पूंजी वृद्धि पर तब तक प्रत्यावर्तन का अधिकार होगा जब तक कि निवेशक भारत के बाहर निवास करेगा। इन मामलों में निवेश निम्न में से किसी एक पद्धति द्वारा किया जा सकता है:

क) किसी बैंक/ भारत के बाहर परिचालित किसी विनिमय प्रतिष्ठान द्वारा यूटीआई के पक्ष में जारी रुपयों में बैंक ड्राफ्ट जो भारत में स्थित उनके बैंक पर आहरित हो।

(क) विदेशी मुद्रा में ड्राफ्ट

(ख) यूटीआई के पक्ष में रुपये में जारी किया गया ड्राफ्ट जो उनके भारतीय संपर्ककर्ता बैंकों पर आहरित हो।

(ग) भारत स्थित बैंक में निवेशक द्वारा कायम किए गए एनआरई खाते पर आहरित चेक द्वारा।

(घ) एफसीएनआर जमाओं की राशि से जारी किए गए चेक/ड्राफ्ट द्वारा।

इसके अलावा, नेपाल और भूटान की मुद्राओं में अदायगी स्वीकार नहीं की जाती है। यूनिटों में निवेश रुपये में किया जाता है, विदेशी मुद्रा के सभी ड्राफ्टों को उस दर पर रुपये में परिवर्तित किया जाता है जो परिवर्तन के समय प्रचलित हो।

यदि कोई कमी पड़ती है, तो उसे एनआरआई निवेशक द्वारा विप्रेषण किया जाएगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी जाती है कि एनआरआई/ओसीबी निवेशक उपर्युक्त (ख) और (ग) में उल्लिखित लिखतों के द्वारा अदायगी करें।

(iv) प्रत्यावर्तन लाभों के बिना निवेश की विधि :

जहां एनआरओ खाते में धारित निधियों का उपयोग यूनिटों की खरीद के लिए किया जाता है तो इस प्रकार निवेश की गई निधियां और पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के लिए योग्य नहीं होगी।

ख) भारत स्थित बैंक, जिसमें निवेशक का एनआरई खाता हो, पर जारी चेक द्वारा ।

ग) निवेशक के एफसीएनआर जमा की राशि से जारी चेक/ड्राफ्ट द्वारा ।

टिप्पणी: नेपाली और भूटानी मुद्रा में भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

iv) प्रत्यावर्तन लाभ रहित एनआरआई निवेश के लिए भुगतान पद्धति ।

क) यदि एनआरओ खाते में रखी गई राशि का यूनिटें खरीदने के लिए उपयोग किया गया हो तो पूंजी वृद्धि (कोई हो तो) भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के लिए पात्र नहीं होगी। इसी प्रकार जब निवेशक भारतवासी था तब यूनिटें रुपये में खरीदी हों एवं इसके बाद वह अनिवासी हो गया हो तो उस निवेश की बिक्री से प्राप्त राशि पर प्रत्यावर्तन लाभ की पात्रता नहीं होगी।

ख)आरबीआई. के दिनांक 19 अगस्त, 1994 के परिपत्र एडी (एम.ए. सीरीज़)सं18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1996-97 एवं उसके बाद अर्जित निवेश पर आय वितरण पूर्णतया प्रत्यावर्तन लाभ के लिए पात्र होगा ।ऐसे मामलों में यूटीआई एनआरओ खाते में भुगतान जमा करेगा। जो निवेशक यूनिटों के आय वितरण पर विप्रेषण विदेश में चाहते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक/कर सलाहकार से संपर्क करें।

	तथापि भा.रि. बैंक के दिनांक 19 अगस्त, 1994 के परिपत्र ए.डी. (एम.ए.शृंखला) सं. 18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान और उसके उपरांत अर्जित सम्पूर्ण आय पूर्ण प्रत्यावर्तन के योग्य होगी । जबकि इन मामलों में यूटीआई-एनआरओ खाते मे जमा करने के लिए रुपये में अदायगी करेगा। निवेशकों को यह सूचना दी जाती है कि यदि वे यूनिटों पर आय का प्रेषण प्राप्त करना चाहते हों तो अपने बैंक/कर सलाहकार से संपर्क करें।	
विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भुगतान की विधि VIII (v)	कोई प्रावधान नहीं था ।	विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित प्राधिक3त बैंकों/अधिकृत डीलरों के यहां खोले गए विशेष अनिवासी रुपया खाता में डेबिट के जरिए भुगतान किया जाना चाहिए।
आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार VIII (2)(क)(i)	यदि आवेदन रु. 5000/- की न्यूनतम निवेश राशि से कम के लिए प्राप्त हुआ हो,	यदि प्रारंभिक निवेश के लिए आवेदन रु. 5000/- की न्यूनतम निवेश राशि से कम एवं उसके बाद प्रति फोलियो रु.1000/- से कम के लिए प्राप्त हुआ हो।
आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार VIII (2)(क)(iv)	कोई प्रावधान नहीं था ।	पहले आवेदक के बैंक विवरण से रहित किसी भी आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है।
भुगतान की विधि VIII (3) आखिरी से दूसरा अनुच्छेद	ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में 25% दण्ड के तौर पर घटाने के बाद सममूल्य पर या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद करे और शेष वापस करे। योजना के अंतर्गत यूनिटों की प्रारंभिक	ऐसी स्थिति में ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे यूनिटों की पुनर्खरीद अंकित मूल्य या एनएवी, जो भी कम हो, पर कर ले और इसमें से दण्ड के रूप में ऐसी राशि का 25% या ऐसी राशि जिसे ट्रस्ट निश्चित करे, काट ले और शेष राशि संबंधित व्यक्ति को वापस कर दे ।

यूनिटों की बिक्री IX

अधिमान पेशकश 15 अप्रैल, 1998 से 29 मई, 1998 (दोनों दिन शामिल) तक खुली रहेगी। यह निधि नई बिक्री हेतु, जैसा कि ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किया गया हो, आवधिक अंतराल पर 6 माह बाद किसी भी समय, खुली रहेगी।

प्रारंभिक पेशकश की अवधि के दौरान यूनिटों की बिक्री सममूल्य पर होगी। तत्पश्चात् बिक्री साप्ताहिक एनएवी पर 3% भार डालकर होगी। यूनिटों की बिक्री हेतु लागू साप्ताहिक एनएवी की गणना पूर्व सप्ताह के एनएवी पर आधारित होगी। ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री हेतु संविदा स्वीकृति तिथि को समाप्त समझी जाएगी।ऐसी बिक्री-संविदा की समाप्ति पर ट्रस्ट जितना जल्दी संभव हो सके। आवेदक को यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा जो इस बात का सबूत होगा कि उसे योजना में यूनिटधारक के रूप में प्रवेश दिया गया है । ट्रस्ट द्वारा पात्र न्यास, फर्म अथवा निगमित निकाय को जारी किया गया यूनिट प्रमाणपत्र पात्र न्यास/फर्म/निगमित निकाय के नाम पर बनाया जाएगा। इस तरह से प्रेषित यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलिवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा। ट्रस्ट यूनिट प्रमाणपत्र, यूनिटों की प्रारंभिक पेशकश की समाप्ति तिथि से 6 सप्ताह अथवा स्वीकृति तिथि से 6 सप्ताह के भीतर जैसा भी मामला हो, भेजेगा।

क) फंड बिक्री और पुनर्खरीद के लिए माह के पहले सोमवार से इसके ठीक बाद के सोमवार या ऐसी अवधि के लिए जैसा कि ट्रस्ट द्वारा तय किया जाए खुलेगी। ट्रस्ट के शाखा कार्यालयों में आवेदन केवल उन्हीं दिनों में स्वीकार किए जाएंगे जो दिन संबंधित शाखा कार्यालय के लिए कार्यदिवस हों। यूनिटों का बिक्री मूल्य आवेदन की स्वीकृति की तिथि के दिन कार्य की समाप्ति के समय के एनएवी के 3% भार पर होगा। यूनिटों की बिक्री के लिए संविदा स्वीकृति तिथि पर निर्णीत मानी जाएगी। बिक्री संविदा के इस प्रकार निर्णीत हो जाने पर, ट्रस्ट इसके बाद जितनी जल्दी संभव हो, आवेदक को इस आशय की लेखा विवरणी जारी करेगा। ट्रस्ट द्वारा पात्र संस्था,फर्म अथवा निगमित निकाय को जारी लेखा विवरणी पात्र संस्था,फर्म अथवा निगमित निकाय के नाम पर बनाई जाएगी। ट्रस्ट इस प्रकार भेजी गई लेखा विवरणी के खो जाने , क्षतिग्रस्त हो जाने, या गलत जगह पर पहुँच जाने या प्राप्त न होने के लिए उत्तरादायी नहीं होगा ।

ख) यूटीआई शाखा/कार्यालय या रजिस्ट्रार कार्यालय में दोपहर 2.00 बजे तक बिक्री / पुनर्खरीद के लिए प्राप्त एवं स्वीकार किए गए आवेदनों के संबंध में (कृपया III (1) देखें) लागू एनएवी उसी दिन की एनएवी होगी। दोपहर 2.00 बजे के बाद प्राप्त एवं स्वीकार किए गए सभी आवेदन, अगले कार्य दिवस के एनएवी द्वारा नियंत्रित होंगे।

ग) अपेक्षित कागजात के साथ गैर वैयक्तिक आवेदन केवल ट्रस्ट के कार्यालयों में ही स्वीकृत किए जाएंगे।

घ) ट्रस्ट आवेदन की स्वीकृति की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर लेखा विवरणी भेजेगा।

यूनिटों की पुनर्खरीद X(3)

पुनर्खरीद यथोचित रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर प्रभावी होगी।

पुनर्खरीद, पुनर्खरीद कंपोजिट सर्विसेज फार्म में दी गई पुनर्खरीद पर्ची/विधिवत् प्रभारित यूनिट प्रमाणपत्र के प्राप्त होने पर प्रभावी होगी।

यूनिटों की पुनर्खरीद X(6)	आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति होगी बशर्ते, यूनिटधारक न्यूनतम शेष रु. 5000/- (अंकित मूल्य) कायम रखे।	आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति है बशर्ते निवेशक पुनर्खरीद आवेदन की स्वीकृति की की तारीख को लागू पुनर्खरीद के आधार पर परिकलित प्रति फोलियो रु 5000/- का न्यूनतम शेष बरकरार रखे।
यूनिटों की पुनर्खरीद खंड X(9)	कोई प्रावधान नहीं।	एफआईआई के मामलों में पुनर्खरीद राशि विशेष अनिवासी रुपया खाते में या समय समय पर सेबी/आरबीआई द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार जमा कराए जाएंगे।
स्विचओवर XII	कोई प्रावधान नहीं।	i) इस योजना के अंतर्गत सदस्यों को अपने निवेश को अन्य इक्विटी योजना में एवं विलोमत: स्विच ओवर की अनुमति होगी जो ट्रस्ट द्वारा समय समय पर दी जाती है। इस तरह के मामले में वे लेखा विवरणी या विधिवत् हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, जमा करा कर स्विच ओवर के लिए आवेदन कर सकते हैं। ii) स्विच ओवर ट्रस्ट द्वारा किए गए निर्णयानुसार, एनएवी या एनएवी आधारित मूल्य पर होगा। iii) ट्रस्ट द्वारा समय समय पर की जाने वाली घोषणा के अनुसार इस योजना से अन्य इक्विटी योजना में एवं विलोमत: स्विच ओवर की अनुमति होगी बशर्ते निवेशक दोनों योजनाओं में न्यूनतम धारिता सीमा की शर्त का पालन करता हो। यूनिट प्रमाणपत्र / लेखा विवरणी को रद्द करने के लिए ट्रस्ट अपने पास रख लेगा एवं जैसा भी मामला हो, उसके अनुसार दोनों योजनाओं के लिए नई लेखा विवरणी जारी करेगा। iv) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54ईए/54ईबी के अंतर्गत कर में छूट के प्रयोजन से किए

		गए निवेश पर क्रमश: 3 एवं 7 वर्ष की अवरुद्ध अवधि से पूर्व स्विच ओवर की अनुमति नही होगी ।
बिक्री एवं पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन XII	ट्रस्ट जितना जल्दी संभव हो, बिक्री एवं पुनर्खरीद मूल्य को निर्धारण करने के बाद उन्हें प्रकाशन हेतु प्रेस को जारी करेगा।	XIII ट्रस्ट, बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य निर्धारित करने के बाद, इसे प्रकाशन के लिए दैनिक रूप से भेजेगा।
खाता विवरणी **खंड XIII के रूप में एक नया खंड जोड़ा जाएगा ।**	खंड XIII (**यूनिट प्रमाणपत्र का फार्म**) और खंड XV (**यूनिट प्रमाणपत्र के कट-फट जाने, विरूपित हो जाने, खो जाने आदि की स्थिति में प्रक्रिया**) के अंतर्गत विद्यमान प्रावधान को "खाता विवरणी" शीर्षकयुक्त नए खंड XIV से प्रतिस्थापित किया जाएगा।	1) ----/---/--- को व उसके पश्चात् बेचे गए यूनिटों हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने के 6 सप्ताह से पूर्व ट्रस्ट लेखा विवरणी जारी करेगा । 2) प्रत्येक सदस्य को नीचे दिए XXIV(क) व XXIV(ख) के अनुसार किसी भी अतिरिक्त पुनर्खरीद या आंशिक पुनर्खरीद या स्विचओवर या हस्तांतरण पर या निक्षेपागार विधि से धारित यूनिट का रीमैटिरियलाइजेशन करने पर प्रत्येक सदस्य को अद्यतन लेखा विवरणी भेजी जाएगी । 3) अनिवासी भारतीय लेखा विवरणी के प्रेषण हेतु निम्न में से किसी एक विधि का चयन कर सकते हैं i)आवेदक के भारतीय / विदेशी पते पर अथवा ii)अनिवासी भारतीय निवेशक के भारत में रिश्तेदार के पते पर 4) एफआईआई के मामले में लेखा विवरणी उनके वैश्विक अभिरक्षकों को या आवेदन में दिए गए पते पर भेजा जाएगा। 5) यदि सदस्य की इच्छा हो तो उसे लेखा विवरणी की जगह यूनिट प्रमाणपत्र जारी किए जाने के उसके अनुरोध के प्राप्त होने की तिथि से छ: सप्ताह के भीतर यूनिट प्रमाणपत्र भेजा जाएगा। 6) यूनिट प्रमाणपत्र एवं लेखा विवरणी दोनों ही निवेशक के योजना मे शामिल होने के वैध प्रमाण हैं

		लेखा विवरण / यूनिट प्रमाण पत्र के फट जाने, खराब हो जाने, खो जाने की स्थिति में दूसरा विवरण / प्रमाण पत्र जारी किया जाना उपरोक्त मामलों में साधारण निवेदन पर लेखा विवरणी जारी कर दी जाएगी।
यूनिटधारकों की पंजी XVI(6)	प्रावधान विद्यमान नहीं है।	उपरोक्त प्रावधान 'लेखा विवरणी' और 'सदस्य' से संबंधित यूनिटों पर यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होगा।
यूनिटधारकों द्वारा नामांकन XVIII	नामांकन सुविधा केवल व्यक्तियों के लिए अपनी ओर से अर्थात् अकेले या दो व्यक्तियों तक संयुक्त रूप से आवेदन करने पर उपलब्ध है। आवेदक एक व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। नाबालिग और अनिवासी भारतीय भी नामित किए जा सकते हैं। योजना के चालू रहने के दौरान आवेदक नामांकन में कभी भी परिवर्तन कर सकता है। परंतु यह भी कि नाबालिगों, हिंदू अविभक्त परिवारों, भागीदारी संस्थाओं, पात्र न्यासों, समितियों और निगमित निकायों की ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति नामांकन नहीं कर सकते। (2) रजिस्ट्रार ऐसे निर्देशों और योजना के प्रावधानों के अधीन निर्धारित फार्म जारी कर सकते हैं और उपरोक्त उपखण्ड (1) के अधीन निर्धारित फार्म में नामांकन स्वीकार कर सकते हैं और उसे पंजीकृत कर सकते हैं। वे ऐसे निर्देशों के अधीन ऐसे नामांकनों में विभिन्नता, संशोधन अथवा परिवर्तन और उनका पंजीकरण भी कर सकते हैं। अन्य प्रावधान विनियमों में किए गए प्रावधानों की सीमा तक होंगे।	i) नामांकन सुविधा केवल अपनी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति अर्थात् एकल या संयुक्त रूप से दो तक के लिए उपलब्ध है। ii) केवल एक व्यक्ति नामित किया जा सकता है। iii) अवयस्क अनिवासी भारतीय भी नामित किए जा सकते हैं। iv) अनिवासी भारतीय का नामांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाएगा। v) निवेश के जारी रहने के दौरान नामांकन में किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है। vi) आवेदक, जो नाबालिग की ओर से विधिक अभिभावक या माता-पिता है तथा पात्र संस्था, समिति, निगमित निकाय, एचयूएफ और भागीदारी फर्म को नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा। vii) अन्य प्रावधान विनियमों में उपलब्ध कराई गई सीमा तक रहेंगे। viii) सदस्य को सांविधिक नामांकन की सुविधा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा

		39ए के अंतर्गत उपलब्ध है। तदनुसार, जहां यूटीआई सामान्य विनियम, 1964 के अनुसार किसी यूनिट के संदर्भ में नामांकन किया गया है, सदस्य की मृत्यु के उपरांत यूनिट के संबंध में देय राशि पर नामिती का अधिकार होगा तथा किसी अधिकार, टाइटल, दावा तथा अन्य व्यक्ति के हित की शर्तों के अधीन या उपरोक्त यूनिटों के संदर्भ में ऐसे विनियमों में उल्लिखित एवं उपरोक्त यूनिटों के संदर्भ में किसी प्रभार या किसी भार ग्रस्तता की शर्त के अधीन नामिती को एक लेखा विवरणी जारी किया जाएगा। उपरोक्त अनुसार ट्रस्ट द्वारा किया गया भुगतान कथित यूनिटों के संदर्भ में सभी देयताओं से ट्रस्ट के लिए पूर्ण उन्मोचन होगा ।
सदस्य की मृत्यु **XIX (1) पहला अनुच्छेद**	यूनिटों के संयुक्त धारिता के मामले में प्रथम धारक की मृत्यु हो जाने पर ट्रस्ट द्वारा दूसरे नामित यूनिटधारक को योजना के यूनिटों के हकदार होने या उनके हिताधिकारी होने की मान्यता दी जाएगी।	यूनिटों की संयुक्त धारिता की स्थिति में प्रथम धारक की मृत्यु होने पर योजना की यूनिटों में दूसरे यूनिटधारक का हक या हित माना जाएगा। दोनों ही यूनिटधारकों की मृत्यु हो जाने पर योजना की यूनिटों में जीवित धारक का हक या हित माना जाएगा।
आय वितरण **XX**	क) सामान्यतः योजना के अंतर्गत कोई आय वितरण नहीं होगा। वृद्धि को शुद्ध आस्ति मूल्य में दर्शाया जाएगा। हालांकि ट्रस्ट के पास भविष्य में आय वितरण का अधिकार सुरक्षित है। ख) जब कभी आय का वितरण किया जाएगा, निवेशकों को दो विकल्प होंगे - i) आय विकल्प : योजना के अंतर्गत घोषित आय वितरण यूनिटधारकों को वितरित किया जाएगा। ii) पुनर्निवेश विकल्प : पुनर्निवेश विकल्प के अंतर्गत घोषित आय वितरण का ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूनिटों में पुनर्निवेश किया जाएगा। यूनिओ का भिन्न	क) यद्यपि चूंकि इस योजना का उद्देश्य संवृद्धि है, फिर भी ट्रस्ट, योजना के अंतर्गत आय पर निर्भर करते हुए समय समय पर आय वितरण घोषित कर सकता है। ख) ऐसे सदस्य जिनके नाम, आय वितरण घोषित करने से पूर्व बही बंद करने पर पंजीकृत होंगे वे योजना के अंतर्गत वितरित आय प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे । ग) जहां ईसीएस की सुविधा है वहां इस योजना के अंतर्गत आय वितरण ईसीएस के माध्यम से या ट्रस्ट द्वारा पूर्व भुगतान के लिए की गई व्यवस्था वाले विनिर्दिष्ट बैंक/बैंकों की शाखाओं पर भुनाए जाने वाले चेक या वारंट के माध्यम से किया

में दशमलव के तीन स्थानो तक आबंटन किया जाएगा।

तदनुसार यूनिटधारक को एक लेखा विवरणी भेज कर उसकी यूनिटधारिता की स्थिति की उसे सूचना दी जाएगी।

ग) यूनिटधारकों को आय वितरण वारंटों का प्रेषण आय वितरण की घोषणा के 42 दिनों के भीतर किया जाएगा।

घ) ऐसे यूनिटधारक जिनके नाम योजना द्वारा आय वितरण की घोषणा से पूर्व रजिस्टर की बंदी के समय रजिस्टर में दर्ज हो, इस प्रकार घोषित आय प्राप्त करने के हकदार होंगे।

ङ) वितरित आय का भुगतान यूजीएस 10000 द्वारा अपने बैंकों पर आहरित चेक या आय वितरण वारंट द्वारा या ईसीएस के माध्यम से
किया जाएगा।

निवेशकों का बैंक विवरण

निवेशकों के लिए आवेदन पत्र में उचित स्थान पर बैंक का पूरा ब्यौरा जैसे खाता की प्रकृति, खाता संख्या, निवेशक का नाम और उसका बैंक ब्यौरा देना जरूरी है। ऐसी स्थिति में चेक निवेशक के नाम से बना कर उसके खाते में जमा किए जाने के लिए भेज दिए जाएंगे।

बैंक विवरण रहित कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा :

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने समाशोधन गृह के जरिए एक नई अवधारणा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) आरंभ की है जिससे कागज के लिखतों को जारी करने तथा उनको संभालने की आवश्यकता का निराकरण किया जाए और इस प्रकार ग्राहक सेवा में सुधार करके उसे सुविधाजनक बनाया जा सके। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशक से अपेक्षित है कि वह ईसीएस हेतु अपना अधिदेश आवेदन पत्र में दिए गए

जाएगा।

घ) यदि आय वितरण की घोषणा की जाती है, तो आय वितरण वारंटों का प्रेषण आय वितरण की घोषणा किए जाने की तिथि से 42 दिनों के भीतर किया जाएगा।

ङ) वितरित आय का पुनर्निवेश :

सदस्य,योजना द्वारा घोषित आय वितरण,यदि कोई हो,का और यूनिटों में निवेश के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर उनकी यूनिटधारिता पर सम्पूर्ण आय,कर कटौती के पश्चात् ,यदि कोई हो, उपरोक्त खण्ड IX (ग) में बताए गए अनुसार सदस्य को भुगतान करने के बजाए,एनएवी पर योजना की ओर यूनिटों में पुनर्निवेशित की जाएगी और उसके फोलियो में जमा की जाएगी। इस प्रकार जमा किए जाने के बाद एक नई लेखा विवरणी जारी की जाएगी।

घ) निवेशकों के बैंक विवरण और *इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा :*

i) आय वितरण वारंटों/पुनर्खरीद चेकों/परिपक्वता चेकों के कपटपूर्ण तरीके से भुनाने से बचने के लिए सेबी ने निवेशकों के हित में आवेदन पत्र में उपयुक्त स्थान पर बैंक ब्यौरे देना अनिवार्य कर दिया है। बैंक ब्यौरे के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तदनुसार,नीचे मद (i) (ख) में दिए गए ग्यारह शहरों में न रहने वाले आवेदकों से निवेदन किया जाता है कि वे रिकार्ड हेतु आवेदन पत्र तथा पावती रसीद के उपयुक्त स्थान पर अपने बैंक खाते (अर्थात खाते का प्रकार,खाता संख्या और बैंक का नाम) का पूरा ब्यौरा दें। तब आय वितरण वारंट/पुनर्खरीद चेक,इस प्रकार निर्दिष्ट बैंक ब्यौरे के साथ खाते में जमा करने के लिए

प्रारूप के अनुसार उसमें सभी विवरण पूरा करके प्रस्तुत करें। इससे ट्रस्ट को निवेशक के संबंधित बैंक खाते में आय की राशि अतिशीघ्र जमा करने में सहायता मिलेगी ।

जो आवेदक यह सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं वे आवेदन पत्र में अपने बैंक का नाम और पता, खाते का प्रकार और नंबर, 9 अंकों वाली बैंक एवं शाखा कूट संख्या इत्यादि भरें।

यद्यपि इस सुविधा का लाभ प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।

यदि इस सुविधा पर मिली प्रतिक्रिया इसके संचालन हेतु पर्याप्त नहीं है या कोई अन्य कारण से इसका संचालन नहीं किया जा सके तो "ईसीएस" के अंतर्गत आय का भुगतान करने के बजाय ट्रस्ट उपरोक्तानुसार आय वारंट जारी करके आय की अदायगी कर सकता है।

सदस्य के नाम जारी कर उसे भेजे जाएंगे।

ii) वर्तमान में ईसीएस सुविधा मुंबई/कलकत्ता/चेन्नई/नई दिल्ली/ अहमदाबाद/बड़ौदा/पुणे/भुवनेश्वर/बंगलोर / हैदराबाद और जयपुर में रहने वाले निवेशकों को संबंधित केन्द्रों पर उनके बैंक खाते में सीधे क्रेडिट के लिए उपलब्ध कराई गई है और जहां एकल लिखत की राशि रु. 5,00,000 से अधिक न हो। निवेशकों को उनके बैंक खाते में क्रेडिट के ब्यौरे देते हुए एक विवरणी दी जाएगी।

iii) निवेशक की बैंक शाखा उसके खाते में जमा करेगी और जमा प्रविष्टि को पास बुक/बैंक खाते की विवरणी में 'ईसीएस' से निर्दिष्ट करेगी। आवेदक से अनुरोध किया जाता है कि वह आवेदन पत्र में अपने बैंक का नाम और पता, खाते का प्रकार और संख्या, 9 अंकों वाली बैंक एवं शाखा एमआईसीआर कोड संख्या का विवरण दें।

iv) यदि इस सुविधा पर मिली प्रतिक्रिया इसके संचालन हेतु पर्याप्त नहीं है या कोई अन्य कारण से इसका संचालन नहीं किया जा सके तो "ईसीएस" के अंतर्गत आय का भुगतान करने के बजाय ट्रस्ट उपरोक्तानुसार आय वारंट जारी करके आय की अदायगी कर सकता है।

छ) एनआरआई/ ओसीबी निवेशकों को आय वितरण

एनआरआई/ ओसीबी निवेशकों को आय वितरण विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुसार अदा किया जाएगा। आय के भुगतान की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

i) वारंट सदस्य के नाम जारी किया जा सकता है तथा सदस्य के

एनआरई/एनआरओ खाते में जमा करने के लिए उसके किसी ऐसे रिश्तेदार को भेजा जा सकता है जो भारत का निवासी हो, जैसा भी मामला हो।

अथवा

ii) वारंट किसी ऐसे रिश्तेदार के नाम जारी किया जा सकता है जो भारत का निवासी है तथा उसके खाते में जमा करने के लिए उसे भेजा जाएगा।

(ज) ईसीएस सुविधा उन एनआरआई निवेशकों को भी उपलब्ध है जिनका मुंबई में अपना स्वयं का बैंक खाता है। वे एनआरआई निवेशक जो अपने निवासी रिश्तेदार के खाते में आय वितरण क्रेडिट करना चाहते हैं ईसीएस सुविधा उप खण्ड IX (ङ) (ii) में दर्शाए स्थानों पर उन्हें भी उपलब्ध हो सकती है।

इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन XXI	वर्तमान प्रावधानों को अनुबंध III के मद संख्या 6 में दिए गए प्रावधानों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।	अनुबंध III की मद सं.6 का संदर्भ लें।
शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का अभिकलन और प्रकटीकरण XXII	योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के उपबंधों और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा। प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जाएगा। अभिदान बंद होने के छः माह के भीतर और उसके बाद साप्ताहिक आधार पर शुद्ध आस्ति मूल्य (पूर्ववर्ती आधार पर) समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा।	योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के उपबंधों और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा। प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जाएगा। एनएवी दैनिक आधार पर प्रकाशन हेतु प्रेस को जारी किया जाएगा। ट्रस्ट ने बाकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति दे कर 29 नवंबर 1999 से परवर्ती आधार पर एनएवी की घोषणा शुरू की है।
योजना के प्रयोजनार्थ ट्रस्टों को स्वीकृति और मान्यता नहीं दिया जाना XXIII		खंड XXIII के अंत में निम्नलिखित वाक्य को जोड़ा जाएगा -- " उपरोक्त प्रावधान 'लेखा विवरणी' और 'सदस्य' द्वारा बताए गए यूनिटों पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।"
यूनिटों का अंतरण/गिरवी रखा जाना/समनुदेशन XXIV	इस योजना के अंतर्गत यूनिटों के अंतरण/गिरवीकरण/समनुदेशन की अनुमति प्रारंभिक पेशकश अवधि की समाप्ति से छः महीने बाद दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत जारी तथा बकाया सभी यूनिट निम्न शर्तों के अधीन, मुक्त रूप से अंतरणीय होंगे : (क) इस योजना के	योजना के अंतर्गत जारी की गई और बकाया सभी यूनिटें 22/02/2000 से अंतरणीय हैं। **अंतरण की सुविधा - इस पेशकश दस्तावेज के अनुसरण में जारी की गई यूनिटें.** निम्नलिखित अपवाद की शर्त के अधीन सदस्यों को सदस्यों को जारी की गई लेखा विवरणी के अंतर्गत जारी की गई यूनिट अंतरणीय नहीं है चूंकि योजना एक इंटरवल फंड है, यूनिटें नियमित आदार पर एनएवी आधारित मूल्य/ एनएवी पर

प्रावधानों के अनुसार जारी यूनिट प्रमाणपत्र परक्राम्य है और जैसा कि इस योजना के प्रावधानों के खण्ड IV में उल्लेख किया गया है इसे व्यक्तिगत, व्यक्त या अन्य श्रेणियों को अंतरित किया जा सकता है।

इस योजना के अंतर्गत अंतरण विलेख की स्वीकृति एवं यूनिटधारक का अंतरिती के रूप में प्रवेश पूर्णतः न्यास के अधिकार के अधीन होगा।

(ख) यूनिटधारण करने की क्षमता रखनेवाले अंतरणकर्ता और अंतरिती के द्वारा और बीच अंतरण प्रभावकारी होगा। किसी अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए योजना बाध्य नहीं होगा।

(ग) संबंधित यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ अंतरण दस्तावेज तथा ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क इस कार्य हेतु नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(घ) ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत या कार्यालय द्वारा स्वीकृत अंतरण संलेख नजदीक के रजिस्ट्रार के कार्यालय में अग्रेषित किए जाएंगे।

(ड.) प्रत्येक अंतरण लिखत पर अंतरणकर्ता तथा अंतरिती के हस्ताक्षर होंगे और रजिस्ट्रार द्वारा अंतरिती का नाम धारकों के रजिस्ट्रर में दाखिल करने तक अंतरणकर्ता को ही यूनिट का धारक समझा जाएगा।

(च) अंतरणकर्ता के स्वस्वाधिकार या उसके यूनिटों का अंतरण करने के अधिकार के समर्थन में रजिस्ट्रार ऐसा कोई सबूत मांग सकते हैं जो उन्हें

बिक्री पुनर्खरीद के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि यदि कोई व्यक्ति कानूनी मान्यता के द्वारा या गिरवीकरण (जैसा कि नीचे 'ग' में दिया गया है)लागू होने के कारण या मृत्यु, दिवालियापन या संयुक्त धारक के समाप्त होने के कारण यूनिटों का धारक हो जाता है तो ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए जाने पर यदि इच्छुक अंतरिती अन्यथा यूनिट धारण करने के लिए पात्र है तो ट्रस्ट ऐसे अंतरण को लागू करेगा।

ख) यूनिटों का गिरवीकरण / समनुदेशन : सदस्य ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों अन्य वित्तीय संस्थानों के पक्ष में यूनिटों को गिरवी रख सकते हैं/उनका समनुवेशन कर सकते हैं। ट्रस्ट द्वारा अपेक्षित निर्धारित फार्म भर कर / औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यूनिटों को गिरवी रखा जा सकता है।

ट्रस्ट गिरवी रखे गए यूनिटों के विरूद्ध गिरवी/प्रभार/लियन रिकार्ड करेगा। गिरवी रखने वाला इस प्रकार गिरवी रखे गए यूनिटों को तब तक नहीं भुना सकता है जब तक कि वे बैंक/वित्तीय संस्थान जिनके पास यूनिटें गिरवी रखी गई हैं ट्रस्ट को इस बात के लिए लिखित रूप से अधिकृत करें गिरवी प्राप्त करने वाले बैंक/वित्तीय संस्थानों को ऐसी यूनिओं को भुनाने का पूरा अधिकार होगा।

आवश्यक लगे।

(छ) यदि यूनिट प्रमाणपत्र खो गया हो, चुरा लिया गया हो, नष्ट हो गया हो तो कुछ अपेक्षाओं, जिन्हें रजिस्ट्रार जरुरी समझे को पूरा करने के बाद मूल यूनिट प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के संबंध में रजिस्ट्रार छूट देंगे।

(ज) यूनिटों के अंतरण का पंजीकरण होने पर अंतरण के सभी लिखत और यूनिट प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार के पास रहेंगे।

(झ) अंतरण को मान्यता देने तथा पंजीकृत करने वाले रजिस्ट्रार, उक्त अंतरण एवं प्रमाणपत्रों तथा वारंटों को जारी करने के संबंध में देय प्रभारों की अदायगी तथा वसूली के बाद, मूल या नया यूनिट प्रमाणपत्र अंतरिती को जारी करेंगे।

(ञ) यदि कोई अंतरिती अधिकारिक क्षमता के कारण विधि के परिचालन से या गिरवी लागू होने पर अनुसूचित बैंक यूनिटों का धारक बन जाता है तो इच्छुक अंतरिती यूनिटों के धारण के लिए अन्यथा पात्र होने पर रजिस्ट्रार ऐसे साक्ष्य जिसे पर्याप्त समझें, के प्रस्तुतीकरण के अधीन अंतरण प्रभावी करेंगे।

(ट) इसमें ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट अंतरण को पंजीकृत करेगा और यूनिट प्रमाणपत्र दाखिल करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अंतरिती को लाभांश वारंट, यदि कोई हो, सहित यूनिट प्रमाणपत्र अंतरण संबंधी सभी लिखतों के साथ वापस करेगा।

निवेश उद्देश्य एवं नीतियां XXV (i) से (viii)	निवेश उद्देश्य एवं नीतियां तथा अंतर योजना अंतरण के संबंधमें वर्तमान प्रावधानों को अनुबंध III की मद सं.2 और 4 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों से प्रतिस्थापित किया जाएगा। तथापि, ऊपर खण्ड XX, XXI और XXIV के संबंध में किसी भी बात के होते हुए, आस्तियों का मूल्यांकन, शुद्ध आस्ति मूल्य का अभिकलन, पुनर्खरीद मूल्य और उनके प्रकटीकरण का अंतराल सेबी द्वारा समय-समय पर जारी सेबी (एमएफ) विनियमों के प्रावधानों/दिशा निर्देशों और निदेशों के अनुसरण में होगा।	अनुबंध III की मद संख्या 2 और 4 का संदर्भ लें। तथापि, खण्ड XX, XXI एवं खण्ड XXIV के संबंध में किसी बात के बावजूद निवेश नीतियां, एनएवी का निर्धारण, आस्तियों का मूल्यांकन, पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण तथा एनएवी, पुनर्खरीद मूल्य व पोर्टफोलियो के प्रकटीकरण का अंतराल समय-समय पर सेबी द्वारा जारी सेबी (एमएफ) विनियमों/दिशानिर्देशों/निदेशों के प्रावधानों के अनुसार होगा।
योजना में परिवर्धन और संशोधन XXIX	बोर्ड समय-समय पर इस योजना में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किये गये परिवर्धन/संशोधन की अधिसूचना सरकारी राजपत्र में की जाएगी। किसी संशोधन के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा। जब योजना की मूल विशेषताओं या ट्रस्ट या शुल्क या देय प्रभारों में या अन्य कोई ऐसा परिवर्तन किया जाना हो जिससे योजना परिवर्तित हो जाए या सदस्यों के हितों पर प्रभाव पड़े तो ऐसे परिवर्तन करने के लिए कम से कम तीन-चौथाई यूनिटधारकों की सहमति ली जाए : परन्तु यह कि तब तक ऐसा कोई परिवर्तन न किया जाए जब तक तीन-चौथाई सदस्यों ने अपनी सहमति न दे दी हो और जो अपनी सहमति न दें उन्हें योजना से अपनी धारिताएं मोचित करने की अनुमति है। व्याख्या : इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "मूल विशेषताओं" का अर्थ है निवेश उद्देश्य, तथा योजना की शर्तें।	निम्नलिखित रूप से हटाया और संशोधित किया जाएगा : 2. मूलभूत विशेषताएं क) "मूलभूत विशेषताओं" का अर्थ निम्नलिखित है। i) योजना का प्रकार : यूनिट ग्रोथ इक्विटी स्कीम 10000 एक इक्विटी योजना है। ii) निवेश उद्देश्य : जैसा कि इस पेशकश दस्तावेज के खंड XXV (क) (ख) के अंतर्गत बताया गया है। iii) निर्गम की शर्तें : पुनर्खरीद एवं व्यय के संबंध में इस पेशकश दस्तावेज में प्रावधान है। ख) योजना की मूलभूत विशेषताओं में कोई भी परिवर्तन किया जाएगा यदि (i) यदि वर्तमान सदस्यों को व्यक्तिगत पत्र के माध्यम सूचित

किया जाए।

(ii) अखिल भारतीय परिचालन वाले एक अंग्रेजी दैनिक और एक मराठी दैनिक में विज्ञापन दिया जाए।

(iii) सदस्यों को बिना किसी निकासी प्रभार के लागू एनएवी पर योजना से बाहर निकलने की अनुमति दी जाए।

ग) बोर्ड समय-समय पर योजना में परिवर्धन या अन्यथा उसमें संशोधन कर सकता है तथा ऐसा कोई संशोधन/परिवर्धन सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा जैसा कि यूटीआई अधिनियम 1963 की धारा 21(4) के अनुसार आवश्यक है।

घ) योजना की मूलभूत विशेषताओं में कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन सेबी के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा। अन्य परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन के मामले में जो मूलभूत विशेषताओं में संशोधन न हों और जो यूनिटधारकों के हितों को प्रभावित नहीं करते हों, सेबी की जानकारी में लाए जाएंगे।

यूनिटधारकों को लाभ XXXIV	योजना की समाप्ति के समय पूंजी, प्रारक्षित निधि और अधिशेष के संबंध में योजना में उपचित सभी लाभ केवल उन्हीं यूनिटधारकों को प्राप्त होंगे जो योजना की समाप्ति तक पूरी अवधि के लिये यूनिट के धारक रहे हों।	योजना के बंद होने के समय पूंजी, प्रारक्षित एवं अधिशेष, यदि कोई हो, के संबंध में योजना के अंतर्गत उपचित योजना के सभी लाभ केवल उन्हीं यूनिटधारकों को उपलब्ध होंगे जो योजन की पूर्ण अवधि के दौरान योजना के बंद होने तक यूनिटों को धारण करते हैं।
	योजना के यूनिटधारकों का अनुमोदन निम्नलिखित परिस्थितियों में मांगा जाएगा : (i) यूनिटधारकों के हित में जब कभी सेबी द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित हो, या (ii) योजना के तीन-चौथाई यूनिटधारकों द्वारा जब कभी मांग करने पर ऐसा किया जाना आवश्यक हो, (iii) जब न्यासियों ने बहुमत से समाप्त करने का निर्णय लिया हो या यूनिटों का समयपूर्व प्रतिदान किया जाए ; या, (iv) जब कोई परिवर्तन योजना के खण्ड XXIX में उल्लिखित मूलभूत विशिष्टताओं में या शुल्क और देय व्यय में किया जाना हो या अन्य कोई परिवर्तन जिससे योजना संशोधित होता हो या यूनिटधारकों का हित प्रभावित होता हो, तो ऐसा प्रस्तावित परिवर्तन तब तक न किया जाए जब तक तीन-चौथाई यूनिटधारकों की सहमति न ले ली	**इन्हें हटा दिया जाए क्योंकि इन्हें 'मूलभूत विशेषताएं' शीर्षकयुक्त संशोधित खंड XXIX / 'योजना की समाप्ति' शीर्षकयुक्त खंड XXX में शामिल कर लिया गया है।**

जाए।

लागू कर कानून	वर्तमान प्रावधानो को अनुबंध III के मद संख्या 8 में दिए गए अद्यतन प्रावधानों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।	अनुबंध III की मद स.8 का संदर्भ लें।
अभिरक्षक एवं लेखापरीक्षक	वर्तमान प्रावधानों को अनुबंध III के मद संख्या 11 और 12 में दिए गए अद्यतन प्रावधानों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।	अनुबंध III की मद सं.11 और 12 का संदर्भ लें।
निवेशकों के अधिकार एवं सेवाएं	**यूनिटधारकों के अधिकार** 1. योजना के अधीन यूनिटधारक को योजना की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा योजना द्वारा घोषित आय में समानुपातिक अधिकार है। 2. यूनिटधारक को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव रखती हो तथा यूनिटधारक को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे। 3. आय की घोषणा यदि कोई हो, किए जाने के 42 दिनों के भीतर यूनिटधारक आय वारंट के प्रेषित किए जाने के हकदार हैं। 4. यूनिटधारकों को 30 दिनों की अवधि के भीतर यूनिट अंतरित करवाने का अधिकार है। 5. यूनिटधारक को यूनिट ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद किए गए यूनिटों के लिए स्वीकृति के तिथि के बाद 10 कार्यकारी दिवसों के भीतर भुगतान पाने का अधिकार है बशर्ते की पुनर्खरीद आवेदन सेबी (एमएफ) विनियम 1996 के विनियम 53(ख) के अंतर्गत	**निवेशकों के अधिकार एवं सेवाएं** **1.** योजना के अधीन सदस्यों को योजना की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा योजना द्वारा घोषित आय में समानुपातिक अधिकार है। **2.** सदस्यों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशो पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो तथा सदस्यों को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे। **3.** सदस्यों को स्वीकृति तिथि से छः सप्ताह के भीतर लेखा विवरणी जारी किए जाने का अधिकार है। **4.** सदस्यों को अधिकार है कि जिस कार्यालय में पुनर्खरीद अनुरोध संसाधित किए जाते हैं वहां आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर (बशर्ते आवेदन सही हो) पुनर्खरीद प्राप्तियां उन्हें भेजी जाएं। **5.** आय वितरण के मामले में, सदस्यों को यह अधिकार है कि आय वितरण वारंट आय वितरण की घोषणा किए जाने की तिथि से 42 दिनों के भीतर उन्हें भेजे जाएं। **6.** सभी सदस्यों को यूजीएस 10000

विनिर्दिष्ट अनुसार हो।

6. यूनिटधारक को "निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज" शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है।

के संदर्भ में संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट संबद्ध लेखा वर्ष की समाप्ति की तिथि से छः माह के भीतर भेजी जाएगी एवं संपूर्ण वार्षिक रिपो निरीक्षण के लिए ट्रस्ट के केंद्रीय निवेशक संपर्क कक्ष में उपलब्ध कराई जाएगी एवं इसकी एक प्रति सदस्यों को न्यूनतम शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

6. योजना की मूलभूत विशेषताओं में किसी तरह का परिवर्तन योजना के कम से कम तीन-चौथाई सदस्यों की स्वीकृति से ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मूलभूत विशेषताओं में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में, जो अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं उन्हें योजना में अपनी धारिताएं उन्मोचित करने की अनुमति होगी।

7. निर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत सदस्यों का अनुमोदन 'पोस्टल बैलट' के जरिए मांगा जाएगा।

9. सदस्यों को केन्द्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट द्वार नं. 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुंबई-400 020 में रखे निम्नलिखित दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार है :

* यूटीआई अधिनियम
* सामान्य विनियमावली
* अभिरक्षक, रजिस्ट्रार और आदाता बैंकों के साथ किए गए करार
* यूजीएस 10000 के पेशकश दस्तावेज की प्रति

अंतरयोजना अंतरण	अनुबंध III की मद सं.4 के अनुसार नए प्रावधानों को जोड़ा गया।	**अनुबंध III की मद संख्या 4 का संदर्भ लें।**
संयुक्त सौदे एवं उधार	अनुबंध III की मद सं.5 के अनुसार नए प्रावधानों को जोड़ा गया।	**अनुबंध III की मद संख्या 5 का संदर्भ लें।**
निवेशकों की शिकायतें	विद्यमान सूचनाओं को अद्यतन किया गया।	
जुर्माना/लंबित मुकदमा या कार्यवाही, निरीक्षणों या जांच-पड़तालों से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष	कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।	**अनुबंध III की मद संख्या 14 का संदर्भ लें।**

XXXV

निवेशों का कर निरूपण	अनुबंध III की मद सं.8 के अनुसार नए प्रावधानों को जोड़ा गया।	**अनुबंध III की मद संख्या 8 का संदर्भ लें।**
अभिरक्षक एवं लेखा-परीक्षक	अनुबंध III की मद सं.11 और 12 के अनुसार विद्यमान सूचनाओं को अद्यतन किया गया।	**अनुबंध III की मद संख्या 11 और 12 का संदर्भ लें।**
संक्षिप्त वित्तीय सूचनाएं	आंकड़ों को अद्यतन किया गया।	

अनुबंध II

यूजीएस 10000 -- प्रावधानों को हटाया गया।

खंड संख्या	वर्त्तमान प्रावधान	टिप्पणी
प्रबंधन के विचार से जोखिम के तत्व	ट्रस्ट 33 वर्षो से अधिक समय से कार्यरत है और इसने 5 करोड़ से अधिक निवेशकों से लगभग 58,000/- करोड़ रुपये की निधियों के प्रबंधन में निपुणता हासिल की है।	हटाया गया क्योंकि सेबी के वर्त्तमान नियमों के तहत इस प्रकार का प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।
यूनिट प्रमाणपत्र का फार्म XIII	यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट के कार्यपालक निदेशक द्वारा निर्णीत रूप के अनुसार होगा। प्रत्येक प्रमाणपत्र पर विभेदक संख्या, प्रमाणपत्र द्वारा प्रतिनिधित्व यूनिटों की संख्या और यूनिटधारक का नाम हो	हटाया गया।
यूनिट प्रमाणपत्र तैयार करने की रीति XIV	यूनिट प्रमाणपत्र जैसा बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करेगा, यूनिट प्रमाणपत्र उत्कीर्ण या लिथोग्राफ या मुद्रित किया जाएगा और यूनिट ट्रस्ट द्वारा विधिवत् रूप से अधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा, ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरित होगा। ऐसा प्रत्येक हस्ताक्षर, स्वहस्ताक्षरित होगा या किसी यांत्रिक विधि से लगाया गया होगा। कोई भी यूनिट प्रमाणपत्र जब तक इस रूप में हस्ताक्षरित न हो, वैध नहीं होगा। इस प्रकार हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र वैध और बाध्यकारी होगा भले ही उसके जारी होने से पहले कोई व्यक्ति जिसका हस्ताक्षर उस पर है, यूनिट ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति न रहा हो। किंतु यदि इस रूप में तैयार किए गए यूनिट प्रमाण पत्र में किसी प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर है जो प्रमाणपत्र जारी होने के समय मृत है तो ट्रस्ट किसी तरीके से जिसे वह सर्वोत्तम समझता है, प्रमाणपत्र पर विद्यमान उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर को निरस्त कर सकता है और उस पर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर करवा सकता है। इस रूप में जारी यूनिट प्रमाणपत्र भी वैध होंगे।	हटाया गया क्योंकि यूनिट प्रमाणपत्र को लेखा विवरणी से प्रतिस्थापित किया गया है।
उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार XXXI	योजना के किसी भी उपबंध की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि उस समय कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यपालक न्यासी को योजना के उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार होगा। ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाला या योजना की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चायक, बाध्यकारी और अंतिम होगा।	हटाया गया ; क्योंकि यह शक्ति न्यासी मंडल में निहित है और इसे मूलभूत विशेषताओं में शामिल किया गया है।

उपबंधों में ढील **XXXII**	केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना के निर्बाध और सहज संचालन के लिए किसी भी यूनिटधारक या यूनिटधारकों के वर्ग के मामले में ऐसी शर्तो के अधीन योजना के किसी भी उपबंध में ढील दे सकता है । जो कि सेबी की सूचना के अंतर्गत युक्तियुक्त समझी जाएं। पेशकश दस्तावेज में कोई परिवर्तन सेबी के पूर्व अनुमोदन के बाद और विनियमों के निबंधनों के अनुरूप ही किया जाएगा।	हटाया गया।

अनुबंध III

यूजीएस 10000

क्र.सं.	मानक पेशकश दस्तावेज द्वारा अपेक्षित अंतर्वेश
1.	*विषय वस्तु :* मानक पेशकश दस्तावेज के अनुसार सारणी "विषय वस्तु" का अंतर्वेश किया गया
	3. निवेश नीतियां (i) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिया जाएगा। (ii) ट्रस्ट प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय सुपुर्दगियों के आधार पर करेगा और खरीद के सभी मामलों में संबंधित प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेगा और बिक्री के सभी मामलों में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी करेगा और किसी भी मामले में खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालेगा जिससे इसे मंदड़िया बिक्री करनी पड़े या सौदे का वायदा (कैरी फॉरवर्ड) करना पड़े या बदला वित्त में लिप्त होना पड़े । (iii) ट्रस्ट खरीदी गई प्रतिभूतियों का अंतरण ट्रस्ट के नाम करवाएगा। (iv) आवश्यक प्राधिकार प्राप्त होने के अधीन, ट्रस्ट, उचित परिस्थितियों में योजना की निवेश नीति, जोखिम को रोकने या कम से कम करने के उद्देश्य के लिए, समय-समय पर सेबी द्वारा निर्धारित, ऐसी तकनीकों और लिखतों जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शन्स और अन्य डेरिवेटिवों का लागू विनियमों और प्रति-पक्षी जोखिम मूल्यांकन के अधीन, प्रयोग करेगा। (v)क) सेबी द्वारा घोषित प्रतिभूति उधार देने वाली योजना की शर्तों के अनुसार, योजना स्टॉक उधार देने के कार्यक्रम में सहभाग करेगी। यह कार्य किसी अनुमोदित बिचौलिए के जरिए किया जाएगा। ख) किसी भी समय स्टॉक उधार दिए जाने पर किसी एकल बिचौलिए को योजना का अधिकतम उधार,योजना के इक्विटी पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत अथवा वह सीमा होगी जिसे सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए । ग) यदि म्यूचुअल फंडों और ट्रस्ट को स्टॉक उधार लेने की अनुमति दी जाती है तो योजना इस संबंध में सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार उचित परिस्थितियों में स्टॉक उधार ले सकेगी। (vi)योजना, विदेशी कंपनियों द्वारा जारी की गई तथा विदेश में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में अथवा भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेशकों को जारी की गई प्रतिभूतियों तथा विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध ऐसे निर्गमों में सीधे अभिदान करके अथवा सेबी/आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए खरीद करके निवेश कर सकेगी।

	(vii) योजना इनमें से किसी में निवेश नहीं करेगी ; क) ट्रस्ट की समूह या सहायक कंपनी की कोई असूचीबद्ध प्रतिभूति ; या (ख) ट्रस्ट की समूह या सहायक कंपनी द्वारा निजी नियोजन के माध्यम से जारी की गई कोई प्रतिभूति; या ग) ट्रस्ट की समूह कंपनियों की सूचीबद्ध प्रतिभूतियां जो ट्रस्ट की सभी योजनाओं की शुद्ध आस्तियों के 25% से अधिक हों। (viii) योजना की प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए शेयर-दलाली फर्म और यूटीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था यूटीआई सिक्यूरिटीज़ एक्सचेंज लिमिटेड (यूटीआई-एसईएल) की सेवाएं ली जा सकती हैं जो नीतियों के अनुसार हों और ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा तय की गई सीमाओं के अधीन हों। यूटीआई एसईएल 1994 में स्थापित की गई थी। इसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है। (ix) योजना किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों या इक्विटी संबद्ध लिखतों में एनएवी के 10% से अधिक निवेश नहीं करेगी।
3.	***ट्रस्ट की योजनाओं में कार्पोरेट निवेश और इन कंपनियों में ट्रस्ट का निवेश दिखाने वाली सारणी को 'मानक पेशकश दस्तावेज ' के अनुसार जोड़ दिया गया।***
4.	**अंतर योजना अंतरण** इस योजना से ट्रस्ट की दूसरी योजना/प्लान में तथा दूसरी योजना/प्लान से इस योजना में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब - क) उधृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पॉट आधार पर किए गए हों। *स्पष्टीकरण :* "स्पॉट आधार" का अर्थ वही होगा जो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्पॉट सौदों के लिए निर्दिष्ट है। ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनमें ऐसे अंतरण किए जाते हैं; और ग) प्लान से/में असूचीबद्ध या अनोद्धृत निवेश का ट्रस्ट की अन्य योजना/प्लान में/से अंतरण ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

5.	संयुक्त सौदे एवं उधार 1. योजना, यूनिटों की पुनर्खरीद/ प्रतिदान या सदस्यों को आय का वितरण, यदि कोई हो, करने के उद्देश्य से योजना की अस्थाई नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने के अलावा उधार नहीं लेगी। परन्तु उधार, योजना की शुद्ध आस्ति के 20% से अधिक नहीं लिया जाएगा और इस तरह के उधार की अवधि छ: माह से अधिक नहीं होगी। 2. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 20 के अनुसार ट्रस्ट को निम्नलिखित उधार लेने की शक्तियां प्राप्त हैं : (i) ट्रस्ट, भारत या भारत से बाहर के किसी प्राधिकरण या व्यक्ति, जो सरकार या रिज़र्व बैंक न हो, से ऐसी प्रतिभूति के प्रति एवं ऐसी शर्तों एवं परिस्थितियों पर जिस पर वे आपस में सहमत हों, उधार ले सकता है। (ii) ट्रस्ट रिज़र्व बैंक से उधार ले सकता है - (क) भारत में इस समय लागू किसी कानून द्वारा जिससे न्यासी ट्रस्ट का धन निवेश करने हेतु प्राधिकृत है, स्टॉक, निधियों एवं प्रतिभूतियों के प्रति (अचल संपत्तियों के अतिरिक्त) मांग पर या नियत अवधि की समाप्ति पर प्रतिदेय जो इस प्रकार ली गई राशि की तिथि से नब्बे दिन से अधिक न हो ; (ख) केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से बांडों की प्रतिभूति के प्रति, जिसे ट्रस्ट जारी कर सकता है, मांग पर या जिस तिथि से ऐसी राशि उधार ली गई है, उस तिथि से अठारह महीनों की अवधि के भीतर प्रतिदेय है; (ग) प्रथम यूनिट योजना के अतिरिक्त किसी अन्य योजना के प्रयोजन हेतु जिसे इस संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है ट्रस्ट की ऐसी अन्य संपत्तियों की प्रतिभूति के प्रति या ऐसी शर्तों एवं नियमों पर : बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत उधार ली गई कोई राशि एवं किसी एक समय पर बकाया राशि - (क) ऐसी प्रत्येक योजना के संबंध में पांच करोड़ रुपए से ज्यादा न हो ; एवं (ख) समग्र रूप से ऐसी समस्त योजनाओं के संबंध में दस करोड़ रुपए से अधिक न हो । (iii) ट्रस्ट द्वारा उप धारा (ii) के अंतर्गत जारी बांड की मूल राशि की अदायगी की गारंटी

	(iii) ट्रस्ट द्वारा उप धारा (ii) के अंतर्गत जारी बांड की मूल राशि की अदायगी की गारंटी केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाएगी एवं ब्याज का भुगतान बांड जारी करते समय केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा।
6.	<u>इस योजना की आस्तियों का मूल्यांकन</u> (क) अवरुद्ध अवधि के अधीन वाले निवेशों, यदि कोई हों, सहित उद्धृत निवेशों परंतु सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर, का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को बाजार में बंद मूल्य पर किया जाता है तथा इसके उपलब्ध न होने पर मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि में बिल्कुल हाल ही की उपलब्ध दर पर किया जाता है। यदि मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि हेतु, कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोद्धृत निवेश माना जाता है। (ख) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां मूल्यांकन तिथि को अंतिम एनएसई बाजार दरों पर मूल्यांकित की जाती है और इसकी अनुपस्थिति में मूल्यांकन तिथि से पहले 7 दिन की अवधि के अंदर उपलब्ध नवीनतम भाव को मूल्यांकन के लिए लिया जाता है। यदि मूल्यांकन की तिथि से सात दिन पूर्व की अवधि हेतु कोई भाव उपलब्ध नहीं हो तो उसे अनोद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां माना जाएगा। (ग) उद्धृत डिबेंचरों और बांडों के मामले में, बाजार दर, जो ब्याज सहित है उसे ब्याज तत्त्व यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया जाता है। (घ) शेयरों के अधिकार पात्रता का मूल्यांकन,लाभांश तत्व हेतु बट्टा काटकर,जहां लागू हो, बाजार दर पर किया जाता है। (ङ) अनोद्धृत अधिमान शेयर/संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर लागत पर लिए जाते हैं। (च) अनोद्धृत इक्विटी शेयर जैसे कि न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित किया जाए,उचित मूल्यांकन आधार पर मूल्यांकित किए जाते है। (छ) अनोद्धृत डिबेंचर, बॉण्ड एवं अंतरणीय नोट परिपक्वता पर प्रतिफल पर मूल्यांकित किए जाते हैं, जो न्यासी मंडल द्वारा मूल्य वृद्धि के अनुमोदन के साथ भारत सरकार की प्रतिभूतियों (यील्ड कर्व) से जुड़ा है। (ज) अनोद्धृत वारंट, अंतरनिहित इक्विटी शेयरों के बाजार दर पर, लाभांश तत्त्व के लिए बट्टा काटकर, यदि कोई हो, तथा देय प्रायोगिक मूल्य से कम करके मूल्यांकित किए जाते हैं। जिन मामलों में इस तरह लिए गए मूल्य से प्रायोगिक देय मूल्य ज्यादा हो, वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है।

	(झ) अनोद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां, यदि कोई हो, का मूल्यांकन प्रचलित ब्याज दर पर परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर किया जाता है। (ञ) परिवर्तनीय डिबेंचर एवं बॉण्ड, जहां मिश्र बाजार भाव उपलब्ध न हो, वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन संबंधित इक्विटी शेयरों के बाज़ार दर पर, जिनमें लाभांश तत्त्व, यदि कोई हो, काट कर किया जाता है। ऐसे डिबेंचरों एवं बॉण्डों का अपरिवर्तनीय भाग, यदि कोई हो, का मूल्यांकन, उपरोक्त (छ) के अनुसार किया जाता है। जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है। (ट) पूंजी सूचकांकित बॉण्ड लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं। (ठ) <u>मुद्रा बाजार लिखतों के लिए मूल्यांकन नीति :-</u> (i) मुद्रा बाज़ार लिखतें एवं अन्य आस्तियां बही मूल्य पर ली जाती हैं। (ii) अंतर बैंक कॉल बाज़ार में निवेशित राशि लागत पर ली जाती है। (iii) बट्टे /ब्याज उपार्जन लिखतों में निवेशित राशि का मूल्यांकन,उस प्रतिफल पर किया जाता है जिसमें लिखत का सौदा पिछली बार किया गया था। इस उद्देश्य हेतु भाव मूल्यांकन तिथि से पहले दो कार्य दिवसों की अवधि के भीतर उपलब्ध हाल ही का भाव ध्यान में लिया जाता है। जब पिछले दो कार्य दिवसों में कोई भाव उपलब्ध न हो, तो लिखत लागत एवं लिखत के परिपक्व होने के बाकी बचे दिनों के लिए लागू एक समान लागत और पृष्ठ मूल्य के मध्य अंतर पर मूल्यांकित किया जाता है। (iv) अनोद्धृत डिबेंचरों सहित अन्य मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन लागत एवं लिखत के परिपक्व होने के बाकी बचे दिनों पर लागू एक समान लागत और पृष्ठ मूल्य के अंतर पर किया जाता है। **तथापि, खंड XXI, XXII एवं XXIII के संदर्भ में किसी बात के बावजूद, निवेश नीतियां, एनएवी का निर्धारण, एवं आस्तियों का मूल्यांकन, पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण एवं एनएवी के प्रकटीकरण की आवृत्ति, पुनर्खरीद मूल्य और पोर्टफोलियो समय-समय पर सेबी द्वारा जारी सेबी (एमएफ) विनियमों/दिशानिर्देशों /निदेशों के प्रावधानों के अनुसार होगा।**
7.	**लेखा नीतियां** **1. आय की मान्यता** (क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय भूतपूर्व लाभांश तिथि पर प्रोद्भूत की जाती है। असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों एवं अधिमान शेयरों पर लाभांश आय का हिसाब प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

(ख) निवेशों पर ब्याज एवं प्रतिबद्धता प्रभार का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

(ग) निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि की पहचान भारित औसत लागत के आधार पर व्यापार तिथियों पर की जाती है।

(घ) डिबेंचर/बॉण्डों के प्रतिदान पर प्रीमियम एवं लाभ या हानि की पहचान देय तिथि पर की जाती है।

(ङ) जब कोई राशि जिम्मे नहीं आती हो तो हामीदारी कमीशन को नकदी आधार पर राजस्व माना जाता है। जिम्मे आई राशि के मामले में, पूर्ण हामीदारी कमीशन एवं निवेशों की लागत में से कम किया जाता है।

(च) शेयरों एवं डिबेंचरों के निवेश पर आरंभिक शुल्क को ऐसे निवेशों की लागत से कम किया जाता है।

(छ) जीरो कूपन बॉण्डों, डीप डिस्काऊंट बाण्डों और अन्य दीर्घावधि बट्टाकृत लिखतों के संबंध में पुनर्खरीद मूल्य एवं परिपक्वता मूल्य के मध्य अंतर को वाईटीएम आधार पर लिखत के शेष अवधि के दौरान आय समझा जाता है।

(ज) अन्य आय को प्राप्ति आधार पर लिया जाता है।

2. व्यय

क. व्यय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

ख. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25(4) के प्रावधानों के अनुसार यूनिट योजना 1964 के अंतर्गत किए गए खास सामान्य खर्चों का निर्धारण अन्य योजनाओं पर किया जाता है।

ग. नियत आस्तियों वाली यूनिट योजना 1964 कथित आस्तियों के उपयोग के लिए अन्य योजनाओं से स्वीकृत आधार पर पट्टा किराया वसूल करती है।

3. निवेश

क. निवेशों को लागत पर या अवलिखित लागत पर लिया जाता है।

ख. द्वितीयक बाजार कारोबार के मामले में निवेश को व्यापार तिथियों पर किया गया माना जाता है।

ग. आबंटन पर प्राथमिक बाजार निर्गमों में अभिदान को निवेश माना जाता है।

घ. बोनस/अधिकार पात्रताओं को पूर्ववर्ती-बोनस/पूर्ववर्ती अधिकार तिथियों पर माना जाता है।

ङ. निवेश अर्थात् डिबेंचर और बॉण्ड प्रतिदान/देय तिथि को चालू आस्तियों में अंतरित किए जाते हैं।

च. निवेश की लागत में दलाली एवं सेवा - कर शामिल हैं लेकिन स्टाम्प की लागत शामिल नहीं है, जिसे राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

4. प्रावधान एवं मूल्यह्रास :

(क) संदिग्ध समझी गई आय के प्रति प्रावधान :

पिछली दो तिमाही या उससे अधिक के लिए देय बाकी ब्याज आय के संबंध में प्रावधान किया जाता है। यदि लाभांश,पिछले लाभांश की तिथि से एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया है तब वर्ष के अंत में प्रावधान किया जाता है।

(ख) निवेश के मूल्य में ह्रास

(i) उपरोक्त खंड XXII के अनुसार गणना किए गए निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और पारिणामिक ह्रास, यदि हो, सामान्य प्रारक्षित निधि/यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि में प्रभारित किए जाते हैं। यदि कुल मूल्य, कुल लागत या पिछले वर्ष के अंत के कुल मूल्य से अधिक हो जाता है तो मूल्य वृद्धि, यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि/सामान्य प्रारक्षित निधि में उस सीमा तक जोड़ी है जहां तक ह्रास पिछली बार समायोजित किया गया था।

(ii) जहां अनोधृत इक्विटी या अधिमान शेयर पिछले वर्षों में अपलिखित किए गए हों, वहां ऐसे निवेशों की लागत को उधृत या उचित मूल्य उपलब्ध होते ही उसकी लागत पर पुनरांकित किया जाता है।

(iii) आस्तियां जिन पर ब्याज पिछली दो तिमाहियों या अधिक अवधि से बकाया है, अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी आस्तियों के लिए प्रावधान अलग-अलग बनाया जाता है (जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है)। ऐसा प्रावधान उसी कंपनी की अन्य उपयोगी आस्तियों के लिए नहीं किया जाता है।

गैर निष्पादित आस्तियों की अवधि	प्रावधान का प्रतिशत	
	रक्षित आस्ति	अ-रक्षित आस्ति
दो वर्षों तक	10%	10%
दो वर्षों से अधिक परंतु तीन वर्षों तक	20%	100%
तीन वर्षों से अधिक परंतु पांच वर्षों तक	30%	100%
पांच वर्षों से अधिक	50%	100%

(iv) जहां मूल पुनर्भुगतान (i) 3 वर्षों तक की अवधि के संतुलित परिपक्वता वाले ऋण लिखतों के संबंध में पिछली देय अवधि के दो तिमाहियों हेतु और (ii) 3 वर्षों से अधिक अवधि के संतुलित परिपक्वता वाले ऋण लिखतों के संबंध में पिछली देय अवधि के एक वर्ष हेतु बकाया रहता है, वहां ऐसी बकाया किस्तों हेतु प्रावधान किया जाता है। ऐसी आस्तियों के लिए समग्र प्रावधान,उपरोक्त तालिका में उल्लिखित प्रतिशत (जमानती आस्तियों हेतु 50% तथा गैर जमानती आस्तियों हेतु 100%) या चूक वाली राशि, जो भी अधिक हो, तक सीमित है।

ऐसे मामले जिनमें मूल चूक जारी रहती है,किसी भी परवर्ती किस्त के लिए प्रावधान, संबंधित देय तिथि से 30 दिनों के बाद किया जाता है।

(v) देय बकाया ब्याज के पूंजीकरण के द्वारा, ब्याज के निधियन के मामले में, उसके चूक की अवधि के बावजूद प्रावधान किया जाता है।

(vi) गैर निष्पादी आस्तियों के लिए प्रावधान यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि/सामान्य प्रारक्षित निधि/राजस्व लेखा,जैसा भी मामला हो, में प्रभारित किए जाते हैं।

(vii) अनुच्छेद 4(क)और 4(ख)(iv) के अंतर्गत बनाए गए प्रावधान प्राप्ति या आस्तियों के पुनर्संरचना आधार पर पुनरांकित किए जाते हैं। 4(ख)(v) के अंतर्गत प्रावधान प्राप्ति आधार पर पुनरांकित किए जाते हैं।

5. आय वितरण :

(क) आय वितरण हेतु प्रावधान यूनिट पूंजी पर न्यासी मंडल द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दर पर किया जाता है।

6. वित्तीय परिणामों का प्रकाशन :

यथा 31 दिसंबर अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम 2 माह के भीतर एवं यथा 30 जून लेखा-परीक्षित वार्षिक परिणाम लेखे को अंतिम रूप देने के 6 माह के भीतर एक अंग्रेजी दैनिक एवं एक मराठी दैनिक में प्रकाशित किया जाएगा।

निवेशों का कर - निरूपण

1. निवासी / अनिवासी भारतीय/ओसीबी

(i) योजना के अंतर्गत आय और पूंजी वृद्धि, यदि कोई हुई हो, पर कराधान प्रचलित कर कानूनों के अधीन होगा।

(ii) वर्तमान में, ट्रस्ट की सभी योजनाओं/प्लानों के अंतर्गत सभी वर्ग के निवेशकों को प्राप्त होने

वाली आय, यदि कोई हो, आयकर अधिनियम, 1961की धारा 10 (33) के अंतर्गत पूर्णत: कर मुक्त होगी।

योजना के लिए, उसके द्वारा किए गए किसी भी आय वितरण पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 आर के अंतर्गत 10% की दर से आय वितरण कर और उस पर 10% अधिभार का भुगतान करना आवश्यक है। तथापि, सतत खुली इक्विटी उन्मुख निधि होने के कारण, इस योजना को 31 मार्च, 2002 तक कथित धारा के अंतर्गत उपरोक्त कर लागू नहीं है, बशर्ते योजना की कुल राशि का 50% से अधिक का निवेश घरेलू कंपनियों के इक्विटी शेयरों में किया जाता है।

(iii) वर्तमान में, रुपए में उत्पन्न अथवा एनआरओ निधियों में से योजना में निवेश से होने वाला कोई भी दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 और 112 में दिए गए निर्देशों के अधीन होगा। वर्तमान में निवेशक को लागत स्फीति सूचकांक का लाभ उठाने के बाद दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ पर 20% की दर से कर का भुगतान करना होता है। तथापि, एनआरई खातों के जरिए किए गए निवेश से प्राप्त होने वाले पूंजीगत अभिलाभ कर योग्य नहीं हैं।

(iv) इस प्लान के अंतर्गत यूनिटों में किए गए निवेश का मूल्य धनकर से पूर्णत: मुक्त है।

(v) उपहार कर अधिनियम, 1958 ने योजना की यूनिटों के संबंध में उपहार कर की उगाही को समाप्त कर दिया है।

2. धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट हेतु पात्रता

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण में से प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण या आंशिक शुद्ध अभिदान का यूजीएस 10000 में किया गया निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईबी के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के लिए पात्र होगा, बशर्ते यूनिटों की पुनर्खरीद आवेदन की स्वीकृति की तिथि से तीन वर्षों के बाद की जाए।

3. धारा 54 ईबी के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट हेतु पात्रता

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण या आंशिक पूंजीगत अभिलाभ का यूजीएस 10000 में किया गया निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईबी के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के लिए पात्र होगा, बशर्ते यूनिटों की पुनर्खरीद आवेदन की स्वीकृति की तिथि से सात वर्षों के बाद की जाए।

4. पात्र न्यासों के लिए

	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2)(बी) के अंतर्गत यूनिट स्वीकृत प्रतिभूतियां हैं। अत: यूनिटों में निवेश कर रहे पात्र ट्रस्ट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 और 13 के अंतर्गत आय और निधि के लिए आवश्यक कर छूट के योग्य होंगे।
9.	**भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना एवं प्रबंधन** **यूटीआई की स्थापना** भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना एक सांविधिक संस्था के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होनेवाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी। इसने 1 जुलाई, 1964 से कार्य करना आरंभ किया। **यूटीआई का प्रबंधन** ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है, जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। मंडल के अलावा, एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी होते हैं। यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर कार्य करने के लिए सक्षम है। **न्यासी मंडल *** 1. श्री पी.एस. सुब्रमन्यम — अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट 2. श्री जी.पी. मुनिअप्पन — कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक 3. श्री जी.पी. गुप्ता — अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईडीबीआई 4. श्री एन.एस. सेखसरिया — प्रबंध निदेशक, गुजरात अंबुजा सिमेन्ट्स लि. 5. श्री राजेन्द्र पी. चितले — सनदी लेखाकार 6. डॉ. विश्वनाथ वी. देसाई — अर्थशास्त्री 7. श्री जी. कृष्णमूर्ति — अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम 8. श्री जी.जी वैद्य — अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक 9. श्री के.सी. चौधरी — अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया *** वर्तमान में न्यासियों की अन्य निदेशिकाएं इस प्रकार हैं :** 1. **श्री पी.एस. सुब्रमन्यम** - (i) अध्यक्ष एवं निदेशक-इंडिया फंड, (ii) अध्यक्ष एवं निदेशक - इंडिया ग्रोथ फंड, (iii) अध्यक्ष एवं निदेशक - इंडिया ऐक्सेस लि., (iv)

		अध्यक्ष एवं निदेशक - इंडिया पब्लिक सेक्टर फंड लि., (v) शासी परिषद के अध्यक्ष - यूटीआई इंस्टिट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट्स, (vi) अध्यक्ष एवं निदेशक - यूटीआई निवेशक सलाहकार सेवा लि., (vii) अध्यक्ष एवं निदेशक - यूटीआई निवेशक सेवा लि., (viii) अध्यक्ष एवं निदेशक - यूटीआई सिक्यूरिटीज़ एक्सचेंज लि., (ix) निदेशक - यूटीआई बैंक लि., (x) अध्यक्ष एवं निदेशक - ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, (xi) सदस्य -भारतीय जीवन बीमा निगम, (xii) निदेशक - भारतीय मितिकाटा एवं वित्त गृ. लि., (xiii) निदेशक - सिक्यूरिटीज़ ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., (xiv) निदेशक - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., (xv) न्यासी - इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
	2.	**श्री जी.पी.गुप्ता** - (i) अध्यक्ष - भारतीय लघु उधोग विकास बैंक, (ii) निदेशक - इंडिया फंड, (iii) निदेशक - इंडिया ग्रोथ फंड, (iv) निदेशक-भारतीय मितिकाटा एवं वित्त गृह लि., (v) निदेशक-भारतीय आयात-निर्यात बैंक, (vi) निदेशक-भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि., (vii) निदेशक-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फाइनेंस कं. ऑफ इंडिया लि., (viii) निदेशक - इंडियन एयरलाइन्स लि. (ix) निदेशक - आईडीबीआई बैंक लि. (x) निदेशक - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., (xi) सदस्य - भारतीय जीवन बीमा निगम, (xii) सदस्य - भारतीय साधारण बीमा निगम, (xiii) निदेशक - दक्षिण एशिया क्षेत्रीय निधि, (xiv) अध्यक्ष - दक्षिण एशिया विकास निधि, (xv) समिति सदस्य-भारतीय बैंकर संस्थान, (xvi) सदस्य-बैंकर प्रशिक्षण कॉलेज (आरबीआई), (xvii) सदस्य - एशिया एवं प्रशांत में विकासशील वित्तीय संस्थाओं का संघ, (xviii) सदस्य-बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्था, (xix) सदस्य-भारतीय कंपनी सचिव संस्था।
	3.	**श्री एन.एस. सेखसरिया** - (i) निदेशक - गृह वित्त लि. (ii) निदेशक - राधा माधव इन्वेस्टमेंट्स लि. (iii) निदेशक- होम ट्रस्ट हाऊसिंग फाइनेंस कं. लि., (iv) निदेशक - अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन (v) निदेशक - अंबुजा शैक्षणिक संस्थान।
	4.	**श्री राजेन्द्र पी. चितले** - (i) निदेशक - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (ii) निदेशक - नेशनल सिक्यूरिटीज़ क्लीयरिंग कार्पोरेशन लि. (iii) निदेशक - जे एम कैपिटल मैनेजमेंट लि. (iv) निदेशक - ज्युरीच एसेट मैनेजमेंट कंपनी (इंडिया) लि. (v) निदेशक - इंडिया इंडेक्स सर्विसेज़ एण्ड प्रोडक्ट लि. (vi) निदेशक - एसोशिएशन ऑफ लिजिंग एण्ड फाइनेंशिएल सर्विसेज कंपनीज (vii) सदस्य - राष्ट्रीय शेयर बाजार की कार्यकारी समिति (शासी मंडल) (viii) सदस्य - इंडिया एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका एनटी एवं एसए (ix) सदस्य - निवेश समिति, भारतीय जीवन बीमा निगम।
	5.	**श्री वी. वी. देसाई - सलाहकार - आईसीआईसीआई लिमिटेड**
	6.	**श्री जी. कृष्णमूर्ति** - (i) अध्यक्ष - एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) ईसी, बहरीन (ii) अध्यक्ष - एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. (iii) निदेशक - भारतीय साधारण बीमा निगम (iv) निदेशक - पोयशा औद्योगिक कं. (v) अध्यक्ष, शासी मंडल - नेशनल इन्श्योरेंस अकादमी

	(vi) निदेशक - नेशनल हाउसिंग बैंक (vii) निदेशक - यूटीआई बैंक लि. (viii) निदेशक- मितिकाटा एवं भारतीय वित्त गृह (ix) निदेशक - केनिन्डिया एश्योरेंस कं. लि., केनया (x) निदेशक - भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि.(xi) अध्यक्ष - इन्श्योरेंस काउंसिल का शासी निकाय। 7. **श्री जी जी वैद्य -** (i) अध्यक्ष - एसबीआई कैपिटल मार्केट लि., (ii) अध्यक्ष - एसबीआई निधि प्रबंधन लि. (iii) अध्यक्ष - एसबीआई गिल्ट्स लि. (iv) अध्यक्ष - एसबीआई सिक्यूरिटीज़ लि. (v) अध्यक्ष - एसबीआई फैक्टर्स् एण्ड कमर्शियल सर्विसेज़ लि. (vi) अध्यक्ष - एसबीआई यूरोपियन बैंक लि. (vii) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ इंदौर (viii) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र (ix) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (x) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (xi) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (xii) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (xiii)अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (xiv) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया) (xv) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा) (xvi) उपाध्यक्ष, शासी मंडल - इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स (xvii) निदेशक - राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (xviii) निदेशक - भारतीय आयात-निर्यात बैंक (xix) निदेशक - साधारण बीमा निगम (xx) सदस्य, शासी मंडल एवं अध्यक्ष, वित्त समिति - राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्था, (xxi) सदस्य, शासी मंडल एवं अध्यक्ष, वित्त समिति एवं कार्यालय परिसर समिति एवं आईबीपीएस कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासक समिति - बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (xxii) सदस्य - बैंकिंग टेक्नॉलोजी विकास एवं अनुसंधान संस्था (xxiii) निदेशक - इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास वित्त निगम (xxiv) निदेशक - इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग एवं फाइनेंस सर्विसेज़ लि. (xxv) निदेशक - भारतीय निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम। 8. **श्री के सी चौधरी -** (i) अध्यक्ष - बैंक अंकेक्षण पर लघु समूह, भारतीय बैंक संघ, (ii) अध्यक्ष - बैंकिंग परिचालन, भारतीय बैंक संघ, (iii) अध्यक्ष - ऋण संबंधी मामलों पर लघु समूह, भारतीय बैंक संघ, (iv) अध्यक्ष - आईबीए व्यापार निकाय/संघों के साथ समन्वय हेतु कार्य समूह, (v) अध्यक्ष - भारतीय बैंक संघ (vi) सदस्य - प्रबंध समिति, भारतीय बैंक संघ - (vii) अध्यक्ष - सेंटबैंक गृह वित्त लि. (viii) अध्यक्ष - सेंटबैंक फाइनेंशियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेज लि., (ix) निदेशक - भारतीय कृषि वित्त निगम , (x) निदेशक - मास्टरकार्ड एशिया/पेसेफिक बोर्ड, (xi) निदेशक - द न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि., (xii) सदस्य - टास्क फोर्स, भारतीय बैंक संघ।
10.	**निधि का प्रबंधन -** **निधि प्रबंधन के नाम के साथ उसकी योग्यता एवं अनुभव को भी जोड़ा गया।**
11.	**अभिरक्षक** निम्नलिखित को सेबी द्वारा आवश्यक समझने पर जोड़ा गया है। भारतीय स्टाक धारिता निगम लि. (एसएचसीआईएल) का सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर आईएन/सीयूएस/011 है।

	एसएचसीआईएल शुल्क की दर इस प्रकार है : | | इलेक्ट्रॉनिक | वास्तविक | डीमैटिरियलाइजेशन — रु. 5 प्रति प्रमाणपत्र — - खरीद — कारोबार के मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु — प्रति डीआईपी रु. 100 बिक्री — कारोबार के मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु — प्रति डीआईएस रु. 100 अभिरक्षा — अभिरक्षा में आस्ति मूल्य पर 1.5 आधार बिंदु — अभिरक्षा में आस्ति मूल्य पर 8 आधार बिंदु गैर बाजार खरीद — कारोबार के मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु — - गैर बाजार बिक्री — कारोबार के मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु — - रीमैटिरियलाइजेशन — प्रति प्रमाणपत्र रु. 15 अथवा परिवर्तन मूल्य के 15 आधार बिंदु इनमें से जो भी अधिकतम है
12.	**लेखा परीक्षक** मेसर्स चतुर्वेदी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, 60, बेंटिक स्ट्रीट, कलकत्ता 700 069 एवं मेसर्स बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित, सनदी लेखाकार , नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग, 204, डी.एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 । योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आईडीबीआई द्वारा की जाती है और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन हैं।
13.	**निवेशकों की शिकायतों के निवारण का डाटा दर्शानेवाली सारणी**
14.	**जुर्माना, लंबित मुकदमा, निरीक्षणों/जांच-पड़तालों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष** 1. भारतीय यूनिट ट्रस्ट/न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी में से किसी (विशेषत: निधि प्रबंधक) के प्रति सेबी अधिनियम या उसकी कोई विनियमों के अंतर्गत सेबी द्वारा या किसी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा (जहां यूटीआई की योजना की यूनिटें सूचीबद्ध हैं)जुर्माना लगाने का कोई मामला नहीं है। 2. न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी सहित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मुकदमे की कार्यवाही लंबित नहीं है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी के प्रति कोई अपराधिक मामला लंबित नहीं है।

	3. न तो सेबी और न ही किसी अन्य नियामक एजेन्सी ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट के परिचालनों या सिस्टम्स में किसी कमी को पेशकश दस्तावेज़ में दर्शाए जाने की विशेष रूप से सलाह दी है। 4. भारतीय यूनिट ट्रस्ट, न्यासी मंडल/न्यासी या मुख्य कर्मी के प्रति सेबी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अधीन कोई पूछताछ/अधिनिर्णय की कार्यवाही नहीं है।
15.	**संक्षिप्त वित्तीय जानकारी देने वाली सारणी को जोड़ा गया।**

अनुबंध I

पी ई एफ - संशोधित / शामिल किये गये प्रावधान

खण्ड सं.	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
	शामिल नहीं	प्रमुख बातें एक सतत खुली वृद्धि योजना निवासी व्यक्ति तथा संस्थाएं एवं अनिवासी भारतीय, विदेशी निगमित निकाय और विदेशी संस्थागत निवेशक निवेश कर सकते हैं । न्यूनतम निवेश रु.5000/- है तथा कोई अधिकतम सीमा नहीं है । उसी फोलियो के अंतर्गत बाद में निवेश करने के लिए न्यूनतम निवेश रु.1000/- है । प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य रु.10/- है । बिक्री और पुनर्खरीद उस दिन की समाप्ति के *एन ए वी* पर किया जाएगा, जिस दिन आवेदन स्वीकार किया जाता है । बिक्री *एन ए वी* में बिक्री-भार, जो *एन ए वी* के 3% से अधिक नहीं होगा, जोड़कर निकाली गयी दर पर की जाएगी । पुनर्खरीद *एन ए वी* पर की जाएगी । आय के पुनर्निवेश की सुविधा, यदि कोई हो, *एन ए वी* पर उपलब्ध होगी । इस योजना से अन्य योजनाओं में परिवर्तन (स्विचओवर) की सुविधा, जिनकी घोषणा ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर की जा सकती है, तथा अन्य योजनाओं से इस योजना में परिवर्तन (स्विचओवर) की सुविधा *एन ए वी* या *एन ए वी* पर आधारित मूल्य

		पर उपलब्ध होगी । वर्तमान में योजना द्वारा किया गया आय वितरण, यदि कोई हो, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(33) के अंतर्गत निवेशकों के हाथों में पूर्णतः कर-मुक्त है । इसके अलावा, सतत खुली ईक्विटी उन्मुख निधि होने के कारण इस पर आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115आर के अंतर्गत मार्च 2002 तक की अवधि के लिए आय वितरण कर भी नहीं लगेगा । यूनिटों की पुनर्खरीद पर पूंजी वृद्धि, यदि कोई हो, से मिलने वाले पूंजी लाभ पर आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 एवं 112 के अंतर्गत मिलने वाले कर संबंधी लाभ भी उपलब्ध होंगे । यह निवेश आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईए एवं 54ईबी के अंतर्गत पूंजी लाभ कर से छूट के लिए भी पात्र होगा, जो निधि के स्रोत पर निर्भर होगा तथा आवेदन की स्वीकृति की तारीख से क्रमशः तीन / सात वर्ष की अवरुद्ध (लॉक-इन) अवधि के बाद ही यूनिटों की पुनर्खरीद किये जाने की शर्त पर होगा । योजना के अंतर्गत यूनिटों में किये गये निवेश का मूल्य धन कर से पूर्णतः मुक्त है । दान कर अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 1 अक्तूबर 1998 को या उसके बाद किये गये दान के संबंध में दान कर समाप्त कर दिया गया है । इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत यूनिट दान में दिये जाने पर वह दान कर की वसूली से पूर्णतः मुक्त होगा ।
परिभाषा III (क)	आवेदक द्वारा ट्रस्ट को ट्रस्ट के द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए आवेदन किये	आवेदक द्वारा ट्रस्ट को ट्रस्ट के द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए आवेदन किये जाने के संदर्भ में 'स्वीकृति की तारीख' से अभिप्राय उस दिन

	जाने के संदर्भ में 'स्वीकृति की तारीख' से अभिप्राय उस दिन से है, जिस दिन ट्रस्ट, इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदन नियमानुसार है, उसे स्वीकार करे।	से है, जिस दिन ट्रस्ट का शाखा कार्यालय, इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदन हर तरह से पूर्ण है, उसे स्वीकार करे। फ्रांचाइज कार्यालय / वसूली केन्द्र में बिक्री और पुनर्खरीद के लिए आवेदन किये जाने के संदर्भ में 'स्वीकृति की तारीख' रजिस्ट्रार के कार्यालय में आवेदन प्राप्त किये जाने की तारीख, या फ्रांचाइज कार्यालय अथवा वसूली केन्द्र में उसकी प्राप्ति की तारीख (टी) से 5वां कार्यदिवस (टी+5), जो भी पहले हो, होगी। ट्रस्ट उक्त कार्यदिवसों की संख्या 5 से भी कम कर सकता है, जैसा भी निर्णय लिया जाए।
परिभाषा III (खक)	वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।	अवयस्क के मामले में 'वैकल्पिक आवेदक' से ऐसे माता-पिता अभिप्रेत हैं, जो अवयस्क की ओर से आवेदन करने वाले माता-पिता से भिन्न हों।
परिभाषा III (ग)	'आवेदक' से योजना के अंतर्गत आने वाले आवेदक अभिप्रेत हैं तथा इनमें उन सब श्रेणियों के व्यक्ति शामिल होंगे जिनका विशिष्ट उल्लेख इसके बाद दिये गये खण्ड V में किया गया है।	"आवेदक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो योजना में भाग लेने के लिए पात्र है तथा योजना के खण्ड के तहत आवेदन करता है और जो अवयस्क नहीं है।
परिभाषा III	वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।	(ङ क) 'पात्र संस्था' से भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली, 1964 में यथापरिभाषित पात्र संस्था अभिप्रेत है।
परिभाषा III	वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।	(ङ ख) 'फर्म', 'भागीदार' और 'भागीदारी' से भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में उन्हें दिये गये अर्थ अभिप्रेत हैं, परन्तु 'भागीदार' शब्द में ऐसे व्यक्ति भी शामिल होंगे जो अवयस्क होने के कारण भागीदारी के लाभों में शामिल हो।
परिभाषा III	वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।	(झ क) योजना के अंतर्गत एक अभिव्यक्ति के रूप में प्रयुक्त ''सदस्य'' शब्द से ऐसा आवेदक अभिप्रेत और शामिल है, जिसे 23.02.2000 को या उसके बाद योजना के अंतर्गत यूनिट आवंटित किये गये हों। ''सदस्य'' से यूनिट प्रमाणपत्र के अंतर्गत यूनिट रखने वाला ''यूनिटधारक'' भी अभिप्रेत है तथा दोनों

		अभिव्यक्तियों को पर्यायवाची के रूप में पढ़ा जाए। वर्तमान परिभाषा (झ क) को नया क्रमांक (झ ग) दिया गया है।
परिभाषा III	वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।	(झ ख) ''अनिवासी भारतीय (एन आर आइ)'' से भारतीय राष्ट्रिकता /मूल के अनिवासी अभिप्रेत हैं। किसी व्यक्ति को '' भारतीय मूल का व्यक्ति'' तब माना जाएगा जब वह या उसके माता-पिता में से कोई, या उसके पितामह-पितामही में से कोई, चाहे वे पीढ़ी अथवा परंपरा में कितने ही बड़े क्यों न हों, चाहे पितृपक्ष के हों या मातृपक्ष के, मूल रूप में अधिनियमित भारत शासन अधिनियम, 1935 में यथापरिभाषित भारत में पैदा हुआ हो।
परिभाषा III (m)	''यूनिट रखने वाला व्यक्ति या यूनिटधारक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास फिलहाल यूनिट हों।	''व्यक्ति'' में ऊपर परिभाषित पात्र संस्था शामिल होगी।
परिभाषा III	वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।	(ड क) ''आर बी आई'' से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है।
परिभाषा III (n)	''रजिस्ट्रार'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी सेवाएं योजना के अंतर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए ट्रस्ट द्वारा ली जाएं।	''रजिस्ट्रार'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी सेवाएं योजना के अंतर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए ट्रस्ट द्वारा ली जाएं।
परिभाषा III (ड क)	"निगमित निकाय" में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 अथवा फिलहाल लागू किसी राज्य या केन्द्र के कानून के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटियां शामिल हैं; इस अभिव्यक्ति में बैंक, वित्तीय संस्थाएं तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां शामिल होंगी।	(त क) "सोसाइटी" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत स्थापित सोसाइटी अथवा फिलहाल लागू किसी राज्य या केन्द्र के कानून के अंतर्गत स्थापित कोई अन्य सोसाइटी शामिल है।
यूनिटों के लिए	1) निवासी भारतीय, जो वयस्क	1) निवासी [illegible] अथवा अनिवासी भारतीय अकेले

आवेदन V	व्यक्ति हो, अकेले या दूसरे वयस्क व्यक्ति के साथ संयुक्त / कोई एक या उत्तरजीवी आधार पर निवेश कर सकता है । ii) उक्त शर्तो पर पुन:प्रत्यावर्तनीय आधार पर अनिवासी भारतीय । iv) विनियमावली में यथापरिभाषित पात्र न्यास, विनियमावली में प्रावधान किये गये अनुसार और उसमें प्रावधान की गयी सीमा तक; v) अन्य निगमित निकाय, सोसाइटियों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनायी गयी कंपनियों सहित ।	या किसी अन्य अथवा दो तक अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से संयुक्त / कोई एक या उत्तरजीवी आधार पर निवेश कर सकता है । iii) योजना के अंतर्गत यथापरिभाषित कोई पात्र संस्था, जिसमें निजी न्यास - जो अप्रतिसंहरणीय न्यास हो तथा जिसका सृजन लिखित रूप में तैयार लिखत द्वारा किया गया हो - शामिल है । iv) वित्तीय संस्था v) योजना के अंतर्गत यथापरिभाषित सोसाइटी vi) पंजीकृत सहकारी सोसाइटी vii) बैंक, जिसमें अनुसूचित बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सभी सहकारी बैंक आदि शामिल हैं । viii) निगमित निकाय, जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनायी गयी अथवा फिलहाल लागू राज्य या केन्द्र के कानून के अंतर्गत स्थापित कंपनी शामिल है । ix) हिन्दू अविभक्त परिवार, निवासी और अनिवासी दोनों । x) कोई सेना/नौसेना/वायुसेना/ पैरामिलिटरी निधि । xi) भागीदारी फर्म किसी भागीदारी फर्म द्वारा आवेदन अधिक-से-अधिक फर्म के तीन सदस्यों द्वारा किया जाएगा तथा ट्रस्ट द्वारा मान्यताप्राप्त पहले व्यक्ति को सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए सदस्य माना जाएगा । xii) सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उपक्रम । xiii) सेबी के पास पंजीकृत कोई विदेशी संस्थागत निवेशक ।
निवेश की न्यूनतम राशि VI	कम-से-कम रु.2000/- के लिए निवेश किया जाएगा तथा कोई अधिकतम सीमा नहीं है । दशमलव के तीन अंकों तक यूनिटों का आबंटन किया जाएगा ।	कम-से-कम रु.5000/- के लिए आवेदन किया जाएगा । कोई अधिकतम सीमा नहीं है तथा दशमलव के तीन अंकों तक यूनिटों का आवंटन किया जाएगा । उसी फोलियो में बाद में निवेश करने के लिए न्यूनतम निवेश रु.1000/- है । निवासी या अनिवासी भारतीय द्वारा अनिवासी साधारण खाते में से रु.50,000/-

		और उससे अधिक का निवेश किये जाने के मामले में, निवेशक को सूचित किया जाता है कि वह आय कर पीएएन / जीआइआर क्रमांक तथा आय कर सर्कल का पता, यदि उसके पास हो, प्रस्तुत करे ।
व्यय संबंधी सीमा **VIII**	निर्गम संबंधी आरंभिक व्यय योजना के अंतर्गत जुटायी गयी निधियों के 6% से अधिक नहीं होगा । निर्गम संबंधी आरंभिक व्यय को छोड़कर योजना में प्रभारित कुल व्यय किसी लेखा-वर्ष के दौरान दैनिक औसत निवल आस्ति मूल्य के 3% से अधिक नहीं होगा ।	निर्गम संबंधी आरंभिक व्यय योजना के अंतर्गत जुटायी गयी निधियों के 6% से अधिक नहीं होगा । निर्गम संबंधी आरंभिक व्यय को छोड़कर योजना में प्रभारित कुल व्यय किसी लेखा-वर्ष के दौरान दैनिक औसत निवल आस्ति मूल्य के 2.5% से अधिक नहीं होगा ।
भुगतान की विधि (IX)	(1) आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए सभी अदायगियां आवेदन के साथ नकद, चेक या ड्राफ्ट द्वारा की जाएंगी जहां आवेदन यूटीआई के शाखा कार्यालय में प्रस्तुत किया जा रहा हो, चेक या ड्राफ्ट उस शहर के भीतर बैंकों की शाखाओं पर आहरित किये जाने चाहिए, जिसमें वह शाखा कार्यालय स्थित हो जहां आवेदन प्रस्तुत किया गया हो ।परन्तु यह कि जिस स्थान पर ट्रस्ट का शाखा कार्यालय हो उससे भिन्न स्थान से यूनिटों के लिए आवेदन करने का इच्छुक आवेदक यूनिट ट्रस्ट के शाखा कार्यालय में आवेदन के साथ आवेदित यूनिटों की संख्या के लिए बैंक ड्राफ्ट (बैंक ड्राफ्ट के लिए देय प्रभार उससे काटने के बाद) भेजकर ऐसा कर सकता है ।	(क) आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए सभी अदायगियां आवेदन के साथ नकद, चेक या ड्राफ्ट द्वारा की जाएंगी जहां आवेदन यूटीआई के शाखा कार्यालयों में प्रस्तुत किया जा रहा हो, चेक या ड्राफ्ट उस शहर/कस्बे के भीतर बैंकों की शाखाओं पर आहरित किये जाने चाहिए, जिसमें ट्रस्ट का वह शाखा कार्यालय स्थित हो जहां आवेदन प्रस्तुत किया गया हो । (ख) यदि अदायगी चेक/ड्राफ्ट द्वारा की गयी हो, आवेदन की स्वीकृति ऐसे चेक/ड्राफ्ट की वसूली की शर्त पर होगी । (ग) अनिवासी भारतीयों को अधिमानतः एनआरआई शाखा, मुम्बई में या ट्रस्ट के किसी भी शाखा कार्यालय में अनिवासी (बाह्य) / अनिवासी (साधारण) चेक अथवा आवेदन प्रस्तुत किये जाने के स्थान पर देय रुपया ड्राफ्ट के साथ अपने आवेदन प्रस्तुत करने चाहिए । (घ)विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किसी नामित बैंक / प्राधिकृत व्यापारी, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक ने

	(2) यदि अदायगी चेक द्वारा की जाए, तो ऐसे चेक की वसूली की शर्त पर, स्वीकृति की तारीख वह तारीख होगी, जिस दिन ट्रस्ट या प्राधिकृत वसूली केन्द्र द्वारा चेक प्राप्त किया गया हो । यदि अदायगी ड्राफ्ट द्वारा की जाए, तो ऐसे ड्राफ्ट की वसूली की शर्त पर, स्वीकृति की तारीख वह तारीख होगी, जिस दिन ट्रस्ट या प्राधिकृत वसूली केन्द्र द्वारा आवेदन प्राप्त किया गया हो । यदि आवेदित यूनिटों के लिए अदायगी के रूप में प्रस्तुत राशि आवेदित यूनिटों के लिए देय राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त न हो, तो आवेदक को कम संख्या में उतने यूनिट जारी किये जाएंगे जितने योजना के अंतर्गत जारी किये जा सकते हों, शेष राशि उसकी लागत पर ट्रस्ट द्वारा उपयुक्त समझे गये तरीके से वापस कर दी जाएगी । iii) पुन:प्रत्यावर्तन लाभों सहित निवेश की विधि अनिवासी भारतीयों / विदेशी निगमित निकायों द्वारा किये गये निवेशों में निविष्ट पूंजी और उस पर अर्जित आय एवं पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) के	अनुमोदित किया हो, के पास रखे गये विशेष अनिवासी रुपया खाता में नामे डालकर अदायगी करते हुए निवेश किया जाएगा । 1. पुन:प्रत्यावर्तन लाभों सहित अनिवासी भारतीय द्वारा किये गये निवेश के लिए अदायगी की विधि अनिवासी भारतीयों / विदेशी निगमित निकायों द्वारा किये गये निवेशों में निविष्ट पूंजी और उस पर अर्जित आय एवं पूंजी वृद्धि के पुन:प्रत्यावर्तन का अधिकार होगा, जब तक कि निवेशक भारत के बाहर का निवासी बना रहे । इन मामलों में निवेश निम्नलिखित में से किसी एक विधि से किया जा सकता है : (क) भारत के बाहर कार्यरत बैंक / विनिमय गृह द्वारा उनके भारतीय संपर्की बैंकों पर आहरित ट्रस्ट के पक्ष में रुपये में जारी ड्राफ्ट । (ख)भारत स्थित बैंक में रखे गये निवेशक के अनिवासी बाह्य खाते पर आहरित चेक द्वारा । (ग) निवेशक की विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाराशियों की आगमराशियों से जारी चेक / ड्राफ्ट द्वारा । नोट: नेपाली तथा भूटानी मुद्राओं में अदायगी स्वीकार नहीं की जाती । 2) पुन:प्रत्यावर्तन लाभों के बिना अनिवासी भारतीय द्वारा किये गये निवेश के लिए अदायगी की विधि क) जहां अनिवासी साधारण खाते में रखी गयी निधियों का उपयोग यूनिटों की खरीद के लिए किया गया हो, उन मामलों में इस प्रकार निविष्ट निधियां तथा पूंजी वृद्धि (यदि कोई हो), भारत के बाहर पुन:प्रत्यावर्तन के लिए पात्र नहीं होंगी । इसी तरह, निवेशक के भारत में निवासी रहते हुए उसके द्वारा रुपयों में खरीदे गये यूनिटों में किये गये निवेश बाद में

	पुन:प्रत्यावर्तन का अधिकार होगा, जब तक कि निवेशक भारत के बाहर का निवासी बना रहे। इन मामलों में निवेश निम्नलिखित में से किसी एक विधि से किया जा सकता है : (क) विदेशी मुद्रा में ड्राफ्ट (ख) भारतीय संपर्की बैंकों पर आहरित यूटीआई के पक्ष में रुपये में जारी ड्राफ्ट। (ग) भारत स्थित बैंक में रखे गये निवेशक के अनिवासी बाह्य खाते पर आहरित चेक द्वारा। (घ) विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाराशियों की आगमराशियों से जारी चेक / ड्राफ्ट द्वारा। इसके अलावा, नेपाली तथा भूटानी मुद्राओं में अदायगी स्वीकार नहीं की जाती। यूनिटों में निवेश रुपयों में किया जाता है, विदेशी मुद्रा के सभी ड्राफ्टों को भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाता है, जिस पर ऐसे परिवर्तन के समय मौजूद विनिमय दर लागू होती है। कमी, यदि कोई हो, का प्रेषण अनिवासी भारतीय निवेशकों द्वारा किया जाएगा। उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए	उसके अनिवासी बनने पर यूनिटों की बिक्री की आगमराशियों के पुन:प्रत्यावर्तन के लिए पात्र नहीं होंगे। ख) 19 अगस्त 1994 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र ए.डी.(एम.ए. श्रृंखला) सं.18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान और उसके बाद अर्जित समग्र आय का वितरण पूर्ण पुन:प्रत्यावर्तन लाभ के लिए पात्र होगा। ऐसे मामलों में अनिवासी साधारण खाते में जमा किये जाने के लिए ट्रस्ट रुपयों में अदायगी करेगा। निवेशक यदि यूनिटों पर किये गये आय वितरण को विदेश में प्रेषित करना चाहते हों तो वे कृपया अपने बैंकों / कर परामर्शदाताओं से सलाह लें।

	यह परामर्श दिया जाता है कि अनिवासी भारतीय/ विदेशी निगमित निकायों के निवेशक उक्त (ख) और (ग) में उल्लिखित लिखतों द्वारा अदायगी करें । iv) *पुन:प्रत्यावर्तन लाभों के बिना निवेश की विधि* जहां अनिवासी साधारण खाते में रखी गयी निधियों का उपयोग यूनिटों की खरीद के लिए किया गया हो, उन मामलों में इस प्रकार निविष्ट निधियां तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो), भारत के बाहर पुन:प्रत्यावर्तन के लिए पात्र नहीं होंगी । तथापि, 19 अगस्त 1994 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र ए.डी. (एम.ए. श्रृंखला) सं.18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान और उसके बाद अर्जित समग्र आय पूर्ण पुन:प्रत्यावर्तन के लिए पात्र होगी । जहां ऐसे मामलों में अनिवासी साधारण खाते में जमा किये जाने के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट रुपयों में अदायगी करेगा, वहीं निवेशकों को सूचित किया जाता है कि यदि वे यूनिटों पर अर्जित आय को प्रेषित करना चाहते हों तो कृपया अपने बैंकों / कर परामर्शदाताओं से संपर्क	

	करें।	
आवेदन स्वीकार करने या अस्वीकार करने का ट्रस्ट का अधिकार IX(3)	ट्रस्ट को योजना के तहत यूनिटों के निर्गम के लिए आवेदन स्वीकार करने और/या अस्वीकार करने का एकमात्र विवेकाधिकार है। योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता या अपात्रता के बारे में ट्रस्ट का कोई भी निर्णय अंतिम होगा।	आवेदन स्वीकार करने या अस्वीकार करने का ट्रस्ट का अधिकार : ट्रस्ट को योजना के तहत यूनिटों के निर्गम के लिए आवेदन स्वीकार करने या अस्वीकार करने का एकमात्र विवेकाधिकार है। निम्नलिखित परिस्थितियों में यूनिटों के निर्गम का आवेदन ट्रस्ट द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा : (i) आवेदन प्रति फोलियो रु.5000 के न्यूनतम आरंभिक निवेश तथा बाद में रु.1000 के निवेश से कम के लिए प्राप्त हुआ हो। (ii) आवेदन पर पहले आवेदक द्वारा हस्ताक्षर न किया गया हो। (iii) आवेदक योजना में निवेश करने के लिए पात्र न हो। योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता या अपात्रता के बारे में ट्रस्ट का कोई भी निर्णय अंतिम होगा। (iv) यदि आवेदन अपूर्ण पाया गया तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। पहले आवेदक के बैंक विवरण से रहित कोई भी आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। *अस्वीकार किये गये ऐसे मामलों में अपेक्षित परिचालनात्मक और प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ब्याज या अन्य राशि के लिए किसी भी देयता आदि का वहन किये बिना राशि वापस की जाएगी।*
यूनिट जारी किये जाने के पूर्व आवेदक द्वारा योजना के अंतर्गत	योजना के अंतर्गत यूनिटों के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति आवेदन करने संबंधी अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट	यूनिट जारी किये जाने के पूर्व आवेदक द्वारा योजना के अंतर्गत पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं : क) अवयस्क की ओर से योजना के अंतर्गत यूनिटों

पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं IX(5)	करने के लिए और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए बाध्य होगा, यथा न्यास से आवेदन प्राप्त होने के मामले में न्यास विलेख, अवयस्क की ओर से आवेदन किये जाने के मामले में जन्म प्रमाणपत्र, अनिवासी भारतीय के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमावली के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज़, यदि कोई हो, कंपनियों आदि के मामले में संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, जो इस बात पर निर्भर होगा कि निवेशक किस श्रेणी का है । ऐसी अपेक्षाओं का ट्रस्ट के संतोषपर्यंत अनुपालन किया जाना या न किया जाना ट्रस्ट के एकमात्र विवेकाधिकार पर होगा । गलत घोषणा करके यूनिट प्राप्त करने वाले व्यक्ति की यूनिटधारिता रद्द कर दी जाएगी तथा यूनिटधारकों के रजिस्टर से उसका नाम काट दिया जाएगा । ऐसी स्थितियों में ट्रस्ट को दण्ड के रूप में 25% की कटौती करने के बाद सममूल्य पर या ट्रस्ट द्वारा निर्णीत ऐसे अन्य मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद करने का एवं पुनर्खरीद की आगमराशियों से गलती से अदा किया गया आय वितरण, यदि कोई हो, वसूल कर शेष राशि वापस करने का अधिकार होगा । उक्त राशि पर कोई	के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति आवेदन करने संबंधी अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करेंगे तथा ट्रस्ट द्वारा निर्धारित सभी अपेक्षाएं यथा अवयस्क के मामले में जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना, पूरी करेंगे । ख) ऐसे वयस्क, जो अवयस्क के माता-पिता, सौतेले माता-पिता या अन्य विधिक अभिरक्षक हों, यूनिट रख सकते हैं और अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (2क) के प्रावधानों के अनुसार तथा उसमें निर्धारित सीमा तक उनमें लेन-देन कर सकते हैं । अपेक्षा किये जाने पर ऐसे वयस्क को विनिर्दिष्ट रूप में अवयस्क की आयु का सबूत एवं अवयस्क की ओर से यूनिट रखने एवं उनमें लेन-देन करने की उसकी क्षमता का सबूत प्रस्तुत करना पड़ सकता है । ट्रस्ट किसी और सबूत के बिना आवेदन पत्र पर ऐसे वयस्क द्वारा प्रस्तुत विवरणों के आधार पर कार्य कर सकता है । ग) भागीदारी फर्म/ सहकारी सोसाइटी/ निगमित निकाय/ कंपनी जैसी संस्थाओं की ओर से यूनिटों के लिए किये जाने वाले आवेदनों के साथ भागीदारी विलेख/ सोसाइटी की उप-विधियों/ निगमित निकाय को शासित करने वाले कानून/ योजना में निवेश को प्राधिकृत करने संबंधी शासी निकाय (गवर्निंग बाडी) के संकल्प के साथ कंपनी के संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी । यूनिटों की पुनर्खरीद के समय शासी निकाय का संकल्प प्रस्तुत करना होगा, जिसमें पुनर्खरीद के लिए प्राधिकृत किया गया हो एवं औपचारिकताएं पूरी करने व पुनर्खरीद चेक की वसूली के बारे में निकाय के संबंधित अधिकारी (रियों) का प्राधिकरण हो । घ) मिथ्या घोषणा के द्वारा यूनिट रखने वाले व्यक्ति की यूनिटधारिता रद्द कर दी जाएगी और उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर से काट दिया जाएगा ।

	ब्याज नहीं दिया जाएगा चाहे पुनर्खरीद करने एवं आवेदक को पुनर्खरीद की आगमराशियां प्रेषित करने में ट्रस्ट को कितना ही समय क्यों न लगे।	ङ) उक्त मामले में, ट्रस्ट को दण्ड के रूप में 25% की कटौती करने के बाद सममूल्य पर या एनएवी पर, जो भी कम हो, अथवा ट्रस्ट द्वारा निर्णीत मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद करने का तथा पुनर्खरीद की राशि से गलती से अदा किये गये आय वितरण, यदि कोई हो, की वसूली करने के बाद शेष राशि वापस करने का अधिकार होगा। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा चाहे पुनर्खरीद करने एवं आवेदक को पुनर्खरीद की आगमराशियां प्रेषित करने में ट्रस्ट को कितना ही समय क्यों न लगे।
न्यासों और अवयस्कों द्वारा आवेदन तथा उनका पंजीकरण **X**	1) पात्र न्यासों, निगमित निकायों, विदेशी निगमित निकायों एवं विदेशी संस्थागत निवेशकों को यूनिटधारकों के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। 3) पात्र न्यासों, निगमित निकायों, आदि द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के साथ यूनिटों में निवेश करने की आवेदक की क्षमता को दर्शाने वाले सभी सुसंगत दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाएंगे, यथा न्यास विलेख, संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद, उप-विधि आदि, यूनिटों में निवेश को प्राधिकृत करने वाले प्रबंध निकाय (मैनेजिंग बाडी) आदि द्वारा पारित संकल्प की प्राधिकृत प्रति तथा अपेक्षित मुख्तारनामा की प्रति।	1) पात्र संस्थाओं, निगमित निकाय, और सोसाइटियों (सहकारी सोसाइटियों सहित) को सदस्यों के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। 3) [illegible] संस्थाओं, निगमित निकाय या सोसाइटियों द्वारा, अपेक्षा किये जाने पर, यूनिटों में निवेश करने की आवेदक की क्षमता को दर्शाने वाले सभी सुसंगत दस्तावेज़ ट्रस्ट को प्रस्तुत किये जाएंगे, यथा संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद, उप-विधि आदि, यूनिटों में निवेश को प्राधिकृत करने वाले प्रबंध निकाय (मैनेजिंग बाडी) आदि द्वारा पारित संकल्प की प्राधिकृत प्रति तथा अपेक्षित मुख्तारनामा की प्रति। 4) फर्म को सदस्य के रूप में पंजीकृत किया जाएगा तथा लेखा विवरण फर्म के नाम में तैयार किया जाएगा।
यूनिटों की बिक्री तथा आवंटन की तारीख **XI**	ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री की संविदा स्वीकृति की तारीख को पूरी हो गयी मानी जाएगी। आरंभिक पेशकश अवधि के लिए आवंटन की तारीख आरंभिक पेशकश अवधि की	बिक्री संविदा/लेखा विवरण जारी करना (क) यूनिटों का बिक्री मूल्य आवेदन की स्वीकृति की तारीख की समाप्ति पर मौजूद एन ए वी में 3% से अनधिक भार जोड़कर निकाला जाएगा। ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री की संविदा स्वीकृति की तारीख को पूरी हो गयी मानी जाएगी। आरंभिक पेशकश

	समाप्ति की तारीख से 30 दिन बाद की तारीख होगी । बाद की पेशकश अवधियों के लिए आवेदन की स्वीकृति की तारीख ही आवंटन की तारीख होगी । बिक्री की संविदा इस तरह पूरी हो जाने पर ट्रस्ट या उसका एजेंट, जैसी भी स्थिति हो, तदुपरांत यथाशीघ्र आवेदक को उसकी पावती भेजेंगे। उसके बाद ट्रस्ट बेचे गये यूनिटों के लिए यूनिट प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा दिये गये पते पर डाक से भेजेगा । यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिट प्रमाणपत्र यथाशीघ्र, आवंटन की तारीख से अधिक से अधिक छः सप्ताह के भीतर, भेजने का प्रयास किया जाएगा ।ट्रस्ट द्वारा इस प्रकार प्रेषित यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, नुकसान हो जाने, गलत सुपुर्दगी हो जाने या सुपुर्दगी न होने पर यूनिट ट्रस्ट की कोई देयता नहीं होगी । पात्र न्यास को यदि यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया तो वह ऐसे न्यास के नाम में होगा ।	अवधि के लिए आवंटन की तारीख आरंभिक पेशकश अवधि की समाप्ति की तारीख से 30 दिन बाद की तारीख होगी । बाद की पेशकश अवधियों के लिए आवेदन की स्वीकृति की तारीख ही आवंटन की तारीख होगी । बिक्री की संविदा इस तरह पूरी हो जाने पर ट्रस्ट तदुपरांत यथाशीघ्र आवेदक को लेखा-विवरण जारी करेगा । ट्रस्ट द्वारा पात्र संस्था, फर्म या निगमित निकाय को जारी किया गया लेखा-विवरण पात्र संस्था/ फर्म/ निगमित निकाय के नाम में होगा । ट्रस्ट द्वारा इस प्रकार प्रेषित लेखा विवरण के खो जाने, नुकसान हो जाने, गलत सुपुर्दगी हो जाने या सुपुर्दगी न होने पर ट्रस्ट की कोई देयता नहीं होगी । ख) किसी दिन 2 बजे अपराह्न तक ट्रस्ट के शाखा कार्यालयों में बिक्री / पुनर्खरीद के लिए प्राप्त और स्वीकृत अथवा रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्राप्त [कृपया III(क) देखें] सभी आवेदनों के संबंध में उसी दिन का एन ए वी लागू होगा । 2 बजे अपराह्न के बाद प्राप्त और स्वीकृत सभी आवेदनों पर अगले कारोबारी दिवस का एन ए वी लागू होगा । ग) संस्थाओं के आवेदन अपेक्षित दस्तावेज़ों सहित ट्रस्ट के कार्यालयों में ही स्वीकार किये जाएंगे । घ) ट्रस्ट आवेदन की स्वीकृति की तारीख से अधिक से अधिक 6 सप्ताह के भीतर लेखा-विवरण भेज देगा ।
इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन XII	वर्तमान प्रावधानों को अनुबंध III की मद 9 के अंतर्गत किये गये प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।	अनुबंध III की मद 9 देखें ।
निवल आस्ति मूल्य का निर्धारण XIII	यह एन ए वी कम-से-कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रतिदिन प्रकाशित कराया जाएगा । एन ए वी की गणना उचित समय पर सेबी द्वारा निर्धारित विनियमों	<u>निवल आस्ति मूल्य (एन ए वी) की गणना और उसका प्रकटीकरण :</u> एन ए वी प्रतिदिन प्रकाशित किये जाने के लिए प्रेस को जारी किया जाएगा ।

	एवं दिशा-निर्देशों की शर्त पर होगी ।	
निवेश की सीमाएं XV	(i) योजना द्वारा जिन ऋण लिखतों में निवेश किया गया हो उन्हें क्रिसिल/ आइसीआरए/ केयर अथवा अन्य किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा, जो समय-समय पर मान्यता प्राप्त हो, निवेश ग्रेड की रेटिंग दी गयी हो : बशर्ते यदि ऋण लिखत की रेटिंग न करायी गयी हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल से विनिर्दिष्ट अनुमोदन लिया गया हो । (ii) इस योजना द्वारा कोई मीयादी ऋण नहीं दिया जाएगा । (iii) निजी तौर पर स्थानित डिबेंचरों, जमानती ऋणों एवं अन्य गैर-सूचीबद्ध ऋण लिखतों में निवेश योजना की कुल आस्तियों के 10% से अधिक नहीं होगा । (iv) योजना किसी एक कंपनी के शेयरों में अपनी निधियों के 5% से अधिक का निवेश नहीं करेगी । (v) किसी एक कंपनी के शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों में इस योजना सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं की निधियों के 15% से अधिक राशि का निवेश नहीं किया जाएगा । (vi) किसी एक उद्योग के	(i) इस योजना द्वारा कोई मीयादी ऋण नहीं दिया जाएगा । (ii) ट्रस्ट सुपुर्दगी के आधार पर प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करेगा तथा खरीद के सभी मामलों में, संबंधित प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेगा एवं बिक्री के सभी मामलों में, प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी देगा और किसी भी हालत में वह स्वयं को ऐसी स्थिति में नहीं डालेगा जिससे इसे शार्ट-सेल करना पड़े या लेन-देन को कैरी-फारवर्ड करना पड़े या बदला वित्तपोषण का सहारा लेना पड़े । (iii) ट्रस्ट अपने द्वारा खरीदी गयी प्रतिभूतियां अपने नाम में अंतरित करायेगा । (iv)अपेक्षित प्राधिकार मिलने की शर्त पर, ट्रस्ट, उपयुक्त परिस्थितियों में, योजना की निवेश संबंधी नीति या बचाव या जोखिम को न्यूनतम करने के प्रयोजन पूरे करने के लिए सेबी द्वारा समय-समय पर किये गये निर्धारणों के अनुसार प्रयोज्य विनियमों एवं प्रतिपक्षी जोखिम के आकलन की शर्त पर फ्यूचर्स एण्ड ऑप्शन्स और अन्य व्युत्पन्न लिखतों जैसी तकनीकों एवं साधनों का उपयोग कर सकता है । (v) (क) योजना सेबी द्वारा घोषित प्रतिभूति उधार योजना के अनुसार स्टॉक लेंडिंग कार्यक्रम में भाग ले सकती है । यह कार्य अनुमोदित मध्यस्थ के जरिये किया जाएगा । (ख) किसी भी समय पर स्टॉक-लेंडिंग कार्यक्रम में एक मध्यस्थ के प्रति योजना का अधिकतम एक्सपोज़र योजना के ईक्विटी पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य के 10% अथवा सेबी द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक होगा ।

	शेयरों, डिबेंचरों में इस योजना सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं की निधियों के 15% से अधिक राशि का निवेश नहीं किया जाएगा : परन्तु यह प्रावधान उस योजना पर लागू नहीं होगा, जो किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट उद्योग में निवेश के लिए शुरू की गयी हो तथा पेश-कश पत्र में उस आशय की घोषणा की गयी हो । (vii) इस योजना से ट्रस्ट की अन्य योजना/ प्लान में निवेशों का अंतरण निम्नलिखित स्थितियों में ही किया जाएगा - (क) ऐसे अंतरण उद्धृत लिखतों के लिए हाजिर आधार पर प्रचलित बाजार भाव पर किये जाते हैं । (ख) इस प्रकार अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/ प्लान के निवेश संबंधी उद्देश्यों के अनुरूप होंगी जिसमें ऐसा अंतरण किया गया हो । (ग) गैर-सूचीबद्ध अथवा गैर-उद्धृत निवेशों का इस योजना से अन्य योजना/ प्लान में अंतरण ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा । (viii) योजना यूटीआई की अन्य योजना/ प्लान में निवेश नहीं करेगी/ को उधार नहीं देगी । (9) योजना अपने निवेशों के	(ग) यदि ट्रस्ट को स्टॉक उधार लेने की अनुमति दी जाए तो योजना उपयुक्त परिस्थितियों में इस संबंध में सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्टॉक उधार ले सकती है । (vi) योजना समुद्रपारीय/ विदेशी कंपनियों द्वारा जारी एवं विदेश में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में अथवा भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी/ समुद्रपारीय निवेशकों को जारी एवं विदेशी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में समय-समय पर इस संबंध में सेबी / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे निर्गमों में सीधे अभिदान करके अथवा विदेशी शेयर बाजारों में उनकी खरीद करके निवेश कर सकती है । (vii) योजना निम्नलिखित में कोई निवेश नहीं करेगी; क) ट्रस्ट की किसी सहयोगी या समूह कंपनी की गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूति में; या ख) ट्रस्ट की किसी सहयोगी या समूह कंपनी द्वारा निजी स्थानन के रूप में जारी किसी प्रतिभूति में; या ग) ट्रस्ट की समूह कंपनियों की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवल आस्तियों के 25% से अधिक का निवेश । (viii) यूटीआई सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज लिमिटेड (यूटीआई एसईएल), जो एक स्टॉक-ब्रोकिंग फर्म है एवं यूटीआई के पूर्ण स्वामित्व में है, की सेवाओं का उपयोग ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार तथा निर्धारित सीमाओं के अधीन योजना के प्रतिभूति लेन-देनों के लिए किया जाएगा । यूटीआई एसईएल की स्थापना 1994 में की गयी थी तथा उसका पंजीकृत कार्यालय मुम्बई में है । (ix) योजना किसी एक कंपनी के ईक्विटी शेयरों या [illegible] लिखतों में अपने एन ए वी के 10% से अधिक [illegible] निवेश नहीं करेगी ।

	वित्तपोषण के लिए निधियां उधार नहीं लेगी ।	
यूनिटों की पुनर्खरीद XVI	(1) अवरुद्ध अवधि के भीतर अर्थात् आरंभिक पेशकश अवधि की समाप्ति की तारीख से 90 दिनों के भीतर कोई पुनर्खरीद नहीं की जाएगी । (2) (i) अवरुद्ध अवधि के बाद यूनिट ट्रस्ट एन ए वी पर यूनिटों की पुनर्खरीद करेगा । पुनर्खरीद तब किया जाएगा जब यूनिट प्रमाणपत्र उसके पीछे मुद्रित सम्यक् रूप से निर्मोचित पुनर्खरीद फार्म सहित प्राप्त हो जाए, बशर्ते ट्रस्ट इस बात से पूर्णत: संतुष्ट हो कि उस संबंध में सभी औपचारिकताएं, जिनके ब्यौरे विशेष रूप से इसके उप खण्ड (3) में दिये गये हैं, पूरी कर ली गयी हों। आंशिक पुनर्खरीदों की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते इस प्रकार की गयी किसी भी पुनर्खरीद से यूनिटधारक के पास धारित यूनिटों की संख्या 100 यूनिटों के गुणजों से इतर रूप में न होने पाये । (ii) यूनिटधारक के समक्ष पुनर्खरीद के लिए अपने यूनिटों की पेशकश करने की कोई बाध्यता नहीं होगी, जैसाकि ऊपर उप खण्ड 2(I) में बताया गया है, तथा वह योजना चालू रहने के दौरान अपनी इच्छानुसार	1. वर्ष में 45 दिनों से अनधिक अवधि के बुक-क्लोजर को छोड़कर पूरे साल पुनर्खरीद की सुविधा उपलब्ध रहेगी । 2. पीईएफ के यूनिट का पुनर्खरीद मूल्य एन ए वी होगा । 3. संमिश्र सेवा पत्रक /सम्यक् रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र में पुनर्खरीद अनुरोध पर्ची प्राप्त होने पर पुनर्खराद किया जाएगा । आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति इस शर्त पर होगी कि सदस्य प्रति फोलियो न्यूनतम रु.5000, जिसकी गणना पुनर्खरीद आवेदन की स्वीकृति की तारीख को लागू पुनर्खरीद मूल्य पर की जाएगी, की शेषराशि रखें । पुनर्खरीद के लिए स्वीकृति की तारीख को पुनर्खरीद की संविदा समाप्त हुई मानी जाएगी । 4. आंशिक पुनर्खरीद किये जाने की स्थिति में सदस्य को एक नया लेखा-विवरण जारी किया जाएगा, जो उसके द्वारा धारित यूनिटों पर निर्भर होगा । पुनर्खरीद की आगमराशियों पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । 5. सदस्य/यों की मृत्यु और विधिक प्रतिनिधि द्वारा लेखा-विवरण, मृत सदस्य के नाम में बकाया यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र ट्रस्ट को अभ्यर्पित किये जाने की स्थिति में, ट्रस्ट, दावे की मान्यता के संबंध में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुपालन की शर्त पर, ट्रस्ट द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार यूनिटों की पुनर्खरीद करेगा तथा दावे के निपटान की तारीख तक बकाया राशि की अदायगी करेगा । लेखा विवरण के विधिक प्रतिनिधि को मृतक के नाम में जमा सभी यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य प्राप्त करने के बजाय सदस्य के रूप में यूनिट रखने और सदस्य के रूप में पंजीकृत बने रहने की अनुमति दी जाएगी तथा उसे धारित किये जाने वाले यूनिटों के

कितने भी समय तक उन्हें अपने पास रखने के लिए स्वतंत्र है ।

(3) उसके उप खण्ड के उपबंधों की शर्त पर यूनिट ट्रस्ट, पुनर्खरीद के लिए यूनिटधारक द्वारा अनुरोध किये जाने पर, यूनिट प्रमाणपत्र में दर्शाये गये यूनिटों के विनिर्दिष्ट भाग को, जैसी स्थिति हो, पुनर्खरीद करेगा जो हमेशा 100 यूनिटों के गुणजों में होगा । इस प्रकार प्राप्त यूनिट प्रमाणपत्र रद्द किये जाने के लिए यूनिट ट्रस्ट अपने पास रख लेगा । यूनिट प्रमाणपत्र में दर्शाये गये यूनिटों के एक अंश की पुनर्खरीद किये जाने की स्थिति में यूनिट ट्रस्ट यूनिटधारक द्वारा धारित शेष यूनिटों के लिए एक नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(4) स्वीकृति की तारीख को पुनर्खरीद की संविदा समाप्त हुई मानी जाएगी ।

(5) यूनिट ट्रस्ट पुनर्खरीद किये गये यूनिटों की अदायगी स्वीकृति की तारीख के बाद यथासंभव यथाशीघ्र आवेदन में आवेदक द्वारा निर्दिष्ट रूप में करेगा । आवेदक को देय राशि पर किसी भी रूप में कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा प्रेषण की लागत (डाकखर्च सहित) अथवा यूनिट ट्रस्ट द्वारा भेजे गये चेक या ड्राफ्ट की वसूली की लागत का वहन आवेदक द्वारा

संबंध में उसके नाम में लेखा-विवरण जारी किया जाएगा बशर्ते वह न्यूनतम धारिता एवं निवेश के लिए पात्रता की शर्तें पूरी कर रहा हो ।

7. ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद किये गये यूनिटों की अदायगी कटौती, यदि कोई हो, के बाद पुनर्खरीद संबंधी अनुरोध प्रॉसेस किये जाने वाले केन्द्र में पुनर्खरीद संबंधी अनुरोध पत्र के साथ लेखा विवरण की प्राप्ति की तारीख से 10 कार्य-दिवसों के भीतर (बशर्ते आवेदन नियमानुसार हो) किया जाएगा ।

आवेदक को देय राशि के संदर्भ में किसी भी रूप में कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा प्रेषण की लागत (डाक खर्च सहित) अथवा ट्रस्ट द्वारा भेजे गये चेक या ड्राफ्ट की वसूली की लागत का वहन आवेदक करेगा ।

8. अनिवासी निवेशकों के मामले में, पुनर्खरीद की आगमराशियां निवेश संबंधी स्रोत पर निर्भर रहते हुए निम्नानुसार प्रेषित की जाएंगी :-

क) जब विदेश से प्रेषित विदेशी मुद्रा से अथवा सदस्य की एफ सी एन आर जमाराशियों की आगमराशियों से अथवा सदस्य के भारत स्थित बैंक के अनिवासी (बाह्य) खाते में रखी गयी निधियों से यूनिटों की खरीद की गयी हो, तो सदस्य को आगमराशियां विदेशी मुद्रा में प्रेषित की जा सकती हैं अथवा उसे अनिवासी (बाह्य) या अनिवासी साधारण खाते में जमा किया जा सकता है अथवा भारत में उसके रिश्तेदार को अदा किया जा सकता है ।

ख) जब आवेदक के भारत में निवासी रहने के दौरान अथवा सदस्य के अनिवासी साधारण खाते में रखी गयी निधियों से यूनिटों की खरीद की गयी हो, तो परिपक्वता संबंधी आगमराशियां या तो निवेशक के अनिवासी साधारण खाते में जमा किये जाने के लिए भारत में उसके बैंकर के पास प्रेषित की जा सकती हैं, अथवा उसे भारत में निवेशक के रिश्तेदार के पास भेजा जा सकता है ।

9. विदेशी संस्थागत निवेशकों के मामले में,

	किया जाएगा ।	अनिवार्सा रुपया खाते में जमा की जाएगी या उसे सेबी / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार प्रेषित किया जाएगा ।
स्विचओवर XVIA.	वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है ।	स्विचओवर i) योजना के अंतर्गत सदस्यों को इस योजना से ऐसी अन्य योजनाओं में या अन्य योजनाओं से इस योजना में अपने निवेश के स्विचओवर की अनुमति होगी । ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर ऐसी अनुमति दी जा सकती है । ऐसी स्थिति में वे अपना नवीनतम लेखा-विवरण या सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र,(यदि कोई हो, प्रस्तुत कर स्विचओवर के लिए आवेदन कर सकते हैं । ii) स्विचओवर एन ए वी या एन ए वी पर आधारित मूल्य पर प्रभावी होगा, जिसका निर्णय ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा । iii) इस योजना से ऐसी अन्य योजनाओं में या अन्य योजनाओं से इस योजना में ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर घोषित आंशिक स्विचओवर में दोनों योजनाओं के अंतर्गत न्यूनतम सीमा तक निवेश रखने की शर्त पूरी होनी चाहिए । यूनिट प्रमाणपत्र/ लेखा-विवरण ट्रस्ट द्वारा रद्द किये जाने के लिए रख लिया जाएगा तथा सदस्य को दोनों योजनाओं के लिए नये लेखा-विवरण जारी किये जाएंगे । iv) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईए/54 ईबी का लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए योजना में किये गये निवेश का स्विचओवर क्रमश: 3 और 7 वर्ष की लॉक-इन अवधि की समाप्ति के पूर्व करने की अनुमति नहीं होगी ।
बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य	(1) यूनिट ट्रस्ट द्वारा जिस मूल्य पर यूनिट बेचा जाएगा (जिसे	यूनिट ट्रस्ट द्वारा जिस मूल्य पर यूनिट बेचा जाएगा, उसे इसमें इसके बाद 'बिक्री मूल्य' कहा जाएगा तथा

XIX (1)	इसमें इसके बाद 'बिक्री मूल्य' कहा गया है), और जिस मूल्य पर यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी (जिसे इसमें इसके बाद 'पुनर्खरीद मूल्य' कहा गया है) उनकी घोषणा दैनिक आधार पर की जाएगी। आरंभिक पेशकश अवधि के दौरान बिक्री सममूल्य पर की जाएगी।बाद में अर्थात् आरंभिक पेशकश अवधि की समाप्ति की तारीख से 90 दिनों की अवरुद्ध अवधि के बाद बिक्री मूल्य पिछले एनएवी में एनएवी का कम से कम 5% जोड़कर निकाला जाएगा। बिक्री मूल्य की घोषणा दैनिक आधार पर की जाएगी। पुनर्खरीद मूल्य पिछले एनएवी पर निर्धारित किया जाएगा। पुनर्खरीद मूल्य की घोषणा दैनिक आधार पर की जाएगी। तथापि, बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य के बीच का अंतर बिक्री मूल्य के 7% से अधिक नहीं होगा।	यूनिट ट्रस्ट द्वारा जिस मूल्य पर यूनिट की पुनर्खरीद की जाएगी, उसे इसमें इसके बाद 'पुनर्खरीद मूल्य' कहा जाएगा। आरंभिक पेशकश अवधि के दौरान बिक्री सममूल्य पर की जाएगी।बाद में अर्थात् आरंभिक पेशकश अवधि की समाप्ति की तारीख से 90 दिनों की अवरुद्ध अवधि के बाद यूनिट बेचे जाने पर बिक्री मूल्य एनएवी में आवेदन स्वीकार किये जाने की तारीख की समाप्ति पर मौजूद एनएवी के 3% से अनधिक की राशि जोड़कर निकाला जाएगा। बिक्री मूल्य की घोषणा दैनिक आधार पर की जाएगी। पुनर्खरीद मूल्य आवेदन स्वीकार किये जाने की तारीख की समाप्ति पर मौजूद एनएवी पर निर्धारित किया जाएगा। पुनर्खरीद मूल्य की घोषणा दैनिक आधार पर की जाएगी। तथापि, बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य के बीच का अंतर बिक्री मूल्य के 7% से अधिक नहीं होगा।
यूनिट प्रमाणपत्र का प्रारूप XIX	यूनिटधारक को यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। यूनिट प्रमाणपत्र इसके साथ संबद्ध फार्म ए में होगा। प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र का अलग क्रमांक होगा तथा उसमें यूनिटों की संख्या एवं यूनिटधारक (कों) का/के नाम दर्शाया जाएगा/दर्शाये जाएंगे।	1) 23/02/2000 को और उसके बाद बेचे गये यूनिटों के लिए ट्रस्ट द्वारा आवेदन स्वीकार किये जाने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर फोलियो नम्बर देते हुए एक लेखा-विवरण जारी किया जाएगा। 2) हर बार अतिरिक्त खरीद या आंशिक पुनर्खरीद किये जाने पर अथवा सदस्य द्वारा फोलियो के तहत निम्नलिखित खण्ड XXVII (क) के अनुसरण में यूनिटों का स्विचओवर किये जाने पर प्रत्येक सदस्य को हर बार फोलियो के अंतर्गत अद्यतन लेखा-

		विवरण भेजा जाएगा । 3) अनिवासी भारतीय निवेशक लेखा-विवरण भेजे जाने के लिए निम्नलिखित में से कोई भी पद्धति चुन सकते हैं : (i) आवेदक के भारतीय /विदेश स्थित पते पर अथवा (ii) भारत में अनिवासी भारतीय आवेदक के संबंधी के पते पर 4) विदेशी संस्थागत निवेशकों के मामले में, लेखा-विवरण उनके सार्वभौमिक अभिरक्षकों के पास अथवा आवेदन में प्रस्तुत पते पर भेजा जाएगा । 5) यदि सदस्य चाहे तो लेखा-विवरण के स्थान पर प्रमाणपत्र जारी किये जाने के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर छः सप्ताह के भीतर उसे यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा । 6) यूनिट प्रमाणपत्र / लेखा-विवरण दोनों योजना में निवेशक के शामिल होने के समान रूप से वैध साक्ष्य हैं । 7) खण्डों के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित यूनिट प्रमाणपत्र द्वारा कवर किये गये यूनिटों तथा यूनिटधारकों पर लागू होंगे । 8) लेखा-विवरण / यूनिट प्रमाणपत्र के कट-फट जाने, विरूप हो जाने, खो जाने आदि की स्थिति में उसका विनिमय: [illegible] अनुरोध पर [illegible] विवरण जारी किया जाएगा ।
यूनिटों के संबंध में	जिस व्यक्ति को यूनिटधारक के	जिस व्यक्ति को यूनिटधारक के रूप में पंजीकृत

ट्रस्ट का मान्यता नहीं दी जाएगी XXIII	रूप में पंजीकृत किया गया हो तथा जिसके नाम में यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया हो वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जिसे ट्रस्ट यूनिटधारक मानेगा और उसी को ऐसे यूनिट प्रमाणपत्र व तत्संबंधी यूनिटों में तथा उसके प्रति अधिकार, हक़ या हित प्राप्त होगा; तथा ट्रस्ट ऐसे यूनिटधारक को उसका एकमात्र स्वामी मानेगा और वह इसके विपरीत किसी नोटिस द्वारा आबद्ध नहीं होगा अथवा, जैसा कि यहां व्यक्त रूप में कोई प्रावधान किया गया हो अथवा जैसाकि किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने आदेश दिया हो उसे छोड़कर, किसी यूनिट प्रमाणपत्र अथवा तत्संबंधी यूनिटों के प्रति हक़ को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या ईक्विटी या अन्य हित को मान्यता देने के लिए आबद्ध नहीं होगा ।	किया गया हो तथा जिसके नाम में लेखा विवरण जारी किया गया हो वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जिसे ट्रस्ट सदस्य मानेगा और उसी को लेखा विवरण में दर्शाये गये यूनिटों में तथा उसके प्रति अधिकार, हक़ या हित प्राप्त होगा; तथा यूनिट ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसका एकमात्र स्वामी मानेगा और वह इसके विपरीत किसी नोटिस द्वारा आबद्ध नहीं होगा अथवा, जैसा कि यहां व्यक्त रूप में कोई प्रावधान किया गया हो अथवा जैसाकि किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने आदेश दिया हो उसे छोड़कर, किसी लेखा विवरण में दर्शाये गये यूनिटों के प्रति हक़ को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या ईक्विटी या अन्य हित को मान्यता देने के लिए आबद्ध नहीं होगा ।
सदस्यों का रजिस्टर XXVA	वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है ।	सदस्यों के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे : (1) ट्रस्ट सदस्यों का रजिस्टर अपने कार्यालयों में रखेगा तथा उस रजिस्टर में निम्नलिखित बातें दर्ज की जाएंगी - (क) फोलियो नम्बर और सदस्य के खाते में जमा यूनिटों की संख्या; (ख) सदस्य का नाम और पता; (ग) दूसरे और तीसरे धारक का/के नाम; (घ) धारिता का स्वरूप; (ङ) नामिती/ हिताधिकारी का नाम;

		(च) सदस्य बनने की तारीख; (2) खण्ड 21 में दिये गये प्रतिबंध, जो यूनिट प्रमाणपत्र (त्रों) तथा यूनिटधारक (कों) पर लागू हैं, यथावश्यक परिवर्तन सहित लेखा विवरण एवं आवेदित / सदस्य के नाम में जमा यूनिटों पर लागू होंगे।
यूनिटधारक की पावती से ट्रस्ट उन्मोचित हो जाएगा XXVI	प्रमाणपत्र में उल्लिखित यूनिटों के संबंध में यूनिटधारक को प्रदत्त किसी राशि के संबंध में उसकी पावती यूनिट ट्रस्ट के लिए उचित उन्मोचन होगा।	सदस्य की पावती से ट्रस्ट उन्मोचित हो जाएगा यूनिट प्रमाणपत्र / लेखा विवरण में उल्लिखित यूनिटों के संबंध में सदस्य को प्रदत्त किसी राशि के संबंध में उसकी पावती यूनिट ट्रस्ट के लिए उचित उन्मोचन होगा।
यूनिटों का अंतरण/ उन्हें गिरवी रखना/ उनका समनुदेशन: XXVII	योजना के अंतर्गत जारी किये गये यूनिटों का निम्नलिखित शर्तों पर आरंभिक पेशकश अवधि की समाप्ति की तारीख से 90 दिन पूरे होने के बाद अंतरण / गिरवी / समनुदेशन किया जा सकता है : (1) प्रत्येक यूनिटधारक ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित फार्म में लिखित रूप में लिखत द्वारा उसके द्वारा धारित यूनिट या उनमें से कोई यूनिट अंतरित कर सकेगा, परन्तु ऐसे किसी भी अंतरण को पंजीकृत नहीं किया जाएगा यदि उसके पंजीकरण के फलस्वरूप अंतरिती के पास बचने वाले यूनिट 100 के गुणजों में न हों। साथ ही खण्ड V में उल्लिखित वर्ग के व्यक्तियों को छोड़कर अन्य किसी के नाम में कोई अंतरण नहीं किया जाएगा।	क) अंतरण की सुविधा - निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर लेखा-विवरण के तहत आने वाले यूनिट अंतरणीय नहीं हैं। परन्तु सतत खुली योजना होने के कारण, बिक्री /पुनर्खरीद की सुविधा *एन ए वी / एन ए वी* आधारित मूल्य पर सतत आधार पर उपलब्ध है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति विधि के परिचालन द्वारा अथवा गिरवी लागू करने पर (जैसाकि नीचे (ख) में दिया गया है) अथवा मृत्यु, दिवालियेपन या एकमात्र धारक के कार्यों के समापन के कारण अथवा संयुक्त धारको के उत्तरजीवी के रूप में यूनिटों का धारक बन जाए, तो ट्रस्ट की राय में पर्याप्त समझे जाने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर ट्रस्ट अंतरण को लागू करेगा बशर्ते आशयित अंतरिती अन्यथा यूनिट रखने के लिए पात्र हो। परन्तु विशेष परिस्थितियों में, ट्रस्ट अंतरण लिखत के बिना ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों पर यूनिटों के अंतरण की अनुमति दे सकता है। विशेष परिस्थितियों में, किसी कंपनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा अन्य कंपनी या निगमित निकाय या व्यक्ति / व्यक्तियों, जिनमें से कोई भी

(2) अंतरण के प्रत्यक लिखत पर अंतरणकर्ता एवं अंतरिती द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे तथा अंतरणकर्ता को तब तक अंतरित यूनिटों का धारक माना जाता रहेगा, जब तक तत्संबंधी रजिस्टर में अंतरिती का नाम शामिल नहीं कर लिया जाता।

(3)संबंधित यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ अंतरण संबंधी लिखतें यूनिट ट्रस्ट की किसी शाखा /इस प्रयोजन के लिए नियुक्त रजिस्ट्रारों के किसी कार्यालय में प्रस्तुत की जाएंगी।

(4) यूनिट ट्रस्ट का शाखा कार्यालय /रजिस्ट्रार अंतरणकर्ता के हक या यूनिट अंतरित करने के उसके अधिकार के समर्थन में आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी साक्ष्य की मांग कर सकते हैं। ट्रस्ट अंतरणकर्ता द्वारा प्रमाणपत्रों को बदलने के लिए उसके द्वारा आवेदन किये जाने की स्थिति में की जाने वाली अपेक्षाओं जैसी अपेक्षाओं का अनुपालन किये जाने पर खो गये, चोरी हो गये या नष्ट हो गये मूल यूनिट प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा को अभिमुक्त कर सकते हैं।

(5) यदि अंतरिती शासकीय क्षमता में या विधि के परिचालन द्वारा यूनिटों का धारक बन जाए, तो ट्रस्ट की शाखा / रजिस्ट्रार, अवयस्क न हो, के साथ यूनिट रखे जाने पर ट्रस्ट विचार करेगा।

ख) सदस्य ऋण लेने के लिए बैंक/ अन्य वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में यूनिटों को गिरवी रख सकते हैं / उनको समनुदेशित कर सकते हैं। ट्रस्ट द्वारा अपेक्षित फार्म भरकर/ औपचारिकताएं पूरी करके यूनिटों को गिरवी रखा जा सकता है।ट्रस्ट गिरवी रखे गये यूनिटों पर गिरवी/ प्रभार/ ग्रहणाधिकार दर्ज करेगा। गिरवी रखने वाला व्यक्ति इस प्रकार गिरवी रखे गये यूनिटों का मोचन तब तक नहीं कर सकता, जब तक वे बैंक / वित्तीय संस्थाएं, जिन्हें यूनिट गिरवी रखे गये हैं, ट्रस्ट को लिखित रूप में इस बात के लिए प्राधिकृत नहीं कर देतीं कि गिरवी/ प्रभार/ ग्रहणाधिकार हटा लिया जाए। यूनिटों के गिरवी रखे रहने तक, गिरवीदार बैंक / वित्तीय संस्थाओं को ऐसे यूनिटों का मोचन करने का पूरा अधिकार होगा।

	यदि कोई हो, उनकी राय में पर्याप्त समझे जाने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर अंतरण को लागू करेंगे बशर्ते आशयित अंतरिती अन्यथा यूनिट रखने के लिए पात्र हो। (6) अंतरण की सभी लिखतें, जिनका पंजीकरण किया गया हो, ट्रस्ट द्वारा उतनी अवधि तक रखी जाएंगी जब तक उन्हें रखना प्रक्रियात्मक और परिचालनात्मक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हो। (7) सभी यूनिट अंतरित किये जाने की स्थिति में, ट्रस्ट इस प्रयोजन के लिए पीछे दिये गये स्थान पर अंतरिती के ब्यौरों को पृष्ठांकित करेगा। यदि अंतरणकर्ता ने यूनिट प्रमाणपत्र द्वारा कवर किये गये यूनिटों के एक अंश का ही अंतरण किया हो, तो ट्रस्ट अंतरणकर्ता द्वारा अंतरित न किये गये यूनिटों के लिए उसे एक नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा तथा इस प्रकार अंतरित यूनिटों के लिए अंतरिती को भी एक नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा। (8) इसमें इसके पहले उल्लिखित प्रावधानों की शर्त पर ट्रस्ट अंतरण का पंजीकरण करेगा तथा संबंधित अंतरण लिखत के साथ यूनिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अंतरिती को	

	यूनिट प्रमाणपत्र वापस कर देगा।	
न्यायवादियों (अटर्नियों) द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन और अंतरण फार्म XXVIII	यदि किसी आवेदन या अंतरण फार्म पर मुख्तारनामाधारक ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो, जिसे ऐसा करने की शक्ति प्राप्त हो, तो आवेदन या अंतरण फार्म, जैसी स्थिति हो, के साथ मुख्तारनामा की मूल प्रति या उसकी नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रति तब तक प्रस्तुत की जानी चाहिए जब तक कि मुख्तारनामा पहले ही ट्रस्ट की बहियों में दर्ज न कर लिया गया हो।	न्यायवादियों (अटर्नियों) द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन यदि किसी आवेदन पर मुख्तारनामाधारक ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो, जिसे ऐसा करने की शक्ति प्राप्त हो, तो आवेदन के साथ मुख्तारनामा की मूल प्रति या उसकी नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रति तब तक प्रस्तुत की जानी चाहिए जब तक कि मुख्तारनामा पहले ही ट्रस्ट की बहियों में दर्ज न कर लिया गया हो।
यूनिटधारकों द्वारा नामांकन (XXIX)	(1) अकेले यूनिट रखने वाला यूनिटधारक या संयुक्त रूप से यूनिट रखने वाले दो यूनिटधारक विनियमों में दी गयी सीमा तक एक से अनधिक व्यक्ति के पक्ष में नामांकन करने या रद्द करने के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तथापि, अनिवासी भारतीयों द्वारा नामांकन के मामले में नामांकन समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा शासित होगा।. (2) एकमात्र यूनिटधारक की मृत्यु की स्थिति में, नामिती ट्रस्ट द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसा व्यक्ति होगा, जिसे विनियमावली के अंतर्गत यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट	8. सदस्यों द्वारा नामांकन (i) नामांकन की सुविधा अपनी ओर से अर्थात् अकेले या दो तक संयुक्त रूप से आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध है। (ii) सिर्फ एक व्यक्ति को नामांकित किया जा सकता है। (iii) अनिवासी भारतीय अवयस्क सहित अवयस्कों को नामांकित किया जा सकता है। (iv) अनिवासी भारतीयों का नामांकन समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं की शर्त पर है। (v) निवेश चालू रहने के दौरान किसी भी समय नामांकन को बदला जा सकता है। (vi) अवयस्क के माता-पिता या विधिक अभिभावक, पात्र संस्था, सोसाइटी, निगमित निकाय, हिन्दू अविभक्त परिवार और भागीदारी फर्म के रूप में आवेदन करने वाले आवेदकों को नामांकन करने का कोई अधिकार नहीं है।

	द्वारा देय राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा । (3) यूनिटधारक द्वारा वैध नामांकन के अभाव में मृत यूनिटधारक के निष्पादक या प्रशासक अथवा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के भाग X के तहत निर्गत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसे ट्रस्ट द्वारा यूनिटों के संबंध में किसी प्रकार का हक़ रखने वाले व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी । (4) यूनिटधारक(कों) की मृत्यु की स्थिति में जो व्यक्ति यूनिटों का हक़दार होगा उसे, अवरुद्ध अवधि के बाद और उसकी हकदारी के संबंध में ट्रस्ट द्वारा पर्याप्त समझे जाने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर एवं दावेदार द्वारा दावे के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी किये जाने पर, ट्रस्ट द्वारा आवधिक रूप से निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य की अदायगी की जाएगी । (5) यदि यूनिट प्रमाणपत्र के तहत नामित एकमात्र व्यक्ति यूनिट रखने के लिए पात्र हो तो उक्त नामिती की इच्छानुसार उसे मृतक के नाम में जमा सभी यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य प्राप्त करने के बजाय यूनिटधारक के रूप में यूनिट रखने एवं	(vii) अन्य प्रावधान विनियमों में किये गये प्रावधानों के अनुसार होंगे । (viii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 39क के अंतर्गत सदस्य को सांविधिक नामांकन की सुविधा उपलब्ध है ।तदनुसार, जहां भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली, 1964 के अनुसार किसी यूनिट के संबंध में नामांकन किया गया हो, वहां सदस्य(यों) की मृत्यु हो जाने पर यूनिट नामिती में निहित होगा तथा नामिती को इस प्रकार निहित यूनिट के संबंध में लेखा-विवरण जारी किया जाएगा, जो विनियमावली में किये गये प्रावधानों के अनुसार ऐसे यूनिटों के प्रति एवं उनके संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के किसी अधिकार, हक़, दावे या अन्य हित की शर्त पर तथा ऐसे यूनिटों पर किसी भार या अवभार की शर्त पर होगा । उक्त प्रकार से ट्रस्ट द्वारा किये गये पारेषण (Transmission) से उक्त यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट सभी देयता से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा ।

	यूनिटधारक के रूप में पंजीकृत बने रहने की अनुमति दी जा सकती है और न्यूनतम धारिताएं संबंधी शर्तें पूरी किये जाने की शर्त पर उसके द्वारा वांछित यूनिटों के संबंध में उसके नाम में यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा । (6) अवरुद्ध अवधि के दौरान यूनिटधारक की मृत्यु की स्थिति में, यूनिट ट्रस्ट आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दावे का निपटान करेगा तथा सुसंगत खण्डों में दिये गये ब्यौरों के अनुसार या यूनिट ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत किसी अन्य पद्धति से ज्ञात पुनर्खरीद मूल्य की अदायगी विधिक उत्तराधिकारी / नामिती को करेगा ।	
आय वितरण XXXI	(1) योजना के अंतर्गत प्राप्त आय तथा उसके अंतर्गत हुए व्यय पर निर्भर रहते हुए ट्रस्ट योजना के अंतर्गत आय वितरित कर या नहीं कर सकता है । प्रत्येक वर्ष 30 जून को योजना की वार्षिक लेखाबंदी के बाद यथाशीघ्र यूनिटधारकों को वितरण योग्य आय, यदि कोई हो, का वितरण किया जाएगा । लाभांश घोषित किये जाने की तारीख से 42 दिनों के भीतर यूटीआई उसे प्रेषित करने का प्रयास करेगा ।	(क) यद्यपि योजना का उद्देश्य वृद्धि है, तथापि समय-समय पर योजना के तहत आय वितरित किया जा सकता है । (ख) जिन सदस्यों के नाम योजना द्वारा आय वितरण की घोषणा के पूर्व बहियों की लेखाबंदी के समय सदस्यों के रजिस्टर में शामिल हों, वे योजना के अंतर्गत इस प्रकार वितरित आय प्राप्त करने के हकदार होंगे । (ग) योजना द्वारा वितरित आय ईसीएस, जहां-कहीं ऐसी सुविधा उपलब्ध हो, के माध्यम से अथवा बैंक/बैंकों के साथ पूर्व-अदायगी व्यवस्थाओं के तहत ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक/बैंकों की शाखाओं में भुगतान-योग्य चेक या वारंट द्वारा अदा की जाएगी ।

	(2) यूनिटधारक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह जिन यूनिटों का धारक है उनके संबंध में ट्रस्ट द्वारा घोषित आय प्राप्त करे और रखे, भले ही उसने प्रतिफल के लिए उन यूनिटों को पहले ही अंतरित कर दिया हो जब तक कि अंतरणकर्ता से आय का दावा करने वाला अंतरिती आय देय होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अंतरण संबंधी अन्य सभी दस्तावेजों, जो उपबंधों के अंतर्गत या अन्यथा उसके नाम में पंजीकृत किये जाने के लिए ट्रस्ट द्वारा अपेक्षित हों, के साथ प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे । स्पष्टीकरण: इस उप खण्ड में विनिर्दिष्ट अवधि निम्नलिखित स्थितियों में बढ़ायी जाएगी - I) अंतरिती की मृत्यु की स्थिति में उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा आय के प्रति अपना दावा सिद्ध करने में ली गयी वास्तविक अवधि द्वारा; ii) चोरी या अंतरिती के नियंत्रण के बाहर के किसी अन्य कारण से अंतरण विलेख के खो जाने की स्थिति में उसके पुन:स्थापन में ली गयी वास्तविक अवधि द्वारा; और iii) अंतरण के संबंध में कोई प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज	(घ) आय वितरण की घोषणा के मामले में, आय वितरण वारंट आय वितरण की घोषणा की तारीख से 42 दिनों के भीतर भेज दिया जाएगा । (ङ)वितरित आय का पुनर्निवेश : सदस्य योजना द्वारा घोषित आय, यदि कोई हो, का पुनर्निवेश और अधिक यूनिटों में करने का विकल्प चुन सकते हैं । ऐसा विकल्प चुनने पर उसके द्वारा धारित यूनिटों पर अर्जित समग्र आय; कर, यदि कोई हो, की कटौती कर; इसमें इसके ऊपर खण्ड XXXI (ग) में उल्लिखित रूप में सदस्य को अदा करने के बजाय उसका पुनर्निवेश एन ए वी पर योजना के और यूनिटों में कर दिया जाएगा और उसे उसके फोलियो में जमा कर दिया जाएगा । इस प्रकार राशि जमा किये जाने पर एक नया लेखा-विवरण जारी किया जाएगा । च) निवेशकों के बैंक संबंधी ब्यौरे तथा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा : i) आय वितरण वारंट/ पुनर्खरीद चेक/ परिपक्वता चेक के कपटपूर्ण नकदीकरण को टालने के लिए सेबी ने निवेशकों के लिए यह अधिदेशात्मक कर दिया है कि वे अपने हित में आवेदन फार्म में उपयुक्त स्थान पर बैंक संबंधी ब्यौरे दें । बैंक के ब्यौरों से रहित आवेदन रद्द कर दिये जाएंगे ।तदनुसार, नीचे मद (ii) में दिये गये ग्यारह शहरों से बाहर रहने वाले आवेदकों से अनुरोध है कि वे आवेदन फार्म में उपयुक्त स्थान पर तथा रिकॉर्ड के लिए पावती वाले अंश पर अपने बैंक खाते के पूरे ब्यौरे (अर्थात् खाते का स्वरूप, खाता क्रमांक तथा बैंक का नाम) प्रस्तुत करें । ऐसी स्थिति में आय वितरण वारंट /पुनर्खरीद चेक इस प्रकार विनिर्दिष्ट सदस्य के खाते में जमा किये जाने के लिए बैंक के ब्यौरों सहित सदस्य के नाम में बनाये जाएंगे और उन्हें प्रेषित किये जाएंगे। ii) वर्तमान में मुम्बई/ कलकत्ता/ चेन्नई/ नई

प्रस्तुत करने में डाक द्वारा मार्गस्थ विलंब के मामले में, विलंब की वास्तविक अवधि द्वारा ।	दिल्ली/ अहमदाबाद/ बड़ोदा/ पुणे/ भुवनेश्वर/ बंगलोर/ हैदराबाद/ जयपुर से निवेशकों को ईसीएस की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ताकि संबंधित केन्द्रों में उनके बैंक खातों में राशि सीधे जमा की जा सके बशर्ते एक लिखत की राशि रु.5,00,000/- से अधिक न हो। निवेशक को एक विवरण दिया जाएगा, जिसमें उसके बैंक खाते में जमा की गयी राशि के ब्यौरे होंगे ।
(3) इसमें इसके पहले उल्लिखित कोई भी बात यूनिटधारक को उसके द्वारा धारित यूनिटों के संबंध में देय हुई आय अदा करने के ट्रस्ट के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।	iii) निवेशक के बैंक की शाखा उसके खाते में राशि जमा करेगी तथा जमा की गयी प्रविष्टि को बैंक खाते के पासबुक/ विवरण में "ईसीएस" के नाम से दर्शाया जाएगा । यह सुविधा प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक से अनुरोध है कि वह आवेदन फार्म में ये ब्यौरे भरें - अपने बैंक का नाम और पता, खाते का स्वरूप और उसका क्रमांक, 9 अंकों का बैंक एवं शाखा माइकर कोड क्रमांक आदि ।
(4) यूनिटधारकों के बीच वितरणयोग्य आय पर ट्रस्ट द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा । तथापि, ट्रस्ट, योजना के तहत रखी गयी प्रारक्षित निधियों की मात्रा पर निर्भर रहते हुए एवं परिस्थितियों द्वारा अनुमति मिलने पर, यूनिटधारक द्वारा देरी से लाभांश प्राप्त होने का दावा किये जाने पर कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित रूप में यथासंभव सीमा तक यूनिटधारक को क्षतिपूर्त करेगा ।	iv) इस सुविधा की पर्याप्त मांग न होने पर अथवा अन्य किसी कारण से ट्रस्ट "ईसीएस" के माध्यम से आय अदा करने के बजाय बैंक खाते संबंधी ब्यौरों से युक्त आय वारंट जारी करके आय की अदायगी कर सकता है । छ) <u>अनिवासी भारतीय/ विदेशी निगमित निकायों के निवेशकों को आय का वितरण</u>
(5) यूनिटधारकों के बीच यदि आय का वितरण किया गया तो उसकी अदायगी ट्रस्ट के जहां पर कार्यालय हैं वहां स्थित बैंकरों पर आहरित चेक या वारंट या अन्य किसी लिखत के माध्यम से अथवा यूनिटधारक के विकल्प पर बैंक ड्राफ्ट द्वारा, जिसका प्रभार यूनिटधारक वहन करेगा, की जाएगी ।	अनिवासी भारतीय/ विदेशी निगमित निकायों के निवेशकों को आय का वितरण विदेशी मुद्रा नियंत्रण संबंधी विनियमों के अनुसार किया जाएगा । आय की अदायगी संबंधी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है: i) वारंट सदस्य के नाम में जारी कर भारत में रहने वाले उसके रिश्तेदार के पास भेजा जा सकता है ताकि उसे सदस्य के अनिवासी बाह्य / अनिवासी साधारण खाते में, जैसी स्थिति हो, जमा किया जा सके ।
यूनिटधारक यूनिटों के लिए	अथवा

आय वितरण का और यूनिटों में पुनर्निवेश XXXII	आवेदन करते समय या उसके बाद यूनिटों के संबंध में प्राप्य आय का पुनर्निवेश और अधिक यूनिटों में करने का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसा विकल्प चुनने पर वितरित की जाने वाली समग्र आय यूनिटधारक को अदा किये जाने के बजाय इसके खण्ड XXXI में उल्लिखित रूप में कर, यदि कोई हो, की कटौती कर उसका पुनर्निवेश शून्य बिक्री भार सहित प्रचलित एन ए वी पर और अधिक यूनिटों में कर दिया जाएगा।एक विवरण यूनिटधारक को जारी किया जाएगा, जिसमें वितरित लाभांश, काटे गये कर, यदि कोई हो, तथा उसके बदले में आवंटित यूनिटों के ब्यौरे दिये जाएंगे। किसी भी यूनिटधारक को इस प्रकार आवंटित यूनिटों के संबंध में यूनिट प्रमाणपत्र जारी किये जाने की मांग करने का हक़ नहीं होगा। उक्त पुनर्निवेश सुविधा का विकल्प चुनने वाले यूनिटधारक को लिखित रूप में आवेदन देने और जारी किया गया अंतिम विवरण अभ्यर्पित करने पर उस समय प्रचलित मूल्य पर उसके खाते में जमा यूनिटों की पुनर्खरीद करने की अनुमति होगी। पुनर्निविष्ट यूनिटों की पुनर्खरीद करने वाला यूनिटधारक बाद के वर्षों के लिए वितरणयोग्य आय के	ii)भारत में रहने वाले रिश्तेदार के नाम में वारंट जारी कर उसके खाते में जमा किये जाने के लिए उसके पास भेजा जा सकता है। ज) मुम्बई में अपना बैंक खाता रखने वाले अनिवासी भारतीय निवेशकों को भी ईसीएस की सुविधा उपलब्ध है। जो अनिवासी भारतीय निवेशक अपने निवासी रिश्तेदार के खाते में आय वितरण की राशि जमा कराना चाहते हों, उन्हें ऊपर दर्शाये गये स्थानों पर ईसीएस की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

	संबंध में पुनर्निवेश की सुविधा प्राप्त करना जारी रख सकता है । इस खण्ड के तहत पुनर्निवेश की सुविधा के तहत आवंटित यूनिटों पर मूल यूनिटों को शासित करने वाली शर्तें यथा, 200 यूनिटों की न्यूनतम और उसके बाद 100 यूनिट के गुणजों में यूनिट रखना, आंशिक पुनर्खरीद और अन्य मामले, लागू नहीं होतीं ।	
विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान XXXIII	योजना सतत खुली बनने पर अर्थात् आरंभिक पेशकश अवधि की समाप्ति की तारीख से 90 दिनों की अवरुद्ध अवधि के बाद हर वर्ष निवल आस्ति मूल्य का 0.15% लेखांकन वर्ष के पहले दिन यूनिट ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि के प्रति अंशदान के रूप में अलग रखा जाएगा ।	(i) दैनिक औसत निवल आस्ति मूल्य के 0.25% वार्षिक के बराबर की राशि ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि के प्रति अंशदान के रूप में अलग रखी जाएगी ।विकास प्रारक्षित निधि के प्रति अंशदान आवर्ती व्ययों का अंश होगा । (ii) ट्रस्ट ने वर्ष 1983-84 में इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में की ताकि ट्रस्ट नयी योजनाएं प्रारंभ करने, संकल्पना के स्तर पर नयी प्रणालियां और प्रक्रियाएं शुरू करने एवं अन्य विभिन्न उत्पादनात्मक व विकासात्मक कार्य, जो किसी विशिष्ट योजना से संबद्ध या जुड़े हुए न हों, के संबंध में किये जाने वाले अनुसंधान और विकास व्यय को पूरा कर सके । निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए भी किया जाता है - आर्थिक और पूंजी बाजार संबंधी अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण और बाजार अनुसंधान, विपणन और कार्पोरेट छवि में सुधार संबंधी प्रयास जिनका संबंध किसी विशिष्ट योजना से न हो, मानव संसाधन विकास संबंधी ऐसे प्रयास जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो तथा जो ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से संबद्ध हों एवं ट्रस्ट की किसी आश्वासित दर प्रतिलाभ वाली योजना में आयी कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए तथा भार-रहित योजनाओं के निर्गम व्ययों के

		लिए ।
स्टाफ कल्याण निधि के प्रति अंशदान XXXIV	हर वर्ष निवल आस्ति मूल्य का 0.10% लेखांकन वर्ष के पहले दिन स्टाफ कल्याण निधि के प्रति अंशदान के रूप में अलग रखा जाएगा ।	योजना के दैनिक औसत निवल आस्ति मूल्य के 0.10% वार्षिक के बराबर की राशि स्टाफ कल्याण निधि के प्रति अंशदान के रूप में अलग रखी जाएगी ।ट्रस्ट ने अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए, जिसमें विपदा में राहत, चिकित्सा राहत, स्वास्थ्य राहत या इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं, स्टाफ कल्याण निधि की स्थापना की है ।
लेखों का प्रकाशन XXXV	ट्रस्ट हर वर्ष 30 जून के बाद यथाशीघ्र बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में लेखा प्रकाशित कराएगा, जिसमें उस तिथि को समाप्त अवधि के दौरान योजना के कार्य-परिणाम दर्शाये जाएंगे । ट्रस्ट सेबी और अन्य संबंधितों को सम्यक् रूप से लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों, तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा सहित, और अलेखा-परीक्षित छमाही लेखों तथा एन ए वी में घटबढ़ के तिमाही विवरण की तथा पिछली अवधियों से हुए परिवर्तनों सहित तिमाही पोर्टफोलियो विवरण की प्रतियां प्रस्तुत करेगा । ट्रस्ट निवेशकों के समक्ष ऐसे तथ्य प्रकट करेगा जो उन्हें ऐसी जानकारी देने के लिए जरूरी हैं जिनका उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । ट्रस्ट यूनिटधारक से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर इस प्रकार से प्रकाशित लेखों की प्रति उसे	संशोधित तथा अनुबंध III में 'लेखांकन नीति' की मद 10 के अंतर्गत शामिल ।

	प्रस्तुत करेगा ।	
योजना में परिवर्धन और संशोधन (XXXVI)	बोर्ड समय-समय पर इस योजना में परिवर्धन करके या अन्यथा संशोधन कर सकता है तथा उसमें किया गया कोई भी संशोधन / परिवर्धन शासकीय राजपत्र में अधिसूचित कराया जाएगा । संशोधन के किसी भी मामले में सेबी की पूर्वानुमोदन लिया जाएगा । योजना के उपबंधों पर आधारित पेशकश दस्तावेज़ में संशोधन कार्यपालक समिति और सेबी के पूर्वानुमोदन से किया जा सकता है ।	संशोधित और अनुबंध III की 'मौलिक विशिष्टताएं' नामक मद 5 के तहत शामिल ।
योजना का समापन (XXXVII)	(1)ट्रस्ट निम्नलिखित स्थितियों में योजना को समाप्त कर सकता है - यदि किसी समय पुनर्खरीद के बाद बकाया यूनिटों की कुल संख्या मूल रूप से जारी यूनिटों की संख्या के पचास प्रतिशत से कम हो जाए या युद्ध अथवा युद्ध जैसी अपवादात्मक स्थिति में, शेयर बाजारों में लेनदेन का विघटन, युद्ध आदि के कारण वित्तीय बाजार में कारोबार में रुकावट, विद्रोह, नागरिक उत्तेजना या अन्य कोई गंभीर सामाजिक-आर्थिक कारक (निरंतर राजनीतिक और औद्योगिक आन्दोलन जैसी)	(i) योजना की अवधि अनिश्चित है । तथापि, ट्रस्ट निम्नलिखित परिस्थितियों में इसे समाप्त कर सकता है और इसके समापन के लिए कदम उठा सकता है : (क) ऐसी कोई घटना घटित होने पर जिससे ट्रस्ट की राय में योजना को समाप्त करना अपेक्षित हो, अथवा (ख) यदि 75% सदस्य ऐसा संकल्प पारित कर दें कि योजना को समाप्त किया जाना चाहिए; अथवा (ग) यदि सेबी योजना के सदस्यों के हित में ऐसा निदेश दे । (ii) उक्त उप खण्ड (i) के अनुसरण में योजना का समापन किये जाने पर, ट्रस्ट समापन प्रभावी होने के कम-से-कम एक सप्ताह पहले सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों

	आदि ।	में एवं मुम्बई में परिचालित एक देशी भाषा के समाचार पत्र में एक नोटिस देकर उन परिस्थितियों की जानकारी देगा जिनके तहत उसे समाप्त किया जा रहा हो ।
	(2) उक्त उप खण्ड (1) के अनुसरण में योजना का समापन किये जाने पर, ट्रस्ट समापन प्रभावी होने के कम-से-कम एक सप्ताह पहले सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में एवं मुम्बई में परिचालित एक देशी भाषा के समाचार पत्र में एक नोटिस देकर उन परिस्थितियों की जानकारी देगा जिनके तहत उसे समाप्त किया जा रहा हो ।	(iii) समापन के विज्ञापन की तारीख को और उस तारीख से, ट्रस्ट (क) योजना के संबंध में कोई व्यवसायिक कार्यकलाप करना बंद कर देगा । (ख) योजना में यूनिट सर्जित करना और रद्द करना बंद कर देगा । (ग) योजना में यूनिट जारी करना और उनका मोचन करना बंद कर देगा ।
	(3) समापन के विज्ञापन की तारीख को और उस तारीख से, ट्रस्ट (क) योजना के संबंध में कोई व्यवसायिक कार्यकलाप करना बंद कर देगा । (ख) योजना में यूनिट सर्जित करना और रद्द करना बंद कर देगा । (ग) योजना में यूनिट जारी करना और उनका मोचन करना बंद कर देगा ।	(iv) योजना के समापन के लिए कदम उठाने हेतु न्यासियों या अन्य किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने के लिए न्यासी मंडल सदस्यों की बैठक बुलाएगा ताकि आवश्यक संकल्प उस बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित करने पर विचार किया जा सके और पारित किया जा सके। (v) (क) न्यासी मंडल या उप खंड (iv) के तहत प्राधिकृत व्यक्ति योजना की आस्तियों का निपटान योजना के सदस्यों के सर्वोत्तम हित में करेगा ।
	(4) (क) न्यासी मंडल संबंधित योजना की आस्तियों का निपटान योजना के यूनिटधारकों के सर्वोत्तम हित में करेगा । (ख)उक्त खण्ड (क) के	(ख) उक्त उप खण्ड (v)(क) के अनुसरण में प्राप्त बिक्री आगमराशियों का उपयोग पहले तो योजना के तहत उचित रूप से देय देयताओं के उन्मोचन में किया जाएगा और ऐसे समापन से जुड़े व्यय पूरे करने के लिए उपयुक्त प्रावधान करने के बाद, शेषराशि सदस्यों को समापन का निर्णय लेने की तारीख को योजना की आस्तियों में उनके संबंधित हित के अनुपात में अदा की जाएगी ।

	अनुसरण में प्राप्त बिक्री आगमराशियों का उपयोग पहले तो योजना के तहत उचित रूप से देय देयताओं के उन्मोचन में किया जाएगा और ऐसे समापन से जुड़े व्यय पूरे करने के लिए उपयुक्त प्रावधान करने के बाद, शेषराशि यूनिटधारकों को समापन का निर्णय लेने की तारीख को योजना की आस्तियों में उनके संबंधित हित के अनुपात में अदा की जाएगी ।	(vi) समापन पूरा हो जाने के बाद, ट्रस्ट सेबी और यूनिटधारकों को समापन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा, जिसमें ये विवरण होंगे - समापन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां, समापन के पहले योजना की आस्तियों के निपटान के लिए उठाये गये कदम, समापन के लिए योजना के व्यय, सदस्यों के बीच वितरण के लिए उपलब्ध निवल आस्तियां तथा योजना के लेखा-परीक्षकों से प्रमाणपत्र । (vii) इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुए भी, समापन पूरा होने तक अथवा योजना समाप्त होने तक छमाही रिपोर्टों और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के संबंध में सेबी (म्युचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के प्रावधान लागू रहेंगे ।
	(5) समापन पूरा हो जाने के बाद, ट्रस्ट सेबी और यूनिटधारकों को समापन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा, जिसमें ये विवरण होंगे - समापन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां, समापन के पहले योजना की आस्तियों के निपटान के लिए उठाये गये कदम, समापन के लिए योजना के व्यय, यूनिटधारकों के बीच वितरण के लिए उपलब्ध निवल आस्तियां तथा योजना के लेखा-परीक्षकों से प्रमाणपत्र ।	(viii) उक्त मद (vi) में उल्लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, यदि सेबी इस बात से संतुष्ट हो कि योजना के समापन के लिए सभी उपाय पूरे कर लिये गये हैं तो योजना समाप्त हो जाएगी । (ix) ट्रस्ट अनुरोध पत्र के साथ लेखा विवरण प्राप्त होने के बाद तथा अन्य प्रक्रियात्मक एवं परिचालनात्मक औपचारिकताएं पूरी होने पर यथासंभव यथाशीघ्र पुनर्खरीद राशि अदा करेगा । (x) अनिवासी भारतीय निवेशकों के मामले में, पुनर्खरीद राशियां निवेश संबंधी निम्नलिखित स्रोत के अनुसार प्रेषित की जाएंगी :-
	(6) ट्रस्ट यूनिट प्रमाणपत्र और उसके पीछे दिया गया फार्म विधिवत् भरकर प्राप्त होने के बाद यथासंभव यथाशीघ्र पुनर्खरीद राशि अदा करेगा । यूनिट प्रमाणपत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हो, ट्रस्ट द्वारा रद्द किये जाने के लिए रख लिये	क) जब विदेश से प्रेषित विदेशी मुद्रा से या सदस्य की एफ सी एन आर जमाराशियों से या सदस्य के भारत स्थित बैंक के अनिवासी (बाह्य) खाते में रखी गयी निधियों से यूनिटों की खरीद की गयी हो, तो सदस्य को आगमराशियां विदेशी मुद्रा में प्रेषित की जा सकती हैं, अथवा उसे उसके अनिवासी बाह्य या अनिवासी साधारण खाते में जमा किया जा सकता है अथवा भारत में उसके रिश्तेदार को अदा किया जा सकता है ।

	जाएंगे ।	ख) जब आवेदक के भारत में निवासी रहने के दौरान अथवा सदस्य के अनिवासी साधारण खाते में रखी गयी निधियों से यूनिटों की खरीद की गयी हो, तो परिपक्वता राशियां या तो निवेशक के अनिवासी साधारण खाते में जमा किये जाने के लिए भारत में उसके बैंकर के पास प्रेषित की जा सकती हैं, अथवा उसे भारत में उनके रिश्तेदार के पास भेजा जा सकता है ।
योजना की प्रति उपलब्ध कराना (XXXIX)	सभी संशोधनों को शामिल कर इस योजना की एक प्रति ट्रस्ट के कार्यालयों में कारोबार घंटों के दौरान हर समय निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायी जाएगी और आवेदन करने पर उसे यूनिट ट्रस्ट द्वारा किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा ।	संशोधित तथा नीचे दिये गये 'निवेशकों के अधिकार और सेवाएं' शीर्षक मद के तहत शामिल ।
दावात्याग खंड	अनुबंध III की मद 1 के अनुसार शामिल ।	अनुबंध III की मद 1 देखें ।
सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र	सेबी को प्रस्तुत किया जाना है और उसके बाद मानक फार्मेट के अनुसार शामिल किया जाना है ।	
XLII.अंतर स्कीम अंतरण	अनुबंध III की मद 7 के अनुसार नये उपबंध शामिल ।	अनुबंध III की मद 7 देखें ।
XLIII सहयोगी संस्थाओं के साथ लेन-देन और उधार	अनुबंध III की मद 8 के अनुसार नये उपबंध शामिल ।	अनुबंध III की मद 8 देखें ।
XLIV निवेशों पर लागू कर प्रावधान	अनुबंध III की मद 11 के अनुसार नये उपबंध शामिल ।	अनुबंध III की मद 11 देखें ।
XLV	अनुबंध III की मद 12 के	अनुबंध III की मद 12 देखें ।

यूटीआई का गठन और प्रबंधन	अनुसार सूचना शामिल ।	
अभिरक्षक, रजिस्ट्रार तथा लेखा-परीक्षक	अनुबंध III की मद 14, 15 & 16 के अनुसार वर्तमान उपबंध अद्यतन किये गये ।	अनुबंध III की मद 14, 15 और 16 देखें ।
XLVI. दण्ड, लंबित मुकदमे, निरीक्षणों/ अन्वेषणों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष	अनुबंध III की मद 18 के अनुसार नये उपबंध शामिल ।	अनुबंध III की मद 18 देखें ।
संघनित वित्तीय सूचना	अंतिम आंकड़े शामिल ।	

अनुबंध II

पी ई एफ - समाप्त किये गये प्रावधान

खण्ड सं.	वर्तमान प्रावधान	टिप्पणी
परिभाषाएं III.	'आवेदन' से सभी आवेदकों को यूनिटों की पेशकश के लिए निर्धारित ऐसा आवेदन-पत्र अभिप्रेत है, जिसमें निवेश करने वाली जनता के लिए योजना के अंतर्गत यूनिटों में अभिदान के प्रयोजन के लिए शर्तें निहित होती हैं ।	समाप्त किया गया
यूनिट प्रमाणपत्र तैयार करने की विधि (XXII)	यूनिट प्रमाणपत्रों को समय-समय पर न्यासी मंडल द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उत्कीर्ण (एङ्ग्रेव) या अश्ममुद्रित (लिथोग्रैफ) या मुद्रित किया जाएगा और उस पर यूनिट ट्रस्ट द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा यूनिट ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षर किये जाएंगे । ऐसा प्रत्येक हस्ताक्षर या तो स्वहस्तलेख (ऑटोग्रैफ) होगा अथवा यांत्रिक विधि से उसे बनाया जाएगा । इस प्रकार से हस्ताक्षरित न होने पर कोई यूनिट प्रमाणपत्र वैध नहीं होगा । इस प्रकार से हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र वैध और आबद्धकारी होंगे भले ही, उन्हें जारी किये जाने के पूर्व, जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर उस पर हैं उनमें से किसी व्यक्ति का यूनिट ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार समाप्त कर दिया गया हो । परन्तु यदि इस प्रकार तैयार किये गये यूनिट प्रमाणपत्र पर ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर हो जिसकी प्रमाणपत्र जारी होने के समय मृत्यु हो गयी हो, तो यूनिट ट्रस्ट, इसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त समझे गये तरीके से, प्रमाणपत्र पर ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर को रद्द कर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर उस पर संबद्ध	समाप्त किया गया क्योंकि लेखा-विवरण जारी किया जाएगा ।

	कराएगा । इस प्रकार जारी किया गया यूनिट प्रमाणपत्र भी वैध होगा ।	
यूनिट प्रमाणपत्रों का विनिमय तथा प्रमाणपत्र के कट-फट जाने, विरूप हो जाने, खो जाने आदि की स्थिति में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया (XXIV)	(1) यूनिट प्रमाणपत्र के कट-फट जाने या पुराने पड़ जाने या विरूप हो जाने की स्थिति में, यूनिट ट्रस्ट स्वविवेक से अधिकृत व्यक्ति को कट-फट गये या पुराने पड़ गये या विरूप हो गये यूनिट प्रमाणपत्र के यूनिटों की कुल संख्या के बराबर यूनिटों के लिए नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा । यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र खो जाए, चोरी हो जाए या नष्ट हो जाए, तो यूनिट ट्रस्ट स्वविवेक से उसके बदले में नया जारी कर सकता है । ऐसा कोई नया यूनिट प्रमाणपत्र तब तक जारी न किया जाए जब तक आवेदक ने पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी न कर दी हों : I) यूनिट ट्रस्ट को मूल यूनिट प्रमाणपत्र कट-फट जाने, विरूप हो जाने, खो जाने, चोरी हो जाने या नष्ट हो जाने का संतोषजनक सबूत पेश कर दिया हो; ii) तथ्यों के अन्वेषण के संबंध में सभी व्ययों की अदायगी कर दी हो; iii) (कट-फट जाने या पुराने पड़ जाने या विरूप हो जाने की स्थिति में) यूनिट ट्रस्ट को कट-फट गया या पुराना पड़ गया या विरूप हो गया यूनिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत और अभ्यर्पित कर दिया हो; तथा iv) यूनिट ट्रस्ट को उसके द्वारा अपेक्षित क्षतिपूर्ति दे दी हो । इस खंड के उपबंधों के तहत सद्भाव में ऐसा प्रमाणपत्र जारी किये जाने के लिए ट्रस्ट किसी	समाप्त किया गया क्योंकि इसके लिए अनुबंध I के खंड XIX (7) में पहले ही प्रावधान किया गया है ।

	देयता का वहन नहीं करेगा । (2) इस खंड के उपबंधों के तहत कोई प्रमाणपत्र जारी किये जाने के पूर्व, यूनिट ट्रस्ट यूनिट प्रमाणपत्र के आवेदक से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह इसके द्वारा जारी प्रति यूनिट प्रमाणपत्र के लिए पांच रुपये का शुल्क और स्टांप शुल्क, यदि कोई हो, या ऐसा प्रमाणपत्र जारी और प्रेषित करने के लिए देय अन्य प्रभार को कवर करने के लिए ट्रस्ट की राय में पर्याप्त समझी गयी राशि अदा करे ।	
उपबंध की व्याख्या करने की शक्ति XL	यदि किसी उपबंध की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो, सिर्फ अध्यक्ष को तथा अध्यक्ष के नियुक्त न किये जाने की स्थिति में कार्यपालक न्यासी को योजना के उपबंधों की व्याख्या करने की शक्तियां उस सीमा तक प्राप्त होंगी जहां तक वह व्याख्या किसी भी रूप में पक्षपातपूर्ण या योजना के मूल विन्यास के विरुद्ध न हो और ऐसा निर्णय अंतिम, निश्चायक और बाध्यकारी होगा ।	समाप्त किया गया क्योंकि इसके लिए सेबी की विनियमावली में अनुमति नहीं है ।
उपबंधों को शिथिल करना XLI	यदि अध्यक्ष तथा अध्यक्ष के नियुक्त न किये जाने की स्थिति में ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी, कठिनाई को कम करने के लिए अथवा योजना के परिचालन को आसान बनाने के लिए, किसी यूनिटधारक अथवा यूनिटधारकों के वर्ग के लिए योजना के उपबंधों को शिथिल कर रहे हों तो वह सेबी के सूचनांतर्गत उपयुक्त समझी गयी शर्तों पर होगा । उपबंधों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन सेबी के पूर्वानुमोदन से किया जाएगा ।	समाप्त किया गया क्योंकि इसके लिए सेबी की विनियमावली में अनुमति नहीं है ।
यूनिट प्रमाणपत्र का फार्मेट		समाप्त किया गया ।

अनुबंध III

पीईएफ

क.सं.	मानक पेशकश दस्तावेज द्वारा आवश्यक अंतर्वेश

1. डिस्क्लेमर खण्ड:

योजना के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम,1996 के अनुसार तैयार किए गए हैं,यथा तिथि तक संशोधित एवं सेबी के पास पंजीकृत हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अननुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है।

2. नियत तत्परता प्रमाणपत्र:

मानक पेशकश दस्तावेज के अनुसार अंत:स्थापित

3. विषय-वस्तु:

सारणी 'विषय-वस्तु' मानक पेशकश दस्तावेज के अनुसार अंत:स्थापित

4. जोखिम के तत्व III ए

म्यूचुअल फंड एवं प्रतिभूतियों में निवेशों पर बाजार का जोखिम होता है और योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों का एनएवी पूंजी बाजार को प्रभावित करनेवाली शक्तियों एवं कारकों पर निर्भर करते हुए ऊपर या नीचे जा सकता है।
पूर्व योजनाओं/प्लानों का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है। इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि योजना के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा।
पीईएफ केवल योजना का नाम है और यह किसी भी प्रकार से योजना की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है।

डेरीवेटीव्ज़ : ऑप्शन्स एवं फ्यूचर्स जैसे डेरीवेटीव्ज़ प्रतिभूतियों में लेन-देन करना एक अत्यंत विशेषीकृत कार्य है एवं इसमें सामान्य निवेश के जोखिमों से कहीं अधिक जोखिम होता है।हालांकि निधि का अभिप्राय केवल पोर्टफोलियो के बचाव के उद्देश्य के लिए ही डेरीवेटीव्ज़ में लेन-देन करना है,इस खंड में समग्र बाजार बहुत ही अनिश्चित हो सकता है जो इस बाजार में अन्य प्रतिभागियों के कार्य के कारण है।डेरीवेटीव्ज़ में लेन-देन की सफलता निधि प्रबंधक के बाजार की भावी प्रवृत्ति का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता पर निर्भर करती है और यदि निधि प्रबंधक अपने पूर्वानुमान में गलत होता है तो निधि का कार्यनिष्पादन, यदि यह निवेश योजना प्रयोग में न लाई गई होती तो जो रहा होता उसकी तुलना में घट गया होता।

विदेशी बाजारों में निवेश : विदेशी बाजारों में निवेश की सफलता,बाजार की उन परिस्थितियों एवं जानकारियों का विश्लेषण जो भारतीय बाजारों से भिन्न हो सकती हैं, को समझने की निधि प्रबंधक की योग्यता पर निर्भर करती है । चूंकि,इसमें विदेशी बाजारों में परिचालन शामिल है,अत: बाजार के जोखिमों के अलावा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के जोखिम भी हो सकते हैं।

स्टॉक उधार देना : यह न्यूनतम जोखिम के साथ निधि के लिए अतिरिक्त आय जुटाने का साधन है । स्टॉक उधार दिए जाने की अवधि के दौरान बिक्री हेतु सुलभ स्टॉक की अनुपलब्धता के रूप में जोखिम हो सकता है। ऋणी/मध्यस्थों द्वारा प्रतिभूतियों की चुकौतियों की चूक की संभावनाओं के रूप में भी जोखिम हो सकती है। हालांकि,प्रक्रिया में शामिल मध्यस्थों द्वारा ऋणी से उचित जमानत प्राप्त कर जोखिम की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। ट्रस्ट का जमानत पर ग्रहणाधिकार रहेगा तथा स्टॉक उधार दिए जाने की प्रक्रिया में शामिल किसी जोखिम को कम करने हेतु वह उचित रोकथाम एवं नियंत्रण भी रखेगा।

5. मूल विशेषताएं

(क) 'मूल विशेषताओं ' का अर्थ निम्नलिखित है।

i. योजना का प्रकार : पीईएफ एक सतत खुली इक्विटी योजना है।
ii निवेश उद्देश्य : जैसा कि इस पेशकश दस्तावेज के खंड XIV के अंतर्गत दिया गया है।
iii. निर्गम की शर्तें : पुनर्खरीद एवं व्ययों के संबंध में इस पेशकश दस्तावेज के अंतर्गत प्रावधान।

(ख) योजना के मूल विशेषताओं में परिवर्तन तब ही किया जाएगा, यदि:

(i) वर्तमान सदस्यों को सूचना व्यक्तिगत रूप से दी गई हो और
(ii) विज्ञापन,पूरे भारत में परिचलित होने वाले अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्र में एवं एक मराठी के समाचार पत्र में भी दिया गया हो।
(iii) सदस्यों को भार रहित वर्तमान एनएवी पर योजना से निकासी का विकल्प दिया गया हो।

(ग) बोर्ड समय-समय पर योजना में परिवर्धन या अन्यथा उसमें संशोधन कर सकता है तथा ऐसा कोई संशोधन/परिवर्धन सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा जैसा कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 21 (4) के अनुसार आवश्यक है।

(घ) योजना की मूल विशेषताओं में कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन सेबी के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा। अन्य परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन के संबंध में,जो मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं है और जो यूनिटधारकों के हितों को प्रभावित नहीं करते हैं,सेबी के पूर्व अनुमोदन से बनाएं जाएंगे।

6. ट्रस्ट की योजनाओं में कंपनियों का निवेश और इन कंपनियों में ट्रस्ट का निवेश दर्शाने वाली सारणी 'मानक पेशकश दस्तावेज' के अनुसार अंत:स्थापित।

7. अंतर योजना अंतरण

इस योजना से ट्रस्ट की दूसरी योजना/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब -

क) उधृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पॉट आधार पर किए गए हों।

स्पष्टीकरण : "स्पॉट आधार" का अर्थ वही होगा जो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्पॉट सौदों के लिए निर्दिष्ट है;

ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनमें ऐसे अंतरण किए जाते हैं: और

ग) प्लान से/में असूचीबद्ध या अनोद्धृत निवेश का ट्रस्ट की अन्य योजना/प्लान में/से अंतरण ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

8. संयुक्त सौदे एवं उधार

1. योजना सदस्यों को यूनिटों की पुनर्खरीद/प्रतिदान या आय वितरण,यदि कोई हो, करने के लिए नकदी की अस्थाई जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने के अलावा उधार नहीं लेगी।
परन्तु उधार योजना की शुद्ध आस्ति के 20% से अधिक नहीं लिया जाएगा और इस तरह के उधार की अवधि छ: माह से अधिक नहीं होगी।

2. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 20 के अनुसार ट्रस्ट को निम्नलिखित उधार लेने की शक्तियां प्राप्त हैं :

(i) ट्रस्ट, भारत या भारत से बाहर के किसी प्राधिकरण या व्यक्ति जो सरकार या रिज़र्व बैंक न हो, ऐसी प्रतिभूति के प्रति एवं ऐसी शर्तों एवं परिस्थितियों पर जिस पर वे आपस में सहमत हो, उधार ले सकता है।

(ii) ट्रस्ट रिज़र्व बैंक से उधार ले सकता है -

(क) भारत में इस समय लागू किसी कानून द्वारा जिससे न्यासी ट्रस्ट का धन निवेश करने हेतु प्राधिकृत है, स्टॉक, निधियों एवं प्रतिभूतियों के प्रति (अचल संपत्तियों के अतिरिक्त) मांग पर या नियत अवधि की समाप्ति पर प्रतिदेय जो इस प्रकार ली गई राशि की तिथि से नब्बे दिन से अधिक न हो;

(ख) केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से बांडों की प्रतिभूति के प्रति जिसे ट्रस्ट जारी कर सकता है मांग या जिस तिथि से ऐसी राशि उधार ली गई है, उस तिथि से अठारह महीनों की अवधि के भीतर प्रतिदेय है;

(ग) प्रथम यूनिट योजना के अतिरिक्त किसी अन्य योजना के प्रयोजन हेतु जिसे इस संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है ट्रस्ट की ऐसी अन्य संपत्तियों की प्रतिभूति के प्रति या ऐसी शर्तों एवं नियमों पर :

बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत उधार ली गई कोई राशि एवं किसी समय बकाया इससे ज्यादा न हो -

(क) ऐसी प्रत्येक योजना के संबंध में पांच करोड़ रुपए ; एवं

(ख) समग्र रूप से ऐसी समस्त योजनाओं के संबंध में दस करोड़ रुपए।

(iii) ट्रस्ट द्वारा उप धारा (ii) के अंतर्गत जारी बॉण्ड की मूल राशि की अदायगी की गारंटी केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाएगी एवं ब्याज का भुगतान बॉण्ड जारी करते समय केंद्रीय सरकार द्वारा निश्चित दर पर किया जाएगा।

9. इस योजना की आस्तियों का मूल्यांकन

(क) अवरुद्ध अवधि के अधीन वाले निवेशों सहित उद्धृत निवेशों परंतु सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर, का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को बाजार के बंद मूल्य पर और इसकी अनुपस्थिति पर मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि में बिल्कुल हाल ही की उपलब्ध दर पर किया जाता है। यदि मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि हेतु कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोद्धृत निवेश माना जाता हैं।

(ख) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां मूल्यांकन तिथि को अंतिम एनएससी बाजार दर पर मूल्यांकित की जाती हैं और इसकी अनुपस्थिति पर मूल्यांकन तिथि से पूर्व 7 दिनों के अंदर उपलब्ध नवीनतम भाव को मूल्यांकन के लिए लिया जाता है। यदि मूल्यांकन की तिथि से सात दिन पूर्व की अवधि हेतु कोई भाव उपलब्ध नहीं हो तो उसे अनोद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां माना जाएगा।

(ग) उद्धृत डिबेंचरों और बॉण्डों के मामले में बाजार दर, जो ब्याज सहित है उसे ब्याज तत्व, यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया जाता है।

(घ) शेयरों के अधिकार पात्रता का मूल्यांकन, लाभांश तत्व हेतु बट्टा काटकर, जहां लागू हो, बाजार दर पर किया जाता है।

(ङ) अनोद्धृत अधिमान शेयर/संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर लागत पर लिए जाते हैं।

(च) अनोद्धृत इक्विटी शेयर का मूल्यांकन, जैसे न्यासी मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए, उचित मूल्यांकन आधार पर किया जाता है।

(छ) अनोद्धृत डिबेंचर, बॉण्ड एवं अंतरणीय नोट न्यासी मंडल के अनुमोदन के साथ भारत सरकार की प्रतिभूतियों (प्रतिफल वक्र) पर प्रतिफल के साथ जुड़ी, का मूल्यांकन परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर किया जाता है।

(ज) अनोद्धृत वारंट, अंतरनिहित इक्विटी शेयरों के बाजार दर पर, लाभांश तत्व के लिए बट्टा काटकर, यदि कोई हो, तथा देय प्रायोगिक मूल्य से कम करके मूल्यांकित किए जाते हैं। जिन मामलों में इस तरह लिए गए मूल्य से प्रायोगिक देय मूल्य ज्यादा हो, वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है।

(झ) अनोद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों, यदि कोई हो, का मूल्यांकन प्रचलित ब्याज दर पर परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर किया जाता है।

(ञ) परिवर्तनीय डिबेंचर एवं बॉण्ड, जहां मिश्र बाजार भाव उपलब्ध न हो, वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन इक्विटी शेयरों के लिए लागू बाजार दर, लाभांश तत्व के लिए बट्टा काटकर, यदि कोई हो, पर किया जाता है। ऐसे डिबेंचरों एवं बॉण्डों का अपरिवर्तनीय भाग, यदि कोई हो, का मूल्यांकन, उपरोक्त (च) के अनुसार किया जाता है। जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है।

(ट) पूंजी सूचीकृत बॉण्ड लागत आधार पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

(ठ) <u>मुद्रा बाजार लिखतों के लिए मूल्यांकन नीति</u> :-

(i) मुद्रा बाजार लिखतें एवं अन्य आस्तियां बही मूल्य पर ली जाती हैं।

(ii) अंतर बैंक कॉल बाजार में निवेशित राशियां लागत पर ली जाती है।

(iii) बट्टा /ब्याज उपार्जन लिखत में निवेशित राशि का मूल्यांकन उस प्रतिफल पर किया जाता है जिसमें लिखत का सौदा पिछली बार किया गया था।इस उद्देश्य हेतु भाव, जो दो कार्य दिवस पुराना हो वैध माना जाता है। जब पिछले दो कार्य दिवस में कोई भाव उपलब्ध न हो तो लिखत लागत एवं लिखत के परिपक्व होने के बाकी बचे दिनों के लिए लागू एक समान लागत और अंकित मूल्य के मध्य अंतर पर मूल्यांकित किए जाते है।

(iv) अनोद्धृत डिबेंचरों सहित अन्य मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन लागत एवं लिखत के परिपक्व होने के बाकी बचे दिनों पर लागू एक समान लागत और अंकित मूल्य के मध्य अंतर पर किया जाता है।

तथापि,खण्ड XII,XIII,XIV एवं XV के संबंध में किसी भी बात के बावजूद निवेश उद्देश्य,एनएवी का निर्धारण एवं आस्तियों का मूल्यांकन,पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण एवं एनएवी,पुनर्खरीद मूल्य एवं पोर्टफोलियो के प्रकटीकरण का अंतराल समय समय पर सेबी द्वारा जारी सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमों/दिशानिर्देशों/निदेशों के प्रावधानों के अनुसार होगा।

10. लेखा नीतियां

1. आय की मान्यता

(क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय लाभांश-पूर्व तिथि पर प्रोद्भूत होती है। असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों एवं अधिमान शेयरों पर लाभांश आय का हिसाब प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

(ख) निवेशों पर ब्याज एवं प्रतिबद्धता प्रभार का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

(ग) निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि की पहचान भारित औसत लागत के आधार पर व्यापार तिथियों पर किया जाता है।

(घ) डिबेंचर/बॉण्डों के प्रतिदान पर प्रीमियम एवं लाभ या हानि की पहचान देय तिथि पर किया जाता है।

(ङ) जब कोई राशि जिम्मे नहीं आई हो तो हामीदारी कमीशन को नकदी आधार पर राजस्व माना जाता है। जिम्मे आई राशि के मामले में पूर्ण हामीदारी कमीशन ऐसे निवेशों की लागत में से कम कर दिया जाता है।

(च) शेयरों एवं डिबेंचरों में निवेश पर प्रारंभिक शुल्क को ऐसे निवेशों की लागत से कम कर दिया जाता है।

(छ) ज़ीरो कूपन बॉण्डों, डीप डिस्काउंट बाण्डों एवं अन्य दीर्घावधि बट्टाकृत लिखतों के संबंध में खरीद मूल्य एवं परिपक्वता मूल्य के मध्य अंतर को वायटीएम आधार पर लिखत के बाकी बचे अवधि के लिए आय माना जाता है।

(ज) अन्य आय को प्राप्ति आधार पर लिया जाता है।

2. व्यय

क. व्यय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

ख. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25(4) के प्रावधानों के अनुसार यूनिट योजना 1964 के अंतर्गत किए गए खास सामान्य खर्चों का विनिधान अन्य योजनाओं पर किया जाता है।

ग. नियत आस्तियों वाली यूनिट योजना, 1964 कथित आस्तियों के उपयोग के स्वीकृत आधार पर पट्टा किराया अन्य योजनाओं से वसूल करती है।

3. निवेश

क. निवेशों का विवरण लागत पर या अवलिखित लागत पर दिया जाता है।

ख. द्वितीयक बाजार कारोबार के मामले में निवेश को व्यापार तिथियों पर किया गया माना जाता है।

ग. आबंटन पर प्राथमिक बाजार निर्गमों में अभिदान को निवेश माना जाता है।

घ. बोनस/अधिकार पात्रताओं को पूर्ववर्ती-बोनस/पूर्ववर्ती अधिकार तिथियों पर माना जाता है।

ङ. निवेश अर्थात् डिबेंचर/बॉण्ड, ऋण एवं जमा राशियां प्रतिदान/देय तिथि को चालू आस्तियों में स्थानांतरित की जाती हैं।

च. निवेश की लागत में दलाली एवं सेवा - कर शामिल हैं लेकिन स्टाम्प शुल्क शामिल नहीं है, जिसे राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

4. प्रावधान एवं मूल्यह्रास :

(क) संदिग्ध समझी गई आय के प्रति प्रावधान :

पिछली दो तिमाही या उससे अधिक के लिए देय बाकी ब्याज आय के संबंध में प्रावधान किया जाता है। यदि लाभांश, पिछले लाभांश की तिथि से एक वर्ष से अधिक के लिए अदत्त है तब तुरंत अगले वर्ष प्रावधान किया जाता है।

(ख) निवेश के मूल्य में ह्रास

(i) उपरोक्त खंड XII(i) के अनुसार गणना किए गए निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और परिणामस्वरूप ह्रास यदि हो, सामान्य प्रारक्षित निधि/यूनिट प्रारक्षित निधि को प्रभारित किए जाते हैं। यदि ऐसा कुल मूल्य पिछले वर्ष के अंत में कुल लागत या कुल मूल्य

से अधिक हो जाता है तो वृद्धि को उस सीमा तक जहां ह्रास को पिछली बार समायोजित किया गया था, यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि/सामान्य प्रारक्षित निधि में ले जाया जाता है।

(ii) जहां अनोधृत इक्विटी या अधिमान शेयर पिछले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए हों, जब और जैसे ही उद्धरण या उचित मूल्य उपलब्ध होता है, ऐसे निवेश वापस अपने मूल्य पर दिखाए जाते हैं।

(iii) आस्तियां,जिनका ब्याज पिछली दो तिमाही या उससे अधिक से बकाया है,अनुप्रयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी आस्तियों के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है (जैसा कि नीचे सारणी में बताया गया है)।

आस्ति के अनुपयोज्य रहने की अवधि	**प्रावधान का प्रतिशत**	
	रक्षित आस्ति	अ-रक्षित आस्ति
दो वर्षों तक	10%	10%
दो वर्षों से अधिक परंतु तीन वर्षों तक	20%	100%
तीन वर्षों से अधिक परंतु पांच वर्षों तक	30%	100%
पांच वर्षों से अधिक	50%	100%

(iv) जहां मूल पुनर्भुगतान (i) 3वर्षों तक की अवधि वाली ऋण लिखतों के संबंध में पहले से ही देय अवधि के 180 दिनों से अधिक हेतु और (ii) 3वर्षों से अधिक अवधि वाले ऋण लिखतों के संबंध में पहले से ही देय अवधि के 365 दिनों हेतु,बकाया रहने के कारण ऐसी बकाया किस्तों हेतु प्रावधान बनाया जाता है।ऐसी आस्तियों के लिए समग्र प्रावधान,उपरोक्त तालिका में उल्लिखित प्रतिशत (जमानती आस्तियों हेतु 50% तथा गैर जमानती आस्तियों हेतु 100%) या चूक वाली राशि जो भी अधिक हो,तक सीमित है।

ऐसे मामले जिनमें मूल चूक जारी रहती है,किसी भी किस्त के लिए प्रावधान संबंधित देय तिथियों से 30 दिनों के बाद किया जाता है।

(v) ब्याज के निधीयन के मामले में,बकाया ब्याज के पूंजीकरण के द्वारा, उसके चूक की अवधि के बावजूद पूर्ण रूप से प्रावधान किया जाता है।

(vi) गैर निष्पादी आस्तियों के लिए प्रावधान यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि/ सामान्य प्रारक्षित निधि/ राजस्व लेखा,जैसा भी मामला हो, में प्रभारित किए जाते हैं।

(vii) अनुच्छेद 4(क)और 4(ख)(iv) के अंतर्गत बनाए गए प्रावधान प्राप्ति के आधार पर पुनरांकित किए जाते हैं। 4(ख)(v) के अंतर्गत प्रावधान प्राप्ति के आधार पर पुनरांकित किए जाते हैं।

5. **आय वितरण :**

(क) पूंजीकरण हेतु लंबित आवेदन राशि के संबंध में उन योजनाओं के लिए जहां यूनिटें अंकित मूल्य पर बेची जाती हैं,आय वितरण के लिए प्रावधान किया जाता है और अन्य योजनाओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। पूंजीकरण किए जाने वाले वर्ष में आय वितरण को राजस्व विनियोजन खाते में प्रभारित किया जाता है।

(ख) आय वितरण के लिए यूनिट पूंजी पर प्रावधान समय समय पर न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित दरों पर किया जाता है।

6. **वित्तीय परिणामों का प्रकाशन :**

यथा 31 दिसंबर अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम 2 माह के भीतर एवं यथा 30 जून लेखा-परीक्षित वार्षिक परिणाम लेखे को अंतिम रूप देने के 6 माह के भीतर एक अंग्रेजी दैनिक एवं एक मराठी दैनिक में प्रकाशित किया जाएगा।

11. निवेशों का कर - निरूपण

1. निवासी/एनआरआई/ओसीबी

i) योजना के अंतर्गत आय,यदि हो,और पूंजी वृद्धि,यदि वसूल हो,पर कराधान प्रचलित कर कानूनों के अधीन होगा।

ii) वर्तमान में ट्रस्ट की सभी योजनाओं/प्लानों के अंतर्गत सभी वर्ग के निवेशकर्ताओं को प्राप्त होने वाली आय,यदि कोई हो,आयकर अधिनियम, 1961की धारा 10 (33) के अंतर्गत कर से पूरी तरह मुक्त होगी।

आयकर अधिनियम,1961 की धारा 115 आर के अंतर्गत योजना द्वारा आय वितरण,यदि कोई हो,पर 10% की दर पर आय वितरण कर और उस पर 10% का अधिभार दिया जाना है। हालांकि,सतत खुली इक्विटी उन्मुख निधि होने के कारण प्लान उपरोक्त धारा के अंतर्गत 31 मार्च,2000 तक उपरोक्त कर के अधीन नहीं है,बशर्ते योजना की कुल प्राप्तियों का 50% से अधिक का निवेश घरेलु कंपनियों की इक्विटी योजनाओं में किया गया हो।

iii) वर्तमान में,एनआरओ खातों में रखी निधियों से एनआरआई व निवासियों को प्राप्त होने वाला कोई दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 एवं 112 के अंतर्गत कर-निरुपण के अधीन होगा। वर्तमान में निवेशक को लागत स्फीति सूचकांक का लाभ उठाने के बाद दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ पर 20% की दर से कर का भुगतान करना होगा। हालांकि,एनआरई खातों के जरिए किए गए निवेश पर होने वाला पूंजीगत अभिलाभ कर योग्य नहीं होगा।

iv) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों में किए गए निवेश का मूल्य धनकर से पूर्णत: मुक्त है।

v) उपहार कर अधिनियम,1958 ने योजना की यूनिटों के संबंध में उपहार-कर की उगाही को समाप्त कर दिया है।

2) धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट की पात्रता

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण या आंशिक शुद्ध राशि का पीईएफ में किया गया निवेश आयकर अधिनियम,1961 की धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के लिए पात्र होगा,बशर्ते यूनिटों की पुनर्खरीद आवेदन की स्वीकृति की तिथि से तीन वर्षों के बाद की गई हो।

3) धारा 54 ईबी के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट की पात्रता

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाला पूंजीगत अभिलाभ का पीईएफ में किया गया सम्पूर्ण या आंशिक निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईबी के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के लिए पात्र होगा, बशर्ते यूनिटों की पुनर्खरीद आवेदन स्वीकृति की तिथि से सात वर्ष के बाद की गई हो।

4) पात्र ट्रस्टों के लिए

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2)(ख) के अंतर्गत यूनिट स्वीकृत प्रतिभूतियां हैं। अत: यूनिटों में निवेश कर रहे पात्र ट्रस्ट आयकर अधिनियम, 1961की धारा 11 और 13 के अंतर्गत आय और निधि के लिए आवश्यक कर छूट के योग्य होंगे।

12. निवेशकों के अधिकार एवं सेवाएं

1) योजना के अधीन सदस्यों को योजना की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा योजना द्वारा घोषित आय, यदि कोई हो, में समानुपातिक अधिकार हैं।

2) सदस्यों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव रखती हो तथा सदस्यों को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे।

3) सदस्यों को आवेदन स्वीकृति की तिथि से 6 सप्ताहों के भीतर लेखा विवरण जारी किए जाने का अधिकार है।

4) सदस्यों को अधिकार है कि जिस कार्यालय में पुनर्खरीद आग्रह संसाधित किए जाते हैं वहां आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर (बशर्ते कि आवेदन सही हो) पुनर्खरीद/प्रतिदान प्राप्तियां उन्हें भेजी जाए। आय वितरण के मामले में सदस्यों को आय वितरण की घोषणा की तारीख से 42 दिनों के भीतर आय वितरण वारंट प्रेषित किए जाने का अधिकार है।

5) संबद्ध लेखा वर्ष की समाप्ति की तिथि से छ: माह के भीतर पीईएफ के संदर्भ में संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति सभी सदस्यों को भेजी जाएगी एवं सम्पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट निरीक्षण के लिए ट्रस्ट के केंद्रीय निवेशक कक्ष में उपलब्ध कराया जाएगा एवं इसकी प्रति अनुरोध पर सदस्यों को न्यूनतम शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान पर उपलब्ध कराया जाएगा।

6) योजना की मूल विशेषताओं में कोई भी परिवर्तन किया जाएगा यदि निवेशकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सूचित किए जाने के अलावा एनएवी पर निकासी की अनुमति दी गई है।

7) निर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत सदस्यों का अनुमोदन 'पोस्टल बैलेट' के जरिए मांगा जाएगा।

8) सदस्यों को केंद्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट द्वार नं. 1, सर विटठ्लदास ठाकरसी मार्ग, मुंबई-400 020 में रखे निम्नलिखित दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार है :

* यूटीआई अधिनियम
* सामान्य विनियम
* अभिरक्षक के साथ किए गए करार
* पीईएफ पेशकश दस्तावेज की प्रति

13. *भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना एवं प्रबंधन*

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना एक सांविधिक संस्था के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होनेवाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी। इसने 1जुलाई, 1964 से कार्य करना आरंभ किया।

यूटीआई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है, जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। मंडल के अलावा, एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी होते हैं। यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर कार्य करने के लिए सक्षम है।

न्यासी मंडल *

1.	श्री पी.एस. सुब्रमन्यम	अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
2.	श्री जी.पी. मुनिअप्पन	कार्यपालक निदेशक, रिज़र्व बैंक
3.	श्री जी.पी.गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,आईडीबीआई
4.	श्री एन.एस. सेखसरिया	प्रबंध निदेशक, गुजरात अंबुजा सिमेन्ट्स लि.
5.	श्री राजेन्द्र पी चितले	सनदी लेखाकार
6.	डॉ. विश्वनाथ वी. देसाई	अर्थशास्त्री
7.	श्री जी. कृष्णमूर्ति	अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
8.	श्री जी.जी वैद्य	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
9.	श्री के.सी. चौधरी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

* वर्तमान में न्यासियों की अन्य निदेशिकताएं इस प्रकार हैं :

1. **श्री पी.एस. सुब्रमन्यम**- (i) अध्यक्ष एवं निदेशक-इंडिया फंड, (ii) अध्यक्ष एवं निदेशक -इंडिया ग्रोथ फंड, (iii) अध्यक्ष एवं निदेशक -इंडिया एक्सेस लि., (iv) अध्यक्ष एवं निदेशक -इंडिया पब्लिक सैक्टर फंड लि., (v) अध्यक्ष, शासी परिषद - यूटीआई-- इन्स्टिट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट्स, (vi) अध्यक्ष एवं निदेशक - यूटीआई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज लि., (vii) अध्यक्ष एवं निदेशक - यूटीआई इन्वेस्टर सर्विसेज लि., (viii) अध्यक्ष -यूटीआई सिक्यूरिटीज़ एक्सचेंज लि., (ix) निदेशक - यूटीआई बैंक लि., (x) अध्यक्ष एवं निदेशक - ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, (xi) सदस्य - भारतीय जीवन बीमा निगम (xii) निदेशक - डिस्काउंट एण्ड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लि. , (xiii) निदेशक - सिक्यूरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (xiv) निदेशक - नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (xv) न्यासी - इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।

2. **श्री जी.पी.गुप्ता** - (i) अध्यक्ष-भारतीय लघु उघोग विकास बैंक, (ii) निदेशक -इंडिया फंड, (iii) निदेशक - इंडिया ग्रोथ फंड, (iv) निदेशक-भारतीय मितिकाटा एवं वित्त गृह लि., (v) निदेशक-भारतीय आयात-निर्यात बैंक, (vi) निदेशक-भारतीय प्रतिभूति व्यापार एवं निगम लि., (vii) निदेशक-इन्फ्रास्ट्रकचर डेवलेपमेंट फाइनेंस कं. ऑफ इंडिया लि., (viii) निदेशक - इंडियन एयरलाइन्स लि. (ix) निदेशक - आईडीबीआई बैंक लि. (x) निदेशक - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (xi) सदस्य-भारतीय जीवन बीमा निगम (xii) सदस्य-भारतीय साधारण बीमा निगम (xiii) निदेशक-दक्षिण एशिया क्षेत्रीय निधि, (xiv) अध्यक्ष-दक्षिण एशिया डेवलेपमेंट फंड, (xv) समिति सदस्य-भारतीय बैंकर्स संस्थान, (xvi) सदस्य-बैंकर प्रशिक्षण कॉलेज (भारतीय रिज़र्व बैंक), (xvii) सदस्य-एशिया एवं प्रशांत में विकासशील वित्तीय संस्थाओं का संघ, (xviii) सदस्य-बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्था, (xix) सदस्य-भारतीय कंपनी सचिव संस्था।

3. **श्री एन.एस. सेखसरिया** - (i) निदेशक - गृह फाइनेंस लि. (ii) निदेशक - राधा माधव इन्वेस्टमेंट लि. (iii) निदेशक - होमट्रस्ट हाउसिंग फाइनेंस कं. लि. (iv) निदेशक - अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन (v) निदेशक - अंबुजा शिक्षण संस्था।

4. **श्री राजेन्द्र पी चितले** - (i) निदेशक - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, (ii) निदेशक - नेशनल सिक्यूरिटीज़ क्लीयरिंग कार्पोरेशन लि., (iii) निदेशक - जे एम कैपिटल मैनेजमेंट लि., (iv) निदेशक - ज़ूरिक एसेट मैनेजमेंट कं. (इंडिया) लि., (v) निदेशक - इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एण्ड प्रोडक्ट्स लि., (vi) निदेशक - एसोसिएशन ऑफ लीजिंग एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कंपनीज, (vii) सदस्य - कार्यकारी समिति (शासी मंडल), राष्ट्रीय शेयर बाजार, (viii) सदस्य - बैंक ऑफ अमेरिका एनटी एण्ड एसए का भारतीय सलाहकार मंडल (ix) सदस्य - निवेश समिति, भारतीय जीवन बीमा निगम।

5. **श्री वी वी देसाई - सलाहकार, आईसीआईसीआई लिमिटेड**

6. श्री जी. कृष्णमूर्ति - (i) अध्यक्ष - एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) ईसी, बहरीन (ii) अध्यक्ष - एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. (iii) निदेशक - भारतीय साधारण बीमा निगम, (iv) निदेशक - पोयशा इंडस्ट्रियल कं. लि. (v) अध्यक्ष, शासी मंडल - नेशनल इंश्योरेंस अकादमी (vi) निदेशक - नेशनल हाउसिंग बैंक (vii) निदेशक -

यूटीआई बैंक लि. (viii) निदेशक - भारतीय मितिकाटा और गृह वित्त (ix) निदेशक - केनिन्डिया एश्योरेंस कं. लि., केन्या (x) निदेशक - आईसीआईसीआई लि. (xi) अध्यक्ष - बीमा समिति का शासी निकाय

7. **श्री जी जी वैद्य** - (i) अध्यक्ष - एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि., (ii) अध्यक्ष - एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लि., (iii) अध्यक्ष - एसबीआई गिल्ट्स लि., (iv) अध्यक्ष - एसबीआई सिक्यूरिटीज लि., (v) अध्यक्ष - एसबीआई फैक्टर्स एण्ड कमर्शियल सर्विसेज लि., (vi) अध्यक्ष - एसबीआई यूरोपियन बैंक लि., (vii) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, (viii) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, (ix) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, (x) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, (xi) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, (xii) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, (xiii) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, (xiv) अध्यक्ष - भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया), (xv) अध्यक्ष - भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा), (xvi) उपाध्यक्ष - शासी परिषद - भारतीय बैंकर्स संस्थान, (xvii) निदेशक -भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, (xviii) निदेशक - भारतीय आयात-निर्यात बैंक, (xix) निदेशक - साधारण बीमा निगम, (xx) शासी मंडल के सदस्य एवं वित्त समिति के अध्यक्ष - राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, (xxi) शासी मंडल के सदस्य, अध्यक्ष - वित्त समिति एवं कार्यालय परिसर समिति तथा आईबीपीएस प्रशासक समिति, कर्मचारी भविष्य निधि, बैंक कर्मचारी चयन संस्था, (xxii)सदस्य - बैंक तकनीकी विकास एवं अनुसंधान संस्था,(xxiii) निदेशक - इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन,(xxiv) निदेशक - इंफ्रास्ट्रक्चर लीज़िंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि., (xxv)निदेशक - निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम।

8. **श्री के सी चौधरी** - (i) अध्यक्ष - बैंक अंकेक्षण पर लघु समूह, भारतीय बैंक संघ, (ii) अध्यक्ष - बैंकिंग परिचालन, भारतीय बैंक संघ, (iii) अध्यक्ष - ऋण संबंधी मामलों पर लघु समूह, भारतीय बैंक संघ, (iv) अध्यक्ष - आईबीए व्यापार निकाय/संघों के साथ समन्वय हेतु कार्य समूह, (v) अध्यक्ष - भारतीय बैंक संघ - स्थानीय शाखा, (vi) सदस्य - प्रबंध समिति, भारतीय बैंक संघ, (vii) अध्यक्ष - सेंटबैंक होम फायनेंस लि., (viii) अध्यक्ष - सेंटबैंक फायनेंशियल एवं कस्टोडियल सर्विसेज लि., (ix) निदेशक - भारतीय कृषि बित निगम लि., (x) निदेशक - मास्टरकार्ड एशिया/पेसेफिक बोर्ड, (xi) निदेशक - न्यू इंडिया एश्योरेंस [illegible] (xii) सदस्य - टास्क फोर्स, भारतीय बैंक संघ।

14. *निधि प्रबंधन :*

निधि प्रबंधक का नाम तथा उसकी योग्यता एवं अनुभव अंत:स्थापित ।

15. *अभिरक्षक*

भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि. (एसएचसीआईएल) का सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर आईएन/सीयूएस/011 है।

एसएचसीआईएल शुल्क की दर इस प्रकार है :

इलेक्ट्रॉनिक	वास्तविक

डीमैटेरियलाइजेशन	रु. 5 प्रति प्रमाणपत्र	
खरीद	कारोबार के मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु पर	प्रति डीआईपी रु. 100
बिक्री	कारोबार के मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु पर	प्रति डीआईएस रु. 100
अभिरक्षा	अभिरक्षा में उपलब्ध आस्ति मूल्य के 1.5 आधार बिंदु दैनिक आधार पर परिकलित	अभिरक्षा में आस्ति मूल्य के 8 आधार बिंदु पर साप्ताहिक आधार पर परिकलित
गैर बाजार खरीद	कारोबार के मूल्य पर आधारित 5.5 आधार बिंदु	-
गैर बाजार बिक्री	कारोबार के मूल्य पर आधारित 5.5 आधार बिंदु	-
रीमैटेरियलाइजेशन	प्रति प्रमाणपत्र रु. 15 अथवा परिवर्तित मूल्य पर आधारित 15 आधार बिंदु जो भी अधिक हो	-

16. लेखा परीक्षक

मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी, चार्टड एकाउंटेंट, 60 बेंटिक स्ट्रीट, कलकत्ता 700 069 एवं मेसर्स बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित, चार्टड एकाउंटेंट, नेशनल इंश्यूरेंस बिल्डिंग, 204, डी.एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 एवं योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आईडीबीआई द्वारा की जाती है और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन हैं।

17. रजिस्ट्रार

यूटीआई इन्वेस्टर्स सर्विसेस लिमिटेड - सेबी रजिस्ट्रेशन सं. आईएनआर00000121- को रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट का कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्रों, पुनर्खरीद आग्रहों की प्रोसेसिंग करने, खाता विवरणी एवं आय वितरण वारंटों को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने और निवेशक की शिकायतों को दूर करने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की पर्याप्त क्षमता है।

आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात् सेवाएं रजिस्ट्रार के निम्नलिखित कार्यालयों द्वारा प्रदान की जाएंगी :

पश्चिमी अंचल : प्लॉट नं. 369, मरोल मरोशी रोड, मरोल मरोशी बस डिपो के पास, विजयनगर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 059.

पूर्वी अंचल : 2, फेयरली प्लेस, पहली मंजिल, पी.बी. नं. 60, कोलकाता - 700 001.

दक्षिणी अंचल : 45, जस्टिस बशीर अहमद सैयद बिल्डिंग, सेकंड लाइन बीच, चेन्नै - 600 001.

उत्तरी अंचल : (उत्तर प्रदेश को छोड़कर) : कंचनजंघा बिल्डिंग, अप्पर तल मंजिल, 18, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 110 002.

लखनऊ (केवल उत्तर प्रदेश राज्य के लिए) : 8 एवं 9, 2री मंजिल, सारन चैंबर 5, पार्क रोड, लखनऊ - 226 001.

18. निवेशकों की शिकायतों के निवारण का डाटा दर्शानेवाली सारणी

19. जुर्माना, लंबित मुकदमा, निरीक्षणों/जांच पड़तालों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

1. भारतीय यूनिट ट्रस्ट/न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी में से किसी (विशेषत: निधि प्रबंधक) के प्रति सेबी अधिनियम या उसकी कोई विनियमों के अंतर्गत सेबी द्वारा या किसी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा (जहां यूटीआई की योजना की यूनिटें सूचीबद्ध हैं) जुर्माना लगाने का कोई मामला नहीं है।

2. न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी सहित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मुकदमे की कार्यवाही लंबित नहीं है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी के प्रति कोई अपराधिक मामला लंबित नहीं है।

3. न तो सेबी और न ही किसी अन्य नियामक एजेंसी ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट के परिचालनों या सिस्टम्स में किसी कमी को पेशकश दस्तावेज में दर्शाए जाने की विशेष रूप से सलाह दी है।

4. भारतीय यूनिट ट्रस्ट, न्यासी मंडल/न्यासी या मुख्य कर्मी के प्रति सेबी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अधीन कोई पूछताछ/अधिनिर्णय की कार्यवाही नहीं है।

20. संक्षिप्त वित्तीय जानकारी देने वाली सारणी को जोड़ा गया है।

इक्विटी योजनाओं में संशोधन - रिपोर्टिंग

अनुबंध 1

मास्टर इंडेक्स फंड - संशोधित/जोड़े गए प्रावधान

खण्ड सं	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
विशेषता मद 3	निवासी और अनिवासी वयस्क व्यक्तियों /मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/नाबालिगों/ अविभक्त हिंदू परिवारों/न्यासों/समितियों/पंजीकृत सहकारी समितियों/कंपनियों एवं बैंकों सहित निगमित निकायों/विदेशी निगमित निकायों (ओसीबी)/सेना/नौसेना/वायुसेना/पैरा मिल्ट्री निधियों/सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों/वित्तीय संस्थाओं/भागीदारी फर्मों/ विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए खुला है।	निवासी व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ साथ अनिवासी भारतीयों , विदेशी निगमित निकायों/विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए खुला है।
विशेषता मद 6	वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।	योजना से ऐसी अन्य योजनाओं या विपरीत में एनएवी या एनएवी पर आधारित मूल्य पर स्विचओवर की सुविधा जो कि ट्रस्ट द्वारा समय समय पर घोषित की जाएगी।
विशेषता मद 8 से 11	वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।	• यूनिटों की पुनर्खरीद पर पूंजी वृद्धि से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत अभिलाभ यदि कोई हो, आयकर अधिनियम की धारा 48 एवं 112 के अंतर्गत कर लाभों के अधीन होंगे। • आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईए/54ईबी के अंतर्गत पूजीगत अभिलाभ कर में छूट के लिए पात्र निवेश आवेदन की स्वीकृति तिथि से क्रमश: तीन/सात वर्ष की अवरुद्ध अवधि के बाद यूनिटों की पुनर्खरीद के अधीन निधि के स्रोत पर निर्भर करेंगे। • योजना में यूनिटों में निवेश का मूल्य संपदा कर से पूर्णत: मुक्त है। • उपहार कर अधिनियम, 1958 ने 1 अक्तूबर 1998 को या उसके बाद दिए गए उपहारों के संबंध में उपहार कर प्रभार लगाना बंद कर दिया है। अत: योलना के यूनिटों के उपहार उपहार कर प्रभार से पूर्णत: मुक्त हैं।
परिभाषाएं II (घ)	(घ) "आवेदक" का अर्थ वह व्यक्ति जो योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में शामिल होने के लिए पात्र होगा और आवेदन पत्र में उल्लिखित	"आवेदक" का अर्थ वह व्यक्ति जो योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में शामिल होने के लिए पात्र हो, प्लान के खण्ड IV के अंतर्गत

	वैकल्पिक आवेदक सहित जब मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिटों की बिक्री की गई हो और प्लान के खण्ड IV के अंतर्गत आवेदन करता हो।	आवेदन करता हो और जो नाबालिग न हो।
परिभाषाएं II (ज)	(ज) " मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति " का अर्थ वह व्यक्ति जो मानसिक अक्षमता से ग्रस्त हो, जो उसे जीवन के सामान्य कार्य करने से वंचित रखती हो।	हम इस परिभाषा को पेशकश दस्तावेज से हटा सकते हैं।
परिभाषाएं II (ड क)	वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।	(ड क) "आरबीआई" का अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत निर्मित भारतीय रिजर्व बैंक।
जोखिम घटक	डेरिवेटिवज़, स्टॉक उधार लेना और विदेशी बाजारों में निवेश के लिए वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।	**डेरीवेटीव्ज़** : ऑप्शन्स एवं फ्यूचर्स जैसे डेरीवेटीव्ज़ प्रतिभूतियों में लेन-देन करना एक अत्यंत विशेषीकृत कार्य है एवं इसमें सामान्य निवेश के जोखिमों से कहीं अधिक जोखिम होता है। हालांकि निधि का अभिप्राय केवल पोर्टफोलियो के बचाव के उद्देश्य के लिए ही डेरीवेटीव्ज़ में लेन-देन करना है,इस खंड में समग्र बाजार बहुत ही अनिश्चित हो सकता है जो इस बाजार में अन्य प्रतिभागियों के कार्य के कारण है। डेरीवेटीव्ज़ में लेन-देन की सफलता निधि प्रबंधक के बाजार की भावी प्रवृत्ति का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता पर निर्भर करती है और यदि निधि प्रबंधक अपने पूर्वानुमान में गलत होता है तो निधि का कार्यनिष्पादन, यदि यह निवेश नीति प्रयोग में न लाई गई होती तो जो रहा होता उसकी तुलना में घट गया होता। **स्टॉक उधार देना** : यह न्यूनतम जोखिम के साथ निधि के लिए अतिरिक्त आय जुटाने का साधन है । स्टॉक उधार दिए जाने की अवधि के दौरान बिक्री हेतु सुलभ स्टॉक की अनुपलब्धता के रूप में जोखिम हो सकता है। ऋणी/मध्यस्थों द्वारा प्रतिभूतियों की चुकौतियों की चूक की संभावनाओं के रूप में भी जोखिम हो सकता है। हालांकि,प्रक्रिया में शामिल मध्यस्थों द्वारा ऋणी से उचित जमानत प्राप्त कर जोखिम की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। यूटीआई का जमानत पर ग्रहणाधिकार रहेगा हम स्टॉक उधार दिए जाने की प्रक्रिया में शामिल किसी जोखिम

		को कम करने हेतु विभिन्न स्थानों पर उचित रोकथाम एवं नियंत्रण भी रखेंगे।
यूनिट और पेशकश IV 5(i) (घ)	मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए कोई व्यक्ति	हम इसे पेशकश दस्तावेज से हटा सकते हैं।
यूनिट और पेशकश IV 5(i)(च)	निवेशकों की इस श्रेणी के लिए वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।	**(च) के रूप में नया उपखण्ड जोड़ा जा सकता है** (च) राज्य या केंद्र सरकार के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित या नियंत्रित कोई निकाय
यूनिट और पेशकश IV(8) (ii)(ग)	कोई प्रावधान नहीं है।	विदेशी संस्थागत निवेशकों के मामले में लेखा विवरणी उनके वैश्विक अभिरक्षक के पते पर या आवेदन में दिए गए पते पर भेजी जाएगी।
यूनिट और पेशकश IV(8) (iii)	फोलियो के अंतर्गत यूनिटों की अतिरिक्त खरीद या आंशिक पुनर्खरीद करने पर हर बार प्रत्येक सदस्य को एक अद्यतन लेखा विवरणी प्राप्त होगी।	फोलियो के अंतर्गत यूनिटों की अतिरिक्त खरीद या आंशिक पुनर्खरीद या स्विचओवर करने पर हर बार प्रत्येक सदस्य को एक अद्यतन लेखा विवरणी प्राप्त होगी।
यूनिट और पेशकश IV(10) (X)ग	कोई प्रावधान नहीं है।	विदेशी संस्थागत निवेशकों के मामले में पुनर्खरीद की प्राप्तियां विशेष अनिवासी रुपए खाते में या सेबी/आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुरूप जमा की जाएंगी।
यूनिटों की बिक्री (2)	(i) आवेदन केवल यूटीआई की निम्नलिखित शाखाओं में स्वीकार किए जाएंगे : मुंबई, कलकत्ता, नई दिल्ली, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, लुधियाना, सूरत,इंदौर, राजकोट, बड़ौदा, कानपुर, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे, कोचीन, तिरुवनंतपुरम और त्रिचूर। आवेदक द्वारा यूनिटों के प्रति भुगतान आवेदन के साथ नकद ,चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है। चेक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किए जाएं, जिस शहर में स्थित शाखा कार्यालय में आवेदन जमा किया जाता है। लेकिन, जहां आवेदक ट्रस्ट के शाखा कार्यालय/संग्रहण केंद्र/विशेष अधिकृत कार्यालय वाले स्थान से भिन्न स्थान से आवेदन करना चाहे तो आवेदित यूनिटों के लिये आवेदन पत्र के साथ देय बैंक ड्राफ्ट के लिये देय बैंक प्रभार घटाकर भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ड्राफ्ट ट्रस्ट को भेजते हुए ऐसा कर सकता है। संग्रहण केन्द्रों/विशेष बिक्री कार्यालयों को, स्थानीय	(i) आवेदन केवल यूटीआई की निम्नलिखित शाखाओं में स्वीकार किए जाएंगे : मुंबई, कलकत्ता, नई दिल्ली, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, लुधियाना, सूरत,इंदौर, राजकोट, बड़ौदा, कानपुर, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे, कोचीन, तिरुवनंतपुरम और त्रिचूर। आवेदक द्वारा यूनिटों के प्रति भुगतान आवेदन के साथ नकद ,चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है। यदि आवेदन यूटीआई के शाखा कार्यालयों में जमा किए जाएं तो चेक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किए जाएं, जिस शहर में स्थित शाखा कार्यालय में आवेदन जमा किया जाता है। (ख) यदि भुगतान चेक/ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है तो आवेदन की स्वीकृति चेक/ड्राफ्ट की वसूली के अधीन होगी। (ग) यदि आवेदन राशि योजना के अंतर्गत न्यूनतम निवेश से कम है तो सम्पूर्ण राशि आवेदक को उसके खर्चे पर बिना किसी ब्याज के या ट्रस्ट

देय चेक अथवा उन स्थानों में जहां तक योजना विकेन्द्रीकृत है, देय मांग पत्र के साथ, जिसमें आवेदक, भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रभार कम कर सकता हो, आवेदन स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि आवेदन राशि रु.10,000/- है तथा बैंक ड्राफ्ट प्रभार इस राशि के लिए रु. 20/- है। इस तरह, ड्राफ्ट रु.9,980/- (रु.10,000/- में से रु. 20/- घटाकर) के लिए बनवाया जा सकता है। ड्राफ्ट कमीशन प्रभार प्लान के आरंभिक निर्गम व्ययों का एक अंश होगा।

किंतु, जहां ट्रस्ट का कार्यालय/संग्रहण केंद्र/विशेष बिक्री कार्यालय है और आवेदन स्थानीय बैंक ड्राफ्ट के साथ मिला है तो बैंक ड्राफ्ट कमीशन निवेशक को ही वहन करना होगा।

(ii) यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि, ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा चेक प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते चेक की वसूली हो।

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि, ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो। लेकिन, आवेदन ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र में ड्राफ्ट जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाए। यदि इस प्लान के अंतर्गत आवेदन राशि न्यूनतम निवेश से कम है, तो सम्पूर्ण राशि ट्रस्ट द्वारा यथोचित रीति से आवेदक को उसके खर्चे पर वापस लौटा दी जाएगी।

(iii) ***प्रत्यावर्तन लाभों के साथ निवेश की विधि***

एनआरआई/ओसीबी द्वारा किए गए निवेश पर प्रत्यावर्तन का अधिकार निवेशित पूंजी और उस पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) पर तब तक होगा जब तक निवेशक भारत के बाहर का निवासी बना रहेगा। इन स्थितियों में निवेश निम्नलिखित विधियों में से किसी एक के माध्यम से किया जा सकता है :

द्वारा यथोचित रीति से वापस लौटा दी जाएगी।

(घ) अनिवासी भारतीय अपने आवेदन आवेदन जमा करने के स्थान पर भुगतान योग्य एनआर(ई)/एनआर(ओ)खाते के चेक या रुपए में ड्राफ्ट के साथ वांछनीय रूप से एनआरआई शाखा, मुंबई में या उपरोक्त (क) में उल्लिखित ट्रस्ट की शाखाओं में जमा करवाएं।

1. प्रत्यावर्तन लाभों सहित एनआरआई निवेशों के भुगतान की विधि

एनआरआई/ओसीबी द्वारा किए गए निवेश पर प्रत्यावर्तन का अधिकार निवेशित पूंजी और उस पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) पर तब तक होगा जब तक निवेशक भारत के बाहर का निवासी बना रहेगा। इन स्थितियों में निवेश निम्नलिखित विधियों में से किसी एक के माध्यम से किया जा सकता है :

क) विदेश में परिचालित बैंक/ विनिमय गृह द्वारा यूटीआई के पक्ष में जारी रुपयों में बैंक ड्राफ्ट जो भारत में स्थित उनके बैंक पर आहरित हो ।

ख) भारत स्थित बैंक, जिसमें निवेशक का एनआरई खाता हो, पर जारी चेक द्वारा ।

ग) निवेशक के एफसीएनआर जमा की राशि से जारी चेक/ड्राफ्ट द्वारा ।

टिप्पणी: नेपाली और भूटानी मुद्रा में भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

4) प्रत्यावर्तन लाभ रहित एनआरआई निवेश के लिए भुगतान पद्धति ।

क) जहां एनआरओ खाते में रखी गई राशि का यूनिटें खरीदने के लिए उपयोग किया गया हो तो इस प्रकार निवेश की गई राशि और पूंजी वृद्धि (कोई हो तो) भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के लिए पात्र नहीं होगी। इसी प्रकार, जब निवेशक भारतवासी था तब उसने यूनिटें रुपये में खरीदी हों और उसके बाद वह अनिवासी हो गया हो तो ऐसे यूनिटों की पुनर्खरीद से प्राप्त राशि पर प्रत्यावर्तन लाभ की पात्रता नहीं होगी।

	विदेशी मुद्रा में ड्राफ्ट विदेशी बैंकों/विनिमय गृह द्वारा यूटीआई के पक्ष में रुपयें में जारी किया गया ड्राफ्ट जो उनके भारतीय संपर्ककर्ता बैंकों पर आहरित हो। भारत स्थित बैंक में निवेशक द्वारा कायम रखे गए एनआरई खाते पर आहरित चेक द्वारा। एफसीएनआर जमाओं की राशि से जारी किए गए चेक/ड्राफ्ट द्वारा। इसके अलावा, नेपाल और भूटान की मुद्राओं में अदायगी स्वीकार नहीं की जाती है। यूनिटों में निवेश रुपये में किया जाता है, विदेशी मुद्रा के सभी ड्राफ्टों को उस दर पर रुपये में परिवर्तित किया जाता है जो परिवर्तन के समय प्रचलित हो। यदि कोई कमी पड़ती हो, तो उसे एनआरआई निवेशक द्वारा विप्रेषित किया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी जाती है कि एनआरआई/ओसीबी निवेशक उपर्युक्त (ख) और (ग) में उल्लिखित लिखतों के द्वारा अदायगी करें। **(iv) *प्रत्यावर्तन लाभों के बिना निवेश विधि*** जहां एनआरओ खाते में धारित निधियों का उपयोग यूनिटों की खरीद के लिए किया जाता है तो इस प्रकार निवेश की गई निधियां और उन पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के लिए योग्य नहीं होगी। **तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 19 अगस्त, 1994 के परिपत्र ए.डी. (एम.ए.शृंखला) सं. 18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान और उसके उपरांत अर्जित सम्पूर्ण आय पूर्ण प्रत्यावर्तन के योग्य होंगी।**	ख)आरबीआई के दिनांक 19 अगस्त, 1994 के परिपत्र एडी (एम.ए. सीरीज़)सं18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान और उसके बाद निवेश पर अर्जित संपूर्ण आय वितरण पूर्णतया प्रत्यावर्तन लाभ के लिए पात्र होगा। बशर्ते कि सदस्य अनिवासी बना रहे। ऐसे मामलों में यूटीआई एनआरओ खाते में जमा करने के लिए रुपए में अदायगी करेगा। यदि निवेशक यूनिटों के आय वितरण पर विप्रेषण विदेश में चाहते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक/कर सलाहकार से संपर्क करें। 5.विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा किया गया निवेश आरबीआई द्वारा अनुमोदित नामित बैंक /प्राधिकृत डीलर के पास रखे गए विशेष अनिवासी रुपया खाता में भुगतान नामे करके होना चाहिए
यूनिटों की बिक्री VI (3) -शीर्षक में सुधार	पात्र संस्थाओं, नाबालिगों और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति आदि के लाभ के लिए किसी आवेदक का आवेदन और पंजीकरण	पात्र संस्थाओं और नाबालिगों आदि का आवेदन और पंजीकरण

यूनिटों की बिक्री VI (3)(iii)	(iii) जहां, किसी अन्य व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकलांग है, के लाभ के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाए वहां ट्रस्ट प्रस्तुत कथन के आधार पर कार्य करेगा और ऐसा करने में यह समझा जाएगा कि ट्रस्ट सद्भावनापूर्वक कार्य कर रहा है। ट्रस्ट को हक होगा कि वह केवल आवेदक के साथ व्यवहार करे और उसकी मृत्यु की स्थिति में सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए वैकल्पिक आवेदक के साथ व्यवहार करे तथा उक्त आवेदक या वैकल्पिक आवेदक को ट्रस्ट द्वारा यूनिट के संबंध में किया गया भुगतान ट्रस्ट के लिए सही उन्मोचन माना जाएगा।	इसे हटाया जाए।
यूनिटों की बिक्री VI (5)	नाबालिग/मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति की तरफ से योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिटों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं जैसे नाबालिग की ओर से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में जन्म प्रमाणपत्र/मानसिक विकलांगता के मामले में मनोचिकित्सक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। भागीदारी/न्यासों/सहकारी समितियों/निगमित निकायों/कंपनियों जैसे निकायों की तरफ से यूनिटों के लिए आवेदन के साथ भागीदारी की भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति/न्यास का न्यास विलेख/समिति के उप-नियम/निगमित निकायों को शासित करने वाली संविधि योजना में निवेश करने हेतु प्रबंध समिति का संकल्प के साथ कंपनी के अंतर्नियम एवं बहिर्नियम प्रस्तुत करने होंगे। यूनिटों की पुनर्खरीद के समय, पुनर्खरीद हेतु प्राधिकृत करने वाला प्रबंध समिति का संकल्प एवं औपचारिकताओं के अनुपालन के लिए तथा पुनर्खरीद चेक को स्वीकार करने वाले निकाय के संबंधित अधिकारी/(अधिकारियों) का प्राधिकार प्रस्तुत करना होगा। गलत घोषणा करके यूनिट रखने वाला व्यक्ति अपनी सदस्यता के निरस्तीकरण का भागी होगा और उसका नाम सदस्यों की पंजी से काट दिया जाएगा।	क) नाबालिग/मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति की तरफ से योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिटों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को ट्रस्ट को आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट द्वारा निर्धारित की गई सभी अपेक्षाओं जैसे नाबालिग की ओर से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। ख) भागीदारी/न्यासों/सहकारी समितियों/निगमित निकायों/कंपनियों जैसे निकायों की तरफ से यूनिटों के लिए आवेदन के साथ भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति /समिति के उप-नियम/निगमित निकायों को शासित करने वाली संविधि योजना में निवेश करने हेतु प्रबंध समिति का संकल्प के साथ कंपनी के अंतर्नियम एवं बहिर्नियम प्रस्तुत करने होंगे। यूनिटों की पुनर्खरीद के समय, पुनर्खरीद हेतु प्राधिकृत करने वाला प्रबंध समिति का संकल्प एवं औपचारिकताओं के अनुपालन के लिए तथा पुनर्खरीद चेक को स्वीकार करने वाले निकाय के संबंधित अधिकारी/(अधिकारियों) का प्राधिकार प्रस्तुत करना होगा। ग) गलत घोषणा करके यूनिट रखने वाला व्यक्ति अपनी सदस्यता के निरस्तीकरण का भागी होगा और उसका नाम सदस्यों की पंजी से काट दिया जाएगा। घ) उपरोक्त मामलों में ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में 25% दण्ड के तौर पर घटाने के बाद सममूल्य पर या एनएवी पर,

	ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में 25% दण्ड के तौर पर घटाने के बाद सममूल्य पर या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद करे और गलती से भुगतान किये गये आय वितरण की वसूली पुनर्खरीद राशि से करे और शेष वापस करे। पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके लिये राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।	जो भी कम हो या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद करें और गलती से भुगतान किये गये आय वितरण, यदि कोई हो, की वसूली पुनर्खरीद राशि से करे और शेष वापस करे। पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके लिये राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
यूनिटों की बिक्री VI (6)	(i)नामांकन सुविधा केवल अपनी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्तियों अर्थात् एकल या संयुक्त रूप से दो तक के लिए उपलब्ध है। आवेदक एक व्यक्ति को नामित कर सकते हैं। अवयस्क तथा अनिवासी भारतीय भी नामित किए जा सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गये दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवासी भारतीय नामित किए जा सकते हैं। प्लान के चालू रहने के दौरान आवेदक किसी भी समय नामांकन में परिवर्तन कर सकता है। (ii) सदस्यों को, जो नाबालिग की ओर से माता-पिता हों या विधिक अभिभावक हों तथा पात्र संस्था, समिति, निगमित निकाय और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिट हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा। अन्य प्रावधान विनियमों में उपलब्ध कराई गई सीमा तक रहेंगे। (iii) नामांकन की वैधानिक वैधता : भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 39क के अंतर्गत सदस्य को सांविधिक नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। तदनुसार, जहां किसी यूनिट के संबंध में नामांकन यूटीआई सामान्य विनियमावली, 1964 के अनुसरण में किया गया है वहां सदस्य को उक्त यूनिटों के संबंध में देय राशि, सदस्य की मृत्यु होने पर उक्त यूनिटों के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के किसी अधिकार, हक दावे या अन्य हित के अध्यधीन रहते हुए जैसा कि ऐसे	(i)नामांकन सुविधा केवल अपनी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्तियों अर्थात् एकल या संयुक्त रूप से दो तक के लिए उपलब्ध है। (ii) केवल एक व्यक्ति को नामित किया जा सकता है। (III) अनिवासी नाबालिग सहित नाबालिग भी नामित किए जा सकते हैं। (iv) अनिवासी भारतीयों का नामांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गये दिशानिर्देशों के अधीन है। (v) निवेश की अवधि के दौरान किसी भी समय नामांकन में परिवर्तन किया जा सकता है। (vi) आवेदक, जो नाबालिग की ओर से माता-पिता हों या विधिक अभिभावक हों तथा पात्र संस्था, समिति, निगमित निकाय को नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा। vii)अन्य प्रावधान विनियमावली में दी गई सीमा तक होंगे। viii) नामांकन की वैधानिक वैधता : भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 39क के अंतर्गत सदस्य को सांविधिक नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। तदनुसार, जहां किसी यूनिट के संबंध में नामांकन यूटीआई सामान्य विनियमावली, 1964 के अनुसरण में किया गया है वहां सदस्य की मृत्यु होने पर किंतु उक्त यूनिटों के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के किसी अधिकार, हक दावे या अन्य हित के अध्यधीन रहते हुए जैसा कि ऐसे विनियमों में उपबंधित है और किसी प्रभार या किसी बाधा की शर्त के

	विनियमों में उपबंधित है और किसी प्रभार या किसी बाधा की शर्त के अधीन नामिती में निहित और उसे देय होगी। उपरोक्त के अनुसार ट्रस्ट द्वारा किए गए भुगतान से ट्रस्ट का, उक्त यूनिटों के संबंध में सभी दायित्वों से पूर्ण उन्मोचन हो जाएगा।	अधीन नामिती में निहित और उसे देय होगी और नामिती को इस प्रकार निहित यूनिटों के लिए एक लेखा विवरणी जारी की जाएगी। उपरोक्त के अनुसार ट्रस्ट द्वारा किए गए प्रेषण से ट्रस्ट का, उक्त यूनिटों के संबंध में सभी दायित्वों से पूर्ण उन्मोचन हो जाएगा।
यूनिटों की पुनर्खरीद VII (3)	पुनर्खरीद, यूनिटधारक द्वारा यथोचित रूप से हस्ताक्षरित पुनर्खरीद रसीद प्राप्त होने पर प्रभावी होगी। आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति होगी बशर्ते कि इस प्रकार की पुर्नखरीद से सदस्य की धारिता 5000/- रुपए (अंकित मूल्य) से कम न हो।	पुनर्खरीद नवीनतम लेखा विवरणी प्राप्त होने पर प्रभावी होगी। आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति होगी बशर्ते कि सदस्य की धारिता प्रति फोलियो न्यूनतम 5000/- रुपए से कम न हो जिसे पुनर्खरीद आवेदन प्राप्त होने की तिथि पर लागू पुनर्खरीद मूल्य पर परिकलित किया जाएगा। पुनर्खरीद की संविदा पुनर्खरीद के लिए स्वीकृति तिथि को समाप्त समझी जाएगी।
यूनिटों की पुनर्खरीद VII (10)(ग)	वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं	विदेशी संस्थागत निवेशकों के मामले में पुनर्खरीद प्राप्तियां विशेष अनिवासी रुपए खाते में या समय समय पर सेबी/आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप जमा की जाएगी।
यूनिटों की पुनर्खरीद VII (13)	वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं	<u>स्विचओवर</u> योजना के अंतर्गत सदस्यों को अपने निवेश को योजना से ऐसी अन्य योजनाओं में और विपरीत स्विचओवर की अनुमति होगी जिसकी ट्रस्ट द्वारा समय समयं पर अनुमति दी जाए। इस तरह के मामले में उन्हें नवीनतम लेखा विवरणी को विधिवत् रूप से हस्ताक्षर कर स्विच ओवर के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। स्विचओवर ट्रस्ट द्वारा किए गए निर्णयानुसार, एनएवी या एनएवी आधारित मूल्य पर होगा। ट्रस्ट द्वारा समय समय पर की जाने वाली घोषणा के अनुसार इस योजना से अन्य योजनाओं में या विपारीत आंशिक स्विचओवर की अनुमति होगी बशर्ते वह दोनों योजनाओं में न्यूनतम धारिता सीमा की शर्त का पालन करता हो । लेखा विवरणी/ यूनिट प्रमाणपत्र को रद्द करने के लिए ट्रस्ट अपने पास रख लेगा एवं जैसा भी मामला हो, उसके अनुसार दोनों योजनाओं के लिए नई लेखा विवरणी/ यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा।

		आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54ईए/54ईबी के अंतर्गत कर में छूट के प्रयोजन से किए गए निवेश पर क्रमश: 3 एवं 7 वर्ष की अवरुद्ध अवधि से पूर्व स्विचओवर की अनुमति नहीं होगी ।
यूनिटों की पुनर्खरीद VII (1.1)	**बैंक विवरण :** चेकों के खो जाने/गलत जगह पर पहुंचने के कारण उनके संभावित कपटपूर्ण नकदीकरण के विरुद्ध सावधानी के तौर पर आवेदकों से यह निवेदन किया जाता है कि वे आवेदन पत्र में सही स्थान पर अपने बैंक खाते का पूर्ण विवरण (अर्थात् खाते का स्वरूप,खाता संख्या एवं बैंक का नाम) दें। तब पुनर्खरीद चेक इस प्रकार से निर्दिष्ट किए गए बैंक खाते में जमा करने के लिए बैंक के पक्ष में तैयार करके भेजे जाएंगे। सदस्य कथित बैंक में अपने खाते में जमा करने के लिए उस पुनर्खरीद चेक को प्रस्तुत कर सकते हैं। बैंक विवरण नहीं दिए जाने के मामले में, पुनर्खरीद चेकों को सदस्यों के नाम में जारी किया जाएगा (संयुक्त धारिता या उत्तरजीविता के आधार पर धारिता में मामले में प्रथम धारक)। धोखाधड़ी या जालसाजी के जरिए चेकों के गलत हाथों में पहुंचने वाली क्षति के लिए यूटीआई और बैंकर जिम्मेदार नहीं होंगे। **पुनर्खरीद/परिपक्वता चेकों के कपटपूर्ण नकदीकरण से बचने के लिए सेबी ने निवेशकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि निवेशक अपने हित में आवेदन पत्र में उचित स्थान पर बैंक विवरण दें।**	<u>**निवेशकों का बैंक विवरण :**</u> i)आय वितरण वारंटों/पुनर्खरीद चेकों/परिपक्वता चेकों को कपटपूर्ण तरीके से भुनाए जाने से बचने के लिए सेबी ने निवेशकों के हित में आवेदन पत्र में उपयुक्त स्थान पर बैंक ब्यौरे देना अनिवार्य कर दिया है। **बैंक ब्यौरे के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे** । तदनुसार,नीचे मद (ii) में दिए गए ग्यारह शहरों से बाहर रहने वाले आवेदकों से निवेदन किया जाता है कि वे रिकार्ड हेतु आवेदन पत्र तथा पावती रसीद के उपयुक्त स्थान पर अपने बैंक खाते (अर्थात खाते का प्रकार,खाता संख्या और बैंक का नाम) का पूरा ब्यौरा दें। तब आय वितरण वारंट/पुनर्खरीद चेक,इस प्रकार निर्दिष्ट बैंक ब्यौरे के साथ खाते में जमा करने के लिए सदस्य के नाम जारी कर उसे भेजे जाएंगे। **इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा :** ii) वर्तमान में ईसीएस सुविधा मुंबई/कलकत्ता/चेन्नई/नई दिल्ली/ अहमदाबाद/बड़ौदा/पुणे/भुवनेश्वर/बंगलोर / हैदराबाद और जयपुर में रहने वाले निवेशकों को संबंधित केन्द्रों पर उनके बैंक खाते में सीधे क्रेडिट के लिए उपलब्ध कराई गई है और जहां एकल लिखत की राशि रु. 5,00,000 से अधिक न हो। निवेशकों को उनके बैंक खाते में क्रेडिट के ब्यौरे देते हुए एक विवरणी दी जाएगी। iii) निवेशक की बैंक शाखा उसके खाते में जमा करेगी और जमा प्रविष्टि को पास बुक/बैंक खाते की विवरणी में "ईसीएस" से निर्दिष्ट करेगी। आवेदक से अनुरोध किया जाता है कि वह आवेदन पत्र में अपने बैंक का नाम और

		पता, खाते का प्रकार और संख्या, 9 अंकों वाली बैंक एवं शाखा एमआईसीआर कोड संख्या का विवरण दें। iv) यदि इस सुविधा पर मिली प्रतिक्रिया इसके संचालन हेतु पर्याप्त नहीं है या कोई अन्य कारण से इसका संचालन नहीं किया जा सके तो "ईसीएस" के अंतर्गत आय का भुगतान करने के बजाय ट्रस्ट उपरोक्तानुसार आय वारंट जारी करके आय की अदायगी कर सकता है। v). <u>एनआरआई/ ओसीबी निवेशकों को आय वितरण</u> एनआरआई/ ओसीबी निवेशकों को आय वितरण विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुसार अदा किया जाएगा। आय के भुगतान की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है : क)वारंट सदस्य के नाम जारी किया जा सकता है तथा सदस्य के एनआरई/एनआरओ खाते में जमा करने के लिए उसके किसी ऐसे रिश्तेदार को भेजा जा सकता है जो भारत का निवासी हो, जैसा भी मामला हो। अथवा ख)वारंट किसी ऐसे रिश्तेदार के नाम जारी किया जा सकता है जो भारत का निवासी है तथा उसके खाते में जमा करने के लिए उसे भेजा जाएगा। **vi)ईसीएस सुविधा उन एनआरआई निवेशकों को भी उपलब्ध है जिनका मुंबई में अपना स्वयं का बैंक खाता है। वे एनआरआई निवेशक जो अपने निवासी रिश्तेदार के खाते में आय वितरण क्रेडिट करना चाहते हैं ईसीएस सुविधा उप खण्ड IV(10) (x) में दर्शाए स्थानों पर उन्हें भी उपलब्ध हो सकती है।**
मूल विशेषताएं IX(3) अंतिम दो अनुच्छेद	मूल विशेषताओं में कोई भी परिवर्तन कम से कम तीन चौथाई सदस्यों की सहमति से किया जाएगा। इसके अलावा मूल विशेषताओं में कोई परिवर्तन होने पर जो सहमति न दें उन्हें योजना से अपनी धारिता का	योजना की मूल विशेषताओं में परिवर्तन तब ही किया जाएगा, यदि: (i)वर्तमान सदस्यों को सूचना व्यक्तिगत रूप से दी गई हो और

	मोचन करने की अनुमति होगी। बोर्ड समय-समय पर योजना में परिवर्धन या अन्यथा उसमें संशोधन कर सकता है तथा ऐसा कोई संशोधन/परिवर्धन सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। कोई भी परिवर्तन होने के मामले में सेबी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।	(ii) विज्ञापन, पूरे भारत में परिचलित होने वाले अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्र में एवं एक मराठी के समाचार पत्र में भी दिया गया हो। (iii)सदस्यों को भार रहित वर्तमान एनएवी पर योजना से निकासी का विकल्प दिया गया हो। बोर्ड समय-समय पर योजना में परिवर्धन या अन्यथा उसमें संशोधन कर सकता है तथा ऐसा कोई संशोधन/परिवर्धन सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा जैसा कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 21 (4) के अनुसार आवश्यक है। योजना की मूल विशेषताओं में कोई परिवर्तन/संशोधन/आशोधनों सेबी के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा। अन्य परिवर्तन/संशोधन/ आशोधनों के संबंध में, जो मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं है और जो यूनिटधारकों के हितों को प्रभावित नहीं करते हैं, सेबी के पूर्व अनुमोदन से बनाएं जाएंगे।
निवेश उद्देश्य, नीतियां एवं स्टॉक उधार देना IX (4)	वर्तमान प्रावधानों को अनुबंध III के अंतर्गत मद 1 में दिए गए प्रावधान से पुन: स्थापित किया जाएगा।	अनुबंध III का संदर्भ लें।
एनएवी निर्धारण एवं आस्तियों का मूल्यांकन XII (2)	वर्तमान प्रावधानों को अनुबंध III के अंतर्गत मद 2 में दिए गए प्रावधान से पुन: स्थापित किया जाएगा।	अनुबंध III का संदर्भ लें।
लेखा नीतियां XIII	वर्तमान प्रावधानों को अनुबंध III के अंतर्गत मद 3 में दिए गए प्रावधान से पुन: स्थापित किया जाएगा।	अनुबंध III का संदर्भ लें।
निवेशों का कर - निरूपण XIV	वर्तमान प्रावधानों को अनुबंध III के अंतर्गत मद 4 में दिए गए प्रावधान से पुन: स्थापित किया जाएगा।	अनुबंध III का संदर्भ लें।
निवेशकों के अधिकार एवं सेवाएं XV	वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।	निम्नलिखित को मद (6) के रूप में जोड़ा जाए और मद (6) और (7) को तदनुसार दोबारा नंबर दिए जाएं।

		(6) मूल विशेषताओं में कोई भी परिवर्तन कम से कम तीन चौथाई सदस्यों की सहमति से किया जाएगा। इसके अलावा मूल विशेषताओं में कोई परिवर्तन होने पर जो सहमति न दें उन्हें योजना से अपनी धारिता का मोचन करन की अनुमति होगी।
भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना एवं प्रबंधन XVI	वर्तमान जानकारी को अनुबंध III की मद संख्या 5 के अनुसार अद्यतन किया जाएगा।	अनुबंध III का संदर्भ लें।
योजना के लिए अन्य सेवाएं देने वाले XVII	वर्तमान जानकारी को अभिरक्षकों/लेखा परीक्षकों के संबंध में अनुबंध III की मद 6 के अनुसार अद्यतन किया जाएगा।	अनुबंध III का संदर्भ लें।
निवेशकों की शिकायतों का निवारण XVIII	वर्तमान जानकारी को अनुबंध III की मद संख्या 7 के अनुसार अद्यतन किया जाएगा।	अनुबंध III का संदर्भ लें।
जुर्माना, लंबित मुकदमा, निरीक्षणों/जांच-पड़तालों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष XIX (2)	न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी सहित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मुकदमे की कार्यवाही लंबित नहीं है।	न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी सहित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मुकदमे की कार्यवाही लंबित नहीं है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी के प्रति कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।
जुर्माना, लंबित मुकदमा, निरीक्षणों/जांच-पड़तालों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष XIX (4)	कोई प्रावधान नहीं है।	न तो सेबी और न ही किसी अन्य नियामक एजेन्सी ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट के परिचालनों या सिस्टम्स में किसी कमी को पेशकश दस्तावेज़ में दर्शाए जाने की विशेष रूप से सलाह दी है।
संक्षिप्त वित्तीय जानकारी	वर्तमान प्रावधानों को अनुबंध III की मद 8 में दिए गए प्रावधानों से पुन: स्थापित कर दिया जाएगा।	अनुबंध III का संदर्भ लें।

इक्विटी योजनाओं में संशोधन - रिपोर्टिंग

अनुबंध II

मास्टर इंडेक्स फंड - हटाए गए प्रावधान

खण्ड सं.	वर्तमान प्रावधान	टिप्पणियां
निवेश उद्देश्य, नीतियां एवं स्टॉक उधार देना IX (6)	तथापि, ऊपर खण्ड IX (4),XII (1) और XII (2) के संबंध में किसी बात के होते हुए, आस्तियों का मूल्यांकन, शुद्ध आस्ति मूल्य का अभिकलन, पुनर्खरीद मूल्य और उनके प्रकटीकरण का अंतराल सेबी द्वारा समय समय पर जारी सेबी (एमएफ) विनियमो के प्रावधानों/ दिशा निर्देशो/निदेशो के अनुसरण में होगा।	हटा दिया गया है; इस खण्ड को संशोधित कर दिया गया है और अनुबंध III की मद ___ के अंतर्गत आस्तियों के मूल्यांकन के एक भाग के रूप में जोड़ा गया है।

अनुबंध III

मास्टर इंडेक्स फंड

क्र.सं.	'मानक पेशकश दस्तावेज़' द्वारा अपेक्षित प्रावधान

1. **खण्ड IX(4) निवेश नीतियां**

(i) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिया जाएगा।

(ii) ट्रस्ट प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय सुपुर्दगियों के आधार पर करेगा और खरीद के सभी मामलों में संबंधित प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेगा और बिक्री के सभी मामलों में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी करेगा और किसी भी मामले में खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालेगा जिससे इसे मंदड़िया बिक्री करनी पड़े या सौंदे का वायदा (कैरी फारवर्ड) करना पड़े या बदला वित्त में लिप्त होना पड़े ।

(iii) ट्रस्ट प्रतिभूतियों की खरीद या अंतरण ट्रस्ट के नाम से करवाएगा।

(iv) सेबी तथा भारत सरकार से प्राधिकृत हो जाने के अधीन यूटीआई, उचित परिस्थितियों में निवेश नीति, जोखिम को रोकने या कम से कम करने के उद्देश्य के लिए, ऐसी तकनीकों और लिखतों जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शन्स और सहवर्तियों का, जब भारतीय बाजार में उनके प्रयोग की अनुमति मिल जाएगी, लागू विनियमों और प्रतिपक्षी जोखिम मूल्यांकन के अधीन किसी भी सैक्टर फंड की निवेश संरचना को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रयोग करेगा।

(v)(क) सेबी द्वारा घोषित उधार दिए जाने की शर्तों के अनुसार,योजना द्वारा स्टॉक उधार दिया जा सकता है। यह कार्य किसी अनुमोदित बिचौलिए के जरिए किया जाएगा।

(ख) स्टॉक उधार दिए जाने पर किसी एकल बिचौलिए को योजना द्वारा दिया गया अधिकतम उधार,योजना के इक्विटी पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत होगा या उस सीमा तक होगा जैसा सेबी निर्दिष्ट करे।

(ग) यदि म्यूचुअल फंड और यूटीआई को स्टॉक उधार लेने की अनुमति दी जाती है तो योजना इस संबंध में सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार उचित परिस्थितियों में स्टॉक उधार ले सकती है।

(vi) योजना अपतटीय/विदेशी कंपनियों द्वारा जारी एवं विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी/अपतटीय निवेशकर्ताओं को जारी तथा विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश ऐसे निर्गमों में सीधे अभिदान करके या इस संबंध में समय-समय पर जारी सेबी/आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीद करके कर सकती है।

(vii) योजना इनमें से किसी में निवेश नहीं करेगी ;

क) ट्रस्ट की समूह या सहायक कंपनी की कोई असूचीबद्ध प्रतिभूति ; या

ख) ट्रस्ट की समूह या सहायक कंपनी द्वारा निजी नियोजन के माध्यम से जारी की गई कोई प्रतिभूति; या

ग) ट्रस्ट की समूह कंपनी की सूचीबद्ध प्रतिभूतियां जो ट्रस्ट की सभी योजनाओं के शुद्ध आस्तियों के 25% का आधिक्य है।

(viii) प्लान की प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए शेयर-दलाली फर्म और यूटीआई की सहायक संस्था यूटीआई सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज लिमिटेड (यूटीआई-एसईएल) की सेवाएं ली जा सकती हैं जो नीतियों के अनुसार हों और ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा तय की गई सीमाओं के अधीन हों। यूटीआई एसईएल 1994 में स्थापित की गई थी। यह निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित, पारदर्शी और कुशल सेवाएं प्रदान करने वाली उच्च तकनीकी कंपनी है। इसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है।

IX(5)

ट्रस्ट की योजनाओं में कंपनियों का निवेश एवं इन कंपनियों में ट्रस्ट का निवेश दर्शाने वाली सारणी नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार

2. **XII(2)- इस योजना की आस्तियों का मूल्यांकन**

(क) अवरुद्ध अवधि के अधीन वाले निवेशों,यदि कोई हो,सहित उद्धृत निवेशों परंतु सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर, का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को बाजार में बंद मूल्य पर और उसकी अनुपस्थिति पर मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि में बिल्कुल हाल ही की उपलब्ध दर पर किया जाता है। यदि मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि हेतु, कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोद्धृत निवेश माना जाता है।

(ख) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां मूल्यांकन तिथि को अंतिम एनएससी बाजार दर पर मूल्यांकित की जाती हैं और इसकी अनुपस्थिति पर मूल्यांकन तिथि से पूर्व 7 दिनों के अंदर उपलब्ध नवीनतम भाव को मूल्यांकन के लिए लिया जाता है। यदि मूल्यांकन की तिथि से सात दिन पूर्व की अवधि हेतु कोई भाव उपलब्ध नहीं हो तो उसे अनोद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां माना जाएगा।

(ग) उद्धृत डिबेंचरों और बांडों के मामले में, बाजार दर, जो ब्याज सहित है उसे ब्याज तत्त्व,यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया जाता है।

(घ) शेयरों के अधिकार पात्रता का मूल्यांकन,लाभांश तत्व हेतु बट्टा काटकर,जहां लागू हो बाजार दर पर किया जाता है।

(ङ) अनोद्धृत अधिमान शेयर/संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर लागत पर लिए जाते हैं।

(च) अनोद्धृत इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन, जैसे न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित किया जाए, उचित मूल्यांकन आधार पर किया जाता है।

(छ) अनोद्धृत डिबेंचर, बॉण्ड एवं अंतरणीय नोट न्यासी मंडल के अनुमोदन के साथ भारत सरकार की प्रतिभूतियों (प्रतिफल वक्र) पर प्रतिफल के साथ जुड़ी, का मूल्यांकन परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर किया जाता है।

(ज) अनोद्धृत वारंट, अंतरनिहित इक्विटी शेयरों के बाजार दर पर, लाभांश तत्त्व के लिए बट्टा काटकर, यदि कोई हो, तथा देय प्रायोगिक मूल्य से कम करके मूल्यांकित किए जाते हैं। जिन मामलों में इस तरह लिए गए मूल्य से प्रायोगिक देय मूल्य ज्यादा हो, वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है।

(झ) अनोद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों, यदि कोई हो, का मूल्यांकन प्रचलित ब्याज दर पर परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर किया जाता है।

(ञ) परिवर्तनीय डिबेंचर एवं बॉण्ड, जहां मिश्र बाजार भाव उपलब्ध न हो, वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन इक्विटी शेयरों के लिए लागू बाजार दर, लाभांश तत्व के लिए बट्टा काटकर, यदि कोई हो, पर किया जाता है। ऐसे डिबेंचरों एवं बॉण्डों का अपरिवर्तनीय भाग, यदि कोई हो, का मूल्यांकन, उपरोक्त (च) के अनुसार किया जाता है। जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है।

(ट) पूंजी सूचीकृत बॉण्ड लागत आधार पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

(थ) मुद्रा बाजार लिखतों के लिए मूल्यांकन नीति :-

(i) मुद्रा बाजार लिखतें एवं अन्य आस्तियां बही मूल्य पर ली जाती हैं।

(ii) अंतर बैंक कॉल बाजार में निवेशित राशियां लागत पर ली जाती हैं।

(iii) बट्टा /ब्याज उपार्जन लिखत में निवेशित राशि का मूल्यांकन उस प्रतिफल पर किया जाता है जिसमें लिखत का सौदा पिछली बार किया गया था। इस उद्देश्य हेतु भाव, जो दो कार्य दिवस पुराना हो वैध माना जाता है। जब पिछले दो कार्य दिवस में कोई भाव उपलब्ध न हो तो लिखत लागत एवं लिखत के परिपक्व होने के बाकी बचे दिनों के लिए लागू एक समान लागत और अंकित मूल्य के मध्य अंतर पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

(iv) अनोद्धृत डिबेंचरों सहित अन्य मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन लागत एवं लिखत के परिपक्व होने के बाकी बचे दिनों पर लागू एक समान लागत और अंकित मूल्य के मध्य अंतर पर किया जाता है।

तथापि, खण्ड IX एवं XII के संबंध में किसी भी बात के बावजूद निवेश उद्देश्य, एनएवी का निर्धारण एवं आस्तियों का मूल्यांकन, पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण एवं एनएवी, पुनर्खरीद मूल्य एवं पोर्टफोलियो के प्रकटीकरण का अंतराल समय समय पर सेबी द्वारा जारी सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमों/दिशानिर्देशों/निदेशों के प्रावधानों के अनुसार होगा।

3. XII. लेखा नीतियां

1. आय की मान्यता

(क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय लाभांश-पूर्व तिथि पर प्रोद्भूत होती है। असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों एवं अधिमान शेयरों पर लाभांश आय का हिसाब प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

(ख) निवेशों पर ब्याज एवं प्रतिबद्धता प्रभार का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

(ग) निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि की पहचान भारित औसत लागत के आधार पर व्यापार तिथियों पर किया जाता है।

(घ) डिबेंचर/बॉण्डों के प्रतिदान पर प्रीमियम एवं लाभ या हानि की पहचान देय तिथि पर किया जाता है।

(ङ) जब कोई राशि जिम्मे नहीं आई हो तो हामीदारी कमीशन को नकदी आधार पर राजस्व माना जाता है। जिम्मे आई राशि के मामले में पूर्ण हामीदारी कमीशन ऐसे निवेशों की लागत में से कम कर दिया जाता है।

(च) शेयरों एवं डिबेंचरों में निवेश पर प्रारंभिक शुल्क को ऐसे निवेशों की लागत से कम कर दिया जाता है।

(छ) ज़ीरो कूपन बॉण्डों, डीप डिस्काउंट बाण्डों एवं अन्य दीर्घावधि बट्टाकृत लिखतों के संबंध में खरीद मूल्य एवं परिपक्वता मूल्य के मध्य अंतर को वायटीएम आधार पर लिखत के बाकी बचे अवधि के लिए आय माना जाता है।

(ज) अन्य आय प्राप्ति आधार पर लिए जाते हैं।

2. व्यय

क. व्यय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

ख. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25(4) के प्रावधानों के अनुसार यूनिट योजना 1964 के अंतर्गत किए गए खास सामान्य खर्चों का विनिधान अन्य योजनाओं पर किया जाता है।

ग. नियत आस्तियों वाली यूनिट योजना, 1964 कथित आस्तियों के उपयोग के स्वीकृत आधार पर पट्टा किराया अन्य योजनाओं से वसूल करती है।

3. निवेश

क. निवेशों का विवरण लागत पर या अवलिखित लागत पर दिया जाता है।

ख. द्वितीयक बाजार कारोबार के मामले में निवेश को व्यापार तिथियों पर किया गया माना जाता है।

ग. आबंटन पर प्राथमिक बाजार निर्गमों में अभिदान को निवेश माना जाता है।

घ. बोनस/अधिकार पात्रताओं को पूर्ववर्ती-बोनस/पूर्ववर्ती अधिकार तिथियों पर माना जाता है।

ङ. निवेश अर्थात् डिबेंचर/बॉण्ड, ऋण एवं जमा राशियां प्रतिदान/देय तिथि को चालू आस्तियों में स्थानांतरित की जाती हैं।

च. निवेश की लागत में दलाली एवं सेवा - कर शामिल हैं लेकिन स्टाम्प शुल्क शामिल नहीं है, जिसे राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

4. **प्रावधान एवं मूल्यह्रास :**

(क) संदिग्ध समझी गई आय के प्रति प्रावधान :

पिछली दो तिमाही या उससे अधिक के लिए देय बाकी ब्याज आय के संबंध में प्रावधान किया जाता है। यदि लाभांश, पिछले लाभांश की तिथि से एक वर्ष से अधिक के लिए अदत्त है तब तुरंत अगले वर्ष प्रावधान किया जाता है।

(ख) निवेश के मूल्य में ह्रास

(i) उपरोक्त खंड XIII(2) के अनुसार गणना किए गए निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और परिणामस्वरूप ह्रास यदि हो, सामान्य प्रारक्षित निधि/यूनिट प्रारक्षित निधि को प्रभारित किए जाते हैं। यदि ऐसा कुल मूल्य पिछले वर्ष के अंत में कुल लागत या कुल मूल्य से अधिक हो जाता है तो वृद्धि को उस सीमा तक जहां ह्रास को पिछली बार समायोजित किया गया था, यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि/सामान्य प्रारक्षित निधि में ले जाया जाता है।

(ii) जहां अनोधृत इक्विटी या अधिमान शेयर पिछले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए हों, जब और जैसे ही उद्धरण या उचित मूल्य उपलब्ध होता है, ऐसे निवेश वापस अपने मूल्य पर दिखाए जाते हैं।

(iii) आस्तियां,जिनका ब्याज पिछली दो तिमाही या उससे अधिक से बकाया है,अनुप्रयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी आस्तियों के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है (जैसा कि नीचे सारणी में बताया गया है)।

आस्ति के अनुपयोज्य रहने की अवधि	**प्रावधान का प्रतिशत**	
	रक्षित आस्ति	अ-रक्षित आस्ति
दो वर्षों तक	10%	10%
दो वर्षों से अधिक परंतु तीन वर्षों तक	20%	100%
तीन वर्षों से अधिक परंतु पांच वर्षों तक	30%	100%
पांच वर्षों से अधिक	50%	100%

(iv) जहा मूल पुनर्भुगतान (i) 3वर्षों तक की अवधि वाली ऋण लिखतों के संबंध में पहले से ही देय अवधि के 180 दिनों से अधिक हेतु और (ii) 3वर्षों से अधिक अवधि वाले ऋण लिखतों के संबंध में पहले से ही देय अवधि के 365 दिनों हेतु,बकाया रहने के कारण ऐसी बकाया किस्तों हेतु प्रावधान बनाया

जाता है। ऐसी आस्तियों के लिए समग्र प्रावधान,उपरोक्त तालिका में उल्लिखित प्रतिशत (जमानती आस्तियों हेतु 50% तथा गैर जमानती आस्तियों हेतु 100%) या चूक वाली राशि जो भी अधिक हो,तक सीमित है।

ऐसे मामले जिनमें मूल चूक जारी रहती है,किसी भी किस्त के लिए प्रावधान संबंधित देय तिथियों से 30 दिनों के बाद किया जाता है।

(v) ब्याज के निधीयन के मामले में,बकाया ब्याज के पूंजीकरण के द्वारा, उसके चूक की अवधि के बावजूद पूर्ण रूप से प्रावधान किया जाता है।

(vi) गैर निष्पादी आस्तियों के लिए प्रावधान यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि/ सामान्य प्रारक्षित निधि/ राजस्व लेखा,जैसा भी मामला हो, में प्रभारित किए जाते है।

(vii) अनुच्छेद 4(क)और 4(ख)(iv) के अंतर्गत बनाए गए प्रावधान प्राप्ति के आधार पर पुनरांकित किए जाते हैं। 4(ख)(v) के अंतर्गत प्रावधान प्राप्ति के आधार पर पुनरांकित किए जाते हैं।

5. वित्तीय परिणामों का प्रकाशन :

यथा 31 दिसंबर अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम 2 माह के भीतर एवं यथा 30 जून लेखा-परीक्षित वार्षिक परिणाम लेखे को अंतिम रूप देने के 6 माह के भीतर एक अंग्रेजी दैनिक एवं एक मराठी दैनिक में प्रकाशित किया जाएगा।

4. **XIV निवेशों का कर - निरूपण**

1. कर - निरूपण

(क) निवासी/एनआरआई/ओसीबी

i) योजना के अंतर्गत आय,यदि हो,और पूंजी वृद्धि यदि वसूल हो,पर कराधान प्रचलित कर कानूनों के अधीन होगा।

ii) वर्तमान में ट्रस्ट की सभी योजनाओं/प्लानों के अंतर्गत सभी वर्ग के निवेशकर्ताओं को प्राप्त होने वाली आय,यदि कोई हो,आयकर अधिनियम, 1961की धारा 10 (33) के अंतर्गत कर से पूरी तरह मुक्त होगी।

1. आयकर अधिनियम,1961 की धारा 115 आर के अंतर्गत योजना द्वारा आय वितरण,यदि कोई हो,पर 10% की दर पर आय वितरण कर और उस पर 10% का अधिभार दिया जाना है। हालांकि,सतत खली इक्विटी उन्मुख निधि होने के कारण प्लान उपरोक्त धारा के अंतर्गत 31 मार्च,2000 तक उपरोक्त कर के अधीन नहीं है,बशर्ते योजना की कुल प्राप्तियों का 50% से अधिक का निवेश घरेलु कंपनियों की इक्विटी योजनाओं में किया गया हो।

iii) वर्तमान में,एनआरओ खातों में रखी निधियों से एनआरआई व निवासियों को प्राप्त होने वाला कोई दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 एवं 112 के अंतर्गत कर-निरुपण के अधीन होगा। वर्तमान में निवेशक को लागत स्फीति सूचकांक का लाभ उठाने के बाद दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ पर 20% की दर से कर का भुगतान करना होगा। हालांकि,एनआरई खातों के जरिए किए गए निवेश पर होने वाला पूंजीगत अभिलाभ कर योग्य नहीं होगा।

iv) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों में किए गए निवेश का मूल्य धनकर से पूर्णत: मुक्त है।

v) उपहार कर अधिनियम,1958 ने योजना की यूनिटों के संबंध में उपहार-कर की उगाही को समाप्त कर दिया है।

2. <u>धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट की पात्रता</u>

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण या आंशिक शुद्ध राशि का पीईएफ में किया गया निवेश आयकर अधिनियम,1961 की धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के लिए पात्र होगा,बशर्ते यूनिटों की पुनर्खरीद आवेदन की स्वीकृति की तिथि से तीन वर्षों के बाद की गई हो।

3. <u>धारा 54 ईबी के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट की पात्रता</u>

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाला पूंजीगत अभिलाभ का पीईएफ में किया गया सम्पूर्ण या आंशिक निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईबी के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के लिए पात्र होगा,बशर्ते यूनिटों की पुनर्खरीद आवेदन स्वीकृति की तिथि से सात वर्ष के बाद की गई हो।

4. <u>पात्र ट्रस्टों के लिए</u>

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2)(ख) के अंतर्गत यूनिट स्वीकृत प्रतिभूतियां हैं। अत: यूनिटों में निवेश कर रहे पात्र ट्रस्ट आयकर अधिनियम, 1961की धारा 11 और 13 के अंतर्गत आय और निधि के लिए आवश्यक कर छूट के योग्य होंगे।

5. XVI भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना एवं प्रबंधन

यूटीआई की स्थापना

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना एक सांविधिक संस्था के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होनेवाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी। इसने 1 जुलाई, 1964 से कार्य करना आरंभ किया।

यूटीआई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है, जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। मंडल के अलावा, एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी होते हैं। यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर कार्य करने के लिए सक्षम है।

न्यासी मंडल *

1.	श्री पी.एस. सुब्रमन्यम	अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
2.	श्री जी.पी. मुनिअप्पन	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
3.	श्री जी.पी. गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईडीबीआई
4.	श्री एन.एस. सेखसरिया	प्रबंध निदेशक, गुजरात अंबुजा सिमेन्ट्स लि.
5.	श्री राजेन्द्र पी चितले	सनदी लेखाकार
6.	डॉ. विश्वनाथ वी. देसाई	अर्थशास्त्री
7.	श्री जी. कृष्णमूर्ति	अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
8.	श्री जी.जी वैद्य	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
9.	श्री के.सी. चौधरी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

*** वर्तमान में न्यासियों की अन्य निदेशिकताएं इस प्रकार हैं :**

1. श्री पी.एस. सुब्रमन्यम- (i) अध्यक्ष एवं निदेशक-इंडिया फंड, (ii) अध्यक्ष एवं निदेशक -इंडिया ग्रोथ फंड, (iii) अध्यक्ष एवं निदेशक -इंडिया एक्सेस लि., (iv) अध्यक्ष एवं निदेशक -द इंडिया पब्लिक सेक्टर फंड लि., (v) अध्यक्ष, शासी परिषद - यूटीआई-- इन्स्टिटयूट ऑफ कैपिटल मार्केट्स, (vi) अध्यक्ष एवं निदेशक - यूटीआई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज लि., (vii) अध्यक्ष एवं निदेशक - यूटीआई इन्वेस्टर सर्विसेज़ लि., (viii) अध्यक्ष -यूटीआई सिक्यूरिटीज़ एक्सचेंज लि., (ix) निदेशक - यूटीआई बैंक लि., (x) अध्यक्ष एवं निदेशक - ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, (xi) सदस्य - भारतीय जीवन बीमा निगम (xii) निदेशक - डिस्काउंट एण्ड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लि. , (xiii) निदेशक - सिक्यूरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

2. **श्री जी.पी.गुप्ता** - (i) अध्यक्ष-भारतीय लघु उघोग विकास बैंक, (ii) निदेशक -इंडिया फंड, (iii) निदेशक -इंडिया ग्रोथ फंड, (iv) निदेशक-भारतीय मितिकाटा एवं वित्त गृह लि., (v) निदेशक-भारतीय आयात-निर्यात बैंक, (vi) निदेशक-भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि., (vii) निदेशक-इन्फ्रास्ट्रकचर डेवलेपमेंट फाइनेंस कं. ऑफ इंडिया लि., (viii) निदेशक - इंडियन एयरलाइन्स लि. (ix) निदेशक - आईडीबीआई बैंक लि. (x) निदेशक - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (xi) सदस्य-भारतीय जीवन बीमा निगम (xii) सदस्य-भारतीय साधारण बीमा निगम (xiii) निदेशक-दक्षिण एशिया क्षेत्रीय निधि, (xiv) अध्यक्ष-दक्षिण एशिया डेवलेपमेंट फंड, (xv) समिति सदस्य-भारतीय बैंकर्स संस्थान, (xvi) सदस्य-बैंकर प्रशिक्षण कॉलेज (भारतीय रिज़र्व बैंक), (xvii) सदस्य-एशिया एवं प्रशांत में विकासशील

वित्तीय संस्थाओं का संघ; (xviii) सदस्य-बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्था, (xix) सदस्य-भारतीय कंपनी सचिव संस्था।

3. **श्री एन.एस. सेखसरिया** - (i) निदेशक - गृह फाइनेंस लि. (ii) निदेशक - राधा माधव इन्वेस्टमेंट लि. (iii) निदेशक - होमट्रस्ट हाउसिंग फाइनेंस कं. लि. (iv) निदेशक - अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन (v) निदेशक - अंबुजा शिक्षण संस्था।

4. **श्री राजेन्द्र पी चितले** - (i) निदेशक - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, (ii) निदेशक - नेशनल सिक्यूरिटीज़ क्लीयरिंग कार्पोरेशन लि., (iii) निदेशक - जे एम कैपिटल मैनेजमेंट लि., (iv) निदेशक - जूरिक एसेट मैनेजमेंट कं. (इंडिया) लि., (v) निदेशक - इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एण्ड प्रोडक्ट्स लि., (vi) निदेशक - एसोसिएशन ऑफ लीजिंग एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कंपनीज, (vii) सदस्य - कार्यकारी समिति (शासी मंडल), राष्ट्रीय शेयर बाजार, (viii) सदस्य - बैंक ऑफ अमेरिका एनटी एण्ड एसए का भारतीय सलाहकार मंडल (ix) सदस्य - निवेश समिति, भारतीय जीवन बीमा निगम।

5. **श्री वी वी देसाई - सलाहकार, आईसीआईसीआई लिमिटेड**

6. **श्री जी. कृष्णमूर्ति** - (i) अध्यक्ष - एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) ईसी, बहरीन (ii) अध्यक्ष - एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. (iii) निदेशक - भारतीय साधारण बीमा निगम, (iv) निदेशक - पोयशा इंडस्ट्रियल कं. लि. (v) अध्यक्ष, शासी मंडल - नेशनल इंश्योरेंस अकादमी (vi) निदेशक - नेशनल हाउसिंग बैंक (vii) निदेशक - यूटीआई बैंक लि. (viii) निदेशक - भारतीय मितिकाटा और गृह वित्त (ix) निदेशक - केनिन्डिया एश्योरेंस कं. लि., केन्या (x) निदेशक - आईसीआईसीआई लि. (xi) अध्यक्ष - बीमा समिति का शासी निकाय

7. **श्री जी जी वैद्य** - (i) अध्यक्ष - एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि., (ii) अध्यक्ष - एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लि., (iii) अध्यक्ष - एसबीआई गिल्ट्स लि., (iv) अध्यक्ष - एसबीआई सिक्यूरिटीज लि., (v) अध्यक्ष - एसबीआई फैक्टर्स एण्ड कमर्शियल सर्विसेज लि., (vi) अध्यक्ष - एसबीआई यूरोपियन बैंक लि., (vii) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, (viii) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, (ix) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, (x) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, (xi) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, (xii) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, (xiii) अध्यक्ष - स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, (xiv) अध्यक्ष - भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया), (xv) अध्यक्ष - भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा), (xvi) उपाध्यक्ष - शासी परिषद - भारतीय बैंकर्स संस्थान, (xvii) निदेशक -भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, (xviii) निदेशक - भारतीय आयात-निर्यात बैंक, (xix) निदेशक - साधारण बीमा निगम, (xx) शासी मंडल के सदस्य एवं वित्त समिति के अध्यक्ष - राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, (xxi) शासी मंडल के सदस्य, अध्यक्ष - वित्त समिति एवं कार्यालय परिसर समिति तथा आईबीपीएस प्रशासक समिति, कर्मचारी भविष्य निधि, बैंक कर्मचारी चयन संस्था, (xxii)सदस्य - बैंक तकनीकी विकास एवं अनुसंधान संस्था,(xxiii) निदेशक - इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन,(xxiv) निदेशक - इंफ्रास्ट्रक्चर लीज़िंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि., (xxv)निदेशक - निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम।

8. **श्री के सी चौधरी** - (i) अध्यक्ष - बैंक अंकेक्षण पर लघु समूह, भारतीय बैंक संघ, (ii) अध्यक्ष - बैंकिंग परिचालन, भारतीय बैंक संघ, (iii) अध्यक्ष - ऋण संबंधी मामलों पर लघु समूह, भारतीय बैंक संघ,

(iv) अध्यक्ष - आईबीए व्यापार निकाय/संघों के साथ समन्वय हेतु कार्य समूह, (v) अध्यक्ष - भारतीय बैंक संघ - स्थानीय शाखा, (vi) सदस्य - प्रबंध समिति, भारतीय बैंक संघ, (vii) अध्यक्ष - सेंटबैंक होम फाइनेंस लि., (viii) अध्यक्ष - सेंटबैंक फाइनेंशियल एवं कस्टोडियल सर्विसेज लि., (ix) निदेशक - भारतीय कृषि वित्त निगम लि., (x) निदेशक - मास्टरकार्ड एशिया/पेसेफिक बोर्ड, (xi) निदेशक - न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि., (xii) सदस्य - टास्क फोर्स, भारतीय बैंक संघ।

निधि प्रबंधन : निधि प्रबंधक का नाम उसकी योग्यता एवं अनुभव अंत:स्थापित

6. **1.अभिरक्षक**

निम्नलिखित को सेबी अनुसार अंत:स्थापित किया गया है।

भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि. (एसएचसीआईएल) का सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर आईएन/सीयूएस/011 है।

एसएचसीआईएल शुल्क की दर इस प्रकार है :

	इलेक्ट्रॉनिक	वास्तविक
डीमैटेरियलाइजेशन	रु. 5 प्रति प्रमाणपत्र	
खरीद	कारोबार के मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु पर	प्रति डीआईपी रु. 100
बिक्री	कारोबार के मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु पर	प्रति डीआईएस रु. 100
अभिरक्षा	अभिरक्षा में उपलब्ध आस्ति मूल्य के 1.5 आधार बिंदु पर	अभिरक्षा में आस्ति मूल्य के 8 आधार बिंदु पर
गैर बाजार खरीद	कारोबार के मूल्य पर आधारित 5.5 आधार बिंदु	-
गैर बाजार बिक्री	कारोबार के मूल्य पर आधारित 5.5 आधार बिंदु	-
रीमैटेरियलाइजेशन	प्रति प्रमाणपत्र रु. 15 अथवा परिवर्तित मूल्य पर आधारित 15 आधार बिंदु जो भी अधिक हो	-

2. लेखा परीक्षक

मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी, चार्टड एकाउंटेंट, 60 बेंटिक स्ट्रीट, कलकत्ता 700 069 एवं मेसर्स बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित, चार्टड एकाउंटेंट, नेशनल इंश्यूरेंस बिल्डिंग, 204, डी.एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 एवं योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आईडीबीआई द्वारा की जाती है और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन हैं।

7. **XVIII निवेशकों की शिकायतों का निवारण**

निवारण की गई निवेशकों की शिकायतों के आंकड़े दर्शाने वाली सारणी अद्यतन

8. **XX संक्षिप्त वित्तीय जानकारी**

संक्षिप्त वित्तीय जानकारी दर्शाने वाली सारणी अद्यतन

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS
CENTRAL DEBT DIVISION
MUMBAI

In pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act,1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 (as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April,1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No.67 dated 21st February 1990) the following list for the month ended January 2002 is hereby advertised of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just. All persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai.

The list has been divided into two parts List "A" being securities now advertised for the first time and list "B" the list of securities previously advertised.

List "A "

No. of Security	Value in Rs. /Grams.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
NIL					

(A.G. Pathak)
p. Chief General Manager
25.2.2002

List B

No. of Security	Value in Rs. /Grams.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
Ahmedabad Circle 10% Relief Bonds, 1995					
AD - 000430	Rs.1,00,000/-	Mr. Narendra Chhotalal Desai (Deceased) & Mrs. Kundanben Narendra Desai	2-7-99	Mrs. Kundanben Narendra Desai	I N/S/0337 CO Diary No. 221 dated 30th October 2001
Chennai Circle NDGB 1980 "A" Series					
MS -12381	15 gms.	Bakkavarmal Bawarlal	Not paid	Bakkavarmal Bawarlal	No. 14 dated 7th December 2001
New Delhi circle 10% Relief Bonds, 1995					
DH-05370/ GP (NC)	Rs. 4.5 lac	Renu Gupta & Rajesh Kumar	-	Renu Gupta & Rajesh Kumar	PDO/DT/LN-4/2000 dated 10th November 2001
DH-004425/ GP (NC)	Rs. 2.5 lac.	- do -	-	- do -	- do -

(A .G. Pathak)
p. Chief General Manager
25-2-2002

Bank of India
Head Office
Mumbai

Mumbai, dated 22nd February, 2002

No. IL:2001-2002. In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend further the Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976 namely :--

1. **SHORT TITLE AND COMMENCEMENT**

(1) These Regulations may be called Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) (Amendment) Regulations, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976,

(a) for regulation 18, the following regulation shall be substituted, namely :–

" 18 Review :

Notwithstanding anything contained in these regulations, the Reviewing Authority may at any time within six months from the date of the final order, either on his own motion or otherwise review the said order, when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come or has been brought to his notice and pass such orders thereon as it may deem fit :

Provided that -

(i) if any enhanced penalty, which the Reviewing Authority proposes to impose, is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) or (j) of Regulation 4 and an enquiry as provided under regulation 6 has not already been held in the case, the Reviewing Authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of regulation 6 and thereafter consider the record of the enquiry and pass such orders as it may deem proper;

(ii) if the Reviewing Authority decides to enhance the punishment but an enquiry has already been held in accordance with the provisions of regulation 6, the Reviewing Authority shall give show cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass an order after taking into account the representation, if any, submitted by the officer employee."

(b) For the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :-

Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976

SCHEDULE

Sr. No.	Scale of the Officer Employee	Disciplinary Authority	Appellate Authority	Reviewing Authority
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1.	Officers in Scale I & II	Chief Manager/ Officer in Scale IV	Zonal Manager in Scale V / Asstt. General Manager	General Manager
2.	Officers in Scale III	Zonal Manager in Scale V/ Asstt. General Manager	Zonal Manager in Scale VI / Deputy General Manager	General Manager

Sr. No.	Scale of the Officer Employee	Disciplinary Authority	Appellate Authority	Reviewing Authority
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
3.	Officers in Scale IV & V	General Manager	Executive Director or in his absence Chairman & Managing Director	Chairman & Managing Director or in his absence/in case he is functioning as Appellate Authority the Committee of the Board
4.	Officers in Scale VI	Executive Director or in his absence Chairman & Managing Director	Chairman & Managing Director or in his absence/in case he is functioning as Disciplinary Authority, Committee of Board	Board
5.	Officers in Scale VII	Chairman & Managing Director or in his absence Executive Director	Committee of the Board	Board

NOTE FORMING PART OF SCHEDULE

1) Any authority higher than the one specified in columns (iii), (iv) and (v) above is empowered to exercise the powers of Disciplinary or Appellate or Reviewing Authority as the case may be.

2) Wherever the Disciplinary or Appellate or Reviewing Authority is appointed / nominated by designation, any person officiating in such designated post shall ipso-facto exercise the authority of Disciplinary or Appellate or Reviewing Authority as the case may be.

3) Wherever there are more than one officer of the same designation who can function as Disciplinary or Appellate or Reviewing Authority or where such authorities are not in a position to function as such or for any reason whatsoever, then :-

i) The Executive Director and in his absence the Chairman & Managing Director by general or special order shall empower:-

a) an officer not below the rank of Zonal Manager in Scale V / Assistant General Manager to nominate which officer of the appropriate scale shall function as Disciplinary Authority in respect of officers in Scale I and II;

b) an officer not below the rank of Zonal Manager in Scale VI / Deputy General Manager to nominate which officer of the appropriate scale shall function as Appellate Authority in respect of officers in Scale I & II and Disciplinary Authority in respect of Officers in Scale III;

c) the General Manager to nominate which officer of the appropriate scale shall function as Appellate Authority in respect of Officers in Scale III.

ii) the Executive Director and in his absence the Chairman & Managing Director shall decide which General Manager shall function as (a) Disciplinary Authority in respect of officers in Scale IV and V and (b) Reviewing Authority in respect of officers in Scale I, II and III.

4) The Disciplinary or Appellate or Reviewing Authority for officer employees posted in establishments outside India and for those on deputation shall be the same as for officer employees posted in Head Office.

5) Where disciplinary action is required to be taken against more than one officer in respect of a common misconduct or a common transaction or series of transactions, then the Disciplinary Authority for the seniormost officer concerned is also empowered to initiate disciplinary proceedings against all such officers. Correspondingly, Appellate and Reviewing Authorities for all such officers will be same as those for the seniormost officer.

6) Any proceedings which have been initiated but not yet been completed by the appropriate authority on the date of coming into force of this Schedule shall be continued and/or disposed of by the Authority specified in this Schedule.

(J. S. Dalal)
Deputy General Manager

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
27 CUFFE PARADE, COLABA,
MUMBAI 400005

CORRIGENDUM NOTIFICATION

4 MAR 2002

3WCA (5)/3/2000-01:- IN NOTIFICATION NO. 3WCA(4)/1/2000-01 DT. 15/01/2001 REMOVING THE NAMES OF FOLLOWING MEMBERS W.E.F 8/12/2000 INCLUDED AT SERIAL NUMBERS MENTIONED AGAINST EACH MEMBER BE TREATED AS DELETED.

SR.NO.	SR.NO. OF THE NOTIFICATION	M.NO.	NAME AND ADDRESS
1	32	5742	MR. MODI PRAKASH RAJ KASTURBA CROSS ROAD NO.1, 14 PRABHA KUNJ BORIVLI (E) MUMBAI 400066
2	33	5862	MR. TARAPORE HOSHANG DHANBHOORA & CO. BOMBAY MUTUAL BLDG, SIR P M MEHTA RD, FORT MUMBAI 400001
3	51	7613	MR. SHAH KUMUDCHANDRA 19 MANGAL PARK NEW VIKAS GRUH, PALDI, AHMEDABAD 380007
4	75	10699	MR. VAISHAMPAYAN SHRINIVAS 9 RUTURANG APTS, MADHUSANCHAY SOC KARVE NAGAR PUNE 411052

5	103	13053	MR. RAJENDRA KUMAR GARG ASSTT GENERAL MANAGER BANK OF BARODA P B NO. 1842 BARODA HOUSE 42, CAWASJI PATEL ST. MUMBAI 400001
6	147	17083	MR. SARPOTDAR SHRIKANT FLAT NO.4&5 PLOT NO. 4 137/4 SALOKHA GURURAJ HSG.SOCEITY NR JAI BHAVANI NAGAR POUD ROAD PUNE 411029
7	161	18857	MR. K SURYA PRAKASH ASSTT GEN MANAGER ANDHRA BANK FORT BRANCH, NO. 18 HOMI MODI ST, MUMBAI 400023
8	195	25739	MR. SATYA DAYANAND MANAGER, OPERATIONS BAHRAINI-SAUDI BANK P O BOX 1159, MANAMA BAHRAIN 0 BAHRAIN
9	209	29317	MR. SEKAR B FLAT 35 INDIAN BANK HOUSE, DR. R.P.ROAD MULUND (W) MUMBAI 400080
10	266	31793	MR. RAO ADITHAM PRAKASH B-40 UJWAL PARK NIEM ROAD PUNE 411040
11	293	32678	MR. JOGALEKAR SHREERANG "PUSHPKARAJ" 9 SRI GOKUL CO.OP SOCIETY, NAVI PETH PUNE 411030
12	351	34530	MR. MANIAR KIRAN SHANTILAL P DEVIDAS SECURITIES LTD V B GANDHI MARG MUMBAI 400023

13	370	35134	MR. MALLYA UMESH VAMAN DATTARAYA BLDGS NO, 6/11 TUKARAM JAUJI RD BOMBAY MUMBAI 400007
14	406	36346	MR. TANDON DEEPAK NARENDRA 101 HIGHLAND HERITAGE, HIGH LAND COMPLEX, CTS 427 M.G. RD., CHARKOP, KANDIVILI (W) MUMBAI 400067
15	419	36520	MR. ANANTHANARAYANAN FLAT NO. 6, CENTURY APTS, PESTOM SAGAR TILAK NAGAR P O MUMBAI 400089
16	434	36698	MR. KHANNA MUNESH 66 MAKER TOWERS "F" CUFFE PARADE MUMBAI 400005
17	492	38494	MR. SONI KUNJBIHARI 5/SABAR SOCIETY MAHAVIRNAGAR HIMATNAGAR 383001
18	524	39228	MR. GOYAL PRADEEP RAMJIVAN P R GOYAL & ASSO 523 ASHIRWAD 64/E AHMEDABAD ST CARNAC BUNDE MUMABI 400009
19	534	39472	Ms. PHILIP SHEELA P.O. BOX 7179 SHARJAH, UAE 0 U A E
20	559	40411	MR. BHATT PANKAJ HARI LAL P BHATT & ASSOCIATES 14 LAXMI NARAYAN CO.H.S.LTD OPP ELECTRIC, POWER HOUSE M.G.RD., GHATKOPAR ECRIC, MUMBAI 400077
21	565	40457	MR. SANGHAVI JYOTIN B-6 GANESH DHAM CO-OP HSG.SOC DADABHAI CROSS ROAD VILE PARLE (W) MUMBAI 400056

22	589	41174	MR. AHMED RAYEES SAYYED P O BOX 1796 SAUDI ARABIA JEDDAH 21441'0 JEDDAH 21441'
23	592	41273	MR. XAVIER M RAJAN 205, DEWAN SHOPPING CENTRE OPP. UNION BANK, VASAI (W) VASAI 401202
24	601	41560	MR. CHAKKUNGAL MOHANKUMAR 10 SHUKLENDU APTS DATAR CLNY BHANDUP (EAST), MUMBAI 400078
25	606	41593	MR. TIBREWAL RAJESH 9 ALAKNANDA APTS,' MUKUNDNAGAR PUNE 411037
26	608	41675	MR. SHARMA BANSILAL 219, ASHOKA CENTRE PUNE SATARA ROAD, PLOT NO PARVATI, PUNE 411009 BRAHMAN AALI, PAPDI VASAI 401207
27	634	42405	MR. SETHJIWALA FAKHRUDDIN VELA INTERNATION MARINE LTD. P O BOX 26373 DUBAI U.A.E 0 U.A.E
28	640	42621	MR. NARAYAN RAMALINGAM 5/7/A HARINAM ROAD NO.2 AMAR MAHAL PESTOM SAGAR CHEMBUR, MUMBAI 400089
29	654	43136	MR. SHASTRI UMESH RAMASWAMY B-7, AMAN APTS, 152, DAHANUKAR COLONY, KOTHRUD PUNE 411029

30	717	44563	MR. SANJIVA GIRISH CHAND EPPCO, P O BOX NO. 5589 DUBAI, U A E 0, U A E
31	759	45659	MR. JAIN RAJESH 12 JAYGOPAL CO OP HSG SCTY MAMLADARWADI EXTENSION ROD, MALAD (W), MUMBAI 400064
32	775	45961	MR. THAKUR SHRIPAD 16, SHRI GURU MAULI CHAYA OPP, DR RAO BUNGLOW, NEAR GANESH COLD DRINKS CHITTARANJAN DASRD, DOMBIVALI 421201.
33	795	46458	MR. SURTI EBRAHIM D-102, UNITY COMPLEX CO.OP HSG SOC., YARI RD VERSOVA, ANDHERI (W) MUMBAI 400061
34	807	46666	MR. BILLIMORIA BURZIN C-14 NESS BAUG NANA CHOWKH MUMBAI 400007
35	819	46923	MR. ANKALKOTI RAJESH 83/SEALORD-B CUFFE PARADE MUMBAI 400005
36	832	47079	MR. KABRA AMIT OMPRAKASH A-304 SPECTRUM TOWERS OPP POLICE STADIUM SHAHIBAUG AHMEDABAD 380004
37	845	47406	MR. SARESHWALA UMER SIDDIQ AL-JURAID & COMPANY P O BOX 16415, JEDDAH 21464 SAUDI ARABIA
38	939	49504	MR. KHANNA KAPIL JAIKISHAN D/10, JUHU APARTMENTS, JUHU ROAD, SANTACRUZ (W) MUMBAI 400049
39	1043	70992	MR. DOUGALL MUKESH 1133/5, FERGUSON COLLEGE ROAD PUNE 411016

40	1059	74314	MR. JAIN DEVENDPA FLAT NO.9 DENA APARTMENTS NEAR ASHOK NAGAR SOCIETY, ATHWA LINES, SURAT 39500[illegible]
41	1067	77014	Ms. MONICA JAIN C/O SH DEEPAK BHANDARI, A-6B GAZDAR APARTMENTS, JUHU TARA ROAD, MUMBAI 400049
42	1100	87149	MR. DHOLAKIA RAJAESH 306/307, AKASHRATH NEAR RATNAM COMPLEX, C G RD, LALBANGLO, AHMEDABAD 380006
43	1152	100762	MS. DESAI RUMA PRAVIN C/O MANGAL ENTERPRISES 306 SILVER COIN OPP PRAGJI TOWER HALAR ROAD VALSAD 396001
44	1184	101358	MS. SHAH RAJVI L 2 OSWAL COLONY, SUMMAIR CLUB ROAD, JAMNAGAR 361005
45	1204	101867	MR.DHAWAN VARUN SHRIKUMAR 5/1, MITRA KUNJ, 16, PEDDER ROAD MUMBAI 400026
46	1235	102469	MR. A PADMANABHAN BALAJI 9/7 SHESHASAYEE CO.OP. HSG.SOC.LTD. CJHITNAUIS NAGAR LAYOUT, BYRAMJI TOWN NAGPUR 440013
47	1239	102588	MR. JAKOTIYA NARESHCHANDRA 193, QUETA COLONY NR LAKADGANJ POST OFFICE NAGPUR 440008

48	1285	104289	MRS. REVATI SATISH WATVE MANDAR' SHIKSHAK NAGAR OPP VANAZ CO, PAUD ROAD KOTHRUD PUNE 411038
49	1302	104934	MR. SWAPNIL PRAKASH SHAHA C/O P.H. SHAHA & CO. 768 SADASHIV PETH, PHATARE CHWK P.M.C. SERVANTS CO.OP BANK BLDG, PUNE 411030
50	1304	105114	MR. SHARMA SANJEEV C/O M.S. GODBOLE & ASSOCIATES 2ND FLOOR, 67/2, UBEROI HOUSE NAL STOP, PUNE 411004
51	1349	106719	MR. SHAH PARAG INDRAVADA 204, AKIK, OPP. LIONS HALL, MITHAKHALLI, ELLISBRIDGE AHMEDABAD 380006
52	1370	107033	MR. MANISH JAYANTIPRASAD 5, SHREEMANGAL APARTMENTS MAHATMA NAGAR NASHIK 422007
53	1380	107134	MR. GIRISH RAMCHANDRA 86, SNEHVARDHINI COLONY, NR JAWAHAR NAGAR, POLICE STATION AURANGABAD 431005
54	1398	107628	MR. SATWIK ANALBHAI DURKAL T/7, SHANTI NAGAR SOC, OPP. SARVESHWAR TEMPLE OLD WADAJ AHMEDABAD 380013
55	1401	107672	MS SMITA A DEORAH B/4-603 GREEN LAND APTS, J B NAGAR ANDHERI (EAST) MUMBAI 400059

56	1403	107691	Ms. KHADARIA LOKESH 93/94, PARASRAMUPRIA TOWER R.NO.1, LOKHANDWALA COMPLEX ANDHERI (WEST) MUMBAI 400053
57	1434	108091	MR. CHHAOCHHARIA GAUTAM FLAT NO.401, ICICI APARTMENTS A1/12, FILM CITY ROAD YASHODHAM,GOREGAON (EAST) MUMBAI 400101
58	1487	205488	MR. SUNIL T K ASST. ADMINISTRATIVE OFFICER-F&A, LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA DIVISION OFFICE 6/7 UNIVERSITY ROAD SHIVAJI NAGAR PUNE
59	642	42700	MR. CHOUDHARY BALVEER SINGH 301 CAMY HOUSE DHUSWADI CAWASJI HORMUSJI STREET MARINE LINES MUMBAI 400002
60	1053	72580	MR. RAVI SHANKER 47, III CROSS ANANDHA RANGA PILLAI NAGAR PONDICHERY 600008
61	1506	208195	Ms RUOPA N BUNYAN MANAGEMENT TRAINEE BINANI INDUSTRIES LTD. VILLAGE COLRALE, BARDEX TALUK BARDEZ GOA 403513
62	1093	84845	MR AGARWAL SANDEEP 234 (GF) SECTOR 28 VASHI, NAVI MUMBAI 400001
63	20	4243	MR ROYCE BOMY JAMSHED CUSROW BAUG BLOCK S-31 FLOOR, COLABA CAUSEWAY MUMBAI 400001
64	35	6234	MR. JOGLEKAR RAMCHANDRA 4220, BRAHMANPURI NEAR HARBA TALIM SONAR GALLI MIRAJ 416410

(DR. ASHOK HALDIA)
SECRETARY

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
INDRAPRASTHA MARG
NEW DELHI 110 002

NEW DELHI: DATED : 08.03.2002

(Chartered Accountants)

No.1-CA(7)/60/2002 : In exercise of the powers conferred by clause (ii) of Part II of the Second Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India hereby specifies that a member of the Institute in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct, if he accepts the appointment as statutory auditor of Public Sector Undertaking(s)/ Government Company(ies)/Listed Company(ies) and other Public Company(ies) having turnover of Rs. 50 crores or more in a year and accepts any other work(s) or assignment(s) or service(s) in regard to the same Undertaking(s)/Company(ies) on a remuneration which in total exceeds the fee payable for carrying out the statutory audit of the same Undertaking/company.

Provided that in case appointing authority(ies)/regulatory body(ies) specify(ies) more stringent condition(s)/restriction(s), the same shall apply instead of the conditions/restrictions specified in this Notification.

Explanation:

1. The above restrictions shall apply in respect of fees for other work(s) or service(s) or assignment(s) payable to the statutory auditors and their associate concern(s) put together;
2. For the above purpose,

(i) the term "other work(s)" or "service(s)" or "assignment(s)" shall include Management Consultancy and all other professional services permitted by the Council pursuant to Section 2(2)(iv) of the Chartered Accountants Act, 1949 but shall not include: -

(i) audit under any other statute;

(ii) certification work required to be done by the statutory auditors; and

(iii) any representation before an authority;

(II) the term "associate concern" means any corporate body or partnership firm which renders the Management Consultancy and all other professional services permitted by the Council wherein the proprietor and/or partner(s) of the statutory auditor firm and/or their "relative(s)" is/are Director/s or partner/s and/or jointly or severally hold "substantial interest" in the said corporate body or partnership,

(III) the terms "relative" and "substantial interest" shall have the same meaning as are assigned under Appendix (10) to the Chartered Accountants Regulations, 1988.

3. In regard to taking up other work(s) or service(s) or assignment(s) of the undertaking/company referred to above, it shall be open to such associate concern or corporate body to render such work(s) or service(s) or assignment(s) so long as aggregate remuneration for such other work(s) or service(s) or assignment(s) payable to the statutory auditor/s together with fees payable to its associate concern(s) or corporate body(ies) do/does not exceed the aggregate of fee payable for carrying out the statutory audit.

4. This notification shall apply for any appointment(s) on or after 1st April, 2002.

DR. ASHOK HALDIA
SECRETARY

THE INSTITUTE OF COST & WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA
12, SUDDER STREET, CALCUTTA - 700 016

Calcutta, the 31st March, 1999

No. 11-CWR(189-191)/99 : In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificates of Practice granted to (1) Shri O.P. Agrawal, BCOM,MA(ECO),AICWA, A-75, Chandra Nagar, Ghaziabad - 201 011 (Membership No. 2115) is cancelled from 25th November, 1998 to 30th June, 1999 at his own request, (2) Shri Kunjumon Mathai, MCOM,AICWA, Thaipana Kizhakekara Puthen Veedu, E.T.C. (P.O.), Ampalapuram, Kottarakara, Kollam - 691 531(Membership No. 19255) is cancelled from 10th January, 1999 to 30th June, 1999 at his own request and (3) Shri Santi Ranjan Bal, BSC,BCOM,FCA,FICWA, 'Nabakailash', Flat 5F, 55/4, Ballygunge Circular Road, Calcutta - 700 019 (Membership No. 671) is cancelled from 24th March, 1999 to 30th June, 1999 at his own request.

Calcutta, the 20th April, 1999

No. 11-CWR(192-194)/99 : In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificates of Practice granted to (1) Shri Alok Saxena, BCOM,AICWA, 1/161, Viram Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010 (Membership No. 16231) is cancelled from 3rd February, 1999 to 30th June, 1999 at his own request, (2) Shri S. Subrahmanyam, BCOM,MA,AICWA, "Sree Nilayamu", 1328, Geeta Road Extn., P.O. Robertsonpet, Kolar Gold Fields - 563 122 (Membership No. 817) is cancelled from 10th March, 1999 to 30th June, 1999 at his own request and (3) Shri P.A. Menon, AICWA, GHB Flat 294, Swatantra Senani Nagar, Near Samta, Vadodara - 390 021 (Membership No. 1067) is cancelled from 1st April, 1999 to 30th June, 1999 at his own request.

(D. Jagannathan)
SECRETARY

Calcutta, the 25th May, 1999

No. 11-CWR(195-198)/99 : In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificates of Practice granted to (1) Shri V. Hanumantha Rao, BSC,BCOM,AICWA, 13B, Block - 'B', Kakatiya Nagar, Habsiguda, Hyderabad - 500 007 (Membership No. 5422) is cancelled from 1st April, 1999 to 30th June, 1999 at his own request, (2) Shri T. Selvaganesan, MCOM,AICWA, No. 2, Nadabai Garden, Thiruvottiyur, Chennai - 600 019 (Membership No. 14570) is cancelled from 2nd April, 1999 to 30th June, 1999 at his own request, (3) Shri Yogesh Chandra Singh, MCOM,AICWA, C/o. Dr. A.K. Sharma, MM-226, Sector - D, Aliganj Scheme, Lucknow - 226 020 (Membership No. 15888) is cancelled from 10th April, 1999 to 30th June, 1999 at his own request and (4) Shri Siba Prasad Chaudhuri, BSC,AICWA, 128, Avenue South, Santoshpur, Calcutta - 700 075 (Membership No. 8814) is cancelled from 18th May, 1999 to 30th June, 1999 at his own request.

Calcutta, the 18th August, 1999

No. 11-CWR(199-200)/99 : In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificates of Practice granted to :

(1) Shri Debajyoti Roy, BA(HONS),AICWA, C/o. D.J. Roy & Associates, 64/1/D, Biren Roy Road (East), Behala, Calcutta - 700 008 (Membership No. 8437) is cancelled from 16th May, 1999 to 30th June, 1999 at his own request, and

(2) Shri R. Nanabhoy, FCMA,FICWA, C/o. R. Nanabhoy & Co., Jer Mansion, 70, August Kranti Marg, Mumbai - 400 036 (Membership No. 8) is cancelled from 5th August, 1999 to 30th June, 2000 on account of death.

(Udayan Ray)
Secretary

Calcutta, the 28th December, 1999

N. 11-CWR(201-205)/99 : In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificate of Practice granted to :

(1) Shri Rajesh Talwar, BCOM,AICWA, Talwar & Associates, Plot No. 4, Indraprasth Enclave, Sec.-1-Ext., Trikuta Nagar, Jammu - 180 012 (Membership No. 18072) is cancelled from 15th October, 1999 to 30th June, 2000 at his own request,
(2) Shri Vijay Prakash, MA,FICWA, 352, Fourth Street, Nishat Ganj, P.O. New Hyderabad, Lucknow - 226 007 (Membership No. 1876) is cancelled from 14th August, 1999 to 30th June, 2000 at his own request,
(3) Shri Ashok Kumar Mittal, D-44/196A, Ramapura, Opp. Saraswati Cinema, Varanasi - 221 010, (Membership No. 16441) is cancelled from 27th August, 1999 to 30th June, 2000 at his own request,
(4) Shri Girish Ramchandra Kulkarni, BCOM,AICWA, Girish R. Kulkarni & Co., 86,Snehvardhini H.S., Jawahar Colony, Aurangabad - 431 005, (Membership No. 19263) is cancelled from 4th September, 1999 to 30th June, 2000 at his own request,
(5) Shri S. Santhoshkumar, BSC,AICWA, 4/2Q,KKG Complex, MTP Road, Kavundampalayam, Coimbatore - 641 030, (Membership No. 14458) is cancelled from 20th September, 1999 to 30th June, 2000 at his own request.

Sd/-
~~(Udayan Ray)~~

Calcutta, the 9th February, 2000

N. 11-CWR(206-209)/2000 : In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificate of Practice granted to :

(1) Shri Adinath Banerjee, BSC,FCS,AICWA, P-130, Lake Terrace, Calcutta - 700 029 (Membership No. 4265) is cancelled from 13th January 2000 to 30th June, 2000 at his own request,
(2) Shri K. Yogish Acharya, BCOM,LLB,AICWA, 13, "Sudhama", 4th Cross, Muneshwara Nagar, Subramanyapura Post, Bangalore - 560 061 (Membership No. 16372) is cancelled from 16th January, 2000 to 30th June, 2000 at his own request,
(3) Shri Sunil J. Shah, BCOM,LLB,ACA,AICWA, S- 6, Eureka Centre, Koppikar Road, Hubli - 580 020 (Membership No. 14291) is cancelled from 16th December, 1999 to 30th June, 2000 at his own request, and
(4) Shri Ghanshyam Meghraj Bohra, BSC(HONS),AICWA, 18/159, Housing Board, Chopasani Scheme, Jodhpur - 342 008 (Membership No. 4375) is cancelled from 3rd December, 1999 to 30th June, 2000 on account of death.

Sd/-
(Udayan Ray)
Secretary

Calcutta, the 27th March. 2000

11-CWR(210-215)/2000 : In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations. 1959, it is hereby notified that the Certificate of Practice granted to :

1. Shri Puran Lal Chopra, BCOM(HONS),MA(ECON),FICWA, E-29, Mansarover Garden, New Delhi – 110 015 (Membership No. 2641) is cancelled from 8th February, 2000 to 30th June, 2000 at his own request,
2. Shri S.K. Banerjee, BCOM(HONS),AICWA, 9223, DDA LIG Flats, Masoodpur, Vasant Kunj, New Delhi – 110 030 (Membership No. 4064) is cancelled from 16th August, 1999 to 30th June, 2000 at his own request,
3. Shri P.N. Gujral, BA,LLB,FICWA, IV/87-A, Mayur Vihar-I, Delhi – 110 091 (Membership No. 38) is cancelled from 28th February 2000, to 30th June, 2000 at his own request,
4. Shri S. Ganesan, BSC,FICWA, No. 16, School View Road, R.K. Nagar, Chennai – 600 028 (Membership No. 1374) is cancelled from 18th February, 2000 to 30th June, 2000 at his own request,
5. Shri Sandip Rampal Agarwal, BCOM,AICWA, 4/66, ONGC Flats, Near Irla Masjid, JVPD, Juhu, Mumbai – 400 049 (Membership No. 17623) is cancelled from 1st March, 2000 to 30th June, 2000 at his own request, and
6. Shri Abhijit Ghosh, BCOM(HONS),AICWA, 28, J.K. Paul Road, P.O. Sahapur, Calcutta – 700 038 (Membership No. 18377) is cancelled from 22nd December, 1999 to 30th June, 2000 at his own request.

Sd/-

(Udayan Ray)
Secretary

Calcutta, the 10th January, 2001

No.11-CWR(216-233)/2001 : In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificates of Practice granted to :

1. Shri Rajat Kumar Basu, BCOM(HONS).AICWA, Jagacha Barwaritala, P.O. G.I.P. Colony, Howrah – 711 321 (Membership No. 16612) is cancelled from 15th December, 1999 to 30th June, 2000 at his own request,
2. Shri Raja Mukhopadhyay, MCOM,AICWA, 101/A/8, Brindabon Mullick Lane, Kadamtala, Howrah – 711 101 (Membership No. 17785) is cancelled from 1st April, 2000 to 30th June, 2000 at his own request,
3. Shri Dharam Nath Thakur, BCOM,AICWA, 3/54, R.C. Bhawan, 34A, Ratu Sarkar Lane, Calcutta – 700 073 (Membership No. 19712) is cancelled from 21st April 2000, to 30th June, 2000 at his own request,
4. Shri Pankaj Jain, MCOM,AICWA, 107, Luxmi Chambers, C-159, Naraina, Phase-I, New Delhi – 110 028 (Membership No. 15932) is cancelled from 7th April, 2000 to 30th June, 2000 at his own request,
5. Shri Kausik Kumar Mandal, MCOM,AICWA, Vill.: Antilapara, P.O. Anantpur, Howrah – 711 301 (Membership No. 15009) is cancelled from 20th June, 2000 to 30th June, 2000 at his own request,
6. Shri Gurmit Singh, BCOM(HONS),AICWA, 15/55, Subhash Nagar, New Delhi – 110 027 (Membership No. 19962) is cancelled from 1st February 2000 to 30th June, 2000 at his own request,
7. Shri V. Subramanian, BCOM,ACS,AICWA, 32/1, Thiruvalluvar Street, Pennadam – 606 105, (Membership No. 4056) is cancelled from 1st June, 2000 to 30th June, 2000 at his own request,
8. Shri Pulak Ganguli, BSC,AICWA, 33, Rani Harshamukhi Road, Paikpara, Calcutta – 700 002, (Membership No. 15308) is cancelled from 31st July, 2000 to 30th June, 2001 at his own request,
9. Shri B.D. Agarwal, BCOM(HONS),AICWA, Kasturi Villa, Flat No. AS2, 254/2B/1, N.S.C. Bose Road, Calcutta – 700 047, (Membership No. 7051) is cancelled from 1st August, 2000 to 30th June, 2001 at his own request,
10. Ms. Varsha Satish Pendse, BCOM,AICWA, B-39, Sanman Co-op. Housing Society, Kharegaon Pakhadi, Kalwa(W), Thane – 400 605, (Membership No. 14987) is cancelled from 25th August, 2000 to 30th June, 2001 at her own request,
11. Shri Vinay Tandon, BSC,AICWA, 38, Shib Thakur Lane, P.O. Kalakar Street, Calcutta – 700 007, (Membership No. 13103) is cancelled from 1st July, 2000 to 30th June, 2001, at his own request,
12. Md. Akbar Ali, BCOM,AICWA, C/o. Mrs. Momtaj Begum, E.S.I. Hospital, Qr. No. 6/6, Kamarhati, Calcutta – 700 058, (Membership No. 11922) is cancelled from 21st August, 2000 to 30th June, 2001, at his own request,
13. Shri J.I. Devadatta, DIP.MA,ACIS,FCS,FICWA, 12, 4th, 'B' Block, Koramangala, Bangalore – 560 034, (Membership No. 873) is cancelled from 9th November 2000, to 30th June, 2001, at his own request,

14. Shri B.K. Harichandan, MCOM,AICWA, 447, Jharapada, P.O. Budheswari Colony, Bhubaneswar - 751 006, (Membership No. 16759) is cancelled from 31st July, 2000 to 30th June, 2001, at his own request,
15. Shri D.N. Saha, MCOM,AICWA, 22/3A/11, Sri Nath Mukherjee Lane, Calcutta - 700 030, (Membership No. 2743) is cancelled from 16th August, 2000 to 30th June, 2001, at his own request,
16. Shri S.G. Iyer, BSC,AICWA, 10, Shyamkripa, Devidayal Road, Mulund West, Mumbai - 400 080, (Membership No. 5708) is cancelled from 12th September, 2000 to 30th June, 2001, at his own request,
17. Shri R.S. Kulkarni, AICWA, Vikasanand Hsg. Society, Behind Vikas Ashram, Somalwada, Wardha Road, Nagpur - 440 025, (Membership No. 5879) is cancelled from 10th July, 2000 to 30th June, 2001, at his own request, and
18. Shri S. Pattabiraman, BA,AICWA, Flat No. 12, 'RAMS', 120, Fourth Street, Abhiramapuram, Chennai - 600 018, (Membership No. 2257) is cancelled from 1st July, 2000 to 30th June, 2001 at his own request.

Sd-
(S.R. Acharyya)
Secretary/Adviser

Kolkata, the 6th August, 2001

N 11-CWR(234–258)/2001 : In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificates of Practice granted to :

1. Shri Rajiv Agarwal, MCOM,ACS,AICWA, G-62A, Kalkaji, New Delhi - 110 019, (Membership No. 8231) is cancelled from 4th January, 2001 to 30th June, 2001, at his own request,
2. Shri Ramesh M. Joshi, BSC,FICWA, B-1/208, Bee Jumbo Darshan Socy., Kol Dongari Road 2, Andheri (East), Mumbai - 400 069, (Membership No. 7562) is cancelled from 5th January, 2001 to 30th June, 2001, at his own request,
3. Shri V. Sivakumar, MCOM,AICWA, Flat 4, First Floor, 355, Konnur High Road, Ayanavaram, Chennai – 600 023, (Membership No. 7248) is cancelled from 5th March, 2001 to 30th June, 2001, at his own request,
4. Shri R. Venkatasubramanian, MSC,ACS,AICWA, No. 13, S.A.N. Office & Shopping Complex, 28, Main Road, Sirudaiyur, Lalgudi – 621 601, (Membership No. 6074) is cancelled from 30th January, 2001 to 30th June, 2001, at his own request,
5. Shri M.K. Bhide, BSC,AICWA, Suresh Gaitonde's Chambers, 23, Ambalal Doshi Marg, Mumbai – 400 023, (Membership No. 4719) is cancelled from 7th March, 2001 to 30th June, 2001, at his own request,
6. Shri V.J. Kashikar, MCOM,LLB,FICWA, Jaideep, 13, Parsan Society, R.V. Desai Road, Vadodara– 390 001, (Membership No. 3568) is cancelled from 8th March, 2001 to 30th June, 2001, at his own request,
7. Shri B. Veeraswamy, BCOM,BA,LLB,FCS,FICWA, 11-25-37, Venkata Satya Sai Complex, Vinnakotavari Chowk, K.T. Road, Vijayawada – 520 001, (Membership No. 4000) is cancelled from 10th January, 2001 to 30th June, 2001, at his own request,
8. Shri Asoke Kumar Nandy, MCOM,FICWA, 34, Hansa-B, Sector 1, Srishti Complex, Mira Road (East) – 401 107, (Membership No. 4198) is cancelled from 1st January, 2001 to 30th June, 2001, at his own request,
9. Shri S. Pattabiraman, BA,AICWA, Flat No. 12, 'RAMS', 120, Fourth Street, Abhiramapuram, Chennai – 600 018, (Membership No. 2267) is cancelled from 1st July, 2000 to 30th June, 2001, at his own request,
10. Shri S. Natarajan, BA(HONS),ACMA,AICWA, "Shobana", 46, Kamdar Nagar, 2nd Street, Nungambakkam, Chennai – 600 034, (Membership No. 906) is cancelled from 2nd July, 2000 to 30th June, 2001, at his own request,
11. Shri K.V. Badari Narayana, BA,AICWA, 16-47/1, Prasanthi Nagar, Uppal, Hyderabad – 500 039, (Membership No. 1443) is cancelled from 27th February, 2001 to 30th June, 2001, at his own request,
12. Shri D. Chandra Mouli, MCOM,AICWA, 38-19-10/10A, Jyothinagar, Marripalem, Visakhapatnam – 530 018, (Membership No. 19584) is cancelled from 14th December, 2000 to 30th June, 2001, at his own request,
13. Ms. Manidipa Sanyal, BA(HONS),BED,AICWA, P-12, Amrapali Abasan, Garia Station Road, Garia, Kolkata – 700 084, (Membership No. 20486) is cancelled from 31st December, 2000 to 30th June, 2001, at her own request,
14. Shri P.N. Shankar, MCOM,FICWA, 120, V Cross St., Senthil Nagar Annexe, Chinna Porur, Chennai – 600 116, (Membership No. 10104) is cancelled from 27th January, 2001 to 30th June, 2001, at his own request,
15. Shri R.S. Shah, BCOM,ACS,FICWA, 12, Devang Society, Near Vallabh Wadi, Maninagar, Ahmedabad – 380 008, (Membership No. 85) is cancelled from 1st April, 2001 to 30th June, 2001, at his own request,
16. Shri Shashikant Chimanlal Shah, BCOM,LLB,FICWA, 8, Sarap, Opp. Navajivan Press, Off. Ashram Road, Ahmedabad – 380 014, (Membership No. 2104) is cancelled from 1st April, 2001 to 30th June, 2001, at his own request,

17. Shri Sudarshan M. Jain, BSC(ENGG),MTECH,MBA,LLB(H),ACS,FICWA, 90, Vallabh Nagar, Indore – 452 003, (Membership No. 4998) is cancelled from 1st April, 2001 to 30th June, 2001, at his own request,
18. Shri Sushil Kumar Jain, MSC,ACS,AICWA, M-19, Sunrise Tower, 579, M.G. Road, Indore – 452 001, (Membership No. 10621) is cancelled from 31st March, 2001 to 30th June, 2001, at his own request,
19. Shri Suman Kumar, BSC(HONS),AICWA, R-6, INSILCO Colony, Mohopara, Dt. Raigad, Pin 410 222, (Membership No. 20747) is cancelled from 14th May, 2001 to 30th June, 2001, at his own request,
20. Shri Ajit R. Mehta, BCOM(HONS),MBA,ACS,AICWA, H. No. 301, Amrit Dhara Apts., 15, Sindhi Colony, 1-8-303/48, P.G. Road, Street No. 1, Secunderabad – 500 003, (Membership No. 5606) is cancelled from 15th March, 2001 to 30th June, 2001, at his own request,
21. Shri P.N. Gopinathan, BCOM,BGL,AICWA, 59, Montieth Road, Asha Mansion (3rd Floor), Egmore, Chennai – 600 008, (Membership No. 7951) is cancelled from 22nd March, 2001 to 30th June, 2001, at his own request,
22. Shri A.P. Balakumar, BSC,BGL,ACS,FICWA, 16(Old 11), Pilliar Koil Street, Park Town, Chennai – 600 003, (Membership No. 1904) is cancelled from 1st May, 2001 to 30th June, 2001, at his own request,
23. Shri G. Nedunchezhian, BSC,BGL,MA,MCOM,MBA,FCS,FICWA, Flat A, Kailash Apts., 45/New No. 98, Sadayappar Street, Saidapet, Chennai – 600 015, (Membership No. 13695) is cancelled from 1st April, 2001 to 30th June, 2001, at his own request,
24. Shri Dilip Kumar Dutta, BCOM,FCA,AICWA, 18/33, Dover Lane, Kolkata – 700 029, (Membership No. 3900) is cancelled from 21st April, 2001 to 30th June 2001, at his own request, and
25. Shri Kartik Chandra Goswami, BCOM,LLB,AICWA, 128A, Tarak Pramanik Road, Kolkata – 700 006, (Membership No. 4608) is cancelled from 1st April, 2001 to 30th June 2001, at his own request

Sd-
(S.R. Acharyya)
Secretary/Adviser

Kolkata, the 19th October, 2001

No. 11-CWR(259-262)/2001 : In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificates of Practice granted to :

1. Shri Rajan C. Nadkarni, MCOM,LLB(G),AICWA, F/2/103, Poonam Kunj, Poonam Nagar, Off. Mahakali Caves Road, Andheri(E), Mumbai – 400 093, (Membership No. 7106) is cancelled from 13th June, 2001 to 30th June, 2001, at his own request,
2. Shri Hitesh L. Ashar, MCOM,AICWA, 2/32, Juhu Sameep, New D.N. Nagar, Andheri(West), Mumbai – 400 053, (Membership No. 8787) is cancelled from 25th June, 2001 to 30th June, 2001, at his own request,
3. Shri Dinesh Arora, BCOM(HONS),AICWA, 2435/3, Near Ajit Cinema, Delhi Road, Gurgaon – 122 001, (Membership No. 19748) is cancelled from 7th September, 2001 to 30th June, 2002, at his own request, and
4. Shri Ajay Garg, BCOM,AICWA, 29, Vijay Nagar, Old D.C. Road, Sonepat – 131 001, Haryana, (Membership No. 19942) is cancelled from 17th September, 2001 to 30th June, 2002, at his own request.

(S.R. Acharyya)
Adviser/Secretary

Calcutta, the 31st March, 1999

No. 16-CWR(1256)/99 : In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the name of Shri P. Ganguly, MA,FICWA, 144A, Harish Mukherjee Road, Calcutta – 700 025 (Membership No. 361) with effect from 21st March, 1999, on account of death.

(D. Jagannathan)

Calcutta, the 20th April, 1999

No. 16-CWR(1257)/99 : In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (b) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the name of Shri P.A. Menon, AICWA, GHB Flat 294, Swatantra Senani Nagar, Near Samta, Vadodara – 390 021 (Membership No. 1067) with effect from 1st April, 1999, at his own request.

(D. Jagannathan)
SECRETARY

Calcutta, the 18th August, 1999

No. 16-CWR(1258-1262)/99 : In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

(1) Shri R. Subramanian, BCOM,AICWA, 16, Mythili, 72, Pestom Sagar, Road No.2, Tilaknagar P.O., Mumbai – 400 089 (Membership No. 1199) with effect from 8th July, 1998,
(2) Shri Jyoti Prakash Datta, MTECH,ACS,FIE,MIIE,FICWA, 75, Golf Club Road, Tollygunge, Calcutta – 700 033 (Membership No. 2292) with effect from 21st July, 1998,
(3) Shri Basanta Kumar Banerjee, BOM,MA,FICWA, 2, Chowdhury Lane, Calcutta – 700 004, (Membership No. 569) with effect from 19th September, 1998,
(4) Shri Anand Prakash Madan, MCOM,AICWA, B-20, Pocket IV, Mayur Vihar, Phase-I, New Delhi – 110 091 (Membership No. 2087) with effect from 17th May, 1999, and
(5) Shri R. Nanabhoy, FCMA,FICWA, Jer Mansion, 70, August Kranti Marg, Mumbai – 400 036 (Membership No. 8) with effect from 5th August, 1999,

on account of death.

(Udayan Ray)
SECRETARY

Calcutta, the 28th December, 1999

No. 16-CWR(1263-1266)/99 : In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

(1) Shri Tapan Kumar Ghosh, BCOM,ACA,AICWA, 2L, Alipore Avenue, Calcutta – 700 027 (Membership No. 662) with effect from 4th February, 1999,
(2) Shri Korah John, BA,FICWA, F.104, "Coral Plaza", 15/17, Kemp Road, Frazer Town, Bangalore – 560 005, (Membership No. 3105) with effect from 11th September, 1999,
(3) Shri K S Bhatnagar, MA,BCOM,FICWA, 117/617, Pandu Nagar, Kanpur, (Membership No. 348) with effect from 11th October, 1999, and
(4) Shri Adhir Chandra Ray, BA,AICWA, 30/1Q, Hare Kristo Sett Lane, Calcutta – 700 050, (Membership No. 1560) with effect from 12th August 1999,

on account of death.

Sd/-
(Udayan Ray)

No. 16-CWR(1267-1268)/99 : In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (b) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

(1) Shri Ramchandra Jagannath Gondhalekar, BA,MCOM,AICWA, 3/29, Chintamani Co-op. Hsg. Soc., Babanrao Kulkarni Marg, Mulund (East), Mumbai – 400 081, (Membership No. 590) with effect from 1st April, 1999, and
(2) Shri Ramaniklal Jayantilal Mehta, BSC,FICWA, 42, Arunodaya Society, A/9, Vandemataram Flats, Alkapuri, Vadodara – 390 007, (Membership No. 2199) with effect from 6th July, 1999,

at their own request.

Sd/-
(Udayan Ray)

Calcutta, the 9th February, 2000

No. 16-CWR(1269-1270)/2000 : In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (b) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

(1) Shri Amar Chandra Bhattacharjee, MCOM,FICWA, Tulsi-Manjari Apt., Block-B, Flat-12, 293/1, Dum Dum Road, Calcutta – 700 074, (Membership No. 4774) with effect from 3rd August, 1999, and
(2) Shri D. Vasudevan, MCOM,AICWA, Plot No. 1024, 6th Avenue, Anna Nagar West, Chennai – 600 040, (Membership No. 763) with effect from 1st January 2000,

at their own request.

Sd/-
(Udayan Ray)
Secretary

Calcutta, the 9th February, 2000

N. 16-CWR(1271-1274)/2000 : In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

(1) Shri Somnath Gupta, BA,FICWA, C-63, Sector 26, Noida – 201 301 (Membership No. 1777) with effect from 7th September, 1999,
(2) Shri M.L. Aggarwal, BCOM,FICWA, G-106, Sarita Vihar, New Delhi – 110 044 (Membership No. 3002) with effect from 10th October 1999,
(3) Shri A.R. Krishnamurthy, BA(COM),FCS,FICWA, 9/384, Varthanagar, Pallakkad – 678 001 (Membership No. 2055) with effect from 3rd December 1999, and
(4) Shri Ghanshyam Meghraj Bohra, BSC(HONS),AICWA, 18/159, Housing Board, Chopasani Scheme, Jodhpur – 342 008 (Membership No. 4375) with effect from 3rd December, 1999,

on account of death.

Calcutta, the 27th March, 2000

N. 16-CWR(1275-1278)/2000 : In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

1. Shri V.S. Luthiya, BCOM,LLB,AICWA, Plot No. 54, Mahakali Apt., Gandhi Nagar, Near Subhash Dairy, Manpada Road, Dombivli (East) (Membership No. 16433) with effect from 4th February, 1998.
2. Shri Radha Ranjan Sen Sharma, BCOM,ACS,ACIS(LOND),AICWA, Holding No. 1284, Ferry Fan Road, H.B. Town, Sodepur – 743 178 (Membership No. 323) with effect from 11th November, 1999,
3. Shri V. Vijayakumaran Nair, BCOM,AICWA, Dy. Financial Controller, The Travancore Cochin Chemicals Ltd., Udyogamandal – 683 501 (Membership No. 9882) with effect from 30th December, 1999,
4. Shri Anil Kumar Biswas, MCOM,FICWA, 15/2D (Old No. 15/2), Raja Manindra Road, Calcutta – 700 037 (Membership No. 192) with effect from 14th February, 2000,

on account of death.

(Udayan Ray)
Secretary

Calcutta, the 3rd April, 2000

16-CWR(1279–1281)/2000 : In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (b) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

1. Shri K. Srinivas Upadhya, BA,AICWA, 24, Mulund Punam, Behind Municipal Hospital, Mulund(W), Mumbai – 400 080, (Membership No. 1704) with effect from 9th February, 2000,
2. Shri Tattwes Mozumder, BCOM,ACMA,AICWA, 32, Arabinda Road, Calcutta – 700 075, (Membership No. 5342) with effect from 1st April, 2000,
3. Shri K.V. Muralidharan, BSC,AICWA, Krishna Nivas, P.O. Kunnampatta, Via Chundale, Wayanad, Kerala, Pin – 673 123, (Membership No. 7461) with effect from 1st April, 2000,

at their own request.

(Udayan Ray)

Calcutta, the 12th June, 2000

16-CWR(1282–1286)/2000 : In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

1. Shri S. Ranganatha Rao, BCOM,FICWA, 'Saraswathi', 80, VHBCS Layout, West of Chord Road, II Stage, Mahalaxmipuram, Bangalore – 560 086 (Membership No. 1270) with effect from 15th February, 1999,
2. Shri Saraseeja Kumar Sahu, BCOM,AICWA, 14, KD Flat, TELCO, Jamshedpur – 831 004 (Membership No. 17875) with effect from 26th September, 1999,
3. Shri Asit Kumar Sanyal, BCOM,AICWA, Block No. 3, Flat No. 2, 114W, Raja S.C. Mullick Road, Calcutta – 700 047 (Membership No. 3372) with effect from 27th December, 1999,
4. Shri S. Thirumalai Muthusamy, BCOM,AICWA, MIG-197, NH-1, Annal Ambedkar St., Maraimalai Nagar – 603 209 (Membership No. 4554) with effect from 26th February 2000, and
5. Shri Vasantlal Ramanlal Mehta, BCOM,LLB,FICWA, 330, Shankar Nagar, New Sama Road, Vadodara – 390 008 (Membership No. 478) with effect from 15th May, 2000,

on account of death.

(Udayan Ray)
Secretary

Calcutta, the 12th June, 2000

No. 16-CWR(1287-1288)/2000 : In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (b) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

1) **Shri V. Balu, MA(ECON),LLB,,AICWA, AII/96/2, FF, DDA Flats, Safdarjung Enclave, New Delhi – 110 029, (Membership No. 4772) with effect from 7th March 2000, and**
2) **Shri Nitai Charan Kundu, BCOM,AICWA, P-1/20, 'C' Block, Bangur Avenue, Super Complex Building, Flat No. 2/B, 1st Floor, Calcutta – 700 055 (Membership No. 248) with effect from 1st April, 2000,**

at their own request.

(Udayan Ray)
Secretary

Calcutta, the 6th November, 2000

No. 16-CWR(1289-1295)/2000 : In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

1) Shri Harish V. Shah, BCOM(HONS),FICWA, Plot No. 293, Gunjan Cinema Area, GIDC, Vapi – 396 195, (Membership No. 3980) with effect from 25th November 1999,
2) Shri Haro Kumar Dey, MCOM,AICWA, Mahisya Para, Khardaha – 743 155, Dt. 24Pgs.(N), (Membership No. 4911) with effect from 30th January 2000,
3) Shri Coimbatore Chellappa Chamu, BA,AICWA, No. 4, First Cross, Hennur Road (Lingarajapura), Thomas Town, Bangalore – 560 085 (Membership No. 106) with effect from 3rd February 2000,
4) Shri Mahesh K. Shah, BCOM,AICWA, B-6/7, Arunodaya, Khira Nagar, S.V. Road, Santacruz(W), Mumbai – 400 054, (Membership No. 5463) with effect from 10th June 2000,
5) Shri Raj Kumar Jindal, BA,LLB,,AICWA, F-103, Ashish Chambers, Mayur Vihar-I, Delhi – 110 091, (Membership No. 369) with effect from 4th September 2000,
6) Dr. M. Vishnu Murthy, MA,PHD,LLM,FCS,FICWA, H. No. 21/3 RT, Prakasam Nagar, Begumpet Post, Hyderabad - 500 016, (Membership No. 3724) with effect from 16th September 2000, and
7) Shri Vishwanath Bhagirath Behede, BCOM(HONS),FCA,FICWA, Suyog, 10th Lane, Prabhat Road, Pune – 411 014, (Membership No. 822) with effect from 29th September 2000

on account of death.

Sd/-
(S.R. Acharyya)
Secretary/Adviser

Calcutta, the 6th November, 2000

16-CWR(1296-1298)/2000 : In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (b) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

1) Shri Govind Achut Gaonkar, MCOM,LLB,AICWA, Flat 9, Yogdan Co-op. Hsg. Soc. Ltd., St. Francis Road, Vile Parle West, Mumbai – 400 056 (Membership No. 1590) with effect from 31st March 2000
2) Shri A.K. Venkiteswaran, AICWA, C/o. ITC BPL Shares, Section 50, Sebastian Road, Secunderabad – 500 003 (Membership No. 893) with effect from 29th August 2000, and
3) Shri Srichand Khushaldas Wadhwa, BA,BCOM,AICWA, 114, Crescent, Pali Hill Road, Khar, Mumbai – 400 052, (Membership No. 1035) with effect from 2nd October 2000,

at their own request.

Sd/-
(S.R. Acharyya)

Calcutta, the 10th January, 2001

16-CWR(1299-1300)/2001 : In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

1) **Shri T.R. Gopalakrishnan, ACMA,FICWA, No. 8, Plot 116, Deepam, Behind Kannada High School, Wadala, Mumbai – 400 031 (Membership No. 35) with effect from 27th April, 2000, and**
2) **Shri Amar Kumar Sen, MA,FCMA,FICWA, Flat No. A-1, Aikyanir, 4, Beltala Road, Calcutta – 700 026 (Membership No. 452) with effect from 23rd June, 2000,**

on account of death.

Sd/-
(S.R. Acharyya)
Secretary/Adviser

Calcutta, the 10th January, 2001

N. 16-CWR(1301-1304)/2001 : In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (b) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

1) Shri Siba Prasad Chaudhuri, BSC,AICWA, 128, Avenue South, Santoshpur, Calcutta – 700 075 (Membership No. 8814) with effect from 8th August, 2000,
2) Shri B.A. Mantri, BCOM,LLB,AICWA, 52, Mangal Murti Apts., 4th Floor, Zaver Road, Mulund, Mumbai – 400 080 (Membership No, 2248) with effect from 19th September, 2000,
3) Shri A.A. Manyarwala, MCOM,AICWA, C/15, Bage Firdos No. 2, Near Lalbhai's Kuva, Sarkhej Road, Juhapura, Ahmedabad – 380 055 (Membership No. 783) with effect from 3rd October, 2000, and
4) Shri K.A. Achuthan, BCOM,FICWA, Sudharma, Thrikkandiyoor, Tirur – 676 104, (Membership No. 1707) with effect from 30th October, 2000,

at their own request.

Sd/-
(S.R. Acharyya)
Secretary/Adviser

Calcutta, the 31st March, 1999

N. 18-CWR (329)/99 : It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members, the name of Shri S. Subramanyan, MCOM,AICWA, Neelam Apts., Flat No. 301/302, Shah Bldg., Compound No. 1, Bhagat Lane, Matunga (W), Mumbai – 400 016 (Membership No. 1870) with effect from 10th March, 1999.

(D. Jagannathan)
Secretary

Calcutta, the 30th June, 2000

18-CWR (330)/2000 : It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members, the name of Shri C. Eswara Dass, BSC(MATH.),AICWA, Chief Manager (Finance & Accounts), O.N.G.C. Ltd., Ankleswar Project, Ankleswar (Membership No. 6610) with effect from 20th June, 2000.

Sd/-
(Udayan Ray)
Secretary

Calcutta, the 6th November, 2000

18-CWR (331)/2000 : It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members, the name of Shri Nirmalendu Ghosh, BCOM,AICWA, "Shanti-Niloy", 207, Dharampur Main Road, Chinsurah – 712 101 (Membership No. 3442) with effect from 11th October 2000.

Sd/-
(S.R. Acharyya)

Calcutta, the 5th October, 2001

18-CWR (332)/2001 : It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members, the name of Shri Jawahar Lal Kumar, BA,AICWA, 256, Defence Colony, Jalandhar City – 144 001 (Membership No. 5332) with effect from 27th August 2001.

Sd/-

(S.R. Acharyya)
Adviser/Secretary

Kolkata, the 12th October, 2001

NOTIFICATION

18-CWR (333)/2001 : It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members, the name of Shri Ashok Ghosh, BSC,AICWA, 1043/29, Gali No. 10, Krishna Colony, Gurgaon - 122 001, Haryana (Membership No. 4025) with effect from 18th September 2001.

Sd/-

Kolkata, the 1st November, 2001

NOTIFICATION

18-CWR (334)/2001 : It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members, the name of Shri Govindan Aravindan, BCOM,AICWA, 6/15E, MCR Street, Main Road, Podanur P.O., Coimbatore - 641 023 (Membership No. 5036) with effect from 24th September 2001.

(S.R. Acharyya)
Adviser/Secretary

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR

NEW DELHI, DATED 21th February,2002.

NOTIFICATION

S.O.................. WHEREAS M/S CHK Electronics (Pvt.) Limited, Krishna House 611, Venus Colony, IInd Steet, Madras-18 now at 33, Krishna House, 7th Cross Street, Shastri Nagar, Chennai-60020 (hereinafter referred to as the establishment) had been granted exemption under section 17(1)(a) of the then Employees' Provident Funds & Family Pension Fund Act, 1952 (hereinafter referred to as the Act) vide Notification No S.35015/2/94-SS.II dated 8.7.1994 exempting the said establishment from the purview of the Act.

AND WHEREAS the establishment has been closed, the provident fund dues of all the employees have been settled by the Trust and the Provident Fund Trust has been wound up.

Now, therefore , in exercise of the powers conferred under section 17(4) of the EPF & MP Act, 1952 the Central Government hereby cancels the exemption granted to the said establishment with effect from 28.2.2002.

(ALOK AGARWAL)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA
FILE NO.S.35017/2/2001-S-II

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION (CENTRAL OFFICE)
BHAVISHYA NIDHI BHAWAN, 14, BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI-110066.

****

Dated________

No. C.P.F.C. 1(4)/KN(1990)/2001

S.O.__________________Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely:-

S.No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage.
1.	KN/17158	M/s. Hydropack India, 788, Vivekanand Road, Behind Ashirwad Mangal Karyalaya, Tilakwadi, Belgaum-590006.	1-4-95
2.	KN/HBL/ 17401	M/s. The Dharwar Urban Co-op. Society Ltd; Station Road, Near Alur Venkatrao Circle, Dharwad (Hubli).	31-5-96
3.	KN/HBL/17430	M/s. Vyavasaya Seva Sahakari Sangha Ltd; Yerebudihal, Tq. Kundgol, Dist. Sharwar (Hubli).	31-10-96
4.	KN/HBL/17556	M/s. Ingalagi V.S.S. Sangha Ltd; Ingalagi, Tq. Kundgol. (Hubli).	31-7-97
5.	KN/21365	M/s. The Sahara (Minority) Co-op. Credit Society Ltd; Bijapur (Karnataka).	1-7-2001

6.	KN/25061	M/s. Peak Network Pvt. Ltd; No. 511, Westminster, Cunningham Road, Bangalore.	1-3-2001
7.	KN/25150	M/s. Vaishali Packaging, G-85, Rajajinagar, Bangalore-560044.	1-4-2001

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act, to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishment.

(TRILOK CHAND)
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER.

NO. C.P.F.C. 1(4)/KN(1981)/2001

S.O.________________Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely:-

S.No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage.
1.	KN/20438	M/s. Gee Dee Advertising and Marketing House of Gurudev, Ist Floor, Lalbaugh, Mangalore.	1-4-2000
2.	KN/HBL/17222	M/s. Sudarshan Industries, 788, Vivekanand Road, Behind Ashirwad Mangal Karyalaya, Tilakeadi, Belgaum-6.	1-10-95
3.	KN/20450	M/s. Prasad Engineering Co; Srinidhi Complex, Kambla, Criss Road, Mangalore-3.	1-6-2000
4.	KN/20451	M/s. Puttur Computers & Software developers, Ist Floor, Vimalesh Complex, Darbe Puttur-571202 D.K.	1-9-2000
5.	KN/20493	M/s. Abideep Concrete Products, 4A, Shivally Industrial Area, Manipal-576119.	1-9-2000
6.	KN/20502	M/s. Jnana Ganga Higher Primary Co School, P.O. Bellare, Sullia Taluk, D.K.	1-1-2001
7.	KN/20519	M/s. A-I Products, 74, Ulloor Post, Kundapura Taluk, Udupi Dist.	1-6-2001

8.	KN/MNG/ 20523	M/s. Abharan Silver and Diamonds, 10-2-53, Ground Floor, Rajaji Marg, Udupi.	1-5-2001
9.	KN/21359	M/s. Prathamik Krushi Pattina Sahakari Niyamit, Kanamadi, Tq. Sist; Bijapur.	1-3-95
10.	KN/22574	M/s. Jinnenahally Milk Producers Society Ltd; Jinnenahally Hassan Taluk & Dist.	1-12-99
11.	KN/25115	M/s. Alps Innovators Pvt. Ltd; No. 27, Ist Main, 2nd Cross Palace Road, Bangalore.	1-4-2001
12.	KN/25116	M/s. Trinity Coating System Ltd; 105 & 106, Infantry Court, 103, Infantry Road, Bangalore.	1-2-2001
13.	KN/25131	M/s. Detroit Diesel India Pvt. Ltd; 414, Prestige Centre Road, Bangalore.	1-2-2001
14.	KN/17456	M/s. Shree Ganesh Industries, Door No. 600/4, Bharath Colony, Davanagere-577003.	1-4-95

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act, to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishment.

(TRILOK CHAND)
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER.

No. C.P.F.C. 1(4)/KN(1987)/2001
S.O._______________ Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely:-

S.No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage.
1.	KN/24886	M/s. Explore Biz. Com Pvt. Ltd; 2nd Floor, Aashraya, 161, 14th A Main, HAL-II Stage, Indira Nagar, Bangalore.	1-7-2000
2.	KN/17337	M/s. Kamadolli Vyavasaya Seva Sahakari Sangh Ltd; At/Post-Kamadolli, Tq-Kundgol, Dist. Dharwar.	31-1-96
3.	KN/21352	M/s. Karnataka State Road Transport Corporation, Employees Co-op. Credit Society Ltd, New Bus Stand, BIDAR-585401.	1-4-2001
4.	KN/21311	M/s. Prathmika Krishi Pattina Saha-kara Bank Niyamitha, Hirepadasalgi, Tq. Jamakhandi, Dist. Bagalkot.	1-3-98
5.	KN/24762	M/s. VI eSmart Pvt. Ltd; No. 272/D/12/, Ist Main, 37th Cross, 8th Block, Jayanagar, Bangalore.	1-8-2000

6.	KN/17780	M/s. Dharwad District Judicial Employees Co-op. Credit Society Ltd; Dharwad, District Court Compound, Dharwad.	1-10-98
7.	KN/17086	M/s. The New Town Consumers Co-op. Society Ltd; New Colony, Bhadravathi, Shimoga Dist. (Karnataka).	1-1-95

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act, to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishment.

(TRILOK CHAND)
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER.

No. C.P.F.C. 1(4)/GJ(1980)/2001

S.O.________________Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely:-

S.No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage.
1.	GJ/20067	M/s. Lalbaug Co-op. Credit Society Ltd; "Kailash", Manjalpur Road, Baroda.	31-7-90
2.	GJ/21589	M/s. Unison Risk Services Pvt. Ltd; 609, Sidharth Complex, Alkapuri, R.C. Dutt Road, Baroda.	1-4-99
3.	GJ/21631	M/s. Mecholean Enterprises, 60, Kirti Kunj Society, Near Budhder Colony, Karelibaug, Vadodara.	1-4-2001

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act, to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishment.

(TRILOK CHAND)
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER.

C.P.F.C. 1(4)/AP(1986)/2001

S.O.__________________Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely:-

S.No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage.
1.	AP/40706	M/s. The Defence Service Employees Consumer Co-operative Stores Ltd; Regd. No. 1296, D.No. 58-16-32/1, Gurajada Nagar, NAD Kotha Road, Visakhapatnam.	1-1-2001
2.	AP/40698	M/s. Ujval Marketing Services, 47-3-35, Nehru Bazar Road, Dwarakanagar, Visakhapatnam-16.	2-7-2001
3.	AP/36175	M/s. Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd; V.V. Palem, Khammam Urban (M), Khammam District.	1-7-2000
4.	AP/36162	M/s. Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd; Nagulavancha (Mandal), Chinthakani, Khammam (Dist.).	1-5-2000
5.	AP/36161	M/s. Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd; Garikapadu, Wyra (Mandal), Khammam Dist.-507165.	1-8-2000
6.	AP/36176	M/s. Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd; Proddutoor, Chintakani (Mandal), Khammam Dist.	1-4-2000

7.	AP/36184	M/s. Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd; Thangam Padu, Khammam Rural (Mdl.), Khammam Dist. 507003.	1-10-2000
8.	AP/36163	M/s. Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd; Lalapuram, Konijerla (M), Khammam Dt.	1-8-2000
9.	AP/36220	M/s. Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd; Thallachervu, Thirumalaya, Palem (M), Khammam Dist.	1-9-2000
10.	AP/36219	M/s. Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd; Beerolu (V), Thirumalaya-palem (M), Khammam Dt.	1-7-2000
11.	AP/36205	M/s. Co-operative Rural Bank Ltd; Nelakondapally, Regd. No. 21382, Khammam Dt-. 507160.	1-10-2000
12.	AP/38710	M/s. Idemepally Primary Agricultural Co-operative Society Ltd; Regd. No. V 1121, Edagali Village, Venkatachalam Mandal, Nellore Dist.	1-7-2001
13.	AP/36188	M/s. Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd; Yatapaka, Mandal- Bhadrachalam, Khammam (Dist.).	1-8-2000
14.	AP/27348	M/s. Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd; Sripoor, Mandal Nagarkurnool, Mahaboobnagar.	1-9-94
15.	AP/36187	M/s. Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd; Kamanchikal, Khammam (Rural), Khammam Dt.	1-10-2000
16.	AP/36056	M/s. Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd Wazeedu (PO & MDL.), Khammam (Dist.) PIN-507136.	1-1-2000

17.	AP/36218	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd; Lingala, Kamepalli (M), Khammam Dt.	1-4-2001
18.	AP/38682	M/s. Drought Prone Area Programme, Balaji Nagar, Cuddapah.	1-6-2001
19.	AP/36157	M/s. Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd; Chegomma, Khammam Dt.	1-9-2000
20.	AP/36158	M/s. Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd; Kallurgudem, Khammam Dt.	1-9-2000
21.	AP/36160	M/s. Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd; Ashnagurthy, Khammam Dt.	1-8-2000
22.	AP/36159	M/s. Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd; Siripuram, Khammam Dist.	1-8-2000
23.	AP/36156	M/s. Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd; Golapadu, Khammam Dist.	1-9-2000
24.	AP/38721	M/s. Kallupalli Primary Agricultural Co-operative Society, Gangavaram Village, Maredupalli (PO), Gangavaram Mandal,	1-8-2001

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act, to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishment.

(TRILOK CHAND)
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER.

NO. C.P.F.C.1(4)/AP(1960)/2001

S.O.____________ Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments and Miscellaneous Provisions Act, 1952(19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :-

S.No.	Code No.	Name & address of the Estt.	Date of Coverage
1.	AP/31876	M/s. Vinyl Chemical Industries, Adavi Polaw, Yanam	1.4.98
2.	AP/35141	M/s. Sri Balaji Retreads, Hukumpeta, Rajamundry, East Godavari Dist.	1-3-99
3.	AP/31782	M/s. The Koyyalagudem Primary Agricultural Co-Operative Credit Society Ltd., NO. 2/22, Koyyalagudem-534 312. W.G. Dt.	1.1.1998
4.	AP/30533	M/s. Durga Saree Show Room, Main Road, Tadepalligudem, PIN-534 101 (A.P.).	1.8.1997
5.	AP/27149	M/s. Sri Veers Venkata Satyanarayana Rice Mill, Tallapudi : 534 341, W.G. Dist.(AP).	1.6.1995
6.	AP/38640	M/s. Rudrampeta P.A.C.S. Ltd., Rudrampeta (Village & Post) Anantapur (Rural Mandal) A.P.	1.3.2001
7.	AP/38639	M/s. Rachanapalli Primary Agricultural Coop Society Ltd., O.No. 679, Anantapur(Rural) Mandal, Rachanapalli (Village & Post) Anantapur (District). A.P.	1.3.2001
8.	AP/30499	M/s. Sandhya Agencies, D.No. 3-62, Burugu Pudi (Post), Korukonda Mandal, East Godavari District. Rajahmundry-533 103.	1.4.1999

9.	AP/35281	M/s. Maharshi Sambamurthy Institute of Social and Development Studies, Kakinada. (AP).	1.4.1999
10.	AP/36678	M/s. Rayavaram Primary Agricultural Co-Op. Credit Society, Via-Gollaprolu,. Punapuram(M), PIN :- 533 445, East Godavari District.	1.9.2000
11.	AP/35301	M/s. East Godavari Distt. Primary Agricultural Co-Op. Societies Secretary's Co-Op. Credit Society Ltd., No. C. 880, Kakinada, A.P.	6.9.1999
12.	AP/35300	M/s. Pedasankarlapudi Primary Agricultural Co-Op. Credit Society Ltd., Pedasankarlapudi, East Godavari District.	1.4.99
13.	AP/38342	M/s. Ramachandrapuram Primary Agricultural Co-Operative Credit Society, Ramachandrapuram, Seethanagaram Mandal, East Godavari District.	1.1.1999
14.	AP/36539	M/s. A.K. Fashions, Bhimavaram, West Godavari District.	1.3.1999
15.	AP/WL/ 31257	M/s. The Husnabad Large Sized Co-Op. Society Ltd., Husnabad, Karimnagar District, A.P.	1.1.1998
16.	AP/36537	M/s. Rohini Hydralic Hollow Brick Industries, Morampudi Road, Rajahmundry, A.P.	1.1.2000
17.	AP/RJY 38360	M/s. S.S. Computers & Consumables, Gold Market Centre, Rajaji Street, Main Road, Kakinada (AP).	1.4.2001
18.	AP/CP/ 38665	M/s. SBI Employees Co-Operative Credit Society Ltd., Regd. No. K856, C/O State Bank of India Buildings, Town Branch, Nellore.	1.4.2001
19.	AP/38330	M/s. Rajahmundry Coop Building Society Ltd., Near Swatantra Hospital, Rajahmundry, East Godavari District.	1.10.2000
20.	AP/36521	M/s. Navnidhi Industrial Training Centre, Kothapeta, East Godavari District, PIN 533 223.	1.1.2000
21.	AP/36672	M/s. Achanta Mandal Coop Building Society, Achanta, West Godavari District. Pin : 534 123. (A.P.)	1.10.2000
22.	AP/36683	M/s. Bujji Fabrics Pvt. Ltd., (The Raymond Shop), Super Bazar Building, Fort Gate, Rajahmundry-533 101.	1.12.2000

23.	AP/36669	M/s. Annadata Agrimachinery (P) Ltd., Plot No. 15, Lalacheru, Rajamundry-6.	1.11.2000
24.	AP/35227	M/s. Satyeswara Swamy Primary Agrl. Co-Op. Credit Society, Sakuru, Amalapuram Mandalam, East Godavari District. (AP).	1.4.1999
25.	AP/35081	M/s. Sri Padmanabha Cooperative Rural Bank Ltd., Diveli, Peddapuram (M), East Godavari District.	1.6.1998
26.	AP/RJY/ 35094	M/s. The Alampuram Primary Agricultural Co-Op. Credit Society Ltd., Alampuram, West Godavari District. Pentapadu Mandal.	1.9.1996
27.	AP/36600	M/s. The Chebrole Co-Op. Rural Bank Ltd., Narayanapuram, West Godavari District.	1.4.2000
28.	AP/RJY/ 28469	M/s. Social Service Centre, Xavier Nagar, Eluru, West Godavari District. A.P.	1.3.1995
29.	AP/36695	M/s. The Rangapuram Primary Agricultural Co-Op. Credit Society Ltd., W.G.70, Rangapuram, West Godavari District.	1.10.2000
30.	AP/RJY/ 36673	M/s. The Ganapavaram Primary Agricultural Co-Operative Credit Society Ltd., Ganapavaram, West Godavari District.	1.1.2000
31.	AP/RJY/ 35225	M/s. Kommara Large Sized Co-Op. Credit Society Ltd., Kommara, Ganapavaram Mandal, West Godavari District.	1.4.1999
32.	AP/36654	M/s. Anand Pure Ghee Sweets, D.No. 10_15_24 & 26, Main Road, Rajamundry, Pin-533 101.	1.9.2000
33.	AP/27053	M/s. Sri Venkata Seethamahalakshmi Rice Mill, Gunupudi, Bhimavaram, West Godavari Dist.	1.7.1994
34.	AP/35021	M/s. Sri Satyanarayana Co-Op. Building Society Ltd., No. X 363, Jaggampeta, East Godavari District. Mamidikuduru Mandal.	1.4.1996
35.	AP/36514	M/s. Gowthami Cements, Plot No. 43, 44 & 45, Diwancheruvu Panchayat, LalaCheruvu, Rajamundry-533 106.	1.1.2000

36.	AP/36501	M/s. G. Rameswaram Primary Agricultural Co-Op. Credit Society Ltd., G. Rameswaram, Sakhinetipalli Mandal, East Godavari District.(A.P.).	1.1.1999
37.	AP/35102	M/s. Ulimeswaram Primary Agricultural Co-Operative Society Ltd., Ulimeswaram, Peddapuram(M), East Godavari District.	1.3.1999
38.	AP/35066	M/s. Latchipalem Primary Agricultural Co-Operative Credit Society, Latchipalem, Via Yanam, E.G. Dist.	1.1.1996
39.	AP/35065	M/s. Palem P.A.C.C.S., Palem, Goneda Post, Kirlampudi (M), E.G. Dist.	1.3.1999
40.	AP/31904	M/s. Medical Health Employees Cooperative Credit Society, DM & H Office, Kakinada.	1.4.1998
41.	AP/35067	M/s. Kattamuru P.A.C.S., Kattumuru, Peddapuram (M), East Godavari District.	1.3.1999
42.	AP/31946	M/s. Yanam Market Committee, Yanman-533 464.	1.3.1998
43.	AP/35082	M/s. Anasuyadevi Education Society, (Durga Prasad Public School), Kakinada.	1.3.1999
44.	AP/31988	M/s. The Chebrolu P.A.C.S. Limited, Chebrolu, Gollaprolu(M), East Godavari District.	1.1.1999
45.	AP/25087	M/s. The Gorinta Primary Agrl. Co operative Credit Society Ltd., Gorinta(V), Peddapuram(M), East Godavari District.	1.4.1994
46.	AP/30304	M/s. Tadepalligudem Large Sized Co-Operative Society Ltd., T.P. Gudem, West Godavari District.	1.7.1996
47.	AP/RJY/ 35140	M/s. The Malakapalli Co-Op. Rural Bank Ltd., Malakapalli, Tallapudi(M) West Godavari District.	1.3.1997
48.	AP/RJY 36685	M/s. The Jangareddy Gudem P.A.C.C.S. Ltd., Jangareddigudem, 534 447, J.B. Gudem Mandal, West Godavari District.	1.4.2000

49.	AP/38355	M/s. Malleswari Suiting House, New Cloth Market, Palakol-534 260, West Godavari District. (A.P.)	1.3.2001
50.	AP/38663	M/s. Bhyruvani Thippa P.A.C.S. Ltd., Brramha Samudram (Vand Post), Anantapur (District.).	1.4.2001

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

(K.B.YADAV)
Additional Central Provident Fund Commissioner

27 FEB 2002

Dated__________

C.P.F.C. 1(4)/DL(1975)/2001

S.O.__________________Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely:-

S.No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage.
1.	DL/24498	M/s. Cross Trade Lines Pvt. Ltd; 101, Thapar Arcade, Near Azad Apartments, Kalu Sarai, New Delhi.	1-9-2000
2.	DL/24541	M/s. Ahlcons India Pvt. Ltd; A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-20.	1-1-2001

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 1(4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act, to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishment.

(TRILOK CHAND)
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER.

25 FEB 2002

Dated________

No. C.P.F.C. 1(4)/TN(1984)/2001/947

S.O.________________ Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely:-

S.No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage.
1.	TN/TI/46835	M/s. Ayya Vaikundar Minnagam, Arunthangan Vilai, Azhikal, Muttom Post, K.K. Dist. (TN).	1-6-2001
2.	TN/49469	M/s. Apex Services, 28, IInd Floor, New Colony, Kodambakkam, High Road, Chennai-34.	1-4-2001
3.	TN/MD/42560	M/s. Union Pharma, Subramaniapuram, Karaikudi-623002(TN).	1-7-2001
4.	TN/MD/42521	M/s. Kayalvizhi Industries, Arasan Saraswathi Ganesan Complex, 18, Chairman A, Shanmugam Road, Sivakasi-626123.	16-1-2001
5.	TN/MD/42569	M/s. Pabanas Chemical (P) Ltd; 5-A. A.V.T. Padasalai Street, Sivakasi-626123.	1-7-2001

6.	TN/MS/49390	M/s. First India Asset Management, 8th Floor, Riaz Garden, 12 & 13, Kodambakkam, High Road, Chennai-34.	1-1-2001
7.	TN/TR/43416	M/s. S.K.T. Engineering Contractor, T. Nallur, Mathur Via-622515. (TN).	1-10-99
8.	TN/TR/43586	M/s. Lord Engineering, 12, Electrical & Electronics Industrial Estate, Thuvakudi, Trichy-15 (TN).	1-4-2000
9.	TN/TR/43636	M/s. Shree Ram Engineering Industry, Plot No. E-81, SIDCO Indl. Estate, Trichirapalli-15.	1-7-2000
10.	TN/TR/43667	M/s. Shri Narmatha Fabricators, D-42, Developed Plot Estate, Thuvakudi, Trichy-620015.	1-9-2000
11.	TN/TR/43633	M/s. Mahalaxmi Engineering Enterprises, No. I, 11 & 12, Electrical and Electronic Industrial Estate, Thuvakudi, Trichy-15 (TN).	1-7-2000
12.	TN/43392	M/s. Hindustan Man Power Service, 44, Appu Complex, Shitra Nagar, N.K. Road, Thanjavur-613006.	1-8-99
13.	TN/TR/43670	M/s. Preethi Engineering Industries, DC-15, Developed Plot Estate, Thuvakudi, Trichy-620015.	1-9-2000

14.	TN/TR/43668	M/s. Udhayamala Fabs, No. 5, SIDCO Industrial Estate, Thiruverumbur, Trichy-620014. (TN).	1-9-2000
15.	TN/43758	M/s. Divma Engineering Co. (P) Ltd; Tiruchitrambalam-605111. Via-Pondicherry, Villupuram Dist. (TN).	1-5-2001

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act, to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishment.

(TRILOK CHAND)
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER.

No. C.P.F.C. 1(4)/TN(1982)/2001/948

S.O.____________________Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely:-

S.No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage.
1.	TN/MD/42568	M/s. Annai Arul Enterprises, Plot No. 2, Pallaka Pudupatti, Kappalur, Madurai. (TN).	1-7-2001
2.	TN/TR/43516	M/s. Moolakkadu Milk Producers Co-op. Society Ltd; L.N. Patti Post, Kallakurichi (TN).	1-1-2000
3.	TN/TR/43572	M/s. T.A. 69, Alivalam PAC Bank Ltd; Alivalam (P.O.), Pattukkottai (TK), Thanjavur (Dt.) Pin-614602.	1-4-98
4.	TN/MD/42567	M/s. Veer Jawan Security Service, 230-A, Railway Feeder Riad, Rameswaram-623526.	1-7-2001
5.	TN/65084	M/s. Digilog Control Systems (P) Ltd; A H - 141, 3rd Street, 8th Main Road, Annanagar West, Chennai-600040.	1-5-2001
6.	TN/47222	M/s. Gurusamipalayam Handloom Weavers Co-op. Society Ltd Gurusamipalayam-637403, Namakkal Dist. (TN).	1-3-2000
7.	TN/TR/43219	M/s. Senthil Paper Boards, S F No. 240, Kadambankurichy Post, Karur D.C.G. Dist. (TN).	19-2-99

8.	TN/TR/43520	M/s. Z.829, Saliyamangalam PAC Bank Ltd; Saliyamangalam (Post), Papanasam (TK.), Dist. Thanjavur.	1-10-99
9.	TN/TR/43741	M/s. Thiruvengadu Chit Fund (P) Ltd; 2-75 A, North Street, Tiruvengadu-609114. (TN).	1-4-2001
10.	TN/TR/43657	M/s. Raj Vidyalaya Matriculation School, 23, Uthira North Street, Kuttalam, Mayiladuthurai-609801 (TN).	1-7-2000
11.	TN/TR/4370 43703	M/s. Renga-in Styles, No. 6, Nageswaram North Street, Kumbakenam- 612001 (TN).	1-11-2000
12.	TN/TR/ 43698	M/s. Tamil Nadu Bus Service, 1/12, Main Road, Kurichi & P.O.; Thiruvidaimarudur Tk.; Pin-612504.	1-3-2000
13.	TN/TR/43213	M/s. Asian Plastics, 18, Anna Nagar, Second Cross, Karur (TN).	1-2-99
14.	TN/42565	M/s. Bharath Vidhyalaya AMat. School, Chinnalapatti-624301.	1-8-2001
15.	TN/49372	M/s. Carorich Enterprises, 32, Thanikachalam Road, T. Nagar, Chennai-17.	1-7-2000

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Sec. 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act, to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishment.

(TRILOK CHAND)
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER.

No. C.P.F.C. 1(4)/OR(1985)/2001/949

S.O.__________________Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely:-

S.No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage.
1.	OR/4672	M/s. Indian Charge Chrome Ltd; Choudwar, Dist. Cuttack (Orissa).	1-4-90

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 1(4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act, to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishment.

(TRILOK CHAND)
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER.

To,

The Controller of Publications,
Govt. of India,
-Department of Publications,
Civil Lines,
Delhi-110054.

Copy to:-

The Regional Provident Fund Commissioner, Bhubaneswar.

(VIMAL KATHURIA)
ASSISTANT PROVIDENT FUND COMMISSIONER.

No. C.P.F.C. 1(4)/KR(1978)/2001/950

S.O.__________________Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely:-

S.No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage.
1.	KR/KC/19049	M/s. Sathya Sai Printing and Publishing Co; Hill Road, Alwaye (Kerala).	1-9-99
2.	KR/16568	M/s. Govind & Co; Pattoor, Vanchiyoor Post, Trivandrum-695035 (Kerala).	1-4-2001
3.	KR/KK/17105	M/s. Calicut United Security Service, Edakkad, Calicut, Kerala.	1-4-98
4.	KR/16511	M/s. I.C.M.R. Human Reproduction Research Centre, Sat Hospital, Medical College, Trivandrum (Kerala).	1-7-2000

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act, to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishment.

(TRILOK CHAND)
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER.

No. C.P.F.C. 1(4)/TN(1983)/2001/951

S.O. ____________ Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely:-

S.No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage.
1.	TN/TR/43511	M/s. TND. 1210 Rangappannur Women MPCS Ltd; Rangappanur Post, Sankarapuram Taluk, Villupuram Dist.-606402.	1-1-2000
2.	TN/TI/46846	M/s. The Kanyakumari CSI Medical Mission and Rehabilitation Employees Co-op. Thrift and Credit Society Ltd; K.V. 123, Marthandam, Kanyakumari Dist.	1-5-2001
3.	TN/49506	M/s. Interspice Biotech (P) Ltd; No. 62, Luz Avenue, Mylapore, Chennai-600004(TN).	1-4-2001
4.	TN/60092	M/s. Flora Horticulture Nursery, 4/64, Kalchathammankoil Street, Michael Gardens, Ramapuram, Chennai-89 (TN).	1-6-2001
5.	TN/TR/43690	M/s. Vilambavur Milk Producers Co-op. Society Ltd; Vilambavur, Kallakurichi-606262 (TN).	1-1-2001

6.	TN/PC/1168	M/s. A.V. Ulco Healthcare (P) Ltd; Villianoor Bahoor Road, Pondicherry-605110.	1-12-2000
7.	TN/49516	M/s. German Polymers and Coatings (P) Ltd; Kandanchavadi, Chennai-96(TN).	1-4-2001
8.	TN/49507	M/s. Jayavani Transport, 630, T.H. Road, Tondiarpet, Chennai-600081(TN).	1-4-2001

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act, to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishment.

(TRILOK CHAND)
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER.

EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION
PANCHDEEP BHAWAN:SARVODAYA NAGAR: KANPUR

No.21-V-34/15/95-Coord. Dated: 4.3.2002

NOTIFICATION

It is hereby notified that Local Committees consisting of the following members have been reconstituted by the Chairman of the Regional Board, ESI Corporation, U.P. Region for Agra, Kanpur, Meerut, Saharanpur, Raibareilly, Allahabad, Gaziabad and Jhansi areas of U.P. Region under Regulation 10-A (1) of the Employees State Insurance Corporation (General) Regulation, 1950 with effect from the date of notification.

LOCAL COMMITTEE - AGRA

1.	Chief Medical Officer, ESI Scheme, Labour Medical Services, UP Agra Region, AGRA.	President	10-A (1) A	E.S.I.(General) Regulation 1950.
2.	Dy. Labour Commissioner, Agra or a person nominated by him	Member	10-A (1) B	-do-
3.	Medical Officer Incharge, ESI Scheme, Agra	Member	10-A (1) C	-do-
4.	Sri Prem Sagar Aggarwal, President, National Chamber of Industries & Commerce, New Market, Jiwani Mandi, Agra.	Member	10-A (1) D	-do-
5.	Sri K.K. Paliwal, President, Foundarynagar Industries Association, C/o Paliwal Iron Foundary, Hathras Road, Agra	Member	10-A (1) D	-do-
6.	Sri Baljit Singh, President, Agra Footwear Manufacturing & Exporters Chamber, New Lawyers Colony, Agra	Member	10-A (1)	-do-
7.	Sri Atul Kumar Gupta Secretary, Hotel Owners Assoc. C/o Hotel Kant, Fatehabad Road, Agra.	Member	10-A (1)	-do-
8.	Sri Rajveer Singh Solanki Divisional President, Rastriya Mazdoor Congress (INTUC), 80, Laraj Complex, Namner, Agra	Member	10-A (1) E	-do-
9.	Sri Rajeshwar Dayal Sharma Bhartiya Mazdoor Sangh, 15/396 Saheed Bhagat Singh, C/o Noori Darwaza, Agra (Phone No.261048)	Member	10-A (1) E	-do-
10.	Sri/Com. Jagdish Prasad Secretary, AITUC Mazdoor Bhawan Nunihai Road, Rambagh, Agra.	Member	-do-	-do-

11.	Sri Nawal Singh Secretary, Centre of Indian Trade Unions, C-2, Gali Ansari, Roshan Mohalla, Agra	Member	10-A (1) E	E.S.I.C.(GENERAL) Regulation 1950
12.	Manager, E.S.I.C.,Local Office Agra, AGRA.	Member Secretary	10-A (1) F	

LOCAL COMMITTEE - KANPUR

1.	Chief Medical Officer E.S.I. Scheme, Labour Medical Service, Kanpur Region, Kanpur.	President	10-A (1) A	-do-
2.	Dy. Labour Commissioner, Kanpur or the person nominated by him	Member	10-A (1) B	-do-
3.	Medical Officer I/c. E.S.I. Scheme, Kanpur	Member	10-A (1) C	-do-
4.	General Manager, M/s. L.M.L. Ltd., Panki, Kanpur.	Member	10-A (1) D	-do-
5.	General Manager, M/s. Dankan Industries Ltd., (Fertilizer) Panki, Kanpur.	Member	10-A (1)	-do-
6.	General Manager M/s. J.K. Jute Mills Co. Ltd., Kalpi Road, Kanpur	Member	10-A (1)	-do-
7.	General Manager, M/s. National Thermal Power Corporation Ltd., Dibiyapur, Aourriaya.	Member	10-A (1) D	-do-
8.	Sri Srikant Awasthi, Bhartiya Mazdoor Sangh UP 2-Navin Market, Kanpur (Phone No.304883)	Member	10-A (1) E	-do-
9.	Sri Arvind Kumar CITU, 87/152-153, Ram Ashrey Memorial Centre, Raipurwa, Kanpur.	Member	" "	-do-
10.	Sri Ram Narain Pathak, INTUC, 9-B-1, Bhagwan Das Ghat Colony, I.F. Estate, Kanpur.	Member	" "	-do-
11.	Dy. Director (Benefit) Regional Office, ESIC, Sarvodaya Nagar, Kanpur.	Member-Secretary	10-A (1) F	-do-

LOCAL COMMITTEE - MEERUT

1.	Chief Medical Officer E.S.I.Scheme, Labour Medical Services, Saharanpur.	President	10-A(1) A	E.S.I. (GENERAL) Regulation 1950
2.	Dy.Labour Commissioner Meerut or the person nominated by him	Member	10-A(1) B	-do-
3.	Medical Officer Incharge E.S.I.Scheme, Meerut.	Member	10-A(1) C	-do-
4.	Sri S.K. Gupta, Manager Personnel, M/s. Modi Rubber Ltd., Modipuram.	Member	10-A(1) D	-do-
5.	Sri D.K. Aggarwal Manager, M/s.Sugar Works, Mawana.	Member	10-A(1)	-do-
6.	Sri Ajai Gupta, Prop. M/s. Olampic Zippers, Meerut.	Member	"" "	-do-
7.	Sri R.S. Dubey Manager, M/s. Diwan Chains Ltd., Meerut.	Member	"" "	-do-
8.	Sri Yashwant Singh Bhartiya Mazdoor Sangh, Shanker Ashram, Shivaji Marg, Meerut.	Member	10-A(1) E	-do-
9.	Sri Satyapal Singh, CITU, Nai Basti, Meerut	Member	"" "	-do-
10.	Sri Daulat Ram INTUC, Saboon Godam, Meerut.	Member	"" "	-do-
11.	Sri Ranjit Verma, U.T.U.C., R.K. Puram, Meerut	Member	"" "	-do-
12.	Manager, E.S.I.C., Local Office, Meerut.	Member Secretary	10-A(1) F	-do-

LOCAL COMMITTEE - SAHARANPUR

1.	Chief Medical Officer E.SI.Scheme, Labour Medical Services, Saharanpur Region, Saharanpur.	President	10-A(1) A	E.S.I. (GENERAL) Regulation 1950
2.	Dy. Labour Commissioner Saharanpur or the person nominated by him	Member	10-A(1) B	-do-
3.	Medical Officer Incharge E.S.I. Scheme, Saharanpur	Member	10-A(1) C	-do-
4.	Sri Vinay Kumar Jain Jain Engg. & Moulding Works, P.O. 188 Jain Bagh, Saharanpur. (A.C.C.I.)	Member	10-A(1) D	-do-

5.	Sri Pramjeet Singh Vishwakarma Machinary Works, 24, Nehru Nagar, Khalsi Lines, Saharanpur.	Member	10-A(1) D	E.S.I.(GENERAL) REGULATION 1950
6.	Sri Rakesh Kumar Jain Super Plastic Product, Chhatta Barumal, Saharanpur.	Member	" "	-do-
7.	Sri R.K. Bohara Member, Prantiya Karyakarni Rajaya Committee AITUC, Nakhash Bazar, Saharanpur.	Member	10-A(1) E	E.S.I.(GENERAL) REGULATION 1950
8.	Sri Harihar Pandey CITU Office, Railway Road, Saharanpur.	Member	10-A(1) E	-do-
9.	Sri Sudhir Kumar Tyagi Vill.& P.O. Ambehata, Saharanpur. (Bhatriya Mazdoor Sangh)	Member	10-A(1) E	-do-
10.	Manager, E.S.I.Corporation, Local Office, Saharanpur.	Member-Secretary	10-A(1) F	-do-

LOCAL COMMITTEE - RAIBARIELLY

1.	Chief Medical Officer E.S.I.Scheme, Labour Medical Services, Lucknow Region, Lucknow.	President	10-A(1) A	E.S.I. (GENERAL) REGULATION 1950
2.	Dy. Labour Commissioner Lucknow or the person nominated by him	Member	10-A(1) B	-do-
3.	Medical Officer Incharge E.S.I. Scheme, Raibarelly.	Member	10-A(1) C	-do-
4.	Sri Y.K. Gupta President,I.I.A. District Branch, Raibareilly, M/s. Accurate Processing, M-2 Industrial Area-I, Sultanpur Road, Raibareilly.	Member	10-A(1) D	-do-
5.	Sri T.N. Khabela, M/s. Keet Udyog, 14, Engineering Complex, Raibareilly.	Member	10-A(1) D	-do-
6.	Sri Kamal Srivastava M/s. Sri Bhawani Paper Mills Ltd., Industrial Area-I, Sultanpur Road, Raibareilly.	Member	10-A(1) D	-do-
7.	Sri D.P. Pal, AITUC, Nehru Civil Lines, Raibareilly.	Member	10-A(1) E	-do-
8.	Sri Naiem Akhatar CITU Raibareilly Textile Mills Shramik Sangh, Mahesh Bhawan, Near Laxmi Hotel, Kotwali Road, Raibareilly.	Member	10-A(1) E	-do-
9.	Sri Ganga-Vishnu Shukla, Ka-kari Kothi, Civil Lines, Raibareilly. (Bhartiya Mazdoor Sangh)	Member	10-A(1) E	-do-

10.	Sri D.S. Mishra INTUC, Gaytri Niwas, Near Madhuwan Hotel, Raibareilly.	Member	10-A(1) E	E.S.I.(GENERAL) REGULATION 1950
11.	Manager, E.S.I. Corporation, Local Office, Raibareilly.	Member-Secretary	10-A(1) F	-do-

LOCAL COMMITTEE - ALLAHABAD

1.	Chief Medical Officer E.S.I.Scheme, Labour Medical Services, Allahabad Region, Allahabad.	President	10-A(1) A	E.S.I.(GENERAL) REGULATION 1950
2.	Dy. Labour Commissioner Allahabad or the person nominated by him	Member	10-A(1) B	-do-
3.	Medical Officer Incharge, E.S.I. Scheme, Allahabad.	Member	10-A(1) C	-do-
4.	Sri Giridhar Gopal Gulati M/s. United Tower, Leader Road, Allahabad.	Member	10-A(1) D	-do-
5.	Sri Madan Babo Kesharwani General Secretary, U.P. Bidi & Patta Udyog Samiti, 60 Gadiwan Tola, Allahabad.	Member	10-A(1) D	-do-
6.	Sri Sunil Seth Bagga 10 Taskand Marg, Allahabad.	Member	10-A(1) D	-do-
7.	Sri Iqubal Ahmad Personnel Manager, M/s. Sherwani Industrial Syndicate Ltd., 28 South Road, Allahabad.	Member	10-A(1) D	-do-
8.	Sri Prakash Ji Bhartiya Mazdoor Sangh 9-C, Bye George Town, Allahabad.	Member	10-A(1) E	-do-
9.	Sri Shanker Lal Rawat, INTUC, 17-A, Jonhson Ganj, Allahabad.	Member	10-A(1) E	-do-
10.	Sri Vishnu Deo Pandey Hind Mazdoor Sabha, 140/132 Johnsen Ganj, Allahabad.	Member	10-A(1) E	-do-
11.	Sri Alok Kumar Bose CITU, 3-Malviya Road, Allahabad.	Member	10-A(1) E	-do-
12.	Manager E.S.I. Corporation, Local Office Balua ghat, Allahabad.	Member-Secretary	10-A(1) F	-do-

LOCAL COMMITTEE - GAZIABAD

1.	Chief Medical Officer E.S.I.Scheme, Labour Medical Services, Gaziabad Region, Gaziabad.	President	10-A(1)A	E.S.I.(GENERAL) REGULATION 1950
2.	Dy.Labour Commissioner, Gaziabad or the person nominated by him	Member	10-A(1)B	-do-
3.	Medical Officer Incharge E.S.I. Scheme, Gaziabad.	Member	10-A(1)C	-do-
4.	Sri K.K. Sharma, Dy.Manager, M/s. Sri Ram Piston & Rings Ltd., Meerut Road, Industrial Area, Gaziabad.	Member	10-A(1)D	-do-
5.	Sri P.K. Gupta Senior Manager, (Pers.) M/s.International Co., Meerut Road, Industrial Area, Gaziabad.	Member	10-A(1)D	-do-
6.	Sri M.K. Khemka M/s. Rathi Ispat Ltd., South of G.T. Road, Gaziabad.	Member	10-A(1)D	-do-
7.	Sri A.K. Gupta, President-Manager (Admn.) U.P.Ceramic & potteries Ltd., G.T. Road, Gaziabad.	Member	10-A(1)D	-do-
8.	Sri K.M. Tewari CITU, 234 Lal Jhanda Bhawan, Ambedkar Road, Gaziabad.	Member	10-A(1)E	-do-
9.	Sri Sukhbir Tyagi, AITUC, Purani Chunggi, Meerut Road, Gaziabad.	Member	10-A(1)E	-do-
10.	Sri Virendra Shirohi H.M.S., 1-G.D.A.Building, 1st Floor, Old Bus Stand, Gaziabad.	Member	10-A(1)E	-do-
11.	Sri B.N. Tewari B.M.S., 4-Subhash Market, Ramtey Ram Road, Gaziabad.	Member	10-A(1)E	-do-
12.	Manager, E.S.I.Corporation, Local Office Gaziabad, Gaziabad.	Member Secretary	10-A(1)F	-do-

LOCAL COMMITTEE - JHANSI

1.	Chief Medical Officer E.S.I.Scheme, Labour Medical Services, Kanpur	President	10-A(1)A	E.S.I.(GENERAL) REGULATION 1950
2.	Dy.Labour Commissioner, Jhansi or the person nominated by him	Member	10-A(1)B	-do-
3.	Medical Officer Incharge E.S.I.Scheme, Jhansi.	Member	10-A(1)C	-do-

4.	Sri Alok Malhotra, Vice-President M/s. Dymond Cement, Bhadora, Jhansi	Member	10-A(1)D	E.S.I.(GENERAL) REGULATION 1950
5.	Sri Hansmukh Parikh, Factory Manager, M/s. Hindustan Lever Ltd., Urai. (Distt. Jalaun)	Member	10-A(1)D	-do-
6.	Sri Ramesh Kumar Sarabagi M/s. Concrete Udyog, Bijauli, Jhansi.	Member	10-A(1)D	-do-
7.	Sri S.S. Murti, General Manager, M/s. Bharat Explosive Ltd., Lalitpur.	Member	10-A(1)D	-do-
8.	Sri Mahdender Singh, President, B.H.E.L.Contractors Workers Union, Bhel, Jhansi.	Member	10-A(1)E	-do-
9.	Sri Raghuraj Singh, President, Bharat Explosive Ltd., Karamchari Sangh, Lalitpur.	Member	10-A(1)E	-do-
10.	Sri Jairam Prajapati, President, Hindustan Employees Union, Sumerpur, Hamirpur.	Member	10-A(1)E	-do-
11.	Sri Lallan Shukla Bhartiya Mazdoor Sangh, 355/1, Civil Lines, Jhansi.	Member	10-A(1)E	-do-
12.	Manager, E.S.I.Corporation Local Office Jhansi, JHANSI.	Member-Secretary	10-A(1)F	-do-

(T. K. BHATTACHARYA)
REGIONAL DIRECTOR

UNIT TRUST OF INDIA

MUMBAI

R-49

UT/DBDM/SPD-3 / /2000-2001 **28th November, 2000**

The amendments to the provisions of the following schemes:

1. Mastershare Plus Unit Scheme 1991 (Masterplus-91)
2. Capital Growth Unit Scheme 1992(Mastergain-92)
3. Grand Master Unit Scheme-1993(Grandmaster-93)
4. Unit Growth Scheme 10000(UGS-10000)
5. Primary Equity Fund 1995 (PEF-95)[since renamed as PEF Unit Scheme]
6) Master Index Fund (MIF)

formulated under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) and Master Index Fund formulated under Section 19(1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) in relation to the unit scheme made under section 21 of the said Act approved in principal by the Executive Committee in the meeting held on 15th October 1999 and reported to the Executive Committee at its meeting held on 23rd February 2000 are published herebelow.

S CHATTERJI
DEPUTY GENERAL MANAGER
BUSINESS DEVELOPMENT AND MARKETING

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplus

ANNEXURE I

MASTERSHARE PLUS -PROVISIONS MODIFIED/INSERTED

Clause No.	Existing provisions	Amended provisions
Highlights	Minimum investment is 500 units with multiples of 100 units.	**2nd item** - Minimum investment is Rs.5000/- with no maximum limit. For subsequent investments under the same folio the minimum investment is Rs.1000/-.
Highlights	Open to both resident and non resident adult individuals/minors/ HUFs/ Trusts/ Society/ Bodies Corporate (including banks and companies registered under the Companies Act, 1956)/ Partnership firm/ Overseas Corporate Bodies (OCBs)/ FIIs registered with SEBI and having RBI's approval under FERA 1973	**3rd item** - Open to resident individuals and institutions as well as to NRIs, OCBs and FIIs.
Highlights	The face value of a unit is Rs.10/-. Sale will be at NAV (historic) to be determined on a daily basis.	**4th item** -The face value of a unit is Rs.10/-. Sale will be at NAV as at the close of the day on which the application is accepted.
Highlights	Item not included	**8th item** - Facility to reinvest the income, if any, will be available at NAV.
Highlights	Item not included	**9th item** - Switchover facility from the scheme to such other schemes which may be announced by the Trust from time to time or vice versa at NAV or NAV based price.
Highlights	Tax benefits U/S 80L if income is declared and U/S 48 & 112 of Income Tax Act, 1961 on long term capital gains from capital appreciation under the scheme. Capital gains tax exemption U/S 54EA/54EB of the Income Tax Act, 1961, depending upon the source of fund, subject to lock-in for three/seven years respectively from the date of acceptance.	**10th item** - Currently Income Distribution, if any by the scheme is totally tax free in the hands of investors under section10(33) of Income Tax Act 1961. Further, being an open end equity oriented fund it will not be subject to Income Distribution tax for a period upto 31st March 2002 under section 115R of the Income Tax Act 1961. **11th item:** Capital gains arising from capital appreciation, if any, on repurchase of units is subject to

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplus

		tax benefits under sections 48 & 112 of Income Tax Act. 1961. **12th item:** Investment eligible for availing of capital gains tax exemption under sections 54EA and 54EB of the Income Tax Act. 1961. depending upon the source of fund subject to repurchase of units only after lock-in-period of three/seven years respectively from the date of acceptance of the application. **13th item:** Value of investment in units under the scheme is completely exempt from Wealth Tax. **14th item:** The Gift Tax Act. 1958 has abolished the levy of Gift Tax in respect of gifts made on or after 1st October 1998. Thus gifts of units of the scheme are fully exempt from levy of Gift Tax.
Definitions II (a)	"Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust after being satisfied that such application is in order. accepts the same.	"Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the branch office of the Trust. after being satisfied that such application is complete in all respects. accepts the same. The acceptance date in respect of sale and repurchase applications received at the franchise office / collection centre will be the date of receipt of the application at the office of the Registrar or the 5th working day (T+5) from the date of its receipt thereof at the franchise office or collection centre(T) whichever is earlier. The Trust may reduce the number of working days from 5 to a lower number. as may be decided.

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplus

Definitions II (d)	'Applicant' means a person having application for the units under the scheme.	"Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and makes an application under Clause IV of the scheme and who is not a minor."
Definitions II (la)	No provision exists	"Member" used as an expression under the scheme shall mean and include the applicant who has been allotted units under the scheme on or after26[th] April.2000. "Member" also means an "unitholder" including the persons holding units under a unit certificate and in the depository mode and all the expressions can be read synonymously."
Definitions II (q)	"Person holding units or unitholder" means a person who holds units for the time being including the person holding units in the depository mode.	"Person" shall include an eligible institution as defined above.
Definitions II (qa)	No provisions exists	"RBI" means the Reserve Bank of India established under the Reserve Bank of India Act, 1934.
Definitions II (s)	'Registrars' means a person appointed to act as the Registrar from time to time under the scheme.	"Registrars" means a person whose services may be retained by the Trust to act as the Registrar and Transfer Agents under the scheme, from time to time.
Definitions II (y)	'Unit Capital' means the aggregate of the face value of units issued and allotted under the Scheme.	"Unit Capital" means the aggregate of the face value of units sold under the scheme and outstanding for the time being.
Definition II (ya)	No provision exists	"Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.
Definition II (bb)	No provision exists.	In the scheme, after 26[th] April.2000, unless the context otherwise requires, in appropriate places, the term "Member/s" shall include "Unitholder/s".
Risk Factors III 1st item	As with any investment in securities, the NAV of the units issued under the scheme can go up or down depending on the factors and forces affecting the capital markets. There can be no assurance	Mutual Funds and securities investments are subject to market risks and the NAV of the units issued under the scheme may go up or down depending on the factors and forces affecting the

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

	or guarantee that the objectives of the scheme will be achieved.	capital markets.
Risk Factors III	**Stock Lending:** It is a means of earning additional income to the fund with least risk. The risk could be in the form of non-availability of ready stock for sale during the period the scrips remain lent.	**4th item - Stock Lending:** It is one of the means of earning additional income for the scheme with least risk. The risk could be in the form of non-availability of ready stock for sale during the period the stocks remain lent. The scheme would be exposed to risk through stock lending activity through the possibility of default by the borrower/intermediary in returning the lent securities. However, the risk would be adequately covered by taking in of suitable collateral from the borrower by the intermediary involved in the process. The Trust will have a lien on the collateral. The Trust will also have other suitable checks and controls at various places to minimise any risk involved in the securities lending process.
Units & Offer IV(5)(I) (a)	individuals either singly or jointly with another or upto two other individuals on joint basis.	individuals, either singly or jointly with another or upto two other individuals on joint/anyone or survivor basis.
Units & Offer IV (5) (I)	no provision exists. no provision exists. no provision exists. (j) A company or other body corporate alongwith another company or body corporate or an individual or individuals, none of whom is a minor.	(k) any body established or controlled by or under a State or Central Act. (l) an Army/Navy/AirForce/ Paramilitary fund. (m) a Public Sector Undertaking (PSU). The item is being deleted.
Units &	Every application shall be for a	Application shall be made for a

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Offer IV (6)	minimum of 500 units with multiples of 100 units thereafter. In the case of investment of Rs.50,000/- and above, the investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and I.T. Circle address if he/she is having so.	minimum of Rs.5000/-. There is no maximum limit and units will be allotted upto three decimal places. For subsequent investment under the same folio the minimum investment is Rs.1000/-. In the case of investment of Rs.50,000/- and above by resident or NRI through NRO account, the investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and I.T. Circle address if he/she is having so.
Units & Offer Listing IV (7)	Units are listed on 19 major Stock Exchanges and the units may be listed at other stock exchanges at such places as may be decided by the Trust in future.	The units of the scheme issued before 26th April,2000 and remaining outstanding are listed on the major stock exchanges. Units being issued/sold on or after 26th April,2000 will not be listed in any Stock Exchange.
Units & Offer IV (8)	**Unit Certificate** The Trust shall send unit certificate not later than 6 weeks from the date of acceptance of the application. A unit certificate is transferable and is a valid evidence of admission of the investor into the scheme. The Unit Certificate shall be in such form as may be decided by the Executive Director of the Trust. The Certificate will be issued in marketable lot of 100 Mastershare Plus units upto maximum number of 20 Mastershare Plus Certificates (i.e. 2000 units). For any investment beyond 2000 units one consolidated Certificate (21st Certificate) will be issued (i.e. more than 2000 Mastershare Plus units). This consolidated Certificate will be split, once free of cost, on request from investor and thereafter the split may be allowed on payment of charges as may be decided by the Trust. The non resident Indian may choose any one of the following	**Statement of Account** 1) For units sold on 26th April,2000 and thereafter the Trust shall issue a statement of account, with an assigned folio number not later than 6 weeks from the date of acceptance of application. **2) Every member will receive an updated statement of account under the folio each time any additional purchase or partial repurchase or switchover or transfer of the units pursuant to clause 9 (a) & 9 (c) below or rematerialisation of units held in depository mode is made by the member under the folio.** 3) The NRI investor may choose any one of the following modes of despatch of statement of account (i) At the applicant's Indian/foreign address OR

Trust is totally free from tax under section 10(33) of the Income Tax Act, 1961.

The scheme is required to pay an income distribution tax at the rate of 10% and surcharge of 10% thereon under Section 115R of Income Tax Act, 1961 on the amount of income, if any, distributed by it. However, being open ended equity oriented fund, the scheme will not be subject to the said tax under the said section up to 31st March, 2002, provided more than 50% of the total proceeds of the scheme are invested in equity shares of domestic companies.

iii) Currently, any long term capital gains arising out of investment in the scheme by residents and NRIs out of rupee originated or NRO funds will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961. At present the investor is required to pay tax @ 20% on long term capital gains after factoring the benefit of the Cost Inflation Index. However, the capital gains accruing to investments made through NRE accounts are not taxable.

iv) Value of investment in units under the scheme is completely exempt from Wealth Tax.

v) The Gift Tax Act, 1958 has abolished the levy of Gift Tax in respect of units of the scheme are fully exempt from levy of Gift Tax.

2) Eligibility for Capital Gains Tax Exemption under Section 54EA

Investment of entire or part of net consideration arising out of transfer of long term capital assets in Grandmaster Unit Scheme will be eligible for capital gains tax exemption under Section 54EA of the Income Tax Act, 1961 subject to repurchase of units only after three years from the date of acceptance of the application.

3) Eligibility for Capital Gains Tax Exemption under Section 54EB of Income Tax Act, 1961
Investment of entire or part of capital gains arising from transfer of long term capital assets in the Grandmaster Unit Scheme will be eligible for capital gains tax exemption under section 54 EB of subject to repurchase of units only after seven years form the date of acceptance of application.

4) For Eligible Trusts

Units are approved securities under section 11(2)(b) of the Income Tax Act 1961. Eligible Trusts investing in units will therefore, qualify for tax exemption in respect of income and corpus under sections 11 and 13 of the Income Tax Act, 1961.

12. ***Constitution & Management of Unit Trust Of India***

Constitution of UTI

Unit Trust of India was set up as a statutory body under Unit Trust of India Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

Management of UTI

The Management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India.

Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

Board of Trustees *

1.	Shri P S Subramanyam	Chairman, Unit Trust of India
2.	Shri G P Muniappan	Executive Director, RBI
3.	Shri G P Gupta	Chairman & Managing Director, IDBI
4.	Shri N.S. Sekhsaria	Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.

Grandmaster

5.	Shri Rajendra P Chitale	Chartered Accountant
6.	Dr. Vishvanath V Desai	Economist
7.	Shri G Krishnamurthy	Chairman. L.I.C.
8.	Shri G G Vaidya	Chairman, S.B.I.
9.	Shri K C Chowdhary	Chairman & Managing Director, Central Bank Of India

*** The other current directorships of the Trustees are as follows:**

1. **Shri P S Subramanyam** (i) Chairman & Director - The India Fund, (ii) Chairman & Director - India Growth Fund, (iii) Chairman & Director - India Access Ltd, (iv) Chairman & Director - The India Public Sector Fund Ltd, (v) Chairman of Governing Council - UTI- Institute of Capital Markets, (vi) Chairman & Director - UTI Investment Advisory Services Ltd, (vii) Chairman & Director - UTI Investor Services Ltd (viii) Chairman - UTI-Securities Exchange Ltd., (ix) Director-UTI Bank Ltd, (x) Chairman & Director - Over-The-Counter Exchange of India (xi) Member - Life Insurance Corporation of India. (xii) Director - Discount & Finance House of India Ltd. (xiii) Director - Securities Trading Corpn. of India Ltd.(xiv) Director - National Stock Exchange of India Ltd. (xv) Trustee - Indian Institute of Software Engineering.

2. **Shri G P Gupta-** (i) Chairman- Small Industries Development Bank of India, (ii) Director-The India Fund (iii) Director- India Growth Fund, (iv) Director - Discount and Finance House of India Ltd. (v) Director- Export-Import Bank of India, (vi) Director- Securities Trading Corpn. of India Ltd., (vii) Director- Infrastructure Development Finance Co. of India Ltd., (viii) Director-Indian Airlines Ltd. (ix) Director- IDBI Bank Ltd. (x) Director- National Stock Exchange of India Ltd. (x) Member- Life Insurance Corpn. of India, (xi) Member- General Insurance Corpn. of India (xii) Director- South Asia Regional Fund, (xiii) Chairman - South Asia Development Fund, (xiv) Council Member- Indian Institute of Bankers, (xv) Member- Bankers Training College (RBI), (xvi) Member- Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (xvii) Member- Institute of Banking Personnel Selection (xviii) Member- The Institute of Company Secretaries of India

3. **Shri N S Sekhsaria** - (i) Director - Gruh Finance Ltd. (ii) Director- Radha Madhav Investments Ltd. (iii) Director - Home Trust Housing Finance Co. Ltd. (iv) Director- Ambuja Cement foundation (v) Director Ambuja Educational Institute

4. **Shri Rajendra P Chitale** - (i) Director - Small Industries Development Bank of India, (ii) Director- National Securities Clearing Corporation Ltd (iii) Director - J M Capital Management Ltd. (iv) Director - Zurich Asset Management Company (India) Ltd. (v) Director- India Index Services and Products Ltd. (vi) Director- Association of Leasing and Financial Services Companies. (vii) Member - Executive Committee (Governing Board) of National Stock Exchange. (viii) Member - India Advisory Board of Bank of America NT & SA (ix) Member - Investment Committee, Life Insurance Corporation of India.

5. **Shri V V Desai - Advisor - ICICI Limited.**

6. **Shri G Krishnamurthy** - (i) Chairman - LIC (International) EC, Bahrain (ii) Chairman - LIC Housing Finance Ltd. (iii) Director - General Insurance Corporation of India (iv) Director- Poysha Industrial Co.Ltd. (v) Chairman, Governing Board- National Insurance Academy (vi) Director-National Housing Bank (vii) Director- UTI Bank Ltd. (viii) Director - Discount & Finance House of India (ix) Director- Kenindia Assurance Co. Ltd.,Kenya (x) Director- ICICI Ltd. (xi) Chairman-Governing Body of Insurance Council

7. **Shri G G Vaidya-** (i) Chairman- SBI Capital Markets Ltd. (ii) Chairman- SBI Funds Management Ltd., (iii) Chairman - SBI Gilts Ltd., (iv) Chairman - SBI Securities Ltd., (v)

Chairman - SBI Factors & Commercial Services Ltd., (vi) Chairman - SBI European Bank Ltd., (vii) Chairman - State Bank of Indore, (viii) Chairman - State Bank of Saurashtra, (ix) Chairman - State Bank of Patiala, (x) Chairman - State Bank of Bikaner & Jaipur , (xi) Chairman - State Bank of Hyderabad, (xii) Chairman - State Bank of Mysore, (xiii) Chairman - State Bank of Travancore, (xiv) Chairman - State Bank of India (California), (xv) Chairman - State Bank of India (Canada), (xvi) Vice President of the Governing Council - Indian Institute of Bankers, (xvii) Director- National Bank for Agriculture and Rural Development , (xviii) Director - Export- Import Bank of India. (xix) Director- General Insurance Corporation, (xx) Member of the Governing Board & Chairman of Finance Committee- National Institute of Bank Management' , (xxi) Member of the Governing Board, Chairman of the Finance Committee & Office Premises Committee & Committee of Administrators of IBPS Employees Pro. Fund, - Institute of Banking Personnel Selection (xxii) Member- Institute for Developing & Research in Banking Technology, (xxiii) Director- Infrastructure Development Finance Corporation , (xxiv) Director- Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd. , (xxv) Director- Export Credit Guarantee Corporation.

8. Shri K C Chowdhary - (i) Chairman - Small Group on Bank Audit, Indian Banks' Association (ii) Chairman- Banking Operations, Indian Banks' Association, (iii) Chairman - Small Group on Credit Related Matters, Indian Banks' Association (iv) Chairman - IBA Working Group for Interaction with Trade Bodies/Associations, (v) President - Indian Banks' Association, Local Chapter. (vi) Member - Managing Committee, Indian Banks' Association, (vii) Chairman - Centbank Home Finance Ltd., (viii) Chairman - Centbank Financial & Custodial Services Ltd., (ix) Director - Agricultural Finance Corpn. of India, (x) Director - Mastercard Asia/Pacific Board, (xi) Director - The New India Assurance Co. Ltd.,(xii) Member - Task Force, Indian Banks' Association.

13. ***Management of the Fund :***

Name of the fund manager along with his qualifications and experience inserted.

14. ***Custodians***

Following is inserted as required by SEBI.

The SEBI registration number of SHCIL is IN/CUS/011

Tariff structure of SHCIL is as under:

	Electronic	Physical
Dematerialisation	Rs.5 per certificate	
Purchase	5.5. basis points on The value of the Transaction	Rs.100 per DIP
Sale	5.5 basis points on The value of the Transaction	Rs. 100 per DIS
Custody	1.5 basis points on The asset value in The custody	8 basis points on the asset value in the Custody
Off market Purchases	5.5 basis points on the value of the	

Grandmaster

	Transaction	
Off market Sales	5.5 basis points on the value of the Transaction	-
Rematerialisation	Rs.15 per certificate Or 15 basis points of Conversion value Whichever is higher	-

15. ***Auditors***

M/s. Chaturvedi & Company. Chartered Accountants, 60, Bentik Street, Calcutta 700 069 and M/s Batliboi & Purohit, Chartered Accountants, National Insurance Building, 204, D N Road, Fort, Mumbai 400 001. The auditors of the scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.

16. **Table showing Investors' Grievance Redressal data inserted**

17. PENALTIES, PENDING LITIGATIONS, MATERIAL FINDINGS OF INSPECTIONS/ INVESTIGATIONS

1. There are no cases relating to penalties awarded by SEBI under the SEBI Act or any of its regulations or by any Stock Exchanges (where the units of the schemes of the Trust are listed) against the Unit Trust of India/Board of Trustees, or any of the Trustees or key personnel (specifically the fund managers),

2. There are no pending material litigation proceedings incidental to the business of the Unit Trust of India including the Board of Trustees or any of the trustees or key personnel. There are no pending criminal cases against the Unit Trust of India, Board of Trustees or any of the Trustees or key personnel.

3. Neither SEBI nor any other Regulatory Agency has specifically advised that any deficiency in the systems and operations of the Unit Trust of India be disclosed in the offer document.

4. There are no enquiry/adjudication proceedings under the SEBI Act and the Regulations made thereunder, against Unit Trust of India, Board of Trustees/Trustee or key personnel.

18. **Table giving condensed financial information inserted**

ANNEXURE I

UGS 10000 - PROVISIONS MODIFIED/ INSERTED

Clause No.	Existing provisions	Amended provisions
Highlights 3rd item	Sales after initial offer period will be at 3% load to NAV and Repurchase will be at NAV.	**5th item** - Sale and repurchase will be based on the NAV as at the close of the day on which the application is accepted. Sale will be at 3% load to NAV. **6th item** - Repurchase will be at NAV. Partial repurchase permitted subject to a minimum balance of Rs.5000/- per folio.
Highlights 5th item	Tax benefits U/S 48 & 112 of Income Tax Act, 1961 on capital appreciation.	**10th item** - Capital gains arising from capital appreciation, if any, on repurchase of units is subject to tax benefits under sections 48 & 112 of Income Tax Act, 1961.
Highlights th item	Capital gains tax exemption under sections 54 EA/54 EB of the Income Tax Act, 1961 subject to lock-in for three/seven years respectively from the date of acceptance.	**11th item** - Investment eligible for availing of capital gains tax exemption under sections 54EA and 54EB of the Income Tax Act, 1961, depending upon the source of fund, subject to repurchase of units only after lock-in-period of three/seven years respectively from the date of acceptance of the application.
Highlights	Item not included	Following inserted: **3rd item** - Minimum investment is Rs.5000/- with no maximum limit. For subsequent investments under the same folio the minimum investment is Rs.1000/-. **4th item** - The face value of a unit is Rs.10/-. **7th item** - Facility to reinvest the income, if any, will be available at NAV. **8th item** - Switchover facility from the scheme to such other schemes which may be announced by the Trust from time to time or vice versa at NAV or NAV based price. **9th item** - Currently Income Distribution, if any by the scheme is totally tax free in the hands of investors under section10(33) of Income Tax Act 1961. Further, being an open end equity oriented fund it will not be subject to Income Distribution tax for a period up to 31st March, 2002 under section 115R of the Income Tax Act 1961. **12th item** - Value of investment in units under the scheme is completely exempt from Wealth Tax. **13th item** - The Gift Tax Act, 1958 has abolished the levy of Gift Tax in respect of gifts made on or after 1st October 1998. Thus, gifts of units of the scheme are fully exempt from levy of Gift Tax.
Risk Factors	Investments in units of the scheme are subject to	Mutual Funds and securities investments are subject to market risks and the NAV of the units issued under the scheme may go

1st item	market risks and the NAV of the Scheme may go up or down depending on the influence of market forces on the Scheme's portfolio.	up or down depending on the factors and forces affecting the capital markets.
Risk Factors	Not provided for	**4th item - Derivatives:** Trading in derivative securities like options & futures is a highly specialised activity and entails greater risk than ordinary investment. Even though the scheme intends to use the activity of trading in derivatives only for portfolio hedging purposes, the overall market in these segments could be highly speculative due to the actions of the other participants in this market. The success of trading in derivatives depends upon the ability of the fund manager in predicting the future movement of the market and if the fund manager is incorrect in their prediction the performance of the fund could diminish compared to what it would have been if this investment strategy had not been used. **5th Item - Investment in overseas market:** The success of investment in overseas market depends upon the ability of the fund manager in understanding of those market conditions & analysing the information, which could be different from Indian markets. As this would involve operations in foreign markets there could be exchange rate fluctuations risk besides market risk. **6th item - Stock Lending:** It is one of the means of earning additional income for the scheme with least risk. The risk could be in the form of non-availability of ready stock for sale during the period the stocks remain lent. The scheme would be exposed to risk through stock lending activity through the possibility of default by the borrower / intermediary in returning the lent securities. However, the risk would be adequately covered by taking in of suitable collateral from the borrower by the intermediary involved in the process. The Trust will have a lien on the collateral. The Trust will also have other suitable checks and controls at various places to minimise any risk involved in the securities lending process.
Constitution & Management of UTI, Other Directorships of the Trustees	The existing information will be replaced by the information given under item 9 of Annexure III.	Refer item 9 of Annexure III
Definitions II(a)	"Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust	"Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the branch office of the Trust, after being satisfied that such application is complete in all respects, accepts the same. The acceptance date in respect of sale and repurchase applications received at the franchise

	after being satisfied that such application is in order, accepts the same.	office/collection centre will be the date of receipt of application at the office of the Registrar or the 5th working day (T+5) from the date of its receipt thereof at the franchise office or collection centre(T), whichever is earlier. The Trust may reduce the number of working days from 5 to a lower number, as may be decided.
Definitions II (ea)	No provisions exist	"Member" used as an expression under the scheme shall mean and include the applicant who has been allotted units under the scheme on or after 23.02.2000. "Member" also means a "unit holder" holding units under a unit certificate and both the expressions can be read synonymously.
Definitions II (ha)	No provisions exist	"Person" shall include an eligible trust as defined above.
Definitions II (hb)	No provisions exist	"RBI" means the Reserve Bank of India constituted under the Reserve Bank of India Act, 1934.
Application for Units IV (1) (i)	A resident or non-resident adult individual singly or with another individual on joint / either or survivor basis.	a resident individual or a NRI either singly or jointly with another or up to two other individuals on a joint / anyone or survivor basis.
Application for Units IV(1)	No provisions existed for all categories of intended investors	(xi) an Army / Navy / AirForce / Paramilitary fund. (xii) a Public Sector Undertaking (PSU). (xiii) Financial Institution (xiv) a Foreign Institutional Investor (FII) registered with SEBI
Minimum amount of investment V	Application shall be made for minimum of Rs. 5000 and thereafter in multiple of Rs. 1000/-. Maximum limit for investment per investor is Rs.10,000/-. When the units are open for the sale after the initial offer period this could be relaxed. Units will be allotted in fractions upto three places after the decimal.	Application shall be made for a minimum of Rs.5000/-. There is no maximum limit and units will be allotted up to three decimal places. For subsequent investment under the same folio the minimum investment is Rs. 1000/-. In case of investment of Rs.50,000/- and above, the resident or a NRI investing out of non-resident ordinary account is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and I.T. Circle address if he/she is having so.
Mode of Payment VIII (1) (i) & (ii)	(1) (i) The payment for the units applied for by an applicant shall be made by him along with the application in cash, cheque or draft. Where applications are submitted at the branch offices of the Trust, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the branch	(a) The payment for units by an applicant shall be made by him along with the application in cash, cheque or draft. When applications are submitted at branch offices of the Trust, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city/town where the branch office of the Trust at which the application is tendered is situated. (b) If the payment is made by a cheque/draft, the acceptance of an application will be subject to such cheque/draft being realised. (c) If, the application amount is less than the minimum investment under the scheme, the entire amount shall be refunded to the applicant at his cost in such manner as the Trust

	office at which the application is tendered is situated. Provided however that the applicant who wishes to apply for units from a place other than where the Trust has its branch office/collection centre /franchise office/ designated branch of a bank may do so by sending the application to the branch office of the Trust along with the bank draft for number of units applied for after deducting therefrom charges payable for bank draft as per the guidelines of the Indian Banks Association. The collection centres/franchise offices are authorised to accept applications along with cheque payable locally or demand draft payable at places up to which the scheme is decentralised in which case the applicant may deduct charges as per the guidelines of Indian Banks Association. e.g. if the application amount is Rs.10,000/- the bank draft charges for this amount is Rs.20/-. Thus the draft can be prepared for Rs.9,980/-(i.e. Rs.10,000/- less Rs.20/-). The draft commission charges will form a part of the initial issue expenses of the Scheme. However, in case of applications received along with local bank draft where UTI has its branch office/collection centre/ franchise office bank draft commission will have to be borne by the investor. (ii)If the payment is made by cheque , the acceptance date will, subject to such	may deem fit. (d) NRIs should submit their applications preferably at the NRI Branch, Mumbai or at any of the Branches of the Trust along with NR(E) / NR(O) cheque or a rupee draft payable at the place where the application is submitted.

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplus

		(g) Other provisions will be to the extent provided in the regulations. (h) The facility of the statutory nomination is available to a member under Section 39A of the Unit Trust of India Act. 1963. Accordingly, where a nomination in respect of any unit has been made in accordance with the UTI General Regulations, 1964. the unit shall. on the death of the member(s), vest in the nominee and the nominee shall be issued a statement of account in respect of the unit so vested subject to any right, title, claim or other interest of any other person to or in respect of the said units as provided in such regulations and subject to any charge or encumbrance over the said units. Transmission made by the Trust as aforesaid shall be a full discharge to the Trust from all liability in respect of the said units.
'Repurchase of units' 3rd para of VII (1)	Repurchase will be effected on receipt of the Unit Certificate duly discharged. Partial repurchase shall be permitted subject to the unitholder maintaining a minimum balance of 500 units per folio.	Repurchase will be effected on receipt of the duly executed repurchase request form/unit certificate duly discharged. Partial repurchase shall be permitted subject to the member maintaining a minimum balance of Rs.5000/- per folio to be computed at the repurchase price applicable as on the date of acceptance of repurchase application.
'Repurchase of units' VII (3)	In case of non-resident investors, repurchase proceeds will be remitted depending upon the source of investment as follows: (i) When units have been purchased from remittance in foreign exchange from abroad/by cheque/draft issued from proceeds of unitholder's FCNR deposit or from funds held in unitholder's Non-Resident (External) Account	In case of non-resident investors, repurchase proceeds will be remitted depending upon the source of investment as given below:- a) Where units have been purchased out of remittance in foreign exchange from abroad or from the proceeds of the member's FCNR deposits or from funds held in member's Non-Resident External (NRE) Account with a

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplus

	kept in India, the proceeds can be remitted to the unitholder in foreign currency (any exchange rate fluctuation will be borne by the unitholder) or can be sent to the unitholder's relative in India for crediting the unitholder's Non-Resident (External) Account provided he continues to be resident abroad. It can also be sent for crediting to his Non-Resident (Ordinary) Account if desired by the unitholder. (ii) When units have been purchased from funds held in unitholder's Non-Resident (Ordinary) Account, the proceeds will be sent to the unitholder's relative in India for crediting to the unitholder's Non-Resident (Ordinary) Account.	bank in India, the proceeds can be remitted to the member in foreign currency or credited to NRE or Non Resident Ordinary (NRO) account or paid to his relative in India. b) Where units have been purchased while the applicant was a resident in India or out of funds held in members NRO Account, the repurchase proceeds will be sent either to the investor's bankers in India for credit to his NRO account or to a relative of the investor in India.
'Repurchase of units' VII (4)	No provisions exists	In case of FIIs, repurchase proceeds will be credited to the Special Non-Resident Rupee Account or as per instructions issued by SEBI/RBI from time to time.
Repurchase of units VII (5)	**Buy-Back Of Units:** Notwithstanding anything to the contrary in the provisions of the scheme; (a) The Trust may buy back units under the scheme from the market at the ruling price whenever such units are quoted at 10% or more below its NAV. (b) The Trust may buy back upto 25% of the unit capital issued under the Scheme in any one financial year as an overall limit. The units which are bought back will be redeemed. Explanation:	**Buy-Back Of Units:** Notwithstanding anything to the contrary in the provisions of the Scheme so long as any part of the unit capital remains listed on any stock exchange : (a) The Trust may buy back such units from the market at the ruling price whenever such units are quoted at 10% or more below its NAV. (b) The Trust may buy back up to 25% of such unit capital issued under the Scheme in any one financial year as an overall limit. The units which are bought back will be extinguished.

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplus

	1) "Market" means any of the recognised Stock Exchanges on which the units under the Scheme are listed. 2) "Ruling Price" means the market price of units on the recognised Stock Exchanges ruling at the time units are bought back by the Trust.	*Explanation* (i) "Market" means any of the recognised Stock Exchanges on which the units under the Scheme are listed. (ii) "Ruling Price" means the market price of units on the recognised Stock Exchanges ruling at the time units are bought back by the Trust.
	No provision exists	**VII (6) Switchover** (i) Members under the scheme will be permitted to switchover their investment from the scheme to such other schemes or vice versa which may be allowed by the Trust from time to time. In such a case they may apply for the switchover by submitting their request in the prescribed Composite Services Form (CSF)/duly signed unit certificate, if any. (ii) The switchover will be effected at NAV or NAV based price as may be decided by the Trust. (iii) Partial switchover from the scheme to such other schemes or vice versa which may be announced by the Trust from time to time should satisfy the condition of holding minimum investment limit under both the schemes. The Trust shall retain the unit certificate, if any, for cancellation and the member shall be issued fresh statement of account, of both the schemes. (iv) Investment made in the scheme for the purpose of availing benefits under section 54 EA/54 EB of the Income Tax Act, 1961 shall not be permitted to be switched over before the expiry of the lock-in-period of 3 and 7 years respectively.
VIII. Income	(a) The Trust may or may not declare income distribution under	**Income Distribution** (a)Although growth is the

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplus

and Distribution	the scheme depending upon the income received under the scheme and the expenses accrued thereunder. (b) The Trust may decide to make such distribution of income as it considers necessary and transfer such sum or sums as it may deem fit out of the income not distributed to one or more reserve funds. The reserve funds which are not earmarked for application for any specific purpose shall be applied for or used only for the benefit of the unitholders. (c) Income distribution to the unitholders shall be made as soon as may be, after the closing of the annual accounts of the Scheme as on 30th June each year. (d) Such of the unitholders whose name appear in the register of unitholders as at the close of registers prior to the declaration of income distribution by the Scheme shall be entitled to receive and retain the income so distributed. (e) In case the unitholder has transferred the units prior to the declaration of income distribution and the transfer has not taken effect, the transferee shall not be entitled to the income distribution subsequently unless the transferee has lodged the transfer documents with the Registrars 30 days before the closure of the registers preceding the declaration of the income distribution. (f) The income distributed shall be paid by the Master Plus Scheme by cheque or warrant drawn on its bankers with	objective of the scheme, the scheme may make income distribution from time to time. (b)Such of the members whose names appear in the register of members as at the close of registers prior to the declaration of income distribution by the scheme shall be entitled to receive the income so distributed under the scheme. (c)The income distributed by the scheme shall be paid through ECS, wherever such facility is available or by a cheque or warrant encashable at the branches of such bank/s as the Trust may specify under pre-payment arrangements with the bank/s. (d) In case of declaration of income distribution, the Income Distribution Warrants shall be despatched within 42 days from the date of declaration of the income distribution **(e)Reinvestment of income distributed:** The member may opt for reinvestment of income if any, declared by the scheme, in further units. In the event of an exercise of such an option the whole of the income on his unitholding, after deduction of tax, if any, instead of being paid to the member in the manner provided in Clause VIII (c) hereinabove shall be reinvested in further units of the scheme at NAV and credited to his folio. A fresh statement of account will be issued pursuant to such crediting. f) **Bank particulars of investors & Electronic Clearing Service:**

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplus

	appropriate payment facilities. (g) It shall be lawful for a unitholder to receive and any income distributed declared by the Scheme in respect of units of which he is a holder notwithstanding that the units have already been transferred by him for consideration unless the transferee who claims the income from the transferor has within 15 days of the date on which his income became due, lodged the certificate and all other documents relating to the transfer. In case of declaration of dividend, the Income Distribution Warrants shall be despatched within 42 days from the date of declaration of the dividend. (h) Income Distribution to the unit holders holding units in depository mode shall be made in accordance with such rules/regulations as may be formulated from time to time.	i) In order to avoid fraudulent encashment of Income Distribution Warrants/Repurchase cheques/ Maturity cheques, SEBI has made it mandatory for investors, in their own interest to give bank particulars at the appropriate place in the application form. **Applications without bank particulars will be rejected.** Accordingly, applicants residing outside the eleven cities given at item (ii) below are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature of account, account number and name of bank) at the appropriate space in the application form as well as on the acknowledgement receipt portion for record. Income Distribution Warrants/repurchase cheques will then be made out in the name of the member with the bank particulars for crediting the member's account so specified and sent to them. ii) Currently ECS facility is being made available to investors from Mumbai/Calcutta/ Chennai/New Delhi/ Ahmedabad/ Baroda/ Pune/ Bhubaneshwar/ Bangalore/ Hyderabad/ Jaipur (number of centres may be added/deleted prospectively) for direct credit to their bank accounts at the respective centres and where the amount of single instrument does not exceed Rs.5,00,000/-. The investor will be given a statement giving details of credit to his bank account. iii) The bank branch of the investor will credit his account and indicate the credit entry with "ECS" in the passbook/statement of bank account. The applicant is requested to fill up the particulars of name

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplus

		and address of his bank, nature and number of account, 9 digit Bank and branch MICR code no. etc. in the application form. iv) In case the number of investors from aforesaid cities are not sufficient enough or for any other reasons, the Trust may pay the income by issue of income warrants carrying Bank Account details instead of paying income through "ECS". **g) Income Distribution to NRI/OCBs investors** Income distribution to NRI/OCBs investors shall be made as per the Exchange Control Regulations. The present position regarding payment of income is as follows: i) The warrant can be issued in the name of the member and sent to a relative who is resident in India for crediting the NRE/NRO account of the member, as the case may be. OR ii)The warrant can be issued in the name of a relative who is resident in India and sent to him for being credited to his account. h) ECS facility is also available to NRI investors who have their own bank accounts in Mumbai. For those NRI investors who wish to credit the income distribution to their resident relative's account, ECS facility could be extended to them at places as indicated in sub clause VIII(f) (ii). i) In case of FIIs, income distribution will be credited to the Special Non-Resident Rupee Account or as per

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplus

		instructions issued by SEBI/RBI from time to time.
Investment Objectives IX (1)	**The following shall be deleted from 'Investment Objectives' and the latest provisions on the same shall be included suitably under 'Investment Policies'** Trading in derivatives as and when it is permitted and as per the guidelines proposed to be issued by SEBI in this regard. Subject to authorisation from SEBI and the Government of India. UTI, in appropriate circumstances. may use techniques and instruments, such as futures and options and other derivatives subject to applicable regulations and counter-party risk assessment. as and when they become permissible in the Indian market. for the purposes of achieving the investment policy, heading or minimising the risk. In addition. subject to applicable regulations and counter-party risk assessment. the scheme may borrow or lend stock. *Stock lending*:- The Scheme may, from time to time. give on loan securities in which it has invested, for a temporary period as per securities lending scheme of SEBI. *Overseas Investment*:- The scheme may invest in securities issued by overseas/foreign companies and listed abroad or securities issued by Indian corporates to foreign/overseas investors and listed on foreign stock exchange directly by subscribing to such issues or purchasing on foreign stock exchanges as per SEBI guidelines issued from time to time.	**Investment Policies** Subject to requisite authorisations. the Trust. in appropriate circumstances. may use techniques and instruments. such as futures and options and other derivatives subject to applicable regulations and counter-party risk assessment. as prescribed by SEBI from time to time. for the purposes of achieving the investment policy of the scheme or hedging or minimising the risk. (iv)(a)The scheme will participate in the stock lending programme. In accordance with the terms of securities lending scheme announced by SEBI. The activity shall be carried out through approved intermediary. (b)The maximum exposure at any point of time of the scheme towards stock lending would be 10% of the market value of the equity portfolio of the scheme or such limit as may be specified by SEBI. (c) If mutual funds and the Trust are permitted to borrow stocks the scheme may in appropriate circumstances borrow stocks in accordance with SEBI guidelines in that regard. (d) The scheme may invest in securities issued by overseas/ foreign companies and listed abroad or securities issued by Indian corporates to foreign/ overseas investors and listed on foreign stock exchange directly by subscribing to such issues or purchasing them on foreign stock

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplus

		exchanges in accordance with the SEBI / RBI guidelines in that regard from time to time.
Fundamental Attributes last paragraph of IX 2	Any change in the fundamental attributes of the scheme will be carried out only with the consent of not less than three-fourths of the unitholders. Further in the event of change in the fundamental attributes, those who do not give their consent will be allowed to redeem their holdings in the scheme. The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and any amendment/ addition thereof will be notified in the official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.	Any change in the fundamental attributes of the scheme will be carried out only if: (i) the existing members are intimated by individual communication and (ii) an advertisement is given in English daily newspaper having circulation all over India and also in a Marathi newspaper. (iii) the members are given an option to exit at prevailing NAV without any exit load. The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and any amendment/ addition thereof will be notified in the Official Gazette as required in terms of Unit Trust of India Act, 1963. Any change/ amendment/ modification of the fundamental attributes of the scheme will be made with the prior approval of the SEBI. In respect of other changes/amendments/modifications not being of fundamental nature and not affecting the interest of the investor adversely, SEBI will be kept informed.
Investment policies IX (3) (vii)	No provision exists	The scheme shall invest not more than 10% of its NAV in the equity shares or equity related instruments of any company.
Valuation of assets pertaining to this scheme XII (2)	The existing provisions have been replaced by the provisions given under item 2 of Annexure III.	Refer to item 2 of Annexure III
Accounting Policies XIII.	The existing provisions have been replaced by the provisions given under item 3 of Annexure III	Refer to item 3 of Annexure III

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplus

Tax Treatment of investments XIV	The existing provisions have been replaced by the provisions given under item 4 of Annexure III	Refer to item 4 of Annexure III
Investors' Rights and Services XV	No provision exists	**7th Item.** Any change in the fundamental attributes of the scheme will be carried out if the investors are allowed to exit at NAV besides being intimated by individual communication The existing items 7 & 8 shall be renumbered as 8 & 9.
Constitution & Management of Unit Trust of India XVI.	Data updated as per items 5 & 6 of Annexure III.	Refer to items 5 & 6 of Annexure III
Other service providers for the scheme XVII.	Data on Custodians and Auditors updated as per items 7 & 8 respectively of Annexure III.	Refer to items 7 & 8 of Annexure III
Investors' Grievance Redressal XVIII	Data updated as per item 9 of Annexure III.	Refer to item 9 of Annexure III
Penalties, Pending litigations, Material Findings of Inspections/ Investigations XIX (2)	2. There are no pending material litigation proceedings incidental to the business of the Unit Trust of India including the Board of Trustees or any of the trustees or key personnel.	2. There are no pending material litigation proceedings incidental to the business of the Unit Trust of India including the Board of Trustees or any of the trustees or key personnel. There are no pending criminal cases against the Unit Trust of India, Board of Trustees or any of the Trustees or key personnel. 3. Neither SEBI nor any other Regulatory Agency has specifically advised that any deficiency in the systems and operations of the Unit Trust of India be disclosed in the offer document. Existing item 3 renumbered as 4.
Other data	Condensed financial Information, Performance of the Fund verses BSE sensex and Portfolio wise disclosure has been updated.	

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplus

ANNEXURE II

MASTERSHARE PLUS- PROVISIONS TO BE DELETED

Clause No.	Existing provisions	Remarks
Highlights seventh item	Listing on major Stock Exchanges.	Deleted as units will not be listed.
Definitions II (e)	"Application" means the form of application prescribed for offer of units for all applicants and containing the terms and conditions for the purpose of units subscription to the scheme for the investing public.	Deleted.
Definitions II (f)	"Allotment" means allotment of units against a valid application in a manner determined by the Trust for the purpose. "Date of allotment" shall be the acceptance date.	Deleted.
Definitions II (k)	"Mastershare plus" means units as hereinafter defined and the share or unit in the capital of 'Mastershare Plus Unit Scheme' or 'Master Plus' as hereinafter defined.	Deleted as the name Masterplus is already defined under item 2 (l).
Units & Offer IV (5) (I)	(i) A company or other body corporate alongwith another company or body corporate or an individual or individuals, none of whom is a minor.	Deleted as such holding permitted only on transfer.
'Sale of units' second and third para of VI (2) (i)	Provided, however, that the applicant who applies from a place other than where the Trust has its branch office/collection centre/ franchise office may do so by sending the application to the branch office of the Trust along with the bank draft after deducting therefrom charges payable for bank draft as per guidelines of Indian Banks Association. The collection centres/franchise offices are authorised to accept applications alongwith cheque payable locally or demand draft payable at places where the concerned branch of UTI is situated in which case the applicant may deduct charges as per the guidelines of Indian Banks Association, e.g. If the application amount is Rs.10,000/- the bank draft charges for this amount is Rs.20/-. Thus the draft can be prepared for Rs.9,980/-(i.e. Rs.10,000 less Rs.20/-). The draft commission	Deleted as draft charges will be borne by investor.

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplus

	charges will form a part of the expenses of the scheme. However, in case of applications received along with local bank draft where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office bank draft commission will have to be borne by the investor.	
'Sale of units' the last sentence of clause VI (2) (ii)	If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for, the applicant shall be issued such lower number of units in multiples of 100 units (subject to minimum of 500 units) as could be issued under the scheme, the balance due to him shall be refunded at his cost in such manner as the Trust may deem fit.	Deleted as units will be allotted upto three decimal places.
'Sale of units' Third last sentence of clause VI (4)	If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for, the applicant shall be issued such lower number of units in multiples of 100 units (subject to minimum of 500 units) as could be issued under the scheme, the balance due to him shall be refunded at his cost in such manner as the Trust may deem fit.	Deleted as units will be allotted upto three decimal places.
'Repurchase of units' clause VII (5)		Deleted as units will not be listed
Investment objectives, Policies & Stock Lending IX (5)	However, notwithstanding anything contained in respect of clauses IX(3), XII (1) and XII (2) on investment policies, computation of NAV, valuation of assets, repurchase price and their frequency of disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/ Guidelines/ Directives issued by SEBI from time to time.	The item has been deleted. The modified item included under 'Valuation of assets pertaining to this scheme in Annexure I.
'Associate Transactions and Borrowings' XI (1)	The scheme may invest in another Scheme/Plan of the Trust or any other mutual fund without charging any fees, provided that aggregate interscheme investment made by all schemes of the Trust or in schemes under the management of any other asset management	Deleted as one UTI scheme cannot invest in another UTI scheme.
	company shall not exceed 5% of the net asset value of the Trust	

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplus

ANNEXURE III

MASTERSHARE PLUS

SR. NO.	INSERTIONS AS REQUIRED BY 'STANDARD OFFER DOCUMENT'
1.	IX. (4) Table showing Corporate Investment in the Trust's schemes and the Trust's investments in these companies updated as per the latest data available.
2.	XII (2). **Valuation of assets pertaining to this scheme** (a) Quoted investments including those under lock-in period, if any, but except government securities are valued at the closing market rates on the valuation date and in its absence, at the latest available quote within a period of sixty days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of sixty days prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment. (b) Quoted government securities are valued at closing NSE market rates on the valuation date and in its absence the latest available quote within a period of seven days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of seven days prior to the valuation date the same are treated as unquoted government securities. (c) In case of quoted debentures and bonds, the market rate, being cum-interest, the same is adjusted for the interest element, if any. (d) Right entitlements for shares are valued at market rates, discounted for dividend element, wherever applicable. (e) Unquoted preference shares/cumulative convertible preference shares are taken at cost. (f) Unquoted equity shares are valued on fair valuation basis as determined by the Board of Trustees from time to time. (g) Unquoted debentures bonds and transferable notes are valued at yield to maturity . linked to the yield on GOI Securities (yield curve) along with a mark up approved by the Board of Trustees. (h) Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplus

	of warrants is taken as nil. (i) Unquoted Government securities, if any, are valued at yield to maturity based on the prevailing interest rates. (j) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rate relevant to equity shares, discounted for dividend element, if any. The non-convertible portion if any, of such debentures and bonds is valued as in (g) above. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is taken at cost. (k) Capital indexed bonds are valued on cost basis. (l) Valuation policies for Money Market instruments :- (i) Money Market instruments and other assets are taken at book value. (ii) The money invested in inter bank call market is taken at cost. (iii) The money invested in discount/interest earning instruments is valued at the yield at which the instrument was last traded. For this purpose the latest available quote within a period of two working days, prior to the valuation date is considered. When there are no quotes available in the last two working days, the instrument is valued at cost plus the difference between the face value and the cost, applied uniformly over the remaining maturity of the instrument. (iv) Other money market instruments, including unquoted debentures are valued at cost plus the difference between the face value and cost, applied uniformly over the remaining maturity of the instrument. **However, notwithstanding anything contained in respect of clauses IX and XII, the investment policies, determination of NAV and valuation of assets, fixation of repurchase price and frequency of disclosure of NAV, repurchase price and portfolio would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.**
3.	**Accounting Policies** **1. Income recognition** (a) Dividend Income on listed equity shares is accrued on the ex-dividend date. Dividend income on unlisted equity shares and preference shares is accounted on receipt basis.

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplu.

	(b) Interest on investments and commitment charges is accounted for on accrual basis. (c) Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost. (d) Profit or loss and premium on redemption of debenture/bonds are recognised on the due date. (e) Underwriting commission is recognised as revenue on receipt basis when there is no devolvement. In case of devolvement, the full underwriting commission is reduced from the cost of such investments. (f) Front-end fee on investments in shares and debentures is reduced from the cost of such investments. (g) The difference between purchase price and the maturity value in respect of zero coupon bonds, deep discount bonds and other long term discounted instruments is treated as income over the remaining life of the instrument on YTM basis. (h) Other income is accounted for on receipt basis. **2. Expenses** **a.** Expenses are accounted for on accrual basis. **b.** Certain common expenses incurred through Unit Scheme 1964, are allocated to the other schemes as per the provisions of Sec 25 (4) of UTI Act 1963. **c.** Unit Scheme 1964 which owns the fixed assets, recovers lease rent, on an approved basis, from other schemes for their usage of the said assets. **3. Investments** a. Investments are stated at cost or written down cost. b. In case of secondary market transactions investments are recognised on trade dates. c. Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment. d. Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex-right dates.

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplus

e. Investment viz., debenture and bonds, are transferred to current assets on the redemption / due date.

f. The cost of investments include brokerage and service tax but does not include cost of stamps which is charged to revenue.

4. Provisions and Depreciation:

(A) Provisions against the income considered doubtful:
Provision is made in respect of interest income remaining past due for two quarters or more. Provision is made in respect of dividend at the year end, where it remains outstanding for more than one year from the ex- dividend date.

(B) Depreciation in the value of investments
(i) The aggregate value of investments as computed in accordance with clause XIII(2) above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to General Reserve / Unit Premium Reserve. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year, the appreciation is added to Unit Premium Reserve/ General Reserve to the extent depreciation was previously adjusted.

(ii) In cases where unquoted equity or preference shares were written off in the earlier years, the cost of such investment is written back to its cost, as and when a quote or fair value is available.

(iii). Assets where interest is remaining past due for two quarters or more are classified as non performing assets. Provision for such assets is made individually (as stated in the table below). Such provisions are not made for other performing assets of the same company.

Period for which asset Remains non-performing	Percentage of Provision	
	Secured Asset	Unsecured Asset
Upto two years	10%	10%
Exceeding two years But upto three years	20%	100%

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplus

	Exceeding three years But upto five years 30% 100% Exceeding five years 50% 100% -- (iv) Where principal repayment remains outstanding (i) for two quarters beyond the past due period in respect of the debt instruments with a balance maturity of not more than 3 years and (ii) for one year beyond the past due period in respect of debt instruments with a balance maturity of more than 3 years, provisions are made for such outstanding instalments. The overall provision for such assets is limited to the percentage mentioned in the above table (upto 50% for secured and 100% for unsecured assets) or the amount in default whichever is higher. Any subsequent instalments in such cases where the original default continues, are provided after 30 days from the respective due dates. (v) In case of funding of interest by way of capitalisation of outstanding interest dues, the same is provided irrespective of the period of default. (vi) Provisions for non performing assets are charged to Unit Premium Reserve/General Reserve/ Revenue Account as the case may be. (vii) Provisions made under paragraph 4(A) and 4(B) (iv) are written back on receipt or on restructuring of the assets. Provisions under 4(B) (v) are written back on receipt basis. **5. Income Distribution :** (a) Provision for income distribution is made on unit capital at rates approved by the Board of Trustees from time to time. **6. Publication of Financial Results:** The unaudited financial results as on 31st December will be published within 2 months and audited annual results as on 30th June will be published within six months of finalisation of accounts in one English daily and one Marathi daily.
4.	**XV. Tax Treatment of Investments**

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplu

	1. **Residents/NRIs/OCBs** i) Taxation of income, if any, and capital appreciation, if realised, under the scheme will be subject to prevalent tax laws. ii) Currently income, if any, received by all categories of investors under all schemes/plans of the Trust is totally free from tax under section 10(33) of the Income Tax Act, 1961. The scheme is required to pay an income distribution tax at the rate of 10% and surcharge of 10% thereon under Section 115R of Income Tax Act, 1961 on the amount of income, if any, distributed by it. However, being open ended equity oriented fund, the scheme will not be subject to the said tax under the said section upto 31st March, 2002, provided more than 50% of the total proceeds of the scheme are invested in equity shares of domestic companies. iii) Currently, any long term capital gains arising out of investment in the scheme by residents and NRIs out of rupee originated or NRO funds will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961. At present the investor is required to pay tax @ 20% on long term capital gains after factoring the benefit of the Cost Inflation Index. However, the capital gains accruing to investments made through NRE accounts are not taxable. iv) Value of investment in units under the scheme is completely exempt from Wealth Tax. v) The Gift Tax Act, 1958 has abolished the levy of Gift Tax in respect of gifts made on or after 1st October 1998. Thus, gift of units of the scheme are fully exempt from levy of Gift Tax. **2) Eligibility for Capital Gains Tax Exemption under Section 54EA** Investment of entire or part of net consideration arising out of transfer of long term capital assets in Mastershare Plus Unit Scheme will be eligible for capital gains tax exemption under Section 54EA of the Income Tax Act, 1961 subject to repurchase of units only after three years from the date of acceptance of the application. **3) Eligibility for Capital Gains Tax Exemption under Section 54EB** Investment of entire or part of capital gains arising from transfer of long term capital assets in the Mastershare Plus Unit Scheme will be eligible for capital gains tax exemption under section 54 EB of

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplus

	the Income Tax Act. 1961 subject to repurchase of units only after seven years form the date of acceptance of application. **4) For Eligible Trusts** Units are approved securities under section 11(2)(b) of the Income Tax Act 1961. Eligible Trusts investing in units will therefore. qualify for tax exemption in respect of income and corpus under sections 11 and 13 of the Income Tax Act. 1961.
5.	**Constitution & Management of Unit Trust Of India** **Constitution of UTI** Unit Trust of India was set up as a statutory body under Unit Trust of India Act. 1963. with a view to encouraging saving and investment and participation in the income. profits and gains accruing to the Trust from the acquisition. holding. management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July. 1964. **Management of UTI** The Management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India. Besides the Board. there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board. **Board of Trustees *** 1. Shri P S Subramanyam — Chairman. Unit Trust of India 2. Shri G P Muniappan — Executive Director. RBI 3. Shri G P Gupta — Chairman & Managing Director. IDBI 4. Shri N.S. Sekhsaria — Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd. 5. Shri Rajendra P Chitale — Chartered Accountant 6. Dr. Vishvanath V Desai — Economist 7. Shri G Krishnamurthy — Chairman. L.I.C. 8. Shri G G Vaidya — Chairman. S.B.I. 9. Shri K C Chowdhary — Chairman & Managing Director. Central Bank Of India *** The other current directorships of the Trustees are as follows:** **1. Shri P S Subramanyam** (i) Chairman & Director - The India Fund. (ii) Chairman & Director -India Growth Fund. (iii) Chairman & Director - India Access Ltd. (iv) Chairman & Director - The India Public Sector Fund Ltd. (v) Chairman of Governing Council - UTI- Institute of Capital Markets. (vi) Chairman & Director - UTI

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplu

	Investment Advisory Services Ltd. (vii) Chairman & Director - UTI Investor Services Ltd (viii) Chairman - UTI-Securities Exchange Ltd., (ix) Director- UTI Bank Ltd. (x) Chairman & Director - Over-The-Counter Exchange of India (xi) Member - Life Insurance Corporation of India. (xii) Director - Discount & Finance House of India Ltd. (xiii) Director - Securities Trading Corpn. of India Ltd.(iv) Director - National Stock Exchange of India Ltd. (xv) Trustee - Indian Institute of Software Engineering. 2. **Shri G P Gupta-** (i) Chairman- Small Industries Development Bank of India. (ii) Director- The India Fund (iii) Director- India Growth Fund. (iv) Director - Discount and Finance House of India Ltd. (v) Director- Export-Import Bank of India. (vi) Director- Securities Trading Corpn. of India Ltd., (vii) Director- Infrastructure Development Finance Co. of India Ltd., (viii) Director- Indian Airlines Ltd. (ix) Director- IDBI Bank Ltd. (x) Director- National Stock Exchange of India Ltd. (x) Member- Life Insurance Corpn. of India. (xi) Member- General Insurance Corpn. of India (xii) Director- South Asia Regional Fund. (xiii) Chairman - South Asia Development Fund. (xiv) Council Member- Indian Institute of Bankers. (xv) Member- Bankers Training College (RBI). (xvi) Member- Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (xvii) Member- Institute of Banking Personnel Selection (xviii) Member- The Institute of Company Secretaries of India 3. **Shri N S Sekhsaria** - (i) Director - Gruh Finance Ltd. (ii) Director- Radha Madhav Investments Ltd. (iii) Director - Home Trust Housing Finance Co. Ltd. (iv) Director- Ambuja Cement Foundation (v) Director Ambuja Educational Institute 4. **Shri Rajendra P Chitale** - (i) Director - Small Industries Development Bank of India. (ii) Director- National Securities Clearing Corporation Ltd (iii) Director - J M Capital Management Ltd. (iv) Director - Zurich Asset Management Company (India) Ltd. (v) Director- India Index Services and Products Ltd. (vi) Director- Association of Leasing and Financial Services Companies. (vii) Member - Executive Committee (Governing Board) of National Stock Exchange. (viii) Member - India Advisory Board of Bank of America NT & SA (ix) Member - Investment Committee. Life Insurance Corporation of India. 5. **Shri V V Desai - Advisor - ICICI Limited.** 6. **Shri G Krishnamurthy** - (i) Chairman - LIC (International) E.C. Bahrain (ii) Chairman - LIC Housing Finance Ltd. (iii) Director - General Insurance [illegible]ation of India (iv) Director- Poysha Industrial Co. (v) Chai[illegible]an, Governing Board- National Insurance Academy (vi) Director- National Housing Bank (vii) Director- UTI Bank Ltd. (viii) Director - Discount & Finance House of India (ix) Director- Kenindia Assurance Co. Ltd.,Kenya (x) Director- ICICI Ltd. (xi) Chairman- Governing Body of Insurance Council

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplus

	7.Shri G G Vaidya- (i) Chairman- SBI Capital Markets Ltd. (ii) Chairman- SBI Funds Management Ltd., (iii) Chairman - SBI Gilts Ltd., (iv) Chairman - SBI Securities Ltd., (v) Chairman - SBI Factors & Commercial Services Ltd., (vi) Chairman - SBI European Bank Ltd., (vii) Chairman - State Bank of Indore, (viii) Chairman - State Bank of Saurashtra, (ix) Chairman - State Bank of Patiala, (x) Chairman - State Bank of Bikaner & Jaipur , (xi) Chairman - State Bank of Hyderabad, (xii) Chairman - State Bank of Mysore, (xiii) Chairman - State Bank of Travancore, (xiv) Chairman - State Bank of India (California), (xv) Chairman - State Bank of India (Canada), (xvi) Vice President of the Governing Council - Indian Institute of Bankers, (xvii) Director- National Bank for Agriculture and Rural Development , (xviii) Director - Export- Import Bank of India, (xix) Director- General Insurance Corporation, (xx) Member of the Governing Board & Chairman of Finance Committee- National Institute of Bank Management , (xxi) Member of the Governing Board, Chairman of the Finance Committee & Office Premises Committee & Committee of Administrators of IBPS Employees Pro. Fund. - Institute of Banking Personnel Selection (xxii) Member- Institute for Developing & Research in Banking Technology, (xxiii) Director- Infrastructure Development Finance Corporation , (xxiv) Director- Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd. , (xxv) Director- Export Credit Guarantee Corporation, **8. Shri K C Chowdhary** - (i) Chairman - Small Group on Bank Audit, Indian Banks' Association (ii) Chairman- Banking Operations, Indian Banks' Association, (iii) Chairman - Small Group on Credit Related Matters, Indian Banks' Association (iv) Chairman - IBA Working Group for Interaction with Trade Bodies/Associations, (v) President - Indian Banks' Association, Local Chapter, (vi) Member - Managing Committee, Indian Banks' Association, (vii) Chairman - Centbank Home Finance Ltd., (viii) Chairman - Centbank Financial & Custodial Services Ltd., (ix) Director - Agricultural Finance Corpn. of India, (x) Director - Mastercard Asia/Pacific Board, (xi) Director - The New India Assurance Co. Ltd.,(xii) Member - Task Force, Indian Banks' Association.
6.	**Management of the Fund :** Name of the fund manager alongwith his qualifications and experience updated.
7.	**Custodians** The SEBI registration number of SHCIL is IN/CUS/011 Tariff structure of SHCIL is as under:

	Electronic	Physical

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Masterplus

	Dematerialisation	Rs.5 per certificate	-
	Purchase	5.5. basis points on The value of the Transaction	Rs.100 per DIP
	Sale	5.5 basis points on The value of the Transaction	Rs. 100 per DIS
	Custody	1.5 basis points on The asset value in The custody	8 basis points on the asset value in the Custody
	Off market Purchases	5.5 basis points on the value of the Transaction	-
	Off market Sales	5.5 basis points on the value of the Transaction	-
	Rematerialisation	Rs.15 per certificate Or 15 basis points of Conversion value Whichever is higher	-
8.	***Auditors*** M/s. Chaturvedi & Company, Chartered Accountants, 60, Bentik Street, Calcutta 700 069 and M/s Batliboi & Purohit, Chartered Accountants, National Insurance Building, 204, D N Road, Fort, Mumbai 400 001. The auditors of the scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.		
9.	Table giving Investors' Grievance Redressal data updated		
10.	Table giving condensed financial information updated		

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

ANNEXURE I

MASTERGAIN - PROVISIONS MODIFIED/INSERTED

Clause No.	Existing provisions	Amended provisions
Highlights 2nd item	Open to both resident and non resident adult individuals/ minors/ HUFs/ Trusts/Bodies Corporate (including banks and companies registered under the Companies Act, 1956) / Overseas Corporate Bodies (OCBs)/ FIIs.	Open to resident individuals and institutions as well as to NRIs, OCBs and FIIs.
Highlights 3rd item	Item not included	Minimum investment is Rs.5000/- with no maximum limit. For subsequent investments under the same folio the minimum investment is Rs.1000/-.
Highlights 4th item	Item not included	Face value of a unit is Rs.10/-.
Highlights 5th item	Item not included	Sale will be at NAV as at the close of the day on which the application is accepted.
Highlights 6th item	Repurchase at NAV based price.	Repurchase will be at a discount not exceeding 3% of the daily NAV of the unit. Partial repurchase permitted subject to a minimum balance of Rs.5000/- per folio.
Highlights 7th item	Item not included	Facility to reinvest the income, if any, will be available at NAV.
Highlights 8th item	Item not included	Switchover facility from the scheme to such other schemes which may be announced by the Trust from time to time or vice versa at NAV or NAV based price.
Highlights 9th item	Item not included	Currently Income Distribution, if any, by the scheme is totally tax free in the hands of investors under section 10(33) of Income Tax Act 1961. Further, being an open end equity oriented fund it will not be subject to Income Distribution tax for a period up to 31st March 2002 under section 115R of the Income Tax Act 1961.
Highlights 10th item	Item not included	Capital gains arising from capital appreciation, if any, on repurchase of units is subject to tax benefits under sections 48 & 112 of Income Tax Act, 1961. Investment eligible for availing of capital gains tax exemption under sections 54EA and 54EB of the Income Tax Act, 1961, depending upon the source of fund, subject to repurchase of units only after lock-in-period of three / seven years respectively from the date of acceptance of the application.

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

Highlights 11th item	Item not included	Value of investment in units under the scheme is completely exempt from Wealth Tax
Highlights 12th item	Item not included	The Gift Tax Act, 1958 has abolished the levy of Gift Tax in respect of gifts made on or after 1st October 1998. Thus, gift of units of the scheme are fully exempt from levy of Gift Tax.
Risk Factors 1st item	Investment in units of the scheme are subject to market risks and the NAV of the scheme may go up or down depending on the influence of market forces on the scheme's portfolio.	Mutual Funds and securities investments are subject to market risks and the NAV of the units issued under the scheme may go up or down depending on the factors and forces affecting the capital markets.
Risk Factors	No provisions exist	**4th item - Derivatives:** Trading in derivative securities like options & futures is a highly specialised activity and entails greater risk than ordinary investment. Even though the scheme intends to use the activity of trading in derivatives only for portfolio hedging purposes, the overall market in these segments could be highly speculative due to the actions of the other participants in this market. The success of trading in derivatives depends upon the ability of the fund manager in predicting the future movement of the market and if the fund manager is incorrect in their prediction the performance of the fund could diminish compared to what it would have been if this investment strategy had not been used. **5th item - Investment in overseas market:** The success of investment in overseas market depends upon the ability of the fund manager in understanding of those market conditions & analysing the information, which could be different from Indian markets. As this would involve operations in foreign markets there could be exchange rate fluctuations risk besides market risk. **6th item - Stock Lending:** It is one of the means of earning additional income for the scheme with least risk. The risk could be in the form of non-availability of ready stock for sale during the period the stocks remain lent. The scheme would be exposed to risk through stock lending activity through the possibility of default by the borrower/intermediary in returning the lent securities. However, the risk would be adequately covered by taking in of suitable collateral from the borrower by the intermediary involved in the process. The Trust will have a lien on the collateral. The Trust will also have other suitable checks and controls at various places to minimise any risk involved in the securities lending process.
Definition (3)(c)	'acceptance date' with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust after being satisfied that	(b) "Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the branch office of the Trust, after being satisfied that such application is complete in all respects, accepts the same. The acceptance date in respect of sale and repurchase applications received at the franchise office/collection centre will be the date of receipt of the

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

	such application is in order, accepts the same:	application at the office of the Registrar or the 5th working day (T+5) from the date of its receipt thereof at the franchise office or collection centre(T), whichever is earlier. The Trust may reduce the number of working days from 5 to a lower number, as may be decided.
Definition 3	No provisions exist	**(c)**"Alternate applicant" in case of minor means the parent other than the parent who has made the application on behalf of the minor.
Definition (3)(b)	'Applicant' means an applicant under the Scheme and shall include all those categories of persons more particularly described in clause 5 hereinafter mentioned.	**(ca)** "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and makes an application under Clause 5 of the scheme and who is not a minor.
Definition 3	No provisions exist	**(fa)** "Firm", "partner" and "partnership" have the meanings assigned to them in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932), but the expression partner shall also include any person who being a minor is admitted to the benefits of the partnership.
Definition 3	No provisions exist	**(fb)**"Issue" means the total number of units offered and issued under the scheme for subscription under relevant application form
Definition 3	"Unit holder" means a person who hold units for the time being including the person holding units in the depository mode."	**(ha)** "Member" used as an expression under the scheme shall mean and include the applicant who has been allotted units under the scheme on or after **26th April, 2000**. "Member" also means an "unitholder" including the persons holding units under unit certificate in depository mode and all the expressions can be read synonymously. The existing item (ha) shall be renumbered as (hb)
Definition 3	No provisions exist	**(ib)** "Person" shall include an eligible trust as defined above.
Definition 3	No provisions exist	**(ic)** "RBI" means the Reserve Bank of India established under the Reserve Bank of India Act, 1934.
Definition (3)	No provisions exists	**(id)**"Registrars" means a person whose services may be retained by the Trust to act as the Registrar under the scheme, from time to time.
Definition (3) (d)	"body corporate" inlcudes a society registered under the Societies Registration Act, 1860 or established under any State or Central Law for the time being in force, such society being hereinafter referred to as 'a society'; This expression shall include banks and companies registered under the Companies Act, 1956.	**(la)** "Society" means a society established under the Societies Registration Act of 1860 or any other society established under any State of Central law for the time being in force. Existing item (la) renumbered as (lb).

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

Definition (3)	No provisions exists	(na) "Unit Capital" means the aggregate of the face value of units sold under the scheme and outstanding for the time being. Existing item (na) renumbered as (nb)
Definition (3)	No provision exists	(nc) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.
Definition (3)(o)	all other expressions not defined herein but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them by the Act.	All other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/ Regulations.
Definition (3)(p)	No provision exists	Words importing singular shall include the plural and all reference to masculine gender shall include the feminine and vice versa.
Definition (3) (q)	No provision exists	In the scheme, after 26th April, 2000, unless the context otherwise requires, in appropriate places, the term "Member/s" shall include "Unit holder/s" and the term "Register of Unit holders" shall include "Register of Members" also.
Applications for Units (5)(1)	No provisions exist	Following inserted : iii) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a resident or a NRI minor. ix)a Financial Institution. x) any body established or controlled by or under a State or Central Act. xi) an Army / Navy / Air Force / Paramilitary Fund xii) a partnership firm. An application by a partnership firm shall be made by not more than three members of the firm and the first named person shall be recognised by the Trust for all practical purposes as the member . xiii) a Public Sector Undertaking (PSU)
Application for Units 5(4)	The minimum number of units applied for shall be 200 units and applications for further units shall be in multiples of 100 units.	Application shall be made for a minimum of Rs.5,000/- There is no maximum limit and units will be allotted up to three decimal places. For subsequent investment under the same folio the minimum investment is Rs.1,000/-. In the case of investment of Rs.50,000/- and above, by resident or NRI through NRO account the investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and I.T. Circle address if he/she is having so.
Application for Units	(b) If the payment is made by cheque or draft, the	If the payment is made by a cheque/draft, the acceptance of an application will be subject to such cheque/draft being realised.

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

5 (6) (b)	acceptance date will, subject to such cheque or draft being realised, be the date on which the cheque or draft, as the case may be, is received by the Trust or by a designated branch of an authorised bank or authorised collection centre. If payment is made by draft the acceptance date will subject to such draft being realised be the date of issue of such draft provided the application is received by the Trust or a designated branch of an authorised bank or an authorised collection centre within such time as may be deemed reasonable by the Trust. If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for and other charges payable by the applicant, he shall be issued the number of units in multiples of 100 nearest to the number applied for by him and the balance, if any, due to him shall be refunded to him at his cost in such manner as the Trust may deem fit.	NRIs should submit their applications preferably at the NRI Branch, Mumbai or at any of the Branches of the Trust along with NR(E)/NR(O) cheque or a rupee draft payable at the place where the application is submitted. Investment by FIIs should be through payment by debit to the Special Non-Resident Rupee Account maintained with a designated bank/authorised dealer, approved by RBI.
Application for Units 5 (6) (c) & (d)	(c) A unit certificate will be sent if required. The certificate if sent will be by registered post, with or without acknowledgment due to the address given by the applicant; and the Trust will not incur any liability for loss, damage,mis-delivery of the unit certificate so sent. (d) A unit certificate issued by the Trust to an eligible trust or institution or corporate body shall be made out in the name of the trust, institution or body	ci) For units sold on 26th April, 2000 and thereafter the Trust shall issue a statement of account, with an assigned folio no. not later than 6 weeks from the date of acceptance of application. **ii) Every member will receive an updated statement of account under the folio each time any additional purchase or partial repurchase or switchover or transfer of the units pursuant to clause 25(a) & 25(c) or rematerialisation of units held in depository mode is made by the member under the folio.** iii) The NRI investor may choose any one of the following modes of despatch of statement of account (a) At the applicant's Indian/foreign address OR (b) At the address of the NRI applicant's relative in India. iv) In case of FIIs, the statement of account will be sent to their global custodians or at the address furnished in the

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

	corporate.	application. v) If the member so desires, a unit certificate will be issued to him within six weeks of the receipt of request to issue the certificate in lieu of the statement of account. vi) Both unit certificate / statement of account are equally valid evidence of admission of the investor into the scheme. vii) Provisions of clauses shall apply mutatis mutandis to units covered by unit certificate and to the unit holders
Mode of payment for NRI investment with repatriation benefits **5 (6) (e)**	No provisions exists	The investments by NRIs / OCBs shall carry the right of repatriation of capital invested and income earned thereon and capital appreciation so long as the investor continues to be resident outside India. Investment in these cases can be made through one of the following modes: (a) By a draft in rupees issued in favour of the Trust by a bank/exchange house operating outside India drawn on their Indian correspondent banks. (b) By a cheque drawn on the investor's NRE account maintained with a bank in India. (c) By a cheque/draft issued from the proceeds of FCNR deposits of the investor. **Note:** Payment in Nepalese and Bhutanese currencies are not accepted.
Mode of payment for NRI investment without repatriation benefits **5 (6) (f)**	No provisions exists	Where funds held in NRO accounts are utilised for purchase of units, the funds so invested and capital appreciation (if any), will not qualify for repatriation out of India. Similarly, investments in units purchased in rupees while the investor was a resident of India and becomes non-resident subsequently will not qualify for repatriation of sale proceeds of units. As per RBI circular A.D.(M.A. Series) No. 18 dated August 19, 1994 the entire income distribution earned thereon during the financial year 1996-97 and onwards will qualify for full repatriation. In such cases the Trust will make payment in Rupees for credit to NRO A/C. Investors are advised to contact their banks/tax consultants if they desire remittance abroad of the income distribution on units.
Application by and registration of Bodies Corporate Societies .... **7 (4)**	No provision exists	A firm shall be registered as a member and the statement of account shall be made in the name of the firm.
Limitation	The following expenses will	Recurring expenses: The following expenses will be charged

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

on expenses 7A	be charged to the scheme on a recurring basis which shall not exceed 3% of the average daily Net Asset Value during any accounting year. Estimated recurring expenses are as under: **Expenses** **%** AdministrativeExpenses 1.00 Commissionpayment 1.25 CustodialFees 0.25 DevpmentReserveFund 0.10 StaffWelfareFund 0.10 RegistrarsFees 0.30 **Total** **3.00** The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However, the total expenses would be within the limit of 3% of the daily average net asset value during any accounting year, in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993. Further, administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Fund will not exceed 1.25% of the daily average NAV of the Scheme during the accounting year. The fees expenses and accounting policies will be subject to change, depending on the Regulations/ Guidelines issued by SEBI.	to the scheme on a recurring basis. Estimated annual recurring expenses are as under: **Expenses** **As % of average daily NAV** Administrative Expenses 0.95 Custodial Fees 0.20 Contribution to DRF 0.25 Staff Welfare Fund 0.10 Registrars Fees 0.50 Marketing & Sales Promotion 0.50 **Total** **2.50** The above are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. The total annual recurring expenses of the scheme including administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and Staff Welfare Fund shall be subject to the following limits: (a) On the first Rs.100 crores of the average daily net assets - 2.50% (b) On the next Rs.300 crores of the average daily net assets - 2.25% (c) On the next Rs.300 crores of the average daily net assets - 2.00% (d) On the balance of the assets - 1.75% Administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Fund will not exceed the limits specified under clause 2 of regulation 52 of SEBI (MFs) Regulations, 1996, namely: (a) One and quarter of one percent of the daily average net assets outstanding in each accounting year for the scheme as long as the net assets do not exceed Rs.100 crores, and (b) One percent of the excess amount over Rs.100 crores, where net assets so calculated exceed Rs. 100 crores. While the Trust does not charge any investment management and advisory fees as provided in the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 it will ensure that the annual recurring expenses shall remain within the limits specified under regulation 52 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.
Sale of Units 8	The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust or its agent, as the case may be, shall, as soon	In respect of all applications for sale / repurchase received and accepted at the branch offices of the Trust or received at Registrar's office [please see 3 (c)] by 2 p.m. on a particular day the applicable NAV will be that of the same day. All applications received and accepted after 2 p.m. will be governed by the NAV of the next working day. Non-individual applications along with required documents

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

	thereafter as possible, send the applicant an acknowledgment therefor. Within six weeks from the date of acceptance of the application, the Trust shall issue to the applicant certificates in marketable lot of 100 units up to a maximum of 20 certificates and for investment beyond this one consolidated certificate representing the balance units sold to him. This consolidated certificate will be split once free of cost on request from the unit holder. However, on request in writing from the unit holder the Trust shall at its discretion and on compliance with requisite operational and procedural formalities consolidate the certificates so issued in marketable lots into denomination of 10,000 units each. The balance units shall be issued in lots of 100 units each. The unit certificates issued in denominations of 10,000 units shall be split once in multiples of 100 units, free of cost, on request from a unit holder. For the purposes of repurchase / transfer / transmission / buy back of the units comprised in the Jumbo Certificate the Trust / Unit holder shall comply with such procedural/operational formalities as may be required. No unit certificate will be sent if units are held in depository mode.	will be accepted only at the offices of the Trust. The Trust shall send the statement of account not later than 6 weeks from the date of acceptance of application.
Switch Over Option	Notwithstanding anything contained in the provisions hereof, the Trust may at its	**Switchover** i. Members under the scheme will be permitted to switchover their investment from the scheme to such other schemes, or

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

8A	discretion at any time during the currency of the Scheme/on termination of the Scheme permit the unit holders of this Scheme to switch over to another Scheme/Plan launched or in operation at that time at such price(s), in such form and manner and subject to such terms and conditions as may be decided and announced by the Trust.	vice versa which may be allowed by the Trust from time to time. In such a case they may apply for the switchover by submitting their request in the prescribed Composite Services Form (CSF) / duly signed unit certificate, if any. ii. The switchover will be effected at NAV or NAV based price as may be decided by the Trust. iii. Partial switchover from the scheme to such other schemes or vice versa which may be announced by the Trust from time to time should satisfy the condition of holding minimum investment limit under both the schemes. The Trust shall retain the unit certificate.if any, for cancellation and the member shall be issued fresh statement of account of both the schemes. iv. Investment made in the scheme for the purpose of availing benefits under section 54 EA/54 of the Income Tax Act, 1961 shall not be permitted to be switched over before the expiry of the lock-in-period of 3 and 7 years respectively.
Computation and disclosure of Net Asset Value (NAV) last two sentences of 9	The NAV (on historic basis) shall be issued to the press for publication daily. Notwithstanding anything contained in these provisions, the valuation of assets, computation of NAV, repurchase price and their frequency of disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/ Guidelines/ Directives issued by SEBI from time to time.	The NAV shall be issued to the press for publication on a daily basis. The sentence has been amended and included under item 9 of annexure III under the heading 'Valuation of Assets pertaining to this scheme .
Trading of Units: **10**	(a) The units are listed on the Stock Exchanges at Mumbai, New Delhi, Calcutta, Madras, Bangalore, Ahmedabad, Hyderabad, Kanpur and Jaipur. The Trust will announce the net asset value daily and intimate the value to all the Stock Exchanges for the purpose of being quoted. (b) A unit holder desirous of liquidating his holdings may trade the units through any of the said Stock Exchanges. (c) The Trust will not either directly or in any manner	The following paragraph is inserted at the end of the clause The units of the scheme issued prior to the date**26th April, 2000** remaining outstanding are listed on major stock exchanges. Units being issued/sold on or after **26th April, 2000** will not be listed in any stock exchange.

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

	indicate the price or prices at which the units could be bought or sold through the market. However, the last prices at which units were bought or sold at the Stock Exchanges in a trading will be published in leading daily newspapers. The Trust, however, retains the right to delist the units from the stock exchanges if in the interest of the unit holders or the Trust it is deemed necessary to do so. (d) The buyer of units through the market either by himself or through a recognised broker should submit the transfer deed and the relative unit certificates to the Registrars of the Trust for giving effect to the transfer if found in order. (e) No application for transfer will be accepted by any offices of the Trust and the Trust will not deal with the unit holders for any purpose. (f) The buying or selling of units through the market at whatever price shall be at the risk of a unit holder or a prospective unit holder. However, for the purpose of determining the stamp duty to any payable on transfer of units the average of the high and low prices that ruled on the date prior to the date of transfer shall be basis for the charge. (g) In case of transfer of units by a holder of units in a depository mode to another person or vice-versa, the transfer will be effected in accordance with such rules/ regulations as may be in force governing	

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

	transfer of securities in a depository mode.	
Buy back of units **10 (A)**	Notwithstanding anything to the contrary in the provisions of the Scheme: (a) The Trust may buy back units under the Scheme from the market at the ruling price whenever such units are quoted at 10% or more below its NAV. (b) The Trust may buy back up to 25% of the unit capital issued under the Scheme in any one financial year as an overall limit. The units which are bought back will be redeemed. Explanation (i) "Market" means any of the recognised Stock Exchanges on which the units under the Scheme are listed. (ii) "Ruling Price" means the market price of units on the recognised Stock Exchanges ruling at the time units are bought back by the Trust.	Notwithstanding anything to the contrary in the provisions of the Scheme so long as any part of the unit capital remains listed on any stock exchange : (a) The Trust may buy back such units from the market at the ruling price whenever such units are quoted at 10% or more below its NAV. (b) The Trust may buy back up to 25% of such unit capital issued under the Scheme in any one financial year as an overall limit. The units which are bought back will be extinguished. *Explanation* (i) "Market" means any of the recognised Stock Exchanges on which the units under the Scheme are listed. (ii) "Ruling Price" means the market price of units on the recognised Stock Exchanges ruling at the time units are bought back by the Trust.
Repurchase of Units **11**	(a) The Unit holder shall be under no obligation to offer his units for repurchase and will be free to hold them as long as he desires during the currency of the Scheme. (b) Repurchases will be effected on receipt of the unit certificate with the form on the reverse duly filled in for repurchase of all the units comprised in the certificate on the date of repurchase. The Unit Trust shall also repurchase all the units indicated in the certificate on receipt of a request for repurchase from the unit holder(s) in the prescribed form signed by	1. Repurchases will be open throughout the year except during the book closure not exceeding 45 days in a year. 2. The repurchase price of the unit of Mastergain, shall be arrived at by deducting from the unit NAV a sum not exceeding 3% of the NAV to meet brokerage, commission, taxes and other administrative charges, expenses as also impact costs in relation to realisation of the investments. 3. Switchover/Repurchase will be effected on receipt of the CSF / unit certificate duly discharged. Partial repurchase shall be permitted subject to the member maintaining a minimum balance of Rs.5000 per folio to be computed at the repurchase price applicable as on the date of acceptance of repurchase application. The contract for repurchase shall be deemed to have been

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

all the unit holder(s). The unit certificate and form if any, shall be retained by the Unit Trust for cancellation.	concluded on the acceptance date for repurchase.
(c) The contract for repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date.	4. In the event of partial repurchase, depending on the number of units retained by him, the member shall be issued a fresh statement of account. No interest shall be payable on the re-purchase proceeds.
(d) Payment for units repurchased by the Unit Trust shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in the application. No interest shall, on any account be payable on the amount due to the applicant, and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Unit Trust shall be borne by the applicant.	5. In the event of the death of the member/s and on surrender to the Trust by the legal representative of the statement of account, the request letter for repurchase of units outstanding to the deceased member, the Trust shall on compliance with the requirements laid down in connection with the recognition of claim, repurchase the units in accordance with such rules and guidelines as may be formulated by the Trust and pay the outstanding amount upto the date of settlement of the claim. The legal representative of the member may instead c receiving the repurchase value of all units to the credit of deceased shall be permitted to hold the units as a member and continue to remain registered as a member and shall be issued a statement of account in his/her name in respect of units so desired to be held subject to the conditions regarding minimum holding and eligibility of investment.
e) A holder of units in the depository mode desiring to have the units repurchased shall follow such rules/guidelines/ procedures as may be formulated from time to time.	7. Payment for units repurchased by the Trust after the deductions, if any, shall be made within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the repurchase request slip at the centre where the repurchase requests are processed.
	No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.
	8. In case of non-resident investors, repurchase proceeds will be remitted depending upon the source of investment as given below:-
	a) Where units have been purchased out of remittance in foreign exchange from abroad or from the proceeds of the member's FCNR deposits or from funds held in member's Non-Resident External (NRE) Account with a bank in India, the proceeds can be remitted to the member in foreign currency or credited to NRE or Non-Resident Ordinary (NRO) account or paid to his relative in India.
	b) Where units have been purchased while the applicant was resident in India or out of funds held in members NRO

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING.

Mastergain

		Account, the repurchase proceeds will be sent either to the investors bankers in India for credit to his NRO account or to a relative of the investor in India. 9. In case of FIIs, repurchase proceeds will be credited to the Special Non-Resident Rupee Account or as per instructions issued by SEBI/RBI from time to time.
Right of Trust to Accept or Reject Application 13	The Trust shall have the right at its sole discretion to accept or reject applications for issue of units under the Scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a persons to make an application under the Scheme shall be final.	The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or to reject an application for issue of units under the scheme. The Trust shall reject an application for issue of units in the following circumstances: (i) the application is received with less than the minimum investment of Rs. 5000/- and Rs.1000/- in respect of initial investment and subsequent investment per folio thereafter respectively. (ii) the application has not been signed by the first applicant (iii) the applicant is not eligible to invest in the scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the scheme shall be final. **iv) In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection.** **Any application without the first applicant's bank particulars will be liable to be rejected.** Refund in such rejected cases will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities without incurring any liability, whatsoever, for interest or other sum.
Applicant to comply with requirements under the scheme before being issued units 14	Persons applying for units under the Scheme shall be bound to satisfy the Trust about their eligibility to make an application under the Scheme and to comply with all the requirements of the Trust. A person who holds units under a false declaration shall be liable to have the unit certificate cancelled and his name shall be deleted from the register of unit holders. The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par. The amount shall not carry any rate of interest irrespective of the period it takes the Trust to repurchase and remit the repurchase proceeds to the	a)Persons applying for units under the scheme on behalf of a minor person shall satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements as laid down by the Trust such as submission of the Birth Certificate in case of minor. b) An adult, being a parent, step-parent or other lawful guardian of a minor may hold units and deal with them in accordance with and to the extent provided, in sub-section (2A) of Section 21 of the Act. Such adult if so required shall furnish to the Trust, in such manner as may be specified, proof of the age of the minor and his capacity to hold and deal with units on behalf of the minor. The Trust shall be entitled to act on the statements made by such adult on the application form without any further proof. c) Applications for units on behalf of bodies like Partnership Firms/Co-operative Societies/Bodies Corporate/Companies shall be accompanied by certified copy of Partnership Deed/Bye-Laws of the Society/Statute governing the Body Corporate/Memorandum and Articles of Association of the Company together with Resolution of the governing Body authorising investment in the scheme. At the time of repurchase of the units, resolution of the governing body

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

	applicant. Provided in such an event, in respect of holder of units in depository mode, the Trust shall follow such rules/guidelines/ procedures as may be formulated from time to time.	authorising repurchase and authorisation of the concerned official(s) of the Body to comply with the formalities and collect the repurchase cheque will have to be submitted. d) Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the unitholding cancelled and the name deleted from the register of members. e) In aforesaid cases, the Trust shall have the right to repurchase the units at par or NAV whichever is lower after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution, if any, wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance. The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.
Sale and Repurchase Price 15 (1)	The price at which a unit will be sold by the Unit Trust (hereinafter referred to as "the sale price"), and the price at which a unit will be repurchased by the Unit Trust (hereinafter referred to as the "repurchase price") shall be declared on a daily basis. The sale price will be the NAV (historic). Repurchase price will be at a discount of 5% to the NAV(historic).	The sale price of units will be at NAV as at the close of th day on which the application is accepted. The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. The repurchase price of the unit of Mastergain, shall be arrived at by deducting from the unit NAV a sum not exceeding 3% of the NAV to meet brokerage, commission, taxes and other administrative charges, expenses as also impact costs in relation to realisation of the investments.
Valuation of Assets pertaining to this Scheme 17	The existing provisions shall be replaced by the provisions given under item 9 of annexure III.	Refer to item 9 of annexure III.
Trust not to be recognised regarding units 20	The person who is registered as the holder and in whose name a Unit Certificate has been issued shall be the only person to be recognised by the Trust as the unit holder and as having any right, title or interest in or to such Unit Certificate and the units which it represents, and the Trust may recognise such unit holder as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take notice	The following is inserted at the end of the clause. The above provisions shall apply mutatis mutandis to units covered by 'Statement of Account' and 'Members'.

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

	of the execution of any trust or, save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any trust or equity or other interest affecting the title to any Unit Certificate or the units thereby represented.	
Exchange of unit certificates and procedure when certificate is mutilated, defaced, lost etc. 21	(1) Subject to the provisions of this Scheme, every unit holder shall be entitled to exchange any or all of his Unit Certificates for one or more Unit Certificates of such denominations in multiples of 100 units as he may require, representing the same aggregate number of units. While applying for such exchange, the unit holder shall surrender to the Trust the Unit Certificate or Certificates to be exchanged and shall pay to the Trust all moneys (if any, payable, thereunder) in respect of the issue of the new Unit Certificate or Certificates. (2) (a)In case any Unit Certificate is mutilated or defaced, the Trust in its discretion may issue to the person entitled a new Unit Certificate representing the same aggregate number of units as the mutilated or defaced Unit Certificate represents. In case any Unit Certificate should be lost, stolen or destroyed, the Trust may, in its discretion issue to the person entitled a new Unit Certificate in lieu thereof. No such new Unit Certificate shall be issued unless the applicant shall previously have i) furnished to the Trust evidence satisfactory to it of	The following is inserted at the end of clause under the heading 'Exchange of Statement of Account and Procedure when the Statement of Account is Mutilated, Defaced, Lost Etc.' In such cases a statement of account will be issued based on a simple request.

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

	the mutilation, defacement, loss, theft or destruction of the original Unit Certificate: ii) paid all expenses in connection with the investigation of the facts; iii) (in case of mutilation or defacement) produced and surrendered to the Trust the mutilated or defaced Unit Certificate; and iv) furnished to the Trust such indemnity as it may require. (b) The Trust shall not incur any liability for issuing such Certificate in good faith under the provisions of this clause. (3) Before issuing any Certificate under the provisions of this clause, the Trust may require the applicant for the Unit Certificate to pay a fee of Rupee one per Unit Certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover stamp duty, if any, or other charges or taxes including postal registration charges that may be payable in connection with the issue and despatch of such Certificate.	
Register of Members **21A**	No provision exists	The following provisions shall apply as regards registration of members : (1) A register of the members shall be kept by the Trust at its offices and there shall be entered in the register - (a) the follo number and the number of units standing to the credit of the member; (b) Name and address of the member; (c) Name(s) of second & third holder; (d) Nature of holding; (e) Name of the nominee / beneficiary; (f) Date of admission to membership;

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

		(2) The restrictions stipulated in Clause 21 applicable to unit certificate(s) and unit holder(s) shall apply *mutatis mutandis* to statement of account and units applied for / standing to the credit of a member.
Nomination by unit holders **24**	1) Unit holders holding units singly or two unit holders holding jointly may exercise the right to make or cancel a nomination in favour of not more than 2 persons subject to the regulations made in this regard. (2) Unit holders being either parent or lawful guardian on behalf of a minor and an eligible institution, societies, shall have no right to make any nomination.	**8. Nomination by member/s** i. Nomination facility is available only for individuals applying on their own behalf i.e singly or jointly up to two. ii. Only one person can be nominated. iii. Minors including a NRI minor can be nominated. iv. Nomination of NRIs is subject to requirements of the RBI prescribed from time to time. v. Nomination can be changed at any time during the currency of the investment. vi. Applicant being either parent or lawful guardian on behalf of a minor, an eligible trust, societies, bodies corporate, HUF and partnership shall have no right to make nomination. vii. Other provisions will be to the extent provided in the regulations. **viii.** The facility of the statutory nomination is available to a member under Section 39A of the Unit Trust of India Act, 1963. Accordingly, where a nomination in respect of any unit has been made in accordance with the UTI General Regulations, 1964, the unit shall, on the death of the member(s), vest in the nominee and the nominee shall be issued a statement of account in respect of the unit so vested subject to any right, title, claim or other interest of any other person to or in respect of the said units as provided in such regulations and subject to any charge or encumbrance over the said units. Transmission made by the Trust as aforesaid shall be a full discharge to the Trust from all liability in respect of the said units.
Transfer of Units **25**	(1) Transfer of units shall be permissible. (2) Every unit holder holding units shall be entitled to transfer units or any of the units held by him by an instrument in writing in a form approved by the Chairman of the Trust. Provided, that no transfer shall be registered if the registration thereof would result in the transferor or the transferee being a holder of a No. of units not being a	**Transfer / Pledge / Assignment of units** **a) Transfer facility – units issued pursuant to this offer document** Subject to following exception, units under statement of account are not transferable. But being an open ended scheme, sale /repurchase facility is available on an on going basis at NAV/NAV based price. However, if a person becomes a holder of units by operation of law or upon enforcement of a pledge or due to death insolvency or winding up of the affairs of sole holder or survivors of a joint holder then, subject to production of such evidence which in the opinion of the Trust is sufficient, the Trust will effect the transfer if the intended transferee is otherwise eligible to hold units in the scheme. However the units issued before 26th

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

	multiple of 100.	April,2000 and remaining outstanding will be allowed to be transferred . Units which have been dematerialised with National Securities Depository Limited (NSDL) will have the transfer facility till the formalities regarding withdrawal from the depository are completed.
	(3) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to remain the holder of the units transferred until the name of the transferee is entered in the register in respect thereof. This clause shall be read in conjunction with "Trading of Units".	**b) Pledge/assignment of units** The unit holder may pledge/assign units in favour of banks/other financial institutions as a security for raising loans. Units can be pledged by completing the requisite forms/ formalities as required by the Trust. The Trust will record a pledge/charge/lien against units pledged. The pledger may not redeem units so pledged until the bank/ financial institutions to which the units are pledged provides the written authorisation to the Trust that the pledge/charge/lien may be removed. As long as the units are pledged, the pledgee bank/financial institutions will have complete authority to redeem such units.
	(4) In case of transfer of units by a holder of units in depository mode to another person or vice-versa, the transfer will be effected in accordance with such rules/ regulations as may be in force governing transfer of securities in a depository mode.	**c) Transfer of units issued prior to 26th April, 2000** Transfer of units issued/sold prior to **26th April, 2000** and remaining outstanding will be hereby subject to the following: (i) Transfers to be effected only by and between transferors and transferees who are capable of holding units. The Trust shall not be bound to recognise any other transfer. (ii)Duly stamped prescribed transfer deed with the relative unit certificate is lodged with any of the offices of the Registrar appointed for the purpose. Provided, that under special circumstances, the Trust may allow transfer of units without an instrument of transfer on such terms and conditions and on transferee providing such proof as may be specified by the Trust. (iii) Certificate with duly stamped and executed transfer deed lodged with or accepted by any of the offices of the Trust shall be forwarded to the nearest office of the Registrar. (iv) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor (all the transferors in case of joint holding) and the transferee (all the transferees in case of joint purchase) and the transferor shall be deemed to hold units until the name of the transferee is entered in the register of members by the Registrar. (v) The Registrar may require such evidence as they may consider necessary in support of the title of the transferor or his right to transfer units. (vi) The Registrar may, subject to compliance with such requirements as they deem necessary and in their discretion, dispense with the production of the original unit certificate,

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

		should it be lost, stolen or destroyed (vii) Upon registration of transfer of units all instruments of transfer and the cancelled unit certificate may be retained by the Registrar. (viii)The Registrar recognising and registering a transfer will issue statement of account to the transferee. If a transferee becomes a holder of units in an official capacity, by operation of law or a scheduled bank upon enforcement of a pledge, then the Trust shall, subject to the production of such evidence which in its opinion is sufficient, proceed to effect the transfer if the intended transferee is otherwise eligible to hold units. (ix) Under special circumstances, holding of units by a company or other body corporate with another company or body corporate or an individual/individuals, none of whom is a minor, will be considered by the Trust. (x) Subject to the provisions contained hereinabove, the Trust shall register the transfer and return the unit certificate/issue a new unit certificate/statement of account to the transferee within 30 days from the date of lodgement of the unit certificate together with the relevant instrument of transfer. In case of joint transferees, the unit certificate/statement of account will be sent to and all payments in respect of the holding will be made only in the name of the first member.
Investment limits **27**	(1) Investments by the Trust from the funds of the Scheme in the securities of any company shall not exceed 15% of the securities issued and outstanding of such companies. Provided that the aggregate of such investments in the capital initially issued by new industrial undertakings shall not at any time exceed 5% of the total amount of the said funds. (2) The limits prescribed under sub-clause (1) shall not apply to investments of the Trust in bonds and debentures and deposits of a company whether secured or not. The scheme may invest in derivative investments as and when permitted by SEBI and available for investment	(1) Investments by the Trust from the funds of the Scheme in the securities of any company shall not exceed 15% of the securities issued and outstanding of such companies. Provided that the aggregate of such investments in the capital initially issued by new industrial undertakings shall not at any time exceed 5% of the total amount of the said funds. (2) The limits prescribed under sub-clause (1) shall not apply to investments of the Trust in bonds and debentures and deposits of a company whether secured or not. (3) No term loans will be advanced by this scheme. (4) The Trust shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases, take delivery of relative securities and in all cases of sale, deliver the securities and shall in no case put itself in a position whereby it has to make short sale or carry forward transaction or engage in badla finance. (5) The Trust shall get the securities purchased by it transferred in its name. (6) Subject to requisite authorisations, the Trust, in appropriate circumstances, may use techniques and instruments, such as futures and options and other der subject to applicable regulations and counter-par

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

	by the scheme. Any subscription received under the scheme from 01.01.1997 shall be invested in conformity with the SEBI Regulations and regulatory framework for Unit Trust of India viz. (1) All debt instruments in which investments are made by the scheme should have been rated as investment grad by CRISIL/ICRA/CARE or any other credit rating agencies which may be recognised from time to time: Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment. (2) No term loans will be advanced by this scheme. (3) Investments by way of privately placed debentures, securitised debts and other unlisted debt instruments shall not exceed 10% of the total assets of the scheme. (4) The scheme shall not invest more than 5% of its corpus in any one company's shares. (5) Not more than 15% of the funds of all the schemes of the Trust including this scheme shall be invested in shares, debentures or other securities of a single company. (6) Not more than 15% of the funds of all the schemes of the Trust including this scheme shall be invested in shares and debentures of any one industry: Provided that provision shall not apply to a scheme which has been floated for investments in one or more	assessment, as prescribed by SEBI from time to time, for the purposes of achieving the investment policy of the scheme or hedging or minimising the risk. (7)(a)The scheme will participate in the stock lending programme, in accordance with the terms of securities lending scheme announced by SEBI. The activity shall be carried out through approved intermediary. (b) The maximum exposure of the scheme to a single intermediary in the stock lending programme at any point of time would be 10% of the market value of the equity portfolio of the scheme or such limit as may be specified by SEBI. (c) If the Trust is permitted to borrow stocks the scheme may in appropriate circumstances borrow stocks in accordance with SEBI guidelines in that regard. (8) The scheme may invest in securities issued by overseas/foreign companies and listed abroad or securities issued by Indian corporates to foreign/overseas investors and listed on foreign stock exchange directly by subscribing to such issues or purchasing them on foreign stock exchanges in accordance with the SEBI / RBI guidelines in that regard from time to time. (9) The scheme shall not make any investment in; a) any unlisted security of an associate or group company of the Trust; or b) any security issued by way of private placement by an associate or group company of the Trust; or c) the listed securities of group companies of the Trust which is in excess of 25% of the net assets. (10) The services of UTI Securities Exchange Limited (UTI SEL) a stock-broking firm and wholly owned by UTI may be utilised for securities transactions of the scheme as per the policies and subject to the limits laid down by the Board of Trustees of the Trust. UTI SEL was set up in 1994, with registered office at Mumbai. (11) The scheme shall invest not more than 10% of its NAV in the equity shares or equity related instruments of any company. (12) The scheme shall not invest more than 15% of its NAV in debt instruments issued by a single issuer which are rated not below investment grade by a credit rating agency authorised to carry out such activity under SEBI. Such investment limit may be extended to 20% of the NAV of scheme with the prior approval of the Board of Trustees. Provided that such limit shall not be applicable for investments in government securities and money market instruments. (13) The scheme shall not invest more than 10% of its NAV

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

	specified industries and declaration to that effect has been made in the offer letter. (7) Transfer of investments from this scheme to another scheme/plan of the Trust shall be done only if- (a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis. (b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment object of the scheme/plan to which such transfer has been made. (c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the scheme to another scheme/plan shall be as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust. (8) The scheme shall not invest in or lend to another scheme/plan of the Trust, unless otherwise provided by SEBI under MF Regulations/Guidelines/Directives. (9) The scheme shall not borrow funds to finance its investments, unless otherwise permitted by SEBI under MF Regulations /Guidelines/Directives.	in unrated debt instruments issued by a single issuer and the total investment in such instruments shall not exceed 20% of the NAV of the scheme. All such investments shall be made with the prior approval of the Board of Trustees.
Income Distribution **28**	The Trust may or may not declare income distribution under the Scheme depending upon the income received under the Scheme and the expenses incurred thereunder. The income distributable, if any, shall be paid as soon as may be possible after the closing of the annual accounts as on the 30th of June each year. In case of declaration of	(a) Although growth is the objective of the scheme, the scheme may make income distribution from time to time. (b) Such of the members whose names appear in the register of members as at the close of registers prior to the declaration of income distribution by the scheme shall be entitled to receive the income so distributed under the scheme. (c)The income distributed by the scheme shall be paid through ECS, wherever such facility is available or by a cheque or warrant encashable at the branches of such bank/s as the Trust may specify under pre-payment arrangements

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

	dividend, the Income Distribution Warrants shall be despatched within 42 days from the date of declaration of the dividend.	with the bank/s. (d) In case of declaration of income distribution, the Income Distribution Warrants shall be despatched within 42 days from the date of declaration of the income distribution. **(e) Reinvestment of income distributed:** The member may opt for reinvestment of income, if any, declared by the scheme in further units. In the event of an exercise of such an option the whole of the income on his unitholding, after deduction of tax, if any, instead of being paid to the member in the manner provided in Clause VIII (c) hereinabove shall be reinvested in further units of the scheme at NAV and credited to his folio. A fresh statement of accoun will be issued pursuant to such crediting. **f) <u>Bank particulars of investors</u> & <u>Electronic Clearing Service</u>:** i) In order to avoid fraudulent encashment of Income Distribution Warrants/Repurchase cheques/ Maturity cheques, SEBI has made it mandatory for investors, in their own interest to give bank particulars at the appropriate place in the application form. **Applications without bank particulars will be rejected.** Accordingly, applicants residing outside the eleven cities given at item (ii) below are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature of account, account number and name of bank) at the appropriate space in the application form as well as on the acknowledgemer' receipt portion for record. Income Distributio Warrants/repurchase cheques will then be made out in the name of the member with the bank particulars for crediting the member 's account so specified and sent to them. ii) Currently ECS facility is being made available to investors from Mumbai/Calcutta/ Chennai/New Delhi/ Ahmedabad/ Baroda/ Pune/ Bhubaneshwar/ Bangalore/ Hyderabad/ Jaipur (number of centres may be added/deleted prospectively) for direct credit to their bank accounts at the respective centres and where the amount of single instrument does not exceed Rs.5,00,000/-. The investor will be given a statement giving details of credit to his bank account. iii) The bank branch of the investor will credit his account and indicate the credit entry with "ECS" in the passbook/statement of bank account. The applicant is requested to fill up the particulars of name and address of his bank, nature and number of account, 9 digit Bank and branch

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

		MICR code no. etc. in the application form. iv) In case the number of investors from aforesaid cities are not sufficient enough or for any other reasons, the Trust may pay the income by issue of income warrants carrying bank account details instead of paying income through "ECS". **g) Income Distribution to NRI/OCBs investors** Income distribution to NRI/OCBs investors shall be made as per the Exchange Control Regulations. The present position regarding payment of income is as follows: i) The warrant can be issued in the name of the member and sent to a relative who is resident in India for crediting the NRE/NRO account of the member, as the case may be. OR ii)The warrant can be issued in the name of a relative who is resident in India and sent to him for being credited to his account. h) ECS facility is also available to NRI investors who have their own bank accounts in Mumbai. For those NRI investors who wish to credit the income distribution to their resident relative's account, ECS facility could be extended to them at places as indicated in the sub clause above. (i) In case of FIIs, income distributed will be credited to the Special Non-Resident Rupee Account or as per instructions issued by SEBI/RBI from time to time.
Publication of Accounts ***29***	The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board showing the working of the Scheme during the period ending as of that date. The Trust shall, on a request in writing received from a unit holder, furnish him a copy of the accounts so published. The fees, expenses and accounting policies will be subject to change, depending on the Regulations/	Amended and included under item 10 of Accounting Policies in annexure III.

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

	Guidelines issued by SEBI.	
Development Reserve Fund (DRF) contribution 29A.	0.10% of the weekly average Net Asset Value (NAV) shall be set aside as contribution to the DRF of the Trust every year.	(i) A sum equal to 0.25% p.a. of the daily average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust . DRF contribution will be part of the recurring expenses. (ii) The Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional & developmental work not related to or linked with any particular scheme itself. The Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Surveys and Market Research for the Trust, Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific scheme, Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities and for meeting the shortfall, if any, in the assured rate of return of any of the schemes of the Trust as well as the issue expenses for no-load schemes.
Staff Welfare Fund Contribution (29)(b)	0.10% of weekly average Net Asset Value (NAV) shall be set aside as contribution to the Staff Welfare Trust of the Trust of the every year.	A sum equal to 0.10% p.a. of daily average Net Asset Value shall be set aside as contribution to the Staff Welfare Fund. The Trust has instituted the Staff Welfare Fund for the welfare of its employees which shall include relief in distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.
Additions and amendments to the scheme 30	The Board may from time to time add to or otherwise amend this Scheme and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette. Amendments to the provisions of the scheme shall be effected with prior approval of the Executive Committee and of SEBI.	Amended and included under item 5 titled 'Fundamental Attributes' in annexure III.
Copy of scheme to be made available 34	A copy of this Scheme incorporating all amendments thereto shall be made available for inspection at the Offices of the Trust at all times during its business hours and may be supplied by the Trust to any person or application on payment of Rs.5/-.	Amended and included under item titled 'Investors Rights and Services' given below.

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

Rights of Unitholders	1. Unitholders under the scheme have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of and to the dividend, if any, declared by the scheme. 2. The unitholders have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the unitholders. 3. The unitholders are entitled to have the dividend warrants sent to them within 42 days of the date of declaration of the dividend. 4. The unitholders have the right to inspect all documents listed under the heading "Documents available for inspection."	**Investors Rights & Services** 1. Members under the scheme have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of the scheme and to the income declared by the scheme. 2. The members have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the member s. 3.The members have the right to have statement of account issued to them not later than 6 weeks from the date of acceptance. 4.The members have the right to have the repurchase proceeds despatched to them within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the application at the office where the repurchase requests are processed. In the case of income distribution the members have the right to have income distribution warrants despatched within 42 days from the date of declaration of the income distribution. 5. An abridged annual report in respect of the Capital Growth Unit Scheme shall be mailed to all member s not later than six months from the date of closure of the relevant accounting year and the full annual report shall be available for inspection at the Central Investors' Relation Cell of the Trust and a copy shall be made available to the member s on request on payment of nominal fee, if any. 6. Any change in the fundamental attributes of the scheme will be carried out if the investors are allowed to exit at NAV besides being intimated by individual communication 7. Under specified circumstances the approval of member s will be sought by a Postal Ballot. 8. The member s have the right to inspect the following documents at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No.1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai 400020. ❖ The UTI Act ❖ The General Regulations ❖ The agreements with the custodians, registrars and paying bankers ❖ Copy of Offer Document of Capital Growth Unit Scheme
Disclaimer Clause	Inserted as per item 1 of annexure III.	Refer to item 1 of annexure III.
Due Diligence Certificate	To be submitted to SEBI and then inserted as per standard format	
37.Termination of the Scheme	New provisions inserted as per item 4 of annexure III.	Refer to item 4 of annexure III.

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

38.Interscheme Transfers	New provisions inserted as per item 7 of annexure III.	Refer to item 7 of annexure III.
39. Associate Transactions & Borrowings	New provisions inserted as per item 8 of annexure III.	Refer to item 8 of annexure III.
40. Tax Treatment of Investments	New provisions inserted as per item 11 of annexure III.	Refer to item 11 of annexure III.
41.Constitution & Management of UTI	Information inserted as per item 12 of annexure III.	Refer to item 12 of annexure III.
Custodians & Auditors	Existing provisions updated as per items 14 & 15 of annexure III.	Refer to items 14 & 15 of annexure III.
42. Penalties, pending litigations, material findings of inspections/ investigations	New provisions inserted as per item 17 of annexure III.	Refer to item 17 of annexure III.
Condensed Financial Information	Latest data inserted.	

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

ANNEXURE II

MASTERGAIN - PROVISIONS DELETED

Clause No.	Existing provisions	Remarks
Highlights fourth item	Liquidity by way of listing on major stock exchanges.	Deleted as units will not be listed.
Applications for units 5 (i) - second paragraph	Notwithstanding anything contained in any clause, in the event of transfer of units under the Scheme either through the Stock Exchange/s where the Scheme is listed or otherwise, the facility to hold units on Either or Survivor basis shall not be available to the Transferee(s) under the Scheme and any request for such a facility by the said Transferees shall not be entertained by the Trust under any circumstances	Deleted as investment by anyone or survivor permitted.
Applications for units 5 (viii)	A company or other body corporate alongwith another company or body corporate or an individual or individuals, none of whom is a minor.	Deleted as such holding permitted only on transfer
Applications for units 5 (6) (a) - last sentence	Provided, however, that the applicant who wishes to apply for units from a place other than where the Trust has its office, he may do so by sending to the nearest office of the Trust, the application with the Bank draft for number of units applied for deducting therefrom charges payable for the bank draft.	Deleted as draft charges will be borne by investor.
Last paragraph of 15	The calculation of sale and repurchase prices and the spread between them shall be as per the recommendations of the Expert Committee set up by SEBI in this regard.	Deleted as it is redundant
Form of Unit Certificate 18	Unit Certificates issued in marketable lots of 100 units shall be as per Form A annexed herewith & Certificates issued in denominations of 10,000 units shall be as per Form B annexed herewith. Each Unit Certificate shall bear a distinctive number(s), the number of units represented by the certificate and the name of the unit holder.	Deleted as statement of account will be issued.
Manner of Preparation of Unit Certificate 19	The Unit Certificates may be engraved or lithographed or printed as the Board of Trustees may, from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method. No Unit Certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the	Deleted as statement of account will be issued.

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

	issue thereof. any person whose signature appears therein may have ceased to be a person authorised to sign Unit Certificates on behalf of the Trust. Provided further that should the Unit Certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the Certificate, the Trust may, by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the Certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid.	
Benefits to the unitholders 33	All benefits accruing under the scheme in respect of capital and reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the scheme shall be available to the unitholders who hold the units for the full term of the scheme till its closure.	Deleted as it is an open ended scheme.
Power to construe provisions 35	Should any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions, Chairman or in his absence the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and such decisions shall be conclusive.	Deleted as SEBI Regulations does not permit it.
Relaxation/Variation/Modification of provisions	The Chairman or in his absence the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the Scheme, relax, vary or modify any of the provisions of the Scheme in case of any unit holder or class of unit holders upon such may be deemed expedient. **Explanation:** The power to relax, vary or modify the scheme provisions may also be exercised for the purpose of enabling the unit holder to hold and trade the units in depository mode.	Deleted as SEBI Regulations does not permit it.
Documents Available For Inspection	The following documents will be available for inspection at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Womens University Basement, Door No.1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai 400 020. • The UTI Act • The General Regulations • The Agreements with the Custodians and Registrars. • Copy of provisions of Mastergain 1992.	Deleted and included under Rights of unit holders
Form A & Form B giving the form of Unit Certificate deleted		Deleted as Certificate will not be issued.

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

ANNEXURE III

MASTERGAIN

S	INSERTIONS AS REQUIRED BY 'STANDARD OFFER DOCUMENT'
1.	*Disclaimer clause:* **The scheme particulars have been prepared in accordance with Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, as amended till date, and filed with SEBI, and the units offered for public subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has the SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.**
2.	*Due Diligence Certificate :* Inserted as per the standard offer document
3.	*Contents:* Table 'Contents' inserted as per the standard offer document
4.	*Termination of the scheme:* (i) The duration of the scheme is indefinite. The Trust may however, terminate and initiate steps to wind it up under the following circumstances: (a) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the scheme to be wound up, or (b) if 75% of the member s pass a resolution that the scheme be wound up; or (c) if the SEBI so directs in the interest of the member s of the scheme (ii) Where the scheme is wound up in pursuance of sub clause(i) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Mumbai at least a week before the termination is effected. (iii) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall (a) cease to carry on any business activities in respect of the scheme. (b) cease to create and cancel units in the scheme. (c) cease to issue and redeem units in the scheme. (iv) The Board of Trustees shall call a meeting of the members to consider and pass necessary resolution by simple majority of the

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

	members present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the scheme. (v) (a) The Board of Trustees or the person authorised under sub clause (iv) shall dispose of the assets of the scheme in the best interest of the member s of the scheme. (b) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause (v) (a) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the member s in proportion to their respective interest in the assets of the scheme as on the date when the decision for winding up was taken. (vi) *On completion of the winding up, the Trust shall forward to the* SEBI and the unitholders a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the member and a certificate from the auditors of the scheme. (vii) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue until winding up is completed or the scheme ceases to exist. (viii) After the receipt of the report referred to in item (vii) above, if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the scheme have been completed, the scheme shall cease to exist. (ix)The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the statement of account alongwith a request letter has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. (x) In case of NRI investors, repurchase proceeds will be remitted depending upon the source of investment.
5.	***Fundamental Attributes*** (a) "Fundamental attributes" mean the following. i. .Type of scheme : Capital Growth Unit Scheme is an equity scheme made open ended with effect from January 01, 1997. ii. Investment objective: as provided under clause 8 B of this offer document. iii. Terms of issue: provisions in this offer document in respect of repurchase and expenses . (b) Any change in the fundamental attributes of the scheme will be carried out only if:

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

	(i) the existing members are intimated by individual communication and (ii) an advertisement is given in English daily newspaper having circulation all over India and also in a Marathi newspaper. (iii) the members are given an option to exit at prevailing NAV without any exit load. (c) The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette as required in terms of section 21(4) of the UTI Act 1963. (d) Any change/amendment/modification of the fundamental attributes of the scheme will be made with the prior approval of the SEBI. In respect of other changes/amendments/modifications not being of fundamental nature and not affecting the interest of the investor adversely, SEBI will be kept informed.
6.	***Table showing Corporate Investment in the Trust's schemes and the Trust's investments in these companies inserted as per the standard offer document'.***
7.	***Inter-Scheme Transfers*** Transfer of investments from /to this scheme to/from another schemes/plans of the Trust shall be done only if- a) such transfers are on spot basis and are at the prevailing market price for quoted instruments. *Explanation* : "spot basis" shall have the same meaning as specified by the stock exchanges for spot transactions. b) the securities so transferred are in conformity with the investment objective of the schemes/ plans to which such transfers are made; and c) transfer of unlisted or unquoted investments from/to the scheme to/from another schemes/plans of the Trust are as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.
8.	***Associate Transactions & Borrowings*** 1. The scheme shall not borrow except to meet temporary liquidity needs of the scheme for the purpose of repurchase/redemption of units or distribution of income, if any, to the member s. Provided that the scheme shall not borrow more than 20% of the net asset of the scheme and the duration of such a borrowing shall not exceed a period of six months. 2. As per section 20 of the Unit Trust of India Act 1963 the Trust has the following borrowing powers: (i) The Trust may borrow, whether in India or outside India from any authority or person, not being Government or the Reserve Bank, against such security and on such terms and conditions as may be agreed upon.

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

	(ii) The Trust may borrow money from the Reserve Bank- (a) repayable on demand or on the expiry of a fixed period not exceeding ninety days from the date on which the money is so borrowed, against stocks, funds and securities (other than immovable property) in which a trustee is authorised to invest trust money by any law for the time being in force in India; (b) repayable on demand or within a period of eighteen months from the date on which the money is so borrowed, against the security of the bonds which the Trust may issue with the approval of the Central Government; (c) on such terms and conditions and against the security of such other property of the Trust as may be specified in this behalf by the Reserve Bank for the purposes of any scheme other than the first unit scheme: Provided that any amount borrowed under this clause and outstanding at any one time shall not exceed- (a) five crores of rupees in respect of each such scheme; and (b) ten crores of rupees in respect of all such schemes in the aggregate. (iii) The bonds issued by the Trust under sub-section (ii) shall be guaranteed by the Central Government as to the repayment of principal and the payment of interest at such rate as may be fixed by the Central Government at the time the bonds are issued.
9.	**Valuation of assets pertaining to this scheme** (a) Quoted investments including those under lock-in period, if any, but except government securities are valued at the closing market rates on the valuation date and in its absence, at the latest available quote within a period of sixty days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of sixty days prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment. (b) Quoted government securities are valued at closing NSE market rates on the valuation date and in its absence the latest available quote within a period of seven days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of seven days prior to the valuation date the same are treated as unquoted government securities. (c) In case of quoted debentures and bonds, the market rate, being cum-interest, the same is adjusted for the interest element, if any. (d) Right entitlements for shares are valued at market rates, discounted for dividend element, wherever applicable. (e) Unquoted preference shares/cumulative convertible preference shares are taken at cost. (f) Unquoted equity shares are valued on fair valuation basis as determined by the Board of Trustees from time to time. (g) Unquoted debentures bonds and transferable notes are valued at yield to maturity , linked to the yield on GOI Securities (yield curve) along with a mark up approved by the Board of Trustees.

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

	(h) Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil. (i) Unquoted Government securities, if any, are valued at yield to maturity based on the prevailing interest rates. (j) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rate relevant to equity shares, discounted for dividend element, if any. The non-convertible portion if any, of such debentures and bonds is valued as in (g) above. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is taken at cost. (k) Capital indexed bonds are valued on cost basis. (l) Valuation policies for Money Market instruments :- (i) Money Market instruments and other assets are taken at book value. (ii) The money invested in inter bank call market is taken at cost. (iii) The money invested in discount/interest earning instruments is valued at the yield at which the instrument was last traded. For this purpose the latest available quote within a period of two working days, prior to the valuation date is considered. When there are no quotes available in the last two working days, the instrument is valued at cost plus the difference between the face value and the cost, applied uniformly over the remaining maturity of the instrument. (iv) Other money market instruments, including unquoted debentures are valued at cost plus the difference between the face value and cost, applied uniformly over the remaining maturity of the instrument. **However, notwithstanding anything contained in respect of clauses 8B, 9, 17 & 27 the investment policies, determination of NAV and valuation of assets, fixation of repurchase price and frequency of disclosure of NAV, repurchase price and portfolio would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.**
10.	*Accounting Policies* **1. Income recognition** (a) Dividend Income on listed equity shares is accrued on the ex-dividend date. Dividend income on unlisted equity shares and preference shares is accounted on receipt basis. (b) Interest on investments and commitment charges is accounted for on accrual basis.

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

	(c) Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost. (d) Profit or loss and premium on redemption of debenture/bonds are recognised on the due date. (e) Underwriting commission is recognised as revenue on receipt basis when there is no devolvement. In case of devolvement, the full underwriting commission is reduced from the cost of such investments. (f) Front-end fee on investments in shares and debentures is reduced from the cost of such investments. (g) The difference between purchase price and the maturity value in respect of zero coupon bonds, deep discount bonds and other long term discounted instruments is treated as income over the remaining life of the instrument on YTM basis. (h) Other income is accounted for on receipt basis. **2. Expenses** a. Expenses are accounted for on accrual basis. b. Certain common expenses incurred through Unit Scheme 1964, are allocated to the other schemes as per the provisions of Sec 25 (4) of UTI Act 1963. c. Unit Scheme 1964 which owns the fixed assets, recovers lease rent, on an approved basis, from other schemes for their usage of the said assets. **3. Investments** a. Investments are stated at cost or written down cost. b. In case of secondary market transactions investments are recognised on trade dates. c. Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment. d. Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex-right dates. e. Investment viz.. debenture and bonds, are transferred to current assets on the redemption / due date. f. The cost of investments include brokerage and service tax but does not include cost of stamps which is charged to revenue. **4. Provisions and Depreciation:**

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

(A) Provisions against the income considered doubtful:
Provision is made in respect of interest income remaining past due for two quarters or more. Provision is made in respect of dividend at the year end, where it remains outstanding for more than one year from the ex- dividend date.

(B) Depreciation in the value of investments
(i) The aggregate value of investments as computed in accordance with clause 17 above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to General Reserve / Unit Premium Reserve. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year, the appreciation is added to Unit Premium Reserve/ General Reserve to the extent depreciation was previously adjusted.

(ii) In cases where unquoted equity or preference shares were written off in the earlier years, the cost of such investment is written back to its cost, as and when a quote or fair value is available.

(iii). Assets where interest is remaining past due for two quarters or more are classified as non performing assets. Provision for such assets is made individually (as stated in the table below). Such provisions are not made for other performing assets of the same company.

Period for which asset Remains non-performing	Percentage of Provision	
	Secured Asset	Unsecured Asset
Upto two years	10%	10%
Exceeding two years But upto three years	20%	100%
Exceeding three years But upto five years	30%	100%
Exceeding five years	50%	100%

(iv) Where principal repayment remains outstanding (i) for two quarters beyond the past due period in respect of the debt instruments with a balance maturity of not more than 3 years and (ii) for one year beyond the past due period in respect of debt instruments with a balance maturity of more than 3 years, provisions are made for such outstanding instalments. The overall provision for such assets is limited to the percentage mentioned in the above table (upto 50% for secured and 100% for unsecured assets) or the amount in default whichever is higher.

Any subsequent instalments in such cases where the original default

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

	continues, are provided after 30 days from the respective due dates. (v) In case of funding of interest by way of capitalisation of outstanding interest dues, the same is provided irrespective of the period of default. (vi) Provisions for non performing assets are charged to Unit Premium Reserve/General Reserve/ Revenue Account as the case may be. (vii) Provisions made under paragraph 4(A) and 4(B) (iv) are written back on receipt or on restructuring of the assets. Provisions under 4(B) (v) are written back on receipt basis. **5. Income Distribution :** (a) In respect of application money pending capitalisation, provision for income distribution is made for schemes where units are sold at face value and for other schemes no such provision is made. The income distribution is charged to revenue appropriation account in the year of capitalisation. (b) Provision for income distribution is made on unit capital at rates approved by the Board of Trustees from time to time. **6. Publication of Financial Results:** The unaudited financial results as on 31st December will be published within 2 months and audited annual results as on 30th June will be published within six months of finalisation of accounts in one English daily and one Marathi daily.
11.	***Tax Treatment of Investments*** 1. Residents/NRIs/OCBs i) Taxation of income, if any, and capital appreciation, if realised, under the scheme will be subject to prevalent tax laws. ii) Currently income, if any, received by all categories of investors under all schemes/plans of the Trust is totally free from tax under section 10(33) of the Income Tax Act, 1961. The scheme is required to pay an income distribution tax at the rate of 10% and surcharge of 10% thereon under Section 115R of Income Tax Act, 1961 on the amount of income, if any, distributed by it. However, being open ended equity oriented fund, the scheme will not be subject to the said tax under the said section upto 31st March, 2002, provided more than 50% of the total proceeds of the scheme are invested in equity shares of domestic companies. iii) Currently, any long term capital gains arising out of investment in the scheme by residents and NRIs out of rupee originated or NRO funds will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

	Income Tax Act, 1961. At present the investor is required to pay tax @ 20% on long term capital gains after factoring the benefit of the Cost Inflation Index. However, the capital gains accruing to investments made through NRE accounts are not taxable. iv) Value of investment in units under the scheme is completely exempt from Wealth Tax. v) The Gift Tax Act, 1958 has abolished the levy of Gift Tax in respect of units of the scheme are fully exempt from levy of Gift Tax. 2) Eligibility for Capital Gains Tax Exemption under Section 54EA Investment of entire or part of net consideration arising out of transfer of long term capital assets in Capital Growth Unit Scheme will be eligible for capital gains tax exemption under Section 54EA of the Income Tax Act, 1961 subject to repurchase of units only after three years from the date of acceptance of the application. 3) Eligibility for Capital Gains Tax Exemption under Section 54EB Investment of entire or part of capital gains arising out of transfer of long term capital assets in Capital Growth Unit Scheme will be eligible for capital gains tax exemption under Section 54EB of Income Tax Act, 1961 subject to repurchase of units only after seven years form the date of acceptance of application. 4) For Eligible Trusts Units are approved securities under section 11(2)(b) of the Income Tax Act 1961. Eligible Trusts investing in units will therefore, qualify for tax exemption in respect of income and corpus under sections 11 and 13 of the Income Tax Act, 1961.
12.	***Constitution & Management of Unit Trust Of India*** **Constitution of UTI** Unit Trust of India was set up as a statutory body under Unit Trust of India Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964. **Management of UTI** The Management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India. Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board. **Board of Trustees** * 1. Shri P S Subramanyam Chairman, Unit Trust of India

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

2.	Shri G P Muniappan	Executive Director, RBI
3.	Shri G P Gupta	Chairman & Managing Director, IDBI
4.	Shri N.S. Sekhsaria	Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.
5.	Shri Rajendra P Chitale	Chartered Accountant
6.	Dr. Vishvanath V Desai	Economist
7.	Shri G Krishnamurthy	Chairman, L.I.C.
8.	Shri G G Vaidya	Chairman, S.B.I.
9.	Shri K C Chowdhary	Chairman & Managing Director, Central Bank Of India

*** The other current directorships of the Trustees are as follows:**

1. Shri P S Subramanyam (i) Chairman & Director - The India Fund. (ii) Chairman & Director -India Growth Fund, (iii) Chairman & Director - India Access Ltd. (iv) Chairman & Director - The India Public Sector Fund Ltd. (v) Chairman of Governing Council - UTI- Institute of Capital Markets, (vi) Chairman & Director - UTI Investment Advisory Services Ltd (vii) Chairman & Director - UTI Investor Services Ltd (viii) Chairman - UTI-Securities Exchange Ltd., (ix) Director- UTI Bank Ltd. (x) Chairman & Director - Over-The-Counter Exchange of India (xi) Member - Life Insurance Corporation of India. (xii) Director - Discount & Finance House of India Ltd. (xiii) Director - Securities Trading Corpn. of India Ltd.(xiv) Director - National Stock Exchange of India Ltd. (xv) Trustee - Indian Institute of Software Engineering.

2. Shri G P Gupta- (i) Chairman- Small Industries Development Bank of India, (ii) Director- The India Fund (iii) Director- India Growth Fund. (iv) Director - Discount and Finance House of India Ltd. (v) Director- Export-Import Bank of India, (vi) Director- Securities Trading Corpn. of India Ltd., (vii) Director- Infrastructure Development Finance Co. of India Ltd., (viii) Director- Indian Airlines Ltd. (ix) Director- IDBI Bank Ltd. (x) Director- National Stock Exchange of India Ltd. (x) Member- Life Insurance Corpn. of India, (xi) Member- General Insurance Corpn. of India (xii) Director- South Asia Regional Fund, (xiii) Chairman - South Asia Development Fund, (xiv) Council Member- Indian Institute of Bankers. (xv) Member- Bankers Training College (RBI). (xvi) Member- Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (xvii) Member- Institute of Banking Personnel Selection (xviii) Member- The Institute of Company Secretaries of India

3. Shri N S Sekhsaria - (i) Director - Gruh Finance Ltd. (ii) Director- Radha Madhay Investments Ltd. (iii) Director - Home Trust Housing Finance Co. Ltd. (iv) Director- Ambuja Cement foundation (v) Director Ambuja Educational Institute

4. Shri Rajendra P Chitale - (i) Director - Small Industries Development Bank of India, (ii) Director- National Securities Clearing Corporation Ltd (iii) Director - J M Capital Management Ltd. (iv) Director - Zurich Asset Management Company (India) Ltd. (v) Director- India Index Services and Products Ltd. (vi) Director- Association of Leasing and Financial Services Companies. (vii) Member - Executive Committee (Governing Board) of National Stock Exchange. (viii) Member - India Advisory Board of Bank of America NT & SA (ix)

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

	Member - Investment Committee, Life Insurance Corporation of India. **5. Shri V V Desai - Advisor - ICICI Limited.** **6. Shri G Krishnamurthy** - (i) Chairman - LIC (International) EC, Bahrain (ii) Chairman - LIC Housing Finance Ltd. (iii) Director - General Insurance Corporation of India (iv) Director- Poysha Industrial Co. (v) Chairman, Governing Board- National Insurance Academy (vi) Director- National Housing Bank (vii) Director- UTI Bank Ltd. (viii) Director - Discount & Finance House of India (ix) Director- Kenindia Assurance Co. Ltd.,Kenya (x) Director- ICICI Ltd. (xi) Chairman-Governing Body of Insurance Council **7.Shri G G Vaidya**- (i) Chairman- SBI Capital Markets Ltd. (ii) Chairman- SBI Funds Management Ltd., (iii) Chairman - SBI Gilts Ltd., (iv) Chairman - SBI Securities Ltd., (v) Chairman - SBI Factors & Commercial Services Ltd., (vi) Chairman - SBI European Bank Ltd., (vii) Chairman - State Bank of Indore, (viii) Chairman - State Bank of Saurashtra, (ix) Chairman - State Bank of Patiala, (x) Chairman - State Bank of Bikaner & Jaipur, (xi) Chairman - State Bank of Hyderabad, (xii) Chairman - State Bank of Mysore, (xiii) Chairman - State Bank of Travancore, (xiv) Chairman - State Bank of India (California), (xv) Chairman - State Bank of India (Canada), (xvi) Vice President of the Governing Council - Indian Institute of Bankers, (xvii) Director-National Bank for Agriculture and Rural Development , (xviii) Director - Export- Import Bank of India, (xix) Director- General Insurance Corporation, (xx) Member of the Governing Board & Chairman of Finance Committee- National Institute of Bank Management , (xxi) Member of the Governing Board, Chairman of the Finance Committee & Office Premises Committee & Committee of Administrators of IBPS Employees Pro. Fund, - Institute of Banking Personnel Selection (xxii) Member- Institute for Developing & Research in Banking Technology, (xxiii) Director- Infrastructure Development Finance Corporation , (xxiv) Director- Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd. , (xxv) Director- Export Credit Guarantee Corporation, **8. Shri K C Chowdhary** - (i) Chairman - Small Group on Bank Audit, Indian Banks' Association (ii) Chairman- Banking Operations, Indian Banks' Association, (iii) Chairman - Small Group on Credit Related Matters, Indian Banks' Association (iv) Chairman - IBA Working Group for Interaction with Trade Bodies/Associations, (v) President - Indian Banks' Association, Local Chapter, (vi) Member - Managing Committee, Indian Banks' Association, (vii) Chairman - Centbank Home Finance Ltd., (viii) Chairman - Centbank Financial & Custodial Services Ltd., (ix) Director - Agricultural Finance Corpn. of India, (x) Director - Mastercard Asia/Pacific Board, (xi) Director - The New India Assurance Co. Ltd.,(xii) Member - Task Force, Indian Banks' Association.
13.	***Management of the Fund :*** Name of the fund manager alongwith his qualifications and experience inserted.
14.	***Custodians*** The SEBI registration number of SHCIL is IN/CUS/011

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

	Tariff structure of SHCIL is as under:			
		Electronic	Physical	
	Dematerialisation	Rs.5 per certificate	-	
	Purchase	5.5. basis points on The value of the Transaction	Rs.100 per DIP	
	Sale	5.5 basis points on The value of the Transaction	Rs. 100 per DIS	
	Custody	1.5 basis points on The asset value in The custody	8 basis points on the asset value in the Custody	
	Off market Purchases	5.5 basis points on the value of the Transaction	-	
	Off market Sales	5.5 basis points on the value of the Transaction	-	
	Rematerialisation	Rs.15 per certificate Or 15 basis points of Conversion value Whichever is higher	-	
15.	***Auditors*** M/s. Chaturvedi & Company, Chartered Accountants, 60, Bentik Street, Calcutta 700 069 and M/s Batliboi & Purohit, Chartered Accountants, National Insurance Building, 204, D N Road, Fort, Mumbai 400 001. The auditors of the scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.			
16.	**Table showing Investors' Grievance Redressal data inserted**			
17.	**PENALTIES, PENDING LITIGATIONS, MATERIAL FINDINGS OF INSPECTIONS/ INVESTIGATIONS** 1. There are no cases relating to penalties awarded by SEBI under the SEBI Act or any of its regulations or by any Stock Exchanges (where the units of the schemes of UTI are listed) against the Unit Trust of India/Board of Trustees, or any of the Trustees or key personnel (specifically the fund managers). 2. There are no pending material litigation proceedings incidental to the business of the Unit Trust of India including the Board of Trustees or any of the trustees or key personnel. There are no pending criminal cases against the Unit Trust of India, Board of Trustees or any of the Trustees or key personnel. 3 Neither SEBI nor any other Regulatory Agency has specifically			

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Mastergain

-	advised that any deficiency in the systems and operations of the Unit Trust of India be disclosed in the offer document. 4. There are no enquiry/adjudication proceedings under the SEBI Act and the Regulations made thereunder, against Unit Trust of India, Board of Trustees/Trustee or key personnel.
18.	**Table giving condensed financial information inserted**

AMENDMENTS TO EQUITY SCHEMES - REPORTING

Grandmaster

ANNEXURE I

GRANDMASTER UNIT SCHEME - PROVISIONS MODIFIED/INSERTED

Clause No.	Existing provisions	Amended provisions
Highlights 2nd item	Open to both resident and non resident adult individuals/ minors / HUFs / Trusts / Partnership Firms / Societies/ Bodies Corporate (including companies registered under the Companies Act, 1956) / Overseas Corporate Bodies (OCBs) / FIIs	Open to resident individuals and institutions as well as to NRIs, OCBs and FIIs.
Highlights 3rd item	Repurchase at NAV based price	**6th item** - Repurchase will be at a discount not exceeding 3% of the daily NAV of the unit. Partial repurchase permitted subject to a minimum balance of Rs.5,000/- per folio.
Highlights	Items not included	Following inserted: **3rd item** - Minimum investment is Rs.5000/- with no maximum limit. For subsequent investments under the same folio the minimum investment is Rs.1000/-. **4th item** -The face value of a unit is Rs.10/-. **5th item** - Sale and repurchase will be based on the NAV as at the close of the day on which the application is accepted. Sale will be at NAV. **7th item** - Facility to reinvest the income, if any, will be available at NAV. **8th item** - Switchover facility from the scheme to such other schemes which may be announced by the Trust from time to time or vice versa at NAV or NAV based price. **9th item** - Currently Income Distribution, if any by the scheme is totally tax free in the hands of investors under section10(33) of Income Tax Act 1961. Further, being an open end equity oriented fund it will not be subject to Income Distribution tax for a period up to 31st March, 2002 under section 115R of the Income Tax Act 1961. **10th item** - Capital gains arising from capital appreciation, if any, on repurchase of units is subject to tax benefits under sections 48 & 112 of Income Tax Act, 1961. **11th item** - Investment eligible for availing of capital gains tax exemption under sections 54EA and 54EB of the Income Tax Act, 1961, depending upon the source of fund subject to repurchase of units only after lock-in-period of three/seven years respectively from the date of

Grandmaster

		acceptance of the application. **12th item** - Value of investment in units under the scheme is completely exempt from Wealth Tax. **13th item** - The Gift Tax Act, 1958 has abolished the levy of Gift Tax in respect of gifts made on or after 1st October 1998. Thus gifts of units of the scheme are fully exempt from levy of Gift Tax.
Risk Factors **1st item**	Investment in units of the Scheme are subject to market risks and the NAV of the Scheme may go up or down depending on the influence of market forces on the scheme's portfolio.	Mutual Funds and securities investments are subject to market risks and the NAV of the units issued under the scheme may go up or down depending on the factors and forces affecting the capital markets.
Risk Factors	Not provided for	**4th item - Derivatives:** Trading in derivative securities like options & futures is a highly specialised activity and entails greater risk than ordinary investment. Even though the scheme intends to use the activity of trading in derivatives only for portfolio hedging purposes, the overall market in these segments could be highly speculative due to the actions of the other participants in this market. The success of trading in derivatives depends upon the ability of the fund manager in predicting the future movement of the market and if the fund manager is incorrect in their prediction the performance of the fund could diminish compared to what it would have been if this investment strategy had not been used. **5th item - Investment in overseas market:** The success of investment in overseas market depends upon the ability of the fund manager in understanding of those market conditions & analysing the information, which could be different from Indian markets. As this would involve operations in foreign markets there could be exchange rate fluctuations risk besides market risk. **6th item - Stock Lending:** It is one of the means of earning additional income for the scheme with least risk. The risk could be in the form of non-availability of ready stock for sale during the period the stocks remain lent. The scheme would be exposed to risk through stock lending activity through the possibility of default by the borrower/intermediary in returning the lent securities. However, the risk would be adequately covered by taking in suitable collateral from the borrower by the intermediary involved in the process. the Trust will have a lien on the collateral. The Trust will also have other suitable checks and controls at various places to minimise any risk involved in the securities lending process.
Definitions	(da) 'Date of acceptance" or	(a) "Acceptance date" with reference to an application

Grandmaster

II (da)	acceptance date with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order, accepts the same.	made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the branch office of the Trust, after being satisfied that such application is complete in all respects, accepts the same. The acceptance date in respect of sale and repurchase applications received at the franchise office/ collection centre will be the date of receipt of the application at the office of the Registrar or the 5th working day (T+5) from the date of its receipt thereof at the franchise office or collection centre(T), whichever is earlier. The Trust may reduce the number of working days from 5 to a lower number, as may be decided. Existing item (a) is renumbered as (b).
Definitions Clause II	No provision exists.	(c) "Alternate applicant" in case of minor means the parent other than the parent who has made the application on behalf of the minor.
Definitions II (b)	Applicant' means a person having application for the units under the scheme.	(d) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and makes an application under Clause IV of the scheme and who is not a minor.
Definitions II	No provision exists	(da) "Eligible Institution" means an eligible trust as defined in the Unit Trust of India General Regulations 1964.
Definitions II	No provision exists	(db) "Firm", "partner" and "partnership" have the meanings assigned to them in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932), but the expression partner shall also include any person who being a minor is admitted to the benefits of the partnership.
Definitions II	(pa) "Unitholder" means a person who holds units for the time being including the person holding units in the depository mode.	(h) "Member" used as an expression under the scheme shall mean and include the applicant who has been allotted units under the scheme on or after 26th April,2000. "Member" also means a "unit holder" including the persons holding units under unit certificate and in the depository mode and all the expressions can be read synonymously. Existing item (h) numbered as (g). Existing item (g) deleted.
Definitions II	No provisions exists	(ka) "RBI" means the Reserve Bank of India established under the Reserve Bank of India Act, 1934.
Definitions II (l)	'Registrars' means a person appointed to act as the Registrar from time to time under the scheme.	"Registrars" means a person whose services may be retained by the Trust to act as the Registrar and Transfer Agents under the scheme, from time to time.
Definitions II	No provision exists	(mb) "Society" means a society established under the Societies Registration Act of 1860 or any other society established under any State of Central law for the time being in force.

Grandmaster

Definitions II (o)	'Unit' means one undivided share of the face value of Rupees Ten.	"Unit" means one undivided share of face value of Rupees ten in the unit capital.
Definitions II (p)	'Unit Capital' means the aggregate of the face value of units issued and allotted under the Scheme.	"Unit Capital" means the aggregate of the face value of units sold under the scheme and outstanding for the time being.
Definitions	No provision exists	(pa) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act. Existing item pa deleted.
Definitions II (r)	Words not defined in this Scheme shall have the meanings assigned to them under the Act.	All other expressions not defined herein but defined in the Act/ Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/ Regulations.
Definitions Clause II (s)	No provision exists.	In the scheme, after 26th April, 2000, unless the context otherwise requires, in appropriate places, the term "Member/s" shall include "Unit holder/s"and the term "Register of Unit holders" shall include "Register of Members" also.
Categories of Investors IV (1)	Resident Indians, being adult individuals, either singly or jointly up to three individuals on joint basis.	a resident individual or a NRI either singly or jointly with another or up to two other individuals on joint/anyone or survivor basis.
Categories of Investors IV (3)	MINOR On behalf of MINOR, father, mother or the lawful guardian shall be eligible to make the investment.	a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a resident or a NRI minor. An application cannot be made by an adult and minor jointly.
Categories of Investors IV (9)	No provision exists	a Bank including Scheduled Bank, Regional Rural Bank, Co-operative Bank etc.
Categories of Investors IV (10)	No provision exists	A Financial Institution.
Categories of Investors IV (4)	A Body Corporate shall mean and include the Company registered under the Societies Registration Act, 1860 or established under State or Central Law for the time being in force. Such Society being hereinafter referred to as "the Society".	(4) a body corporate including a company formed under the Companies Act, 1956 or established under State or Central Law for the time being in force.
Categories of Investors IV (6)	Society shall mean and include societies as specified in the definition of a Body Corporate as above.	(6) a society as defined under the scheme.

Grandmaster

Categories of Investors IV (7)	**Partnership Firm:** A partnership firm shall have the meaning respectively assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932), but the expression partner shall also include any person who being a minor has been admitted to the benefits of the partnership firm.	**(7) A Partnership Firm.** An application by a partnership firm shall be made by not more than three members of the firm and the first named person shall be recognised by the Trust for all practical purposes as the member .
Categories of Investors IV (11)	No provision exists	(11) An Army/Navy/Air Force/ Paramilitary Fund.
Categories of Investors IV (12)	No provision exists	(12) A Public Sector Undertaking (PSU).
Limitation of Expenses first paragraph of V	The following expenses will be charged to the Scheme on a recurring basis which shall not exceed 3% of the average daily Net Asset Value during any accounting year. Estimated recurring expenses are as under: Expenses — % AdministrativeExpenses — 1.00 CustodialFees — 0.50 DevelopmentReserveFund — 0.10 StaffWelfareFund — 0.10 RegistrarsFees — 0.50 Miscellaneous — 0.80 Total — 3.00	Recurring expenses: The following expenses will be charged to the scheme on a recurring basis. Estimated annual recurring expenses are as under: Expenses — As % of average daily NAV AdministrativeExpenses — 0.95 CustodialFees — 0.20 Contribution to DRF — 0.25 StaffWelfare Fund — 0.10 Registrars Fees — 0.50 Marketing & Sales Promotion — 0.50 Total — 2.50 The above are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. The total annual recurring expenses of the scheme including administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and Staff Welfare Fund shall be subject to the following limits: (a) On the first Rs.100 crores of the average daily net assets - 2.50% (b) On the next Rs.300 crores of the average daily net assets - 2.25% (c) On the next Rs.300 crores of the average daily net assets – 2.00% (d) On the balance of the assets - 1.75%

Grandmaster

Limitation on Expenses **2[nd] paragraph of V**	The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However, the total expenses would be within the limit of 3% of the daily average net asset value during any accounting year, in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993. Further, administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed 1.25% of the daily average NAV of the Scheme during the accounting year. The fees expenses and accounting policies will be subject to change, depending on the Regulations/ Guidelines issued by SEBI.	Administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Fund will not exceed the limits specified under clause 2 of regulation 52 of SEBI (MFs) Regulations, 1996, namely: (a) One and quarter of one percent of the daily average net assets outstanding in each accounting year for the scheme as long as the net assets do not exceed Rs.100 crore, and (b) One percent of the excess amount over Rs.100 crore, where net assets so calculated exceed Rs. 100 crore. While the Trust does not charge any investment management and advisory fees as provided in the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 it will ensure that the annual recurring expenses shall remain within the limits specified under regulation 52 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.
Sale of Units **VI (b)**	An individual or individuals not exceeding three who are adults (on joint basis) may be permitted to apply for units.	An individual or individuals not exceeding three who are adults (on joint /anyone or survivor basis) may be permitted to apply for units.
Sale of Units **VI (d)**	The face value of units will be Rs.10/- Applications shall only be made in the form prescribed in multiples of hundred with a minimum of two hundred units. There is no maximum limit of investment.	Application shall be made for a minimum of Rs.5000/-. There is no maximum limit and units will be allotted up to three decimal places. For subsequent investment under the same folio the minimum investment is Rs.1000/-. In the case of investment of Rs.50,000/- and above by resident or NRI through NRO account, the investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and I.T. Circle address if he/she is having so.
Sale of Units **2[nd] and 3[rd] sentences of VI (e)**	If payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre. If payment is made by draft, the acceptance date will subject to such draft being realised, be the date on which the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre.	If the payment is made by a cheque/draft, the acceptance of an application will be subject to such cheque/draft being realised. NRIs should submit their applications preferably at the NRI Branch, Mumbai or at any of the Branches of the Trust along with NR(E)/NR(O) cheque or a rupee draft payable at the place where the application is submitted. Investment by FIIs should be through payment by debit to the Special Non-Resident Rupee Account maintained with a designated bank / authorised dealer, approved by RBI. In respect of all applications for sale / repurchase received and accepted at UTI branch offices or received at Registrar's office [please see II (da)] by 2 p.m. on a particular day the applicable NAV will be that of the same day. All applications received and accepted after 2 p.m. will be governed by the NAV of the next working

Grandmaster

		day. Non-individual applications along with required documents will be accepted only at offices of the Trust.
Sale of units' VI (i)	A unit certificate will be sent if required. The certificate if sent will be by registered post, with or without acknowledgment due to the address given by the applicant; and the Trust will not incur any liability for loss, damage, mis-delivery of the unit certificate so sent.	**Statement of Account** 1) For units sold on 26[th] April,2000 and thereafter the Trust shall issue a statement of account with an assigned folio number, not later than 6 weeks from the date of acceptance of application. **2) Every member will receive an updated statement of account under the folio each time any additional purchase or partial repurchase or switchover or transfer of the units pursuant to clause XI (a) & XI (c) below or rematerialisation of units held in depository mode is made by the member under the folio.** 3) The NRI investor may choose any one of the following modes of despatch of statement of account (i) At the applicant's Indian/foreign address OR (ii) At the address of the NRI applicant's relative in India. 4) In case of FIIs, the statement of account will be sent to their global custodians or at the address furnished in the application. 5) If the member so desires, a unit certificate will be issued to him within six weeks of the receipt of request to issue the certificate in lieu of the statement of account. 6) Both unit certificate / statement of account are equally valid evidence of admission of the investor into the scheme.
		7) Provisions of clauses shall apply mutatis mutandis to units covered by unit certificate and to the unit holders.
Sale of units' VI (j) & (k)	No provision exists	**(j) Mode of payment for NRI investment with repatriation benefits** The investments by NRIs/OCBs shall carry the right of repatriation of capital invested and income earned thereon and capital appreciation so long as the investor continues to be resident outside India. Investment in these cases can be made through one of the following modes: (i) By a draft in rupees issued in favour of the Trust by a bank/exchange house operating outside India drawn on their Indian correspondent banks. (ii) By a cheque drawn on the investor's NRE account maintained with a bank in India. (iii)By a cheque/draft issued from the proceeds of

		FCNR deposits of the investor. **Note:** Payment in Nepalese and Bhutanese currencies are not accepted. **(k) Mode of payment for NRI investment without repatriation benefits** i) Where funds held in NRO accounts are utilised for purchase of units, the funds so invested and capital appreciation (if any), will not qualify for repatriation out of India. Similarly, investments in units purchased in rupees while the investor was a resident of India and becomes non-resident subsequently will not qualify for repatriation of sale proceeds of units. ii) As per RBI circular A.D.(M.A. Series) No. 18 dated August 19, 1994 the entire income distribution earned thereon during the financial year 1996-97 and onwards will qualify for full repatriation. In such cases the Trust will make payment in Rupees for credit to NRO A/C. Investors are advised to contact their banks/tax consultants if they desire remittance abroad of the income distribution on units.
Register of members **XA**	No provision exists	The following provisions shall apply as regards registration of members : (1) A register of the members shall be kept by the Trust at its offices and there shall be entered in the register - (a) the folio number and the number of units standing to the credit of the member; (b) Name and address of the member; (c) Name(s) of second & third holder; (d) Nature of holding; (e) Name of the nominee / beneficiary; (f) Date of admission to membership; **(2) The restrictions stipulated in Clause X applicable to unit certificate(s) and unit holder(s) shall apply *mutatis mutandis* to statement of account and units applied for / standing to the credit of a member.**
Transfer of units subsequent to issue: **Clause XI**	All units issued under the Scheme and outstanding are freely transferable after listing of the Scheme on major stock exchanges subject to the following terms: (a) The unit certificate issued in accordance with the provisions of the scheme is negotiable and can be transferred to the individuals, expressed and such other categories as are mentioned in Clause IV of the provisions of the scheme. The acceptance of the	**Transfer/Pledge/Assignment of units** **a) Transfer facility – units issued pursuant to this offer document** Subject to the following exception, units under statement of account are not transferable. But, being an open ended scheme, sale/repurchase facility is available on an on going basis at NAV/NAV based price. However, if a person becomes a holder of units by operation of law or upon enforcement of a pledge (as given in (b) below) or due to death insolvency or winding up of the affairs of sole holder or survivors of a joint holder then, subject to production of such evidence which in the opinion of the Trust is sufficient, the Trust

Transfer Deed and the admittance of the transferee shall be at the sole discretion of the Trust.

(b) Transfers may be effected only by and between transferors and who are capable of holding units. The Trust shall not be bound to recognise any other transfer.

(c) All transfers shall be made using the share transfer form, as prescribed by the Stock Exchanges and shall be for a minimum of two hundred units and in multiples of hundred thereafter.

(d) Transfer instruments with the relative unit certificate and accompanied by such fee as may be prescribed from time to time by the Scheme shall be lodged with any of the office of the Registrars appointed for the purpose.

(e) Any transfer deed lodged with or accepted by any of the offices of the Trust shall be forwarded to the nearest office of the Registrars.

(f) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to hold units until the name of the transferee is entered in the register of holders by the Registrars.

(g) The Registrars may require such evidence as they may consider necessary in support of the title of the transferor or his right to transfer units.

(h) The Registrars may subject to compliance with such requirements as they deem necessary dispense with the production of the original unit certificate, should it be lost, stolen or destroyed.

(i) Upon registration of a transfer of units all instruments of transfer and the unit certificate may be retained by the Registrars.

(j) The Registrars recognising and will effect the transfer if the intended transferee is otherwise eligible to hold units. However the units issued before 26th April,2000 and remaining outstanding will be allowed to be transferred . Units which have been dematerialised with National Securities Depository Limited (NSDL) will have the transfer facility till the formalities regarding withdrawal from the depository are completed.

b) Pledge/assignment of units:

The members may pledge/assign units in favour of banks/other financial institutions as a security for raising loans. Units can be pledged by completing the requisite forms/ formalities as may be required by the Trust. The Trust will record a pledge/charge/lien against units pledged. The pledger may not redeem units so pledged until the bank/ financial institutions to which the units are pledged provides the written authorisation to the Trust that the pledge/charge/lien may be removed. As long as the units are pledged, the pledgee bank/financial institutions will have complete authority to redeem such units.

c) Transfer of units issued prior to 26th April, 2000

Transfer of units issued/sold prior to **26th April, 2000**

and remaining outstanding, will be subject to the following:

(i) Transfers to be effected only by and between transferors and transferees who are capable of holding units. The Trust shall not be bound to recognise any other transfer.

(ii)Duly stamped prescribed transfer deed with the relative unit certificate is lodged with any of the offices of the Registrar appointed for the purpose. Provided, that under special circumstances, the Trust may allow transfer of units without an instrument of transfer on such terms and conditions and on transferee providing such proof as may be specified by the Trust.

(iii) Certificate with duly stamped and executed transfer deed lodged with or accepted by any of the offices of the Trust shall be forwarded to the nearest office of the Registrar.

(iv) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor (all the transferors in case of joint holding) and the transferee (all the transferees in case of joint purchase) and the transferor shall be deemed to hold units until the name of the transferee is entered in the register of members by the Registrar.

(v) The Registrar may require such evidence as they may consider necessary in support of the title of the

registering a transfer may issue the original or fresh unit certificate to the transferee upon payment and realisation of such charges as are payable in connection with the transfer and issue a certificate or certificates.

(k) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity, by operation of law or a scheduled bank upon enforcement of a pledge then the Registrars shall subject to the production of such evidence which in their opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

(l) As soon as the Grandmaster Unit Scheme is listed with the recognised stock exchanges, the transfer/ transmission formalities shall be undertaken in accordance with the provisions of listing agreement and guidelines issued in this regard by stock exchanges and as stated in the scheme.

(m) In case of transfer of units by a holder units in depository mode to another person or vice versa, the transfer will be effected in accordance with such rules/regulations as may be in force governing transfer of securities in a depository mode.

transferor or his right to transfer units.

(vi) The Registrar may, subject to compliance with such requirements as they deem necessary and in their discretion, dispense with the production of the original unit certificate, should it be lost, stolen or destroyed.

(vii) Upon registration of transfer of units all instruments of transfer and the cancelled unit certificate may be retained by the Registrar.

(viii)The Registrar recognising and registering a transfer will issue statement of account to the transferee.

(ix) Under special circumstances, holding of units by a company or other body corporate with another company or body corporate or an individual/individuals, none of whom is a minor, will be considered by the Trust.

(x)Subject to the provisions contained hereinabove, the Trust shall register the transfer and issue the statement of account to the transferee within 30 days from the date of lodgement of the unit certificate together with the relevant instrument of transfer. In case of joint transferees, the statement of account will be sent to and all payments in respect of the holding will be made only in the name of the first member.

	No Nomination By Unit holders	Nomination by members
Nomination XII	There will be no provision for making any nomination under the scheme.	(i) Nomination facility is available only for individuals applying on their own behalf i.e. singly or jointly up to two. (ii) Only one person can be nominated. (iii)Minors including a NRI minor can be nominated. (iv)Nomination of NRIs is subject to requirements of the RBI prescribed from time to time. (v)Nomination can be changed at any time during the currency of the investment . (vi) Applicant being either parent or lawful guardian on behalf of a minor, an eligible institution, societies, bodies corporate, HUF and partnership firms shall have no right to make nomination. (vii) Other provisions will be to the extent provided in the regulations. (viii) The facility of the statutory nomination is available to a member under Section 39A of the Unit Trust of India Act, 1963. Accordingly, where a nomination in respect of any unit has been made in accordance with the UTI General Regulations, 1964, the unit shall, on the death of the member(s), vest in the nominee and the nominee shall be issued a statement of account in respect of the unit so vested subject to any right, title, claim or other interest of any other person to or in respect of the said units as provided in such regulations and subject to any charge or encumbrance over the said units. Transmission made by the Trust as aforesaid shall be a full discharge to the Trust from all liability in respect of the said units.
iblication of Accounts XIII	Publication of Accounts: The Trust shall, as soon as may be after the 30th June each year cause to be published in such manner as the Fund may decide acoounts in the manner specified by the Board showing the working of the scheme during the period ending as on that date. The Trust shall on a request in writing from a unit holder, furnish him with a copy of the accounts so published. The fees, expenses and accounting policies will be subject to change, depending on the Regulations/Guidelines issued by SEBI.	Amended and included as item 10 under 'Accounting Policies' in annexure III

Grandmaster

Repurchase of Units XV	(a) The unit holder shall be under no obligation to offer his units for repurchase and he will be free to hold them as long as he desires during the currency of the Scheme. (b) The Unit Trust shall, on request by the unit holder for repurchase, repurchase full or specified part of the units indicated in the unit certificate, as the case may be, being always in multiple of 100 units provided that no partial repurchase so made results in the unit holders holding less than 200 units. The unit certificate so received shall be retained by the Unit Trust for cancellation. The Unit Trust shall, in the case of repurchase of a part of the units indicated in the unit certificate, issue a new unit certificate for the balance of units held by the unit holder. (c) The contract for repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. (d) Payments for units repurchased by the Unit Trust shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in the applications. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant, and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Unit Trust shall be borne by the applicant. (e) A holder of units in the depository mode desiring to have the units repurchased shall follow such rules/ guidelines/procedures as may be formulated from time to time.	1. Repurchases will be open throughout the year except during the book closure not exceeding 45 days in a year. 2. The repurchase price of the unit of Grandmaster Unit Scheme, shall be arrived at by deducting from the unit NAV a sum not exceeding 3% of the NAV to meet brokerage, commission, taxes and other administrative charges, expenses as also impact costs in relation to realisation of the investments. 3. Repurchase will be effected on receipt of the repurchase request slip/unit certificate duly discharged. Partial repurchase shall be permitted subject to the member maintaining a minimum balance of Rs.5000 per folio to be computed at the repurchase price applicable as on the date of acceptance of repurchase application. The contract for repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date for repurchase. 4. In the event of partial repurchase, depending on the number of units retained by him, the member shall be issued a fresh statement of account. No interest shall be payable on the repurchase proceeds. 5. In the event of the death of the member/s and on surrender to the Trust by the legal representative of the statement of account, the request letter for repurchase of units outstanding to the deceased member, the Trust shall on compliance with the requirements laid down in connection with the recognition of claim, repurchase the units in accordance with such rules and guidelines as may be formulated by the Trust and pay the outstanding amount up to the date of settlement of the claim. The legal representative of the member may instead of receiving the repurchase value of all units to the credit of deceased shall be permitted to hold the units as a member and continue to remain registered as a member and shall be issued a statement of account in his/her name in respect of units so desired to be held subject to the conditions regarding minimum holding and provided that he/she is otherwise eligible to hold units in the scheme. 6. Payment for units repurchased by the Trust after the deductions, if any, shall be made within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the repurchase request slip at the centre where the repurchase requests are processed. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.

Grandmaster

		7. In case of non-resident investors, repurchase proceeds will be remitted depending upon the source of investment as given below:- a) Where units have been purchased out of remittance in foreign exchange from abroad or from the proceeds of the member's FCNR deposits or from funds held in member's Non-Resident External (NRE) Account with a bank in India, the proceeds can be remitted to the member in foreign currency or credited to NRE or Non-Resident Ordinary (NRO) account or paid to his relative in India. b) Where units have been purchased while the applicant was resident in India or out of funds held in members NRO Account, the maturity proceeds will be sent either to the investors bankers in India for credit to his NRO account or to a relative of the investor in India. 9. In case of FII, repurchase proceeds will be credited to the Special Non-Resident Rupee Account or as per instructions issued by SEBI/RBI from time to time.
	No provision exists	**XVA. Switchover** i) Members under the scheme will be permitted to switchover their investment from the scheme to such other schemes or vice versa which may be allowed by the Trust from time to time. In such a case they may apply for the switchover by submitting their request in the prescribed Composite Services Form (CSF)/duly signed unit certificate, if any. (ii)The switchover will be effected at NAV or NAV based price as may be decided by the Trust. (ii) Partial switchover from the scheme to such other schemes or vice versa which may be announced by the Trust from time to time should satisfy the condition of holding minimum investment limit under both the schemes. The Trust shall retain the unit certificate, if any, for cancellation and the member shall be issued fresh statement of account of both the schemes. (iii) Investment made in the scheme for the purpose of availing benefits under section 54 EA/54 EB of the Income Tax Act, 1961 shall not be permitted to be switched over before the expiry of the lock-in-period of 3 and 7 years respectively.
Right of Trust to accept or reject application	Trust shall have the right at its sole discretion to accept or to reject applications for issue of units under the Scheme, Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the Scheme shall	The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or to reject an application for issue of units under the scheme. The Trust shall reject an application for issue of units in the following circumstances: (i) the application is received with less than the minimum investment of Rs. 5000 and Rs.1000/- in

Grandmaster

Clause XVII	be final.	respect of initial investment and subsequent investment per folio thereafter respectively. (ii) the application has not been signed by the first applicant (iii) the applicant is not eligible to invest in the scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the scheme shall be final. iv) In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection. Any application without the first applicant's bank particulars will be liable to be not accepted. Refund in such rejected cases will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities without incurring any liability, whatsoever, for interest or other sum.
Applicant to Comply with Requirements under the scheme before being issued units. **XVIII**	Persons applying for units under the Scheme shall be bound to satisfy the Trust about their eligibility to make an application under the Scheme and to comply with all the requirements of the Trust. A person who holds units under a false declaration shall be liable to have the Unit Certificate cancelled and his name shall be deleted from the register of unit holders. The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par. The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant. Provided in such an event, in respect of holder of units in the depository mode, the Trust shall follow such rules / guidelines / procedures as may be formulated from time to time.	a) Persons applying for units under the scheme on behalf of a minor shall satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements as laid down by the Trust such as submission of the Birth Certificate in case of minor. b) An adult, being a parent, step-parent or other lawful guardian of a minor may hold units and deal with them in accordance with and to the extent provided, in sub-section (2A) of Section 21 of the Act. Such adult if so required shall furnish to the Trust, in such manner as may be specified, proof of the age of the minor and his capacity to hold and deal with units on behalf of the minor. The Trust shall be entitled to act on the statements made by such adult on the application form without any further proof. c) Applications for units on behalf of bodies like Partnership Firms/Co-operative Societies/Bodies Corporate/Companies shall be accompanied by certified copy of Partnership Deed/Bye-Laws of the Society/Statute governing the Body Corporate/Memorandum and Articles of Association of the Company together with Resolution of the governing Body authorising investment in the scheme. At the time of repurchase of the units, resolution of the governing body authorising repurchase and authorisation of the concerned official(s) of the Body to comply with the formalities and collect the repurchase cheque will have to be submitted. d) Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the unitholding cancelled and the name deleted from the register of members. e) In aforesaid cases, the Trust shall have the right to

		repurchase the units at par or NAV whichever is lower after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution, if any, wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance. The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.
Sale and Repurchase Prices XIX (1)	The price at which a unit will be sold by the Unit Trust (hereinafter referred to as the "sale price"), and the price at which a unit will be repurchased by the Unit Trust (hereinafter referred to as the "repurchase price") shall be declared on a daily basis. The sale price will be the NAV (historic). Repurchase price will be at a discount of 5% to the NAV (historic).	The price at which a unit will be sold by the Trust will be hereinafter referred to as 'Sale Price'. The sale price of units will be on forward pricing basis at NAV as at the close of the day on which the application is accepted. The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. The repurchase price of the unit of Grandmaster Unit Scheme, shall be arrived at by deducting from the unit NAV a sum not exceeding 3% of the NAV to meet brokerage, commission, taxes and other administrative charges, expenses as also impact costs in relation to realisation of the investments.
Distribution of income to unit holders XXI	(a) The Trust may or may not declare income distribution under the scheme depending upon the income received under the scheme and the expenses accrued thereunder. (b) The Trust may decide to make such distribution of income as it considers necessary and transfer such sum or sums as it may deem fit out of the income not distributed to one or more reserve funds. The reserve funds which are not earmarked for application for any specific purpose shall be applied for or used only for the benefit of the unit holders. (c) Income distribution to the unit holders shall be made as soon as may be. after the closing of the annual accounts of the Scheme as on 30th June each year. In case of declaration of dividend, the Income Distribution Warrants shall be despatched within 42 days from the date of declaration of the dividend. (d) Such of the unit holders whose name appear in the register of unit holders as at the close of registers	**Income Distribution** (a) Although growth is the objective of the scheme, the scheme may make income distribution from time to time. (b) Such of the members whose names appear in the register of members as at the close of registers prior to the declaration of income distribution by the scheme shall be entitled to receive the income so distributed under the scheme. (c)The income distributed by the scheme shall be paid through ECS, wherever such facility is available or by a cheque or warrant encashable at the branches of such bank/s as the Trust may specify under pre-payment arrangements with the bank/s. (d) In case of declaration of income distribution, the Income Distribution Warrants shall be despatched within 42 days from the date of declaration of the income distribution. **(a) (e) Reinvestment of income distributed:** The member may opt for reinvestment of income , if any, declared by the scheme in further units. In the event of an exercise of such an option the whole of the income on his unitholding, after deduction of tax, if any, instead of being paid to the member in the manner provided in Clause VIII . (c) hereinabove shall be reinvested in further units of the scheme at NAV and credited to his folio. A fresh statement of account will be issued pursuant to such crediting. f) **<u>Bank particulars of investors & Electronic</u>**

prior to the declaration of income distribution by the Scheme shall be entitled to receive and retain the income so distributed.

(e) In case the unit holder has transferred the units prior to the declaration of income distribution and the transfer has not taken effect, the transferee shall not be entitled to the income distribution subsequently unless the transferee has lodged the transfer documents with the Registrars 30 days before the closure of the registers preceding the declaration of the income distribution.

(f) The income distributed shall be paid by the Grandmaster Unit Scheme by cheque or warrant drawn on its bankers with appropriate payment facilities.

(g) It shall be lawful for a unit holder to receive and any income distribution, declared by the Scheme in respect of units of which he is a holder notwithstanding that the units have already been transferred by him for consideration unless the transferee who claims the income from the transferor has within 30 days of the date on which his income became due, lodged the certificate and all other documents relating to the transfer.

(h) Income Distribution to the unit holders holding units in depository mode shall be made in accordance with such rules/regulations as may be formulated from time to time.

__Clearing Service:__

i) In order to avoid fraudulent encashment of Income Distribution Warrants/Repurchase cheques/ Maturity cheques, SEBI has made it mandatory for investors, in their own interest to give bank particulars at the appropriate place in the application form. **Applications without bank particulars will be rejected.** Accordingly, applicants residing outside the eleven cities given at item (ii) below are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature of account, account number and name of bank) at the appropriate space in the application form as well as on the acknowledgement receipt portion for record. Income Distribution Warrants/repurchase cheques will then be made out in the name of the member with the bank particulars for crediting the member 's account so specified and sent to them.

ii) Currently ECS facility is being made available to investors from Mumbai/Calcutta/ Chennai/New Delhi/ Ahmedabad/ Baroda/ Pune/ Bhubaneshwar/ Bangalore/ Hyderabad/ Jaipur (number of centres may be added/deleted prospectively) for direct credit to their bank accounts at the respective centres and where the amount of single instrument does not exceed Rs.5,00,000/-. The investor will be given a statement giving details of credit to his bank account.

iii) The bank branch of the investor will credit his account and indicate the credit entry with "ECS" in the passbook/statement of bank account. The applicant is requested to fill up the particulars of name and address of his bank, nature and number of account, 9 digit Bank and branch MICR code no. etc. in the application form.

iv) In case the number of investors from aforesaid cities are not sufficient enough or for any other reasons, the Trust may pay the income by issue of income warrants carrying bank account details instead of paying income through "ECS".

__g) Income Distribution to NRI/OCBs investors__

Income distribution to NRI/OCBs investors shall be made as per the Exchange Control Regulations. The present position regarding payment of income is as follows:

i) The warrant can be issued in the name of the member and sent to a relative who is resident in India for crediting the NRE/NRO account of the member, as the case may be. OR

ii)The warrant can be issued in the name of a relative who is resident in India and sent to him for being credited to his account.

		h) ECS facility is also available to NRI investors who have their own bank accounts in Mumbai. For those NRI investors who wish to credit the income distribution to their resident relative's account. ECS facility could be extended to them at places as indicated in sub clause XXI(f) (ii). i) . In case of FIIs, income distribution will be credited to the Special Non-Resident Rupee Account or as per instructions issued by SEBI/RBI from time to time.
Valuation of assets pertaining to this scheme **XXII**	The existing provisions have been replaced by the provisions given under item 9 of annexure III.	Refer to item 9 of annexure III.
Computation and Disclosure of Net Asset Value **XXIII.**	The NAV (on historic basis) shall be issued to the press for publication daily.	The NAV shall be issued to the press for publication daily.
Trading of Units **XXIV**	The units are listed on the Stock Exchanges at Mumbai, New Delhi, Calcutta, . Madras, Bangalore, Ahmedabad, Hyderabad, Kanpur and Jaipur. The Trust will announce the net asset value determined on Thursday or the previous working day if it is a holiday and intimate the value to all the Stock Exchanges for the purpose of being quoted. (b) A unit holder desirous of liquidating his holdings may trade the units through any of the Stock Exchanges. (c) The Trust will not either directly or in any manner indicate the price or prices at which the units could be bought or sold through the market. However, the last prices at which units were bought or sold at the Stock Exchanges in a trading will be published in leading daily newspapers. The Trust, however, retains the right to delist the units from the stock exchanges if in the interest	The following paragraph is inserted at the end of the clause The units of the scheme issued prior to 26th April, 2000 and remaining outstanding up to **26th April, 2000** are listed on the major stock exchanges., . Units being issued/sold on or after **26th April, 2000** will not be listed in any stock exchange.

Grandmaster

	of unit holders or the Trust it is deemed necessary to do so. (d) The buyer of units through the market either by himself or through a recognised broker should submit the transfer deed and the relative unit certificates to the Registrars of the Scheme giving effect to the transfer if found in order. (e) The buying or selling of units through the market at whatever price shall be at the risk of a unit holder or a prospective unit holder. However, for the purpose of determining the stamp duty to be payable on transfer of units the average of the high and low prices that ruled on the date prior to the date of transfer shall be the basis for the charge.	
Buy back of Units **XXIVA.**	Notwithstanding anything to the contrary in the provisions of the Scheme: (a) The Trust may buy back units under the Scheme from the market at the ruling price whenever such units are quoted at 10% or more below its NAV. (b) The Trust may buy back up to 25% of the unit capital issued under the Scheme in any one financial year as an overall limit. The units which are bought back will be redeemed. *Explanation* (i) "Market" means any of the recognised Stock Exchanges on which the units under the Scheme are listed. (ii) "Ruling Price" means the market price of units on the recognised Stock Exchanges ruling at the time units are bought back by the Trust.	Notwithstanding anything to the contrary in the provisions of the Scheme so long as any part of the unit capital remains listed on any stock exchange : (a) The Trust may buy back such units from the market at the ruling price whenever such units are quoted at 10% or more below its NAV. (b) The Trust may buy back up to 25% of such unit capital issued under the Scheme in any one financial year as an overall limit. The units which are bought back will be extinguished. *Explanation* (i) "Market" means any of the recognised Stock Exchanges on which the units under the Scheme are listed. (ii) "Ruling Price" means the market price of units on the recognised Stock Exchanges ruling at the time units are bought back by the Trust.
Restrictions on Investment	(a) Investment by the Trust of its investible funds under the scheme in the securities issued by any company shall not exceed 10% of	(a) Investment by the Trust of its investible funds under the scheme, in the securities issued by any company shall not exceed 10% of the total funds or 15% of the securities issued and outstanding of such company

Grandmaster

XXV	the total funds or 15% of the securities issued and outstanding of such company whichever is less. (b) Investment by the Trust of its investible funds under the scheme in the securities of any new company shall not exceed 10% of the securities issued by such company and the aggregate of all such investment shall not exceed 30% of the investible funds. ***Explanation:*** A new company means a company whose shares have been listed on any Stock Exchange first within one year prior to investment in the shares by the fund. (c) The scheme may invest in derivative investments as and when permitted by SEBI and available for investment by the scheme. (d) The Trust may for operational convenience or to seek changes in opportunities keep invested at any time not exceeding 20% of the funds in any short term money market instrument, convertibleor non-convertible debentures, bank deposits, bills rediscounted or similar other avenues. Provided that till the Trust fully deploys the funds of the scheme in securities. it may keep the funds not so employed invested in such securities as may be considered expedient including those referred to in clause (d) above. (e) The restrictions on investment prescribed shall be applied with reference to circumstances at the time the investments are made and shall not be deemed to have been exceeded, notwithstanding that, by reason of fluctuation in the market price or investments, reason of issue of bonus shares or right	whichever is less. (b) Investment by the Trust of its investible funds under the scheme in the securities of any new company shall not exceed 10% of the securities issued by such company and the aggregate of all such investment shall not exceed 30% of the investible funds. ***Explanation:*** A new company means a company whose shares have been listed on any Stock Exchange first within one year prior to investment in the shares by the fund. (c) The Trust may for operational convenience or to seek changes in opportunities keep invested at any time not exceeding 20% of the funds in any short term money market instrument, convertible or non-convertible debentures, bank deposits, bills rediscounted or similar other avenues. Provided that till the Trust fully deploys the funds of the scheme in securities, it may keep the funds not so employed invested in such securities as may be considered expedient including those referred to in clause (c) above. (d) The restrictions on investment prescribed shall be applied with reference to circumstances at the time the investments are made and shall not be deemed to have been exceeded, notwithstanding that, by reason of fluctuation in the market price or investments, reason of issue of bonus shares or right shares by the company in whose securities investments have been made, the limit is in fact exceeded. (e) No term loans will be advanced by this scheme. (f) The Trust shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases, take delivery of relative securities and in all cases of sale, deliver the securities and shall in no case put itself in a position whereby it has to make short sale or carry forward transaction or engage in badla finance. (g) The Trust shall get the securities purchased by it transferred in its name. (h) Subject to requisite authorisations, the Trust, in appropriate circumstances, may use techniques and instruments, such as futures and options and other derivatives subject to applicable regulations and counter-party risk assessment, as prescribed by SEBI from time to time, for the purposes of achieving the investment policy of the scheme or hedging or minimising the risk. (i)(i)The scheme will participate in the stock lending programme, in accordance with the terms of securities

Grandmaster

shares by the company in whose securities investments have been made, the limit is in fact exceeded.

Any subscription received under the scheme from 01.08.96 shall be invested in conformity with the SEBI Regulations and regulatory framework for Unit Trust of India viz.

(1) All debt instruments in which investments are made by the scheme should have been rated as investment grad by CRISIL/ICRA/CARE or any other credit rating agencies which may be recognised from time to time: Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(2) No term loans will be advanced by this scheme.

(3) Investments by way of privately placed debentures, securitised debts and other unlisted debt instruments shall not exceed 10% of the total assets of the scheme.

(4) The scheme shall not invest more than 5% of its corpus in any one company's shares.

(5) Not more than 15% of the funds of all the schemes of the Trust including this scheme shall be invested in shares, debentures or other securities of a single company.

(6) Not more than 15% of the funds of all the schemes of the Trust including this scheme shall be invested in shares and debentures of any one industry:

Provided that provision shall not apply to a scheme which has been floated for investments in one or more specified industries and declaration to that effect has been made in the offer letter.

(7) Transfer of investments from this scheme to another scheme/plan of the Trust shall be lending scheme announced by SEBI. The activity shall be carried out through approved intermediary.

(ii) The maximum exposure of the scheme to a single intermediary in the stock lending programme at any point of time would be 10% of the market value of the equity portfolio of the scheme or such limit as may be specified by SEBI.

(iii) If the Trust is permitted to borrow stocks the scheme may, in appropriate circumstances borrow stocks in accordance with SEBI guidelines in that regard.

(j) The scheme may invest in securities issued by overseas/foreign companies and listed abroad or securities issued by Indian corporates to foreign/overseas investors and listed on foreign stock exchange directly by subscribing to such issues or purchasing them on foreign stock exchanges in accordance with the SEBI / RBI guidelines in that regard from time to time.

(k) The scheme shall not make any investment in;

a) any unlisted security of an associate or group company of the Trust; or

b) any security issued by way of private placement by an associate or group company of the Trust; or

c) the listed securities of group companies of the Trust which is in excess of 25% of the net assets.

(l) The services of UTI Securities Exchange Limited (UTI SEL) a stock-broking firm and wholly owned by UTI may be utilised for securities transactions of the scheme as per the policies and subject to the limits laid down by the Board of Trustees of the Trust. UTI SEL was set up in 1994, with registered office at Mumbai.

(m) The scheme shall invest not more than 10% of its NAV in the equity shares or equity related instruments of any company.

(n) The scheme shall not invest more than 15% of its NAV in debt instruments issued by a single issuer which are rated not below investment grade by a credit rating agency authorised to carry out such activity under SEBI. Such investment limit may be extended to 20% of the NAV of scheme with the prior approval of the Board of Trustees. Provided that such limit shall not be applicable for investments in government securities and money market instruments.

(o) The scheme shall not invest more than 10% of its NAV in unrated debt instruments issued by a single issuer and the total investment in such instruments shall not exceed 20% of the NAV of the scheme. All such

Grandmaster

	done only if- (a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis. (b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment object of the scheme/plan to which such transfer has been made. (c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the scheme to another scheme/plan shall be as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust. (8) The scheme shall not invest in or lend to another scheme/plan of the Trust, unless otherwise provided by SEBI under MF Regulations/Guidelines/Directives. (9) The scheme shall not borrow funds to finance its investments, unless otherwise permitted by SEBI under MF Regulations/Guidelines/Directives.	investments shall be made with the prior approval of the Board of Trustees.
Trust not to be Recognised Regarding Unit Certificates XVIII	The person who is registered as the unit holder and in whose name a Unit Certificate has been issued shall be the only person to be recognised by the Trust as the unit holder and as having any right, title or interest in or to such Unit Certificate and the Units which it represents; and the Trust may recognise such unit holder as the absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take notice of the execution of any trust or save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any Unit Certificate or the Units thereby represented.	The following is inserted at the end of the clause. The above provisions shall apply *mutatis mutandis* to units covered by 'Statement of Account' and 'Members'.
Exchange of Unit Certificate and Procedure	Subject to the provisions of this scheme, every unit holder shall be entitled to exchange any or all of his Unit Certificates for one or more Unit Certificates in	The following is inserted at the end of clause under the heading 'Exchange of Statement of Account and Procedure when the Statement of Account is Mutilated, Defaced, Lost Etc.' In such cases a statement of account will be issued

Grandmaster

when the Certificate is Mutilated, Defaced, Lost Etc. **XXIX**	marketable lots, representing the same aggregate number of Units. While applying for such exchange, the unit holder shall surrender to the Trust the Unit Certificate or Certificates to be exchanged and shall pay to the Trust all monies (if any payable, thereunder) in respect of the issue of the new Unit Certificate or Certificates. (2) In case any Unit Certificate shall be mutilated or worn or defaced, the Trust at its discretion, may issue to the person entitled a new Unit Certificate representing the same aggregate number of units as the mutilated or worn or defaced Unit Certificate. In case any Unit Certificate should be lost, stolen or destroyed, the Trust may, at its discretion, issue to the person entitled a new Certificate in lieu thereof. No such new Certificate shall be issued unless the applicant shall previously have: i) Furnished to the Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, defacement, loss, theft or destruction of the original Unit Certificate. ii) Paid all expenses in connection with the investigation of the facts. iii) In case of mutilation or wearing out or defacement produced and surrendered to the Trust the mutilated or worn out or defaced Unit Certificate; and iv) furnished to the Trust such indemnity as it may require. The Trust shall not incur any liability for issuing such Certificate in good faith under the provisions of this clause. (3) Before issuing any Certificate under the provisions of this clause, the Trust may require the applicant for the Unit	based on a simple request.

	Certificate to pay a fee of Rupee One per Unit Certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover stamp duty, if any, or other charges or taxes including postal registration charges that may be payable in connection with the issue and despatch of such Certificate. Provided that no fee, stamp duty or postal registration charges shall be payable in respect of such issue of Unit Certificate in the following cases, viz. i) When a Unit Certificate issued to an applicant or issued under clause XI (j) to a transferee is tendered for the first time for sub-division. ii) When consolidation of Unit Certificates is suggested by the Trust and such a suggestion is accepted by the unit holder.	
Development Reserve Fund (DRF) Contribution **XXX**	0.10% of the daily average Net Asset Value (NAV) shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year.	(i) A sum equal to 0.25% p.a. of the daily average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust . DRF contribution will be part of the recurring expenses. (ii) The Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional & developmental work not related to or linked with any particular scheme itself. The Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Surveys and Market Research for the Trust, Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific scheme, Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities and for meeting the shortfall, if any, in the assured rate of return of any of the schemes of the Trust as well as the issue expenses for no-load schemes.
Staff Welfare Fund Contribution	0.10% of the daily average Net Asset Value (NAV) shall be set aside as contribution to the Staff Welfare Fund of the Trust every	0.10% of the daily average Net Asset Value (NAV) shall be set aside as contribution to the Staff Welfare Fund. The Trust has instituted the Staff Welfare Fund for the welfare of its employees which shall include relief in distress, medical relief, health relief or for

XXXI	year.	similar other purposes.
Copy of scheme to be made available **XXXIII**	A copy of this scheme incorporating all amendments thereto shall be made available for inspection at the offices of the Registrars or of the Scheme (when established) at all times during its business hours and may be supplied upon payment of Rs. 5/- to a unit holder.	Amended and included under 'Investors' Rights and Services' below.
Additions and amendment s to scheme **XXXIV**	The Board may from time to time add to or otherwise amend or alter this Scheme and any amendment or alteration thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained. Amendments to the provisions of the Scheme can be effected with prior approval of the Executive Committee and of SEBI.	Amended and included as item 5 under 'Fundamental Attributes' in annexure III
Rights of Unit holders	1. Unit holders under the scheme have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of and to the dividend, if any, declared by the scheme. 2. The unit holders have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the unit holders. 3. The unit holders are entitled to have the dividend warrants sent to them within 42 days of the date of declaration of the dividend. 4 The unit holders have the right to inspect all documents listed under the heading "Documents available for inspection."	**<u>Investors Rights & Services</u>** 1. Members under the scheme have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of the scheme and to the income declared by the scheme. 2. The members have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the members. 3.The members have the right to have statement of account issued to them not later than 6 weeks from the date of acceptance. 4.The members have the right to have the repurchase proceeds dispatched to them within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the application at the office where the repurchase requests are processed. 5.In the case of income distribution the members have the right to have income distribution warrants despatched within 42 days from the date of declaration of the income distribution. 6. An abridged annual report in respect of the Grandmaster Unit Scheme shall be mailed to all member s not later than six months from the date of closure of the relevant accounting year and the full annual report shall be available for inspection at the Central Investors' Relation Cell of the Trust and a copy

Grandmaster

		shall be made available to the member s on request on payment of nominal fee, if any. 7. Any change in the fundamental attributes of the scheme will be carried out if the investors are allowed to exit at NAV besides being intimated by individual communication. 8. Under specified circumstances the approval of member s will be sought by a Postal Ballot. 9. The member s have the right to inspect the following documents at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No.1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai 400020. • The UTI Act • The General Regulations • The agreements with the custodians, registrars and paying bankers • Copy of Offer Document of Grandmaster Unit Scheme
Disclaimer Clause	New provisions inserted as per item 1 of annexure III.	Refer to item 1 of annexure III.
Due Diligence Certificate	To be submitted to SEBI and then inserted as per standard format	
Termination of the Scheme	New provisions inserted as per item 4 of annexure III.	Refer to item 4 of annexure III.
Interscheme Transfers	New provisions inserted as per item 7 of annexure III.	Refer to item 7 of annexure III.
Associate Transactions & Borrowings	New provisions inserted as per item 8 of annexure III.	Refer to item 8 of annexure III.
Tax Treatment of Investments	New provisions inserted as per item 11 of annexure III.	Refer to item 11 of annexure III.
Constitution & Management of UTI	New provisions inserted as per item 12 of annexure III.	Refer to item 12 of annexure III.
Custodians & Auditors	Existing information updated as per items 14 & 15 of annexure III.	Refer to item 14 & 15 of annexure III.
Penalties, pending	New provisions inserted as per item 17 of annexure III.	Refer to item 17 of annexure III.

Grandmaster

litigations, material findings of inspections/ investigations	
Condensed Financial Information	To be inserted as per the latest data.

ANNEXURE II

GRANDMASTER UNIT SCHEME- PROVISIONS DELETED

Clause no.	Existing provisions	Remarks
1	*Definitions* (c) 'Application' means the form of application prescribed for offer of units for all applicants and containing the terms and conditions for the purpose of unit subscription to the scheme for the investing public. (d) 'Allotment' means allotment of units against a valid application in a manner determined by the Trust for the purpose. (g) 'Grandmaster' means Units as hereinafter defined and the share or unit in the capital of 'Grandmaster Unit Scheme' or 'Grandmaster' as hereinafter defined. (j) 'Offer of Units' means the full offer for sale of units made by the Trust under offer documents to investors to constitute the capital under the Scheme.	Deleted.
2.	**Last paragraph of XIX** The calculation of sale and repurchase prices and the spread between them shall be as per the recommendations of the Expert Committee set up by SEBI in this regard.	Deleted as it is redundant.
3.	**Last paragraph of clause XXIII titled Computation and Disclosure of Net Asset Value (NAV)** Notwithstanding anything contained in these provisions the valuation of assets, computation of NAV, repurchase price and their frequency of disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/ Guidelines/ Directives issued by SEBI from time to time.	The paragraph has been deleted. The modified paragraph included under 'Valuation of assets pertaining to this scheme in Annexure I.
4.	*XXVI. Form of Unit Certificate* The unit holders shall be issued certificates specifying the number of units allotted to them within 6 weeks from the date of acceptance of the application. Unit Certificates shall be in Form A annexed hereto or in such form as may be approved by the Trust for smooth operation of the scheme. Each Unit Certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the Certificate and the name of the unit holder. Certificate will be issued in marketable lot of 100 Grandmaster Units up to maximum number of 20 Grandmaster Certificates (i.e. Rs.20,000/-). For any investment beyond Rs.20,000/- one consolidated Certificate (21st Certificate) will be issued (i.e. more than 2000 Grandmaster Units). This consolidated Certificate will be split, once free of cost, on request from investor and thereafter the split may be allowed on payment of charges as may be decided by the Trust. For Non-Resident Indians the Certificates will be issued in marketable lot of 100 Units irrespective of the amount invested.	Deleted as statement of account will be issued.
5.	*XXVII. Manner of Preparation of Unit Certificate:*	Deleted as

	The Unit Certificates may be engraved or lithographed or printed as the Board may, from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method. No Unit Certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon, may have ceased to be a person authorised to sign Unit Certificates on behalf of the Trust. Provided further that should the Unit Certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the Certificate; the Trust may by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the Certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid.	Grandmaster statement of account will be issued.
6.	**Power to Construe Provisions** Should any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions of the Scheme, Chairman or in his absence the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme in so far as such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and such decision shall be final and conclusive.	Deleted as it is not permitted under SEBI Regulations.
7.	**Relaxation/variation/modification of provisions** Chairman or in his absence the Executive Trustee of the Trust in order to mitigate hardships or for smooth and easy operation of the Scheme relax, vary or modify any of the provisions of the Scheme in case of any unit holder or class of unit holders upon such conditions as may be deemed expedient.	Deleted as it is not permitted under SEBI Regulations.

ANNEXURE III

GRANDMASTER UNIT SCHEME

SR. NO.	INSERTIONS AS REQUIRED BY 'STANDARD OFFER DOCUMENT'
1.	*Disclaimer clause:* **The scheme particulars have been prepared in accordance with Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, as amended till date, and filed with SEBI, and the units offered for public subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has the SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.**
2.	*Due Diligence Certificate ;* Inserted as per the standard offer document
3.	*Contents:* Table 'Contents' inserted as per the standard offer document
4.	*Termination of the scheme:* (i) The duration of the scheme is indefinite. The Trust may however, terminate and initiate steps to wind it up under the following circumstances: (a) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the scheme to be wound up, or (b) if 75% of the member s pass a resolution that the scheme be wound up; or (c) if the SEBI so directs in the interest of the member s of the scheme (ii) Where the scheme is wound up in pursuance of sub clause(i) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Mumbai at least a week before the termination is effected. (iii) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall (a) cease to carry on any business activities in respect of the scheme. (b) cease to create and cancel units in the scheme. (c) cease to issue and redeem units in the scheme. (iv) The Board of Trustees shall call a meeting of the members to consider and pass necessary resolution by simple majority of the members present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the scheme. (v) (a) The Board of Trustees or the person authorised under sub clause (iv) shall dispose of the assets of the scheme in the best interest of the member s of the scheme. (b) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause (v) (a) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the member s in proportion to their respective interest in the assets of the scheme as on the date when the decision for winding up was taken. (vi) On completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the unit holders a

report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the member and a certificate from the auditors of the scheme.

(vii) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue until winding up is completed or the scheme ceases to exist.

(viii) After the receipt of the report referred to in item (vii) above, if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the scheme have been completed, the scheme shall cease to exist.

(ix)The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the statement of account along with a request letter has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with.

(x) In case of NRI investors, repurchase proceeds will be remitted depending upon the source of investment.

5. ***Fundamental Attributes***

(a) "Fundamental attributes" mean the following.

i. Type of scheme : Grandmaster Unit Scheme is an equity scheme made open ended with effect from August 01, 1996.

ii. Investment objective: as provided under clause VII of this offer document.

iii. Terms of issue: provisions in this offer document in respect of repurchase and expenses .

(b) Any change in the fundamental attributes of the scheme will be carried out only if:

(i) the existing members are intimated by individual communication and
(ii) an advertisement is given in English daily newspaper having circulation all over India and also in a Marathi newspaper.
(iii) the members are given an option to exit at prevailing NAV without any exit load.

(c) The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette as required in terms of section 21(4) of the UTI Act 1963.

(d) Any change/amendment/modification of the fundamental attributes of the scheme will be made with the prior approval of the SEBI. In respect of other changes/amendments/modifications not being of fundamental nature and not affecting the interest of the investor adversely, SEBI will be kept informed.

6. ***Table showing Corporate Investment in the Trust's schemes and the Trust's investments in these companies inserted as per the 'standard offer document'.***

7. ***Inter-Scheme Transfers***

Transfer of investments from /to this scheme to/from another schemes/plans of the Trust shall be done only if-

a) such transfers are on spot basis and are at the prevailing market price for quoted instruments.

Explanation : "spot basis" shall have the same meaning as specified by the stock exchanges for spot transactions.

b) the securities so transferred are in conformity with the investment objective of the schemes/ plans to which such transfers are made; and

c) transfer of unlisted or unquoted investments from/to the scheme to/from another schemes/plans

Grandmaster

of the Trust are as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

8. *Associate Transactions & Borrowings*

1. The scheme shall not borrow except to meet temporary liquidity needs of the scheme for the purpose of repurchase/redemption of units or distribution of income, if any, to the member s.

Provided that the scheme shall not borrow more than 20% of the net asset of the scheme and the duration of such a borrowing shall not exceed a period of six months.

2. As per section 20 of the Unit Trust of India Act 1963 the Trust has the following borrowing powers:

(i) The Trust may borrow, whether in India or outside India from any authority or person, not being Government or the Reserve Bank, against such security and on such terms and conditions as may be agreed upon.

(ii) The Trust may borrow money from the Reserve Bank-

(a) repayable on demand or on the expiry of a fixed period not exceeding ninety days from the date on which the money is so borrowed, against stocks, funds and securities (other than immovable property) in which a trustee is authorised to invest trust money by any law for the time being in force in India;

(b) repayable on demand or within a period of eighteen months from the date on which the money is so borrowed, against the security of the bonds which the Trust may issue with the approval of the Central Government;

(c) on such terms and conditions and against the security of such other property of the Trust as may be specified in this behalf by the Reserve Bank for the purposes of any scheme other than the first unit scheme:

Provided that any amount borrowed under this clause and outstanding at any one time shall not exceed-

(a) five crores of rupees in respect of each such scheme; and

(b) ten crores of rupees in respect of all such schemes in the aggregate.

(iii) The bonds issued by the Trust under sub-section (ii) shall be guaranteed by the Central Government as to the repayment of principal and the payment of interest at such rate as may be fixed by the Central Government at the time the bonds are issued.

9. **XXII. <u>Valuation of assets pertaining to this scheme</u>**

(a) Quoted investments including those under lock-in period, if any, but except government securities are valued at the closing market rates on the valuation date and in its absence, at the latest available quote within a period of sixty days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of sixty days prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment.

(b) Quoted government securities are valued at closing NSE market rates on the valuation date and in its absence the latest available quote within a period of seven days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of seven days prior to the valuation date the same are treated as unquoted government securities.

(c) In case of quoted debentures and bonds, the market rate, being cum-interest, the same is adjusted for the interest element, if any.

(d) Right entitlements for shares are valued at market rates, discounted for dividend element, wherever applicable.

(e) Unquoted preference shares/cumulative convertible preference shares are taken at cost.

(f) Unquoted equity shares are valued on fair valuation basis as determined by the Board of

Trustees from time to time.

(g) Unquoted debentures bonds and transferable notes are valued at yield to maturity , linked to the yield on GOI Securities (yield curve) along with a mark up approved by the Board of Trustees.

(h) Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil.

(i) Unquoted Government securities, if any, are valued at yield to maturity based on the prevailing interest rates.

(j) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rate relevant to equity shares, discounted for dividend element, if any. The non-convertible portion if any, of such debentures and bonds is valued as in (g) above. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is taken at cost.

(k) Capital indexed bonds are valued on cost basis.

(l) Valuation policies for Money Market instruments :-

(i) Money Market instruments and other assets are taken at book value.

(ii) The money invested in inter bank call market is taken at cost.

(iii) The money invested in discount/interest earning instruments is valued at the yield at which the instrument was last traded. For this purpose the latest available quote within a period of two working days, prior to the valuation date is considered. When there are no quotes available in the last two working days, the instrument is valued at cost plus the difference between the face value and the cost; applied uniformly over the remaining maturity of the instrument.

(iv) Other money market instruments, including unquoted debentures are valued at cost plus the difference between the face value and cost, applied uniformly over the remaining maturity of the instrument.

However, notwithstanding anything contained in respect of clauses VII, XXII, XXIII & XXV the investment policies, determination of NAV and valuation of assets, fixation of repurchase price and frequency of disclosure of NAV, repurchase price and portfolio would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.

10. *Accounting Policies*

I. Income recognition

(a) Dividend Income on listed equity shares is accrued on the ex-dividend date. Dividend income on unlisted equity shares and preference shares is accounted on receipt basis.

(b) Interest on investments and commitment charges is accounted for on accrual basis.

(c) Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost.

(d) Profit or loss and premium on redemption of debenture/bonds are recognised on the due date.

(e) Underwriting commission is recognised as revenue on receipt basis when there is no devolvement. In case of devolvement, the full underwriting commission is reduced from the cost of such investments.

(f) Front-end fee on investments in shares and debentures is reduced from the cost of such investments.

(g) The difference between purchase price and the maturity value in respect of zero coupon bonds, deep discount bonds and other long term discounted instruments is treated as income over the remaining life of the instrument on YTM basis.

(h) Other income is accounted for on receipt basis.

2. Expenses

a. Expenses are accounted for on accrual basis.

b. Certain common expenses incurred through Unit Scheme 1964, are allocated to the other schemes as per the provisions of Sec 25 (4) of UTI Act 1963.

c. Unit Scheme 1964 which owns the fixed assets, recovers lease rent, on an approved basis, from other schemes for their usage of the said assets.

3. Investments

a. Investments are stated at cost or written down cost.

b. In case of secondary market transactions investments are recognised on trade dates.

c. Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment.

d. Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex-right dates.

e. Investment viz., debenture and bonds, are transferred to current assets on the redemption / due date.

f. The cost of investments include brokerage and service tax but does not include cost of stamps which is charged to revenue.

4. Provisions and Depreciation:

(A) Provisions against the income considered doubtful:

Provision is made in respect of interest income remaining past due for two quarters or more. Provision is made in respect of dividend at the year end, where it remains outstanding for more than one year from the ex- dividend date.

(B) Depreciation in the value of investments

(i) The aggregate value of investments as computed in accordance with clause XXII above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to General Reserve / Unit Premium Reserve. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year, the appreciation is added to Unit Premium Reserve/ General Reserve to the extent depreciation was previously adjusted.

(ii) In cases where unquoted equity or preference shares were written off in the earlier years, the cost of such investment is written back to its cost, as and when a quote or fair value is available.

(iii). Assets where interest is remaining past due for two quarters or more are classified as non performing assets. Provision for such assets is made individually (as stated in the table below). Such provisions are not made for other performing assets of the same company.

Period for which asset   Percentage of Provision

Remains non-performing

	Secured Asset	Unsecured Asset
Up to two years	10%	10%
Exceeding two years But up to three years	20%	100%
Exceeding three years But up to five years	30%	100%
Exceeding five years	50%	100%

(iv) Where principal repayment remains outstanding (i) for two quarters beyond the past due period in respect of the debt instruments with a balance maturity of not more than 3 years and (ii) for one year beyond the past due period in respect of debt instruments with a balance maturity of more than 3 years, provisions are made for such outstanding instalments. The overall provision for such assets is limited to the percentage mentioned in the above table (up to 50% for secured and 100% for unsecured assets) or the amount in default whichever is higher.

Any subsequent instalments in such cases where the original default continues, are provided after 30 days from the respective due dates.

(v) In case of funding of interest by way of capitalisation of outstanding interest dues, the same is provided irrespective of the period of default.

(vi) Provisions for non performing assets are charged to Unit Premium Reserve/General Reserve/ Revenue Account as the case may be.

(vii) Provisions made under paragraph 4(A) and 4(B) (iv) are written back on receipt or on restructuring of the assets. Provisions under 4(B) (v) are written back on receipt basis.

5. Income Distribution :

(a) Provision for income distribution is made on unit capital at rates approved by the Board of Trustees from time to time.

6. Publication of Financial Results:

The unaudited financial results as on 31st December will be published within 2 months and audited annual results as on 30th June will be published within six months of finalisation of accounts in one English daily and one Marathi daily.

11. ***Tax Treatment of Investments***

1. Residents/NRIs/OCBs

i) Taxation of income, if any, and capital appreciation, if realised, under the scheme will be subject to prevalent tax laws.

ii) Currently income, if any, received by all categories of investors under all schemes/plans of the

Trust is totally free from tax under section 10(33) of the Income Tax Act, 1961.

The scheme is required to pay an income distribution tax at the rate of 10% and surcharge of 10% thereon under Section 115R of Income Tax Act, 1961 on the amount of income, if any, distributed by it. However, being open ended equity oriented fund, the scheme will not be subject to the said tax under the said section up to 31st March, 2002, provided more than 50% of the total proceeds of the scheme are invested in equity shares of domestic companies.

iii) Currently, any long term capital gains arising out of investment in the scheme by residents and NRIs out of rupee originated or NRO funds will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961. At present the investor is required to pay tax @ 20% on long term capital gains after factoring the benefit of the Cost Inflation Index. However, the capital gains accruing to investments made through NRE accounts are not taxable.

iv) Value of investment in units under the scheme is completely exempt from Wealth Tax.

v) The Gift Tax Act, 1958 has abolished the levy of Gift Tax in respect of units of the scheme are fully exempt from levy of Gift Tax.

2) Eligibility for Capital Gains Tax Exemption under Section 54EA

Investment of entire or part of net consideration arising out of transfer of long term capital assets in Grandmaster Unit Scheme will be eligible for capital gains tax exemption under Section 54EA of the Income Tax Act, 1961 subject to repurchase of units only after three years from the date of acceptance of the application.

3) Eligibility for Capital Gains Tax Exemption under Section 54EB of Income Tax Act, 1961 Investment of entire or part of capital gains arising from transfer of long term capital assets in the Grandmaster Unit Scheme will be eligible for capital gains tax exemption under section 54 EB of subject to repurchase of units only after seven years form the date of acceptance of application.

4) For Eligible Trusts

Units are approved securities under section 11(2)(b) of the Income Tax Act 1961. Eligible Trusts investing in units will therefore, qualify for tax exemption in respect of income and corpus under sections 11 and 13 of the Income Tax Act, 1961.

12. *Constitution & Management of Unit Trust Of India*

Constitution of UTI

Unit Trust of India was set up as a statutory body under Unit Trust of India Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

Management of UTI

The Management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India.

Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

Board of Trustees *

1. Shri P S Subramanyam	Chairman, Unit Trust of India
2. Shri G P Muniappan	Executive Director, RBI
3. Shri G P Gupta	Chairman & Managing Director, IDBI
4. Shri N.S. Sekhsaria	Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.

Grandmaster

5. Shri Rajendra P Chitale	Chartered Accountant
6. Dr. Vishvanath V Desai	Economist
7. Shri G Krishnamurthy	Chairman, L.I.C.
8. Shri G G Vaidya	Chairman, S.B.I.
9. Shri K C Chowdhary	Chairman & Managing Director, Central Bank Of India

*** The other current directorships of the Trustees are as follows:**

1. **Shri P S Subramanyam** (i) Chairman & Director - The India Fund, (ii) Chairman & Director - India Growth Fund, (iii) Chairman & Director - India Access Ltd. (iv) Chairman & Director - The India Public Sector Fund Ltd. (v) Chairman of Governing Council - UTI- Institute of Capital Markets. (vi) Chairman & Director - UTI Investment Advisory Services Ltd. (vii) Chairman & Director - UTI Investor Services Ltd (viii) Chairman - UTI-Securities Exchange Ltd., (ix) Director- UTI Bank Ltd. (x) Chairman & Director - Over-The-Counter Exchange of India (xi) Member - Life Insurance Corporation of India. (xii) Director - Discount & Finance House of India Ltd. (xiii) Director - Securities Trading Corpn. of India Ltd.(xiv) Director - National Stock Exchange of India Ltd. (xv) Trustee - Indian Institute of Software Engineering.

2. **Shri G P Gupta-** (i) Chairman- Small Industries Development Bank of India, (ii) Director- The India Fund (iii) Director- India Growth Fund, (iv) Director - Discount and Finance House of India Ltd. (v) Director- Export-Import Bank of India, (vi) Director- Securities Trading Corpn. of India Ltd., (vii) Director- Infrastructure Development Finance Co. of India Ltd., (viii) Director- Indian Airlines Ltd. (ix) Director- IDBI Bank Ltd. (x) Director- National Stock Exchange of India Ltd. (x) Member- Life Insurance Corpn. of India, (xi) Member- General Insurance Corpn. of India (xii) Director- South Asia Regional Fund, (xiii) Chairman - South Asia Development Fund, (xiv) Council Member- Indian Institute of Bankers, (xv) Member- Bankers Training College (RBI), (xvi) Member- Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (xvii) Member- Institute of Banking Personnel Selection (xviii) Member- The Institute of Company Secretaries of India

3. **Shri N S Sekhsaria** - (i) Director - Gruh Finance Ltd. (ii) Director- Radha Madhav Investments Ltd. (iii) Director - Home Trust Housing Finance Co. Ltd. (iv) Director- Ambuja Cement foundation (v) Director Ambuja Educational Institute

4. **Shri Rajendra P Chitale** - (i) Director - Small Industries Development Bank of India, (ii) Director- National Securities Clearing Corporation Ltd (iii) Director - J M Capital Management Ltd. (iv) Director - Zurich Asset Management Company (India) Ltd. (v) Director- India Index Services and Products Ltd. (vi) Director- Association of Leasing and Financial Services Companies. (vii) Member - Executive Committee (Governing Board) of National Stock Exchange. (viii) Member - India Advisory Board of Bank of America NT & SA (ix) Member - Investment Committee, Life Insurance Corporation of India.

5. **Shri V V Desai - Advisor - ICICI Limited.**

6. **Shri G Krishnamurthy** - (i) Chairman - LIC (International) EC, Bahrain (ii) Chairman - LIC Housing Finance Ltd. (iii) Director - General Insurance Corporation of India (iv) Director- Poysha Industrial Co.Ltd. (v) Chairman, Governing Board- National Insurance Academy (vi) Director- National Housing Bank (vii) Director- UTI Bank Ltd. (viii) Director - Discount & Finance House of India (ix) Director- Kenindia Assurance Co. Ltd.,Kenya (x) Director- ICICI Ltd. (xi) Chairman- Governing Body of Insurance Council

7. **Shri G G Vaidya-** (i) Chairman- SBI Capital Markets Ltd. (ii) Chairman- SBI Funds Management Ltd., (iii) Chairman - SBI Gilts Ltd., (iv) Chairman - SBI Securities Ltd., (v)

Chairman - SBI Factors & Commercial Services Ltd., (vi) Chairman - SBI European Bank Ltd., (vii) Chairman - State Bank of Indore, (viii) Chairman - State Bank of Saurashtra, (ix) Chairman - State Bank of Patiala, (x) Chairman - State Bank of Bikaner & Jaipur, (xi) Chairman - State Bank of Hyderabad, (xii) Chairman - State Bank of Mysore, (xiii) Chairman - State Bank of Travancore, (xiv) Chairman - State Bank of India (California), (xv) Chairman - State Bank of India (Canada), (xvi) Vice President of the Governing Council - Indian Institute of Bankers, (xvii) Director-National Bank for Agriculture and Rural Development, (xviii) Director - Export- Import Bank of India, (xix) Director- General Insurance Corporation, (xx) Member of the Governing Board & Chairman of Finance Committee- National Institute of Bank Management', (xxi) Member of the Governing Board, Chairman of the Finance Committee & Office Premises Committee & Committee of Administrators of IBPS Employees Pro. Fund, - Institute of Banking Personnel Selection (xxii) Member- Institute for Developing & Research in Banking Technology, (xxiii) Director- Infrastructure Development Finance Corporation, (xxiv) Director- Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd., (xxv) Director- Export Credit Guarantee Corporation.

8. Shri K C Chowdhary - (i) Chairman - Small Group on Bank Audit, Indian Banks' Association (ii) Chairman- Banking Operations, Indian Banks' Association, (iii) Chairman - Small Group on Credit Related Matters, Indian Banks' Association (iv) Chairman - IBA Working Group for Interaction with Trade Bodies/Associations, (v) President - Indian Banks' Association, Local Chapter, (vi) Member - Managing Committee, Indian Banks' Association, (vii) Chairman - Centbank Home Finance Ltd., (viii) Chairman - Centbank Financial & Custodial Services Ltd., (ix) Director - Agricultural Finance Corpn. of India, (x) Director - Mastercard Asia/Pacific Board, (xi) Director - The New India Assurance Co. Ltd.,(xii) Member - Task Force, Indian Banks' Association.

13. ***Management of the Fund :***

Name of the fund manager along with his qualifications and experience inserted.

14. ***Custodians***

Following is inserted as required by SEBI.

The SEBI registration number of SHCIL is IN/CUS/011

Tariff structure of SHCIL is as under:

	Electronic	Physical
Dematerialisation	Rs.5 per certificate	
Purchase	5.5. basis points on The value of the Transaction	Rs.100 per DIP
Sale	5.5 basis points on The value of the Transaction	Rs. 100 per DIS
Custody	1.5 basis points on The asset value in The custody	8 basis points on the asset value in the Custody
Off market Purchases	5.5 basis points on the value of the	

Grandmaster

	Transaction	
Off market Sales	5.5 basis points on the value of the Transaction	-
Rematerialisation	Rs.15 per certificate Or 15 basis points of Conversion value Whichever is higher	-

15. ***Auditors***

M/s. Chaturvedi & Company, Chartered Accountants, 60, Bentik Street, Calcutta 700 069 and M/s Batliboi & Purohit, Chartered Accountants, National Insurance Building, 204, D N Road, Fort, Mumbai 400 001. The auditors of the scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.

16. **Table showing Investors' Grievance Redressal data inserted**

17. **PENALTIES, PENDING LITIGATIONS, MATERIAL FINDINGS OF INSPECTIONS/ INVESTIGATIONS**

1. There are no cases relating to penalties awarded by SEBI under the SEBI Act or any of its regulations or by any Stock Exchanges (where the units of the schemes of the Trust are listed) against the Unit Trust of India/Board of Trustees, or any of the Trustees or key personnel (specifically the fund managers),

2. There are no pending material litigation proceedings incidental to the business of the Unit Trust of India including the Board of Trustees or any of the trustees or key personnel. There are no pending criminal cases against the Unit Trust of India, Board of Trustees or any of the Trustees or key personnel.

3. Neither SEBI nor any other Regulatory Agency has specifically advised that any deficiency in the systems and operations of the Unit Trust of India be disclosed in the offer document.

4. There are no enquiry/adjudication proceedings under the SEBI Act and the Regulations made thereunder, against Unit Trust of India, Board of Trustees/Trustee or key personnel.

18. **Table giving condensed financial information inserted**

ANNEXURE I

UGS 10000 - PROVISIONS MODIFIED/ INSERTED

Clause No.	Existing provisions	Amended provisions
Highlights **3rd item**	Sales after initial offer period will be at 3% load to NAV and Repurchase will be at NAV.	**5th item** - Sale and repurchase will be based on the NAV as at the close of the day on which the application is accepted. Sale will be at 3% load to NAV. **6th item** - Repurchase will be at NAV. Partial repurchase permitted subject to a minimum balance of Rs.5000/- per folio.
Highlights **5th item**	Tax benefits U/S 48 & 112 of Income Tax Act, 1961 on capital appreciation.	**10th item** - Capital gains arising from capital appreciation, if any, on repurchase of units is subject to tax benefits under sections 48 & 112 of Income Tax Act, 1961.
Highlights **th item**	Capital gains tax exemption under sections 54 EA/54 EB of the Income Tax Act, 1961 subject to lock-in for three/seven years respectively from the date of acceptance.	**11th item** - Investment eligible for availing of capital gains tax exemption under sections 54EA and 54EB of the Income Tax Act, 1961, depending upon the source of fund, subject to repurchase of units only after lock-in-period of three/seven years respectively from the date of acceptance of the application.
Highlights	Item not included	Following inserted: **3rd item** - Minimum investment is Rs.5000/- with no maximum limit. For subsequent investments under the same folio the minimum investment is Rs.1000/-. **4th item** - The face value of a unit is Rs.10/-. **7th item** - Facility to reinvest the income, if any, will be available at NAV. **8th item** - Switchover facility from the scheme to such other schemes which may be announced by the Trust from time to time or vice versa at NAV or NAV based price. **9th item** - Currently Income Distribution, if any by the scheme is totally tax free in the hands of investors under section10(33) of Income Tax Act 1961. Further, being an open end equity oriented fund it will not be subject to Income Distribution tax for a period up to 31st March, 2002 under section 115R of the Income Tax Act 1961. **12th item** - Value of investment in units under the scheme is completely exempt from Wealth Tax. **13th item** - The Gift Tax Act, 1958 has abolished the levy of Gift Tax in respect of gifts made on or after 1st October 1998. Thus, gifts of units of the scheme are fully exempt from levy of Gift Tax.
Risk Factors	Investments in units of the scheme are subject to	Mutual Funds and securities investments are subject to market risks and the NAV of the units issued under the scheme may go

1st item	market risks and the NAV of the Scheme may go up or down depending on the influence of market forces on the Scheme's portfolio.	up or down depending on the factors and forces affecting the capital markets.
Risk Factors	Not provided for	**4th item - Derivatives:** Trading in derivative securities like options & futures is a highly specialised activity and entails greater risk than ordinary investment. Even though the scheme intends to use the activity of trading in derivatives only for portfolio hedging purposes, the overall market in these segments could be highly speculative due to the actions of the other participants in this market. The success of trading in derivatives depends upon the ability of the fund manager in predicting the future movement of the market and if the fund manager is incorrect in their prediction the performance of the fund could diminish compared to what it would have been if this investment strategy had not been used. **5th item - Investment in overseas market:** The success of investment in overseas market depends upon the ability of the fund manager in understanding of those market conditions & analysing the information, which could be different from Indian markets. As this would involve operations in foreign markets there could be exchange rate fluctuations risk besides market risk. **6th item - Stock Lending:** It is one of the means of earning additional income for the scheme with least risk. The risk could be in the form of non-availability of ready stock for sale during the period the stocks remain lent. The scheme would be exposed to risk through stock lending activity through the possibility of default by the borrower / intermediary in returning the lent securities. However, the risk would be adequately covered by taking in of suitable collateral from the borrower by the intermediary involved in the process. The Trust will have a lien on the collateral. The Trust will also have other suitable checks and controls at various places to minimise any risk involved in the securities lending process.
Constitution & Management of UTI, Other Directorships of the Trustees	The existing information will be replaced by the information given under item 9 of Annexure III.	Refer item 9 of Annexure III
Definitions II(a)	"Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust	"Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the branch office of the Trust, after being satisfied that such application is complete in all respects, accepts the same. The acceptance date in respect of sale and repurchase applications received at the franchise

	after being satisfied that such application is in order, accepts the same.	office/collection centre will be the date of receipt of application at the office of the Registrar or the 5th working day (T+5) from the date of its receipt thereof at the franchise office or collection centre(T), whichever is earlier. The Trust may reduce the number of working days from 5 to a lower number, as may be decided.
Definitions II (ea)	No provisions exist	"Member" used as an expression under the scheme shall mean and include the applicant who has been allotted units under the scheme on or after 23.02.2000. "Member" also means a "unit holder" holding units under a unit certificate and both the expressions can be read synonymously.
Definitions II (ha)	No provisions exist	"Person" shall include an eligible trust as defined above.
Definitions II (hb)	No provisions exist	"RBI" means the Reserve Bank of India constituted under the Reserve Bank of India Act, 1934.
Application for Units IV (1) (i)	A resident or non-resident adult individual singly or with another individual on joint / either or survivor basis.	a resident individual or a NRI either singly or jointly with another or up to two other individuals on a joint / anyone or survivor basis.
Application for Units IV(1)	No provisions existed for all categories of intended investors	(xi) an Army / Navy / AirForce / Paramilitary fund. (xii) a Public Sector Undertaking (PSU). (xiii) Financial Institution (xiv) a Foreign Institutional Investor (FII) registered with SEBI
Minimum amount of investment V	Application shall be made for minimum of Rs. 5000 and thereafter in multiple of Rs. 1000/-. Maximum limit for investment per investor is Rs.10,000/-. When the units are open for the sale after the initial offer period this could be relaxed. Units will be allotted in fractions upto three places after the decimal.	Application shall be made for a minimum of Rs.5000/-. There is no maximum limit and units will be allotted up to three decimal places. For subsequent investment under the same folio the minimum investment is Rs. 1000/-. In case of investment of Rs.50,000/- and above, the resident or a NRI investing out of non-resident ordinary account is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and I.T. Circle address if he/she is having so.
Mode of Payment VIII (1) (i) & (ii)	(1) (i) The payment for the units applied for by an applicant shall be made by him along with the application in cash, cheque or draft. Where applications are submitted at the branch offices of the Trust, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the branch	(a) The payment for units by an applicant shall be made by him along with the application in cash, cheque or draft. When applications are submitted at branch offices of the Trust, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city/town where the branch office of the Trust at which the application is tendered is situated. (b) If the payment is made by a cheque/draft, the acceptance of an application will be subject to such cheque/draft being realised. (c) If, the application amount is less than the minimum investment under the scheme, the entire amount shall be refunded to the applicant at his cost in such manner as the Trust

	office at which the application is tendered is situated. Provided however that the applicant who wishes to apply for units from a place other than where the Trust has its branch office/collection centre /franchise office/ designated branch of a bank may do so by sending the application to the branch office of the Trust along with the bank draft for number of units applied for after deducting therefrom charges payable for bank draft as per the guidelines of the Indian Banks Association. The collection centres/franchise offices are authorised to accept applications along with cheque payable locally or demand draft payable at places up to which the scheme is decentralised in which case the applicant may deduct charges as per the guidelines of Indian Banks Association. e.g. if the application amount is Rs.10,000/- the bank draft charges for this amount is Rs.20/-. Thus the draft can be prepared for Rs.9,980/-(i.e. Rs.10,000/- less Rs.20/-). The draft commission charges will form a part of the initial issue expenses of the Scheme. However, in case of applications received along with local bank draft where UTI has its branch office/collection centre/ franchise office bank draft commission will have to be borne by the investor. (ii)If the payment is made by cheque , the acceptance date will, subject to such	may deem fit. (d) NRIs should submit their applications preferably at the NRI Branch, Mumbai or at any of the Branches of the Trust along with NR(E) / NR(O) cheque or a rupee draft payable at the place where the application is submitted.

	cheque being realised, be the date on which the application is received by the branch office of the Trust or authorised colection centre. If payment is made by a draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date on which the application is received by the branch office or the authorised collection centre of the Trust. If the amount tendered by way of payment is not sufficient to cover the amount payable under the scheme, the applicant shall be issued such lower number of units subject to the minimum as could be issued under the scheme, the balance due to him shall be refunded at his cost in such manner as the Trust may deem fit.	
Mode of payment VIII (1) (iii) & (iv)	iii) ***Mode of Investment with repatriation benefits*** The investment by NRIs/OCBs shall carry the right of repatriation of capital invested and income earned thereon and capital appreciation (if applicable), as long as the investor continues to be resident outside India. Investment in these cases can be made through one of the following modes: (a) Draft in foreign currency (b) Draft in rupees issued in favour of UTI drawn on their Indian correspondent banks.	**iii) Mode of payment for NRI investment with repatriation benefits** The investments by NRIs/OCBs shall carry the right of repatriation of capital invested and income earned thereon and capital appreciation so long as the investor continue resident outside India. Investment in these cases can be made through one of the following modes: (a) By a draft in rupees issued in favour of the Trust by a bank/exchange house operating outside India drawn on their Indian correspondent banks. (b) By a cheque drawn on the investor's NRE account maintained with a bank in India. (c) By a cheque/draft issued from the proceeds of FCNR deposits of the investor. **Note:** Payment in Nepalese and Bhutanese currencies are not accepted. **iv) Mode of payment for NRI investment without repatriation benefits** a) Where funds held in NRO accounts are utilised for purchase of units, the funds so invested and capital appreciation (if

	(c) By cheque drawn on investor's NRE account maintained with a Bank In India. (d) By cheque/draft issued from the proceeds of FCNR deposits. Further, payment in Nepalese and Bhutanese currencies are not accepted. Investment in units is made in rupees, all foreign currency drafts are converted into Indian rupees at the rate of exchange ruling at the time of such conversion. Shortfall, if any, will have to be remitted by NRI investors. In view of the above it is advisable that NRI/OCB investors make payment by instruments mentioned at (b) & (c) above. iv) *Mode of investment without repatriation benefits* Where funds held in NRO accounts are utilised for purchase of units, the funds so invested and capital appreciation (if applicable) will not qualify for repatriation out of India. However as per RBI circular A.D. (M.A.Series) No.18 dated August 19, 1994 the entire income earned during the financial year 1996-97 and onwards will qualify for full repatriation. While in such cases UTI will make payment in	any), will not qualify for repatriation out of India. Similarly, investments in units purchased in rupees while the investor was a resident of India and becomes non-resident subsequently will not qualify for repatriation of sale proceeds of units. b) As per RBI circular A.D.(M.A. Series) No. 18 dated August 19, 1994 the entire income distribution earned thereon during the financial year 1996-97 and onwards will qualify for full repatriation. In such cases the Trust will make payment in Rupees for credit to NRO A/C. Investors are advised to contact their banks/tax consultants if they desire remittance abroad of the income distribution on units.

	rupees for credit to NRO A/C, investors are advised to contact their banks/ tax consultants if they desire remittance of income on units.	
Mode of Payment by FIIs **VIII (v)**	No provisions exist	Investment by FIIs should be through payment by debit to the Special Non-Resident Rupee Account maintained with a designated bank / authorised dealer, approved by RBI.
Right of the Trust to accept or reject application VIII (2) (a) (i)	the application is received less than the minimum investment of Rs. 5000/-	The application is received less than the minimum investment of Rs. 5000/- and Rs. 1000/- in respect of initial investment and subsequent investment per folio thereafter respectively.
Right of the Trust to accept or reject application VIII (2) (a) (iv)	No provision exists	Any application without the first applicant's bank particulars will be liable to be rejected.
Mode of Payment **VIII (3)** **2nd last paragraph**	The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust and return the balance.	The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par or NAV whichever is lower after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust and return the balance.
Sale of Units **IX**	The initial preferential offer of units under the scheme shall remain open from April 15, 1998 to May 29, 1998 (both days inclusive). The fund shall be open for sale from the first Monday of the month to the immediately succeeding Monday or for any other period as may be decided by the Trust form time to time Applications will be accepted at UTI branch offices only on days which are working days for the	a) The fund shall be open for sale and repurchase from the first Monday of the month to the immediately succeeding Monday or for any other period as may be decided by the Trust form time to time Applications will be accepted at the branch offices of the Trust only on days which are working for the concerned office. The sale price of units will be at a load of 3% to the NAV as at the close of the day on which the application is accepted. The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall as soon thereafter as possible, issue to the applicant statement of account. A statement of account issued by the Trust to the eligible institution , firm or body corporate shall be made out in the name of eligible institution/firm/body corporate. The Trust shall not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the statement of account so sent.

	concerned office Sale price of units during the initial offer period shall be at par. Thereafter sales will be at a load of 3% to the daily NAV. The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall as soon as thereafter as possible, issue to the applicant a Unit Certificate evidencing that he has been admitted as a unit holder in the scheme. A Unit Certificate issued by the Trust to the eligible trust, firm or body corporate shall be made out in the name of the eligible trust/firm/body corporate. The Trust shall not incur any liability for loss, damage , misdelivery or non-delivery of the Unit Certificate so sent. The Trust shall send the Unit Certificate within 6 weeks form the date of closure of the initial offer of units or within 6 weeks form the acceptance date as the case may be.	b) In respect of all applications for sale repurchase received and accepted at the branch offices of the Trust or received at Registrar's office (please see II (a)) by 2 p.m. on a particular day the applicable NAV will be that of the same day. All applications received and accepted after 2 p.m. will be governed by the NAV of the next working day. c) Non – individual applications along with required documents will be accepted only at the offices of the Trust. d) The Trust shall send the statement of account not later than 6 weeks from the date of acceptance of application.
Repurchase of Units X (3)	Repurchase shall be effected on receipt of the unit certificate duly discharged.	Repurchase will be effected on receipt of the repurchase request slip in the Composite Services Form (CSF)/ unit certificate duly discharged.
Repurchase of Units X(6)	Partial repurchase shall be permitted subject to the unit holder maintaining a minimum balance of Rs. 5000/- (face value).	Partial repurchase shall be permitted subject to the member maintaining a minimum balance of Rs. 5000 per folio to be computed at the repurchase price applicable as on the date of acceptance of repurchase application.
Repurchase of Units Clause X (9)	No provisions exists	In the case of FIIs, repurchase proceeds will be credited to the Special Non-Resident Rupee Account or as per instructions issued by SEBI /RBI from time to time.
Switchover	No provisions exists	i) Members under the scheme will be permitted to switchover their investment from the scheme to such other schemes or

XII.		vice versa which may be allowed by the Trust from time to time. In such a case they may apply for the switchover by submitting their request in the prescribed CSF/duly signed unit certificate, if any. ii) The switchover will be effected at NAV or NAV based price as may be decided by the Trust. iii) Partial switchover from the scheme to such other schemes or vice versa which may be announced by the Trust from time to time should satisfy the condition of holding minimum investment limit under both the schemes. The Trust shall retain the unit certificate, if any, for cancellation and the member shall be issued fresh statement of account of both the schemes. iv) Investment made in the scheme for the purpose of availing benefits under section 54EA/54EB of the Income Tax Act 1961 shall not be permitted to be switched over before the expiry of the lock-in-period of 3 and 7 years respectively.
Publication of sale and repurchase price **XII**	The Trust shall as early as possible after determining the sale and repurchase price issue it to the press for publication.	XIII.The Trust shall, after determining the sale and repurchase price issue it daily to the press for publication.
Statement of Account **A New Clause To be incorporated as Clause XIII**	The existing provisions under Clause XIII (Form of Unit Certificate) and Clause XV (Procedure when the Unit Certificate is mutilated defaced lost etc.) will be replaced by the provisions given under the New Clause XIV titled "Statement of Account"	**XIV. Statement of account** 1) For units sold on 23.02.2000 and thereafter the Trust shall issue a statement of account , with an assigned folio no. not later than 6 weeks from the date of acceptance of application. 2) Every member will receive an updated statement of account under the folio each time any additional purchase or partial repurchase or switchover or transfer of the units pursuant to clause XXIV (a) & XXIV (b) below is made by the member under the folio. 3) The NRI investor may choose any one of the following modes of despatch of statement of account (i) At the applicant's Indian/foreign address OR (ii) At the address of the NRI applicant's relative in India. 4) In case of FIIs, the statement of account will be sent to their global custodians or at the address furnished in the application. 5) If the member so desires, a unit certificate will be issued to him within six weeks of the receipt of request to issue the certificate in lieu of the statement of account. 6) Both unit certificate and statement of account are valid evidence of admission of the investor into the scheme. **XV Exchange of Statement of account/unit certificate when**

		it is mutilated, defaced, lost etc.: In such cases a statement of account will be issued based on a simple request.
Register of unit holders XVI-(6)	Not existing	The above provisions shall apply *mutatis mutandis* to units covered by 'Statement of Account' and 'Members
Nomination by unit holder XVIII	Nomination facility is available only for individuals applying on their own behalf i.e. singly or jointly unto two. Applicants can nominate one person. Minors and Non-Resident Indians can also be nominated. Applicant can change the nomination at any time during the currency of the scheme. Provided further that person applying on behalf of minors, Hindu Undivided Families, Partnership Firms, eligible trusts , societies and bodies corporate cannot nominate. 2)The Registrars subject to such directions and provisions of the Scheme may for time to time issue and subject to Sub-Clause (i)hereinabove, shall accept a nomination in the forms prescribed and register the same. They may also subject to such directions permit the variation, modification or changes in such nominations and have them registered. Other provisions will be to the extent provided in the regulations.	i)Nomination facility is available only for individuals applying on their own behalf i.e. singly or jointly up to two. ii) Only one person can be nominated. iii) Minors including a NRI minor can be nominated. iv) Nomination of NRIs is subject requirements of the RBI prescribed form time to time. v) Nomination can be changed at any time during the currency of the investment. vi) Applicant being either parent or lawful guardian on behalf of a minor, an eligible institution, societies, bodies corporate, HUF and partnership firms and shall have no right to make nomination. vii) Other provisions will be to the extent provided in the regulations. viii) The facility of the statutory nomination is available to a member under Section 39A of the Unit Trust of India Act, 1963. Accordingly, where a nomination in respect of any unit has been made in accordance with the UTI General Regulations, 1964, the unit shall, on the death of the member(s), vest in the nominee and the nominee shall be issued a statement of account in respect of the unit so vested subject to any right, title, claim or other interest of any other person to or in respect of the said units as provided in such regulations and subject to any charge or encumbrance over the said units. Transmission made by the Trust as aforesaid shall be a full discharge to the Trust form all liability in respect of the said units.
Death of a unit holder XIX (1) -	In the case of death of the first holder in a joint holding of units the second named unit holder shall be recognised by the Trust as	In the case of death of the first holder in a joint holding of units the second named unit holder shall be recognised by the Trust as having title to or interest in the units represented by the scheme and in the case of the deaths of two of the holders, the surviving holder shall be recognised by the Trust as having title

1st para	having title to or interest in the units represented by the scheme.	to or interest in the units represented by the scheme
Income Distribution XX	a) No income shall normally be distributed under the scheme. Growth shall be reflected in the Net Asset Value. However, the Trust reserves the right to distribute income in future. b) For income distribution when made, the investor will have two options. (i) Income Option : Income distribution declared under the scheme will be distributed to the unit holders. (ii) Reinvestment Option : Under the reinvestment option the income distribution declared would be reinvested in units of the scheme at the rate as may be decided by the Trust. Units will be allotted in fractions up to three places after the decimal. Accordingly, a Statement of Accounts would be dispatched to the unit holder informing the unit holding position. c) Income distribution warrants shall be dispatched to unit holders within 42 days from the date of declaration of income distribution. d)Such of the unit holders whose name appear in the Register as at the close of registers prior to the declaration of income distribution by the scheme shall be entitled to retain the income so distributed. e) The income distributed	a) Although growth is the objective of the scheme, the scheme may make income distribution from time to time. b) Such of the members whose names appear in the register of members as at the close of registers prior to the declaration of income distribution by the scheme shall be entitled to receive the income so distributed under the scheme. c) The income distributed by the scheme shall be paid through ECS, wherever such facility is available or by a cheque or warrant encashable at the branches of such bank/s as the Trust may specify under pre-payment arrangements with the bank/s. d) In case of declaration of income distribution, the Income Distribution Warrants shall be despatched within 42 days from the date of declaration of the income distribution. e) **Reinvestment of income distributed:** The member may opt for reinvestment of income, if any, declared by the scheme in further units. In the event of an exercise of such an option the whole of the income on his unitholding , after deduction of tax, if any, instead of being paid to the member in the manner provided in Clause (d) hereinabove shall be reinvested in further units of the scheme at NAV and credited to his folio. A fresh statement of account will be issued pursuant to such crediting. f. **Bank particulars of investors & Electronic Clearing Service:** (i) In order to avoid fraudulent encashment of Income Distribution Warrants/Repurchase cheques/Maturity cheques, SEBI has made it mandatory for investors, in their own interest to give bank particulars at the appropriate place in the application form. **Applications without bank particulars will be rejected.** Accordingly, applicants in the eleven cities who do not avail of the above facility as also those residing outside the cities given at (i)(b) below are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature of account, account number and name of bank) at the appropriate space in the application form as well as on the acknowledgment receipt portion for record. Income Distribution Warrants/repurchase cheques will then be made out in the name of the member with the bank particulars for crediting the member 's account so specified and sent to them. (ii) Currently ECS facility is being made available to investors from Mumbai/Calcutta/ Chennai/New Delhi/ Ahmedabad/ Baroda/Pune/Bhubneshwar/Bangalore/Hyderabad/ Jaipur for

shall be paid by the Unit Growth Scheme 10000 by cheque or income distribution warrant drawn on its bankers or through ECS. **Bank particulars of investors :** It is mandatory for the investor to give at the appropriate place in the application form, full particulars of his bank account such as nature of the account, account number and name of the investor with his bank particulars and sent to him for crediting to his bank account so specified. Any applications without Bank particulars will not be accepted. **Electronic Clearing Service:** Reserve Bank of India has introduced the concept of Electronic Clearing Services (ECS) to obviate the need for issuing and handling paper instruments and thereby facilitating improved customer service. As per the guidelines issued by RBI in this regard, an investor is required to give his mandate for ECS as per the format given in the application form with all details completed therein. This will help the Trust to credit the income amount to investor's account with the concerned bank. The applicant who desires to avail of this facility may fill up the particulars of name and number of	direct credit to their bank accounts at the respective centres and where the amount of single instrument does not exceed Rs.5.00.000/-. The investor will be given a statement giving details of credit to his bank account. (iii) The bank branch of the investor will credit the his account and indicate the credit entry with "ECS" in the passbook/statement of bank account. The applicant who desires to avail of this facility is requested to fill up the particulars of name and address of his bank, nature and number of account, 9 digit Bank and branch MICR code no. etc. in the application form. (iv) In case the number of investors from aforesaid cities are not sufficient enough or for any other reasons, the Trust may pay the income by issue of income warrants carrying bank account details instead of paying income through "ECS". **g) Income Distribution to NRI/OCBs investors** Income distribution to NRI/OCBs *investors* shall be made as per the Exchange Control Regulations. The present position regarding payment of income is as follows: i) The warrant can be issued in the name of the member and sent to a relative who is resident in India for crediting the NRE/NRO account of the member, as the case may be. OR ii) The warrant can be issued in the name of a relative who is resident in India and sent to him for being credited to his account. (f) ECS facility is also available to NRI investors who have their own bank accounts in Mumbai. For those NRI investors who wish to credit the income distribution to their resident relative's account, ECS facility could be extended to them at places as indicated above.

	account . 9 digit Bank and branch MICR code number in the application form. It is however not compulsory to avail of this facility. In case the response to this facility is not sufficient enough to handle or for any other reasons, the Trust may pay the income by issue of income distribution warrant as mentioned above, instead of paying income through "ECS".	
Valuation of assets pertaining to this scheme **XXI**	The existing provisions will be replaced by the provisions given under item 6 of Annexure III.	Refer item 6 of Annexure III.
Computation and disclosure of Net Asset Value (NAV) **XXII**	The Net Asset value of the units issued under the scheme shall be calculated by determining the value of the scheme's assets and subtracting the liabilities of the scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the units under the scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. This NAV (on historic basis) shall be issued to the press for publication six months from the commencement of the scheme i.e. on 2nd November '98 and at intervals not exceeding one week thereafter. The NAV (historic) shall be computed on a daily basis from May 1999. At a later date the Trust may decide to switchover to	The Net Asset value of the units issued under the scheme shall be calculated by determining the value of the scheme's assets and subtracting the liabilities of the scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the units under the scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. The NAV shall be issued to the press for publication daily. The Trust has commenced declaration of prospective NAV from November 29, 1999 after due notice being given through a Press release.

	prospective NAV for which a notice will be given through a Press release.	
Trust not to be admitted and recognised for the purpose of the scheme XXIII		The following sentence to be added at the end of clause XXIII "The above provisions shall apply mutatis mutandis to units covered by 'Statement of Account' and 'Members'."
Transfer/ Pledge/ Assignment of units XXIV	Transfer/Pledge/Assignment of units shall be allowed under the scheme after six months from the closure of the initial offer period. All units issued under the Scheme and outstanding are freely transferable subject to the following terms : (a) The unit certificate issued in accordance with the provisions of the scheme is negotiable and can be transferred to the individuals, expressed and such other categories as are mentioned in Clause IV of the provisions of the Scheme. The acceptance of the Transfer Deed and the admittance of the transferee as a unit holder under the scheme will be at the sole discretion of the Trust. (b) Transfers may be effected only by and between transferors and transferees who are capable of holding units. The Scheme shall not be bound to recognize any other transfer. (c) Transfer instruments with the relative unit certificates accompanied by	a) All units issued under the scheme and outstanding are not transferable with effect from 23.02.2000 **Transfer facility - units issued pursuant to this offer document.** Subject to the following exception, units under the statement of account to be issued to the member is not transferable . Since the scheme is an interval fund units are available for sale/repurchase on a regular basis at NAV based price/NAV. However, if a person becomes a holder of units by operation of law or upon enforcement of a pledge (as given in 'c' below) or due to death , insolvency or winding up of a joint holder then subject to production of such evidence which in the opinion of the Trust will effect the transfer if the intended transferee is otherwise eligible to hold units. b) **Pledge/assignment of units :** The member may pledge/assign units in favour of banks / other financial institutions as a security for raising loans. Units can be pledged by completing the requisite forms/formalities as may be required by the Trust. The Trust will record a pledge/charge /lien against units pledged. The pledger may not redeem units so pledged until the bank/financial institutions to which the units are pledged provides the written authorisation to the Trust that the pledge bank/financial institutions will have complete authority to redeem such units.

	such fee as may be prescribed from time to time by the Scheme shall be lodged with any of the offices of the Registrars appointed for the purpose. (d) Any transfer deed lodged with or accepted by any of the offices of the Trust shall be forwarded to the nearest office of the Registrars. (e) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to hold units until the name of the transferee is entered in the register of holders by the Registrars. (f) The Registrars may require such evidence as they may consider necessary in support of the title of the transferor or his right to transfer units. (g) The Registrars may subject to compliance with such requirements as they deem necessary dispense with the production of the original unit certificate, should it be lost, stolen or destroyed. (h) Upon registration of a transfer of units all instruments of transfer and the unit certificate may be retained by the Registrars. (i) The Registrars recognizing and registering a transfer may issue the original or fresh unit certificate or certificates to the transferee upon payment and realisation of such charges as are payable in connection with the transfer and issue of	

	such a certificate or certificates. (j) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity, by operation of law or a scheduled bank upon enforcement of a pledge then the Registrars shall subject to production of such evidence which in their opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units. (k) Subject to the provisions contained hereinabove the Trust shall register the transfer and return the Unit Certificate to the transferee within 30 days from the date of lodgement of Unit Certificate together with the relevant instrument of transfer.	
Investment Objectives and Policies **XXV (i) to (viii)**	The existing provisions in respect of Investment policies and Inter Scheme transfers will be replaced by the provisions given under items 2 & 4 of annexure III. However, notwithstanding anything contained in clauses XX, XXI and XXIV above, the valuation of assets, computation of NAV, repurchase price and their frequency of disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MFs) Regulations / Guidelines / Directives issued by SEBI from time to time.	Refer annexure III, items 2& 4. However, notwithstanding anything contained in respect of clauses XX, XXI and XXIV, the investment policies, determination of NAV and valuation of assets, fixation of repurchase price and frequency of disclosure of NAV, repurchase price and portfolio would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.
Additions and Amendme nts to the	The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and any amendment / addition	**To be deleted and amended as under:** **Fundamental Attributes** (a) "Fundamental attributes" mean the following.

scheme XXIX	thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained. When any change in the fundamental attributes of the scheme or the trust or fees and expenses payable or any other change which would modify the scheme or affect the interest of the unit holders is proposed to be carried out the consent of not less than three fourths of the unit holders shall be obtained: Provided that no such change shall be carried out unless three fourths of the unit holders have given their consent and who do not give their consent are allowed to redeem their holdings in the scheme. **Explanation:** For the purposes of this clause "fundamental attributes" means the investment objective and terms of the scheme.	i. Type of scheme : Unit Growth Scheme 10000 is an open end equity scheme. ii. Investment objective: as provided under clause XXV (a) and (b) of this offer document. iii. Terms of issue: provisions in this offer document in respect of repurchase and expenses. (b) Any change in the fundamental attributes of the scheme will be carried out only if : (i) the existing members are intimated by individual communication and (ii) an advertisement is given in English daily newspaper having circulation all over India and also in a Marathi newspaper. (iii) the members are given an option to exit at prevailing NAV without any exit load. (c) The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette as required in terms of section 21(4) of the UTI Act 1963. (d) Any change/amendment/modification of the fundamental attributes of the scheme will be made with the prior approval of the SEBI. In respect of other changes/amendments/modifications not being of fundamental nature and not affecting the interest of the investor adversely, SEBI will be kept informed.
Benefits to the unit holders XXXIV	All benefits accruing under the scheme in respect of capital, reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the scheme shall be available only to the unit holders who hold the units for the full term of the scheme till its closure. **Approval of unit holders of the scheme shall be sought in the following circumstances:** i) whenever required to do so by SEBI in the interest of the unit holders; or ii) whenever required to do	All benefits accruing under the scheme in respect of capital, reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the scheme shall be available only to the unit holders who hold the units for the full term of the scheme till its closure. **To be deleted since these are included in the revised Clause XXIX detailing " Fundamental Attributes" / Clause XXX titled " Termination of the scheme"**

	so on the requisition made by three-fourths of the unit holders of the scheme. iii) when the majority of the trustees decide to wind up or prematurely redeem the units ; or iv) when any change in the fundamental attributes detailed in clause XXIX of the scheme or fees and expenses payable or any other change which would modify the Scheme or affect the interest of the unit holders is proposed to be carried out unless the consent of not less than three fourths of the unit holders is obtained.	
Tax laws applicability	The existing provisions will be replaced by the updated provisions given under item 8 of annexure III.	Refer item 8 of annexure III.
Custodians & Auditors	The existing provisions will be replaced by the updated provisions given under items 11 & 12 of Annexure III.	Refer items 11 & 12 of Annexure III.
Rights of Investors and services	**Rights of unitholders** 1. Unitholders under the scheme have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of and to the income declared, if any by the scheme. 2. The unitholders have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the unitholders. 3. The unitholders are entitled to have the income warrants sent to them	**Investors Rights & Services** 1. Members under the scheme have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of the scheme and to the income declared by the scheme. 2. The members have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the member s. 3.The members have the right to have statement of account issued to them not later than 6 weeks from the date of acceptance. 4.The members have the right to have the repurchase proceeds despatched to them within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the application at the office where the repurchase requests are processed. In the case of income distribution the members have the right to have income distribution warrants despatched within 42 days from the date of declaration of the income distribution. 5. An abridged annual report in respect of the UGS 10000

	within 42 days of the date of declaration of the income, if any. 4. Unitholders have the right to get the units transferred within a period of 30 days. 5. The unitholders shall have the right to have payments for units repurchased by the Unit Trust to be made not later than 10 working days after the acceptance date provided that the repurchase application is in order as specified under regulation 53 (b) of SEBI (MFs) Regulations, 1996. 6. The unitholders have the right to inspect all documents listed under the heading "Documents available for inspection".	shall be mailed to all members not later than six months from the date of closure of the relevant accounting year and the full annual report shall be available for inspection at the Central Investors' Relation Cell of the Trust and a copy shall be made available to the members on request on payment of nominal fee, if any. 6. Any change in the fundamental attributes of the scheme will be carried out if the investors are allowed to exit at NAV besides being intimated by individual communication. 7. Under specified circumstances the approval of members will be sought by a Postal Ballot. 8. The member s have the right to inspect the following documents at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No.1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai 400020. ❖ The UTI Act ❖ The General Regulations ❖ The agreements with the custodians, registrars and paying bankers ❖ Copy of Offer Document of UGS 10000
Interscheme transfers	New provisions inserted as per item 4 of annexure III.	Refer to item 4 of annexure III.
Associate Transactions & Borrowings	New provisions inserted as per item 5 of annexure III.	Refer to item 5 of annexure III.
Investor Complaints	The existing information will be updated.	
Penalties / pending litigation or proceedings, material findings of inspections or investigations **XXXV**	No provisions exist	Refer item 14 of annexure III.
Tax Treatment of Investments	New provisions inserted as per item 8 of annexure III.	Refer to item 8 of annexure III.
Custodians	Existing provisions updated	Refer to items 11 & 12 of annexure III.

& Auditors	as per items 11 & 12 of annexure III.
Condensed Financial Information	Data updated.

ANNEXURE II

UGS 10000 - PROVISIONS DELETED

Clause no.	Existing provisions	Remarks
Management's perception of Risk factors	UTI has been in operation for over 33 years and has built up expertise in managing funds of around Rs. 58000 crores form over 50 million investors	Deleted; since the current SEBI regulations do not require such disclosure.
Form of Unit Certificate XIII	Unit Certificate shall be in such forms as may be decided by the Executive Director of the Trust. Each Unit Certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the Certificate and the name of the unit holder.	Deleted
Manner of preparation of Unit Certificate XIV	The Unit certificate may be engraved or lithographed or printed as the Board may, from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Unit Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by mechanical method. No Unit Certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit Certificate so signed shall be valid and binding not withstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign Unit Certificate on behalf of the Unit Trust. Provided that should the Unit Certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the Certificate, the Unit Trust may by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the Certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid.	Deleted; Since Unit Certificate to be replaced by Statement of Account
Power to construe provision XXXI	If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of the scheme, only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the scheme, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the scheme and such decision shall be conclusive, binding and final.	Deleted; since this power is now vested in the Board of Trustees and is suitably included in the "Fundamental Attributes".
Relaxation of provisions XXXII	Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the scheme, relax any of the provisions of the scheme in case of any unit holder or class of unit holders upon such terms as may be deemed expedient under intimation to SEBI. Any changes in the provisions of the offer document shall be with prior approval of SEBI and in accordance with the terms of the regulations.	Deleted

ANNEXURE III

UGS 10000

SR. NO.	INSERTIONS AS REQUIRED BY 'STANDARD OFFER DOCUMENT'
1.	*Contents:* *Table 'Contents' inserted as per the standard offer document*
2.	***Investment Policies*** (i) No term loans will be advanced by this scheme. (ii) The Trust shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases, take delivery of relative securities and in all cases of sale, deliver the securities and shall in no case [illegible] itself in a position whereby it has to make short sale or *carry for[illegible]d transaction or engage in badla finance.* (iii) The Trust shall get the securities purchased by it transferred in its name. (iv) Subject to requisite authorisations, the Trust, in appropriate circumstances, may use techniques and instruments, such as futures and options and other derivatives subject to applicable regulations and counter-party risk assessment, as prescribed by SEBI from time to time, for the purposes of achieving the investment policy of the scheme or hedging or minimising the risk. (v)(a)The scheme will participate in the stock lending programme, in accordance with the terms of securities lending scheme announced by SEBI. The activity shall be carried out through approved intermediary. (a) The maximum exposure of the scheme to a single intermediary in the stock lending programme at any point of time would be 10% of the market value of the equity portfolio of the scheme or such limit as may be specified by SEBI. (b) If mutual funds and the Trust are permitted to borrow stocks the scheme may in appropriate circumstances borrow stocks in accordance with SEBI guidelines in that regard. (vi) The scheme may invest in securities issued by overseas/foreign companies and listed abroad or securities issued by Indian corporates to foreign/overseas investors and listed on foreign stock exchange directly by subscribing to such issues or purchasing them on foreign stock exchanges in accordance with the SEBI / RBI guidelines in that regard from time to time. (vii) The scheme shall not make any investment in;

	a) any unlisted security of an associate or group company of the Trust; or b) any security issued by way of private placement by an associate or group company of the Trust; or c) the listed securities of group companies of the Trust which is in excess of 25% of the net assets. (viii) The services of UTI Securities Exchange Limited (UTI SEL) a stock-broking firm and wholly owned by the Trust may be utilised for securities transactions of the scheme as per the policies and subject to the limits laid down by the Board of Trustees of the Trust. UTI SEL was set up in 1994, with registered office at Mumbai. (ix) The scheme shall invest not more than 10% of its NAV in the equity shares or equity related instruments of any company.
3.	***Table showing Corporate Investment in the Trust's schemes and the Trust's investments in these companies inserted as per the 'standard offer document'.***
4.	***Inter-Scheme Transfers*** Transfer of investments from /to this scheme to/from another schemes/plans of the Trust shall be done only if- a) such transfers are on spot basis and are at the prevailing market price for quoted instruments. *Explanation* : "spot basis" shall have the same meaning as specified by the stock exchanges for spot transactions. b) the securities so transferred are in conformity with the investment objective of the schemes/ plans to which such transfers are made; and c) transfer of unlisted or unquoted investments from/to the scheme to/from another schemes/plans of the Trust are as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.
5.	***Associate Transactions & Borrowings*** **1.** The scheme shall not borrow except to meet temporary liquidity needs of the scheme for the purpose of repurchase/redemption of units or distribution of income, if any, to the member s. Provided that the scheme shall not borrow more than 20% of the net asset of the scheme and the duration of such a borrowing shall not exceed a period of six months. **2.** As per section 20 of the Unit Trust of India Act 1963 the Trust has the following borrowing powers: (i) The Trust may borrow, whether in India or outside India from any authority or person, not being Government or the Reserve Bank, against such security and on such terms and conditions as may be agreed upon.

	(ii) The Trust may borrow money from the Reserve Bank- (a) repayable on demand or on the expiry of a fixed period not exceeding ninety days from the date on which the money is so borrowed, against stocks, funds and securities (other than immovable property) in which a trustee is authorised to invest trust money by any law for the time being in force in India; (b) repayable on demand or within a period of eighteen months from the date on which the money is so borrowed, against the security of the bonds which the Trust may issue with the approval of the Central Government; (c) on such terms and conditions and against the security of such other property of the Trust as may be specified in this behalf by the Reserve Bank for the purposes of any scheme other than the first unit scheme: Provided that any amount borrowed under this clause and outstanding at any one time shall not exceed- (a) five crores of rupees in respect of each such scheme; and (b) ten crores of rupees in respect of all such schemes in the aggregate. (iii) The bonds issued by the Trust under sub-section (ii) shall be guaranteed by the Central Government as to the repayment of principal and the payment of interest at such rate as may be fixed by the Central Government at the time the bonds are issued.
6.	**Valuation of assets pertaining to this scheme** (a) Quoted investments including those under lock-in period, if any, but except government securities are valued at the closing market rates on the valuation date and in its absence, at the latest available quote within a period of sixty days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of sixty days prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment. (b) Quoted government securities are valued at closing NSE market rates on the valuation date and in its absence the latest available quote within a period of seven days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of seven days prior to the valuation date the same are treated as unquoted government securities. (c) In case of quoted debentures and bonds, the market rate, being cum-interest, the same is adjusted for the interest element, if any. (d) Right entitlements for shares are valued at market rates, discounted for dividend element, wherever applicable. (e) Unquoted preference shares/cumulative convertible preference shares are taken at cost. (f) Unquoted equity shares are valued on fair valuation basis as determined by the Board of Trustees from time to time.

	(g) Unquoted debentures bonds and transferable notes are valued at yield to maturity , linked to the yield on GOI Securities (yield curve) along with a mark up approved by the Board of Trustees. (h) Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil. (i) Unquoted Government securities, if any, are valued at yield to maturity based on the prevailing interest rates. (j) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rate relevant to equity shares, discounted for dividend element, if any. The non-convertible portion if any, of such debentures and bonds is valued as in (g) above. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is taken at cost. (k) Capital indexed bonds are valued on cost basis. (l) <u>Valuation policies for Money Market instruments :-</u> (i) Money Market instruments and other assets are taken at book value. (ii) The money invested in inter bank call market is taken at cost. (iii) The money invested in discount/interest earning instruments is valued at the yield at which the instrument was last traded. For this purpose the latest available quote within a period of two working days, prior to the valuation date is considered. When there are no quotes available in the last two working days, the instrument is valued at cost plus the difference between the face value and the cost, applied uniformly over the remaining maturity of the instrument. (iv) Other money market instruments, including unquoted debentures are valued at cost plus the difference between the face value and cost, applied uniformly over the remaining maturity of the instrument. **However, notwithstanding anything contained in respect of clauses XXI, XXII, & XXV the investment policies, determination of NAV and valuation of assets, fixation of repurchase price and frequency of disclosure of NAV, repurchase price and portfolio would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.**
7.	*Accounting Policies*

1. Income recognition

(a) Dividend Income on listed equity shares is accrued on the ex-dividend date. Dividend income on unlisted equity shares and preference shares is accounted on receipt basis.

(b) Interest on investments and commitment charges is accounted for on accrual basis.

(c) Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost.

(d) Profit or loss and premium on redemption of debenture/bonds are recognised on the due date.

(e) Underwriting commission is recognised as revenue on receipt basis when there is no devolvement. In case of devolvement, the full underwriting commission is reduced from the cost of such investments.

(f) Front-end fee on investments in shares and debentures is reduced from the cost of such investments.

(g) The difference between purchase price and the maturity value in respect of zero coupon bonds, deep discount bonds and other long term discounted instruments is treated as income over the remaining life of the instrument on YTM basis.

(h) Other income is accounted for on receipt basis.

2. Expenses

a. Expenses are accounted for on accrual basis.
b. Certain common expenses incurred through Unit Scheme 1964, are allocated to the other schemes as per the provisions of Sec 25 (4) of UTI Act 1963.

c. Unit Scheme 1964 which owns the fixed assets, recovers lease rent, on an approved basis, from other schemes for their usage of the said assets.

3. Investments

a. Investments are stated at cost or written down cost.

b. In case of secondary market transactions investments are recognised on trade dates.

c. Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment.

d Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex-right dates.

e. Investment viz., debenture and bonds, are transferred to current assets on the redemption / due date.

f. The cost of investments include brokerage and service tax but does not include cost of stamps which is charged to revenue.

4. Provisions and Depreciation:

(A) Provisions against the income considered doubtful:
Provision is made in respect of interest income remaining past due for two quarters or more. Provision is made in respect of dividend at the year end, where it remains outstanding for more than one year from the ex- dividend date.

(B) Depreciation in the value of investments
(i) The aggregate value of investments as computed in accordance with clause XXI above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to General Reserve / Unit Premium Reserve. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year. the appreciation is added to Unit Premium Reserve/ General Reserve to the extent depreciation was previously adjusted.

(ii) In cases where unquoted equity or preference shares were written off in the earlier years, the cost of such investment is written back to its cost, as and when a quote or fair value is available.

(iii). Assets where interest is remaining past due for two quarters or more are classified as non performing assets. Provision for such assets is made individually (as stated in the table below). Such provisions are not made for other performing assets of the same company.

Period for which asset Remains non-performing	Percentage of Provision	
	Secured Asset	Unsecured Asset
Upto two years	10%	10%
Exceeding two years But upto three years	20%	100%
Exceeding three years	30%	100%

	But upto five years Exceeding five years 50% 100% (iv) Where principal repayment remains outstanding (i) for two quarters beyond the past due period in respect of the debt instruments with a balance maturity of not more than 3 years and (ii) for one year beyond the past due period in respect of debt instruments with a balance maturity of more than 3 years, provisions are made for such outstanding instalments. The overall provision for such assets is limited to the percentage mentioned in the above table (upto 50% for secured and 100% for unsecured assets) or the amount in default whichever is higher. Any subsequent instalments in such cases where the original default continues, are provided after 30 days from the respective due dates. (v) In case of funding of interest by way of capitalisation of outstanding interest dues, the same is provided irrespective of the period of default. (vi) Provisions for non performing assets are charged to Unit Premium Reserve/General Reserve/ Revenue Account as the case may be. (vii) Provisions made under paragraph 4(A) and 4(B) (iv) are written back on receipt or on restructuring of the assets. Provisions under 4(B) (v) are written back on receipt basis. **5. Income Distribution :** (a) Provision for income distribution is made on unit capital at rates approved by the Board of Trustees from time to time. **6. Publication of Financial Results:** The unaudited financial results as on 31st December will be published within 2 months and audited annual results as on 30th June will be published within six months of finalisation of accounts in one English daily and one Marathi daily.
8.	***Tax Treatment of Investments*** 1. Residents/NRIs/OCBs i) Taxation of income, if any, and capital appreciation, if realised, under the scheme will be subject to prevalent tax laws. ii) Currently income, if any, received by all categories of investors under all schemes/plans of the Trust is totally free from tax under section 10(33) of the Income Tax Act, 1961.

	The scheme is required to pay an income distribution tax at the rate of 10% and surcharge of 10% thereon under Section 115R of Income Tax Act, 1961 on the amount of income, if any, distributed by it. However, being open ended equity oriented fund, the scheme will not be subject to the said tax under the said section upto 31st March, 2002, provided more than 50% of the total proceeds of the scheme are invested in equity shares of domestic companies. iii) Currently, any long term capital gains arising out of investment in the scheme by residents and NRIs out of rupee originated or NRO funds will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961. At present the investor is required to pay tax @ 20% on long term capital gains after factoring the benefit of the Cost Inflation Index. However, the capital gains accruing to investments made through NRE accounts are not taxable. iv) Value of investment in units under the scheme is completely exempt from Wealth Tax. v) The Gift Tax Act, 1958 has abolished the levy of Gift Tax in respect of units of the scheme are fully exempt from levy of Gift Tax. **2) Eligibility for Capital Gains Tax Exemption under Section 54EA** **Investment of entire or part of net consideration arising out of transfer of long term capital assets in UGS 10000 will be eligible for capital gains tax exemption under Section 54EA of the Income Tax Act, 1961 subject to repurchase of units only after three years from the date of acceptance of the application.** **3) Eligibility for Capital Gains Tax Exemption under Section 54EB** **Investment of entire or part of capital gains arising from transfer of long term capital assets in UGS 10000 will be eligible for capital gains tax exemption under section 54 EB of of Income Tax Act, 1961 subject to repurchase of units only after seven years form the date of acceptance of application.** **4) For Eligible Trusts** **Units are approved securities under section 11(2)(b) of the Income Tax Act 1961. Eligible Trusts investing in units will therefore, qualify for tax exemption in respect of income and corpus under sections 11 and 13 of the Income Tax Act, 1961.**
9.	***Constitution & Management of Unit Trust Of India*** **Constitution of UTI** **Unit Trust of India was set up as a statutory body under Unit Trust of India Act, 1963, with a view to encouraging saving and**

investment and participation in the income, profits and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

Management of UTI

The Management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India.

Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

Board of Trustees *

1. Shri P S Subramanyam	Chairman, Unit Trust of India
2. Shri G P Muniappan	Executive Director, RBI
3. Shri G P Gupta	Chairman & Managing Director, IDBI
4. Shri N.S. Sekhsaria	Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.
5. Shri Rajendra P Chitale	Chartered Accountant
6. Dr. Vishvanath V Desai	Economist
7. Shri G Krishnamurthy	Chairman, L.I.C.
8. Shri G G Vaidya	Chairman, S.B.I.
9. Shri K C Chowdhary	Chairman & Managing Director, Central Bank Of India

*** The other current directorships of the Trustees are as follows:**

1. Shri P S Subramanyam (i) Chairman & Director - The India Fund, (ii) Chairman & Director -India Growth Fund, (iii) Chairman & Director - India Access Ltd. (iv) Chairman & Director - The India Public Sector Fund Ltd. (v) Chairman of Governing Council - UTI- Institute of Capital Markets, (vi) Chairman & Director - UTI Investment Advisory Services Ltd. (vii) Chairman & Director - UTI Investor Services Ltd (viii) Chairman - UTI-Securities Exchange Ltd., (ix) Director- UTI Bank Ltd. (x) Chairman & Director - Over-The-Counter Exchange of India (xi) Member - Life Insurance Corporation of India. (xii) Director - Discount & Finance House of India Ltd. (xiii) Director - Securities Trading Corpn. of India Ltd.(xiv) Director - National Stock Exchange of India Ltd. (xv) Trustee - Indian Institute of Software Engineering.

2. Shri G P Gupta- (i) Chairman- Small Industries Development Bank of India, (ii) Director- The India Fund (iii) Director- India Growth Fund, (iv) Director - Discount and Finance House of India Ltd. (v) Director- Export-Import Bank of India, (vi) Director- Securities Trading Corpn. of India Ltd., (vii) Director- Infrastructure Development Finance Co. of India Ltd., (viii) Director- Indian Airlines Ltd. (ix) Director- IDBI Bank Ltd. (x) Director- National Stock Exchange of India Ltd. (x) Member- Life Insurance Corpn. of India, (xi) Member- General Insurance Corpn.

	of India (xii) Director- South Asia Regional Fund: (xiii) Chairman - South Asia Development Fund, (xiv) Council Member- Indian Institute of Bankers, (xv) Member- Bankers Training College (RBI), (xvi) Member- Association of Development Financing institutions in Asia and the Pacific (xvii) Member- Institute of Banking Personnel Selection (xviii) Member- The Institute of Company Secretaries of India 3. **Shri N S Sekhsaria** - (i) Director - Gruh Finance Ltd. (ii) Director- Radha Madhav Investments Ltd. (iii) Director - Home Trust Housing Finance Co. Ltd. (iv) Director- Ambuja Cement foundation (v) Director Ambuja Educational Institute 4. **Shri Rajendra P Chitale** - (i) Director - Small Industries Development Bank of India. (ii) Director- National Securities Clearing Corporation Ltd (iii) Director - J M Capital Management Ltd. (iv) Director - Zurich Asset Management Company (India) Ltd. (v) Director- India Index Services and Products Ltd. (vi) Director- Association of Leasing and Financial Services Companies. (vii) Member - Executive Committee (Governing Board) of National Stock Exchange. (viii) Member - India Advisory Board of Bank of America NT & SA (ix) Member - Investment Committee, Life Insurance Corporation of India. 5. **Shri V V Desai** - Advisor - ICICI Limited. 6. **Shri G Krishnamurthy** - (i) Chairman - LIC (International) EC, Bahrain (ii) Chairman - LIC Housing Finance Ltd. (iii) Director - General Insurance Corporation of India (iv) Director- Poysha Industrial Co. (v) Chairman, Governing Board- National Insurance Academy (vi) Director- National Housing Bank (vii) Director- UTI Bank Ltd. (viii) Director - Discount & Finance House of India (ix) Director- Kenindia Assurance Co. Ltd.,Kenya (x) Director- ICICI Ltd. (xi) Chairman- Governing Body of Insurance Council 7.**Shri G G Vaidya**- (i) Chairman- SBI Capital Markets Ltd. (ii) Chairman- SBI Funds Management Ltd., (iii) Chairman - SBI Gilts Ltd., (iv) Chairman - SBI Securities Ltd., (v) Chairman - SBI Factors & Commercial Services Ltd., (vi) Chairman - SBI European Bank Ltd., (vii) Chairman - State Bank of Indore, (viii) Chairman - State Bank of Saurashtra, (ix) Chairman - State Bank of Patiala, (x) Chairman - State Bank of Bikaner & Jaipur , (xi) Chairman - State Bank of Hyderabad, (xii) Chairman - State Bank of Mysore, (xiii) Chairman - State Bank of Travancore, (xiv) Chairman - State Bank of India (California), (xv) Chairman - State Bank of India (Canada), (xvi) Vice President of the Governing Council - Indian Institute of Bankers, (xvii) Director- National Bank for Agriculture and Rural Development , (xviii) Director - Export- Import Bank of India, (xix) Director- General Insurance Corporation, (xx) Member of the Governing Board & Chairman of Finance Committee- National Institute of Bank Management , (xxi) Member of the Governing Board, Chairman of the Finance Committee & Office Premises Committee & Committee of Administrators of IBPS Employees Pro. Fund, - Institute of Banking Personnel Selection (xxii) Member- Institute for Developing & Research in Banking Technology, (xxiii) Director-

	Infrastructure Development Finance Corporation , (xxiv) Director-Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd. , (xxv) Director-Export Credit Guarantee Corporation, 8. **Shri K C Chowdhary** - (i) Chairman - Small Group on Bank Audit, Indian Banks' Association (ii) Chairman- Banking Operations, Indian Banks' Association, (iii) Chairman - Small Group on Credit Related Matters, Indian Banks' Association (iv) Chairman - IBA Working Group for Interaction with Trade Bodies/Associations, (v) President - Indian Banks' Association, Local Chapter, (vi) Member - Managing Committee, Indian Banks' Association, (vii) Chairman - Centbank Home Finance Ltd., (viii) Chairman - Centbank Financial & Custodial Services Ltd., (ix) Director - Agricultural Finance Corpn. of India, (x) Director - Mastercard Asia/Pacific Board, (xi) Director - The New India Assurance Co. Ltd.,(xii) Member - Task Force, Indian Banks' Association.
10.	***Management of the Fund :*** Name of the fund manager alongwith his qualifications and experience inserted.
11.	***Custodians*** The SEBI registration number of SHCIL is IN/CUS/011 Tariff structure of SHCIL is as under:

	Electronic	Physical
Dematerialisation	Rs.5 per certificate	-
Purchase	5.5. basis points on The value of the Transaction	Rs.100 per DIP
Sale	5.5 basis points on The value of the Transaction	Rs. 100 per DIS
Custody	1.5 basis points on The asset value in The custody	8 basis points on the asset value in the Custody
Off market Purchases	5.5 basis points on the value of the Transaction	-
Off market Sales	5.5 basis points on the value of the Transaction	-
Rematerialisation	Rs.15 per certificate	-

	Or 15 basis points of Conversion value Whichever is higher
12.	*Auditors* M/s. Chaturvedi & Company. Chartered Accountants, 60, Bentik Street, Calcutta 700 069 and M/s Batliboi & Purohit, Chartered Accountants, National Insurance Building, 204, D N Road, Fort, Mumbai 400 001. The auditors of the scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.
13.	**Table showing Investors' Grievance Redressal data inserted**
14.	**PENALTIES, PENDING LITIGATIONS, MATERIAL FINDINGS OF INSPECTIONS/ INVESTIGATIONS** 1. There are no cases relating to penalties awarded by SEBI under the SEBI Act or any of its regulations or by any Stock Exchanges (where the units of the schemes of the Trust are listed) against the Unit Trust of India/Board of Trustees, or any of the Trustees or key personnel (specifically the fund managers). 2. There are no pending material litigation proceedings incidental to the business of the Unit Trust of India including the Board of Trustees or any of the trustees or key personnel. There are no pending criminal cases against the Unit Trust of India, Board of Trustees or any of the Trustees or key personnel. 3. Neither SEBI nor any other Regulatory Agency has specifically advised that any deficiency in the systems and operations of the Unit Trust of India be disclosed in the offer document. 4. There are no enquiry/adjudication proceedings under the SEBI Act and the Regulations made thereunder, against Unit Trust of India, Board of Trustees/Trustee or key personnel.
15.	**Table giving condensed financial information inserted**

ANNEXURE I

PEF - PROVISIONS MODIFIED/INSERTED

Clause No.	Existing provisions	Amended provisions
	Not included	**HIGHLIGHTS** An Open End Growth Scheme Open to resident individuals and institutions as well as to NRIs, OCBs and FIIs. Minimum investment is Rs.5000/- with no maximum limit. For subsequent investments under the same folio the minimum investment is Rs.1000/. The face value of a unit is Rs.10/-. Sale and repurchase will be based on the NAV as at the close of the day on which the application is accepted. Sale will be at NAV plus a load not exceeding 3% to NAV. Repurchase will be at NAV. Facility to reinvest the income, if any, will be available at NAV. Switchover facility from the scheme to such other schemes which may be announced by the Trust from time to time or vice versa at NAV or NAV based price. Currently Income Distribution, if any by the scheme is totally tax free in the hands of investors under section10(33) of Income Tax Act 1961. Further, being an open end equity oriented fund it will not be subject to Income Distribution tax for a period upto March 2002 under section 115R of the Income Tax Act 1961.

		Capital gains arising from capital appreciation, if any, on repurchase of units is subject to tax benefits under sections 48 & 112 of Income Tax Act, 1961. Investment eligible for availing of capital gains tax exemption under sections 54EA and 54EB of the Income Tax Act, 1961,depending upon the source of fund subject to repurchase of units only after lock-in-period of three/seven years respectively from the date of acceptance of the application. Value of investment in units under the scheme is completely exempt from Wealth Tax. The Gift Tax Act, 1958 has abolished the levy of Gift Tax in respect of gifts made on or after 1st October 1998. Thus, gift of the units of the scheme are fully exempt from levy of Gift Tax.
Definition III (a)	'acceptance date' with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust after being satisfied that such application is in order, accepts the same;	"Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the branch office of the Trust, after being satisfied that such application is complete in all respects, accepts the same. The acceptance date in respect of sale and repurchase applications received at the franchise office/collection centre will be the date of receipt of the application at the office of the Registrar or the 5th working day (T+5) from the date of its receipt thereof at the franchise office or collection centre (T), whichever is earlier. The Trust may reduce the number of working days from 5 to a lower number, as may be decided.
Definition III (ba)	No provision exists	"Alternate applicant" in case of minor means the parent other than the parent who has made the application on behalf of the minor.
Definition III (c)	Applicant' means an applicant under the Scheme and	"Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and makes an

	shall include all those categories of persons more particularly described in clause V hereinafter mentioned.	application under Clause of the Scheme who is not a minor.
Definition III	No provision exists	(ea)"Eligible Institution" means an eligible trust as defined in the Unit Trust of India General Regulations 1964.
Definition III	No provision exists	(eb) "Firm", "partner" and "partnership" have the meanings assigned to them in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932), but the expression partner shall also include any person who being a minor is admitted to the benefits of the partnership.
Definition III	No provision exists	(ia)"Member" used as an expression under the scheme shall mean and include the applicant who has been allotted units under the scheme on or after 23rd February,2000. "Member " also means a "unitholder" holding units under a unit certificate and both the expressions can be read synonymously. The existing definition (ia) is renumbered as (ic).
Definition III	No provisions exists	(ib) "Non Resident Indian (NRI)", means Non Residents of Indian nationality/origin. A person shall be deemed to be 'person of Indian origin' if he/she or either of his parents, or any of the grand parents, howsoever high in degree or ascent, whether of paternal side or maternal side, was born in India, as defined in the Government of India Act, 1935 as originally enacted.
Definition III (m)	'Person holding units or unitholder' means a person who holds units for the time being.	"Person" shall include an eligible institution as defined above.
Definition III	No provision exists	(ma) "RBI" means the Reserve Bank of India established under the Reserve Bank of India Act, 1934.
Definition III (n)	'Registrars' means a person whose services may be retained by the Trust to act as the Registrar from time to time under the scheme.	"Registrars" means a person whose services may be retained by the Trust to act as the Registrar under the scheme, from time to time.
DefinitionIII (oa)	"Bodies Corporate" includes societies registered under the	(pa) "Society" means a society established under the Societies Registration Act of

	Societies Registration Act, 1860 or established under any state or central law for the time being in force; this expression shall include banks, financial institutions and companies registered under the Companies Act, 1956.	1860 or any other society established under any State of Central law for the time being in force.
Application for Units V	i) Resident Indians being adult individuals, either singly or alongwith another adult individual on joint/either or survivor basis. ii) Non-Resident Indians on repatriable basis on the same terms as above. iv) An eligible trust as defined in the Regulations in accordance with and to the extent provided in the Regulations; v) Other Bodies Corporate including societies, banks, financial institutions and companies formed under the Companies Act, 1956.	i) a resident individual or a NRI either singly or jointly with another or upto two other individuals on joint/anyone or survivor basis. iii) an eligible institution as defined under the scheme including Private. Trust being irrevocable trust and created by an instrument in writing. iv)Financial Institution v)a society as defined under the scheme. vi)a registered co-operative society. vii) a Bank including Scheduled Bank, Regional Rural Bank, All Co-Operative Bank etc. viii)a body corporate including a company formed under the Companies Act, 1956 or established under State or Central Law for the time being in force ix)a Hindu Undivided Family both resident and non-resident. x)an Army/ Navy/ Air Force/ Paramilitary Fund xi)a partnership firm. An application by a partnership firm shall be made by not more than three members of the firm and the first named person shall be recognised by the Trust for all practical purposes as the member. xii)a Public Sector Undertaking (PSU) xiii) a Foreign Institutional Investor (FII) registered with SEBI.
Minimum Amount of Investment VI	The minimum investment shall be Rs.2000/- with no maximum limit. The unit will be allotted upto three decimal places.	Application shall be made for a minimum of Rs.5000/- There is no maximum limit and units will be allotted upto three decimal places. For subsequent investment under the same folio the minimum investment is Rs.1000/- In case of

		investment of Rs.50,000/- and above, the resident or NRI investing out of non-resident ordinary account is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and I.T. Circle address if he/she is having so.
Limitation on Expenses VIII	Initial issue expenses may not exceed 6% of the funds raised under the Scheme. Total expenses charged to the scheme except the initial issue expenses shall not exceed 3% of the daily average net asset value during any accounting year.	Initial issue expenses may not exceed 6% of the funds raised under the Scheme. Total expenses charged to the scheme except the initial issue expenses shall not exceed 2.5% of the daily average net asset value during any accounting year.
Mode of payment(IX)	(1) All payments for units applied for shall be made by the applicant alongwith the application by way of cash, cheque or draft. Where applications are submitted at UTI branch offices, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the branch office at which the application is tendered is situated. Provided however that the applicant who wishes to apply for units from a place other than where the Trust has its branch office may do so by sending the application to the branch office of the Unit Trust alongwith the bank d: :: for number of units applied after deducting therefrom charges payable for bank draft. (2) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the cheque is received by the Trust or authorised collection centre. If payment is made by draft, the	(a) The payment for units by an applicant shall be made by him alongwith the application in cash, cheque or draft. When applications are submitted at the Trust branch offices, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city/town where the the Trust branch office at which the application is tendered is situated. (b) If the payment is made by a cheque/draft, the acceptance of an application will be subject to such cheque/draft being realised. (c) NRIs should submit their applications preferably at the NRI Branch, Mumbai or at any of the Branches of the Trust alongwith NR(E)/NR(O) cheque or a rupee draft payable at the place where the application is submitted. (d) Investment by FIIs should be through payment by debit to the Special Non-Resident Rupee Account maintained with a designated bank/authorised dealer, approved by RBI. **1. Mode of payment for NRI investment with repatriation benefits** The investments by NRIs/OCBs shall carry the right of repatriation of capital invested

	acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date on which the application is received by the Trust or authorised collection centre. If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for, the applicant shall be issued such lower number of units as could be issued under the scheme, the balance due to him shall be refunded at his cost in such manner as the Trust may deem fit. iii) ***Mode of Investment with repatriation benefits*** The investment by NRIs/OCBs shall carry the right of repatriation of capital invested and income earned thereon and capital appreciation (if applicable), as long as the investor continues to be resident outside India. Investment in these cases can be made through one of the following modes: (a) Draft in foreign currency (b) Draft in rupees issued in favour of UTI drawn on their Indian correspondent banks. (c) By cheque drawn on investor's NRE account maintained with a Bank in India. (d) By cheque/draft issued from the proceeds of FCNR deposits. Further, payment in Nepalese and Bhutanese currencies are not accepted. Investment in units is	and income earned thereon and capital appreciation so long as the investor continues to be resident outside India. Investment in these cases can be made through one of the following modes: (a) By a draft in rupees issued in favour of the Trust by a bank/exchange house operating outside India drawn on their Indian correspondent banks. (b) By a cheque drawn on the investor's NRE account maintained with a bank in India. (c) By a cheque/draft issued from the proceeds of FCNR deposits of the investor. **Note:** Payment in Nepalese and Bhutanese currencies are not accepted. **4) Mode of payment for NRI investment without repatriation benefits** a) Where funds held in NRO accounts are utilised for purchase of units, the funds so invested and capital appreciation (if any), will not qualify for repatriation out of India. Similarly, investments in units purchased in rupees while the investor was a resident of India and becomes non-resident subsequently will not qualify for repatriation of sale proceeds of units. b) As per RBI circular A.D.(M.A. Series) No. 18 dated August 19, 1994 the entire income distribution earned thereon during the financial year 1996-97 and onwards will qualify for full repatriation. In such cases the Trust will make payment in Rupees for credit to NRO A/C. Investors are advised to contact their banks/tax consultants if they desire remittance abroad of the income distribution on units.

	made in rupees, all foreign currency drafts are converted into Indian rupees at the rate of exchange ruling at the time of such conversion. Shortfall, if any, will have to be remitted by NRI investors. In view of the above it is advisable that NRI/OCB investors make payment by instruments mentioned at (b) & (c) above. iv) *Mode of investment without repatriation benefits* Where funds held in NRO accounts are utilised for purchase of units, the funds so invested and capital appreciation (if applicable) will not qualify for repatriation out of India. However as per RBI circular A.D. (M.A.Series) No.18 dated August 19, 1994 the entire income earned during the financial year 1996-97 and onwards will qualify for full repatriation. While in such cases UTI will make payment in rupees for credit to NRO A/C, investors are advised to contact their banks/ tax consultants if they desire remittance of income on units.	
Right of Trust to accept or reject application IX(3)	The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application	**Right of the Trust to accept or reject application:** The Trust shall have the right at its sole discretion to accept or to reject an application for issue of units under the scheme. The Trust shall reject an

	under the scheme shall be final.	application for issue of units in the following circumstances: (i) the application is received with less than the minimum investment of Rs. 5000/- and Rs.1000/- in respect of initial investment and subsequent investment per folio thereafter respectively. (ii) the application has not been signed by the first applicant (iii) the applicant is not eligible to invest in the scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the scheme shall be final. **iv) In case the application is found to be incomplete, the same will be rejected. Any application without the first applicant's bank particulars will be rejected.** Refund in such rejected cases will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities without incurring any liability, whatsoever, for interest or other sum.
Applicant bound to comply with requirements under the scheme before being issued units IX(5)	Person applying for units under the scheme shall be bound to satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust. such as Trust deed in the case of application from a Trust, Birth Certificate in the case of application on behalf of minor, requisite documents as per RBI Regulations, if any, in case of NRI, Memorandum and Articles of Association in case of Companies etc. depending on the category of the investor. The compliance or otherwise to the satisfaction of he Trust of such requirements shall be at he sole discretion of the Trust.	**Applicant to comply with requirements under the scheme before being issued units:** a)Persons applying for units under the scheme on behalf of a minor shall satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements as laid down by the Trust such as submission of the Birth Certificate in case of minor. b) An adult, being a parent, step-parent or other lawful guardian of a minor may hold units and deal with them in accordance with and to the extent provided, in sub-section (2A) of Section 21 of the Act. Such adult if so required shall furnish to the Trust, in such manner as may be specified, proof of the age of the minor and his capacity to hold and deal with units on

	Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the unitholding cancelled and the name deleted from the register of unitholders. The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such other price as may be decided by the Trust and recover the Income Distribution, if any, wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance. The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.	behalf of the minor. The Trust shall be entitled to act on the statements made by such adult on the application form without any further proof. c) Applications for units on behalf of bodies like Partnership Firms/Co-operative Societies/Bodies Corporate/Companies shall be accompanied by certified copy of Partnership Deed/Bye-Laws of the Society/Statute governing the Body Corporate/Memorandum and Articles of Association of the Company together with Resolution of the governing Body authorising investment in the scheme. At the time of repurchase of the units, resolution of the governing body authorising repurchase and authorisation of the concerned official(s) of the Body to comply with the formalities and collect the repurchase cheque will have to be submitted. d) Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the unitholding cancelled and the name deleted from the register of unitholders. e) In aforesaid cases, the Trust shall have the right to repurchase the units at par or NAV whichever is lower after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution, if any, wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance. The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.
Application by and Registration of Trusts and Minors **X**	1) Eligible Trusts, Bodies Corporate, OCBs and FIIs may be registered as unit holders. 3) Applications by eligible trusts, bodies corporate, etc. shall be accompanied by the relevant documents showing the	1) Eligible institutions, body corporate, and societies (including co-operative societies) may be registered as members. 3) Eligible institutions, bodies corporate or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants' competence to

	applicant's competence to invest in units, such as Trust Deed, Memorandum and Articles of Association, Bye-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and a copy of the requisite Power of Attorney.	invest in units, such as Memorandum and articles of association, Bye-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and a copy of the requisite Power of Attorney. 4) A firm shall be registered as a member and the statement of account shall be made in the name of the firm.
Sale of units and date of allotment **XI**	The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. For the initial offer period the date of allotment shall be 30 days from the date of closure of the initial offer period. For subsequent offer periods the date of the allotment shall be the date of acceptance of the application . On such conclusion of the contract for sale, the Trust or its agent, as the case may be, shall, as soon thereafter as possible, send the applicant as acknowledgement therefor. The Trust shall thereafter send a unit certificate representing the units sold, by post to the address given by the applicant. The Unit Trust shall endeavour to send the unit certificate as soon as possible but not later than six weeks from the date of allotment. The Unit Trust shall not incur any liability for the loss, damage, miss-delivery or non-delivery of the unit certificate, so sent. A Unit Certificate issued to an Eligible Trust shall be in the name of such Trust.	**Sale contract/issuance of statement of account** (a) The sale price of units will be at a load not exceeding 3% to the NAV as at the close of the day on which the application is accepted. The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. For the initial offer period the date of allotment shall be 30 days from the date of closure of the initial offer period. For subsequent offer periods the date of the allotment shall be the date of acceptance of the application . On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall as soon thereafter as possible, issue to the applicant statement of account. A statement of account issued by the Trust to the eligible institution, firm or body corporate shall be made out in the name of the eligible institution/firm/body corporate. The Trust shall not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the statement of account so sent. (b) In respect of all applications for sale/repurchase received and accepted at the Trust branch offices or received at Registrar's office [please see III (a)] by 2 p.m. on a particular day the applicant NAV will be that of the same day. All applications [illegible]ved and accepted after 2p.m. will [illegible]erned by the NAV of the next working day. (c) Non-individual applications alongwith required documents will be accepted only at the Trust offices.

		(d) The Trust shall send the statement of account not later than 6 weeks from the date of acceptance of application.
Valuation of assets pertaining to this scheme XII	The existing provisions shall be replaced by the provisions given under item 9 of annexure III.	Refer to item 9 of annexure III.
Determination of Net Asset Value (NAV) XIII	This NAV shall be published daily atleast in two daily newspapers. The calculation of NAV will be subject to Regulations and Guidelines that may be prescribed by SEBI in due course.	**Computation and disclosure of Net Asset Value (NAV):** The NAV shall be issued to the press for publication on a daily basis.
Investment Limits XV	(i) All debt instruments in which investments are made by the scheme should have been rated as investment grad by CRISIL/ICRA/CARE or any other credit rating agencies which may be recognised from time to time: Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment. (ii) No term loans will be advanced by this scheme. (iii) Investments by way of privately placed debentures, securitised debts and other unlisted debt instruments shall not exceed 10% of the total assets of the scheme. (iv) The scheme shall not invest more than 5% of its corpus in any one company's shares. (v) Not more than 15% of the funds of all the schemes of the Trust including this scheme shall be invested in shares, debentures	(i) No term loans will be advanced by this scheme. (ii)The Trust shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases, take delivery of relative securities and in all cases of sale, deliver the securities and shall in no case put itself in a position whereby it has to make short sale or carry forward transaction or engage in badla finance. (iii) The Trust shall get the securities purchased by it transferred in its name. (iv) Subject to requisite authorisations, the Trust, in appropriate circumstances, may use techniques and instruments, such as futures and options and other derivatives subject to applicable regulations and counter-party risk assessment, as prescribed by SEBI from time to time, for the purposes of achieving the investment policy of the scheme or hedging or minimising the risk. (v)(a)The scheme will participate in the stock lending programme, in accordance with the terms of securities lending scheme announced by SEBI. The activity shall be carried out through approved intermediary.

	or other securities of a single company. (vi) Not more than 15% of the funds of all the schemes of the Trust including this scheme shall be invested in shares and debentures of any one industry: Provided that provision shall not apply to a scheme which has been floated for investments in one or more specified industries and declaration to that effect has been made in the offer letter. (vii) Transfer of investments from this scheme to another scheme/plan of the Trust shall be done only if- (a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis. (b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment object of the scheme/plan to which such transfer has been made. (c) transfer of unlisted or unquoted investments from the scheme to another scheme/plan shall be as per the policies laid down by the Board of Trustees of UTI. (viii) The scheme shall not invest in or lend to another UTI scheme/plan. (9) The scheme shall not borrow funds to finance its investments.	(b) The maximum exposure of the scheme to a single intermediary in the stock lending programme at any point of time would be 10% of the market value of the equity portfolio of the scheme or such limit as may be specified by SEBI. (c) If the Trust is permitted to borrow stocks the scheme may in appropriate circumstances borrow stocks in accordance with SEBI guidelines in that regard. (vi) The scheme may invest in securities issued by overseas/foreign companies and listed abroad or securities issued by Indian corporates to foreign/overseas investors and listed on foreign stock exchange directly by subscribing to such issues or purchasing them on foreign stock exchanges in accordance with the SEBI / RBI guidelines in that regard from time to time. (vii) The scheme shall not make any investment in; a) any unlisted security of an associate or group company of the Trust: or b) any security issued by way of private placement by an associate or group company of the Trust; or c) the listed securities of group companies of the Trust which is in excess of 25% of the net assets. (viii) The services of UTI Securities Exchange Limited (UTI SEL) a stock-broking firm and wholly owned by UTI may be utilised for securities transactions of the scheme as per the policies and subject to the limits laid down by the Board of Trustees of the Trust. UTI SEL was set up in 1994, with registered office at Mumbai. (ix) The scheme shall invest not more than 10% of its NAV in the equity shares or equity related instruments of any company.
Repurchase of	(1) No repurchase shall be made	1. Repurchases will be open throughout the

units XVI	within the lock-in-period i.e. within 90 days from the date of closure of the initial offer period. (2) (i) After the lock-in-period, the Unit Trust shall repurchase the units at NAV. Repurchase shall be effected on receipt of the Unit Certificate with duly discharged repurchase from printed on the reverse subject, however, to the fact that the Trust is fully satisfied that all formalities in that regard have been completed as is more particular detailed in sub clause (3) hereto. Partial repurchases will be allowed, provided that no repurchase so made should result in the unitholder holding units other than in multiples of 100 units. (ii) the unit holder shall be under no obligation to offer his units for repurchase as provided in sub clause 2(I) above and he will be free to hold them as long as he desires during the currency of the Scheme. (3) Subject to the provisions of sub clause thereof, the Unit Trust shall, on request by the unit holder for repurchase , repurchase specified part of the units indicated in the unit certificate, as the case may be, being always a multiple of 100 units, the unit certificate so received shall be retained by the unit certificate so received shall be retained by the Unit Trust for cancellation. The Unit Trust shall, in the case of repurchase of a part of the units indicated in the unit certificate, issue a new unit certificate for the balance of	year except during the book closure not exceeding 45 days in a year. 2. The Repurchase Price of the unit of PEF, shall be the NAV. 3. Repurchase will be effected on receipt of the repurchase request slip in the Composite Services Form (CSF)/unit certificate duly discharged. Partial repurchase shall be permitted subject to the member maintaining a minimum balance of Rs.5000 per folio to be determined at the repurchase price applicable as on the date of acceptance of repurchase application. The contract for repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date for repurchase. 4. In the event of partial repurchase, depending on the number of units retained by him, the member shall be issued a fresh statement of account. No interest shall be payable on the repurchase proceeds. 5. In the event of the death of the member/s and on surrender to the Trust by the legal representative of the statement of account, the request letter for repurchase of units outstanding to the deceased member, the Trust shall on compliance with the requirements laid down in connection with the recognition of claim, repurchase the units in accordance with such rules and guidelines as may be formulated by the Trust and pay the outstanding amount upto the date of settlement of the claim. The legal representative of the statement of account may instead of receiving the repurchase value of all units to the credit of deceased shall be permitted to hold the units as a member and continue to remain registered as a member and shall be issued a statement of account in his/her name in respect of units so desired to be held

	units held by he unitholder. (4) The contract for repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. (5) Payments for units repurchased by the Unit Trust shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in the application. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant, and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Unit Trust shall be borne by the applicant.	subject to the conditions regarding minimum holding and eligibility to invest. 7. Payment for units repurchased by the Trust after the deductions, if any, shall be made within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the statement of account alongwith a request letter at the centre where the repurchase requests are processed. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant. 8. In case of non-resident investors, repurchase proceeds will be remitted depending upon the source of investment as given below:- a) Where units have been purchased out of remittance in foreign exchange from abroad or from the proceeds of the member's FCNR deposits or from funds held in member's Non-Resident External (NRE) Account with a bank in India, the proceeds can be remitted to the member in foreign currency or credited to NRE or Non Resident Ordinary (NRO) account or paid to his relative in India. b) Where units have been purchased while the applicant was a resident in India or out of funds held in members NRO Account, the maturity proceeds will be sent either to the investor's bankers in India for credit to his NRO account or to a relative of the investor in India. 9) In case of FIIs, repurchase proceeds will be credited to the Special Non-Resident Rupee Account or as per instructions issued by SEBI/RBI from time to time.
Switchover XVIA.	No provision exists	**Switchover** i. Members under the scheme will be permitted to switchover their investment

		from the scheme to such other schemes or vice versa which may be allowed by the Trust from time to time. In such a case they may apply for the switchover by submitting their request in the prescribed Composite Services Form (CSF) / duly signed unit certificate, if any. ii. The switchover will be effected at NAV or NAV based price as may be decided by the Trust. iii. Partial switchover from the scheme to such other schemes or vice versa which may be announced by the Trust from time to time should satisfy the condition of holding minimum investment limit under both the schemes. The Trust shall retain the unit certificate,if any, for cancellation and the member shall be issued fresh statement of account of both the schemes. iv. Investment made in the scheme for the purpose of availing benefits under section 54 EA/54 EB of the Income Tax Act, 1961 shall not be permitted to be switched over before the expiry of the lock-in-period of 3 and 7 years respectively.
Sale & Repurchase Prise XIX (1)	(1) The price at which a unit will be sold by the Unit Trust (hereinafter referred to as "the sale price "), and the price at which a unit will be repurchased by the Unit Trust (hereinafter referred to as the "repurchase price") shall be declared on a daily basis. Sale during the 'initial offer period' will be at par. When the units are sold subsequently i.e. after the lock-in-period of 90 days from the date of closure of the 'initial offer period', the sale price shall be at historic NAV plus atleast 5% of NAV. The sale price shall be announced on a daily basis.	The price at which a unit will be sold by the Trust will be hereinafter referred to as Sale Price and the price at which a unit will be repurchased by the Unit Trust will be hereinafter referred to as the "Repurchase Price. Sale during the 'initial offer period' will be at par. When the units are sold subsequently i.e. after the lock-in-period of 90 days from the date of closure of the 'initial offer period', the sale price shall be at NAV plus not exceeding 3% of NAV as at the close of the day on which the application is accepted. The sale price shall be announced on a daily basis. The repurchase price shall be at NAV as at the close of the day on which the application is accepted. The repurchase

	The repurchase price shall be at historic NAV. The repurchase price will be announced daily. The difference between the sale and repurchase price, however, will not exceed 7% of the sale value.	price will be announced daily. The difference between the sale and repurchase price, however, will not exceed 7% of the sale value.
Form of Unit Certificate XIX	A Unit Certificate will be issued to the unit holder. A unit Certificate shall be in Form A annexed hereto. Each unit Certificate shall bear a distinct number, the number of units represented by he Certificate and the name(s) of the unitholder(s).	1) For units sold on 23rd February, 2000 and thereafter the Trust shall issue a statement of account, with an assigned folio number not later than 6 weeks from the date of acceptance of application. **2) Every member will receive an updated statement of account under the folio each time any additional purchase or partial repurchase or switchover pursuant to clause XXVII (a) below is made by the member under the folio.** 3) The NRI investor may choose any one of the following modes of despatch of statement of account. (i) At the applicant's Indian/foreign address OR (ii) At the address of the NRI applicant's relative in India. 4) In case of FIIs, the statement of account will be sent to their global custodians or at the address furnished in the application. 5) If the member so desires, a unit certificate will be issued to him within six weeks of the receipt of request to issue the certificate in lieu of the statement of account. 6)Both unit certificate and statement of account are equally valid evidence of admission of the investor into the scheme. 7) Provisions of clauses shall apply

		mutatis mutandis to units covered by unit certificate and to the unitholders. **8) Exchange of statement of account/unit certificate when it is mutilated, defaced, lost etc.:** In such cases a statement of account will be issued based on a simple request.
Trust not to be recognised regarding units XXIII	The person who is registered as the holder and in whose name a Unit Certificate has been issued shall be the only person to be recognised by the Trust as the unit holder and as having any right, title or interest in or to such Unit Certificate and the units which it represents, and the Unit Trust may recognise such unit holder as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any trust or equity or other interest affecting the title to any Unit Certificate or the units thereby represented.	The person who is registered as the holder and in whose name a statement of account has been issued shall be the only person to be recognised by the Trust as the member and as having any right, title or interest in or to the units indicated in the statement of account, and the Unit Trust may recognise such member as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any trust or equity or other interest affecting the title to any units indicated in the statement of account.
Register of members XXVA	No provision exists	The following provisions shall apply as regards registration of members : (1) A register of the members shall be kept by the Trust at its offices and there shall be entered in the register - (a) the folio number and the number of units standing to the credit of the member; (b) Name and address of the member; (c) Name(s) of second & third holder: (d) Nature of holding; (e) Name of the nominee / beneficiary; (f) Date of admission to membership; (2) The restrictions stipulated in Clause 21 applicable to unit certificate(s) and unit holder(s) shall apply *mutatis mutandis* to statement of account and units applied for / standing to the credit of a member.
Receipt by unitholder to	The receipt of the unitholder for any moneys paid to him in	**Receipt by member to discharge Trust** The receipt of the member for any moneys

discharge Trust XXVI	respect of the units represented by the Certificate shall be a good discharge to the Unit Trust."	paid to him in respect of the units indicated in the unit certificate/statement of account shall be a good discharge to the Unit Trust.
Transfer/Pledge/Assignment of units XXVII	Units issued under the scheme may be transferred /pledged/assigned after completion of 90 days from the date of closure of the 'initial offer' subject to the following terms: (1) Every unitholder shall be entitled to transfer the units or any of the units held by him by an instrument in writing in a form approved by the Chairman of the Trust provided that no transfer shall be registered if the registration thereof would result in the transferee being a holder of a number of units not being a multiple of 100. Provided that no transfer shall be made except to the person in the classes mentioned in Clause V. (2) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to remain the holder of the units transferred until the name of ht transferee is entered in the register in respect thereof. (3) Transfer instruments with the relative Unit Certificates shall be lodged with any of he branches of Unit Trust/Registrars if any appointed for the purpose. (4) The branch office of Unit Trust/Registrars if any, may require such evidence as they may consider necessary in	**a) Transfer facility –** Subject to following exception, units under statement of account are not transferable. But, being an open ended scheme, sale/repurchase facility is available on an on going basis at NAV/NAV based price. However, if a person becomes a holder of units by operation of law or upon enforcement of a pledge (as given in (b) below) or due to death insolvency or winding up of the affairs of sole holder or survivors of a joint holder then, subject to production of such evidence which in the opinion of the Trust is sufficient, the Trust will effect the transfer if the intended transferee is otherwise eligible to hold units. Provided, that under special circumstances, the Trust may allow transfer of units without an instrument of transfer on such terms and conditions as may be specified by the Trust. Under special circumstances, holding of units by a company or other body corporate with another company or body corporate or an individual/individuals, none of whom is a minor, will be considered by the Trust. b) The member may pledge/assign units in favour of banks/other financial institutions as a security for raising loans. Units can be pledged by completing the requisite forms/ formalities as may be required by the Trust. The Trust will record a pledge/charge/lien against units pledged. The pledgor may not redeem units so pledged until the bank/ financial institutions to which the units are pledged provides the written authorisation to the

	support of the title of the transferor or his right to transfer the units. The Trust may dispense with the production of any Unit Certificates which shall become lost, stolen or destroyed, upon compliance by the transferor with the like requirements to those arising in the case of an application by him for the replacement thereof. (5) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity or by operation of law than the branch of the Trust/Registrars if any, shall subject of the Trust/Registrars if any, shall subject to production of such evidence which in their opinion is sufficient , proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units. (6) All instruments of transfer, which may be registered, shall be retained by the Trust for such period as many be necessary keeping in view procedural and operational requirements. (7) Where all the units have been transferred, the Trust shall endorse the details of the transferee on the reverse for the purpose. Where the transferor has transferred only a portion of the units covered by a Unit Certificate, the Trust shall issue to the transferor a fresh Unit Certificate for the units not transferred by him and also issue a fresh Unit Certificate for the units not transferred by him and also issue a fresh Unit Certificate to the transferee for the units so transferred.	Trust that the pledge/charge/lien may be removed. As long as the units are pledged, the pledgee bank/financial institutions will have complete authority to redeem such units.

	transferee within 30 days from the date of lodgement of the unit Certificate together with the relevant instrument of transfer.	
Application and transfer forms signed by attorneys XXVIII	If any application or transfer form is signed by a person holding a power of attorney empowering him to do so, the original power of attorney or a notarially certified copy of the same should be submitted along with the application or the transfer form, as the case may be, unless the power of attorney has already been registered in the books of the Trust.	**Application signed by attorneys** If any application is signed by a person holding a power of attorney empowering him to do so, the original power of attorney or a notarially certified copy of the same should be submitted along with the application, unless the power of attorney has already been registered in the books of the Trust.
Nomination by unitholders (XXIX)	(1) Unitholder holding units singly or two unitholders holding jointly may exercise the right to make or cancel a nomination in favour of not more than one person to the extent provided in the regulations. However, in case of nomination by NRI's , the nomination will be governed by the rules to be formulated by the Reserve Bank of India from time to time . (2) In the event of death of a sole unitholder, the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person entitled to he amount payable by the Trust in respect of units under the regulations. (3) In the absence of a valid nomination by a unitholder the executor or administrators of the deceased unitholder or a holder of succession certificate issued under Part X of the Indian	**8. <u>Nomination by members</u>** (i) Nomination facility is available only for individuals applying on their own behalf i.e. singly or jointly upto two. (ii) Only one person can be nominated. (iii) Minors including a NRI minor can be nominated. (iv)Nomination of NRIs is subject to requirements of the RBI prescribed from time to time. v) Nomination can be charged at any time during the currency of the scheme. (vi) Applicant being either parent or lawful guardian on behalf of a minor, an eligible institution, societies, bodies corporate, HUF and partnership firms shall have no right to make nomination. (vii) Other provisions will be to the extent provided in the regulations. (viii) The facility of the statutory nomination is available to a member under Section 39A of the Unit Trust of India Act, 1963. Accordingly, where a nomination in respect of any unit has been made in accordance with the UTI General

	Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only person who may be recognised by the Trust as having any title to the units. (4) Any person becoming entitled to a unit consequent upon the death of a unitholder(s) , may, after the lock-in-period and upon producing such evidence, as to his/her title, as the Trust shall consider sufficient, be paid of the deceased at the repurchase price fixed by the Trust periodically, after all the formalities in connection with the claim have been compiled with by the claimant. (5) In the event the sole nominee under the Unit Certificate is a person eligible to hold units then a the desire of the said nominee, the nominee may instead if receiving the repurchase value of all units to the credit of the deceased shall be permitted to hold the units as a unitholder and continue to remain registered as a unitholder and shall be issued a unit certificate in his name in respect of units so desired t be held subject to the conditions regarding minimum holdings. (6) In the event of death of unitholder during the lock-in-period , Unit Trust shall settle the claim after compliance with necessary formalities and pay the legal heir/nominee the repurchase value as detailed in the relevant clauses or arrived at by any other method as may be decide by Unit Trust.	Regulations, 1964, the amount payable to the member in respect of the said unit shall, on the death of the member , vest in and be payable to the nominee in any case subject to any right, title, claim or other interest of any other person to or in respect of the said units as provided in such regulations and subject to any charge or encumbrance over the said units. Payment made by the Trust as aforesaid shall be a full discharge to the Trust from all liability in respect of the said units.

Income Distribution XXXI	(1) The Trust may or may not declare income distribution under the Scheme depending upon the income received under the Scheme and the expenses incurred thereunder. The income distributable , if, any, shall be distributed as soon as possible after the closing of the annual accounts as on the 30th of June each year. UTI shall endeavour to despatch the same within 42 days from the date of declaration o the dividend. (2) It shall be lawful for a unit holder to receive and retain any income declared by the Trust in respect of units of which he is such holder, notwithstanding that the units have already been transferred by him for consideration unless the transferee who claims the income from the transferor has within fifteen days of the date on which the income became due, lodged the Certificate and all other document relating to he transfer which may, under he provisions or otherwise, be required by the Trust, for being registered in the name. Explanation: The period specified in this sub clause shall be extended.- I) in case of death of the transferee by the actual period taken by his legal representative to establish his claim to the income; ii) in case of loss of the transfer deed by theft or any other cause beyond the control of the transferee by the actual period	(a) Although growth is the objective of the scheme, the scheme may make income distribution from time to time. (b)Such of the members whose names appear in the register of members as at the close of registers prior to the declaration of income distribution by the scheme shall be entitled to receive the income so distributed under the scheme. (c)The income distributed by the scheme shall be paid through ECS, wherever such facility is available or by a cheque or warrant encashable at the branches of such bank/s as the Trust may specify under pre-payment arrangements with the bank/s. (d)In case of declaration of Income Distribution Warrants shall be despatched within 42 days from the date of declaration of the income distribution. (e)**Reinvestment of income distributed:** The member may opt for reinvestment of income declared by the scheme, if any, in further units. In the event of an exercise of such an option the whole of the income on his unitholding, after deduction of tax, if any, instead of being paid to the member in the manner provided in Clause XXXI (c) hereinabove shall be reinvested in further units of the scheme at NAV. **f) Bank particulars of investors & Electronic Clearing Service:** (i) In order to avoid fraudulent encashment of Income Distribution Warrants/ Repurchase cheques/ Maturity cheques, SEBI has made it mandatory for investors, in their own interest to give bank particulars at the appropriate place in the application form. **Applications without bank particulars will not be accepted.** Accordingly, applicants residing outside the eleven cities given at (ii) below are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature of account,

	taken for the replacement thereof; and iii) in case of delay in the lodging of any Certificate and other documents relating to the transfer connected with the transit through the post, by the actual period of the delay. (3) Nothing contained hereinabove shall affect the right of the Trust to pay to the unit holder any income which has become due , in respect of units of which he is such a holder. (4) No interest shall be payable by the Trust on such income distributable among the unit holders.	account number and name of bank) at the appropriate space in the application form as well as on the acknowledgement receipt portion for record. Income Distribution Warrants/repurchase cheques will then be made out in the name of the member with the bank particulars for crediting the member 's account so specified and sent to them. (ii) Currently ECS facility is being made available to investors from Mumbai/Calcutta/ Chennai/New Delhi/ Ahmedabad/ Baroda/ Pune/ Bhubaneshwar/ Bangalore/ Hyderabad/ Jaipur for direct credit to their bank accounts at the respective centres and where the amount of single instrument does not exceed Rs.5,00,000/-.the investor will be given a statement giving details of credit to his bank account.
Reinvestment of Income Distribution in further units XXXII	However, the Trust, depending upon the reserves built under the Scheme and if circumstances permit, shall compensate the unitholder to the extent possible in such form and manner as approved by the Executive Committee on any delayed claim of dividend by the unit holder. (5) The income if distributed among the unit holders shall be paid by cheque or warrant or any other instrument drawn on the Trusts bankers at the places where its offices are situated or, at the option of ht unit holder, by a bank draft, the charges for such bank draft, being borne by the unit holder. The unitholder shall while applying for units or thereafter have the option to reinvest the income receivable in respect if the units held in further units. In	(iii) The bank branch of the investor will credit the his account and indicate the credit entry with "ECS" in the passbook/statement of bank account. The applicant who desires to avail of this facility is requested to fill up the particulars of name and address of his bank, nature and number of account, 9 digit Bank and branch MICR code no. etc. in the application form. (iv) In case the response to this facility is not sufficient enough or for any other reasons, the Trust may pay the income by issue of income warrants instead of paying income through "ECS". **(g) Income Distribution to NRI/OCBs investors** Income distribution to NRI/OCBs *investors* shall be made as per the Exchange Control Regulations. The present position regarding payment of income is as follows: i) The warrant can be issued in the name

Reinvestment of Income Distribution in further units XXXII	The unitholder shall while applying for units or thereafter have the option to reinvest the income receivable in respect if the units held in further units. In the event of an exercise of such an option the whole of the income that may be distributed instead of being paid o the unitholder in the manner provided in Clause XXXI hereof shall, after deduction of tax, if any, be reinvested in further units at prevailing NAV with zero sales load. A statement detailing the dividend distributed, tax deducted, if , any, and the units allotted in lieu thereof shall be forward to the unitholder. No unit holder shall be entitled to call for the issue of a Unit Certificate in respect of the units so allotted. A unitholder who has opted for the reinvestment facility a aforesaid shall on an application in writing and on surrender of the last statement issued be permitted to have the units to his credit repurchased at the repurchase price prevailing then. A unitholder who has repurchased the reinvested units may continue to avail the reinvestment facility in respect of the income distributable for the subsequent years. The units allotted under the reinvestment facility under this clause are not subject to the conditions and stipulations governing the parent units in respect of the minimum holding of 200 units and in multiples of 100 unit thereafter, partial repurchases and other matters.	<u>**investors**</u> Income distribution to NRI/OCBs *investors* shall be made as per the Exchange Control Regulations. The present position regarding payment of income is as follows: i) The warrant can be issued in the name of the member and sent to a relative who is resident in India for crediting the NRE/NRO account of the member . as the case may be. OR ii)The warrant can be issued in the name of a relative who is resident in India and sent to him for being credited to his account. (f) ECS facility is also available to NRI investors who have their own bank accounts in Mumbai. For those NRI investors who wish to credit the income distribution to their resident relative's account. ECS facility could be extended to them at places as indicated above.

Development Reserve Fund (DRF) Contribution XXXIII	0.15% of the NAV on the first day of the accounting year shall be set aside every year when the scheme goes open-ended i.e. after lock-in-period of 90 days from the date of closure of the initial offer period as contribution to the DRF of the Unit Trust.	(i)A sum equal to 0.25% p.a. of the daily average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust. DRF contribution will be part of the recurring expenses. (ii) The Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional & developmental work not related to or linked with any particular scheme itself. The Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Surveys and Market Research for the Trust, Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific scheme, Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities and for meeting the shortfall, if any, in the assured rate of return of any of the schemes of the Trust as well as the issue expenses for no-load schemes.
Staff Welfare Fund Contribution XXXIV	0.10% of the NAV on the first day of the accounting year shall be kept aside every year as contribution to the Staff Welfare Fund.	A sum equal to 0.10% p.a. of daily average Net Asset Value of the scheme shall be set aside as contribution to the Staff Welfare Fund. The Trust has instituted the Staff Welfare Fund for the welfare of its employees which shall include relief in distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.
Publication of accounts XXXV	The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the .manner specified by the Board showing the working of the scheme during the period ending as of that date. The Trust shall furnish	Amended and included under item 10 of Accounting Policies in Annexure III.

	to the SEBI and others concerned copies of duly audited annual accounts including the balance sheet and the profit and loss account as also unaudited half yearly accounts and the quarterly statement of movements in NAV and quarterly portfolio statement including changes from the previous periods. The Trust shall make such disclosures to ht investors as are essential to keep them informed about any information which may keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments. The Trust shall, on request in writing received from a unitholder, furnish him a copy of the accounts and statements so published.	
Addition and Amendments to the scheme (XXXVI)	The Board may from time to time add to or other wise amend this Scheme and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained. Amendments to the offer document based on the provisions of the Scheme can be effected with prior approval of the Executive Committee and of SEBI.	Amended and included under item 5 titled 'Fundamental Attributes' in Annexure III.
Termination of the Scheme (XXXVII)	(1)The Trust may wind up the Scheme if the total number of units outstanding after	(i) The duration of the scheme is indefinite. The Trust may however, terminate and initiate steps to wind it up

	repurchases at any point o time falls below fifty percent of the original issued number of units or in exception of the circumstances like war or warlike situation, disruption of trading in Stock Exchanges, dislocation of business in the financial market due to war etc., insurrection civil commotion or any other serious socio-economic factors (like sustained political and industrial disturbances) etc.	under the following circumstances: (a) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the scheme to be wound up, or (b) if 75% of the members pass a resolution that the scheme be wound up; or (c) if the SEBI so directs in the interest of the members of the scheme
	(2) Where the Scheme is wound up in pursuance's of cub clause (1) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the Scheme to SEBI and in daily two newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Bombay at least before a week the termination is effected.	(ii) Where the scheme is wound up in pursuance of sub clause(i) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Mumbai at least a week before the termination is effected.
	(3) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall- (a) cease to carry on any business activities in respect of the scheme. (b) cease to create and cancel units in the Scheme. (c)cease to issue and redeem units in the Scheme.	(iii) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall (a) cease to carry on any business activities in respect of the scheme. (b) cease to create and cancel units in the scheme. (c) cease to issue and redeem units in the scheme.
		(iv) The Board of Trustees shall call a meeting of the members to consider and pass necessary resolution by simple majority of the member s present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the scheme.
	(4) (a) The Board of Trustees shall dispose off the assets of the Scheme concerned in the best interest of the unit holders of the scheme.	(v) (a) The Board of Trustees or the person authorised under sub clause (iv) shall dispose of the assets of the scheme in the best interest of the member s of the scheme. (b) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause (v) (a) above, shall, in the

		first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the member s in proportion to their respective interest in the assets of the scheme as on the date when the decision for winding up was taken.
	(b) The proceeds of sale made in pursuance of clause (a) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the Scheme and after making appropriate provisions foe ' meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the unit holder in proportion to their respective interest in the assets of the Scheme as on the date when decision for winding up was taken.	(vi) On completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the unitholders a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the member and a certificate from the auditors of the scheme.
	(5) On the completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the unit holders a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the Scheme before winding up, expenses of the Scheme for winding up, net assets available for distribution to he unitholders and certificate from the auditors of the Scheme.	(vii) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue until winding up is completed or the scheme ceases to exist. (viii) After the receipt of the report referred to in item (vi) above, if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the scheme have been completed, the scheme shall cease to exist.
	(6) The Trust shall pay the repurchase value as early a possible after the Unit Certificate with the form on the reverse thereof duly completed has been received by it. The Unit Certificate and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.	(ix)The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the statement of account alongwith a request letter has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. (x) In case of NRI investors, repurchase proceeds will be remitted depending upon the source of investment as given below: a)Where units have been purchased out of remittance in foreign exchange from

		aboard or from the proceeds of the member's FCNR deposits or from funds held in member's Non-Resident External (NRE) Account with a bank in India . the proceeds can be remitted to the member in foreign currency or credited to NRE or Non-Resident Ordinary (NRO) account or paid to his relative in India. (b) Where units have been purchased while the applicant was a resident in India or out of funds held in members NRO Account, the maturity proceeds will be sent either to the investors bankers in India for credit to his NRO account or to a relative of the investor in India.
Copy of scheme to be made available (XXXIX)	A copy of this Scheme incorporating all amendments thereto shall be mad available for inspection at the offices of the Trust at all times during its business hours and may be supplied by the Unit Trust to any person on application.	Amended and included under item titled 'Investors Rights and Services' given below.
Disclaimer Clause	Inserted as per item 1 of annexure III.	Refer item 1 of annexure III.
Due Diligence Certificate	To be submitted to SEBI and then inserted as per standard format	
XLII.Interschem e Transfers	New provisions inserted as per item 7 of annexure III.	Refer item 7 of annexure III.
XLIII Associate Transactions & Borrowings	New provisions inserted as per item 8 of Annexure III.	Refer item 8 of annexure III.
XLIV Tax Treatment of Investments	New provisions inserted as per item 11 of annexure III.	Refer item 11 of annexure III.
XLV Constitution & Management of UTI	Information inserted as per item 12 of annexure III.	Refer item 12 of annexure III.
Custodians, Registrars & Auditors	Existing provisions updated as per items 14, 15 & 16 of annexure III.	Refer items 14, 15 & 16 of annexure III.
XLVI. Penalties, pending	New provisions inserted as per item 18 of annexure III.	Refer item 18 of annexure III.

litigations. material findings of inspections/ investigations		
Condensed Financial Information	Latest data inserted.	

ANNEXURE II

PEF - PROVISIONS DELETED

Clause No.	Existing provisions	Remarks
Definitions III.	'Application' means the form of application prescribed for offer of units to all applicants and containing the terms and conditions for the purpose of unit subscription to the Scheme for the investing public	Deleted
Manner of preparation of Unit Certificate (XXII)	The Unit Certificates may be engraved or lithographed or printed as the Board of Trustees may from time to time, determine, and shall be signed on behalf of the Unit Trust by two persons duly authorised by the Unit Trust. Every such signature may either be autograph or may be affected by a mechanical method. No Unit Certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears therein may have ceased to be a person authorised to sign Unit Certificates on behalf of the Unit Trust. Provided that should the Unit Certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the Certificate, the Unit Trust may, by a method considered by it a s most suitable . cancel the signature of such a person appearing on the Certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid.	Deleted as statement of account will be issued.
Exchange of unit certificates and procedure when certificate is mutilated.	(1) In case any Unit Certificate shall be mutilated or worn out or defaced, the Unit Trust in its discretion, may issue to the person entitled a new Unit Certificate representing the same aggregate number of units as the mutilated or worn out o defaced Unit Certificate. In case any Unit	Deleted as already provided in clause XIX (7) of annexure I.

defaced lost etc. (XXIV)	Certificate should be lost, stolen or destroyed, the Unit Trust may, in its discretion, issue thereof. No such new Unit Certificate shall be issued unless the applicant shall previously have: I) furnished to the Unit Trust evidence satisfactory to it of ht mutilation, defacement , loss, theft or destruction of the original Unit Certificate: ii) paid all expenses in connection with the investigation of ht facts: iii) (in case of mutilation or wearing out or defacement) produced and surrendered to the Unit Trust the mutilated or worn our or defaced Unit Certificate : and iv) furnished to he Unit Trust such indemnity as it may require. The Trust shall not incur any liability for issuing such Certificate in good faith under the provisions of this clause. (2) Before issuing any Certificate under the provisions of this clause, the Unit Trust may require the applicant for the Unit Certificate to pay a fee of Rupee Five per Unit Certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of ht trust to cover stamp duty, if any, or other charges that may be payable in connection with the issue and dispatch of such Certificate.	
Power to Construe provision XL	Should nay doubt arise as to the interpretation of any of the provisions, only Chairman and if no one is appointed as the Chairman then, he Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and such decisions shall be final, conclusive and binding.	Deleted as SEBI Regulations does not permit it.

Relaxation of Provisions XLI	If Chairman and if nobody is appointed as chairman then. the Executive Trustee of the Trust in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the Scheme, relax any of the provisions of the scheme in case of any unitholder or class of unitholders upon such terms as may be deemed expedient under intimation to SEBI Any material changes in he provisions shall be effected with the prior approval of SEBI.	Deleted as SEBI Regulations does not permit it.
Format of Unit Certificate		Deleted

ANNEXURE III

PEF

Serial no.	INSERTIONS AS REQUIRED BY 'STANDARD OFFER DOCUMENT'
1.	*Disclaimer clause:* **The scheme particulars have been prepared in accordance with Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, as amended till date, and filed with SEBI, and the units offered for public subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has the SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.**
2.	*Due Diligence Certificate :* Inserted as per the standard offer document
3.	*Contents:* Table 'Contents' inserted as per the standard offer document
4.	**Risk Factors IIIA** Mutual Funds and securities investments are subject to market risks and the NAV of the units issued under the scheme may go up or down depending on the factors and forces affecting the capital markets. Performance of previous schemes/plans is not necessarily an indication of future results. There can be no assurance that the objective of the scheme will be achieved. PEF is only the name of the scheme and does not in any manner indicate the quality of the scheme. **Derivatives:** Trading in derivative securities like options & futures is a highly specialised activity and entails greater risk than ordinary investment. Even though the scheme intends to use the activity of trading in derivatives only for portfolio hedging purposes, the overall market in these segments could be highly speculative due to the actions of the other participants in this market. The success of trading in derivatives depends upon the ability of the fund manager in predicting the future movement of the market and if the fund manager is incorrect in their prediction the performance of the fund could diminish compared to what it would have been if this investment strategy had not been used. ***Investment in overseas market:*** The success of investment in overseas market depends upon the ability of the fund manager in understanding of those market conditions & analysing the information, which could be different from Indian markets. As this would involve operations in foreign markets there could be exchange rate fluctuations risk besides market risk. **Stock Lending:** It is one of the means of earning additional income for

	the scheme with least risk. The risk could be in the form of non-availability of ready stock for sale during the period the stocks remain lent. The scheme would be exposed to risk through stock lending activity through the possibility of default by the borrower/intermediary in returning the lent securities. However, the risk would be adequately covered by taking in of suitable collateral from the borrower by the intermediary involved in the process. the Trust will have a lien on the collateral. the Trust will also have other suitable checks and controls at various places to minimise any risk involved in the securities lending process.
5.	*Fundamental Attributes* (a) "Fundamental attributes" mean the following. i Type of scheme : PEF is an open end equity scheme. ii Investment objective: as provided under clause XIV of this offer document. iii. Terms of issue : provisions in this offer document in respect of repurchase and expenses. (b) Any change in the fundamental attributes of the scheme will be carried out only if: (i) the existing members are intimated by individual communication and (ii) an advertisement is given in English daily newspaper having circulation all over India and also in a Marathi newspaper. (iii) the members are given an option to exit at prevailing NAV without any exit load. (c) The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette as required in terms of section 21(4) of the UTI Act 1963. (d) Any change/amendment/modification of the fundamental attributes of the scheme will be made with the prior approval of the SEBI. In respect of other changes/amendments/modifications not being of fundamental nature and not affecting the interest of the investor adversely. SEBI will be kept informed.
6.	***Table showing Corporate Investment in the Trust's schemes and the Trust's investments in these companies inserted as per the 'standard offer document'.***
7.	*Inter-Scheme Transfers* Transfer of investments from /to this scheme to/from another schemes/plans of the Trust shall be done only if- a) such transfers are on spot basis and are at the prevailing market price

	for quoted instruments. *Explanation* : "spot basis" shall have the same meaning as specified by the stock exchanges for spot transactions. b) the securities so transferred are in conformity with the investment objective of the schemes/ plans to which such transfers are made; and c) transfer of unlisted or unquoted investments from/to the scheme to/from another schemes/plans of the Trust are as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.
8.	***Associate Transactions & Borrowings*** 1. The scheme shall not borrow except to meet temporary liquidity needs of the scheme for the purpose of repurchase/redemption of units or distribution of income, if any, to the member s. Provided that the scheme shall not borrow more than 20% of the net asset of the scheme and the duration of such a borrowing shall not exceed a period of six months. 2. As per section 20 of the Unit Trust of India Act 1963 the Trust has the following borrowing powers: (i) The Trust may borrow, whether in India or outside India from any authority or person, not being Government or the Reserve Bank, against such security and on such terms and conditions as may be agreed upon. (ii) The Trust may borrow money from the Reserve Bank- (a) repayable on demand or on the expiry of a fixed period not exceeding ninety days from the date on which the money is so borrowed, against stocks, funds and securities (other than immovable property) in which a trustee is authorised to invest trust money by any law for the time being in force in India; (b) repayable on demand or within a period of eighteen months from the date on which the money is so borrowed, against the security of the bonds which the Trust may issue with the approval of the Central Government; (c) on such terms and conditions and against the security of such other property of the Trust as may be specified in this behalf by the Reserve Bank for the purposes of any scheme other than the first unit scheme: Provided that any amount borrowed under this clause and outstanding at any one time shall not exceed- (a) five crores of rupees in respect of each such scheme; and (b) ten crores of rupees in respect of all such schemes in the aggregate. (iii) The bonds issued by the Trust under sub-section (ii) shall be guaranteed by the Central Government as to the repayment of principal and the payment of interest at such rate as may be fixed by the Central Government at the time the bonds are issued.

9	**Valuation of assets pertaining to this scheme** (a) Quoted investments including those under lock-in period, if any, but except government securities are valued at the closing market rates on the valuation date and in its absence, at the latest available quote within a period of sixty days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of sixty days prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment. (b) Quoted government securities are valued at closing NSE market rates on the valuation date and in its absence the latest available quote within a period of seven days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of seven days prior to the valuation date the same are treated as unquoted government securities. (c) In case of quoted debentures and bonds, the market rate, being cum-interest, the same is adjusted for the interest element, if any. (d) Right entitlements for shares are valued at market rates, discounted for dividend element, wherever applicable. (e) Unquoted preference shares/cumulative convertible preference shares are taken at cost. (f) Unquoted equity shares are valued on fair valuation basis as determined by the Board of Trustees from time to time. (g) Unquoted debentures bonds and transferable notes are valued at yield to maturity , linked to the yield on GOI Securities (yield curve) along with a mark up approved by the Board of Trustees. (h) Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil. (i) Unquoted Government securities, if any, are valued at yield to maturity based on the prevailing interest rates. (j) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rate relevant to equity shares, discounted for dividend element, if any. The non-convertible portion if any, of such debentures and bonds is valued as in (g) above. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is taken at cost. (k) Capital indexed bonds are valued on cost basis.

	(I) Valuation policies for Money Market instruments :- (i) Money Market instruments and other assets are taken at book value. (ii) The money invested in inter bank call market is taken at cost. (iii) The money invested in discount/interest earning instruments is valued at the yield at which the instrument was last traded. For this purpose the latest available quote within a period of two working days, prior to the valuation date is considered. When there are no quotes available in the last two working days, the instrument is valued at cost plus the difference between the face value and the cost, applied uniformly over the remaining maturity of the instrument. (iv) Other money market instruments, including unquoted debentures are valued at cost plus the difference between the face value and cost, applied uniformly over the remaining maturity of the instrument. **However, notwithstanding anything contained in respect of clauses XII, XIII, XIV & XV the investment policies, determination of NAV and valuation of assets, fixation of repurchase price and frequency of disclosure of NAV, repurchase price and portfolio would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.**
10.	***Accounting Policies*** **1. Income recognition** (a) Dividend Income on listed equity shares is accrued on the ex-dividend date. Dividend income on unlisted equity shares and preference shares is accounted on receipt basis. (b) Interest on investments and commitment charges is accounted for on accrual basis. (c) Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost. (d) Profit or loss and premium on redemption of debenture/bonds are recognised on the due date. (e) Underwriting commission is recognised as revenue on receipt basis when there is no devolvement. In case of devolvement, the full underwriting commission is reduced from the cost of such investments. (f) Front-end fee on investments in shares and debentures is reduced from the cost of such investments. (g) The difference between purchase price and the maturity value in

respect of zero coupon bonds, deep discount bonds and other long term discounted instruments is treated as income over the remaining life of the instrument on YTM basis.

(h) Other income is accounted for on receipt basis.

2. Expenses

a. Expenses are accounted for on accrual basis.
b. Certain common expenses incurred through Unit Scheme 1964, are allocated to the other schemes as per the provisions of Sec 25 (4) of UTI Act 1963.

c. Unit Scheme 1964 which owns the fixed assets, recovers lease rent, on an approved basis, from other schemes for their usage of the said assets.

3. Investments

a. Investments are stated at cost or written down cost.

b. In case of secondary market transactions investments are recognised on trade dates.

c. Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment.

d. Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex-right dates.

e. Investment viz., debenture and bonds, are transferred to current assets on the redemption / due date.

f. The cost of investments include brokerage and service tax but does not include cost of stamps which is charged to revenue.

4. Provisions and Depreciation:

(A) Provisions against the income considered doubtful:
Provision is made in respect of interest income remaining past due for two quarters or more. Provision is made in respect of dividend at the year end, where it remains outstanding for more than one year from the ex- dividend date.

(B) Depreciation in the value of investments
(i) The aggregate value of investments as computed in accordance with clause XII above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to General Reserve /

Unit Premium Reserve. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year, the appreciation is added to Unit Premium Reserve/ General Reserve to the extent depreciation was previously adjusted.

(ii) In cases where unquoted equity or preference shares were written off in the earlier years, the cost of such investment is written back to its cost, as and when a quote or fair value is available.

(iii). Assets where interest is remaining past due for two quarters or more are classified as non performing assets. Provision for such assets is made individually (as stated in the table below). Such provisions are not made for other performing assets of the same company.

Period for which asset Remains non-performing	Percentage of Provision	
	Secured Asset	Unsecured Asset
Upto two years	10%	10%
Exceeding two years But upto three years	20%	100%
Exceeding three years But upto five years	30%	100%
Exceeding five years	50%	100%

(iv) Where principal repayment remains outstanding (i) for two quarters beyond the past due period in respect of the debt instruments with a balance maturity of not more than 3 years and (ii) for one year beyond the past due period in respect of debt instruments with a balance maturity of more than 3 years, provisions are made for such outstanding instalments. The overall provision for such assets is limited to the percentage mentioned in the above table (upto 50% for secured and 100% for unsecured assets) or the amount in default whichever is higher.

Any subsequent instalments in such cases where the original default continues, are provided after 30 days from the respective due dates.

(v) In case of funding of interest by way of capitalisation of outstanding interest dues, the same is provided irrespective of the period of default.

(vi) Provisions for non performing assets are charged to Unit Premium

	Reserve/General Reserve/ Revenue Account as the case may be. (vii) Provisions made under paragraph 4(A) and 4(B) (iv) are written back on receipt or on restructuring of the assets. Provisions under 4(B) (v) are written back on receipt basis. **5. Income Distribution :** (a) In respect of application money pending capitalisation, provision for income distribution is made for schemes where units are sold at face value and for other schemes no such provision is made. The income distribution is charged to revenue appropriation account in the year of capitalisation. (b) Provision for income distribution is made on unit capital at rates approved by the Board of Trustees from time to time. **6. Publication of Financial Results:** The unaudited financial results as on 31st December will be published within 2 months and audited annual results as on 30th June will be published within six months of finalisation of accounts in one English daily and one Marathi daily.
11.	***Tax Treatment of Investments*** 1. Residents/NRIs/OCBs i) Taxation of income, if any, and capital appreciation, if realised, under the scheme will be subject to prevalent tax laws. ii) Currently income, if any, received by all categories of investors under all schemes/plans of the Trust is totally free from tax under section 10(33) of the Income Tax Act, 1961. The scheme is required to pay an income distribution tax at the rate of 10% and surcharge of 10% thereon under Section 115R of Income Tax Act, 1961 on the amount of income, if any, distributed by it. However, being open ended equity oriented fund, the scheme will not be subject to the said tax under the said section upto 31st March, 2002, provided more than 50% of the total proceeds of the scheme are invested in equity shares of domestic companies. iii) Currently, any long term capital gains arising out of investment in the scheme by residents and NRIs out of rupee originated or NRO funds will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961. At present the investor is required to pay tax @ 20% on long term capital gains after factoring the benefit of the Cost

	Inflation Index. However, the capital gains accruing to investments made through NRE accounts are not taxable. iv) Value of investment in units under the scheme is completely exempt from Wealth Tax. v) The Gift Tax Act, 1958 has abolished the levy of Gift Tax in respect of units of the scheme are fully exempt from levy of Gift Tax. 2) Eligibility for Capital Gains Tax Exemption under Section 54EA Investment of entire or part of net consideration arising out of transfer of long term capital assets in PEF will be eligible for capital gains tax exemption under Section 54EA of the Income Tax Act, 1961 subject to repurchase of units only after three years from the date of acceptance of the application. 3) Eligibility for Capital Gains Tax Exemption under Section 54EB Investment of entire or part of capital gains arising out of transfer of long term capital assets in Pef will be eligible for capital gains tax exemption under Section 54EB of Income Tax Act, 1961 subject to repurchase of units only after seven years form the date of acceptance of application. 4) For Eligible Trusts Units are approved securities under section 11(2)(b) of the Income Tax Act 1961. Eligible Trusts investing in units will therefore, qualify for tax exemption in respect of income and corpus under sections 11 and 13 of the Income Tax Act, 1961.
12.	**<u>Investors Rights & Services</u>** 1. Members under the scheme have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of the scheme and to the income declared by the scheme. 2. The members have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the member s. 3.The members have the right to have statement of account issued to them not later than 6 weeks from the date of acceptance. 4.The members have the right to have the repurchase proceeds despatched to them within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the application at the office where the repurchase requests are processed. In the case of income distribution the members have the right to have income distribution warrants despatched within 42 days from the date of declaration of the income distribution.

5. An abridged annual report in respect of the PEF shall be mailed to all member s not later than six months from the date of closure of the relevant accounting year and the full annual report shall be available for inspection at the Central Investors' Relation Cell of the Trust and a copy shall be made available to the member s on request on payment of nominal fee, if any.

6. Any change in the fundamental attributes of the scheme will be carried out if the investors are allowed to exit at NAV besides being intimated by individual communication

7. Under specified circumstances the approval of member s will be sought by a Postal Ballot.

8. The member s have the right to inspect the following documents at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No.1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai 400020.

- The UTI Act
- The General Regulations
- The agreements with the custodians, registrars and paying bankers
- Copy of Offer Document of PEF

13. ***Constitution & Management of Unit Trust Of India***

Constitution of UTI

Unit Trust of India was set up as a statutory body under Unit Trust of India Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

Management of UTI

The Management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India.

Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

Board of Trustees *

1.	Shri P S Subramanyam	Chairman, Unit Trust of India
2.	Shri G P Muniappan	Executive Director, RBI
3.	Shri G P Gupta	Chairman & Managing Director, IDBI
4.	Shri N.S. Sekhsaria	Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.
5.	Shri Rajendra P Chitale	Chartered Accountant
6.	Dr. Vishvanath V Desai	Economist
7.	Shri G Krishnamurthy	Chairman, L.I.C.
8.	Shri G G Vaidya	Chairman, S.B.I.

9. Shri K C Chowdhary Chairman & Managing Director, Central Bank Of India

* **The other current directorships of the Trustees are as follows:**

1. **Shri P S Subramanyam** (i) Chairman & Director - The India Fund, (ii) Chairman & Director -India Growth Fund, (iii) Chairman & Director - India Access Ltd. (iv) Chairman & Director - The India Public Sector Fund Ltd. (v) Chairman of Governing Council - UTI- Institute of Capital Markets, (vi) Chairman & Director - UTI Investment Advisory Services Ltd. (vii) Chairman & Director - UTI Investor Services Ltd (viii) Chairman - UTI-Securities Exchange Ltd., (ix) Director- UTI Bank Ltd. (x) Chairman & Director - Over-The-Counter Exchange of India (xi) Member - Life Insurance Corporation of India, (xii) Director - Discount & Finance House of India Ltd. (xiii) Director - Securities Trading Corpn. of India Ltd.(xiv) Director - National Stock Exchange of India Ltd. (xv) Trustee - Indian Institute of Software Engineering.
2. **Shri G P Gupta-** (i) Chairman- Small Industries Development Bank of India, (ii) Director- The India Fund (iii) Director- India Growth Fund. (iv) Director - Discount and Finance House of India Ltd. (v) Director- Export-Import Bank of India, (vi) Director- Securities Trading Corpn. of India Ltd., (vii) Director- Infrastructure Development Finance Co. of India Ltd., (viii) Director- Indian Airlines Ltd. (ix) Director- IDBI Bank Ltd. (x) Director- National Stock Exchange of India Ltd. (x) Member- Life Insurance Corpn. of India, (xi) Member- General Insurance Corpn. of India (xii) Director- South Asia Regional Fund, (xiii) Chairman - South Asia Development Fund, (xiv) Council Member- Indian Institute of Bankers, (xv) Member- Bankers Training College (RBI). (xvi) Member- Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (xvii) Member- Institute of Banking Personnel Selection (xviii) Member- The Institute of Company Secretaries of India
3. **Shri N S Sekhsaria** - (i) Director - Gruh Finance Ltd. (ii) Director- Radha Madhav Investments Ltd. (iii) Director - Home Trust Housing Finance Co. Ltd. (iv) Director- Ambuja Cement foundation (v) Director Ambuja Educational Institute
4. **Shri Rajendra P Chitale** - (i) Director - Small Industries Development Bank of India, (ii) Director- National Securities Clearing Corporation Ltd (iii) Director - J M Capital Management Ltd. (iv) Director - Zurich Asset Management Company (India) Ltd. (v) Director- India Index Services and Products Ltd. (vi) Director- Association of Leasing and Financial Services Companies. (vii) Member - Executive Committee (Governing Board) of National Stock Exchange. (viii) Member - India Advisory Board of Bank of America NT & SA (ix) Member - Investment Committee, Life Insurance Corporation of India.
5. **Shri V V Desai - Advisor - ICICI Limited.**
6. **Shri G Krishnamurthy** - (i) Chairman - LIC (International) EC. Bahrain (ii) Chairman - LIC Housing Finance Ltd. (iii) Director -

	General Insurance Corporation of India (iv) Director- Poysha Industrial Co. (v) Chairman, Governing Board- National Insurance Academy (vi) Director- National Housing Bank (vii) Director- UTI Bank Ltd. (viii) Director - Discount & Finance House of India (ix) Director- Kenindia Assurance Co. Ltd.,Kenya (x) Director- ICICI Ltd. (xi) Chairman- Governing Body of Insurance Council 7.**Shri G G Vaidya**- (i) Chairman- SBI Capital Markets Ltd. (ii) Chairman- SBI Funds Management Ltd., (iii) Chairman - SBI Gilts Ltd., (iv) Chairman - SBI Securities Ltd., (v) Chairman - SBI Factors & Commercial Services Ltd., (vi) Chairman - SBI European Bank Ltd., (vii) Chairman - State Bank of Indore, (viii) Chairman - State Bank of Saurashtra, (ix) Chairman - State Bank of Patiala, (x) Chairman - State Bank of Bikaner & Jaipur , (xi) Chairman - State Bank of Hyderabad, (xii Chairman - State Bank of Mysore, (xiii) Chairman - State Bank of Travancore, (xiv) Chairman - State Bank of India (California), (xv) Chairman - State Bank of India (Canada), (xvi) Vice President of the Governing Council - Indian Institute of Bankers, (xvii) Director- National Bank for Agriculture and Rural Development , (xviii) Director - Export- Import Bank of India, (xix) Director- General Insurance Corporation, (xx) Member of the Governing Board & Chairman of Finance Committee- National Institute of Bank Management , (xxi) Member of the Governing Board, Chairman of the Finance Committee & Office Premises Committee & Committee of Administrators of IBPS Employees Pro. Fund, - Institute of Banking Personnel Selection (xxii) Member- Institute for Developing & Research in Banking Technology, (xxiii) Director- Infrastructure Development Finance Corporation , (xxiv) Director- Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd. , (xxv) Director- Export Credit Guarantee Corporation, 8 **Shri K C Chowdhary** - (i) Chairman - Small Group on Bank Audit, Indian Banks' Association (ii) Chairman- Banking Operations, Indian Banks' Association, (iii) Chairman - Small Group on Credit Related Matters, Indian Banks' Association (iv) Chairman - IBA Working Group for Interaction with Trade Bodies/Associations, (v) President - Indian Banks' Association, Local Chapter, (vi) Member - Managing Committee, Indian Banks' Association, (vii) Chairman - Centbank Home Finance Ltd., (viii) Chairman - Centbank Financial & Custodial Services Ltd., (ix) Director - Agricultural Finance Corpn. of India, (x) Director - Mastercard Asia/Pacific Board, (xi) Director - The New India Assurance Co. Ltd.,(xii) Member - Task Force, Indian Banks' Association.
14.	***Management of the Fund :*** Name of the fund manager alongwith his qualifications and experience inserted.
15.	***Custodians*** The SEBI registration number of SHCIL is IN/CUS/011

Tariff structure of SHCIL is as under:

	Electronic	Physical
Dematerialisation	Rs.5 per certificate	-
Purchase	5.5. basis points on The value of the Transaction	Rs.100 per DIP
Sale	5.5 basis points on The value of the Transaction	Rs. 100 per DIS
Custody	1.5 basis points on The asset value in The custody	8 basis points on the asset value in the Custody
Off market Purchases	5.5 basis points on the value of the Transaction	-
Off market Sales	5.5 basis points on the value of the Transaction	-
Rematerialisation	Rs.15 per certificate Or 15 basis points of Conversion value Whichever is higher	-

16. ***Auditors***

M/s. Chaturvedi & Company, Chartered Accountants, 60, Bentik Street, Calcutta 700 069 and M/s Batliboi & Purohit, Chartered Accountants, National Insurance Building, 204, D N Road, Fort, Mumbai 400 001. The auditors of the scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.

17. **Registrar :**

UTI Investors' Services Limited- SEBI Registration no. INR00000121- have been appointed as the Registrar and transfer agent.

It has been ascertained that the Registrars have adequate capacity to discharge its responsibilities with regard to processing of applications, transfer forms and repurchase requests, despatch of Membership Advice/Unit Certificates and income distribution warrants within the prescribed time frame and also handle investor complaints.

	Processing of applications and after sales services will be handled from the following branches of the Registrars: Western Zone: Plot No.369, Marol Maroshi Road, Near Marol- Maroshi Bus Dept, Vijay Nagar, Andheri (E), Mumbai 400 059. East Zone: 2, Fairlie Place, 1st Floor, P.B.No.60, Calcutta 700 001. South Zone: 45, Justice Basheer Ahmed Syed Building, Second line Beach, Chennai 600 001. North Zone (excluding Uttar Pradesh): Kanchanjunga Bldg., Upper Ground Floor, 18 Bara Khamba Road, New Delhi 110 002. Lucknow (For the State of Uttar Pradesh only): 8 & 9, 2nd Floor, Saren Chambers 5, Park Road, Lucknow 226 001.
18.	**Table showing Investors' Grievance Redressal data inserted**
19.	**PENALTIES, PENDING LITIGATIONS, MATERIAL FINDINGS OF INSPECTIONS/ INVESTIGATIONS** 1. There are no cases relating to penalties awarded by SEBI under the SEBI Act or any of its regulations or by any Stock Exchanges (where the units of the schemes of UTI are listed) against the Unit Trust of India/Board of Trustees, or any of the Trustees or key personnel (specifically the fund managers). 2. There are no pending material litigation proceedings incidental to the business of the Unit Trust of India including the Board of Trustees or any of the trustees or key personnel. There are no pending criminal cases against the Unit Trust of India, Board of Trustees or any of the Trustees or key personnel. 3. Neither SEBI nor any other Regulatory Agency has specifically advised that any deficiency in the systems and operations of the Unit Trust of India be disclosed in the offer document. 4. There are no enquiry/adjudication proceedings under the SEBI Act and the Regulations made thereunder, against Unit Trust of India, Board of Trustees/Trustee or key personnel.
20.	**Table giving condensed financial information inserted**

ANNEXURE I

MASTER INDEX FUND- PROVISIONS MODIFIED / INSERTED

Clause No.	Existing Provisions	Amended Provisions
Highlights 3rd item	Open to resident and non resident adult individuals / mentally handicapped persons/ minors/ HUFs/ Trusts/ Societies/ Regd. Co-operative Societies/ Bodies Corporate including Companies and Banks/ Overseas Corporate Bodies (OCBs)/Army/Navy/Air Force/Paramilitary Funds/PSUs/Financial Institutions /Partnership Firm/FIIs.	Open to resident individuals and institutions as well as to NRIs, OCBs and FIIs
Highlights 6th Item	No provision exists	Switchover facility from the scheme to such other schemes which may be announced by the Trust from time to time or vice versa at NAV or NAV based price
Highlights 8th to 11th items	No provision exists	• Capital gains arising from capital appreciation, if any, on repurchase of units is subject to tax benefits under sections 48 & 112 of Income Tax Act, 1961. • Investment eligible for availing of capital gains tax exemption under sections 54EA and 54EB of the Income Tax Act, 1961, depending upon the source of fund subject to repurchase of units only after lock-in-period of three/seven years respectively from the date of acceptance of the application. • Value of investment in units under the scheme is completely exempt from Wealth Tax. • The Gift Tax Act, 1958 has abolished the levy of Gift Tax in

		respect of gifts made on or after 1st October 1998. Thus gifts of units of the scheme are fully exempt from levy of Gift Tax.
Definitions II (d)	(d) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and plan made thereunder who is not a minor and shall include the alternate applicant mentioned in the application form when units are sold for the benefit of a mentally handicapped person and makes an application under Clause IV of the Plan.	"Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and plan made thereunder and makes an application under clause IV of the scheme and who is not a minor
Definitions II (h)	(h) "Mentally handicapped person" means any individual who suffers from mental disability of such a nature which prevents him from carrying out normal activities of life.	We may delete the definition from the offer document
Definitions II(ma)	No provision exists	(ma) "RBI" means the Reserve Bank of India constituted under the Reserve Bank of India Act, 1934.
Risk Factors	No provision exists for Derivatives, Stock Lending & Overseas Investment	**Derivatives:** Trading in derivative securities like options & futures is a highly specialised activity and entails greater risk than ordinary investment. Even though the scheme intends to use the activity of trading in derivatives only for portfolio hedging purposes, the overall market in these segments could be highly speculative due to the actions of the other participants in this market. The success of trading in derivatives depends upon the ability of the fund manager in predicting the future movement of the market and if the fund manager is incorrect in their prediction the performance of the fund could diminish compared to what it would have been if this

		investment strategy had not been used. **Stock Lending:** It is one of the means of earning additional income for the scheme with least risk. The risk could be in the form of non-availability of ready stock for sale during the period the stocks remain lent. The scheme would be exposed to risk through the possibility of default by the borrower/intermediary in repaying the securities. However, the risk would be adequately covered by taking in of suitable collateral from the borrower by the intermediary involved in the process. The Trust will have a lien on the collateral. We will also have other suitable checks and controls at various places to minimise any risk involved in the securities lending process.
Units & Offer IV 5(i)(d)	an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person.	We may delete the same from the offer document
Units & Offer IV 5(i) (n)	No provision existed for this category of intended investors	**New subclause (n) may be inserted as** (n) any body established or controlled by or under a State or Central Act
Units & Offer IV(8) (ii)(c)	No provisions exists	In case of FIIs, the statement of account will be sent to their global custodian or at the address furnished in the application.
Units & Offer IV(8) (iii)	Every member will receive an updated Statement of Account each time any additional purchase or partial repurchase of units is made under a folio	Every member will receive an updated statement of account each time any additional purchase or partial repurchase or switchover of units is made

Units & Offer IV 10(x) c	No provisions exists	In case of FIIs, repurchase proceeds to be credited to the Special Non-Resident Rupee Account or as per instructions issued by SEBI/RBI from time to time.
Sale of units (2)	(i) Applications will be accepted only at the UTI branches in the following cities: Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad Ludhiana, Surat ,Indore, Rajkot, Baroda, Kanpur, Jaipur, Lucknow, Patna, Pune, Cochin, Thiruvanthapuram and Trichur. The payment for units by an applicant shall be made by him alongwith the application in cash, cheque or draft. Cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the designated UTI branch office at which the application is tendered is situated. Provided, however, that the applicant who applies from a place other than where the Trust has its designated branch office may do so by sending the application to the branch office of the Trust along with the bank draft after deducting therefrom charges payable for bank draft as per guidelines of Indian Banks Association e.g. if the application amount is Rs.10,000/- the bank draft charges for this amount is Rs.20/-. Thus the draft can be prepared for Rs.9,980/-(i.e. Rs.10,000 less Rs.20/-). The draft commission charges will form a part of the initial issue expenses of the Plan. However, in case of applications	(a)Applications will be accepted only at the branches of the Trust in the following cities: Mumbai, Calcutta, New Delhi, Chennai, Bangalore, Hyderabad, . Ahmedabad Ludhiana, Surat ,Indore, Rajkot, Baroda, Kanpur, Jaipur, Lucknow, Patna, Pune, Cochin, Thiruvananthapuram and Trichur. The payment for units by an applicant shall be made by him alongwith the application in cash, cheque or draft. When applications are submitted at the branch offices of the Trust, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city/town where the branch office of the Trust at which the application is tendered is situated. (b) If the payment is made by a cheque/draft, the acceptance of an application will be subject to such cheque/draft being realised . (c) If, the application amount is less than the minimum investment under the scheme, the entire amount shall be refunded to the applicant at his cost without any interest or in such manner as the Trust may deem fit. (d) NRIs should submit their applications preferably at the NRI Branch, Mumbai or at any of the Branches of the Trust mentioned at (a) above alongwith NR(E)/NR(O) cheque or a rupee draft payable at the

	received along with local bank draft where the Trust has its designated branch office bank draft commission will have to be borne by the investor. (ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the application is received by the branch office of the Trust. If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date on which the application is received by the branch office of the Trust. If the application amount is less than the minimum investment under the plan, the entire amount shall be refunded to the applicant at his cost in such manner as the Trust may deem fit. iii) ***Mode of Investment with repatriation benefits*** The investments by NRIs/OCBs shall carry the right of repatriation of capital invested and capital appreciation earned thereon, as long as the investor continues to be resident outside India. Investment in these cases can be made through one of the following modes: Draft in foreign currency Draft in rupees issued in favour of UTI by foreign banks/Exchange House drawn on their Indian correspondent banks. By cheque drawn on investor's	place where the application is submitted. **1. Mode of payment for NRI investment with repatriation benefits** The investments by NRIs/OCBs shall carry the right of repatriation of capital invested, income earned thereon and capital appreciation so long as the investor continues to be resident outside India. Investment in these cases can be made through one of the following modes: (a) By a draft in rupees issued in favour of the Trust by a bank/exchange house operating outside India drawn on their Indian correspondent banks. (b) By a cheque drawn on the investor's NRE account maintained with a bank in India. (c) By a cheque/draft issued from the proceeds of FCNR deposits of the investor. **Note:** Payment in Nepalese and Bhutanese currencies are not accepted. **4) Mode of payment for NRI investment without repatriation benefits** a) Where funds held in NRO accounts are utilised for purchase of units, the funds so invested and capital appreciation (if any), will not qualify for repatriation out of India. Similarly, investments in units purchased in rupees while the investor was a resident of

	NRE account maintained with a Bank in India. By cheque/draft issued from the proceeds of FCNR deposits. Further, payment in Nepalese and Bhutanese currencies are not accepted. Investment in units is made in rupees, all foreign currency drafts are converted into Indian rupees at the rate of exchange ruling at the time of such conversion. Shortfall, if any, will have to be remitted by NRI investors. In view of the above it is advisable that NRI/OCB investors make payment by instruments mentioned at (b) & (c) above. iv) ***Mode of investment without repatriation benefits*** : Where funds held in NRO accounts are utilised for purchase of units, the funds so invested and capital appreciation earned thereon, will not qualify for repatriation out of India. **However as per RBI circular A.D. (M.A. Series) No.18 dated August 19, 1994 the entire income earned thereon during the financial year 1996-97 and onwards will qualify for full repatriation.**	India and becomes non-resident subsequently will not qualify for repatriation of sale proceeds of units. b) As per RBI circular A.D.(M.A. Series) No. 18 dated August 19, 1994 the entire income earned thereon during the financial year 1996-97 and onwards will qualify for full repatriation. In such cases the Trust will make payment in Rupees for credit to NRO A/C. Investors are advised to contact their banks/tax consultants if they desire remittance abroad of the income distribution on units. 5. Investment by FIIs should be through payment by debit to the Special Non resident Rupee Account maintained with a designated bank/authorised dealer, approved by RBI.
Sale of units VI (3) - Correction in heading	Application by and registration of eligible institution, minors, an applicant for the benefit of a mentally handicapped person etc.	Application by and registration of eligible institution, minors etc.

Sale of Units VI (3)(iii)	(iii) Where an application is made by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person, the Trust shall act on the statements furnished and in doing so the Trust shall be deemed to be acting in good faith. The Trust shall be entitled to deal only with the applicant and in the event of his death, the alternate applicant for all practical purposes and any payment in respect of the units by the Trust to the said applicant or the alternate applicant shall be a good discharge to the Trust.	May be deleted
Sale of Units VI (5)	Persons applying for units under the Scheme and the Plan made thereunder on behalf of a minor/mentally handicapped person shall satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust such as Birth Certificate in case of minor/Oculist or Psychiatrist Certificate in case of Mentally handicapped. Applications for units on behalf of bodies like Partnerships/Co-operative Societies/Bodies Corporate/Companies shall be accompanied by certified copy of Partnership Deed of the Partnership/Trust Deed of the Trust/ Bye-Law of the Society/Statute governing the	a) Persons applying for units under the scheme on behalf of a minor shall satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements as laid down by the Trust such as submission of the Birth Certificate in case of minor. b) Applications for units on behalf of bodies like Partnership Firms/Co-operative Societies/Bodies Corporate/Companies shall be accompanied by certified copy of Partnership Deed/Bye-Laws of the Society/Statute governing the Body Corporate/Memorandum and Articles of Association of the Company together with Resolution of the governing Body authorising investment in the scheme. At the time of repurchase of the units, resolution

	Body Corporate/Memorandum and Articles of Association of the Company together with Resolution of the governing body authorising investment in the scheme. At the time of repurchase of the units, resolution of the governing body authorising repurchase and authorisation of the concerned official (s) of the Body to comply with the formalities and collect the repurchase cheque will have to be submitted. Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the membership cancelled and the name deleted from the register of members. The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance. The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.	of the governing body authorising repurchase and authorisation of the concerned official(s) of the Body to comply with the formalities and collect the repurchase cheque will have to be submitted. c) Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the membership cancelled and the name deleted from the register of members. d) In aforesaid cases, the Trust shall have the right to repurchase the units at par or NAV whichever is lower after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution,if any, wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance. The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.
Sale of Units VI (6)	(i) Nomination facility is available only for individuals applying on their own behalf i.e. singly or jointly upto two. Applicants can nominate one person. Minors and Non-Resident	(i) Nomination facility is available only for individuals applying on their own behalf i.e. singly or jointly upto two. ii)Only one person can be nominated.

	Indians can also be nominated. Non-Resident Indians can be nominated as per the guidelines issued by the RBI from time to time. Applicant can change the nomination at any time during the currency of the plan. (ii) Members being either parent or lawful guardian on behalf of a minor and an eligible institution, societies, bodies corporate, HUF, partnership firms and an applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person shall have no right to make any nomination. (iii) Legal validity of Nomination: the facility of. the statutory nomination is available to a member under Section 39 A of the Unit Trust of India Act 1963. Accordingly, where a nomination in respect of any unit has been made in accordance with the UTI General Regulations, 1964, the amount payable to the member in respect of the said unit shall on the death of the member vest in, and be payable to the nominee in any case subject to any right, title; claim or other interest of any other person to or in respect of the said units as provided in such regulations and subject to any charge or encumbrance over the said units. Payment made by the Trust as aforesaid shall be a full discharge to the Trust from all liability in respect of the said units.	iii)Minors including a NRI minor can be nominated. iv)Nomination of NRIs is subject to requirements of the RBI prescribed from time to time. v)Nomination can be changed at any time during the currency of the investment. vi)Applicant being either parent or lawful guardian on behalf of a minor, an eligible institution, societies, bodies corporate, HUF and partnership firms shall have no right to make nomination. vii)Other provisions will be to the extent provided in the regulations. viii)The facility of the statutory nomination is available to a member under Section 39A of the Unit Tr' of India Act, 1963. Accordi' where a nomination in respect o. unit has been made in accoro with the UTI General Regulat... 1964, the unit shall, on the death of the member(s), vest in the nominee and the nominee shall be issued a statement of account in respect of the unit so vested subject to any right, title, claim or other interest of any other person to or in respect of the said units as provided in such regulations and subject to any charge or encumbrance over the said units. Transmission made by the Trust as aforesaid shall be a full discharge to the Trust from all liability in respect of the said units.
Repurchase of units	Repurchase shall be effected on receipt of the repurchase slip duly	Repurchase will be effected on receipt of the repurchase request slip.

VII(3)	signed by the unitholders. Partial repurchase will be allowed, provided that no repurchase so made should result in the member's holding falling below Rs5,000/-(face value).	Partial repurchase shall be permitted subject to the member maintaining a minimum balance of Rs.5000 per folio to be computed at the repurchase price applicable as on the date of acceptance of repurchase application. The contract for repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date for repurchase.
Repurchase of units VII (10) (c)	No existing provision	In case of FIIs, repurchase proceeds will be credited to the Special Non-Resident Rupee Account or as per instructions issued by SEBI/RBI from time to time.
Repurchase of units VII (13)	No existing provision	**Switchover** Members under the scheme will be permitted to switchover their investment from the scheme to such other schemes or vice versa which may be allowed by the Trust from time to time. In such a case they may apply for the switchover by submitting their request in the prescribed form duly signed. The switchover will be effected at NAV or NAV based price as may be decided by the Trust. Partial switchover from the scheme to such other schemes or vice versa which may be announced by the Trust from time to time should satisfy the condition of holding minimum investment limit under both the schemes. The Trust shall retain the statement of account/ unit certificate for cancellation and the member shall be issued fresh statement of account/ unit certificate as the case may be, of both the schemes. Investment made in the scheme for the purpose of availing benefits under section 54EA/54EB of the Income Tax Act 1961 shall not be permitted

		to be switchover before the expiry of the lock-in-period of 3 and 7 years respectively.
Repurchase of units VII (11)	**Bank Particulars :** As a matter of precaution against possible fraudulent encashment of cheques due to loss/ misplacement, applicants are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature of account, account number and name of bank) at the appropriate space in the application form. Repurchase cheques will then be made out in favour of the bank for crediting their account so specified and sent to them. Members may deposit the repurchase cheque in the said bank for credit of their account. In case the complete bank particulars are not given, the repurchase cheques will be issued in the name of the member (first member in case of jointholding or holding on either or survivor basis). In such case, UTI and the bankers will not be responsible if loss occurs through the cheques falling into improper hands through forgery or fraud. **In order to avoid fraudulent encashment of repurchase/maturity cheques, SEBI has made it mandatory for the investors, in their own interest to give bank particulars at the appropriate place in the application form.**	**Bank particulars of investors**: (i) In order to avoid fraudulent encashment of Income Distribution Warrants/Repurchase cheques/Maturity cheques, SEBI has made it mandatory for investors, in their own interest to give bank particulars at the appropriate place in the application form. **Applications without bank particulars will be rejected.** Accordingly, applicants residing outside the eleven cities given at item (ii) below are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature of account, account number and name of bank) at the appropriate space in the application form as well as on the acknowledgement receipt portion for record. Income Distribution Warrants/ repurchase cheques will then be made out in the name of the member with the bank particulars for crediting the member's account so specified and sent to them. **Electronic clearing Service:** (ii) Currently ECS facility is being made available to investors from Mumbai/Calcutta/ Chennai/New Delhi/ Ahmedabad/ Baroda/ Pune/ Bhubaneshwar/ Bangalore/ Hyderabad/ Jaipur for direct credit to their bank accounts at the respective centres and where the amount of single instrument does not exceed Rs.5,00,000/-. The investor will be given a statement giving details of credit to his bank account. (iii)The bank branch of the investor will credit his account and indicate

		the credit entry with "ECS" in the passbook/ statement of bank account. The applicant is requested to fill up the particulars of name and address of his bank, nature and number of account, 9 digit Bank and branch MICR code no. etc. in the application form. (iv) In case the response to this facility is not sufficient enough or for any other reasons, the Trust may pay the income by issue of income warrants incorporating bank account details instead of paying income through "ECS". **<u>v) Income Distribution to NRI/OCBs investors</u>** Income distribution to NRI/OCBs investors shall be made as per the Exchange Control Regulations. The present position regarding payment of income is as follows: a) The warrant can be issued in the name of the member and sent to a relative who is resident in India for crediting the NRE/NRO account of the member, as the case may be. OR b)The warrant can be issued in the name of a relative who is resident in India and sent to him for being credited to his account. **vi)ECS facility is also available to NRI investors who have their own bank accounts in Mumbai. For those NRI investors who wish to credit the income distribution to their resident relative's account, ECS facility could be extended to them at places as indicated in sub**

		clause IV(10)(x).
Fundamental Attributes IX (3) last two paras	Any change in the fundamental attributes of the scheme will be carried out only with the consent of not less than three-fourths of the members. Further in the event of change in the fundamental attributes, those who do not give their consent will be allowed to redeem their holdings in the scheme. The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and any amendment/ addition thereof will be notified in the official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.	Any change in the fundamental attributes of the scheme will be carried out only if: (i) the existing members are intimated by individual communication and (ii) an advertisement is given in English daily newspaper having circulation all over India and also in a Marathi newspaper. (iii) the members are given an option to exit at prevailing NAV without any exit load. The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and any amendment/ addition thereof will be notified in the Official Gazette as required in terms of Unit Trust of India Act, 1963. Any change/ amendment/ modification of the fundamental attributes of the scheme will be made with the prior approval of the SEBI. In respect of other changes/ amendments/ modifications not being of fundamental nature and not affecting the interest of the investor adversely, SEBI will be kept informed.
Investment Objectives, policies & Stock Lending IX(4)	The existing provisions will be replaced by the provision given under item 1 of annexure III.	Refer annexure III.
Nav Determination & Valuation of Assets XII (2)	The existing provisions will be replaced by the provision given under item 2 of annexure III.	Refer annexure III.
Accounting	The existing provisions will be	Refer annexure III.

Policies XIII	replaced by the provision given under item 3 of annexure III.	
Tax treatment of Investments XIV	The existing provisions will be replaced by the provisions given under item 4 of annexure III.	Refer annexure III.
Investors' Rights & Services XV	No provision exists	The following may be inserted as item (6) and existing item (6) and (7) should be renumbered accordingly (6) Any change in the fundamental attributes of the scheme will be carried out only with the consent of not less than three-fourths of the members of the scheme. Further, in the event of a change in the fundamental attributes, those who do not give their consent will be allowed to redeem their holdings in the scheme.
Constitution & Management of Unit Trust of India XVI	The existing information will be updated as given under item 5 of annexure III.	Refer annexure III.
Other service Providers for the scheme XVII	The existing information will be updated as given under item 6 of annexure III in respect of custodians / auditors.	Refer annexure III.
Investors' Grievance Redressal XVIII	The existing information will be updated as given under item 7 of annexure III.	Refer annexure III.
Penalties, Pending Litigations, Material Findings of Inspections/ Investigations XIX (2)	There are no pending material litigation proceedings incidental to the business of the Unit Trust of India including the Board of Trustees or any of the trustees or key personnel.	There are no pending material litigation proceedings incidental to the business of the Unit Trust of India including the Board of Trustees or any of the trustees or key personnel. There are no pending criminal cases against the Unit Trust of India, Board of Trustees or any of the Trustees or key personnel.

Penalties, Pending Litigations, Material Findings of Inspections/ Investigations Clause XIX (4)	No provisions exists	Neither SEBI nor any other Regulatory Agency has specifically advised that any deficiency in the systems and operations of the Unit Trust of India be disclosed in the offer document.
Condensed Financial Information XX	The existing provisions will be replaced by the provisions given under item 8 of annexure III	Refer annexure III.

ANNEXURE II

MASTER INDEX FUND -PROVISIONS DELETED

Clause No.	Existing provisions	Remarks
Investment objectives, Policies & Stock Lending IX (6)	However, notwithstanding anything contained in respect of clauses IX (4), XII (1) and XII (2) above the valuation of asset's , computations of NAV, repurchase price and their frequency of disclosures would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulation / Guidelines / Directives issued by SEBI form time to time.	Deleted; since this clause is modified and included as a part of Valuation of Assets under item ____of annexure III

ANNEXURE III

MASTER INDEX FUND

Sr. No.	PROVISIONS AS REQUIRED BY STANDARD " OFFER DOCUMENT"
1.	<u>Clause IX (4) Investment Policies</u> (i) No term loans will be advanced by this scheme. (ii) The Trust shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases, take delivery of relative securities and in all cases of sale, deliver the securities and shall in no case put itself in a position whereby it has to make short sale or carry forward transaction or engage in badla finance. (iii) The Trust shall get the securities purchased by it transferred in its name. (iv) Subject to requisite authorisations, the Trust, in appropriate circumstances, may use techniques and instruments, such as futures and options and other derivatives subject to applicable regulations and counter-party risk assessment, as prescribed by SEBI from time to time, for the purposes of achieving the investment policy of the scheme or hedging or minimising the risk. (v)(a)The scheme will participate in the stock lending programme, in accordance with the terms of securities lending scheme announced by SEBI. The activity shall be carried out through approved intermediary. .(b)The maximum exposure at any point of time of the scheme towards to a single intermediary in the stock lending programme at any point of time would be 10% of the market value of the equity portfolio of the scheme or such limit as may be specified by SEBI. (c) If mutual funds and the Trust are permitted to borrow stocks the scheme may in appropriate circumstances borrow stocks in accordance with SEBI guidelines in that regard. (vi) The scheme may invest in securities issued by overseas/foreign companies and listed abroad or securities issued by Indian corporates to foreign/overseas investors and listed on foreign stock exchange directly by subscribing to such issues or purchasing them on foreign stock exchanges in accordance with the SEBI / RBI guidelines in that regard from time to time. (vii) The scheme shall not make any investment in; a) any unlisted security of an associate or group company of the Trust; or b) any security issued by way of private placement by an associate or group company of the Trust; or c) the listed securities of group companies of the Trust which is in excess of 25% of the net assets of all the schemes of the Trust.

	(viii) The services of UTI Securities Exchange Limited (UTI SEL) a stock-broking firm and wholly owned by UTI may be utilised for securities transactions of the scheme as per the policies and subject to the limits laid down by the Board of Trustees of the Trust. UTI SEL was set up in 1994, with registered office at Mumbai. **IX (5)** Table showing Corporate investment in the Trust's Schemes and the Trust's investments in these companies as per the latest data available
2.	**XII (2) - Valuation of assets pertaining to this scheme** (a) Quoted investments including those under lock-in period, if any, but except government securities are valued at the closing market rates on the valuation date and in its absence, at the latest available quote within a period of sixty days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of sixty days prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment. (b) Quoted government securities are valued at closing NSE market rates on the valuation date and in its absence the latest available quote within a period of seven days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of seven days prior to the valuation date the same are treated as unquoted government securities. (c) In case of quoted debentures and bonds, the market rate, being cum-interest, the same is adjusted for the interest element, if any. (d) Right entitlements for shares are valued at market rates, discounted for dividend element, wherever applicable. (e) Unquoted preference shares/cumulative convertible preference shares are taken at cost. (f) Unquoted equity shares are valued on fair valuation basis as determined by the Board of Trustees from time to time. (g) Unquoted debentures bonds and transferable notes are valued at yield to maturity , linked to the yield on GOI Securities (yield curve) along with a mark up approved by the Board of Trustees. (h) Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity

	shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil. (i) Unquoted Government securities, if any, are valued at yield to maturity based on the prevailing interest rates. (j) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rate relevant to equity shares, discounted for dividend element, if any. The non-convertible portion if any, of such debentures and bonds is valued as in (g) above. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is taken at cost. (k) Capital indexed bonds are valued on cost basis. (l) Valuation policies for Money Market instruments :- (i) Money Market instruments and other assets are taken at book value. (ii) The money invested in inter bank call market is taken at cost. (iii) The money invested in discount/interest earning instruments is valued at the yield at which the instrument was last traded. For this purpose the latest available quote within a period of two working days, prior to the valuation date is considered. When there are no quotes available in the last two working days, the instrument is valued at cost plus the difference between the face value and the cost, applied uniformly over the remaining maturity of the instrument. (iv) Other money market instruments, including unquoted debentures are valued at cost plus the difference between the face value and cost, applied uniformly over the remaining maturity of the instrument. **However, notwithstanding anything contained in respect of clauses IX and XII, the investment policies, determination of NAV and valuation of assets, fixation of repurchase price and frequency of disclosure of NAV, repurchase price and portfolio would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.**
3.	XIII. <u>Accounting Policies</u> 1. Income recognition

	(a) Dividend Income on listed equity shares is accrued on the ex-dividend date. Dividend income on unlisted equity shares and preference shares is accounted on receipt basis. (b) Interest on investments and commitment charges is accounted for on accrual basis. (c) Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost. (d) Profit or loss and premium on redemption of debenture/bonds are recognised on the due date. (e) Underwriting commission is recognised as revenue on receipt basis when there is no devolvement. In case of devolvement, the full underwriting commission is reduced from the cost of such investments. (f) Front-end fee on investments in shares and debentures is reduced from the cost of such investments. (g) The difference between purchase price and the maturity value in respect of zero coupon bonds, deep discount bonds and other long term discounted instruments is treated as income over the remaining life of the instrument on YTM basis. (h) Other income is accounted for on receipt basis. **2. Expenses** **a.** Expenses are accounted for on accrual basis. **b.** Certain common expenses incurred through Unit Scheme 1964, are allocated to the other schemes as per the provisions of Sec 25 (4) of UTI Act 1963. **c.** Unit Scheme 1964 which owns the fixed assets, recovers lease rent, on an approved basis, from other schemes for their usage of the said assets. **3. Investments** a. Investments are stated at cost or written down cost. b. In case of secondary market transactions investments are recognised on trade dates.

c. Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment.

d. Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex-right dates.

e. Investment viz., debenture and bonds, are transferred to current assets on the redemption / due date.

f. The cost of investments include brokerage and service tax but does not include cost of stamps which is charged to revenue.

4. Provisions and Depreciation:

(A) Provisions against the income considered doubtful:
Provision is made in respect of interest income remaining past due for two quarters or more. Provision is made in respect of dividend at the year end, where it remains outstanding for more than one year from the ex- dividend date.

(B) Depreciation in the value of investments
(i) The aggregate value of investments as computed in accordance with clause XII(2) above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to General Reserve / Unit Premium Reserve. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year, the appreciation is added to Unit Premium Reserve/ General Reserve to the extent depreciation was previously adjusted.

(ii) In cases where unquoted equity or preference shares were written off in the earlier years, the cost of such investment is written back to its cost, as and when a quote or fair value is available.

(iii) Assets where interest is remaining past due for two quarters or more are classified as non performing assets. Provision for such assets is made individually (as stated in the table below). Such provisions are not made for other performing assets of the same company.

Period for which asset Remains non-performing	Percentage of Provision	
	Secured Asset	Unsecured Asset

Upto two years	10%	10%
Exceeding two years But upto three years	20%	100%
Exceeding three years But upto five years	30%	100%
Exceeding five years	50%	100%

(iv) Where principal repayment remains outstanding (i) for two quarters beyond the past due period in respect of the debt instruments with a balance maturity of not more than 3 years and (ii) for one year beyond the past due period in respect of debt instruments with a balance maturity of more than 3 years, provisions are made for such outstanding instalments. The overall provision for such assets is limited to the percentage mentioned in the above table (upto 50% for secured and 100% for unsecured assets) or the amount in default whichever is higher. Any subsequent instalments in such cases where the original default continues, are provided after 30 days from the respective due dates.

(v) In case of funding of interest by way of capitalisation of outstanding interest dues, the same is provided irrespective of the period of default.

(vi) Provisions for non performing assets are charged to Unit Premium Reserve/General Reserve/ Revenue Account as the case may be.

(vii) Provisions made under paragraph 4(A) and 4(B) (iv) are written back on receipt or on restructuring of the assets. Provisions under 4(B) (v) are written back on receipt basis.

5. Publication of Financial Results:

The unaudited financial results as on 31st December will be published within 2 months and audited annual results as on 30th June will be published within six months of finalisation of accounts in one English daily and one Marathi daily.

4.	XIV. <u>Tax Treatment of Investments</u> **1. Tax Treatment** (A) Residents/*NRIs OCBs* (i) Taxation of income, if any, and capital appreciation, if realised, under the scheme will be subject to prevalent tax laws. (ii) Currently income, if any, received by all categories of investors under all schemes/plans of the Trust is totally free from tax under section 10 (33) of the Income Tax Act, 1961. 1. The scheme is required to pay an income distribution tax at the rate of 10% and surcharge of 10% thereon under Section 115R of Income Tax Act. 1961 on the amount of income, if any, distributed by it. However, being open ended equity oriented fund, the plan will not be subject to the said tax under the said section upto 31st March, 2002, provided more than 50% of the total proceeds of the scheme are invested in equity shares of domestic companies. iii) Currently, any long term capital gains arising out of investment in the scheme by residents and NRIs out of rupee originated or NRO funds will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961. At present the investor is required to pay tax @ 20% on long term capital gains after factoring the benefit of the Cost Inflation Index. However, the capital gains accruing to investments made through NRE accounts are not taxable. iv) Value of investment in units under the scheme is completely exempt from Wealth Tax. v) The Gift Tax Act, 1958 has abolished the levy of Gift Tax in respect of gifts made on or after 1st October 1998. Thus, gift of units of the scheme are fully exempt from levy of Gift Tax **<u>2. Eligibility for Capital Gains Tax Exemption under Section 54EA</u>** Investment of entire or part of net consideration arising out of transfer of long term capital assets in Master Index Fund will be eligible for capital gains tax exemption under Section 54EA of the Income Tax Act, 1961 subject to availability of repurchase/transfer/pledge of units only after three years from the date of acceptance of the application.

	3. Eligibility for Capital Gains Tax Exemption under Section 54EB Investment of entire or part of capital gains arising out of transfer of long term capital assets in the Master Index Fund will be eligible for capital gains tax exemption under section 54EB of the Income Tax Act, 1961 subject to repurchase/transfer/pledge of units only after seven years from the date of acceptance of the application. **4. For Eligible Trusts** Units are approved securities under section 11 (2) (b) of the Income Tax Act 1961. Eligible Trusts investing in units will therefore, qualify for tax exemption in respect of income and corpus under sections 11 and 13 of the Income Tax Act, 1961.
5.	**XVI. Constitution & Management of Unit Trust of India** **Constitution of UTI** Unit Trust of India was set up as a statutory body under Unit Trust of India Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started

functioning with effect from 1st July, 1964.

Management of UTI

The Management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India.

Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

Board of Trustees *

1.	Shri P S Subramanyam	Chairman, Unit Trust of India
2.	Shri G P Muniappan	Executive Director, RBI
3.	Shri G P Gupta	Chairman & Managing Director, IDBI
4.	Shri N.S. Sekhsaria	Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.
5.	Shri Rajendra P Chitale	Chartered Accountant
6.	Dr. Vishvanath V Desai	Economist
7.	Shri G Krishnamurthy	Chairman, L.I.C.
8.	Shri G G Vaidya	Chairman, S.B.I.
9.	Shri K C Chowdhary	Chairman & Managing Director, Central Bank Of India

*** The other current directorships of the Trustees are as follows:**

1. Shri P S Subramanyam (i) Chairman & Director - The India Fund, (ii) Chairman & Director -India Growth Fund, (iii) Chairman & Director - India Access Ltd. (iv) Chairman & Director - The India Public Sector Fund Ltd. (v) Chairman of Governing Council - UTI- Institute of Capital Markets, (vi) Chairman & Director - UTI Investment Advisory Services Ltd. (vii) Chairman & Director - UTI Investor Services Ltd (viii) Chairman - UTI-Securities Exchange Ltd., (ix) Director- UTI Bank Ltd. (x) Chairman & Director - Over-The-Counter Exchange of India (xi) Member - Life Insurance Corporation of India. (xii) Director - Discount & Finance House of India Ltd. (xiii) Director - Securities Trading Corpn. of India Ltd.

2. Shri G P Gupta- (i) Chairman- Small Industries Development Bank of India, (ii) Director- The India Fund (iii) Director- India Growth Fund, (iv) Director - Discount and Finance House of India Ltd. (v) Director- Export-Import Bank of India, (vi) Director- Securities Trading Corpn. of India Ltd., (vii) Director- Infrastructure Development Finance Co. of India Ltd., (viii) Director- Indian Airlines Ltd. (ix) Director- IDBI Bank Ltd. (x) Director-National Stock Exchange of India Ltd. (x) Member- Life Insurance Corpn. of India, (xi) Member- General Insurance Corpn. of India (xii) Director- South Asia Regional Fund, (xiii) Chairman - South Asia Development Fund, (xiv)

	Council Member- Indian Institute of Bankers, (xv) Member- Bankers Training College (RBI), (xvi) Member- Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (xvii) Member- Institute of Banking Personnel Selection (xviii) Member- The Institute of Company Secretaries of India **3. Shri N S Sekhsaria** - (i) Director - Gruh Finance Ltd. (ii) Director- Radha Madhav Investments Ltd. (iii) Director - Home Trust Housing Finance Co. Ltd. (iv) Director- Ambuja Cement Foundation (v) Director Ambuja Educational Institute **4. Shri Rajendra P Chitale** - (i) Director - Small Industries Development Bank of India, (ii) Director- National Securities Clearing Corporation Ltd (iii) Director - J M Capital Management Ltd. (iv) Director - Zurich Asset Management Company (India) Ltd. (v) Director- India Index Services and Products Ltd. (vi) Director- Association of Leasing and Financial Services Companies. (vii) Member - Executive Committee (Governing Board) of National Stock Exchange. (viii) Member - India Advisory Board of Bank of America NT & SA (ix) Member - Investment Committee, Life Insurance Corporation of India. **5. Shri V V Desai - Advisor - ICICI Limited.** **6. Shri G Krishnamurthy** - (i) Chairman - LIC (International) EC, Bahrain (ii) Chairman - LIC Housing Finance Ltd. (iii) Director - General Insurance Corporation of India (iv) Director- Poysha Industrial Co. (v) Chairman, Governing Board- National Insurance Academy (vi) Director- National Housing Bank (vii) Director- UTI Bank Ltd. (viii) Director - Discount & Finance House of India (ix) Director- Kenindia Assurance Co. Ltd.,Kenya (x) Director- ICICI Ltd. (xi) Chairman- Governing Body of Insurance Council **7.Shri G G Vaidya**- (i) Chairman- SBI Capital Markets Ltd. (ii) Chairman- SBI Funds Management Ltd., (iii) Chairman - SBI Gilts Ltd., (iv) Chairman - SBI Securities Ltd., (v) Chairman - SBI Factors & Commercial Services Ltd., (vi) Chairman - SBI European Bank Ltd., (vii) Chairman - State Bank of Indore, (viii) Chairman - State Bank of Saurashtra, (ix) Chairman - State Bank of Patiala, (x) Chairman - State Bank of Bikaner & Jaipur , (xi) Chairman - State Bank of Hyderabad, (xii) Chairman - State Bank of Mysore, (xiii) Chairman - State Bank of Travancore, (xiv) Chairman - State Bank of India (California), (xv) Chairman - State Bank of India (Canada), (xvi) Vice President of the Governing Council - Indian Institute of Bankers, (xvii) Director- National Bank for Agriculture and Rural Development , (xviii) Director - Export- Import Bank of India, (xix) Director- General Insurance Corporation, (xx) Member of the Governing Board & Chairman of Finance Committee- National Institute of Bank Management , (xxi) Member of the Governing Board, Chairman of the Finance Committee & Office Premises Committee & Committee of Administrators of IBPS Employees Pro. Fund, - Institute of Banking Personnel Selection (xxii) Member- Institute for Developing & Research in Banking Technology, (xxiii) Director- Infrastructure Development Finance Corporation , (xxiv) Director-

	Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd. , (xxv) Director- Export Credit Guarantee Corporation, **8. Shri K C Chowdhary** - (i) Chairman - Small Group on Bank Audit, Indian Banks' Association (ii) Chairman- Banking Operations, Indian Banks' Association, (iii) Chairman - Small Group on Credit Related Matters, Indian Banks' Association (iv) Chairman - IBA Working Group for Interaction with Trade Bodies/Associations, (v) President - Indian Banks' Association, Local Chapter, (vi) Member - Managing Committee, Indian Banks' Association, (vii) Chairman - Centbank Home Finance Ltd., (viii) Chairman - Centbank Financial & Custodial Services Ltd., (ix) Director - Agricultural Finance Corpn. of India, (x) Director - Mastercard Asia/Pacific Board, (xi) Director - The New India Assurance Co. Ltd.,(xii) Member - Task Force, Indian Banks' Association. **Management of the Fund :-** Name of the fund Manager alongwith his qualifications and experiences updated.
6.	**1. Custodians** Following is inserted as required by SEBI. The SEBI registration number of SHCIL is IN/CUS/011 Tariff structure of SHCIL is as under:

	Electronic	Physical
Dematerialisation	Rs.5 per certificate	-
Purchase	5.5. basis points on The value of the Transaction	Rs.100 per DIP
Sale	5.5 basis points on The value of the Transaction	Rs. 100 per DIS
Custody	1.5 basis points on The asset value in The custody	8 basis points on the asset value in the Custody
Off market Purchases	5.5 basis points on the value of the Transaction	

	Off market Sales — 5.5 basis points on the value of the Transaction Rematerialisation — Rs.15 per certificate Or 15 basis points of Conversion value Whichever is higher **2. Auditors** M/s. Chaturvedi & Company, Chartered Accountants, 60, Bentik Street, Calcutta 700 069 and M/s Batliboi & Purohit, Chartered Accountants, National Insurance Building, 204, D N Road, Fort, Mumbai 400 001. The auditors of the scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.
7.	**XVIII Investors' Grievance Redressal** Table giving Investors' Grievance Redressal data updated
8.	**XX Condensed Financial Information** Table giving Condensed Financial Information updated

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित,
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI,